चतुर्दश माला, खंड 34, अंक 27

बुधवार, 30 अप्रैल, 2008

10 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No 25
Dated 18 Mar 2009

(खण्ड 34 में अंक 21 से 28 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

कैलाश बैसोया
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 34 तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)
अंक 27, बुधवार, 30 अप्रैल, 2008/10 वैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 521, 522, 524, 525, 526 और 529	3-71
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 523, 527, 528 और 530 से 540	71-101
अतारांकित प्रश्न संख्या 5123 से 5261	101-483
सभा पटल पर रखे गए पत्र	484-493
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
19वां प्रतिवेदन	493
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याम संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	493
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
17वां प्रतिवेदन	494
विशेषाधिकार समिति	
11वां और 12वां प्रतिवेदन	494
लोक सभा के सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधि समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	495
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
209वां प्रतिवेदन	495
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	
27वें से 29वां प्रतिवेदन	495-496

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 496-497

(दो) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 497

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 498-502

(चार) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 502-505

(पांच) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-2008) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के पहले, 5वें, 14वें और 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पृथ्वीराज चव्हाण 506

(छह) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पृथ्वीराज चव्हाण 507

(सात) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित विशेष आर्थिक जोन के कार्यकरण के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जयराम रमेश 507-508

(आठ) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री संतोष बागड़ोदिया 509

सभा का कार्य 509-537

लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव 537

विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007

विचार के लिए प्रस्ताव 538

श्री प्रफुल पटेल 538-540

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 540-546

श्री एस.के. खारवेनथन 546-550

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 550-551

श्री सुधांशु सील 551-553

श्री शैलेन्द्र कुमार 554-555

श्री भर्तृहरि महताब 555-559

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 559-561

श्री राम कृपाल यादव 561-564

श्री मोहम्मद ताहिर 565-566

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 566-569

श्री चंद्रकांत खैरे 569-571

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 571-573

श्री वरकला राधाकृष्णन 573-577

श्री प्रभुनाथ सिंह 577-580

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 580-582

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 582-588

डा. आर. सेनथिल 588-590

प्रो. रासा सिंह रावत 590-592

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 592-597

श्री कीरेन रिजीजू 597-598

विषय	कॉलम
डा. के.एस. मनोज	598-599
श्री बिक्रम केशरी देव	599-611
खंड 2 से 10 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	611-612
राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	612
श्री शंकर सिंह वाघेला	612
श्री काशी राम राणा	612-618
आधे घंटे की चर्चा	
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन	
श्री भर्तृहरि महताब	618-621
श्री शैलेन्द्र कुमार	621
प्रो. रासा सिंह रावत	622
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	622
श्री प्रबोध पाण्डा	523
श्री बिक्रम केशरी देव	623
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	623-634
राज्य सभा से संदेश	635-636
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	637-638
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	638-642
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	643-644
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	644-646

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 30 अप्रैल, 2008/10 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों श्री अनंतराव पाटील और प्रो. सुधीर कुमार गिरि के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री अनंतराव पाटील 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने महाराष्ट्र की खेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पाटील चौथी लोक सभा के दौरान 1969 में आवास समिति के सदस्य रहे। पांचवीं लोक सभा के दौरान वह 1971 से 1974 तक याचिका संबंधी समिति और 1973 से 1975 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

पेशे से पत्रकार श्री पाटील पुणे से प्रकाशित होने वाले प्रमुख मराठी दैनिक "विशाल सहयाद्रि" के संपादक रहे। वह महाराष्ट्र वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सचिव, विशाल सहयाद्रि ट्रस्ट के न्यासी और सचिव तथा मराठी पत्रकार परिषद् के अध्यक्ष रहे।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री पाटील मराठवाड़ा छात्र संघ के अध्यक्ष तथा जनता शिक्षण संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उन्होंने समाज के गरीब और शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान तथा छात्रों के कल्याण के लिए कार्य किया।

एक प्रख्यात लेखक श्री पाटील को अंग्रेजी और मराठी में कई पुस्तकें लिखने का श्रेय प्राप्त है।

श्री अनंतराव पाटील का निधन 87 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल, 2008 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ।

प्रो. सुधीर कुमार गिरि 1980 तक सातवीं लोक सभा और 1989 से 1999 तक नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोन्टाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

प्रो. गिरि 1987 से 1989 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक विद्वान संसदविद् प्रो. गिरि सातवीं लोक सभा के दौरान 1980 से 1983 तक याचिका संबंधी समिति और 1980 से 1984 तक वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। नौवीं लोक सभा के दौरान वह याचिका संबंधी समिति के सदस्य और 1990 से 1991 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। बारहवीं लोक सभा के दौरान प्रो. गिरि गृह मंत्रालय संबंधी समिति तथा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना संबंधी इसकी उप-समिति के सदस्य और 1998 से 1999 तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तथा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

एक शिक्षाविद् प्रो. गिरि 1969 से 1989 तक पी.के. कॉलेज, कॉटाई में प्रोफेसर रहे। वह एग्रा एस.एस.बी. कॉलेज और बाजकुल मिलानी महाविद्यालय, मेदिनीपुर के शासी निकाय के अध्यक्ष रहे।

एक सुविख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता प्रो. गिरि ने जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास किया तथा समाज के गरीब, पददलित और वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया।

प्रो. गिरि का निधन 75 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल, 2008 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सुमित्रा जी, मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है। यह महत्वपूर्ण मामला है; मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे इसे प्रश्नकाल के पश्चात उठाने का अनुरोध करता हूं। प्रश्नकाल के पश्चात, मैं सर्वप्रथम आपको बुलाऊंगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: ठीक है, महोदय।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें; मैं किसी को अवसर देने से इंकार नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राव खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष जी, पंजाब के बारे मेरा एक सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: जो अभी बोलेंगे, उन्हें नहीं बुलाएंगे। आप गुस्सा करें या जो कुछ करें, उनको नहीं बुलाएंगे। आपको नोटिस देना चाहिए।

[अनुवाद]

जो अध्यक्षपीठ से सहयोग नहीं करेंगे, श्री आठवले सहित उनको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

मैं आपका आभारी हूं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इंटरनेशनल सिविल सोसायटी कोलिशन ऑन क्लाइमेट चैंज

+

***521. श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री एकनाथ महोदय गायकवाड:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में 'इंटरनेशनल सिविल सोसायटी कोलिशन ऑन क्लाइमेट चेंज' द्वारा हाल ही में जारी की गयी रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यह 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' के निष्कर्षों से किस प्रकार भिन्न है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार को लन्दन आधारित 41 गैर-सरकारी/सिविल सोसायटी के समूह द्वारा "सिविल सोसायटी रिपोर्ट ऑन क्लोइमेट चेंज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है। इस रिपोर्ट में समूह द्वारा शुरू किए गए कुछ अध्ययनों के परिणाम निहित हैं। रिपोर्ट में मौसम संबंधी घटनाओं के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव का आकलन किया गया है और उसके साथ अपनाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि कृषि और वाणिज्यिक वानिकी उत्पादन पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों का मार्किट फोर्स के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौसम की भीषणता की घटनाओं के कारण मृत्यु दर में वृद्धि नहीं होगी और मानव समाज की सामूहिक अनुकूली क्षमता को बढ़ाकर महामारियों को रोका जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को माना गया है, फिर भी, जलवायु परिवर्तन को, जैसा कि दर्शाया गया है, गम्भीर खतरा नहीं माना गया है।

यह रिपोर्ट "सिविल सोसायटी कोलिशन ऑन क्लाइमेट चेंज" पर स्वतंत्र योगदान है। सरकार नीतियों और कार्यक्रम तैयार करते समय इस विषय पर उपलब्ध सभी संबद्ध सूचनाओं को ध्यान में रखती है।

दूसरी ओर, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई.पी.सी.सी.) रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के तीन पहलुओं : भौतिक विज्ञान आधार; प्रभाव, संवदेनशीलता एवं अनुकूलन; तथा न्यूनीकरण, पर विश्वभर में प्रकाशित साहित्य के वैज्ञानिक पीअर समीक्षित मूल्यांकन पर आधारित है। आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट में जलवायु में देखे गए परिवर्तनों का मूल्यांकन और वैश्विक/क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न विकासात्मक परिदृश्यों पर आधारित भावी संभावनाएं दी गई हैं। आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि जलवायु तंत्र का गर्म होना असंदिग्ध है। आई.पी.सी.सी. की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.आर.4) को भारत सहित सभी सदस्य-सरकारों ने 2007 में अंगीकार किया था।

(ङ) भारत जलवायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए अनेक प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक सतत् विकास के मार्ग का अनुसरण करता है। इसके अलावा, भारत सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत से अधिक विकास उपायों पर खर्च करता है, जो जलवायु अस्थिरता और परिवर्तन के अनुकूलन में सहायता करता है। जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित मुद्दों का हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद् का गठन जून, 2007 में किया गया था। इस परिषद् ने निर्णय लिया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं का हल निकालने के लिए एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया जाए। सरकार ने भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए और भविष्य में अपेक्षित उपायों को अभिज्ञात करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

श्री मधु गौड यास्खी: अध्यक्ष महोदय, इस बात पर संपूर्ण विश्व में आम सहमति है, कि पिछली सदी में विश्व का तापमान बढ़ा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और यह प्रत्यक्ष तौर पर मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के परिणामों में औसत समुद्रतल और महासागरीय ऊष्मा में वृद्धि, हिमावरण और हिमखंडों में कमी सहित दीर्घकाल तक सूखा और आपूर्वानुमेय, अत्यधिक बारिश शामिल हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी आती है, बाढ़ और सूखे की संभावना बढ़ जाती है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जैव-विविधता का नुकसान होता है। इन आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या 1985 से 1994 के बीच 174 मिलियन से बढ़कर 1995 से 2004 के बीच 254 मिलियन हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: अब, अपना प्रश्न पूछें।

श्री मधु गौड यास्खी: सभा के समक्ष प्रस्तुत उत्तर ऐसा संकेत देता है कि समिति सोसायटी के दृष्टिकोण और बारत सहित, सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट में मतभेद है। आई.पी.सी.सी. द्वारा दी गई सिफारिशों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना। सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट कहती है कि इससे विकास, विशेषत: भारत जैसे विकासशील देशों का, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। सरकार से मेरा सवाल यह है। आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट को अपनाते हुए और ग्रीन हाउस गैसों में इस प्रकार कटौती करे कि आर्थिक विकास प्रभावित न हो, इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के लिए मानव जिम्मेदार है। लेकिन जिस बात पर वाद-विवाद किया जा रहा है वह है आयाम, समय और स्थान, जहां ये परिवर्तन होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होने में दशकों लगेंगे। जहां तक भारत का संबंध है, हम यू.एन.एफ.सी.सी.सी. और उनके प्रोटोकोल चार्टर में एक पक्ष हैं, और यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के तत्वाधान में होने वाली बैठकों में लिए गए किसी भी निर्णय पर आधारित सभी उपाय अपना रहे हैं। हम रचनात्मक बातचीत कर रहे हैं और प्रशमन व अनुकूलन से क्षेत्र में अनेक उपाय अपना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अगले सप्ताह हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे।

जी हां, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री मधु गौड यास्खी: महोदय, भारत में हिमखंड पिघल रहे हैं। आई.पी.सी.सी. की वर्ष 2007 की रिपोर्ट में इसको रोकने की चेतावनी दी गई है। अन्यथा नदियों में जल की कमी और तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है। इसका परिणाम यह होगा कि बांग्लादेश के निचले क्षेत्र में रहने वाले लगभग 75 मिलियन व्यक्ति तथा भारत की घनी जनसंख्या वाले तटीय क्षेत्र के लगभग 50 मिलियन व्यक्ति अन्दरूनी शहरों और कस्बों की ओर चले जाएंगे। शहरों में संसाधनों की पहले ही कमी है और यदि ऐसे व्यक्ति शहरों की ओर पलायन करेंगे तो स्थिति और बिगड़ेगी, सरकार

अकेले ही इस समस्या को दूर नहीं कर सकती है। सरकार को उद्योग जैसे हितधारकों को भी शामिल करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न क्या है?

श्री मधु गौड़ यास्खी: मेरा प्रश्न यह है कि सरकार की तरफ से तथा हित धारकों को शामिल कर इस समस्या को दूर करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्री नमोनारायन मीना: जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधान मंत्री परिषद सभी तरह की सावधानियां ले रहा है तथा देश में जलवायु संबंधी मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। सरकार ने देश की नदियों, हिमखंडों, खाद्य, पारिस्थितिकीय तंत्र तथा अन्य मुद्दों पर पड़ने वाले परिवर्तन के प्रभाव को विस्तृत जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। अध्ययन किए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति की प्रथम रिपोर्ट आगामी कुछ महीनों में आने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री एकनाथ महादेव गायकवाड - उपस्थित नहीं

मैं इस मुद्दे पर मात्र दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा क्योंकि आगामी सप्ताह हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

श्री दुष्यंत सिंह: मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि सरकार विकास पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का दो प्रतिशत व्यय करती है जो जलवायु परिवर्तन और बदलाव के अनुसार ढालने में सहायक होगा।

मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक उल्लेख के अनुसार विकसित देशों की 40 बड़ी सोसायटीज विशेषकर भारत पर उत्सर्जन संबंधी अनिवार्य लक्ष्यों पर हस्ताक्षर हेतु दबाव डाल रही हैं। क्या यह सही है? क्या भारत पर उत्सर्जन संबंधी अनिवार्य लक्ष्यों पर हस्ताक्षर करने हेतु विकसित देशों की सिविल सोसायटीज का कोई दबाव है?

श्री नमोनारायन मीना: जैसा कि मैंने पहले ही कहा था भारत ने यू.एन.एफ.सी.सी.सी. और क्योटो प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं। यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के तहत विकासशील देश किसी भी लक्ष्य के प्रति बाध्यकारी नहीं है तथा क्योटो प्रोटोकोल के तहत मात्र विकसित देश बाध्यकारी हैं। जहां तक भारत का सवाल है ग्रीन हाऊस गैस में भारत का हिस्सा मात्र 4 प्रतिशत है जबकि हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन मात्र एक टन है, इसके विपरीत विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत उत्सर्जन 4.2 प्रतिशत है और विकसित देशों के संबंध में 10 प्रतिशत है। इसलिए, भारत द्वारा बंध जाने का सवाल ही नहीं उठता है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या सरकार का ध्यान केरल तथा अन्य कई राज्यों में इस ग्रीष्म ऋतु में बेमौसमी वर्षा से व्यापक हानि की जानकारी है? इससे किसानों और लोगों को भारी हानि हुई है क्योंकि सब जगह फसल नष्ट हो गई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इसके निदान हेतु क्या सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या सरकार भारती वर्षा से हुए नुकसान से लोगों को राहत देगी?

अध्यक्ष महोदय: यह अलग मामला है। राहत संबंधी प्रश्न अलग मुद्दा है। क्या आप वर्षा को रोक सकते हैं?

श्री नमोनारायन मीना: महोदय वर्षा को रोकना मेरे नियंत्रण में नहीं है। भारी वर्षा या सूखे की स्थिति में फसल के नुकसान होने पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें सरकार ने एक तरह से इंटरनेशनल सिविल सोसायटी कोलिशन ऑन क्लाइमेट चेंज को नकारा है और यह कहा है कि आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट साइंटिफिक है। उसने एक तरह से यह कहने की कोशिश की है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कमिटिड होते हैं, वह बहुत स्टडी करने के बाद और साइंटिफिक होने के बाद ही रिपोर्ट देते हैं। आज बहुत भयानक स्थिति है। मैं लद्दाख से आता हूं। वहां के शत-प्रतिशत लोग सिंचाई के लिए ग्लेशियर मैल्ट वाटर पर डिपेंड करते हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दो दशक में शायद वहां की सारी पापुलेशन को दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। जिस सोर्स से ऐसी रिपोर्ट आए, उसे सीरियसली लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। यह बात मानने योग्य है कि प्रधान मंत्री ने कमेटी बनायी है लेकिन ग्राउंड पर कोई एक्शन दिखायी नहीं देता है। क्या सरकार इसे सीरियसली लेकर एक्शन लेगी? यदि हां, तो सरकार क्या एक्शन लेना चाहती है?

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने सिविल सोसायटी की रिपोर्ट रिलीज करने के

बारे में प्रश्न किया है, उसके संबंध में उन्हें बताना चाहता हूं कि एक तरह से पब्लिक डोमेन में साइटिफिक कम्युनिटी देखेगी कि क्या है और क्या नहीं है?

जब भी सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है, सब तरह का जो भी लिट्रेचर होता है, सब चीज को देखकर फॉर्मूलेट करती है। जहां तक नए सब्जेक्ट की बात है, जो आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट आई है, कहीं भी स्पेसिफिक नहीं है। हमारी सरकार ने फर्स्ट इनीशिएल कम्युनिकेशन बनाया है और हम दूसरा कम्युनिकेशन बना रहे हैं कि हर फील्ड में क्या इम्पेक्ट होने वाला है। उसकी स्टडी हो रही है और सरकार बहुत सीरियस है। आप इससे सोच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लैवल पर एक कमेटी बनी है जो सारे लैवल पर क्लाइमेट चेंज रिलेटिड इश्यूज को एड्रेस कर रही है। इस बारे में स्टडीज हो रही है, सरकार सब तरह के प्रीकाशन्स ले रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए हम इस मुद्दे पर सभा में भी चर्चा करना चाहते थे। जब डा. पचौरी से व्याख्यान देने के लिए कहा गया था तो दुर्भाग्यवश, न के बराबर सदस्य उपस्थित थे। सदस्यों को अधिक रूचि लेनी होगी।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता

\+

*522. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार जीवनरक्षक उपकरण उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बेकार पड़े अथवा अप्रचलित उपकरणों का अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन अस्पतालों में ऐसे उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जीवन रक्षक उपकरण केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल, कलावती सरण बाल अस्पताल और जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुडुचेरी में उपलब्ध हैं।

केन्द्र सरकार के अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों की संख्या नीचे दी गई है:-

अस्पताल का नाम	जीवन रक्षक उपकरणों की संख्या	
	कार्यात्मक	गैर-कार्यात्मक
1	2	3
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	559	5
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	123	4
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली	34	शून्य

1	2	3
कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	169	8
जिपमेर, पुडुचेरी	43	4

अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण एक सतत गतिशील प्रक्रिया है। नवीनतम जीवन रक्षक उपकरणों का प्रापण प्रयोक्ता विभाग की आवश्यकतानुसार और उपलब्ध संसाधनों के भीतर किया जाता है। वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अन्तर्गत गैर कार्यात्मक उपकरणों की मरम्मत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इन अस्पतालों में मशीनरी और उपकरणों के प्रापण के लिए अलग निधियां रखी गई हैं।

केन्द्र सरकार के अस्पतालों को मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए विगत चार वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियां नीचे दी गई हैं:-

(करोड़ रुपए में)

अस्पताल	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	22.90	20.90	12.99	1.60
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	7.75	21.25	11.00	2.34
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली	4.50	5.50	6.00	1.60
कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	1.10	1.10	1.20	0.40

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: महोदय, वैसे देखने में तो बहुत कम परेशानी लगती है, लेकिन मरीजों को चार या पांच दिन बाद आने के लिए कहा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो गैर कार्यात्मक मशीनें हैं, उनका क्या कारण है? ऐसी और कितनी मशीनें चालू हैं? उत्तर में एक अस्पताल में पांच और दूसरे में चार आदि लिखा है लेकिन इस प्रकार की और कितनी मशीनें हैं, जिनसे जांच की जा सकती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्य न करने वाली मशीनों की संख्या उत्तर में दर्शाई गई है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, कार्य करने वाली तथा कार्य न करने वाली मशीनों का उत्तर में उल्लेख है। यह भी एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में हम वार्षिक अनुरक्षण ठेका (ए.एम.सी.) किया करते थे। अब व्यापक अनुरक्षण ठेका किया जाता है। इसके तहत कलपुर्जे में खराबी की स्थिति में इसे बदल दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों से हम इसके बारे में नीति में परिवर्तन कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह एक सतत प्रक्रिया है। आवश्यकतानुसार इन मशीनों का उन्नयन किया गया है। इस समय किसी भी केन्द्र सरकार के अस्पताल में उपस्कर संबंधी कोई भी समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: मैंने यह पूछा था मान लीजिए एक्स-रे की दो मशीनें खराब हैं, ऐसी कितनी और मशीनें चालू हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि कितनी एक्स-रे मशीनें कार्य कर रही हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: मैंने उत्तर में बता दिया है। कार्य कर रहीं तथा खराब पड़ी मशीनों का उल्लेख उत्तर में है।

अध्यक्ष महोदय: डा. धीरेन्द्र अग्रवाल - उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल: माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्स में पूरे देश के लोग आते हैं, उनको जांच कराने में काफी समय लगता है। यदि मरीज छः महीने बिना जांच के रहेगा तो वह कैसे ऑपरेशन करा पाएगा? आप इसके लिए क्या सुधार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: इक्वीपमेंट के बारे में पूछा है?

श्री अशोक अर्गल: नहीं, मरीज जांच के अभाव के कारण पड़ा रहता है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: एम्स, सफदरजंग अस्पताल, आर.एम.एल. अस्पताल या केन्द्र सरकार के तहत किसी भी अस्पताल की समस्या रोगियों की भारी संख्या ही है जो देश के विभिन्न भागों से आते हैं। एम्स एक स्पेशियल्टी अस्पताल है जहां सामान्य मामलों का भी उपचार किया जाता है और किसी भी रोगी को वापस नहीं भेजा जाता है। एम्स में लगभग 80,000 ओ.पी. रोगी प्रतिदिन आते हैं, इसलिए कभी-कभी आपातकालिक मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। कभी-कभी प्रतिक्षा सूची भी होती है परन्तु तत्काल उपचार की आवश्यकता वाले आपातकालिक मामले को प्राथमिकता दी जाती है।

डा. के.एस. मनोज: मंत्री जी के उत्तर में 'जीवन रक्षक उपस्कर' क्या है यह नहीं बताया गया है। इसके आधार पर ही हम संख्या का पता लगा सकते हैं, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कतिपय आधारभूत उपस्कर को 'जीवन रक्षक उपस्कर' माना है। क्या मंत्रालय इन्हें प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध कराएगा? क्या देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत जीवन रक्षक उपस्कर उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में क्या कोई योजना है? मंत्रालय किन उपस्करों को आधारभूत जीवन रक्षक उपस्कर मानता है?

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्य जो स्वयं एक डाक्टर हैं ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। उन्हें यह भी पता है कि 'जीवन रक्षक उपस्कर' का अर्थ क्या है। सभी औषधि जीवन रक्षक होती है। यहां तक कि किसी भी संदर्भ में पैरासिटामोल भी एक जीवन रक्षक औषधि है। स्थिति के अनुसार सामान्य या अत्याधुनिक उपस्कर जीवन रक्षक हो सकता है। परन्तु कतिपय औसत उपस्कर होते हैं जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसी विद्यमान सुविधाओं में दी जाती है। हम अत्याधुनिक उपस्कर प्रदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके उपयोग हेतु व्यक्ति नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम.बी.बी.एस. डाक्टर होते हैं और वे अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपस्कर का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हमारे पास एक योजना है। इसको लागू किया गया है और कार्य प्रगति पर है। जहां तक उपस्कर की बात है चाहे यह जीवन रक्षक हो या न्यूनतम रूप से आवश्यक उपस्कर, इसे प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों में होना ही चाहिए। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों या ब्लॉक स्तर अस्पतालों पर जोर दे रहे हैं, जहां विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं। उन्हें भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों का भी ध्यान रखना होगा, इस प्रकार वहां चार विशेषज्ञ नामतः स्त्री रोग विशेषज्ञ, शरीर विज्ञान विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ और एनेस्थीटिस्ट जरूर होने चाहिए। इस स्तर पर हम प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कम से कम 20 लाख रुपये प्रदान कर रहे हैं। कतिपय लोक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 2 करोड़ रुपये भी दिये जा रहे हैं ताकि उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और प्रत्येक राज्य सरकार को क्रमिक रूप से वित्त वर्ष के प्रारम्भ में अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन का ब्यौरा देना पड़ता है, जिसमें उनकी प्राथमिकताएं, उन्नयन किये जाने वाले केन्द्रों और आवश्यक उपकरणों का उल्लेख किया जाता है। इन सबकी सूची बनायी जाती है और आवश्यकतानुसार हम उन्हें राशि आबंटित करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो जीवनरक्षक उपकरण आप गवर्नमैन्ट हॉस्पिटल्स को उपलब्ध कराते हैं, खासकर तीन-चार हॉस्पिटल्स आपने दिल्ली में बताये हैं। अस्पतालों द्वारा बहुत सारे लेटेस्ट उपकरणों की डिमांड की जाती है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि बहुत सारे इक्युपमैन्ट्स

ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन यूज नहीं होता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसकी जांच कराई जाती हैं?

इसके अलावा डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल में जो पीड्रियाट्रिक्स, बच्चों का विभाग है, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले में बहुत चीप रेट में इलाज होता है और बहुत सारे ऐसे जेनुइन बच्चों को उन्होंने बचाया है। लेकिन वहां मेरे ख्याल से शायद छः बैड का पीड्रियाट्रिक्स विभाग का आई.सी.यू. है। क्या उनकी डिमांड आई है और क्या आप उस आई.सी.यू. को और अच्छा बनाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह इससे संबंधित तो नहीं परन्तु एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: हम राममनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराते हैं। मैं माननीय सदस्य के निवेदन पर विचार करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो इसे किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

मुझे मरीजों से पूछना चाहिए या डाक्टर से डा. पी.पी. कोया।

डा. पी.पी. कोया: यह हमारी स्वास्थ्य समस्या है। जिसने भी यह प्रश्न उठाया है, मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्न का दायरा काफी व्यापक है - सरकारी अस्पतालों में उपकरण। 'अस्पताल' भी एक व्यापक शब्द है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सहायक और क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल आदि शामिल है। उपकरणों में बी.पी.एफ.आर.एस.एस., से लेकर लॉरींगोस्कोप, रबर ट्यूब और सी.टी. स्कैन तथा अन्य आधुनिकतम शल्य उपकरण भी शामिल हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी प्रणाली या निकाय है जो आवधिक रूप से इन सभी उपकरणों का निरीक्षण कर सरकार को सूचित करे कि क्या इन उपकरणों को बेकार घोषित किया जाये या इनकी मरम्मत करायी जाये और इस निकाय को इन उपकरणों को बदलने की शक्ति भी दी जानी चाहिए।

श्री अंबुमणि रामदास: प्रत्येक अस्पताल की एक आंतरिक समिति होती है। शैक्षिक, वित्तीय और इसी तरह अन्य मुद्दों के लिए पृथक-पृथक समितियां होती हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के निदेशालय के अंतर्गत भी एक समिति है जो कि उपकरण संबंधी सभी मुद्दों पर विचार करती है और किसी मरीज की मृत्यु के मामले में वरबल अटोप्सी, मरीज की सुरक्षा इन सभी पर विचार किया जाता है। इसकी निगरानी के लिए भी समितियां हैं।

अध्यक्ष महोदय: डा. कृष्णन, क्या आप चिकित्सा क्षेत्र के डाक्टर हैं। कृपया एक विशिष्ट और संक्षिप्त प्रश्न पूछिए।

डा. सी. कृष्णन: जी हां महोदय, मुख्य प्रश्न सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों के बारे में है। महोदय, तमिलनाडु में जीवन रक्षक उपकरणों के अभाव के कारण खसरा रोगनिरोधक दवा की खुराक चार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। वैक्सीन (टीके) का भंडारण मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए था ताकि यह असरकारक रहे और जहरीला नहीं हो अन्यथा यह घटना नहीं घटी होती जैसे कि तमिलनाडु में रोगनिरोधक टीका दवा लेने के तुरन्त बाद चार बालकों की मृत्यु हो गयी थी। इसका कारण यदि विद्युत है, चूंकि 'टीके' का ठंडे स्थान पर भंडारण किया जाना था और इस टीकाकरण का पूरा सेट अपनी इस विशिष्टता को खो चुका था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने एक त्रासदी के बारे में चर्चा की है। कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

डा. सी. कृष्णन: थिरुवल्लूर जिले में चार बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चा तिरूनेलवेली जिले में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है। मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह प्रश्नकाल का दुरुपयोग है।

डा. सी. कृष्णन: एक निजी कम्पनी से सस्ते दामों पर निविदा आधार पर यह (वैक्सीन) टीका खरीदा गया। क्या यह कम्पनी टीका खरीदने के मामले में सुविज्ञ और अनुभवी है?

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया उन्हें आमंत्रित करके इस विषय पर चर्चा करें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं जवाब दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह आपकी समस्या है। आप हर प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं।

डा. सी. कृष्णन: क्या कम्पनी के पास ऐसे टीकों के विनिर्माण हेतु सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपको बोलने की अनुमति देकर मैंने गलती की है।

डा. सी. कृष्णन: क्या कम्पनी ने ऐसा नकली टीका कम कीमत निविदा आधार पर खरीदा है...*(व्यवधान)* महोदय, वह मुझे बैठने के लिए नहीं कह सकते वह अध्यक्ष नहीं है।

शेष नकली टीका का स्टॉक कितना है और क्या भविष्य में इसके उपयोग की अनुमति दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को समझ गए हैं। यह पर्याप्त है। मंत्री महोदय समझ गये हैं और जवाब देने को तैयार है।

डा. सी. कृष्णन: महोदय, लोगों के लिए उपयोग हेतु आपूर्ति किये जाने से पहले क्या इस टीके की जांच और गुणवत्ता परीक्षण किया गया था?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाए। इसका संक्षिप्त जवाब दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: उतना ही लंबा जवाब हो।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उतना लंबा नहीं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, लगभग दो सप्ताह पूर्व यह घटना हमारे नोटिस में लायी गई जिसमें थिरुवल्लूर जिले में खसरे का टीका लगाये जाने से चार बच्चों की दुर्भाग्यवश मौत हो गयी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय के साथ-साथ राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और राष्ट्रीय विषाणु-विज्ञान संस्थान, पुणे कार्यालय से केन्द्र द्वारा एक उच्च-स्तरीय दल शीघ्र वहां पर भेजा गया था। एक पांच-सदस्यीय दल तमिलनाडु गया था। उसने इन बच्चों की इस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की गहन जांच की। उन्होंने इसकी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

इसके कारण पृथक-पृथक हो सकते हैं। टीके की गुणवत्ता; टीकाकरण का तरीका; भंडारण प्रक्रिया या असुरक्षित टीकाकरण की प्रक्रिया इसके कारण हो सकते हैं। यह सभी बातें हो सकती हैं। महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि यह टीका किसी निजी फर्म से कम कीमत निविदा आधार पर खरीदा गया था। यह भारतीय जीवविज्ञान संबंधी प्रतिरक्षक एकक - एक सरकारी विनिर्माण एकक है...*(व्यवधान)* कृषि मंत्रालय के अंतर्गत...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में इस पर चर्चा की गयी है।

डा. अंबुमणि रामदास: अनुमति देने से पूर्व उन्हें कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह अच्छी विनिर्माण प्रक्रिया (जी.एम.पी.) के अधीन कार्यरत है। ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति के पात्र हैं। इस घटना के विषय में उचित और व्यापक रिपोर्ट प्राप्त होने में कुछ सप्ताह का समय लगेगा। तत्पश्चात, हम निश्चित तौर पर इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के कारणों का पता लग पाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अब अंतिम अनुपूरक प्रश्न गैर-चिकित्सक सदस्य के लिए हैं और तब हम वास्तविक रोग के बारे में निर्णय करेंगे,

श्री राम कृपाल यादव।

श्री राम कृपाल यादव: यद्यपि, मैं चिकित्सक नहीं हूं।

[हिन्दी]

महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि हम राज्यों को भी सुविधा मुहैया करा रहे हैं, राशि उपलब्ध करा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक बन गये हैं। आपको एक विशिष्ट और संक्षिप्त प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: बिल्कुल ब्रीफ में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत खुशी है। थोड़ा सोबर भी होगा, मैं आशा करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की जो भीड़ बढ़ रही है, उसका कारण यह है कि देश के अन्य राज्यों से मरीज यहां आकर

अपना इलाज करा रहे हैं चूंकि उनके राज्यों में संसाधनों का अभाव है, जीवन रक्षण दवाएं नहीं मिलती हैं, जीवन रक्षक उपकरणों की भी अनुपलब्धता है जिसकी वजह से लोग यहां आते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप उन राज्यों पर गौर करेंगे जहां इस तरह के उपकरणों का अभाव है ताकि जो लोड दिल्ली में पड़ रहा है, वह वहीं रुक जाए? बिहार जैसे राज्य में कई महत्वपूर्ण अस्पताल हैं जहां उपकरणों की कमी है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न सेन्ट्रल गवर्नमैंट हॉस्पिटल्स के बारे में है।

श्री राम कृपाल यादव: इस कारण बड़े पैमाने पर मरीज इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं और सबसे अधिक लोड बिहार का ही होता है। वहां एक्सपर्ट डाक्टर्स हैं मगर उपकरणों की कमी की वजह से वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप वैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वहां एम्स तो बन रहा है पटना में।

श्री राम कृपाल यादव: अभी केवल चारदीवारी का निर्माण हुआ है। अभी बिल्डिंग पड़नी भी शुरू नहीं हुई है। 2009 तक उसको बनाने का टार्गेट था।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बैठिये।

[अनुवाद]

कृपया विस्तार में उत्तर मत दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम राज्यों को पर्याप्त अवसंरचना, उपस्कर, जनशक्ति आदि के अधिकार दे रहे हैं। वास्तव में जे.आई.पी.एम.ई.आर., पुदुचेरी विधेयक पर कल हुई चर्चा के दौरान मैंने अपने माननीय मित्रों को आश्वासन दिया था कि प्राथमिकताओं सहित मेरा ध्यान बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा पर होगा। ये राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। मैं अवसंरचना की और व्यवस्था करने हेतु व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिए शीघ्र ही बिहार जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काफी सकारात्मक कार्य हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से पूर्व बिहार में सरकारी क्षेत्र पर रोगियों की संख्या का भार औसतन 40 था जो आज बढ़कर 4000 हो गया है। दवाई की उपलब्धता की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

इसके पश्चात एक और मुद्दा जो इस सभा में छाया रहा है और जिसके बारे में अनेक माननीय सदस्य प्रश्न पूछते रहे हैं वह प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और छह 'एम्स' जैसे संस्थानों है, जिनकी वास्तव में पिछली सरकार द्वारा योजना बनाई गई थी और हम इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। वास्तव में, कल अपने उत्तर में मैंने कहा था कि हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। थोड़ा विलंब हुआ है। विलंब के लिए मुझे खेद है। मैं स्वीकार करता हूं कि विलंब हुआ है। पूरी सभा की चिंता पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि इन राज्यों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान को इन परियोजनाओं की निश्चित रूप से बहुत अधिक आवश्यकता है। निश्चित रूप से प्रक्रिया चल रही है और कुछ राज्य परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं तथा अन्य राज्यों में दो महीनों के भीतर परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी। मैं बिहार से अपने मित्रों को आश्वासन देता हूं कि हम निश्चित रूप से इस पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपको सही उत्तर मिल चुका है।

प्र. 523 - श्री किन्जरपु येरननायडु - उपस्थित नहीं।

प्र. 524 - श्री रायापति सांबासिवा राव - उपस्थित नहीं।

श्री मित्रसेन यादव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: क्या आप जानते हैं कि आपके नाम से कोई प्रश्न नहीं है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रसन्न हूं, कम से कम, कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मित्रसेन जी, आप प्रश्न संख्या बोलिए। क्या आप जानते हैं कि आपके नाम में प्रश्न है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न संख्या 524 बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन/अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता

+

*524. **श्री मित्रसेन यादव:**

श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन/अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/एजेंसियों की सहायता से कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित इन एजेंसियों में से प्रत्येक के द्वारा आवंटित धनराशि और उसमें से खर्च की गयी राशि का कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार विभिन्न प्रकार की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करती रही है जिनमें नेमी प्रतिरक्षण, विविध रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विविध परिवार कल्याण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, गर्र प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के लिए सम्मिलित सूचना, शिक्षा व संचार एवं युवा स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (एस.आई.पी.) सहित क्षेत्र परियोजनाएं, पी.आई.पी. वाले राज्यों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य नम्य पूल, आपूर्तियों एवं सामग्रियों का प्रापण आदि शामिल हैं और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) आदि सहित केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक की बाहरी सहायता, यू.एन.एफ.पी.ए., यू.एस.ऐड, जर्मनी सहायता (के.एफ.डब्ल्यू.) जापानी सहायता (जिका), डी.एफ.आई.डी. (यू.के.), डेनिडा, जी.एफ.ए.टी.एम., यूरोपीय आयोग आदि से चल रही है। बाहरी सहायता घटक सहित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए वार्षिक योजनाओं 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में अनुमोदित परिव्यय नीचे दिए गए हैं:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	डी.बी.एस.	ई.ए.पी.	कुल
2005-06	4157.07	2266.93	6424.00
2006-07	6495.90	1481.10	7977.00
2007-08	9239.99	1650.01	10890.00

(ग) विभिन्न बाहरी निधीयन अभिकरणों द्वारा विविध स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:-

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन केन्द्र/राज्य सरकारों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सीधे-सीधे सहायता नहीं करता। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसंधान, कार्यशालाओं, बैठकों, सूचना प्रसार और भारत सरकार के जरिए अध्येतावृत्तियां प्रदान करने जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े विविध तकनीकी क्रियाकलापों में ही तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य

जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं इनकी गुणवत्ता का सुधार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दो वर्षों 2004-05 तथा 2006-07 में सहायता प्राप्त कर रहे स्वास्थ्य क्रियाकलापों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (एस.आई.पी.)

- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्तूबर, 2007 में प्रारंभ किया गया। 5 वर्षों की अवधि के लिए इसका दूसरा चरण अप्रैल, 2005 से शुरू किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया है जिसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का दूसरा चरण शामिल है।

360 मिलियन डालर का विश्व बैंक ऋण प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना को उपलब्ध कराया गया है। विकास ऋण करार पर 16 अक्तूबर, 2006 को हस्ताक्षर किए गए। डी.एफ.आई.डी. और यू.एन.एफ.पी.ए. ने क्रमशः 252 मिलियन यू.के. पौंड और 20 मिलियन अमरीकी डालर को प्रजनन और बाल कार्यक्रम में देने के लिए वचन दिया है। चरण-II परियोजना को 31 मार्च, 2010 तक पूरा किए जाने की आशा है।

क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (एस.आई.पी.) के रूप में ज्ञात यूरोपीय आयोग से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भी समग्र प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। हालांकि यूरोपीय आयोग निधीयन का दायरा न केवल प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों तक सीमित था वरन् यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र की सेवाओं, पद्धति और अवसंरचना में समग्र बेहतरी के लिए प्रथम स्तरीय परामर्श देने हेतु इसके अन्य क्रियाकलापों को भी उपलब्ध है। यूरोपीय आयोग क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्ष में प्राप्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
प्राप्त रकम	106.93	163.55	शून्य

यू.एन.एफ.पी.ए. सहायता प्राप्त कंट्री कार्यक्रम 6

- यू.एफ.पी.ए. सहायताप्राप्त कंट्री कार्यक्रम 6 को राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और केरल राज्यों में 2003-05 की अवधि तक कार्यान्वित किया गया। बजटीय आबंटन तथा पिछले तीन वर्ष में निर्गत निधियां निम्नवत हैं:-

(रुपए में)

वर्ष	बजट	व्यय
2005	520,000,000.00	510,851,720.00
2006	542,160,000.00	539,200,320.00
2007	550,746,400.00	535,882,080.00

परिवार नियोजन सेवाओं में नवाचार

- परिवार नियोजन सेवाओं की परियोजना में यू.एस.एड सहायताप्राप्त नवाचार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। निधीयन पैटर्न अनुमोदित क्रियाकलापों के आधार पर प्रतिपूर्ति करने के रूप में है। विगत तीन वर्षों में निर्गत निधियों का ब्यौरा निम्नवत है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	राज्य		
	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	झारखंड
2005-06	20.77	–	–
2006-07	16.85	–	–
2007-08	36.12	9.00	1.11

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- जी.एफ.ए.टी.एम., यू.एन.डी.पी., डब्ल्यू.एच.ओ., डी.एफ.आई.डी., यू.एस.एड तथा विश्व बैंक की सहायता भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए ली जा रही है। पिछले तीन वर्षों में इन अभिकरणों में से प्रत्येक द्वारा आबंटित तथा एन.ए.सी.पी. के तहत खर्च की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रु. में)

क्रमांक	अभिकरण	आबंटित	व्ययित
1.	जी.एफ.ए.टी.एम.	634.42	636.8
2.	यू.एस. एड	91	74.2
3.	यू.एन.डी.पी.	9.96	9.29
4.	डी.एफ.आई.डी.*	209	208.99
5.	डब्ल्यू.एच.ओ.	0.79	0.62
6.	विश्व बैंक (ऋण)	793.04	776.58

* डी.एफ.आई.डी. सहायता केवल 2005-06 और 2006-07 वर्षों के लिए है और इसने 2007-08 में विश्व बैंक के साथ पूलिंग शुरू की है।

समेकित रोग निगरानी परियोजना

- विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूपेण दी गई निधि से समेकित रोग निगरानी परियोजना को 5 वर्षों अर्थात 2004-09 की अवधि तक नवंबर, 2004 में प्रारंभ किया गया। समेकित रोग निगरानी परियोजना देश में महामारी का रूप लेने वाले रोगों के फैलावों का पता लगाने के लिए विकेंद्रीकृत राज्य आधारित निगरानी परियोजना है। कुल 408.36 करोड़ रुपयों के बजट में से विश्व बैंक के ऋण की रकम 306.24 करोड़ रुपए है जबकि भारत सरकार की रकम 102.12 करोड़ रुपए है।

पल्स पोलियो कार्यक्रम

- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों/एजेन्सियों की सहायता से पल्स पोलियो कार्यक्रम का उन्मूलन किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(मिलियन यू.एस. डालर में)

एजेंसी	वर्ष		
	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
जे.आई.सी.ए.	4.30	3.8	1.70
सी.डी.सी.	5.00	6.30	–
के.एफ.डब्ल्यू.	19.20		–
डब्ल्यू.बी.आई.एस.पी.	65.77	40.0	–
डी.एफ.आई.डी.	12.00	–	–
डब्ल्यू.बी.आई.डी.ए. क्रेडिट	5.00	–	–

1	2	3	4
एस.आई.डी.ए.	–	0.15	–
के.एफ.डब्ल्यू. VIII	–	39.0	–
के.एफ.डब्ल्यू. VI एंड VII	–	21.7	–
के.एफ.डब्ल्यू. IX	–	–	21.63
कुल	111.27	110.95	23.33
		245.55	

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन विश्व बैंक, डी.एफ.आई.डी., जी.एफ.ए.टी.एम. तथा यू.एस.एड. की सहायता से देश भर में किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक एजेन्सी द्वारा आवंटित निधियों तथा उसके व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रु. करोड़ में)

परियोजना	2005-06		2006-07		2007-08	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
विश्व बैंक	129.80	133.67	139.97	143.88	127.60	123.22
डेनिडा	3.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
डी.एफ.आई.डी.	11.00	11.00	35.00	35.00	40.00	40.00
जी.डी.एफ.	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जी.एफ.ए.टी.एम.	20.00	19.00	25.00	40.00	80.00	80.00
यू.एस.ए.आई.डी. (डब्ल्यू.एच.ओ. के जरिए)	2.00	2	2	2.00	2.00	1.50
जी.ओ.आई.	0.20	0.20	0.20	0.09	17.40	17.40
कुल	186.00	187.70	202.17	220.97	267.00	262.12

विश्व बैंक (क्रेडिट) तथा जी.एफ.ए.टी.एम. (अनुदान) के संबंध में निधियां सरकार द्वारा अग्रिम में आवंटित बजट है और तत्पश्चात ऐसे आवंटन में से किए गए व्यय के आधार पर इन एजेन्सियों से इनकी प्रतिपूर्ति करवाई गई।

डेनिडा, डी.एफ.आई.डी., जी.डी.एफ. एवं यू.एस.एड. से प्राप्त निधियां सहायता के रूप में है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का पूर्णरूपेण वित्तपोषण भारत की समेकित निधि से किया जाता है। इंटरनेशन फेडरेशन आफ एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन भारत में राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तकनीकी सहायता प्रदान करने के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन देश में सभी कुष्ठ रोगियों को मल्ट्री ड्रग ट्रीटमेंट (एम.डी.टी.) की नि:शुल्क आपूर्ति भी करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ रोधी औषधों के लिए विश्व बैंक की सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एम.डी.टी. की आपूर्ति	599.96	584.94	880.00

खाद्य और औषध क्षमता निर्माण परियोजना

- खाद्य और औषध क्षमता निर्माण परियोजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियां और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2005-06	5657.00	4126.51
2006-07	5700.00	5556.74
2007-08	3225.00	844.25

अन्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

अन्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

राज्य	परियोजना का नाम	राशि	वित्तपोषण एजेन्सी
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन)	£ 60 मिलियन	डी.एफ.आई.डी.
उड़ीसा	(1) "उड़ीसा स्वास्थ्य क्षेत्र योजना (2006-2010)" (अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन)	पोषण के लिए सहायता हेतु 100.00 करोड़ रु. सहित 400.00 करोड़ रु.	डी.एफ.आई.डी.
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य कार्यक्रम (अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन)	£ 40 मिलियन	डी.एफ.आई.डी.

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II (नाको के जरिए)	£ 87.74 मिलियन	डी.एफ.आई.डी.
आंध्र प्रदेश गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III (नाको के जरिए)	£ 100.00 मिलियन	डी.एफ.आई.डी.
पश्चिम बंगाल	(1) स्वास्थ्य क्षेत्र विकास पहल कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल	£ 100.00 मिलियन	डी.एफ.आई.डी.
	(2) बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना, पश्चिम बंगाल	203.25 करोड़ रु.	के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक)
	(3) जी.टी.जेड. द्वारा सहायता प्राप्त भारत-जर्मन स्वास्थ्य कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल	10,839,000 यूरो	जी.टी. जैड. (जर्मनी तकनीकी सहयोग)
उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड विकास परियोजना सहित उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली (सी.आर. नं. 3338-आई.एन.)	$ 127.5 यू.एस.	विश्व बैंक
राजस्थान	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी.आर. नं. 3867-आई.एन.)	$ 89.00 यू.एस.	विश्व बैंक
तमिलनाडु	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी.आर. नं. 4018)	$ 90.8 यू.एस.	विश्व बैंक
कर्नाटक	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास एवं सुधार परियोजना	$ 141.83 यू.एस.	विश्व बैंक
कर्नाटक	कर्नाटक-के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा सहायताप्राप्त द्वितीयक स्तरीय-स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	13.804 यूरो (फोज I) 14.3 यूरो (फेज-II)	जर्मन सहायता (के.एफ.डब्ल्यू.)
पश्चिम बंगाल	एन.ऐ.ई.सी.ई.डी., कोलकाता-उभरते हुए अतिसारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जे.सी.ए. द्वारा सहायताप्राप्त परियोजना	11.2 करोड़ रु. (फेज-I) 90 करोड़ रु. (फेज-II)	जापानी सहयोग
उड़ीसा	उड़ीसा-सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट आफ पीडियाट्रिक्स, कटक में सुधार	83 मिलियन जापानी येन	जापानी सहयोग
महाराष्ट्र	बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना	10.23 मिलियन यूरो	के.एफ.डब्ल्यू.

(घ) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं की स्थिति/उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता:

विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में स्वास्थ्य विकास कार्यकलाप की सहायता में पर्याप्त संसाधन जुटाने में समर्थ रहा है। भारत में कार्य/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विविध क्षेत्रों को तकनीकी सहायता के लिए प्राप्त एवं संवितरित निधियों की मात्रा द्विवर्ष (2004-2005) के दौरान 96.40 मिलियन यू.एस. डालर थी जिसमें नियमित बजट से प्राप्त 8.75 मिलियन यू.एस. डालर शामिल था। द्विवर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त एवं संवितरित निधियों की मात्रा करीब 84.95 मिलियन यू.एस. डालर थी जिसमें नियमित बजट से प्राप्त 8.75 मिलियन यू.एस. डालर शामिल था।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का दूसरा चरण शामिल है। देश में कुल प्रजनन दर, नवजात मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II अप्रैल, 2005 से शुरू किया गया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 8755 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 11335 के लक्ष्य के मुकाबले प्रचालित किया गया है। करीब 25 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में करीब 337 जिलों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं जिसमें करीब 1957 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। 4881 ए.एन.एम./एस.एन. को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2685 के लक्ष्य के मुकाबले 1534 प्रथम रेफरल एककों को प्रचालित किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश में 295 एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में प्रसूति प्रबंधन कौशल में 97 मास्टर प्रशिक्षकों तथा 95 एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और जिला अस्पतालों में केन्द्रों की स्थापना करने का कार्य चल रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अतिरिक्त मास्टर प्रशिक्षक नोडल केन्द्र को अनुमोदित किया जा चुका है। सूरत, रांची और गुवाहाटी में तीन और तृतीयक स्तरीय प्रशिक्षक केन्द्र 2007-08 में स्थापित किए जा रहे हैं।

यू.एन.एफ.पी.ए. 1974 से कंट्री कार्यक्रम चक्रों की पंचवर्षीय शृंखला के माध्यम से समकालीन जनसंख्या मामलों पर भारत सरकार को सहायता दे रहा है। पहले पांच देशों के कार्यक्रम 1974 से 2002 तक क्रियान्वित किए जा चुके हैं, छठा कंट्री कार्यक्रम 2003-07 के दौरान क्रियान्वित किया जा चुका है। कंट्री कार्यक्रम-6 के संसाधन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और केरल के छह राज्यों में न्यूनीकृत एकीकृत जनसंख्या और विकास (आई.पी.डी.) परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किए गए हैं। एस.डब्ल्यू.ए.पी. आधारित प्रजनन बाल स्वास्थ्य-II (आर.सी.एच.-II) को शामिल करने के उपरांत, संसाधनों को आर.सी.एच.-II कार्यक्रम को सहायता देने और नीति पक्ष समर्थन, तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए गैर-सरकारी संगठन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है। कार्यक्रम की अवधि अर्थात् 2003-07 के दौरान 242 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 230 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न गतिविधियों पर खर्च की गई थी। इस प्रकार 97.2% की व्यय दर की प्राप्ति की गई थी।

परिवार नियोजन सेवाओं में नवीनताएं: परिवार नियोजन सेवाओं (आई.एफ.पी.एम.) में. यू.एस.ए.आई.डी. द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना को 325 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल सहायता राशि समेत वर्ष 1992 से 2002 तक 10 वर्षों के लिए क्रियान्वित किया गया है। उत्तराखंड और झारखंड राज्यों को शामिल करते हुए सितम्बर, 2004 तक गतिविधियों में वृद्धि एवं विस्तार किया गया था। परियोजना का दूसरा चरण सितम्बर, 2008 तक अगले 4 वर्षों और बिना किसी अतिरिक्त लागत के मार्च, 2009 तक फिर से जारी रखा जाना है। परियोजना से निम्नलिखित की प्राप्ति की जानी अपेक्षित है:

(i) गैर-सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाओं की प्रदानगी में विस्तार करते हुए परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में इजाफा करना।

(ii) गर्भनिरोधकों के विकल्प का विस्तार करते हुए परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।

(iii) नेतृत्व समूहों के बीच सहायता का विस्तार करते हेतु परिवार नियोजन को बढ़ावा देना और परिवार नियोजन के लाभों की सार्वजनिक समझ-बूझ को बढ़ाना।

ईसी द्वारा सहायता प्राप्त एस.आई.पी. को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया गया था। एस.आई.पी. का उद्देश्य पद्धति विकास और क्षेत्र सुधारों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का समग्र प्रभाव ऐसा था कि इसने एन.आर.एच.एम. के साथ-साथ आर.सी.एच.-II कार्यक्रम के सूत्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

राज्य स्वास्थ्य विकास परियोजनाएं

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य विकास परियोजनाओं ने 83% संवितरण प्राप्त कर लिया है। संवितरण में देरियां होने के बावजूद, दोनों राज्यों ने 2006 से 2007 के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य विकास परियोजनाओं ने अब तक 37%, 25% और 18% संवितरणों की प्राप्त की है क्योंकि परियोजनाएं अभी हाल ही में शुरू हुई हैं।

आई.डी.एस.पी. परियोजना

विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.डी.एस.पी. परियोजना ने निम्नलिखित की प्राप्ति की है:

- चरण-I के 9 राज्यों और चरण-II के 13 राज्यों के लिए राज्य/जिला निगरानी दलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। कुल 1642 बड़े प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- प्रकोप संकेतक संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट सभी राज्यों से हर सप्ताह औसत 15 राज्यों की रिपोर्टों पर केन्द्रीय निगरानी एकक, आई.डी.एस.पी. को एकत्रित कर भेजी जाती है।
- आई.टी. नेटवर्क पूरा होने पर 800 स्थलों को एक ब्राडबैंड नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी, 400 स्थलों का (इन 800 में से) सेटेलाइट और ब्राडबैंड के साथ दोहरा सम्पर्क होगा। 250 साइटों को पहले से ही इसरो द्वारा सक्रिय बनाया जा चुका है। 644 डाटा सेंट्रल साइटों में ब्राडबैंड क्नेक्टिविटी के लिए अपेक्षित उपकरण संस्थापित किए जा चुके हैं, इनमें से 509 को ब्रांडबैंड कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम:

भारत ने पोलियो उन्मूलन कार्यनीतियों को कार्यान्वित करके पोलियो उन्मूलन की दिशा में प्रभावशाली प्रगति की है।

भारत के अधिकतर भाग पोलियो मुक्त हैं। 35 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में से, 33 राज्यों ने स्वदेशीय पोलियो वायरस संक्रमण को रोक दिया है। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार ही अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण पोलियो वायरस की स्थानिकमारी वाले क्षेत्र रह गए हैं।

वर्ष 2007 के दौरान एम.ओ.पी.वी. 1 का प्रयोग करते हुए पोलियो प्रतिरक्षण अभियानों की बारम्बारता को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कार्यक्रम में तेजी लाई गई है।

इस कार्यनीति के कारण 1 वर्ष से अधिक समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानिकमारी वाले जिलों से पी 1 के किसी रोगी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार में पी 1 का संचरण प्रखण्डों के एक छोटे भाग तक सीमित है जहां प्रचालनात्मक कठिनाइयां हैं जो बाढ़ के समय बदतर हो गई।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

24 मार्च, 2006 को देश के सभी जिले देश में सभी क्षय रोगियों तक डाट्स को सुलभ बनाकर आर.एन.टी.सी.पी. का कार्यान्वयन कर रहे हैं। देशभर में 12,000 से अधिक नैदानिक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए है। सभी राज्यों में गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकाल का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इसकी शुरुआत के बाद से 8.4 मिलियन से अधिक रोगियों का उपचार शुरू किया गया है जिसमें नए रोगियों में उपचार सफलता दर 85% से अधिक तथा पुनः उपचार वाले रोगियों में 70% से अधिक है; इस तरह इस कार्यक्रम से 1.5 मिलियन से अधिक अतिरिक्त जानें बची हैं। 2007 में सम्पूर्ण देश की कवरेज के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एन.एस.पी. उपचार सफलता (85% की) तथा एन.एस.पी. रोगी पहचान (70% की), दोनों वैश्विक लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। इस कार्यक्रम ने 260 मेडिकल

कालेजों, 2400 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों, 17000 निजी चिकित्सकों तथा 150 से अधिक निगमित क्षेत्र के स्वास्थ्य एककों को शामिल किया। क्षयरोग-एच.आई.वी. सहयोग का उन्नयन किया गया है और वी.सी.टी.सी. तथा आर.एन.टी.सी.पी. नैदानिक एवं उपचार सेवाओं के बीच क्रास रेफरल तंत्र का अब सभी राज्यों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। मार्च, 2007 में गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में एम.डी.आर.-टी.बी. मामलों के प्रबंधन के लिए डाट्स प्लस सेवाएं शुरू की गई हैं। अब तक इन दो राज्यों में करीब 100 एम.डी.आर. रोगियों को उपचार पर रखा गया है। सात अन्य राज्य (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु) डाट्स प्लस के लिए आरंभिक चरण में हैं और 2008 में इन सेवाओं को शुरू किए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.):

कुष्ठ रोग निरोधक औषधियों (एम.डी.टी.) की पर्याप्त निःशुल्क पूर्ति के कारण देश दिसम्बर, 2005 में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम था।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम:

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित गतिविधियों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्राप्तियां हुईः-

जी.एफ.ए.टी.एम. दौर II: 2007 तक 2796 आई.सी.टी.सी.एच.आई.वी. जांच सहित सेवाओं का पैकेज प्रदान कर रहे थे, 23629 एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं ने ए.आर.वी. प्रोफाइलेक्सिस का पूरा कोर्स प्राप्त किया, 5.6 मिलियन गर्भवती महिलाओं को परामर्शन और जांच की सुविधा मिली और 4796 एच.आई.वी. पाजिटिव बच्चों को ए.आर.वी. औषधियां दी गई थीं।

जी.एफ.ए.टी.एम. दौर III: वर्ष 2007 में आई.सी.टी.सी. के जरिए तपेदिक के 3120 से अधिक मामलों का पता लगा और आई.सी.टी.सी. के जरिए टी.बी. के 31210 नए मामलों की पहचान हुई और 31.3 लाख लोगों ने एच.आई.वी. की जांच कराई।

जी.एफ.ए.टी.एम. दौर IV: वर्ष 2007 में, 112 ए.आर.टी. केंद्रों की स्थापना की गई थी और 92160 लोगों ने ए.आर.टी. उपचार प्राप्त किया।

जी.एफ.ए.टी.एम. दौर VI: वर्ष 2007 के अंत में 4104 वयस्कों तथा 1291 बच्चों को ए.आर.टी. दिया गया। 12.47 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को एच.आई.वी. के संबंध में परामर्श दिया गया एवं उनकी जांच की गई।

डी.एफ.आई.डी.: 2006-07 में कार्यक्रम के अंत में 454 से अधिक लक्षित परियोजनाओं को सर्वाधिक जोखिम वाले समूहों जैसे कि यौन कर्मियों, सूई द्वारा नशीली दवा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों, पुरुषों के साथ सेक्स करने वाले पुरुषों, ट्रकर्स एवं प्रवासियों के लिए उनकी सहायता से सहयोग प्रदान किया गया।

यू.एन.डी.पी.: नाको तथा 5 राज्यों में परियोजना मेनस्ट्रीमिंग सेल स्थापित किया गया। चार मंत्रालयों में समर्पित एच.आई.वी./एड्स विशेषज्ञों की भर्ती की गई। 5 राज्यों तथा 25 जिलों में लिंक वर्कर स्कीम रोल आउट की गई।

यू.एस.एड.: ए.पी.ए.सी. परियोजना में 50 गैर-सरकारी संगठनों तथा एवर्ट परियोजना में 70 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है जो सर्वाधिक जोखिम वाले जनसंख्या समूहों के साथ कार्य करते हैं। इसके अलावा, ए.पी.ए.सी.एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त 5600 लोगों को परिचर्या तथा सहायता प्रदान करता है और एवर्ट एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त 19100 लोगों को सहायता प्रदान करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन: प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 425 प्रशिक्षकों को विगत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किया गया।

विश्व बैंक (डी.एफ.आई. के साथ समेकित): अब तक उच्च जोखिम वाले समूहों तथा असुरक्षित जनसंख्या में 736 लक्षित कार्यकलाप किए गए हैं, सुरक्षित रक्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III में 1088 रक्त बैंकों को वित्तपोषित किया गया है, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार के लिए सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 895 एस.टी.डी. क्लिनिकों को सहायता प्रदान की जा रही है और कार्यनीतिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1156 प्रहरी निगरानी स्थलों की स्थापना की गई है।

अनुबंध

तालिका-I

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2004-05 की द्विवर्षीय के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संबद्ध कार्यक्रमों के आवंटन और कार्यान्वयन की स्थिति

(अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	2004 और 2005 में संवितरित आबंटित
1	2	3
1.	मलेरिया नियंत्रण और कालाजार	100,000
2.	क्षयरोग नियंत्रण	75,000
3.	अन्य संचारी रोग	50,000
4.	संचारी रोग निगरानी	100,000
5.	कैंसर नियंत्रण	300,000
6.	हृदवाहिका रोग	350,000
7.	अन्य गैर संचारी रोग	50,000
8.	गैर संचारी रोगों की निगरानी	50,000
9.	तम्बाकू	6000,000
10.	मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ दुरुपयोग	3000,000
11.	स्वास्थ्य संवर्धन	100,000
12.	विकलांगता, चोट निवारण और पुनर्वास तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य	75,000
13.	मातृ स्वास्थ्य (गर्भ को सुरक्षित बनाना)	250,000
14.	एच.आई.वी./एड्स	100,000
15.	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य एवं किशोर स्वास्थ्य	250,000
16.	महिला स्वास्थ्य	50,000
17.	नर्सिंग	400,000
18.	खाद्य निरापदता	200,000
19.	पोषण	100,000

1	2	3
20.	स्वास्थ्य और पर्यावरण	50,000
21.	आपाती तैयारी और अनुक्रिया	50,000
22.	रक्त निरापदता	50,000
23.	परम्परागत चिकित्सा	300,000
24.	अनिवार्य चिकित्सा	425,000
25.	स्वास्थ्य सूचना और प्रबंधन	50,000
26.	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार	200,000
27.	स्वास्थ्य वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखे	200,000
28.	अनुसंधान नीति और संवर्धन	100,000
29.	कुष्ठ	25,000
30.	गैर-संचारी रोग (दृष्टिहीनता, बधिरता, मौखिक स्वास्थ्य आदि)	325,000
31.	वृद्धों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	75,000
32.	पीने के पानी के लिए सुरक्षा मानदण्ड	100,000
33.	सभी के लिए स्वास्थ्य	800,000
34.	विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येतावृत्ति	2,500,000
	कुल	8,750,000

तालिका-II

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2006-07 की द्विवर्षीय के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संबद्ध कार्यक्रमों के आवंटन और कार्यान्वयन की स्थिति

(अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	2006 और 2007 में संवितरित आबंटित
1	2	3
1.	मलेरिया नियंत्रण और कालाजार	97,600
2.	क्षयरोग नियंत्रण	73,200

1	2	3
3.	अन्य संचारी रोग	97,600
4.	संचारी रोग निगरानी	1,46,400
	संचारी रोग अनुसंधान	48,800
5.	अन्य गैर संचारी रोग (कैंसर, हृदवाहिका रोग, गैर संचारी रोग निगरानी, दृष्टिहीनता, बधिरता, मौखिक स्वास्थ्य)	1,049,200
6.	तम्बाकू	585,600
7.	मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ दुरुपयोग	292,800
8.	स्वास्थ्य संवर्धन और वृद्धों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	178,800
9.	विकलांगता, चोट निवारण और पुनर्वास तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य	73,200
10.	मातृ स्वास्थ्य (गर्भ को सुरक्षित बनाना)	292,800
11.	एच.आई.वी./एड्स	97,600
12.	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य एवं किशोर स्वास्थ्य	302,560
13.	महिला स्वास्थ्य	48,800
14.	आयुर्विज्ञान शिक्षा और नर्सिंग	390,400
15.	खाद्य निरापदता	195,200
16.	पोषण	97,600
17.	सुरक्षित पेयजल सहित स्वास्थ्य और पर्यावरण	146,400
18.	आपती तैयारी और अनुकिया	48,800
19.	रक्त निरापदता	48,800
20.	परम्परागत/अनिवार्य चिकित्सा	707,600
21.	स्वास्थ्य सूचना और प्रबंधन	146,400
22.	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, स्वास्थ्य वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखे	195,200
23.	स्वास्थ्य पद्धति और नीतिगत विकास	780,800
24.	सभी के लिए स्वास्थ्य	195,200
25.	विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येतावृत्ति	2,440,000
	कुल	8,777,360

तालिका III

अन्य स्रोतों से आई और 2004-05 की द्विवर्षी के दौरान प्राप्त हुई निधियां

क्रमांक	कार्य/परियोजना/कार्यक्रम/ प्रयोजन का क्षेत्र	रकम (अमेरिकी डालर में)	दाता/वित्तपोषण अभिकरण/ भागीदारी का नाम
1	2	3	4
1.	सी.एच.ए.आर.सी.ए.	21,000	यू.एन.एफ.आई.पी. (प्रति वर्ष)
2.	शिशु और किशोर स्वास्थ्य	3,258	यू.एन.आई.सी.ई.एफ.
3.	डिफ्थीरिया रोधी टाक्सिन	171,730	सरकार
4.	रोग निगरानी	926,198	यू.एन.ए.आई.डी.
5.	आपाती	146,631	गुजरात सरकार
6.	आपाती	70,881	रॉयल नीदरलैण्डस एम्बेसी
7.	पर्यावरण स्वास्थ्य	1,226	यू.एन.आई.सी.ई.एफ.
8.	पर्यावरण स्वास्थ्य	70,000	यू.एस.ए.आई.डी.
9.	स्वास्थ्य शिक्षा प्रबंधन और प्रचार-प्रसार	37,160	यू.एन.एफ./यूनाईटिड फण्ड फार इंटरनेशनल पार्टनरशिप
10.	एच.आई.वी./एड्स	37,400	सी.डी.सी.
11.	एच.आई.वी./एड्स	1,243,800	सी.आई.डी.ए.
12.	एच.आई.वी./एड्स	231,600	डी.एफ.आई.डी.
13.	एच.आई.वी./एड्स	1,338,463	सरकार
14.	एच.आई.वी./एड्स	155,875	गैर विनिर्दिष्ट
15.	एच.आई.वी./एड्स	840,913	यू.एन.ए.आई.डी.एस.
16.	कालाजार	42,000	सरकार
17.	कुष्ठरोग	2,304,164	सस्कावा फाउण्डेशन
18.	एल.एफ.	165,183	वर्ल्ड बैंक
19.	बृहद् अर्थशास्त्र	322,393	बिलगेट्स

1	2	3	4
20.	मलेरिया	2605	सरकार
21.	मलेरिया	350,000	यू.एस.ए.आई.डी.
22.	खसरा	107,394	बिलगेट्स
23.	पोलियो उन्मूलन	117,600	बिलगेट्स
24.	पोलियो उन्मूलन	1,379,572	सी.डी.सी.
25.	पोलियो उन्मूलन	6,795,001	सरकार
26.	पोलियो उन्मूलन	4,255,725	रोटरी इंटर नेशनल
27.	पोलियो उन्मूलन	1,264,452	इटली
28.	पोलियो उन्मूलन	132,000	यू.एन.एफ.आई.पी.
29.	पोलियो उन्मूलन, क्षयरोग, निगरानी	16,592,310	यू.एस.ए.आई.डी.
30.	पोलियो उन्मूलन/मेलेरिया/आपाती	35,229,251	डी.एफ.आई.डी.
31.	पोलियो उन्मूलन-एफ.आई.	15,000	गैर-विनिर्दिष्ट
32.	रेबीज	9,040	चिरान बेहरिंग जी.एम.बी.एच. एंड कं.
33.	नेमी रोग प्रतिरक्षण	31,885	जी.ए.वी.आई.
34.	नेमी रोग प्रतिरक्षण	23,875	यू.एन.आई.सी.ई.एफ.
35.	नेमी रोग प्रतिरक्षण	200,000	गैर-विनिर्दिष्ट
36.	क्षय रोग	7,299,262	सी.आई.डी.ए.
37.	क्षय रोग	540,858	डी.एफ.आई.डी.
38.	क्षय रोग	9,264,241	सरकार
39.	क्षय रोग	4,250,000	यू.एस.ए.
40.	सुनामी	63,600	स्वीडन
41.	सुनामी	350,000	यू.एन.आई.सी.ई.एफ.
	कुल (अमेरिकी डालर)	96,402,546	

तालिका IV

द्विवार्षिक 2006-2007 में अन्य स्रोतों से निधियों का प्रेषण और प्राप्ति
(31 अगस्त, 2007 तक की स्थितियों के अनुसार)

क्र.सं.	कार्य/परियोजना/कार्यक्रम का क्षेत्र/प्रयोजन	राशि (अमेरिकी डालर)	दाता/निधीयन अभिकरण/ भागीदार का नाम
1	2	3	4
1.	बाल और युवा स्वास्थ्य	896	यूनिसेफ
2.	बाल और युवा स्वास्थ्य	28,375	यूसएड
3.	बाल और युवा स्वास्थ्य	10,000	अविनिर्दिष्ट
4.	बाल और युवा स्वास्थ्य/प्रतिरक्षण	1,262,968	नोरवे
5.	रोग निगरानी	61,355	यू.एन.डी.पी.
6.	रोग निगरानी	2,337,456	यूसएड
7.	रोग निगरानी	74,238	विश्व बैंक
8.	पर्यावरण स्वास्थ्य	1,226	यूनिसेफ
9.	पर्यावरण स्वास्थ्य	29,050	यूएसएड
10.	एच.आई.वी./एड्स	45,000	सी.डी.सी.
11.	एच.आई.वी./एड्स	1,004,874	सी.आई.डी.ए.
12.	एच.आई.वी./एड्स	230195	डी.एफ.आई.डी.
13.	एच.आई.वी./एड्स	6,858	सरकारी
14.	एच.आई.वी./एड्स	32,000	यूनिसेफ
15.	एच.आई.वी./एड्स	162,834	अविनिर्दिष्ट
16.	एच.आई.वी./एड्स	905,781	यू.एन.एड्स
17.	एच.आई.वी./एड्स	80,863	विश्व बैंक
18.	इंजरी प्रवेंशन	22,600	अविनिर्दिष्ट
19.	काला-आजार	1,471,254	सरकारी
20.	कुष्ठ	1,375,993	सासाकावा फाउंडेशन
21.	एल.एफ.	117,373	विश्व बैंक

1	2	3	4
22.	मलेरिया	827,764	यू.एस.एड.
23.	पोलियो उन्मूलन	126,000	बिल गेट्स
24.	पोलियो उन्मूलन	548,775	सी.डी.सी.
25.	पोलियो उन्मूलन	11,373,556	डी.एफ.आई.डी.
26.	पोलियो उन्मूलन	6,490,943	सरकारी
27.	पोलियो उन्मूलन	2,785,265	रोटरी इंटरनेशनल
28.	पोलियो उन्मूलन	214,777	अविनिर्दिष्ट
29.	पोलियो उन्मूलन	13,258,557	यू.एस.एड.
30.	पोलियो उन्मूलन	4,410,000	विश्व बैंक
31.	नेमी प्रतिरक्षण	52,895	बिल गेट्स
32.	नेमी प्रतिरक्षण	396,822	डी.एफ.आई.डी.
33.	नेमी प्रतिरक्षण	2,772,975	सरकारी
34.	नेमी प्रतिरक्षण	453,301	यूनिसेफ
35.	नेमी प्रतिरक्षण	1,121,600	यू.एस.एड.
36.	नेमी प्रतिरक्षण	53,939	विश्व बैंक
37.	क्षय रोग	3,366,082	सी.आई.डी.ए.
38.	क्षय रोग	2,360,990	सरकारी
39.	क्षय रोग	11,717,257	यू.एस.एड.
40.	क्षय रोग	3,502,727	अविनिर्दिष्ट
41.	तम्बाकू नियंत्रण	209,416	वर्ल्ड लंग फाउंडेशन (यू.एस.ए.)
42.	सुनामी परियोजना	27,471	स्वीडन
43.	सुनामी परियोजना	700,000	यूनिसेफ
44.	पीत ज्वर वैक्सीन (प्रापण)	104,599	सरकारी
45.	अन्य कार्यक्रम	65,364	विभिन्न स्रोत
	कुल (अमरीकी डालर)	76,202,264	

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी प्रश्न पढ़ेंगे, अगली बार पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं, फिर ऐसे क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में हमें सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संबंध में अति विस्तृत सूचना मिलती है। यह सच है कि भारत सरकार मांगों को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाती है और विभिन्न राज्य सरकारें भी ऐसा ही करती हैं। ऐसे में हम धनराशि अथवा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और हम अपने देश से भी संसाधन जुटाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्हें यह सहायता दी जानी थी उन्हें सहायता देने के लिए कोई व्यापक और समन्वित योजना है।

आजकल, कैंसर एक चिंताजनक रोग है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री सारे कैंसर रोगियों का निःशुल्क उपचार कराने का बड़ा निर्णय ले सकते हैं क्योंकि यह उपचार न केवल बहुत महंगा है बल्कि इस रोग का पनपना भी अत्यंत चिंताजनक है।

अध्यक्ष महोदय: यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती। यह इस प्रश्न से बहुत आगे है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैंने 17 पृष्ठ वाला उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: हां, एक विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैंने अपने उत्तर में सारी परियोजनाओं, घरेलू वित्तपोषण और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को सम्मिलित किया है। हम एक प्रणाली का अध्ययन करते हैं और बाहरी एजेंसियों से धन प्राप्त करने में विदेश मंत्रालय भी संलग्न है।

कैंसर के बारे में दूसरे प्रश्न पर आते हुए, दसवीं पंचवर्षीय योजना में, हमारी सरकार द्वारा कार्यभार संभालने से पूर्व पांच वर्षों के लिए कैंसर परियोजना हेतु कुल आबंटन केवल 280 करोड़ रुपये का था। हमने प्रधानमंत्री के साथ इस बात को योजना आयोग योजना आयोग को बताया ताकि कैंसर हेतु आबंटन में वृद्धि की जा सके। इसका कारण यह है कि कैंसर का उपचार रोगों के सबसे महंगे उपचारों में से एक है। दुर्भाग्यवश, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरा परिवार काफी धन खर्च करके और अपनी घर की संपत्ति आदि बेचकर सड़क पर आ जाता है। पर्याप्त संसाधनों को कैंसर के शीघ्र निदान और निवारण के लिए लगाना अति महत्वपूर्ण बात है। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हमने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कैंसर का उपचार हेतु लगभग 2900 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की है। हमने कैंसर हेतु दसवीं योजना में 280 करोड़ रुपये को बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना में 2900 करोड़ रुपये कर दिया है। हम कैंसर के लिए इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: डा. राम लखन सिंह, इस शर्त पर कि भविष्य में कोई नारा नहीं लगाया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने के लिए ही मैंने आपको बुलाया है।

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया और टी.बी. के लिए पहले प्रोग्राम चले थे तो इन पर कंट्रोल हो गया था। मैं पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार देख रहा हूं, मुझे अन्य जगहों का नहीं पता, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में इनमें वृद्धि हो रही है, मलेरिया और टी.बी. के पेशैंट्स बढ़ रहे हैं। पहले टी.बी. के प्रोग्राम चलाए जाते थे और मलेरिया के प्रोग्राम जिलास्तर के अस्पतालों में चलते थे। इसके लिए केन्द्र के द्वारा जो पैसा दिया जाता था, वह देना लगभग बंद हो चुका है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने जवाब देखा है?

...(व्यवधान)

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इसमें बताया है कि मलेरिया और टी.बी. के लिए अलग-अलग संस्थाओं को पैसा मिला है। आपने कहा है कि हम शहरों के लिए

डॉट्स प्लस सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं, आपने महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेश में ये सेवाएं शुरू की हैं।...*(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपने कहा है कि आगे छः अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत करेंगे, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश भी इन दोनों बीमारियों से बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रसित है।

अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे मध्य प्रदेश में भी डाट्स प्लस टी.बी. कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, यदि हां, तो कब तक?

अध्यक्ष महोदय: इसके साथ आपके प्रश्न का क्या संबंध है? फिर भी ठीक है, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य को डाट्स प्लस टी.बी. कार्यक्रम के बारे में कितनी समझ है। यदि माननीय सदस्य मेरे कार्यालय आएं तो मैं उन्हें टी.बी. कार्यक्रम की गहनता के बारे में व्यक्तिगत रूप से वर्णन कर सकता हूं। हमारा संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम है। पूरे देश को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। जब मैं पूरा देश कहता हूं तो कहूंगा कि यह पूरे विश्व में सबसे बड़े जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है और इस कार्यक्रम की विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों द्वारा अत्यंत सराहना की गई है।

मैं आज सफलता दर के बारे में कहना चाहूंगा। पहले यह दर लगभग 25 प्रतिशत थी और आज यह बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है। टी.बी. कार्यक्रम की सहायता से मृत्यु 29 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत से कम हो गई है। वार्षिक निदान दर बढ़कर 71 प्रतिशत हो गई है जबकि वैश्विक निदान दर 70 प्रतिशत है। हमारी दर 71 प्रतिशत है। महोदय, हमने इस डाट्स कार्यक्रम की सहायता से टी.बी. से लगभग 15 लाख रोगियों की जान बचाई है। गत वर्ष हमने डाट्स कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 15 लाख व्यक्तियों को शामिल किया। गत पांच से छह वर्षों से संचयी संख्या लगभग 80 लाख है जिन्हें डाट्स कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। देश में 4000 डॉट्स सेवा प्रदाता और लगभग 12000 माइक्रोस्कोपिक परीक्षण केंद्र हैं। यह कार्यक्रम देश में सारे राज्यों को सम्मिलित करता है। यह हाई फोक्स अथवा इस तरह कुछ और प्रकार का प्रश्न नहीं है। पूरे देश को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। हमारे पास डॉट्स सेवा प्रदाता और माइक्रोस्कोपिक परीक्षण केंद्र हैं। लगभग 150 कारपोरेट अस्पताल इस कार्यक्रम में संलग्न हैं। भारतीय चिकित्सा संघ लगभग 162 जिलों को सम्मिलित कर रहा है और चिकित्सा महाविद्यालय इस कार्यक्रम में संलग्न हैं।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि आपने उन्हें आमंत्रित किया है इसलिए आप उन्हें सूचना दीजिए।

डा. अंबुमणि रामदास: निश्चित रूप से मैं ऐसा करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह: अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

17 पृष्ठों में सूचना दी गई है। आज इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको अगली बार अनुमति दूंगा।

बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु रूपरेखा

+

*525. **श्री नन्द कुमार साय:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई रूपरेखा (रोड मैप) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रूपरेखा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले इस संबंध में आंकड़े एकत्रित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर देश के शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) ग्याहरवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये गतिविधियां देश में शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से संगत हैं:

(i) केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर और अतिरिक्त प्रदूषक तत्वों की निगरानी द्वारा मैनुअल परिवेशी वायु गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;

(ii) अतिरिक्त सतत वायु गुणवत्ता मानीटरी केन्द्रों को और आंकड़ों के वास्तविक प्रदर्श विज्ञापन के लिए सुविधाओं को स्थापित करना।

(iii) संवेदनशील वायु प्रदूषकों जैसे डायोक्सिन्स, फ्युरान्स और पोलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को मापने के लिए मानीटरी और विश्लेषणात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना;

(iv) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों की समीक्षा करना;

(v) अत्यधिक वायु प्रदूषण कर रहे उद्योगों के लिए निगमित पर्यावरणीय सुरक्षा उत्तरदायित्व से संबंधित चार्टर की सिफारिशों को क्रियान्वित करना;

(vi) दसवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान पहले से किए गए अध्ययनों के अलावा शहरों में स्रोत संविभाजन अध्ययन प्रारम्भ करना;

(vii) वाहनीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु आटो ईंधन नीति में की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन;

(viii) विशेष रूप से स्वास्थ्य पहलुओं से संबंधित वायु प्रदूषण अध्ययन करना;

(ix) डायोक्सिन्स और फ्युरान्स के अनैच्छिक उत्पादन का निपटान करने हेतु गतिविधियों सहित स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन आर्गेनिक पाल्यूटेन्टस (पी.ओ.पी.) के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (एन.आई.पी.) का विकास करना।

(ग) और (घ) परिवेशी वायु गुणवत्ता पर आधारित आंकड़ों के आधार पर और वायु प्रदूषण कर रहे उद्योगों द्वारा पूरे किए जाने वाले मानकों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है।

(ङ) वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानकों के संबंध में अधिसूचना;

(ii) 16 शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए कार्ययोजनाएं तैयार करना;

(iii) आटो ईंधन नीति के अनुसार वाहन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए स्वच्छ ईंधन की शुरुआत की गई है।

(iv) कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सज्जीकृत कोयले का उपयोग करना;

(v) उपयोग में लाए जा रहे वाहनों से उत्सर्जन की जांच करने के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाणपत्र (पी.यू.सी.) को लागू करना;

(vi) दो स्ट्रोक दुपहियों और तिपहिया वाहनों के लिए 2 टी प्रि-मिक्स पेट्रोल की बिक्री करना;

(vii) डीजल जेनरेटर सेटों के संबंध में सख्त उत्सर्जन मानकों को क्रियान्वित करना;

(viii) 6 मैट्रो शहरों नामशः दिल्ली, मुम्बई, पुणे, बंगलौर, कानपुर और चैन्नई में स्रोत संविभाजन अध्ययन किए गए;

(ix) 17 वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की श्रेणियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्पोरेट उत्तरदायित्व के संबंध में चार्टर की सिफारिशों का क्रियान्वयन;

(x) उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु वायु प्रदूषण उद्योगों पर निगरानी।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण यद्यपि वाहनों का अधिक होना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की रूपरेखा की चर्चा करते हैं, तो कोयले से चलने वाले बड़े-बड़े ताप विद्युत गृह, फर्टीलाइजर प्लांट, केमीकल प्लांट, डिस्टिलरी प्लांट, आयरन-ओर और स्टील प्लांट्स वायु प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। ये प्लांट्स बहुत बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलाने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो बड़े उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं, उनकी निगरानी के लिए क्या क्यू.एम.एस. स्थापित करने की बात को अनिवार्य करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके तथा क्यू.एम.एस. स्थापित करने का व्यय भी उन उद्योगों पर डाला जाए, इसे भी अनिवार्य करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे?

श्री नमोनारायन मीना: अध्यक्ष महोदय, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देश में नैशनल एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम चल रहा है। यह बात सही है कि वाहनों के अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण भी एयर क्वालिटी का स्तर खराब होता है। इस विषय में, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हुए हैं और जब कभी कोई नई इंडस्ट्रीज आती हैं, तो उनके इम्पैक्ट एसैसमेंट में यह देखा जाता है कि उनसे ज्यादा प्रदूषण नहीं हो और इस तरह के इक्विपमेंट उन्हें लगाने के लिए कहा जाता है, ताकि प्रदूषण वैल विद इन लिमिट रहे।

महोदय, जहां तक मॉनीटरिंग की बात है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और यूनियन टैरीटरीज में कमेटीज इनको इनफोर्स करती हैं और जहां कहीं भी सीमा से अधिक, उनके स्टैंडर्ड के विरुद्ध कोई वॉयलेशन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता रहा है। इस संबंध में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी एक्शन लिया है, डायरैक्शन्स भी दिए हैं, उन्हें समय दिया जाता है। यदि तब भी पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो उन उद्योगों को क्लोजर का नोटिस दिया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इंडस्ट्रीज का जब असैसमेंट इम्पैक्ट होता है तो उन्हीं के पैसे से ये सारी चीजें लगाने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है।

श्री नन्द कुमार साय: माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायगढ़, ये प्रदूषण के मामले में देश भर में जो प्रदूषित शहर हैं, उनमें दो या तीन नम्बर पर आते हैं। इन जगहों पर जो उद्योग लगे हैं, ये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंड पर खरे उतरते नहीं हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि विगत तीन वर्षों में क्या सैण्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने छत्तीसगढ़ में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों का निरीक्षण किया है? यदि हां, तो इसमें जो दोषी पाये गये हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

अध्यक्ष महोदय: एक स्पेशल प्रोजैक्ट की अभी आपके पास जानकारी है? अगर नहीं तो आप जानकारी लेकर उनको बताइये।

श्री नमोनारायन मीना: कुछ जो एक्सेंस लिए हैं, उनकी फीगर्स मेरे पास जरूर हैं, स्टेट स्पेसिफिक की नहीं है। मैं यह आपको सप्लाई कर दूंगा कि कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: इनके बारे में डिटेल्स कैसे बोल सकते हैं।

श्री किशन भाई पटेल - उपस्थित नहीं।

श्री अनंत गुढ़े: अध्यक्ष महोदय, देश में जो वाहन का प्रदूषण है, वाहन प्रदूषण के बारे में सरकार ने जरूर कुछ कदम उठाये हैं, लेकिन इसका जो नतीजा है, यह नतीजा केवल जो मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं, जो बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, मुम्बई है, केवल ऐसे शहरों में ही वाहन प्रदूषण नियंत्रण देखा जा रहा है। देश के जो अन्य शहर हैं, वहां स्कूलों में बच्चे जाते हैं, वहां कैरोसीन का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है और हमारे देश की जो थर्ड जैनरेशन है, इस तीसरी पीढ़ी के ऊपर इसका बड़ा गम्भीर परिणाम इस सारे प्रदूषण से हो रहा है।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जैसे आपने दिल्ली, मुम्बई मैट्रोपोलिटन सिटीज में सी.एन.जी. का यूज बढ़ाया है, क्या देश के सभी शहरों में, जो शहर महानगरपालिका और नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ऑटो और वाहनों के लिए कम्पलसरी सी.एन.जी. वहां पर करने का आपका विचार है या नहीं?

श्री नमोनारायन मीना: सर, नेशनल एयर क्वालिटी मोनिटरिंग प्रोग्राम के तहत हमने 341 स्टेशंस देश भर में लगाये हुए हैं और इसमें 126 शहरों को हमने जोड़ा है, जिनकी एयर क्वालिटी मोनीटर की जा रही है। उसके

आंकड़े हमारे पास आते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनायें। जहां तक यह सवाल है कि इतना प्रदूषण कहां से आता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: इसके लिए 6 स्टडीज कराई जा रही हैं, जिनका रिजल्ट हम जून तक एक्सपैक्ट करते हैं कि वाहनों से कितना प्रदूषण आ रहा है, इंडस्ट्रीज से कितना आ रहा है, नैचुरल डस्ट से कितना आ रहा है, यह स्टडीज जो हमारे पास आने वाली हैं, इनके आ जाने के बाद में हम सारे देश में कहां-कहां किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए प्रीकॉशन लेंगे और जहां भी जरूरी होगा, देश की एयर क्वालिटी की जो नेशनल पालिसी है, स्ट्रेटेजी है, उसको बनाएंगे और जहां-जहां जो भी सजैशन होगा, ऑटो फ्यूल पालिसी भी...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े: माननीय मंत्री जी ठीक जवाब नहीं दे रहे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा मेहरबानी करके बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात मत लिखिए। कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं दोनों पक्षों से संक्षेप में और स्टीक बात कहने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: मैं आपको बता रहा हूं कि यह स्टडी आ जाने के बाद देश के विभिन्न शहरों में जिन क्षेत्रों में भी इसकी आवश्यकता होगी, उसको एन्फोर्स किया जायेगा। अगर ऑटो फ्यूल पालिसी में भी चेंज करने की आवश्यकता होगी तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। श्री बर्मन कृपया संक्षिप्त और सटीक प्रश्न पूछिए।

प्रो. बसुदेव बर्मन: सरकार द्वारा बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई रूपरेखा तथा उस द्वारा इस संबंध में दिया गया उत्तर संतोषजनक लगता है। यद्यपि इसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि वाहन-प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑटो ईंधन नीति संबंधी संस्तुतियों को विशेषकर डीजल ईंधन वाले भारी वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण के संबंध में, कैसे लागू किया जाता है। तथा इसकी निगरानी कैसे की जा रही है और संगत मामलों में कौन से दंडात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: महोदय, देश में आटो फ्यूल पालिसी का जो रोड मैप बनाया हुआ है, उसके तहत कार्यवाही चल रही है। जहां तक इन्फोर्समेंट और इंप्लीमेंटेशन की बात है, सारे देश में स्टेट कंट्रोल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, ये वायलेशंस में जो एमीशंस के नार्म्स का वायलेशन करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। सारे देश में इस पालिसी का जैसा कि फील्ड मैनुअल में दिया हुआ है, उसके हिसाब से भारत स्टेज सैकेंड सारे देश में चल रहा है, भारत स्टेज थर्ड 11 टाउंस में अभी चल रही है और उसके मुताबिक काम चल रहा है। एपोर्शनमेंट स्टडीज का जैसे ही नतीजा आ जाएगा, उसके हिसाब से आटो फ्यूल पालिसी को दोबारा रिव्यु किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें।* *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, ऐसा मत कहिए। यह उचित नहीं है। सभा में हम सभी को एक-दूसरे की आदर करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: यदि उन्होंने सही उत्तर देकर हमारा आदर किया होता, तो फिर हम उनका भी आदर करते।

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है कि आप अत्यंत मुखर है।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: और अधिक आंकड़े एकत्रित करने के बजाए कुछ ऐसी भी बातें हैं जो स्वयं इतनी स्पष्ट हैं कि उन्हें बार-बार लिखना पड़ता है। जब तक इनके लिए कोई रूप-रेखा नहीं बनाई जाएगी तब तक किसी अन्य बात का कोई मतलब नहीं है। मैं निम्नलिखित बातें जानना चाहती हूं: पहली यह कि कारों में संकर (हाईब्रिड) या फ्यूएल सेल प्रौद्योगिकी को अपनाने के संबंध में हम कब निर्णय लेंगे? दूसरी यह कि सामान्य प्रकाश बल्बों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? तीसरी यह कि कोयला विद्युत संयंत्रों के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत सारे प्रश्न पूछ रही हैं। एक ही प्रश्न पर्याप्त है।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, चौथी बात वास्तव में ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि डा. पचौरी ने सुझाया है, क्या हम किरोसीन पर दी गई राजसहायता को उसके बनाए सौर ऊर्जा पर देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया वाद-विवाद में भाग लीजिए। अगले सप्ताह इस विषय पर पूरे दिन बहस होगी।

मंत्री जी, आपको जो भी एक प्रश्न आसान लगे उसका उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नमोनारायन मीना: जहां तक आटो फ्यूल पालिसी के बारे में आपने बताया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

दिल्ली में स्वच्छ ईंधन का उपयोग हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

श्री नमोनारायन मीना: यह ऑटो फ्यूएल पॉलिसी का एक हिस्सा है। ऑटो फ्यूएल पॉलिसी अन्य मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। हम केवल इसे लागू करते हैं; हम केवल मानक तय करते हैं और मानक तय किए जाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में जनशक्ति की कमी

+

*526. **श्री एस.के. खारवेनथन:**

श्री अजीत जोगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सकों, नर्सों और दंत शल्य चिकित्सकों की भारी कमी है जैसा कि 3 अप्रैल, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विकसित देशों की तुलना में देश में चिकित्सक और मरीज का अनुपात काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) योजना आयोग द्वारा गठित सेवा क्षेत्र से संबंधित उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम छह लाख चिकित्सकों की आवश्यकता है, यदि लक्षित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चिकित्सकीय जनसंख्या मानदण्ड को 1:1000 माना जाए। योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के लिए भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में गठित मानव संसाधन संबंधी कार्य दल ने 2007 में 282,130 की आवश्यकता के मुकाबले 73,271 पंजीकृत दंत चिकित्सकों की संख्या के रूप में मूल्यांकन किया। नर्सों की भी ऐसी ही कमी है। नर्स जनसंख्या अनुपात (1:500) के भौर समिति के मानदण्ड को देखते हुए नर्सों की आवश्यकता 2007 में 2,188,890 होनी चाहिए जबकि मात्र 1,156,372 नर्स उपलब्ध थीं। वर्ष 2006 के दौरान 60:1,000,000 का चिकित्सक जनसंख्या अनुपात दिखाते हुए विभिन्न राज्य परिषदों द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या 6,68,131 थीं। यह विकसित देशों में व्याप्त अनुपात से कम है।

देश में चिकित्सकों और नर्सों की औसत संख्या में कोई कमी नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार देश में पंजीकृत एलोपैथी चिकित्सकों की संख्या 7,02,580 है। इस प्रकार एलोपैथीक चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1634 बैठता है। इसके अलावा, देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के 6 लाख चिकित्सक हैं। इन सभी संख्याओं को मिलाकर चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:870 बैठता है। देश में 31,122 की वार्षिक क्षमता के साथ 271 मेडिकल कालेज हैं जिनसे मौजूदा चिकित्सा कार्मिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार ने अल्पसेवित राज्यों में एम्स जैसी 6 संस्थाएं स्थापित करने और 10 राज्यों में 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं का उन्नयन करने का भी निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार सरकारी तथा निजी क्षेत्र में नए मेडिकल कालेज स्थापित करने तथा चिकित्सीय छात्रों की प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी करने को भी बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयुष चिकित्सक और दक्ष नर्सों की तैनाती करके एकल चिकित्सक वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दो चिकित्सकों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन करके सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने की अभिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने सब बता दिया है, अब आप क्या पूछेंगे?

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: भारत में छह लाख डाक्टरों, 10 लाख नर्सों और दो लाख दन्त सर्जनों की कमी है। उनमें से बहुत सारे विभिन्न विकसित देशों को चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिभा-पलायन को रोकने तथा जो चिकित्सक बाहर जाकर बस गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्य को एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन मैं आपसे संक्षिप्त उत्तर चाहता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: समस्या यही है। सरकार आज कई कदम उठा रही है। माननीय सदस्य उन डाक्टरों के बारे में उल्लेख कर रहे थे जो विदेशों में बस गए हैं और वापस आना चाहते हैं। आज प्रतिभा पलायन की समस्या केवल भारत से विदेशों में पलायन की नहीं है बल्कि यह सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में जाने की भी है। एक अच्छी बात है कि चिकित्सा पर्यटन की अवधारणा के साथ अब रोगी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका और विकसित देशों से भारत में आ रहे हैं। सैकड़ों-हजारों लोग यहां आ रहे हैं। न केवल मरीज बल्कि जो डाक्टर, 20-30 वर्ष पूर्व विदेशों में जाकर बस गए थे, वे भी सैंकड़ों-हजारों की संख्या में यहां बसने के लिए वापस आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे सभी निजी अस्पतालों में आ रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, उनमें से अधिकांश निजी अस्पतालों में आ रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकारी क्षेत्र में ऐसी ही नीति है, अत: हमारे साथ भी एक समस्या है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या समस्या है?

डा. अंबुमणि रामदास: उस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हाल ही में दो माह पूर्व हमने प्रारंभ में अंग्रेजी भाषी देशों की चिकित्सा क्षेत्र की स्नात्कोत्तर डिग्रियों को एकतरफा रूप से मान्यता दी है। प्रारंभ में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे पांच देशों

की डिग्रियों को मान्यता प्रदान की गई है। शीघ्र ही हम दूसरे देशों की स्नात्कोत्तर डिग्रियों को भी मान्यता प्रदान करेंगे, जिससे की कोई भी भारतीय जिसने वहां स्नात्कोत्तर स्तर तक अध्ययन किया हो भारत वापस आ सके, यहां बस सके और सेवा शुरू कर सके।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि अब और प्रश्न नहीं हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

प्रश्न सं. 527 श्रीमती भावना पी. गवली उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत: मैंने अपना नाम दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर अगली बार विचार करूंगा।

प्रश्न सं. 528 - श्री विजय कृष्ण उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 529 - श्रीमती नीता पटैरिया यहां उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

वन्यजीव वस्तुओं का अवैध व्यापार

***529. श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान वन्यजीव वस्तुओं के अवैध व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) उक्त अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) सामान्यतया, सीमा के आर-पार क्षेत्रों में वन्य जीवों का अवैध व्यापार होता है। मंत्रालय के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रमुख निर्गम स्थानों अर्थात् कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और नई दिल्ली में स्थित हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अभिज्ञात वन्यजीवों के अवैध व्यापार के मामलों को क्षेत्रवार अनुबंध में दिया गया है जो उतार-चढ़ाव के रुख को इंगित करता है।

(ग) सरकार द्वारा वन्यजीवों के अवैध व्यापार और अवैध शिकार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल करके उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया गया है और वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के मामलों में इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है।

(iii) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार के नियंत्रण हेतु किया गया है।

(iv) अवैध वन्यजीव व्यापार को बेहतर ढंग से समझने के लिए अन्य संबंधित विभागों और प्रवर्तन अभिकरणों जैसे सीमा शुल्क, अर्द्ध सैनिक बलों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(v) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(vi) संकटापन्न प्रजातियों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण पर्यावासों को कवर करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं।

(vii) राज्य सरकारों को फील्ड फारमेशन सुदृढ़ करने

और सुरक्षित क्षेत्र के भीतर और आस-पास गहन रूप से गश्त लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।

(viii) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अभिज्ञात अवैध वन्यजीव व्यापार के मामलों की संख्या

वर्ष	क्षेत्र				
	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली	दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई	कुल
2005	20	23	7	20	70
2006	17	17	3	23	60
2007	25	7	4	49	85

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष महोदय, हमारे जो वन्य जीव हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे सुरक्षित नहीं हैं। हमेशा समाचार आते रहते हैं कि उनकी खाल, दांत, हड्डियां, मांस आदि बेचते हुए लोग पकड़े जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए उपायों के उपरांत भी अवैध कारोबार जारी है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मौजूदा उपायों को और अधिक सतर्क बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: अध्यक्ष महोदय, वन्य जीवों के जीवित नमूनों तथा उत्पाद व्यापार किए जाने वाली दो मुख्य श्रेणियां हैं। वन्यजीव का अवैध व्यापार विश्वव्यापी मुद्दा है। बाघ की हड्डियों तथा कस्तूरी गंभी से लेकर जीवित सरीसृप, पक्षियों और हाथी दांत, शिकारी तथा तस्कर विभिन्न प्रकार के जंगली पौधों और जीवों के किस्मों का अवैध शिकार तथा अवैध व्यापार करते हैं। सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अवैध व्यापार को रोकने हेतु उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सीमावर्ती राज्यों में जो अवैध व्यापार हो रहा है, क्या सरकार उसके लिए कोई विशेष सुरक्षा बल और वित्तीय सहायता का प्रबंध कर रही है? साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि जो अवैध व्यापार खास तौर पर खालों का हो रहा है, क्या उसमें तिब्बती लोग ज्यादा पकड़े गए हैं?

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: वन मंत्रालय के तहत पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें, राज्य वन विभाग, सी.बी.आई., सीमा शुल्क विभाग तथा आसूचना एजेंसी सभी इनकी रक्षा हेतु तत्पर हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या खाल बेचते हुए तिब्बती लोग ज्यादा पकड़े गए हैं। माननीय मंत्री जी, आपने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

एक समूह को लक्ष्य बनाना सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: किसी एक समूह को लक्ष्य बनाना गलत संकेत देगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, जंगलों में जो अवैध व्यापार होता है और अवैध शिकार होते हैं, अवैध शिकार करने वाले शिकारी कौन हैं, क्या मंत्री जी के पास इसके बारे में जानकारी है? आपने उन पर क्या कार्यवाही की है? मंत्री जी, प्रश्नकाल का समय समाप्त हो रहा है, कृपया जल्दी से जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: हम अवैध व्यापार में लिप्त किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं मान सकते हैं। अवैध व्यापार करने वालों पर कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया है। सहयोग हेतु आपका धन्यवाद।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में गुर्दा प्रत्यारोपण इकाइयां

***523. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में गुरदा प्रतिरोपण इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इकाइयों में गुर्दा प्रत्यारोपण वाले मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली विगत 30 वर्षों से गुर्दा प्रत्यारोपण करता आ रहा है और वह गुर्दा प्रत्यारोपण नियमित तौर पर कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गुर्दे प्रत्यारोपण वाले रोगियों के लिए छह आपरेशन बिस्तर हैं। गुर्दा प्रत्यारोपण के रोगियों के लिए बिस्तर आपरेशन पश्चात प्रबंधन के प्रयोजनार्थ रखे जाते हैं। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर अस्पतालों के नेफ्रोलाजी वार्ड (वार्डों) में रोगियों को दाखिल किया जाता है जिसमें कुल मिलाकर 44 बिस्तर हैं। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वृक्क प्रत्यारोपण एकक स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस एकक को 2 बिस्तरों के साथ चालू किया जाएगा और भविष्य में आवश्यकतानुसार आगे वर्ग की समीक्षा की जाएगी। वृक्क प्रत्यारोपण एकक में 2 बिस्तरों वाला आई.सी.यू. होगा। सर्जनों, नर्सों एवं विकृति विज्ञानियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। अस्पताल में वृक्क विज्ञानियों और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। सफदरजंग अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण वाले रोगियों के लिए आई.सी.यू. में छह बिस्तरों को शामिल किया गया है। वृक्क प्रत्यारोपण के लिए दो सर्जनों को प्रशिक्षित किया गया है। वृक्क प्रत्यारोपण के लिए आपरेशन थियेटर तकनीशियनों तथा नर्सों को भी प्रशिक्षित किया गया है। वृक्क प्रत्यारोपण विकृति विज्ञान के लिए एक विकृति विज्ञानी को प्रशिक्षित किया गया है। ओटी टेबल, इलेक्ट्रो कंट्री मशीनों तथा शल्यक उपकरणों के रूप में उपकरणों का प्रापण पहले ही किया जा चुका है। ओटी लाइट, डायलिसिस मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीनों इत्यादि जैसे अन्य उपकरणों का प्रापण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. द्वारा विद्युत उत्पादन

***527. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) का विचार देश के विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.आई.एल. की ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त उद्यम में शामिल किया गया है/शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) ऐसी परियोजना में सी.आई.एल. द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का अनुमान है तथा इसके फलस्वरूप कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) विद्युत उत्पादन परियोजना कब तक आरंभ हो जाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ग) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और इसकी कुछ सहायक कंपनियों ने संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई है। ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है-

(i) सी.आई.एल. ने ब्रह्मणी और चिचरो-पतसीमल कोयला ब्लाकों तथा विद्युत परियोजनाओं सहित कोयला ब्लाकों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एन.टी.पी.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) समन्न किया है।

(ii) नार्थ करनपुरा कोलफील्ड्स में 1000 मेगावाट (एम.डब्ल्यू.) विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.सी.एल.) के बीच एक संयुक्त उद्यम (जेवी) विचाराधीन है।

(iii) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.) मध्य प्रदेश में एकीकृत कोयला खान एवं तापीय विद्युत संयंत्र के लिए एन.एल.सी. के साथ जेवी का गठन किए जाने पर विचार कर रही है।

(iv) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.), उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.) के साथ जेवी के माध्यम से 2x500 मे.वा. क्षमता वाला एक ताप विद्युत गृह की स्थापना करने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गया है।

(v) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) का विद्युत उत्पादन के लिए छत्तीसगढ राज्य विद्युत बोर्ड (सी.एस.ई.बी.) के साथ जेवी सम्पन्न करने का इरादा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव आरम्भिक चरण में है और सम्भावित निवेश, सम्भावित विद्युत उत्पादन और आरंभ होने की सम्भावित समय सीमा उपलब्ध नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अभी तैयार की जानी हैं।

[अनुवाद]

चिकनगुनिया/डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता

***528. श्री विजय कृष्ण:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान चिकनगुनिया तथा डेंगू रोगों से पीडित व्यक्तियों के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी मानसून मौसम के दौरान इन रोगों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) सरकार चिकनगुनिया तथा डेंगू रोगों के पीड़ित लोगों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, भारत सरकार नैदानिक सेवाओं को सुकर बनाने के लिए जांच किटें प्रदान करके तथा रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर राज्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करती है। यह राज्यों को डेंगू और चिकनगुनिया सहित वेक्टरजनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नकद एवं वस्तुगत सहायता भी प्रदान करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राज्यवार सहायता (नकद+वस्तुगत) का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। कुल निधियों में से भारत सरकार ने चिकनगुनिया ज्वर जो लगभग तीन दशकों के बाद देश में फिर से उत्पन्न हो गया, की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावित राज्य (राज्यों) को आपातकालीन पैकेज जारी किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अलावा, डेंगू तथा चिकनगुनिया की रोकथाम

एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:-

- सरकार डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य (राज्यों) की दीर्घकालिक कार्य योजना की कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रही है।

- डेंगू एवं चिकनगुनिया के निदान के लिए आई.जी.एम. एलिसा जांच किटें प्रदान करके राज्य (राज्यों) में नैदानिक सुविधाओं को सुकर बनाने के लिए 110 प्रहरी निगरानी अस्पतालों एवं शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं का कार्यकरण सुनिश्चित करना।

- राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे को राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य (राज्यों) की तकनीकी अपेक्षा के अनुसार डेंगू तथा चिकनगुनिया के निदान के लिए अभिज्ञात संस्थानों को आई.जी.एम. एलिसा जांच किटों की आपूर्ति करने का कार्य सौंपा गया है। इन जांच किटों की लागत को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

- अभिज्ञात संस्थानों में डेंगू एवं चिकनगुनिया के सीरो-निदान के संबंध में प्रशिक्षित प्रयोगशाला दलों का होना सुनिश्चित करना।

- स्थानिकमारी वाले राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे डेंगू अथवा चिकनगुनिया के किसी रोगी की सूचना मिलने पर इसे आगे फैलने से रोकने के लिए उपचारी उपाए शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने हेतु राज्य एवं जिला मुख्यालयों में त्वरित अनुक्रिया दल तैनात करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जहां डेंगू-रोगियों की संख्या अधिकतम (30% तक) होती है, की स्थिति एवं तैयारी की समीक्षा निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा 20 फरवरी, 2008 को और अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 15 अप्रैल, 2008 को की गई थी।

- डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शीघ्रकालिक कार्य योजना का परिचालन सभी राज्यों को मार्गदर्शन एवं अनुपालन के लिए किया जा चुका है।

- राज्य (राज्यों) की तकनीकी अपेक्षा के अनुसार प्रौढ़ मच्छरनाशकों और लार्वानाशकों की आपूर्ति की जा रही है।

- राज्य (राज्यों) को तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए समय-समय पर परामर्श पत्र जारी किए जाते हैं।

विवरण-I

2005-2006 से 2007-08 तक राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1019.25	1170.62	1961.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	484.66	439.81	566.99
3.	असम	1360.06	1588.11	3582.09
4.	बिहार	2883.42	1909.22	2019.63

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	2060.91	2579.43	2668.39
6.	गोवा	38.64	27.40	118.20
7.	गुजरात	740.53	1059.80	1608.85
8.	हरियाणा	69.22	283.96	172.39
9.	हिमाचल प्रदेश	18.12	0.00	5.30
10.	जम्मू-कश्मीर	17.51	6.49	4.50
11.	झारखंड	1746.71	2862.64	2076.75
12.	कर्नाटक	520.73	693.67	364.26
13.	केरल	282.60	431.44	855.26
14.	मध्य प्रदेश	1432.67	1569.171	1630.68
15.	महाराष्ट्र	815.11	1272.01	1851.39
16.	मणिपुर	269.66	367.15	369.13
17.	मेघालय	422.67	496.08	542.51
18.	मिजोरम	387.87	507.05	498.52
19.	नागालैंड	432.41	695.28	549.27
20.	उड़ीसा	2804.47	3577.27	5166.04
21.	पंजाब	60.41	40.98	57.07
22.	राजस्थान	917.04	877.36	1701.78
23.	सिक्किम	25.16	12.93	4.98
24.	तमिलनाडु	347.31	753.49	751.38
25.	त्रिपुरा	648.44	668.29	905.65
26.	उत्तर प्रदेश	2938.63	2159.32	1617.55
27.	उत्तरांचल	66.82	29.12	47.26
28.	पश्चिम बंगाल	1027.83	1434.62	1726.42
29.	दिल्ली	75.74	248.35	236.70
30.	पांडिचेरी	39.60	154.77	18.58

1	2	3	4	5
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	297.61	429.42	365.58
32.	चंडीगढ़	52.24	42.62	56.81
33.	दादरा और नगर हवेली	43.71	39.46	51.26
34.	दमन और द्वीप	24.15	20.36	24.66
35.	लक्षद्वीप	20.29	18.23	2.80
	कुल	24392.20	28939.46	34179.80

विवरण-II

चिकनगुनिया के लिए आपातकालीन पैकेज के रूप में नकद सहायता की निर्मुक्ति

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2006-07 निर्मुक्त निधियां	2007-08 निर्मुक्त निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	220.50	181.26
2.	गुजरात	220.50	0.00
3.	कर्नाटक	220.50	0.00
4.	केरल	220.50	403.90
5.	मध्य प्रदेश	220.50	0.00
6.	महाराष्ट्र	220.50	15.15
7.	राजस्थान	220.50	0.00
8.	दिल्ली	170.50	0.00
9.	तमिलनाडु	220.50	200.00
10.	पांडिचेरी	130.50	0.00
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	95.46	0.00
12.	गोवा	0.00	75.00
	कुल	2160.46	875.31

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए पृथक काउंटर

***530. श्री पंकज चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों विशेषरूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्र सरकार के अस्पतालों में पृथक काउंटर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त काउंटर कब तक खोल दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए एक अलग ओ.पी.डी. विंग है जिसमें मेडिकल, सर्जिकल, स्त्रीरोग विज्ञान, बाल रोग विज्ञान, नेत्र और कान, नाक एवं गला (ई.एन.टी.) से संबंधित सुविधाओं को कवर किया गया है।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल एवं सर्जिकल सुविधाओं के लिए सी.जी.एच.एस. की अलग से ओ.पी.डी. है तथा पंजीकरण के लिए अलग काउंटर है।

ओ.पी.डी. पंजीकरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक अलग पंक्ति बनाने की भी व्यवस्था है और उनको सामान्य पंक्ति में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

एनीमिया के बढ़ते मामले

***531. एडवोकेट सुरेश कुरूप:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं और किशोर बालिकाएं एनीमिया से अत्यधिक पीड़ित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में महिलाओं/बालिकाओं में एनीमिया के इन मामलों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (2005-06) के अनुसार 58.7 प्रतिशत गर्भवती माताएं, 63.2 प्रतिशत स्तनपान कराने वाली/दूध पिलाने वाली माताएं और 15-19 वर्ष के आयु वर्ग की 55.8 प्रतिशत लड़कियां रक्ताल्पता से पीड़ित हैं।

रक्तालपता एक बहुमुखी समस्या है। व्यापक रूप से फैली हुई रक्तालपता के महत्वपूर्ण कारणों में भोजन की अपर्याप्त मात्रा और अनाज आधारित आहार से लौह का अपर्याप्त समावेशन, हरी पत्तेदार सब्जियों और नींबूवर्ग वंश के फलों का अपर्याप्त उपभोग, अल्प अन्तरालों वाली बार-बार होने वाली गर्भावस्थाएं, संक्रमण और जन्तुबाधा की उच्च व्याप्तता दर, खाने पिलाने संबंधी दोषपूर्ण पद्धतियां और आहारीय विविधीकरण का अभाव शामिल हैं। पूर्वोक्त घटकों के अतिरिक्त हमारे देश के लोगों पर निरक्षरता, गरीबी और सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास का रक्तालपता की घटना दर पर प्रभाव है।

(ग) सरकार ने लोगों में रक्ताल्पता सहित स्वास्थ्य और पोषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण संघटक है और यह कार्यक्रम कारगर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या, असुरक्षित वर्गों के लिए सूक्ष्मपोषक उपचार, किशोर-किशोरियों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं इत्यादि प्रदान करता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रक्ताल्पता के नियंत्रण के लिए सभी गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और स्कूल पूर्व के बच्चों को लौह व फालिक अम्ल की गोलियां प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब 10 वर्ष तक के बच्चे और 11-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को कवर किया जाता है।

विभिन्न उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पोषणिक रक्ताल्पता को कम करने के लिए उपाय

सरकार ने जनसंख्या में रक्ताल्पता सहित पोषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं:

1. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम रक्ताल्पता के नियंत्रण के लिए सभी गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं, स्कूल-पूर्व बच्चों को लौह व फालिक अम्ल की गोलियां प्रदान करता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 6 महीने से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को तरल रूप में 20 मि.ग्रा. लौह व 100 एम.सी.जी. फालिक अम्ल की पूरक खुराक दी जाएगी। 6-10 वर्ष की आयु के बच्चों को 30 मि.ग्रा. लौह व 250 एम.सी.जी. फॉलिक एम्ल की पूरक खुराक जबकि 11-18 वर्ष के आयु-वर्ग के किशोरों को वयस्क के रूप में वही खुराक दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक गांव सम्पर्क कार्यकर्ता (आशा) समुदाय को पोषण की महत्ता से परिचित करवाएगा और वह स्वास्थ्य से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में समुदाय को परिचित करवाने के अतिरिक्त लौह व फालिक अम्ल की गोलियों का प्रदायक होगा।

राज्यों को मासिक रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने का परामर्श दिया गया है जहां पर रक्ताल्पता से बचाव संबंधी उपायों पर भी चर्चा की जाती है।

2. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पूरक भोजन खिलाना। 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषण, रोग प्रतिरक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा इत्यादि प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाओं/पोषण करने वाली माताओं को प्रतिदिन 500 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन से युक्त पूरक आहार सहित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत सेवाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए किए गए हाल ही के उपायों में से एक उपाय पूरक आहार के माध्यम से 50 प्रतिशत संस्तुत आहारीय भत्तों सूक्ष्म पोषकों की व्यवस्था करना है।

स्कूल जाने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) के लिए पोषणिक सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से पूरक आहार भी प्रदान किया जाता है।

3. वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से पोषण पर राष्ट्रीय कार्य योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी पोषणिक समस्याओं से निपटने के लिए एक मिशन की विधि के दृष्टिकोण के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय पोषण मिशन का प्रस्ताव किया गया है।

4. जागरूकता बढ़ाने और स्तन-पान और आहारीय विविधीकरण को बढ़ावा देने सहित आहारीय पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा।

5. सरकार द्वारा लोगों की पोषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किए गए अन्य उपाय इस प्रकार हैं:-

- कृषि एवं बागवानी पैदावार को बढ़ाना।
- आय अर्जन की योजनाओं के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता।

6. लौह की कमी को छोड़कर विशिष्ट सूक्ष्मपोषक अल्पता जन्य विकारों की रोकथाम हेतु कार्यक्रम:

(i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को 5 वर्ष की आयु तथा विटामिन ए की पूरक खुराक प्रदान की जाती है।

(ii) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

7. आटा, तेल इत्यादि सहित सूक्ष्म पोषकों के पुष्टिकरण पर प्रायोगिक पहलें।

8. फाइलेरिया नियंत्रण के भाग के रूप में अल्बेंडेजोल सहित हेटरेजेन की खुराक दी जाती है। कीड़ों को समाप्त करने से भी रक्ताल्पता को ठीक करने में मदद मिलती है।

9. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।

फ्लूरोसिस पर अनुसंधान परियोजनाएं

***532. डा. के.एस. मनोज:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की केरल सहित देश के

विभिन्न भागों में फ्लूरोसिस पर अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं हेतु केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) देश में फ्लूरोसिस पर अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, योजना आयोग ने 'राष्ट्रीय फ्लूरोसिस की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम' नामक एक नई पहल को मंजूरी दे दी है जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 68 करोड़ रुपए की लागत से देश के 100 जिलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की कमी

***533. श्री राकेश सिंह: क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक यूरेनियम की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर के कारण देश के परमाणु विद्युत संयंत्र ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत का संयंत्र-वार वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(घ) देश के ऐसे प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र को ईंधन की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) कुल स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता 4120 मेगावाट-ई है। परिचालनरत नाभिकीय रिएक्टरों में से तारापुर परमाणु बिलजीघर के यूनिट 1 और 2 (320 मेगावाट-ई) आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं जिसके लिए ईंधन उपलब्ध है, शेष 3800 मेगावाट-ई क्षमता के लिए स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम को उपयोग में लाया जाता है, जिसके लिए मांग और आपूर्ति के बीच अभिमानता है, इसलिए इस क्षमता का परिचालन ईंधन की आपूर्ति के अनुरूप रखते हुए अपेक्षाकृत कम विद्युत स्तर पर किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्थापित क्षमता और विद्युत उत्पादन का बिजलीघर-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

बिजलीघर	वर्तमान स्थापित क्षमता (मेगावाट-ई)	उत्पादन मिलियन यूनिट)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
टी.ए.पी.एस. 1 और 2	320	1657	2603	2551
टी.ए.पी.एस. 3 और 4	1080	2010	3898	4789
आर.ए.पी.एस. 2	200	1401	1202	327
आर.ए.पी.एस. 3 और 4	440	3039	2466	2341
एम.ए.पी.एस. 1 और 2	440	1852	2622	1749
एन.ए.पी.एस. 1 और 2	440	2138	1024	674

1	2	3	4	5
के.ए.पी.एस. 1 और 2	440	2367	2446	2030
के.जी.एस. 1 और 2	440	2860	2541	2085
के.जी.एस. 3	220	–	–	410

संक्षेपण शीर्षक:

टी.ए.पी.एस.: तारापुर परमाणु बिजली घर

आर.ए.पी.एस.: राजस्थान परमाणु बिजलीघर

एम.ए.पी.एस.: मद्रास परमाणु बिजलीघर

एन.ए.पी.एस.: नरोरा परमाणु बिजलीघर

के.ए.पी.एस.: ककरापार परमाणु बिजलीघर

के.जी.एस.: कैगा उत्पादन केन्द्र

(घ) सरकार द्वारा, नई खानें खोलकर और संसाधन सुविधाओं का विस्तार करके उत्पादन बढ़ाने के लिए ईंधन की आपूर्ति में वृद्धि हेतु सभी प्रयास किए गए हैं। झारखंड में नई खानें खोली जा रही हैं और एक नई मिल की भी स्थापना की गई है। तुमल्लापल्ली में एक नई खान पर काम शुरू किया गया है। लंबापुर (आंध्र प्रदेश) और के.पी.एम. (मेघालय) में खानें खोलने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। गोगी (कर्नाटक), रोहिल (राजस्थान), वाखिन (मेघालय) और चित्रियाल (आंध्र प्रदेश) में नई खानें खोलने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

*534. **डा. टोकचोम मैन्या:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर.डी.पी.-एन.ई.) हेतु रूपरेखा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या मंत्रालय एस.ए.आर.डी.पी.-एन.ई. के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा उत्तर-पूर्व परिषद के साथ समन्वय करके कार्य करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम राज्य की राजधानी एवं जिला मुख्यालयों, सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिए सड़क संपर्क और सामरिक सड़कों के सुधार के उद्देश्य से क्षेत्र के प्राथमिक सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम को चरण 'क' और चरण 'ख' में विभाजित किया गया है जिनमें क्रमश: 2304 कि.मी. और 6433 कि.मी. लंबाई का निर्माण/उन्नयन शामिल है। इस कार्यक्रम में शामिल की गई राज्यवार सड़क लंबाई विवरण-I में दी गई है। चरण 'क' को कार्यान्वयन के लिए और चरण 'ख' को केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुमोदित किया गया है। चरण 'क' का कार्यान्वयन वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हो गया है और वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान निष्पादन के लिए वास्तव में ली गई राज्य-वार सड़क लंबाई विवरण-II में दी गई है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के प्रत्येक चरण को परियोजना माना जाता है। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि और किया गया व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि	व्यय		जोड़
		चरण 'क'	चरण 'ख'	
2006-07	550	449.19	0.15	449.34
2007-08	710	685.90	0.22	686.12
2008-09	1200	–	–	–

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सीमा सड़क संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समन्वय और उप-परियोजनाओं के ब्यौरेवार प्राक्कलन अनुमोदित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, महानिदेशक सीमा सड़क, पूर्वोत्तर राज्य सरकारें सदस्य के रूप में शामिल हैं। वरिष्ठ स्तर पर बुलाई जाने वाली बैठकों के माध्यम से समय-समय पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है।

विवरण-I

(लंबाई कि.मी.)

राज्य	चरण 'क'			चरण 'ख'			चरण 'क'+'ख'		
	रा.रा.	राज्य/जी.एस./ सामरिक सड़कें	जोड़	रा.रा.	राज्य/जी.एस./ सामरिक सड़कें	जोड़	रा.रा.	राज्य/जी.एस./ सामरिक सड़कें	जोड़
अरुणाचल प्रदेश	32	212	244	335	2372	2707	367	2584	2951
असम	1049	0	1049	0	471	471	1049	471	1520
मणिपुर	39	108	147	92	58	150	131	166	297
मेघालय	176	0	176	179	223	402	355	223	578
मिजोरम	102	0	102	535	272	807	637	272	909
नागालैंड	81	8	89	706	511	1217	787	519	1306
सिक्किम	80	87	167	0	233	233	80	320	400
त्रिपुरा	330	0	330	110	336	446	440	336	776
कुल जोड़	1889	415	2304	1957	4476	6433	3846	4891	8737

विवरण-II

राज्य	2006-07		2007-08	
	लंबाई (कि.मी.)	धनराशि (करोड़ रु.)	लंबाई (कि.मी.)	धनराशि (करोड़ रु.)
अरुणाचल प्रदेश	–	–	118.85	302.88
असम	374.90	820.78	103.15	315.55
मणिपुर	82.93	124.60	43.06	91.0
मेघालय	–	–	–	–
मिजोरम	–	0.13	23.0	31.42
नागालैंड	–	–	–	–
सिक्किम	42.85	310.60	–	18.54
त्रिपुरा	–	–	–	–
कुल जोड़	500.68	1256.11	293.06	760.45

व्यावसायिक संस्थाओं में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश

***535. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) एन.डी.सी. द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि "सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर निजी पहलों को प्रोत्साहित करके तथा लम्बे समय से विलम्बित प्रमुख संस्थागत व नीतिगत सुधार शुरू करते हुए, पूरी उच्च व तकनीकी शिक्षा प्रणाली का विस्तार, समावेशन और तीव्र गुणवत्ता सुधार, ग्यारहवीं योजना दस्तावेज प्रयास का मुख्य भाग होगा।" दीर्घकालिक लक्ष्य भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का है, जिसमें अच्छी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले सभी व्यक्तियों की इस तक पहुंच हो सके, चाहे उनकी भुगतान क्षमता कुछ भी क्यों न हो।

2. ग्यारहवीं योजना के दौरान हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थानों की ग्रहणक्षमता को अनुमानतः 15% की वार्षिक दर से बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रहणक्षमता में इस प्रकार की वृद्धि केवल सार्वजनिक निवेश के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है। वस्तुतः दसवीं योजना के दौरान निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का शेयर जो वर्ष 2001 में 42.6% था वर्ष 2006 में बढ़कर 63.21% हो गया। इसी अवधि के दौरान नामांकन शेयर भी 32.89% से बढ़कर 51.53% हो गया। ग्यारहवीं योजना में भी इसी रूझान के जारी रहने की संभावना है। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित डिग्री स्तर के 5067 संस्थानों में से 4479 निजी संस्थान है।

3. व्यावसायिक शिक्षा देने वाले संस्थानों में इस समय निजी क्षेत्रक के निवेश की अनुमति दी जा रही है और विगत कुछ वर्षों के दौरान इसमें महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। हम इसी रूझान के जारी रहने की आशा करते हैं। ग्यारहवीं योजना में संभावित निवेश की प्रमात्रा का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

4. पिछले अनुभव से पता चलता है कि कुछ अग्रणी संस्थानों नामतः टी.आई.एफ.आर., मुम्बई, विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन; जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट (एक्स.एल.आर.आई.), जमशेदपुर; बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एंड साईंस, (बी.आई.टी.एस.), पिलानी; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंसेज (टी.आई.एस.एस.), मुम्बई; इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलॉजी (आई.आई. आई.टी.), हैदराबाद; बारामती में विद्यानगरी की स्थापना के लिए निजी पहलें उत्तरदायी रही हैं।

सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

*536. **डा. एम. जगन्नाथः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त सिंचाई परियोजना के कितने प्रस्तावों के संबंध में केन्द्र सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है;

(ख) इन परियोजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात 2006 और 2007 के दौरान जनवरी 1994 और सितंबर, 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय में 18 सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 16 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस समय महाराष्ट्र की जीही काठपुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम और पश्चिम बंगाल की द्वारकेश्वर सिंचाई परियोजना, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण पर्यावरणीय मंजूरी के लिए दो परियोजनाएं लंबित है। आंध्र प्रदेश की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कोई सिंचाई परियोजना लंबित नहीं है।

(ग) परियोजना प्रस्तावों पर मंजूरी के लिए निर्णय नदी घाटी और पनविद्युत परियोजनाओं से संबंधित विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर दी जाती है। यह समिति मामलों की जांच के लिए नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक करती है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 में परियोजना प्रस्तावकों से पूरी सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लेने के लिए 105 दिन की समय सीमा का प्रावधान है।

इको-सिटी कार्यक्रम

*537. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शुरू किये गए इको-सिटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश के चुनिंदा शहरों में परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई फीडबैक प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) इको सिटी परियोजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चयनित कस्बों/शहरों नामशः तिरुपति पुरी, उज्जैन, कोट्टायम, तंजावुर और वृंदावन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभिनिर्धारित पर्यावरणीय सुधार परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से इन कस्बों/शहरों के सघन क्षेत्रों में पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तीन और कस्बों/शहरों नामतः चन्देरी, सवाई माधोपुर और दार्जिलिंग में यह कार्यक्रम जारी है।

(क) से (घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरणीय सुधार के लिए परियोजनाओं के नियोजन से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सहित संबंधित राज्यों में चयनित कस्बों/ शहरों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन स्तर की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई पुनरीक्षा के आधार पर इको सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत शुरुआत में

निर्धारित क्षेत्र आधारित गतिविधियों के स्थान पर अभिज्ञात शहरों/कस्बों में अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यक्रम को केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया है।

कोयला खनन के लिए संयुक्त उद्यम

*3338. **श्री निखिल कुमार:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा किया जा रहा कोयले का उत्पादन देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सी.आई.एल. का विचार इस प्रयोजन के लिए कोई संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) मांग को पूरा करने के लिए विदेश में कोयला खानों की अधिप्राप्ति सहित अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (घ) कोल इंडिया लि. भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक है। वर्ष 2007-08 के दौरान भारत में कोयले का कुल उत्पादन 456.37 मी. टन (मि.ट.) था, जिसमें से सी.आई.एल. ने 379.49 मी.ट. का उत्पादन किया जो अखिल भारतीय उत्पादन का लगभग 83% है। देश में कोयले की मांग का अधिकांश भाग स्वदेशी स्रोतों से पूरा किया जाता है। तथापि, चूंकि कोकिंग कोयला और निम्न राख वाले कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है इसलिए अनेक उपभोक्ता कोयले का आयात अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के लिए कोयला और लिग्नाइट संबंधी कार्यदल ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2011-12 तक 731.10 मी.ट. अखिल भारतीय कोयले की मांग का मूल्यांकन किया है तथा 680.00 मि.ट. [सी.आई.एल.-520.50 मी.टन., सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.)-40.80 मी.ट. तथा अन्य-118.70 मी.ट.] के अखिल भारतीय कोयला उत्पादन का अनुमान लगाया है। इससे 51.10 मी.ट. (40.85 मी.ट. कोकिंग कोयला और 10.25 मी.ट. ताप कोयला) का अंतर रहता है जिसे कोयले के आयात के जरिए पूरा किया जाएगा।

कोयला खनन के लिए विचाराधीन सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों के संयुक्त उद्यम/स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नवत हैं-

1. कोयला ब्लाक के विकास और विद्युत उत्पादन के लिए सी.आई.एल. और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.): ब्रह्मणी और चिचारो-पटसीमल कोयला ब्लाकों और विद्युत परियोजना सहित कोयला ब्लाकों के विकास के लिए दिनांक 15-3-2007 को एन.टी.पी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. तालावीरा ओपनकास्ट परियोजना के विकास के लिए महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) और हिंडालको।

3. गोपाल प्रसाद उत्कल ए ब्लाक के विकास के लिए एम.सी.एल., जिंदल ग्रुप कंपनीज और श्याम डी.आर.आई. पावर लि.

4. 1000 मे.वा. टी.पी.एस. की स्थापना तथा ब्लाक बी में कोयला खनन के लिए एन.एल.सी. के साथ नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.)

5. सी.आई.एल., भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.): सरकार ने धातुकर्मीय तथा निम्न राख वाले ताप कोयला के संबंध में विदेश में कोयला खानें अर्जित करने के लिए सेल, आर.आई.एन.एल., एन.एम.डी.सी. एवं एन.टी.पी.सी. के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी में सी.आई.एल. की भागीदारी को अनुमोदित कर दिया है।

कोयले की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाए किए हैं-

(i) सी.आई.एल., इसकी सहायक कंपनियां और एस.सी.सी.एल. उच्च क्षमता वाले शॉवेल तथा डम्पर

लगाकर, भूमिगत कोयला खानों का यंत्रीकरण और नई कोयला परियोजनाएं आरंभ करके कोयला उत्पादन में वृद्धि कर रही है।

(ii) कोयले की स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अनेक कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के विकास के लिए निधि

***539. श्री हितेन बर्मन:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'उद्यानों/अभयारण्यों के विकास' के लिए वित्तीय सहायता हेतु पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के लिए सहायता में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) प्राप्त वार्षिक प्रचालन योजना के आधार पर भारत सरकार "राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संरक्षण और विकास के लिए पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों पर निधियों की उपलब्धता और आवश्यक प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2008-09 के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाकर 80.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष, अर्थात 2007-08 के दौरान यह राशि 62.00 करोड़ रु. थी। तथापि, राज्यवार कोई आबंटन निर्धारित नहीं है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

***540. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम हेतु राज्यों को कोई सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) सरकार का प्रस्ताव ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की पुनः कार्यनीति बनाने और राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का है जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(i) स्कूल जीवन कौशल शिक्षा एवं परामर्श, कॉलेज परामर्श सेवा, कार्य स्थल पर तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम संबंधी सेवाओं सहित सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से देश के सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार किया जाना।

(ii) देश में अभिज्ञात मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नत करके क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थाओं की स्थापना।

(iii) मौजूदा सरकारी मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण।

(iv) 10वीं योजना से चली आ रही स्कीमों के रूप में सरकारी चिकित्सा कालेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोरोग विज्ञान विंगों का उन्नयन।

(v) राज्यों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की मॉनीटरिंग के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की स्थापना।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों, गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए केन्द्रीय प्रकोष्ठ की स्थापना को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

युवक और खेल विकास के लिए जारी की गई धनराशि

5123. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक युवक और खेल विकास कार्यक्रम के लिए राजस्थान को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) इस संबंध में राजस्थान ने केन्द्र सरकार को क्या प्रस्ताव भेजे तथा उन पर क्या कार्रवाई हुई;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण तथा राजस्थान में इसके केन्द्रों द्वारा क्या गतिविधियां शुरू की गईं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में भारतीय खेल प्राधिकरण के और केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) इस मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राज्य सरकार तथा विभिन्न संगठनों को सहायता अनुदान जारी किया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(लाख रु. में)

2005-06	2006-07	2007-08
252	295	329

उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे खेल छात्रवृत्ति योजना, स्कूल खेल तथा ग्रामीण खेल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) को, जो इस मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय है, धनराशि जारी करता है। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना, राष्ट्रीय सद्भावना योजना तथा राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इस मंत्रालय के अन्य स्वायत्तशासी निकाय नेहरू युवा केन्द्र संगठन (नेयुकेसं) को भी धनराशि जारी की जाती है। भाखेप्रा तथा नेयुकेसं द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत हुए व्यय/ जारी की गयी धनराशि को दर्शाने वाली स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार तथा राजस्थान में विभिन्न संगठनों से युवा योजनाओं के अंतर्गत कुल 313 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उनमें से 124 प्रस्तावों पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था।

इसके अलावा, राजस्थान में भीलवाड़ा, विद्या नगर, जयपुर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में नए भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से चार प्रस्ताव भाखेप्रा में प्राप्त हुए थे और उनमें से एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था।

(ग) राजस्थान में व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)/ विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजनाओं के अंतर्गत 12 केन्द्र अपनाए हैं। केन्द्रों का उद्देश्य 14 से 21 वर्ष के आयु-वर्ग के उत्कृष्ट तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। राजस्थान में नए भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भाखेप्रा ने 189 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पहले ही राजस्थान में 12 स्कूल और कालेज अपना लिए हैं जिनमें 7 खेल-विधाएं अर्थात बास्केटबाल, हॉकी, फुटबाल, एथलेटिक्स, वालीबाल, कबड्डी और हैंडबाल कवर की गयी हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2005-06 से 2007-08 के लिए निम्नलिखित खेल योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य को जारी की गयी धनराशि की स्थिति

योजना	2005-06	2006-07	2007-08	अभ्युक्तियां
अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	प्रस्ताप्त प्राप्त नहीं हुआ	75,75,000/- रु. (75%)	वर्ष 2007-08 के लिए उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद शेष 25% धनराशि जारी की जाएगी।
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	2,48,200/- रु. के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ	वर्ष 2003-04 के लिए 2,48,200/- रु. की वापस की जाने वाली धनराशि प्राप्त न होने के कारण धनराशि जारी नहीं की जा सकी
स्कूलों में खेलकूद को प्रोत्साहन	प्रस्ताप प्राप्त नहीं हुआ	कोई धनराशि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव योजना के मानदंडों के अनुसार नहीं था	प्रस्ताप प्राप्त हुआ परंतु वह योजना के मानदंडों के अनुसार नहीं था। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह प्रस्ताव को संशोधित करे और उसे पुनः भेजे	

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों की श्रेणीवार व वर्षवार संख्या और धनराशि दर्शानेवाला विवरण (लाख रु. में)

क्र. स.	श्रेणी	2005-06 सं. व धनराशि	2006-07 सं. व धनराशि	2007-08 सं. व धनराशि
1	2	3	4	5
1.	विश्वविद्यालय/कालेज के छात्र (नये)	06 0.612	20 2.04	27 2.754
2.	विश्वविद्यालय/कालेज के छात्र (नवीकरण)	02 0.204	00	05 0.510

1	2	3	4	5
3.	राष्ट्रीय स्तर पर नये छात्र (स्कूल के छात्र)	19 1.596	44 3.696	14 1.176
4.	राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरण (स्कूल के छात्र)	03 0.252	06 0.504	09 0.756
5.	राष्ट्रीय स्तर पर नये छात्र (स्कूल के छात्र)	386 25.476	266 17.556	197 13.002
6.	राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरण (स्कूल के छात्र)	33 2.178	78 5.148	54 3.564
7.	महिला राष्ट्रीय चैम्पियन	00	00	02 0.360
8.	एम.पी.ई.डी. के बाद एन.आई.एस. डिप्लोमा कर रही महिलाएं	00	00	00
9.	एम.पी.ई.डी. के बाद एमफिल/पी.एच.डी. कर रही महिलाएं	00	00	06 0.600
10.	प्रतिभाशाली खिलाड़ी	00	00	00
	कुल	449 30.318	414 28.944	314 22.722

नेहरु युवा केन्द्र संगठन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	नियमित कार्यक्रम	एन.एस.वी. वजीफा-टी.ए. व प्रशिक्षण	राष्ट्रीय सद्भावना योजना	अन्य कार्यक्रम	कुल
1.	2005-06	68.62110	22.57276	16.77482	22.15000	130.11868
2.	2006-07	111.73560	32.48200	24.19200	23.90000	192.30960
3.	2007-08	102.00000	32.33300	23.80800	4.10000	162.24100

विदेशों में खेल-कूद समारोहों में भाग लेने पर व्यय

5124. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से मान्यताप्राप्त कितने खेल संघ हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद समारोहों में भारत द्वारा वरिष्ठ, कनिष्ठ तथा उपकनिष्ठ स्तर पर खेलकूद-वार तथा श्रेणीवार कितने मेडल जीते गए;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद समारोहों में खिलाड़ियों के भाग लेने पर हुए व्यय को वहन किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान समारोह-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किस प्रकार भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद समारोहों में भाग लेने का व्यय उठाते हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) किसी भी देश के खेल परिसंघों को उस देश के ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है न कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। भारत में 35 परिसंघ भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध हैं तथा उनके पास वोटिंग का अधिकार है। अन्य 38 परिसंघ भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त हैं।

(ख) भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सीनियर, जूनियर तथा सब-जूनियर स्तर पर जीते गए पदकों का खेल-वार तथा वर्ग-वार ब्यौरा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ से एकत्रित किया जा रहा है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) सरकार, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों/टीमों की सहभागिता के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उनकी अनुमोदित दीर्घावधिक विकास योजना के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दीर्घावधिक विकास योजना के अंतर्गत न आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ को ऐसे दौरों के व्यय को वहन करने के लिए अपना स्वयं का प्रबंध करना होगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	13.98	12.69	15.21
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	78.94	112.46	239.94
3.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	00.00	3.46	00
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	13.43	19.15	17.24
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, केशवपुरम, दिल्ली	07.00	15.49	9.00
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ, जम्मू व कश्मीर	34.57	38.64	18.03
7.	भारतीय आत्यापात्या परिसंघ, नागपुर	12.00	15.50	8.50
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	00.00	0.00	शून्य
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	41.21	36.31	71.44
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	0	30.01	14.82

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2005-2006	2006-2007	2007-2008
11.	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	43.78	45.70	6.61
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर (राजस्थान)	14.88	66.47	39.65
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0	0.00	0
14.	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ, नई दिल्ली	36.50	21.23	43.52
15.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	01.10	1.55	2.11
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ, नई दिल्ली	15.00	8.50	11.50
17.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	64.66	48.62	92.23
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	12.00	2.00	00
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली	09.00	12.50	13.50
20.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	77.45	90.07	92.63
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	433.43	373.19	717.24
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ, दिल्ली	11.50	9.50	14.99
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ, कोलकाता	09.00	0.00	0
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ, सिकन्दराबाद	51.65	9.75	65.20
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ, नागपुर, महाराष्ट्र	10.50	13.00	11.95
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	00.00	0.00	0
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, जोधपुर	9.80	12.00	9.00
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ, चेन्नई	15.42	21.94	11.37
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	53.33	13.59	84.14
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	165.10	178.75	332.97
31.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	00.00	0.00	0
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ, नई दिल्ली	11.00	13.00	9.00
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	17.00	11.50	8.00
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	11.50	20.75	3.50
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नई	94.97	58.17	104.81

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2005-2006	2006-2007	2007-2008
36.	भारतीय यार्टिंग संघ, नई दिल्ली	141.30	78.40	117.91
37.	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	07.10	13.50	11.41
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ, बंगलौर	09.00	0.00	19.82
39.	पैरालंपिक, बंगलौर	13.50	33.34	219.19
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	51.75	96.48	81.67
41.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	28.57	16.13	33.49
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	142.74	81.79	154.76
43.	भारतीय हाकी परिसंघ, पटेल नगर, दिल्ली	96.46	92.09	125.18
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ, नई दिल्ली	78.61	111.64	191.65
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	24.69	13.95	25.68
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	51.41	3.28	0
47.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	227.95	86.83	233.19
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ, राजस्थान	271.94	117.65	199.75
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	31.20	29.06	61.99
50.	फुटबाल, दिल्ली	70.37	30.55	68.15
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	37.84	23.65	56.64
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आई.जी. स्टेडियम, दिल्ली	209.82	32.58	6.15
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, दरियागंज	12.51	1.65	0
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ, दिल्ली	00	1.00	1.67
55.	भारतीय साइकिलिंग परिसंघ, दिल्ली	11.73	1.00	27.91
56.	स्पेशल ओलंपिक, भारत, नई दिल्ली E	0.00	4.50	87.22
57.	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	28.53	536.10	244.28
58.	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	950.00	500.00	1700.00
59.	मलखांब			3.75

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान

5125. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण तथा ब्लॉक स्तर पंचायत में इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की मूलभूत खेल-कूद अवसंरचना प्रदान करने तथा खेल-कूद गतिविधियां शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान तथा संपूर्ण ग्यारहवीं योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका लक्ष्य 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से देश में सभी पंचायतों में बुनियादी स्तर पर बुनियादी खेल अवसंरचना का सृजन करना और गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर खेल-स्पर्धाओं का आयोजन करना है।

योजना के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक ब्लॉक पंचायत को क्रमश: 1 लाख रु. और 5 लाख रु. का एकमुश्त मूल पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य का अंशदान सामान्य राज्यों के लिए 25% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10% होगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को क्रमश: 10,000 रु. तथा 12,000 रु. प्रति वर्ष, वार्षिक उपकरण खरीद अनुदान और वार्षिक प्रचालन अनुदान दिए जाएंगे और ब्लॉक पंचायतों को क्रमश: 20,000 रु. तथा 24,000 रु. दिए जाएंगे।

प्रत्येक ब्लॉक पंचायत को ब्लॉक स्तर पर स्पर्धाओं के आयोजन के लिए 50,000 रु. का वार्षिक स्पर्धा अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक जिले को जिला स्तरीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए 3 लाख रु. का वार्षिक स्पर्धा अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर व जिला स्तर की स्पर्धाओं में विजेताओं (प्रथम तीन स्थान) के लिए पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।

(घ) इस स्कीम के तहत, वर्ष 2008-09 के लिए 125.00 करोड़ रु. की राशि और 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1567.36 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गयी है।

[अनुवाद]

व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय पूल के संसाधनों के अंतर्गत उत्तर पूर्व राज्यों की परियोजनाओं/ योजनाओं का वित्तपोषण

5126. **श्री नरहरि महतो:** क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय पूल के संसाधनों से वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आज तक प्रत्येक उत्तर पूर्व राज्यों की जिन परियोजनाओं/योजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्यवार अनुमोदित/स्वीकार की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) जारी हो चुकी/की जाने वाली धनराशि की स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्य में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) उत्तर-पूर्वी राज्य अपनी वार्षिक प्राथमिकता सूची में अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल के तहत निधियन के लिए परियोजना/योजनाओं का प्रस्ताव करते हैं। एन.एल.सी.पी.आर. के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों द्वारा अपने वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की प्राथमिकता सूची में प्रस्तावित परियोजनाओं/स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाईट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की प्राथमिकता सूची में रखी गई परियोजनाओं/स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे भी मंत्रालय की वेबसाईट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध हैं। एन.एल.सी.पी.आर. के तहत किसी परियोजना के लिए संस्वीकृति/अनुमोदन के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं। इन परियोजनाओं में से स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे और जारी निधियां संलग्न विवरण पर हैं। सभी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं और वह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क. वर्ष 2005-06 की प्राथमिकता सूची में रखी गई संस्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	कुल जारी
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	एन.एच.-52ए से निरजुली से सागली (एस.एच. : दोइमुख से टोरु-45 किमी.) तक सड़क	20.48	11.93
2.	सागली से साकीयांग (50 किमी) तक सड़क का सुधार/निर्माण	39.94	24.26
3.	पालिजी-थ्रीजीनों सड़क का सुधार (17 किमी)	7.44	6.70
4.	पाके से वई तक सड़क का निर्माण (18 किमी)	13.35	4.21
5.	मेंगा-गीबा सड़क का सुधार (21 किमी)	3.57	1.12
6.	अपर सियांग जिले में जेंगिंग से रामसिंग तक मोटरेबल सड़क का निर्माण	5.37	3.69
	असम		
7.	असम वस्त्र संस्थान (35वीं मीटिंग रखी गई) का अवसंरचनात्मक विकास	7.41	2.34
8.	दुबरी जल आपूर्ति योजना	10.27	3.23
9.	220/132 केवी, 1x50 एम.वी.ए., 1x25 एम.वी.ए. और 132/33 केवी, 2x16 एम.वी.ए. अजीया उप-स्टेशन का निर्माण	7.39	2.27
10.	सिबसागर शहर जल आपूर्ति योजना	16.39	5.00
11.	मनकाचर, असम में काजू प्रसंस्करण प्लांट	2.11	1.04
	मणिपुर		
12.	पुरुल उप प्रभाग मुख्यालय में जल आपूर्ति स्कीम को बढ़ाना	4.29	1.32
13.	कांगथोऊजम जल आपूर्ति योजना को बढ़ाना	8.86	2.74
14.	थोऊबल, बाबू बाजार के पास थोऊबल नदी पर पुल का निर्माण	2.93	0.92
15.	कियामजइ मांग माषा में इम्फाल नदी पर पुल का निर्माण	4.71	1.48
16.	हीरॉक में हीरॉक नदी पर पुल का निर्माण	2.21	0.69

1	2	3	4
17.	तामेंगलांग-टोउसेम-हाफलांग सड़क पर बैराक नदी पर बैली सस्पेंशन पुल का निर्माण	3.38	2.97
18.	घाटी में 10 पी.एच.सीज का निर्माण	7.86	2.42
19.	32 पी.एच.सीज तथा हिल्स का निर्माण और उपस्करों का सुदृढ़ीकरण	5.45	1.65
20.	घाटी में 18 पी.एच.सीज का निर्माण और उपस्करों का सुदृढ़ीकरण	2.57	1.13
21.	धर्मशाला, रिम्स, इम्फाल का निर्माण	2.82	0.86
22.	जिला पशुचिकित्सा अस्पताल का निर्माण	7.49	2.31
	मेघालय		
23.	क्यांटोन मासार, मावलइ, शिलांग में ओ.एम. रॉय मैमोरियल विद्यालय के भवन का निर्माण	2.26	0.71
24.	पश्चिम गारो पहाड़ी जिले में टिकरीकिला कॉलेज परिसर का निर्माण	5.43	0.00
25.	जेनटिया हिल्स, रिम्बइ पोशकुर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण	1.75	0.00
26.	मैटलिंग तथा ब्लैकटॉपिंग सहित दखिया-सुतनगा-सइपुंग-मोसलई-हाफलांग (16 किमी) सड़क का सुधार, चौड़ा करना	7.22	4.21
27.	मैटलिंग तथा ब्लैकटॉपिंग सहित लुम्शनांग-उमलांग (0.8 किमी) सड़क का निर्माण	6.02	1.90
28.	मैटलिंग तथा ब्लैकटॉपिंग सहित मावकिवत रंगब्लांग (8 किमी) सड़क का निर्माण	4.80	1.51
29.	टुरा शहर में अरैमिले से डाकोपगरे दोहरी लेन वाली सड़क को चौड़ा करना (4 किमी)	3.14	0.99
30.	दखिया-सुतनगा-सइपुंग-मावबलेई-हाफलांग सड़क पर ओवर रीवर लेइतेल पुल का पुनर्निर्माण (पुल सं.-31/1)	2.43	0.77
31.	मैटलिंग तथा ब्लैकटॉपिंग सहित मुखाइयालांग लुमशिरमित (19 किमी) सड़क का सुधार	9.11	2.87
32.	रीभोई प्रेसबिटेरियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण, नोंगपोह	3.65	0.00
33.	पश्चिम गारो हिल्स, मेंदीपाथर माध्यमिक स्कूल स्कूल भवन का निर्माण	1.21	0.00
34.	रंगाद (12 किमी.) से होकर मैटलिंग तथा ब्लैकटॉपिंग सहित मुशुत से लुम्पुथोइ तक सड़क का निर्माण	4.87	1.53
35.	विलियम नगर शहर में दोहरी लेन वाली सड़कों को चौड़ा करना (8 किमी)	15.13	1.98

1	2	3	4
	मिजोरम		
36.	लिंक रोड से प्रस्तावित बांस पौधरोपण क्षेत्र (सैफल से हारटोकी)- 0-27.50 किमी तक का निर्माण	13.00	4.09
37.	लिंक रोड से प्रस्तावित बांस पौधरोपण क्षेत्र तुइरियाल एयरफील्ड से बुकपुई, चरण-1 (0-40 किमी) का निर्माण	22.39	7.05
38.	लिंक रोड से प्रस्तावित बांस पौधरोपण क्षेत्र (तुइरियाल एयरफील्ड से बुकपुई, चरण-2 (40-79 किमी) का निर्माण	25.13	7.91
39.	आईजोल तथा चंपई में स्टेडियम का निर्माण (चंपई में संस्वीकृत इंडोर स्टेडियम)	11.60	3.55
40.	माध्यमिक शिक्षा विद्यालय भवनों का निर्माण	9.69	5.94
41.	लोअर साकावरदई जल आपूर्ति स्कीम को बढ़ाना	1.34	0.41
42.	स्कूल भवनों का निर्माण (एम.ए.डी.सी.)	2.12.	0.67
43.	बेली पुलों का निर्माण	6.49	2.05
	नागालैंड		
44.	दीमापुर-घोपनाला-जलुकी-पारेन रोड (कुकीदोलंग-हेनिंगकोंगलवा-जलुकी-पारेन सड़क के स्थान पर)	38.73	33.06
45.	टीसोरेंग सिंचाई का निर्माण	16.93	5.26
46.	ओल्ड फेक होते हुए खुजा से सताका तक सड़क का निर्माण (लंबाई-90.80 किमी)	29.17	25.49
47.	लोंगखुन होते हुए मागमेटोंग से अलीबा तक सड़क सुधार तथा उन्नयन	17.81	15.56
48.	कोहिमा में राज्य अभिलेखागार की स्थापना	4.31	1.36
49.	7 (सात) आई.टी.आई. (रखी गई सं. 3) का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	2.19	1.97
	सिक्किम		
50.	पश्चिम सिक्किम, सोरेंग उप मंडल के तहत रिंगयांग तथा चमकामे तक जल आपूर्ति स्कीम	8.75	4.76
51.	बुलबुले में नाथुला से लीलो सहित 132 केवी एकल सर्किट संचारण लाइन / का निर्माण	31.01	9.08
52.	रिम्बी चरण-I, चरण-II तथा कालेज एच.ई.पी. को कॉमन 11 केवी ग्रिड और आगे 66 केवी स्टेट ग्रिड में सिनक्रोनाइजेशन	9.62	6.96

1	2	3	4
	त्रिपुरा		
53.	बंकिया चौमुहानी-शैलबगान सड़क (9.00 किमी) को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण	4.77	4.19
54.	त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज का अवसंरचना विकास	12.24	2.68
55.	150 उच्च विद्यालय भवनों का उन्नयन	28.11	17.29
56.	100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का उन्नयन	45.41	27.36
57.	जतनबाड़ी-नूतनबाजार में जल आपूर्ति स्कीम (0.65 एम.जी.डी.)	5.21	1.64
58.	बिशनगढ़ में जल आपूर्ति स्कीम (1.00 एम.जी.डी.)	7.81	2.46
	कुल	605.14	290.64

ख. वर्ष 2006-07 की प्राथमिकता सूची में रखी गई संस्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	कुल जारी
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	पश्चिम कामेंग जिले में नाफरा से नाखु तथा नाधीबन तक सड़क का निर्माण (11 किमी)	7.54	2.38
2.	लुमला में तवांग से लुमला तक 33/11 केवी, 2x1.6 एम.वी.ए. सहित 33 केवी एक्सप्रेस लाइन उप स्टेशन का निर्माण	6.22	3.96
3.	लोअर सुबनसिरी जिले में जोप से सिलसांगो तक सड़क का निर्माण (30 किमी)	34.50	10.87
4.	पश्चिम सियांग जिले में न्योरक से रिमे मोकु गांव तक सड़क का निर्माण (20 किमी, चरण-I-9.20 किमी)	9.90	2.84
5.	एनएच 52 'ए' से पप्पू हिल सैटलमेंट सड़क का निर्माण (2 किमी)	3.99	1.26
6.	आर.के. मिशन अस्पताल, ईटानगर में चिकित्सा उपकरणों का उन्नयन	4.08	3.66
7.	पूर्वी सियांग जिले में संगम प्वाइंट पर बी.आर.टी.एफ. सड़क तथा कोमसिंग गांव (लंबाई 225 मी) के बीच सियांग नदी पर मोटरेबल सस्पेंशन पुल का निर्माण	18.34	5.78

1	2	3	4
8.	सभी प्रशासनिक मुख्यालयों और इसके गांवों को 14-दोइमुख विधान सभा क्षेत्र में जल आपूर्ति सुविधाएं प्रदान करना/बढ़ाना	12.77	4.00
9.	ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश (जे.एन.के. विद्यालय भवन का अतिरिक्त प्रस्ताव) में स्थापित अरुणाचल वेलफेयर तथा शिक्षा सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल (जे.एन.के. विद्यालय का हॉस्टल भवन) का अवसंरचना विकास	1.57	0.50
10.	ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित अरुणाचल वेलफेयर तथा शिक्षा सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल (जे.एन.के. विद्यालय भवन का निर्माण) का अवसंरचना विकास	3.10	0.98
11.	खासो (दिरांग) में लड़कियों के लिए रामकृष्ण शारदा मिशन विद्यालय शुरू करना	5.88	1.85
12.	शांतिदेव विद्यालय, बोमडिला मोनस्ट्री का विकास	2.97	0.94
13.	पूर्वी सियांग जिले में सिले से यागरंग गांव तक सड़क का निर्माण (10 किमी)	5.01	1.58
	असम		
14.	दिफु में जोइसिंग दोलोई ऑडिटोरियम का निर्माण	3.79	1.12
15.	गोलाघाट शहर जल आपूर्ति स्कीम-चरण-II	5.05	1.53
16.	सिल्चर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	4.94	1.40
17.	के.के. हैंडिक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के अकादमी-प्रशासनिक भवन का निर्माण	2.38	0.93
18.	जोरहाट में जोरहाट स्टेडियम का विकास	2.69	0.85
19.	132/33 केवी बोको उप केन्द्र में बोको टर्मिनल बे को अजिया सरसुजइ लाइन सहित 132 केवी लाइन का निर्माण। आजरा से 220 केवी सर्किट लाइन 220 केवी एल.आई.एल.ओ. लाइन सहित 2x40 एम.वी.ए. आजरा स्टेशन, 220/132 केवी, 2x50 एम.वी.ए. और 220/33 केवी का निर्माण	36.22	11.41
20.	(सोनितपुर) के दाखिन्दोल में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार	2.11	0.67
21.	बेलसिरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	2.17	0.68
22.	मोती नगर से भूबन हिल टैम्पल तक सड़क तथा लघु पुलों का निर्माण-चरण-I	3.26	1.02
23.	दारंग जिले में धेकारजन से दालगांव शहर से सियालमारी तक खारपुरिहाबी सड़क (एम.टी.बी.टी.) का उन्नयन	2.52	1.14
24.	लेटकुपुखुरी, भोगपुर चरियाली लखीमपुर में शंकर महादेव सांस्कृतिक परिसर का निर्माण	4.01	1.26

1	2	3	4
25.	खरुपेतिया कॉलेज में अवस्थापना सुविधाएं - कक्षा कक्ष, कम्प्यूटर लैब एसी सुविधा सहित, प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास, विद्युत सुविधाएं, जल आपूर्ति तथा सेनेटरी सुविधाओं आदि के लिए भवन का निर्माण	1.76	0.00
26.	दालगांव कोपती सड़क (ओरंग-दालगांव सड़क) का सुधार	2.36	1.02
27.	बेटाबाड़ी-कोपती सड़क का सुधार	2.14	0.95
28.	नागांव बारापुजिया सड़क का उन्नयन	2.98	0.94
29.	नागांव मोरिकलांग नोगोई दखिनपत सड़क का सुधार	1.99	0.87
30.	डोटोमा में सांस्कृतिक केन्द्र परिसर का निर्माण	2.21	0.99
31.	बाबू बाजार से होकर भांगापर से चंद्रनाथपुर तक सड़क का निर्माण	2.49	0.80
32.	ज्योति चित्रबन फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान का विकास तथा उन्नयन	13.47	4.24
33.	बोडोलैंड स्वदेशी जनजातीय कला तथा सांस्कृतिक परिसर सह फिल्म स्टूडियो	4.95	1.61
34.	नाजिराखाट से सोनपुर सड़क का सुधार	2.65	1.08
35.	जोरहाट शहर में सड़क का सुधार	2.50	0.96
36.	सिबसागर शहर के लिए एकीकृत सड़क विकास परियोजना	2.42	1.08
37.	डिब्रूगढ़ जिले में सासोनी मौजा में बूरीदीहिंग नदी पर एल.आई.एस. की रिमॉडलिंग	2.40	0.78
38.	डिब्रूगढ़ जिले में तेंगाखाट खेरेमिया मौजा में एल.आई.एस. बूरीदीहिंग नदी पर	2.92	0.92
39.	काहिलीपारा से डॉन बोस्को स्कूल तक सड़क का सुधार	2.52	1.13
40.	रामपुर मॉडल सड़क (एन.एच. 37 से शुरू) का सुधार	2.25	0.71
41.	स्वपनपुर से रामचांदी तक की मैटलिंग तथा ब्लौकटॉपिंग	3.80	1.20
42.	घागरा नदी के ऊपर 7 किमी कैथल सड़क पर आर.सी.सी. बृहत पुल का निर्माण	2.50	0.79
	मणिपुर		
43.	खुमन लम्पक, इम्फाल में राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना	18.43	5.81
44.	तुंगजोई, सेनापति में जल आपूर्ति को बढ़ाना	2.16	0.68

1	2	3	4
45.	जिरीबाम (ई) तथा चूड़ाचांदपुर में जिरी-तिपाइमुख सड़क का सुधार (6.00 से 60.00 किमी)	18.56	5.73
46.	ऊनोपत तथा चंदेल के आस पास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति स्कीम को बढ़ाना	2.97	0.00
47.	लामसंग-खोंगामपत सड़क का सुधार	2.68	0.85
	मेघालय		
48.	नांगपोह शहरी जल आपूर्ति स्कीम	17.47	5.50
49.	किलिंग-पिलंगकाता (6.00 किमी) से 9 मील की एन.एच.-37 (गुवाहाटी-शिलांग सड़क) सड़क की मैटलिंग तथा ब्लैकटॉपिंग सहित उसे चौड़ा करना और उसका सुदृढ़ीकरण	3.13	0.99
	मिजोरम		
50.	खावजॉल से चम्पाई तक 132 केवी एकल सर्किट लाइन का निर्माण	5.90	4.56
51.	परवा से सिमेनासोरा सड़क का उन्नयन	12.26	3.78
52.	लांगतलेई से सैहा तक 33 केवी डी/सी संचारण लाइन का निर्माण (टॉवर टाइप)	7.43	2.30
	नागालैंड		
53.	हाजादिसा-इंटांगकी तक सड़क का निर्माण	7.27	2.21
54.	दीमापुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सपो केन्द्र की स्थापना	9.86	3.07
55.	एकीकृत नगुइकी सिंचाई परियोजना	2.37	0.73
56.	चेन ई.ए.सी. मुख्यालय चेनवातन्यू गांव में जलापूर्ति को बढ़ाना	3.00	0.86
	सिक्किम		
57.	नामची से सन्दुप्तसे रोपवे, दक्षिणी सिक्किम	16.04	5.05
58.	संग नया बाजार, पूर्वी सिक्किम में जलापूर्ति को बढ़ाना	2.01	0.62
59.	ग्रेटर रैंगपो जलापूर्ति स्कीम, पूर्वी सिक्किम	17.00	14.85
60.	पश्चिमी सिक्किम में रबडेंसे, गेजिंग में जल हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	4.96	1.45
61.	(क) चिरबिरे, (ख) जूम और (ग) माजीगांव नदी के किनारे ग्रामीण पर्यटन का विकास	17.08	5.28

1	2	3	4
	त्रिपुरा		
62.	मेलाघर में जल आपूर्ति स्कीम	8.86	2.79
63.	बोधजंगनगर औद्योगिक सम्पदा सहित संचारण स्कीम	9.37	2.95
	कुल	432.13	152.74

ग. वर्ष 2007-08 की प्राथमिकता सूची में रखी गई संस्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	कुल जारी
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	डुमपोरिजो से हाली (45 किमी) तक सड़क का निर्माण	31.76	9.81
2.	कानूबरी, बनफेरा, वानू और जेदुआ (चरण-I) से होकर सत्नागुरी से लांगडिंग तक सड़क का निर्माण - (15.50 किमी)	5.66	1.75
	असम		
3.	काचर जिले में पंचग्राम उप स्टेशन से 2x16 एम.वी.ए. से 2x25 एम.वी.ए. के 132/33 के.वी. क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बढ़ाना	4.40	1.39
4.	नागांव जिले में सम्पर्क मार्ग सहित सुरक्षा कार्य और श्रीमंत संकरदेव गोवेसना केन्द्र सड़क पर संतीजन नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल संख्या 1/1 का निर्माण	2.81	0.88
5.	सिलेअरपार-बोरशीझेरा (डुबरी जिला) पर आर.सी.सी. पुल संख्या 1/1 का निर्माण	4.51	1.42
6.	बेलगुरी सतरासइ सड़क, पुल संख्या 4/1 (डुबरी जिला)	2.73	0.86
7.	बास्का जिले में होऊजुआ नलबारी सड़क पर पोता नदी के दोनों ओर सम्पर्क मार्ग सहित आर.सी.सी. पुल 1/1 का निर्माण	2.64	0.83
8.	कामरुप जिले में जयानगर चारीअली तक एन.एच. 37 बाई पास से जी.एस. रोड (6 मील) तक विद्युत कार्य सहित 4 लेन की त्रिपुरा सड़क का निर्माण	11.36	3.59

1	2	3	4
	मणिपुर		
9.	काकचिंग आइथेल मारु मेन कैनल, थोउबल का आधुनिकीकरण	3.41	0.00
	नागालैंड		
10.	फेक-चाजोऊबा सड़क (एम.डी.आर.) 45 किमी का निर्माण	17.47	5.50
11.	रुसोमा से किजूमेटूरना तक सड़क का उन्नयन	21.85	6.85
	सिक्किम		
12.	साऊथ सर्कल के तहत (5 किमी) नामची-असानथांग सड़क	6.00	1.89
13.	रेनॉक जल आपूर्ति स्कीम, पूर्वी सिक्किम	16.27	5.00
	कुल	130.87	39.77

वन्य जीवों के शिकार की अनुमति

5127. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय वन्य जीवों के शिकार की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कतिपय वन्य जीवों द्वारा विशेषत: हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और मध्य प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर उनकी बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में पहले से ही ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु प्रावधान है। अधिनियम के खंड-II के अनुसार, यदि राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूची-II, अनुसूची-III अथवा अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट कोई वन्य पशु मानव जीवन अथवा सम्पत्ति (किसी भी भूमि पर खड़ी फसल सहित) के लिए खतरा बन जाता है अथवा इस प्रकार से अशक्त अथवा बीमारीग्रस्त हो जाता है कि दोबारा स्वस्थ न होने की दशा में हो तो लिखित में आदेश तथा उसका कारण बताते हुए किसी भी व्यक्ति को उस विशिष्ट क्षेत्र में ऐसे पशु अथवा पशुओं के समूह के शिकार करने की अथवा उस विशिष्ट क्षेत्र में ऐसे पशु अथवा पशुओं के समूह के शिकार किए जाने की अनुमति दे सकता है।

ग्राम पंचायतों को बुनियादी सुविधाएं

5128. श्री मोहन जेना: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी पंचायतों के पास बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा स्थित पंचायतों सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पंचायतों को बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सभी पंचायतों को राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध करानी होती है। इस संबंध में केंद्र के स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय सूचना नहीं रखता।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय पंचायत घरों के निर्माण/उन्नयन के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अवसंरचना विकास घटक के तहत अवसंरचना विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करता है। इस योजना के तहत निर्माण/रख-रखाव/उन्नयन के लिए 2006-07 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय ने 10.50 करोड़ रुपये तथा 2007-08 के दौरान 16.22 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) स्कीम के तहत 250.00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष (1.00 करोड़ रुपये प्रति जिले की दर से) की राशि को, जहां आवश्यक हो कार्यालय-भवन सहित पर्याप्त कार्यालय-अवसंरचना तथा सड़कों, दूरभाषों, विद्युत आपूर्ति व इ-कनेक्टिविटी द्वारा इन कार्यालयों को जोड़े जाने के प्रावधान के साथ, पंचायतों की क्षमता-निर्माण के लिए उद्दिष्ट किया जाता है।

[हिन्दी]

अस्पतालों का उन्नयन

5129. श्री छत्तर सिंह दरबार:

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं तथा प्रसूति एवं शिशु परिचर्या अस्पतालों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) राज्यों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं और मातृ एवं बाल परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। इस मिशन में विशेष तौर पर जनसंख्या के गरीब एवं असुरक्षित वर्गों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, कारगर एवं विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार की जाती है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का एन.पी.सी.सी. द्वारा पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है। उसे उपलब्ध अव्ययित शेष में शामिल करने के बाद उसमें निहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता किस्तों में दी जाती है।

सड़क दुर्घटनाएं

5130. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद/योजना आयोग ने सड़क दुर्घटनाओं के सामाजिक परिणाम का आकलन किया है

(ख) यदि हां, तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुए जान और माल की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 2000 में रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह ने वर्ष 1999-2000 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के सामाजिक परिणाम का आकलन 55,000 करोड़ रु. किया था जो इस वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है;

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004, 2005 और 2006 (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) के दौरान सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	सभी सड़कों पर मारे गए व्यक्ति
2004	92618
2005	94968
2006 (अनन्तिम)	105749

सड़क दुर्घटनाओं के कारण संपत्ति को नुकसान से

संबंधित ब्यौरे इस मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। तथापि, इस विभाग ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होती है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्हांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(iii) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा देश में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(vi) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा दृश्य-श्रव्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरुकता प्रचार अभियान।

(vii) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(viii) वाहनों के सुरक्षा मानक कठोर बनाना।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था करना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50 किमी. के अंतराल पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(x) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छः लेन का बनाना और सुधार करना आदि।

[अनुदान]

अभयारण्यों का जीर्णोद्धार

5131. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को ने देश में कुछ अभयारण्यों (सैंचुरीज) को अपनी विरासत सूची से निकालने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इन अभयारण्यों के जीर्णोद्धार हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि भारत में पांच प्राकृतिक विरासत स्थलों में से मानस राष्ट्रीय उद्यान, वर्ष 1992 से 'विरासत स्थल खतरे में' की श्रेणी में पहले से ही है। इसे, इस श्रेणी में उस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर हो रहे उपद्रवों और आंदोलन, जो उद्यान को गम्भीर नुकसान पहुंचा रहे थे, के कारण रखा गया था। विश्व विरासत समिति ने, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में एक और विश्व विरासत स्थल है, में नमभूमि पारि-प्रणाली को बनाए रखने में जल की अपर्याप्त उपलब्धता से उत्पन्न स्थिति पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की थी।

(ग) और (घ) संघ सरकार, दोनों राज्यों अर्थात् मानस राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में असम और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में राजस्थान के साथ लगातार संपर्क में है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इन स्थलों के बेहतर प्रबन्धन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा मानस और केवलादेव

सहित भारत में चार प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों समेत वर्ष 2007 में यूनस्कों द्वारा वित्त पोषित परियोजना प्रारंभ की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में शिक्षा असमानता

5132. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुप्रयुक्त श्रमबल अनुसंधान संस्थान (इंस्टूट्यूट ऑफ अप्लाइड मेनपावर रिसर्च) ने कर्नाटक राज्य सहित छह राज्यों में विभिन्न जिलों के शिक्षा असमानता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस रिपोर्ट के सुझावों को कितना स्वीकार किया है; और

(घ) कर्नाटक सहित इन राज्यों में विद्यालयों तक पहुंच के खराब रिकार्ड को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणस्वामी): (क) से (घ) अनुप्रयोग जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला स्तर पर शैक्षिक विकास सूचक (ई.डी.आई.) तैयार करने के लिए कर्नाटक सहित छः राज्यों में अध्ययन कराया गया है। इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू.सी.आई.) के पास मेडिकल लैब का पंजीकरण

5133. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेडिकल लैबोरेट्रीज को भारतीय गुणता परिषद (क्यू.सी.आई.) के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में चिकित्सा प्रयोगशालाओं का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और भारतीय गुणवत्ता परिषद चिकित्सा प्रयोगशालाओं का पंजीकरण नहीं करती। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जांच और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड जांच और अंशशोधन प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करता है जिनमें चिकित्सा प्रयोगशालाएं शामिल हैं। तथापि प्रत्यायन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुकाबले मूल्यांकन करने के लिए प्रत्यायन हेतु आवेदन करती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 की जीर्ण स्थिति

5134. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-43 की स्थिति बेहद खराब है जिसके कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर किए गए अनुरक्षण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि आबंटित व व्यय की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 यातायात योग्य स्थिति में है। दुर्घटना संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय राजमार्ग वार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, चालक की गलती, यांत्रिक दोष और यातायात नियमों की अनदेखी किए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर कुछ दुर्घटनाओं की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान, 73.82 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर आवधिक नवीकरण के अंतर्गत अनुरक्षण एवं सुधार कार्य, पेवमेंट के सुदृढ़ीकरण, सड़क गुणता में सुधार और साधारण/बाढ़ क्षति मरम्मत कार्य किए गए हैं जिन पर 59.41 करोड़ रु. व्यय हुए हैं।

[अनुवाद]

मानव स्वास्थ्य पर चाय/काफी उपभोग का प्रभाव

5135. श्री नवीन जिन्दल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव स्वास्थ्य पर चाय/काफी उपभोग के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा चाय जो एक पाली-फेनाल-प्रचुर पेय है, के संबंध में अध्ययन किए गए हैं। केटेचिंस इसके मुख्य पालीफेनोइज है जिनके प्रभाव हृदय-संरक्षक होते हैं क्योंकि वे मुक्त मूलकों का अपमार्जन कर सकते हैं और वसीय पेराक्सडेशन को रोक सकते हैं। जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययनों से चाय के सेवन एवं हृदवाहिका और अन्य चिरकारी रोगों के जोखिम के बीच प्रतिकूल संबंध प्रकट होता है। दूध की चाय के सेवन से लाभकारी प्रभाव का पता चला जैसे कि दूध के बगैर चाय के सेवन के सदृश प्रयोगाधीन व्यक्तियों की उपचायक स्थिति में सुधार हुआ और प्लाज्मा एवं मूत्रीय उपचायक तनाव में कमी आई। इन परिणामों से इंगित होता है कि दूध मिलाने से काली चाय की प्रयोगाधीन व्यक्तियों की अपचायक स्थिति को ठीक करने की क्षमता को दूर नहीं किया जा सकता है और यह इंगित होता है कि दूध के साथ/दूध के बगैर काली चाय के सेवन से उपचायक क्षति का इन विवो निवारण होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार काफी के सेवन के प्रभाव के बारे में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) लोगों में स्वास्थ्य क्षेत्र के जोखिमों एवं इसके सुधारों के बारे में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य मेले, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर तथा स्वस्थ्य परिचर्या प्रणाली के बारे में प्रासंगिक सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण का प्रचार-प्रसार जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रवासी भारतीय केन्द्र की स्थिति

5136. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004 में प्रस्तावित "प्रवासी भारतीय केन्द्र" के संदर्भ में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु अब तक स्वीकृत और व्यय की गयी राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रों के कब से कार्य शुरू करने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) प्रवासी भारतीय केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है और उसकी रजिस्ट्री करा ली गई है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को इसे शुरू से आखिर तक पूरा करने के लिए टर्न की आधार पर परियोजना को पूरा करने के लिए प्रवासी भारतीय केन्द्र के लिए परामर्शदाता और परियोजना प्रबंधक नियुक्त किया गया है। केन्द्र की संकल्पना डिजाइन और मॉडल को अनुमोदित कर दिया गया है। अभी भूमि की लागत पर 55 लाख रुपये का खर्च हुआ है क्योंकि निर्माण कार्य अभी आरंभ होना है। निर्माण कार्य के वर्तमान वित्तीय वर्ष में सिविक अधिकारियों और दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से भवन के नक्शों के अनुमोदन प्राप्त होने पर यथाशीघ्र आरंभ हो जाने की संभावना है। भवन के अक्तूबर, 2010 में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के आरंभ होने से पूर्व तैयार हो जाने की संभावना है।

कोयला खनन कार्य ठप्प होना

5137. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों के कोयला ब्लाकों सहित लगभग 100 कोयला ब्लाकों में खनन कार्य ठप्प पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त कोयला ब्लाकों का आबंटन किन कंपनियों को किया गया है तथा कंपनीवार इनके आबंटन की तिथि क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन कंपनियों से कोयला ब्लाक वापस लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ग) मार्च, 2008 तक, कुल 182 कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से वर्ष 2003 तक कुल 39 ब्लाक आवंटित कर दिए गए और शेष 143 ब्लाक 2003 के पश्चात आवंटित किए गए। चूंकि कोयला ब्लाकों के विकास में 3-4 वर्षों की गेस्टेसन अवधि शामिल होती है, इसलिए, अधिकांश आवंटित ब्लाक अभी भी विकास के चरण में हैं। जहां तक 2003 तक आवंटित 39 ब्लाकों का संबंध है, 13 ब्लाकों में उत्पादन पहले ही आरंभ हो गया है और शेष 25 ब्लाकों में उत्पादन 2009-10 तक आरंभ हो जाने की संभावना है। एक कोयला ब्लाक के मामले में, खनन पट्टा अमान्य घोषित कर दिया गया है। खनन पट्टा, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति, भूमि का अधिग्रहण आदि प्राप्त करने में समय लगने के कारण इन ब्लाकों में उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओपनकास्ट खानों के मामले में कैप्टिव कोयला ब्लाकों से कोयला उत्पादन आवंटन की तारीख से 36 महीनों के भीतर (यदि क्षेत्र वन भूमि में आता है तो 42 महीनों में) और भूमिगत खानों के मामले में 48 महीनों में (यदि क्षेत्र वन भूमि में आता है तो 54 महीनों में) आरंभ होना चाहिए। यदि कैप्टिव कोयला ब्लाक का अन्वेषण नहीं किया गया है तो विस्तृत अन्वेषण और भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो अतिरिक्त वर्षों की अनुमति दी जाती है। मार्च, 2008 तक आवंटित कोयला ब्लाकों के नाम, आवंटन की तारीख, कंपनियों के नाम, स्थान के राज्य और उत्पादन की स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कोयला ब्लाकों के आवंटिती, जिन्होंने अब तक उत्पादन आरंभ नहीं किया है, खनन तथा अन्त्य उपयोग परियोजना, दोनों के लिए सांविधिक स्वीकृति और खनन पट्टा प्राप्त करने, खनन नक्शा तैयार करने, भूमि अधिग्रहण करने, मशीनरी और उपकरण आदि खरीदने के विभिन्न चरणों में हैं। कोयला ब्लाकों के विकास के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसे अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समय-समय पर मॉनीटरिंग तथा समीक्षा की जाती है। जानबूझ कर किए गए विलम्बों के मामले में नोटिस जारी किए जाते हैं और जहां आवश्यकता होती है, कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द किए जाने पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	आवंटित ब्लाक नाम	कोलफील्ड	आवंटन की तारीख	आवंटिती का नाम	उत्पादन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
			आंध्र प्रदेश		
1.	ताडीचेरला-I	एस.सी.सी.एल.	06-12-2005	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पो. लि.	उत्पादन अभी आरंभ होना है
2.	अनेस्तीपली	एस.सी.सी.एल.	20-02-2007	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पो. लि.	वही
3.	पुनकुला-चिलका	गोदावरी वैली	29-02-2007	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पो. लि.	वही
4.	पेनगाडप्पा	एस.सी.सी.एल.	29-05-2007	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पो. लि.	वही
			अरुणाचल प्रदेश		
1.	नामचिक नामपुक	एन.ई.सी.	28-07-1994	अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेव. कार्पो.	वही
			छत्तीसगढ़		
1.	गारे-पलमा-IV/1	मांड रायगढ़	20-06-1996	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	उत्पादन जारी
2.	गारे-पलमा-IV/5	मांड रायगढ़	21-06-1996	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	उत्पादन जारी
3.	गारे-पलमा-IV/2	मांड रायगढ़	01-07-1998	जिंदल पावर लि.	उत्पादन जारी
4.	गारे-पलमा-IV/3	मांड रायगढ़	01-07-1998	जिंदल पावर लिं.	उत्पादन जारी
5.	गारे-पलमा-IV/4	मांड रायगढ़	16-08-1999	जयसवाल नेको लि.	उत्पादन जारी
6.	गारे-पलमा-IV/7	मांड रायगढ़	25-04-2000	रायपुर एलोय एंड स्टील लि.	उत्पादन अभी आरंभ होना है
7.	तारा	हसदेव-अरांद	14-08-2003	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	वही

8.	चोटिया	हसदेव-अरांद	04-09-2003	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	उत्पादन जारी
9.	उमरिया का वेस्ट (आबंटन रद्द)	उमरिया	24-05-2004	गरूड़ क्लेज लि.	उत्पादन अभी आरंभ होना है
10.	गिदमुरी	हसदेव-अरांद	23-09-2004	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	वही
11.	पतोरिया	हसदेव-अरांद	23-09-2004	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	वही
12.	पंचबहनी (आबंटन रद्द)	हसदेव-अरांद	06-09-2005	श्री राधे इंडस्ट्रीज	वही
13.	मदनपुर साउथ	हसदेव-अरांद	13-01-2006	हिन्दुस्तान जिंक लि.	वही
13.	मदनपुर साउथ	हसदेव-अरांद	13-01-2006	अक्षय इनवेस्टमेंट प्रा. लि.	वही
13.	मदनपुर साउथ	हसदेव-अरांद	13-01-2006	छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लि.	वही
13.	मदनपुर साउथ	हसदेव-अरांद	13-01-2006	छत्तीसगढ़ विद्युत निगम लि..	वही
13.	मदनपुर साउथ	हसदेव-अरांद	13-01-2006	एम.एस.पी. स्टील एंड पावर लि.	वही
13.	मदनपुर साउथ	हसदेव-अरांद	13-01-2006	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच कंपनी का कंसोर्टियम)	वही
14-15.	नाकिया I + नाकिया II	हसदेव-अरांद	13-01-2006	इस्पात गोदावरी	वही
14-15.	नाकिया I + नाकिया II	हसदेव-अरांद	13-01-2006	इंड एग्रो सिनर्जी	वही
14-15.	नाकिया I + नाकिया II	हसदेव-अरांद	13-01-2006	श्री नाकोदा इस्पात	वही
14-15.	नाकिया I + नाकिया II	हसदेव-अरांद	13-01-2006	वन्दना ग्लोबल लि.	वही
14-15.	नाकिया I + नाकिया II	हसदेव-अरांद	13-01-2006	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि.	वही
16.	गारे-पलमा IV/6	मांड रायगढ़	13-01-2006	जिंदल स्टील एंड पायर लि.	वही
16.	गारे-पलमा IV/6	मांड रायगढ़	13-01-2006	नलवा स्पंज आयरन लि.	वही
17.	गारे-पलमा IV/8	मांड रायगढ़	13-01-2006	जयसवाल नेको लि.	वही
18.	मदनपुर (नार्थ)	हसदेव-अरांद	13-01-2006	अल्ट्राटेक लि.	वही

1	2	3	4	5	6
18.	मदनपुर (नार्थ)	हसदेव-अरांद	13-01-2006	सिंगहल इंटरप्राइजेज	वही
18.	मदनपुर (नार्थ)	हसदेव-अरांद	13-01-2006	नव भारत कोलफील्ड लि.	वही
18.	मदनपुर (नार्थ)	हसदेव-अरांद	13-01-2006	वन्दना एनर्जी एंड स्टील प्रा. लि.	वही
18.	मदनपुर (नार्थ)	हसदेव-अरांद	13-01-2006	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	वही
18.	मदनपुर (नार्थ)	हसदेव-अरांद	13-01-2006	अंजनी स्टील प्रा. लि.	वही
18.	मदनपुर (नार्थ)	हसदेव-अरांद	13-01-2006	छत्तीसगढ़ केप्टिव कोल माइनिंग लि. (पांच कंपनी का कंसोर्टियम)	वही
19.	पारसा	हसदेव-अरांद	02.08.2006	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	वही
20.	गारे-पलमा, सेक्टर-I	मांड रायगढ़	02-08-2006	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	वही
21.	गारे-पलमा, सेक्टर-II	मांड रायगढ़	02-08-2006	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन	वही
21.	गारे-पलमा, सेक्टर-II	मांड रायगढ़	02-08-2006	तमिलनाडु स्टेट विद्युत बोर्ड, चेन्नई	वही
22.	मोरगा-I	हसदेव-अरांद	02-08-2006	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.	वही
23.	मोरगा-II	हसदेव-अरांद	02-08-2006	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कार्पो. अहमदाबाद	वही
24.	शंकरपुर भटगांव II	विश्रामपुर	25.07.2007	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	वही
25.	मोरगा-III	हसदेव-अरांद	25-07-2007	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि.	वही
26.	मोरगा-IV	हसदेव-अरांद	25-07-2007	मध्य प्रदेश एस.एम.सी.एल.	वही
27.	सोनदिया	रामकोला टाटापणि	25-07-2007	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	वही
28.	पारसा ईस्ट	हसदेव-अरांद	25-06-2007	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	वही
29.	कन्टा बासन	हसदेव-अरांद	25-06-2007	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	वही
30.	ब्रह्मपुरी	पंच खन्नान	16-07-2007	पुष्प स्टील एंड माइनिंग लि.	वही

31.	शयांग	मांड रायगढ़	06-11-2007	ए.ई.एस. छत्तीसगढ़ एनर्जी प्रा. लि.	वही
32.	दुर्गापुर II/सारया	मांड रायगढ़	06-11-2007	डी.बी. पावर लि.	वही
33.	दुर्गापुर II/तराईमार	मांड रायगढ़	06-11-2007	बाल्को	वही
34.	फतेहपुर ईस्ट	मांड रायगढ़	23-01-2008	जे.एल.डी. यवतमल एनर्जी लि.	वही
34.	फतेहपुर ईस्ट	मांड रायगढ़	23-01-2008	आर.के.एम. पावरजेन प्रा. लि.	वही
34.	फतेहपुर ईस्ट	मांड रायगढ़	23-01-2008	वीजा पावर लि.	वही
34.	फतेहपुर ईस्ट	मांड रायगढ़	23-01-2008	ग्रीन इन्फ्राटेक्चर प्रा. लि.	वही
34.	फतेहपुर ईस्ट	मांड रायगढ़	23-01-2008	वन्दना विद्युत लि.	वही
35.	फतेहपुर	मांड रायगढ़	06-02-2008	एस.के.एस. इस्पात एंड पावर लि.	वही
35.	फतेहपुर	मांड रायगढ़	06-02-2008	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	वही
			झारखंड		
1.	तसरा	झारिया	26-02-1996	स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि.	उत्पादन अभी आरंभ होना है
2.	पंचवारा सेन्ट्रल	राजमहल	28-12-2001	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	उत्पादन जारी
3.	तोकिसूद नार्थ	साउथ करनपुरा	07-01-2002	जी.वी.के पावर (गोविन्दवाल साहिब) लि.	उत्पादन अभी आरंभ होना है
4.	लालगढ़ (नार्थ)	वेस्ट बोकारो	08-07-2005	डोमको स्मोकलैस फ्यूल प्रा. लि.	वही
5.	कठौतिया	डल्टेनगंज	29-09-2003	उषा मार्टिन लि.	वही
6.	बादाम	नार्थ करनपुरा	03-11-2003	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	वही
7.	पकरी-बरवाडीह	नार्थ करनपुरा	11-10-2004	नेशनल थर्मल पावर कार्पो.	वही
8.	पचवारा नार्थ	राजमहल	26-04-2005	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	वही
9.	मोइत्रा	नार्थ करनपुरा	13-05-2005	जयसवाल नेको लि.	वही

1	2	3	4	5	6
10.	बिन्द्रा	नार्थ करनपुरा	26-05-2005	अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	वही
11.	सासई	नार्थ करनपुरा	26-05-2005	अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	वही
12.	मेराल	नार्थ करनपुरा	26-05-2005	अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	वही
13.	पर्वतपुर-ए से सी	झारिया	07-07-2005	इलेक्ट्रोस्टील कार्स्टिंग लि.	वही
14.	कोटरे-बसन्तपुर	वेस्ट बोकारो	11-08-2005	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	वही
15.	पंचमो	वेस्ट बोकारो	11-08-2005	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	वही
16.	लोहारी	डल्टेनगंज	24-08-2005	उषा मार्टिन	वही
17.	चित्रापुर	नार्थ करनपुरा	02-09-2005	कारपोरेट इस्पात लि.	वही
18.	महल	झारिया	09-12-2005	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	वही
19.	नार्थ धाधु	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	झारखंड इस्पात प्रा. लि.	वही
19.	नार्थ धाधु	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	पवनजय स्टील एंड पावर जनरेशन प्रा. लि.	वही
19.	नार्थ धाधु	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	इलेक्ट्रोस्टील कार्स्टिंग लि.	वही
19.	नार्थ धाधु	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	आधुनिक एलोय एंड पावर लि.	वही
20.	गोन्डुपारा	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	वही
20.	गोन्डुपारा	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	दामोदर वेली कारपोरेशन	वही
21.	डुमरी	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	नीलांचल आयरन एंड पावर जनरेशन	वही
21.	डुमरी	नार्थ करनपुरा	13-01-2006	बजरंग इस्पात प्रा. लि.	वही
22.	तलाईपल्ली	मांड रायगढ	25-01-2006	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	वही
23.	केरनदारी	नार्थ करनपुरा	25-01-2006	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	वही
24.	छटी बरियातु	नार्थ करनपुरा	25-01-2006	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	वही

25.	ब्रहमणी	राजमहल	25-01-2006	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन + कोल इंडिया लि. संयुक्त उद्यम	वही
26.	चिचरो पतसीमल	राजमहल	25-01-2006	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन + कोल इंडिया लि. संयुक्त उद्यम	वही
27.	सुगिया बंद खान	राजमहल	30-01-2006	झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
28.	राउत बंद खान	रामगढ़	30-01-2006	झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
29.	बुरकाप छोटा पैच	रामगढ़	30-01-2006	झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
30.	बुन्डु	नार्थ करनपुरा	25-04-2006	रूंगटा माइन्स लि.	वही
31.	गोमिया	ईस्ट बोकारो	02-08-2006	एम.एम.टी.सी.	वही
32.	पिन्दरा-देबीपुर-खाउटांड	ईस्ट बोकारो	02-08-2006	झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
33.	सारिया कोईयाटांड	ईस्ट बोकारो	02-08-2006	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	वही
34.	जयनगर	साउथ करनपुरा	02-08-2006	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, अहमदाबाद	वही
35.	राजबर ई एंड डी	औरांग	02-08-2006	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	वही
36.	बनहरडीह	पलमु	02-08-2006	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	वही
37.	लातेहर	औरंगा	02-08-2006	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	वही
38.	चकला	नार्थ करनपुरा	20-02-2007	एस्सार विद्युत निगम लि.	वही
39.	जीतपुर	चुपरबिटा	20-02-2007	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	वही
40.	सीतनाला	झारिया	11-04-2007	स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि.	वही
41.	चट्टी बारियातु साउथ	नार्थ करनपुरा	25-07-2007	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	वही
42.	शहरपुर जामारपणि	राजमहल	25-07-2007	दामोदर वेली कारपोरेशन	वही

1	2	3	4	5	6
43.	उर्मा पहाड़ीतोरा	राजमहल	25-07-2007	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	वही
43.	उर्मा पहाड़ीतोरा	राजमहल	25-07-2007	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	वही
44.	पतरातु	साउथ करनपुरा	25-07-2007	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	वही
45.	रबोडीह ओ.सी.पी.	वेस्ट बोकारो	25-07-2007	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	वही
46.	केरमदारी बीसी	नार्थ करनपुरा	20-07-2007	पावर फाइनेंस कारपोरेशन तलाईया यू.एम.पी.पी. झारखंड	वही
47.	तुबेत	औरंगा	01-08-2007	हिन्डालको	वही
47.	तुबेत	औरंगा	01-08-2007	टाटा पावर लि.	वही
48.	अशोक कलकत्ता सेन्ट्रल	नार्थ करनपुरा	06-11-2007	एस्सार पावर लि.	वही
49.	पातल ईस्ट	साउथ करनपुरा	06-11-2007	भूषण पावर एंड स्टील लि.	वही
50.	सेरगरहा	नार्थ करनपुरा	09-01-2008	आसेलर मित्तल इंडिया लि.	वही
50.	सेरगरहा	नार्थ करनपुरा	09-01-2008	जी.वी.के. पावर (गोविन्दवाल साहिब) लि.	वही
51.	माहुगढी	राजमहल	09-01-2008	सी.ई.एस.सी. लि.	वही
51.	माहुगढी	राजमहल	09-01-2008	जस इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा.लि.	वही
52.	अमरकोन्डा मुर्गादंगल	बीरभूम	17-01-2008	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	वही
52.	अमरकोन्डा मुर्गादंगल	बीरभूम	17-01-2008	गगन स्पंज आयरन प्रा. लि.	वही
53.	गोतिरिया (ईस्ट)	महापणि	21-06-1996	बी.एल.ए. इंडस्ट्रीज	उत्पादन जारी
54.	गोतिरिया (वेस्ट)	महापणि	21-06-1996	बी.एल.ए. इंडस्ट्रीज	उत्पादन जारी
55.	अमेलिया	सिंगरोली	12-01-2006	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	उत्पादन अभी आरंभ होना है

56.	अमेलिया (नार्थ)	सिंगरोली	12-01-2006	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	वही
57.	महान	सिंगरोली	12-04-2006	एस्सार पावर लि.	वही
57.	महान	सिंगरोली	12-04-2006	हिन्डालको इंडस्ट्रीज	वही
58.	डोंगरी तल-II	सिंगरोली	02-08-2006	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	वही
59.	मारा II महान	सिंगरोली	02-08-2006	हरियाणा पावर जनरल कार्पोरेशन	वही
59.	मारा II महान	सिंगरोली	02-08-2006	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली	वही
60.	मोहेर	सिंगरोली	13-09-2006	पावर फाइनेंस कारपोरेशन सासन (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट)	वही
61.	मोहेर-अमलोरी विस्तार	सिंगरोली	13-09-2006	पावर फाइनेंस कारपोरेशन सासन (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट)	वही
62.	छत्रसाल	सिंगरोली	26-10-2006	पावर फाइनेंस कारपोरेशन शासन (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट)	वही
63.	सियाल घोघडी	वर्धा	29-05-2007	प्रिज्म सीमेंट लि.	वही
64.	रावनवारा नार्थ	पेंच खन्नान	29-05-2007	एस.के.एस. इस्पात लि.	वही
65.	सुलियरी	सिंगरोली	25-07-2007	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
66.	मरकी बरका	सिंगरोली	25-07-2007	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	वही
67.	समरिया/पिपरिया	उमरिया	25-07-2007	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	वही
68.	साहापुर ईस्ट	सोहागपुर	25-07-2007	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
69.	साहापुर वैस्ट	सोहागपुर	25-07-2007	नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
70.	बिचारपुर	सोहागपुर	25-07-2007	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन	वही
71.	मंडला साउथ	पेंच खन्नान	25-07-2007	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन (एम.पी.एस.एम.सी.)	वही

1	2	3	4	5	6
72.	मंडला नार्थ	पेंच खन्नान	17-09-2007	मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट लि.	वही
			महाराष्ट्र		
1.	तकली-जेना-बेलोरा (साउथ)	वर्धा	29-05-1998	सेन्ट्रल कोलियरीज लि. (रद्द)	उत्पादन अभी आरंभ होना है
2.	मरकी मंगली-I	वर्धा	25-04-2001	बी.एस. इस्पात	वही
3.	चिनोरा	वर्धा	08-10-2003	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लि.	वही
4.	वरोरा (वेस्ट) सार्दर्न पार्ट	वर्धा	08-10-2003	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लि.	वही
5.	माजरा	वर्धा	29-10-2003	गोंदवाना इस्पात लि.	वही
6.	बरांज-I	वर्धा	10-11-2003	कर्नाटक विद्युत निगम लि.	वही
7.	बरांज-II	वर्धा	10-11-2003	कर्नाटक विद्युत निगम लि.	वही
8.	बरांज-III	वर्धा	10-11-2003	कर्नाटक विद्युत निगम लि.	वही
9.	बरांज-IV	वर्धा	10-11-2003	कर्नाटक विद्युत निगम लि.	वही
10.	किलोनी	वर्धा	10-11-2003	कर्नाटक विद्युत निगम लि.	वही
11.	मनोरा डीप	वर्धा	10-11-2003	कर्नाटक विद्युत निगम लि.	वही
12.	भण्डक वेस्ट	वर्धा	27-11-2003	श्री वैद्यनार्थ आयुर्वेद भवन लि.	वही
13.	बेलगांव	वर्धा	28-03-2005	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	वही
14.	मरकी मंगली-II	यवतमल	06-09-2005	वीरांगना स्टील लि.	वही
15.	मरकी मंगली-III	यवतमल	06-09-2005	वीरांगना स्टील लि.	वही
16.	मरकी मंगली-IV	यवतमल	06-09-2005	वीरांगना स्टील लि.	वही

17.	नेराद मालेगांव	वर्धा	13-01-2006	गुप्ता मेटेलिक्स एंड पावर लि.	वही
17.	नेराद मालेगांव	वर्धा	13-01-2006	गुप्ता कोलफील्ड्स एंड वाशरीज लि.	वही
18.	मरकी-जारी-जामानी-अदकोली	वर्धा	02-08-2006	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन	वही
19.	कोसार डोंगेरगांव	वर्धा	20-02-2007	चमन मेटेलिक्स लि.	वही
20.	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	वर्धा	20-02-2007	भाटिया इंटरनेशनल लि.	वही
21.	अगरजारी	वर्धा	25-07-2007	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन	वही
22.	वरोरा	वर्धा	25-07-2007	महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन	वही
23.	लोहारा वेस्ट विस्त.	वर्धा	06-11-2007	अदनी पावर लि.	वही
			उड़ीसा		
1.	तालाबीरा-I	ईब घाटी	25-02-1994	हिन्डालको	उत्पादन जारी
2.	उत्कल-सी	तलचर	29-05-1998	उत्कल कोल लि. (भूतपूर्व आई.सी.सी.एल.)	उत्पादन अभी आरंभ होना है
3.	उत्कल-बी2	तलचर	16-08-1999	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	वही
4.	उत्कल-बी1	तलचर	29-09-2003	जिंदी स्टील एंड पावर लि.	वही
5.	जमखानी	ईब घाटी	12-11-2003	भूषण लि.	वही
6.	उत्कल-डी	तलचर	19-12-2003	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन	वही
7.	उत्कल 'ई'	तलचर	27-08-2004	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	वही
8.	तालाबीरा II	तलचर	10-11-2005	महानदी कोलफील्ड्स लि.	वही
8.	तालाबीरा II	तलचर	10-11-2005	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	वही
8.	तालाबीरा II	तलचर	10-11-2005	हिंडालको	वही
9.	उत्कल-ए	तलचर	29-11-2005	महानदी कोलफील्ड्स लि.	वही

1	2	3	4	5	6
9.	उत्कल-ए	तलचर	29-11-2005	जे.एस.डब्ल्यू. स्टील्स लि./जिंदल थर्मल पावर लि.	वही
9.	उत्कल-ए	तलचर	29-11-2005	जिंदल स्टेनलैस स्टील लि.	वही
9.	उत्कल-ए	तलचर	29-11-2005	श्याम डी.आर.आई. लि.	वही
10.	बिजाहन	ईब घाटी	13-01-2006	भूषण लि.	वही
10.	बिजाहन	ईब घाटी	13-01-2006	महावीर फेरो	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	भूषण स्टील एंड स्ट्रीप्स लि.	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	आधुनिक मेटेलिक्स लि.	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	दीपक स्टील एंड पावर लि.	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	आधुनिक कार्पोरेशन लि.	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	उड़ीसा स्पंज आयरन लि.	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	एस.एम.सी. पावर जनरेशन लि.	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	श्री मेटेलिक्स लि.	वही
11.	पतरापारा	तलचर	13-01-2006	वीजा स्टील लि.	वही
12.	दुलंगा	ईब घाटी	25-01-2006	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	वही
13-14.	महानदी मच्छाकाटा	तलचर	06-02-2005	गुजरात राज्य विद्युत कंपनी लि.	वही
13-14.	महानदी मच्छाकाटा	तलचर	06-02-2005	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	वही
15.	राधिकापुर (ईस्ट)	तलचर	07-02-2006	टाटा स्पंज आयरन लि.	वही
15.	राधिकापुर (ईस्ट)	तलचर	07-02-2006	स्काव इंडस्ट्रीज लि.	वही
15.	राधिकापुर (ईस्ट)	तलचर	07-02-2006	एस.पी.एस. स्पंज आयरन लि.	वही

16.	राधिकापुर (ईस्ट)	तलचर	25-04-2006	रूंगटा माइन्स लि.	वही
16.	राधिकापुर (ईस्ट)	तलचर	25-04-2006	ओ.सी.एल. इंडिया लि.	वही
16.	राधिकापुर (ईस्ट)	तलचर	25-04-2006	ओसियन इस्पात लि.	वही
17.	नुआगांव तेलीसाही	तलचर	02-08-2006	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन	वही
17.	नुआगांव तेलीसाही	तलचर	02-08-2006	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट	वही
18.	मीनाक्षी	ईब रिवरी	13-09-2006	पावर फाइनेंस कारपोरेशन, उड़ीसा यू.एम.पी.पी.	वही
19.	मीनाक्षी बी	ईब रिवरी	13-09-2006	पावर फाइनेंस कारपोरेशन, उड़ीसा यू.एम.पी.पी.	वही
20.	मीनाक्षी की डीप साइड	ईब रिवरी	13-09-2006	पावर फाइनेंस कारपोरेशन, उड़ीसा यू.एम.पी.पी.	वही
21-22.	चेंदीपारा, चेंदी-II	तलचर	25-07-2007	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	वही
21-22.	चेंदीपारा, चेंदी-II	तलचर	25-07-2007	छत्तीसगढ़ मिनरल विकास निगम	वही
21-22.	चेंदीपारा, चेंदी-II	तलचर	25-07-2007	महाराष्ट्र पावर जनरेशन कार्पोरेशन	वही
23.	बैतरणी वेस्ट	तलचर	25-07-2007	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	वही
23.	बैतरणी वेस्ट	तलचर	25-07-2007	उड़ीसा हाइड्रो पावर जनरेशन कार्पोरेशन	वही
23.	बेतरानी वेस्ट	तलचर	25-07-2007	गुजरात पावर जनरेशन कार्पोरेशन	वही
24.	मदांकिनी बी	तलचर	25-07-2007	असम मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	वही
24.	मदांकिनी बी	तलचर	25-07-2007	मेघालय मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	वही
24.	मदांकिनी बी	तलचर	25-07-2007	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड, चेन्नई	वही
24.	मदांकिनी बी	तलचर	25-07-2007	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन	वही
25.	मनोहरपुर	ईब घाटी	25-07-2007	उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन	वही
26.	मनोहरपुर की डीप साइड	ईब घाटी	25-07-2007	उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन	वही

1	2	3	4	5	6
27.	नैनी	तलचर	25-07-2007	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	वही
27.	नैनी	तलचर	25-07-2007	पांडिचेरी इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेसटमेंट कार्पोरेशन लि.	वही
28.	मदांकिनी	तलचर	09-01-2008	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	वही
28.	मदांकिनी	तलचर	09-01-2008	जिंदल फोटो लि.	वही
28.	मदांकिनी	तलचर	09-01-2008	टाटा पावर कंपनी लि.	वही
29-30.	रामपिया एवं रामपिया की डीप साइड	ईब घाटी	17-01-2008	स्टारलाइट एनर्जी लि. (आई.पी.पी.)	वही
29-30.	रामपिया एवं रामपिया की डीप साइड	ईब घाटी	17-01-2008	जी.एम.आर. एनर्जी (आई.पी.पी.)	वही
29-30.	रामपिया एवं रामपिया की डीप साइड	ईब घाटी	17-01-2008	अर्सेलर मित्तल इंडिया लि. (सी.पी.पी.)	वही
29-30.	रामपिया एवं रामपिया की डीप साइड	ईब घाटी	17-01-2008	लेन्को ग्रुप लि. (आई.पी.पी.)	वही
29-30.	रामपिया एवं रामपिया की डीप साइड	ईब घाटी	17-01-2008	नवभारत पावर प्रा. लि. (आई.पी.पी.)	वही
29-30.	रामपिया एवं रामपिया की डीप साइड	ईब घाटी	17-01-2008	रिलांयस एनर्जी लि. (आई.पी.पी.)	वही
			पश्चिम बंगाल		
1.	सरिसाटोली	रानीगंज	10-08-1993	आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज/सी.ई.एस.सी. लि.	उत्पादन जारी
2.	तारा (ईस्ट)	रानीगंज	14-07-1995	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	उत्पादन जारी
3.	तारा (ईस्ट)	रानीगंज	17-04-1996	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	उत्पादन जारी

4.	गंगारामचक	कस्ता	23-06-2003	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	उत्पादन अभी आरंभ होना है
5.	बरजोरा	कस्ता	23-06-2003	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	वही
6.	गंगारामचक-भादुलिया	कस्ता	23-06-2003	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	वही
7.	ट्रांस दामोदर	दामोदर रानीगंज	14-01-2005	पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	वही
8.	बरजोरा (नार्थ)	कस्ता	03-03-2005	दामोदर वेली कारपोरेशन	वही
9.	कगरा जोयदेव	रानीगंज	03-03-2005	दामोदर वेली कारपोरेशन	वही
10.	कस्ता (ईस्ट)	कस्ता	03-03-2005	दामोदर वेली कारपोरेशन	वही
11.	इच्छापुर	रानीगंज	02-08-2006	पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	वही
12.	कुल्टी		02-08-2006	पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	वही
13.	बिहारीनाथ	रानीगंज	20-02-2007	बंकुरा डी.आर.आई. माइनिंग मैनुफेक्चरिंग कं. प्रा. लि.	वही
14.	जगन्नाथपुर ए	रानीगंज	25-07-2007	पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	वही
15.	जगन्नाथपुर ए	रानीगंज	25-07-2007	पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	वही
16.	अर्धाग्राम	रानीगंज	06-12-2007	सोवा इस्पात लि.	वही
16.	अर्धाग्राम	रानीगंज	06-12-2007	जयबालाजी स्पंज लि.	वही
17.	सीतारामपुर	रानीगंज	27-12-2007	पश्चिम बंगाल मिनरल डेवेपलमेंट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	वही

[अनुवाद]

दस प्रतिशत आबंटन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

5138. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक प्रत्येक विभाग/मंत्रालय द्वारा दस प्रतिशत आबंटन की विशेष योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवसंरचना, आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु केन्द्र सरकार के प्रत्येक विभाग/मंत्रालय द्वारा कितनी राशि निर्धारित की गयी है; और

(ख) देश में शेष राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए अवसंरचना तथा सामाजिक आर्थिक विकास में उक्त योजना की अब तक उपलब्धियां क्या रही हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दस प्रतिशत आबंटन की विशेष योजना के तहत वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	2005-06 (रुपये करोड़ में)	2006-07 (रुपये करोड़ में)	2007-08 (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	कृषि तथा सहकारिता विभाग	389.00	486.00	588.80
2.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	107.00	143.00	143.40
3.	एग्रो तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	87.15	89.50	–
4.	पशुपालन तथा डेयरी विभाग	59.90	75.00	81.00
5.	आयुष विभाग	30.00	32.00	39.00
6.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	–	–	68.30
7.	रसायन तथा पैट्रोरसायन विभाग	5.50	13.10	20.90
8.	नागर विमानन मंत्रालय	7.92	11.68	20.02
9.	कोयला मंत्रालय	25.50	30.00	16.70
10.	वाणिज्य विभाग	129.44	142.33	150.50
11.	उपभोक्ता मामले विभाग	9.12	15.01	13.38
12.	संस्कृति मंत्रालय	40.00	40.00	47.00
13.	पेयजल आपूर्ति विभाग	476.00	530.00	756.00
14.	स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	1053.50	1548.10	2058.39

1	2	3	4	5
15.	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	110.00	141.65	140.00
16.	उर्वरक विभाग	14.00	10.00	4.49
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13.60	15.00	20.00
18.	खाद्य तथा लोक वितरण विभाग	6.00	10.73	6.21
19.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	850.00	1000.00	1300.00
20.	भारी उद्योग विभाग	40.60	45.09	84.29
21.	गृह मंत्रालय	30.00	36.00	46.00
22.	औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग	55.00	50.00	89.99
23.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	55.83	97.04	63.02
24.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	88.00	109.00	140.00
25.	विधि तथा न्याय विभाग	10.00	20.40	12.00
26.	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	23.25	23.50	26.50
27.	भू संसाधन विभाग	132.00	134.00	134.85
28.	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	–	–	150.00
29.	खान मंत्रालय	16.50	15.88	14.00
30.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	–	1.82	29.44
31.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	35.00	43.10	62.80
32.	पंचायती राज मंत्रालय	5.00	7.50	10.00
33.	डाक विभाग	22.29	20.91	50.36
34.	विद्युत मंत्रालय	606.49	522.22	435.00
35.	लोक उद्यम विभाग	3.00	3.15	1.00
36.	रेलवे बोर्ड*	386.01	449.60	554.86
37.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग	820.16	964.00	1072.24
38.	ग्रामीण विकास विभाग	2092.35	2252.56	2590.00
39.	उच्च शिक्षा विभाग	250.50	353.93	320.31
40.	पोत परिवहन मंत्रालय	40.00	57.50	5750

1	2	3	4	5
41.	लघु उद्योग मंत्रालय	41.29	47.00	–
42.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	70.03	69.53	85.80
43.	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	8.71	7.62	7.30
44.	दूर-संचार विभाग	–	14.90	25.00
45.	वस्त्र मंत्रालय	118.52	165.45	232.00
46.	पर्यटन मंत्रालय	79.00	80.00	96.00
47.	जनजातीय मंत्रालय	33.00	44.00	50.30
48.	शहरी विकास विभाग	160.00	132.00	270.00
49.	आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूल मंत्रालय	40.00	50.00	50.00
50.	जल संसाधन मंत्रालय	50.00	55.02	58.39
51.	महिला तथा बाल विकास विभाग	387.53	483.99	579.30
52.	युवक कार्य तथा खेल मंत्रालय	36.45	41.71	70.00
	कुल योग	9150.14	10731.52	12941.34

स्रोत: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 2006-07, 2007-08 और 2008-09 का व्यय बजट खंड 2

*रेलवे बोर्ड द्वारा आबंटन के आंकड़े

उड़ीसा के 'के.बी.के.' जिलों के लिए विशेष योजना

5139. श्री तथागत सत्पथी: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा के 'के.बी.के.' जिलों के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने आबंटन हेतु वरीयता क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना का संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। विशेष योजना के तहत के.बी.के. जिलों के विगत तीन वर्षों के वित्तीय कार्य निष्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सम विकास योजना, जिसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम के समाहित कर दिया गया, के तहत आठ के.बी.के. जिले 250 करोड़ रुपये के वार्षिक आबंटन के हकदार थे। उसी वार्षिक आबंटन को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बी.आर.जी.एफ. की दो धाराओं, नामत: (क) 130 करोड़ रुपये वार्षिक की विशेष योजना तथा (ख) 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के जिला घटक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। योजना आयोग ने यह बताया है कि

विशेष योजना के तहत आबंटन में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना, राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है तथा उसे योजना आयोग को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इसलिए विशेष योजना के तहत आबंटनों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

विवरण

उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना के तहत वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	विशेष योजना आबंटन	विशेष योजना के तहत निर्मुक्त निधियां	बताया गया व्यय*	उपयोगिता प्रतिशत
2005-06	250.00	250.00	245.59	98.24
2006-07	250.00	250.00	243.35	97.34
2007-08	130.00	130.00	102.92**	79.17

*पिछले वर्षों का अव्ययित शेष भी शामिल

**जनवरी 2008 तक के व्यय के बारे में सूचना दी गई है।

धूम्रपान के कारण मौतें

5140. श्री के.एस. राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान धूम्रपान के कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न आयु वर्गों को लक्ष्य बनाकर चलाए गए विभिन्न प्रकार के धूम्रपान रोधी अभियानों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मंत्री समूह (जी.ओ.एम.) गठित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जी.ओ.एम. की सिफारिशें क्या हैं?;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारत में तम्बाकू नियंत्रण, 2004 की रिपोर्ट के अनुसार तम्बाकू के कारण होने वाले रोगों से प्रतिवर्ष करीब 8-9 लाख व्यक्ति मरते हैं। वर्षवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वर्ष 2003 में अधिनियमित "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद" (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का उद्देश्य तम्बाकू के सेवन को निरूत्साहित करना है, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

(i) सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान का प्रतिषेध;

(ii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन का प्रतिषेध;

(iii) नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री का प्रतिषेध;

(iv) शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री का प्रतिषेध;

(v) तम्बाकू उत्पाद के सभी पैकटों पर विनिर्दिष्ट सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियों का अनिवार्य चित्रण।

भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान 9 राज्यों के 18 जिलों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण भी शुरू किया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम में मौटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के कारगर कार्यान्वयन में राज्य का क्षमता निर्माण। राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेलों तथा जिला स्तरीय मानीटरिंग सेलों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

2. तम्बाकू के दुष्प्रभावों के संबंध में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षकों इत्यादि को प्रशिक्षित करना;

3. सरकारी स्कूलों में स्कूली कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को काम में लगाना;

4. क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक प्रचार माध्यम/सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान;

5. तम्बाकू उत्पाद की जांच के लिए क्षमता निर्माण प्रयोगशालाएं।

वर्ष 2007-08 के दौरान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य/जिलों को 1.55 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है और तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव का प्रचार-प्रसार करने के लिए 14.80 करोड़ रु. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों के अंतर्गत खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के साथ बीड़ी के बंडलों के पैकेजिंग एवं लैबेलिंग नियम जारी करने पर विचार करने हेतु मंत्रियों का एक दल गठित किया। मंत्रियों के दल की सिफारिश के अनुसार पैकेजिंग एवं लैबेलिंग नियम, 2008 को 16 मार्च, 2008 के सा.का.नि. स. 182 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम अलग से अधिसूचित किए जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

चिड़ियाघरों में भोजन और स्वास्थ्य परिचर्या हेतु मानदंड

5141. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख चिड़ियाघरों में जानवरों हेतु भोजन और स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जानवरों के भोजन और स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जानवरों के भोजन और स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी मानदंडों को सुधारने/समीक्षा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) मौजूदा "चिड़ियाघर नियमावली को मान्यता, 1992" में चिड़ियाघर पशुओं के भोजन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए मानक और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। देश में सभी चिड़ियाघरों के लिए इन नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्वास्थ्य देखभाल और पशुओं के अनुरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों का आवधिक निरीक्षण करता है। इस संबंध में इसने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली में क्रमशः वर्ष 2006 और 2007 में "भारतीय चिड़ियाघरों के वन्य पशु संबंधी रोग, निदान और उपचार के संबंध में मानक दिशा निर्देशों और नयाचारों का विकास" और "बंदी पशुओं तथा फीडिंग क्षेत्र के मानकीकरण के लिए फीडिंग रणनीतियों का विकास" पर दो वैज्ञानिक अध्ययन भी सौंपे हैं।

[हिन्दी]

भारत और इजराइल के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग

5142. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इजराइल के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) पराबैंगनी (अल्ट्रावायलेट) खगोलविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच 2003 में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इजराइली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टोवेक्स नामक एक पराबैंगनी दूरबीन को

वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से जीसैट-4 में रखकर प्रमोचित किया जाएगा।

दंत मंजन/खाद्य पदार्थों में हानिकारक तत्व

5143. श्री रशीद मसूद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 2008 के 'नवभारत टाइम्स' समाचार पत्र में "4 सिगरेट जितनी निकोटिन पाई गई 1 ग्राम दंत मंजन में" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को टाफी और चाकलेट में हानिकारक तत्वों को मिलाए जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, सरकार ने दिनांक 30-4-1992 को एक अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 444 (अ) जारी की है जिसमें तंबाकूयुक्त टूथपेस्ट, टूथपाउडर के रूप में लाइसेंस प्राप्त आयुर्वेदिक औषधों के विनिर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) और (घ) टाफियों और चाकलेट में हानिकारक अंश के संबंध में कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। टाफियों और चाकलेट के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत निर्धारित है। इन नियमों में यह भी व्यवस्था है कि तंबाकू और निकोटिन को किसी भी खाद्य उत्पाद में एक अवयव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन दाण्डिक कार्रवाई की जाती है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत योजना/कार्यक्रम

5144. श्री सुभाष महरिया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में निगरानी योग्य लक्ष्य संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। ग्यारहवीं योजना में सामाजिक क्षेत्र को दिए गए महत्व को निम्नलिखित क्षेत्र-वार परिव्यय से देखा जा सकता है:

क्षेत्र-वार आवंटन - ग्यारहवीं योजना

(करोड़ रुपये वर्ष 2006-07 की कीमतों पर)

क्र. सं.	क्षेत्र	ग्यारहवीं योजना	
		अनुमानित आवंटन	कुल का %
1	2	3	4
1.	शिक्षा	274,228	19.29
2.	ग्रामीण विकास, भूसंसाधन एवं पंचायती राज	190,330	13.39

1	2	3	4
3.	स्वास्थ्य, एफ.डब्ल्यू. एवं अवूश	123,900	8.71
4.	कृषि एवं सिंचाई	121,556	8.55
5.	सामाजिक न्याय	90,273	6.35
6.	वास्तविक अवसंरचना	128,160	9.01
7.	वैज्ञानिक विभाग	66,580	4.68
8.	ऊर्जा	57,409	4.04
	कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र	**1,052,436**	**74.03**
9.	अन्य	369,275	25.97
	कुल	14,21,711	100.00

(ग) विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की गहन निगरानी से लक्ष्य प्राप्त करना सुविधाजनक होगा।

विवरण

I. राष्ट्रीय निगरानी योग्य लक्ष्य

राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताईस लक्ष्य छह मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। ये छह श्रेणियां हैं (क) आय एवं गरीबी; (ख) शिक्षा; (ग) स्वास्थ्य; (घ) महिलाएं एवं बच्चे; (ङ) अवसंरचना; और (च) पर्यावरण। इन प्रत्येक श्रेणियों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

(क) आय एवं गरीबी

(i) ग्यारहवीं योजना अवधि में प्रतिवर्ष 9% की औसत जी.डी.पी. विकास दर

(ii) प्रतिवर्ष 4% की औसत कृषि जी.डी.पी. विकास दर

(iii) 70 मिलियन नये कार्य अवसर सृजित करना।

(iv) शिक्षित बेरोजगारी को कम करके 5% से नीचे लाना

(v) अकुशल कामगारों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% की वृद्धि करना

(vi) प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी अनुपात में 10 प्रतिशतांक बिन्दु तक कमी करना

(ख) शिक्षा

(i) प्रारम्भिक शिक्षा के दौरान बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों का प्रतिशत जो 2003-04 में 52.2 था इसे कम करके 2011-12 अर्थात ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष तक 20% करना।

(ii) प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक उपलब्धि के न्यूनतम मानक विकसित करना।

(iii) वर्ष 2011-12 तक 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों की साक्षरता दर बढ़ाकर 85% करना।

(iv) वर्ष 2011-12 तक साक्षरता में लैंगिक अन्तर को 10 प्रतिशतांक बिन्दु तक कम करना।

(v) उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक वर्ग की प्रतिशतता जो इस समय 10% है, वर्ष 2011-12 तक बढ़ाकर 15% करना।

(ग) स्वास्थ्य

(i) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 1 प्रति 1000 जीवित

जन्मों में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) घटाकर 28 और मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) 1 तक कम करना।

(ii) ग्यारहवीं योजना के अंत तक समग्र प्रजनन दर कम करके 2.1 करना।

(iii) यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक स्थिति वापस न लौटे वर्ष 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना।

(iv) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण को वर्तमान स्तर से आधा करना।

(v) महिलाओं और लड़कियों के बीच रक्ताल्पता को 11वीं योजना के अन्त तक 50% तक कम करना।

(घ) महिलाएं और बच्चे

(i) 0-6 आयु वर्ग के संबंध में लिंग अनुपात को 2011-12 तक 935 तक और 2016-17 तक 950 तक बढ़ाना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कीमों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं और बालिकाएं हों।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की बाल्यावस्था, कार्य की किसी बाध्यता के बगैर, सुरक्षित हो।

(ङ) आधारभूत ढांचा

(i) सभी गांवों और बी.पी.पी.एल. परिवारों के लिए 2009 तक बिजली का कनेक्शन तथा योजना के अन्त तक चौबीस घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(ii) 1000 और उससे अधिक (पर्वतीय व जनजातीय क्षेत्रों में 500) आबादी वाली सभी बस्तियों को 2009 तक बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ना, तथा 2015 तक सभी प्रमुख बस्तियों को कवर करना सुनिश्चित करना।

(iii) हर गांव को 2012 तक टेफोन के साथ जोड़ना तथा 2012 तक सभी गांवों की ब्रकबैण्ड संयोजकता।

(iv) सभी के लिए 2012 तक गृहस्थान की व्यवस्था तथा सभी गरीबों को 2016-17 तक कवर करने के लिए ग्रामीण गरीबों के लिए गृह निर्माण की गति में तेजी लाना।

(च) पर्यावरण

(i) वन व वृक्ष कवर को 5 प्रतिशतांक बिन्दु तक बढ़ाना।

(ii) 2011-12 तक डब्ल्यू.एच.ओ. मानक प्राप्त करने के लिए सभी बड़े नगरों में वायु गुणवत्ता प्राप्त करना।

(iii) नदियों का पानी साफ करने के लिए 2011-12 तक सभी शहरी अपशिष्ट जल का उपचार।

(iv) 2016-17 तक ऊर्जा कार्यकुशलता को 20 प्रतिशतांक बिन्दु तक बढ़ाना।

II. राज्य विशिष्ट लक्ष्य

ग्यारहवीं योजना इस प्रकार से बनाई गई है जिसमें 27 निगरानी योग्य लक्ष्यों में से 13 लक्ष्यों को प्रत्येक राज्य के लिए उपयुक्त लक्ष्यों में अलग-अलग तरीके से रखा गया है। ये हैं:-

(क) जी.डी.पी. विकास दर

(ख) कृषि विकास दर

(ग) नये कार्य के अवसर

(घ) गरीबी अनुपात

(ङ) प्रारम्भिक विद्यालयों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर

(च) साक्षरता दर

(छ) साक्षरता दर में लिंग आधारित अंतर

(ज) शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.)

(झ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)

(ञ) कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.)

(ट) बाल कुपोषण

(ठ) महिलाओं एवं बालिकाओं में रक्ताल्पता

(ड) लिंग अनुपात

[अनुवाद]

अन्य वर्गों को सी.जी.एच.एस. सुविधा

5145. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय सी.जी.एच.एस. के दायरे से बाहर रखे गए पेंशनधारकों तथा कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों सहित सरकार से उन्हें सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत शामिल करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में फिलहाल 24 शहरों को कवर किया गया है। इन शहरों में सेवारत कर्मचारी पेंशनभोगी और उनके परिवार के सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का सदस्य बनने के पात्र हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के क्षेत्रों से बाहर के कर्मचारियों तथा पेंशनरों ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार छूट गए क्षेत्रों में भी करने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं। इन क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारी सी.एस. (एम.ए.) नियमावली द्वारा कवर है, जबकि पेंशनभोगी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले निकटतम शहर में अंतरंग रोगी सेवाओं के लिए सदस्यों के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

ग्रामीणों द्वारा बाघों को मारना

5146. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में स्थित तादोबा अंधेरी बाघ रिजर्व के कई बाघों को रिजर्व के आसापास के गांव के लोगों ने मार दिया है;

(ख) क्या टिम्बर माफिया और पेपर मिलों द्वारा उक्त रिजर्व में पेड़ों को काटा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा रिजर्व में बाघों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अवैध शिकारियों द्वारा बिछाए गए तार से बिजली का करंट लगने के कारण महाराष्ट्र के तादोबा-अंधेरी बाघ रिजर्व की पश्चिमी बाउण्ड्री के बाहर जनवरी, 2007 में एक बाघ की मृत्यु हुई है और आक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जबकि क्षेत्र में टिम्बर और बांस की अवैध कटाई की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं, इस बारे में टिम्बर माफिया अथवा पेपर मिलों द्वारा संगठित अपराध की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) बाघ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाघ और अन्य वन्य पशुओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध बनाने हेतु वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व के अंदर अपराध के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपकरण गाड़ी या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

2. बाघ रिजर्व राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्षा ऋतु के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों को सुदृढ़ करना जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तावित है। अर्थात् संप्रेषण/बेतार सुविधाओं की सुदृढ़ता के साथ साथ स्थानीय लोगों सहित भूतपूर्व सैनिकों/होम गार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दल को तैनात करना।

3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 04-9-2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके

द्वारा बेहतर किया जा सकेगा जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6-6-2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन

6. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों को पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में मेनस्ट्रीमिंग जीविका और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवकर्मण करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग का रीडोर संरक्षण शामिल है।

7. बाघ रिजर्व राज्यों द्वारा संरक्षण निवेशों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन विकसित करना।

8. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

9. बाघ (कोर/महत्वपूर्ण क्षेत्र) और लोग (बफर/फ्रिंज क्षेत्र) से संबंधित मामलों से निपटने के लिए बाघ रिजर्व विशिष्ट 'बाघ संरक्षण योजना' तैयार करने के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थकारी उपबंध।

10. स्थानीय स्टेकहोल्डर समुदायों के लिए रिजर्ववार बाघ संरक्षण फाउंडेशन तैयार करने के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में उपलब्ध समर्थकारी उपबंध

11. बाघ परभक्षी और सहभक्षी पशुओं के बचाव और संरक्षण, समन्वय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मंत्री के अंतर्गत राज्यों द्वारा राज्य स्तर संचालन समितियों के सृजन के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संशोधन) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थनकारी उपबंध।

राष्ट्रीय कोचिंग कैंप

5147. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न खेलों हेतु कितने कोचिंग कैंप आयोजित किए गए;

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर ऐसे कैंप आयोजित किए गए;

(ग) ऐसे कैंप आयोजित करने हेतु शहरों का चुनाव करने के क्या मानदण्ड हैं;

(घ) विभिन्न खेलों के लिए ऐसे कैंपों हेतु राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने व्यक्ति चुने गए; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के पिछड़े जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भी ऐसे कैंप आयोजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 में 271 राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए गए तथा वर्ष 2007-08 में विभिन्न खेलों के लिए नई दिल्ली, पटियाला, बंगलौर, भोपाल, गांधीनगर, सोनीपत, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल, ग्वालियर, शिलोरु, गोवा, नेल्लौर, विशाखापट्टनम, देहरादून, तिरुपति, मुम्बई, पुणे, हैदराबाद, जमशेदपुर, त्रिवेन्द्रम, अलप्पी, लखनऊ, हिसार, चेन्नै, चंडीगढ़, कोचिन, गुड़गांव और सिलीगुड़ी में 283 राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए गए।

(ग) कोचिंग शिविर आयोजित करने के लिए शहर का निर्णय, राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा तैयार की गयी कार्रवाई योजना के अनुसार दीर्घकालिक विकास योजना के आधार पर विचार-विमर्श के दौरान किया जाता है। आयोजन-स्थल के विषय में अंतिम निर्णय खिलाड़ियों की आयु-समूह, अपेक्षित प्रशिक्षण का स्तर, अवसंरचना और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विभिन्न तथ्यों के आधार पर लिया जाता है।

(घ) वर्ष 2007-08 में 4000 खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से लगभग 1000 खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व किया जबकि 3000 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण उत्तर-पूर्व राज्यों में स्थित अपने केन्द्रों और उड़ीसा में सुंदरगढ़ और जगतपुर तथा छत्तीसगढ़ में भिलाई जैसे अन्य स्थानों सहित पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र में कोचिंग शिविर आयोजित करता है।

[हिन्दी]

संक्रामक रोग

5148. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न संक्रामक रोग फैल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जागरूकता अभियान चलाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने हेतु क्या प्रयास किए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में खसरा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, हैजा, तीव्र अतिसारीय रोग, वायरल हैपाटाइटिस, आन्त्र ज्वर (टायफाइड) निमोनिया, टेटनस, रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, सिफिलिस और गोनोकोक्कल संक्रमण, जैसे संक्रामक रोग व्याप्त है।

जहां तक कुष्ठ रोग का संबंध है, इसमें पर्याप्त कमी हुई है जो कुष्ठ के नए रोगियों की पहचान में हुई कमी के रूझान से स्पष्ट है। देश में वर्ष में पता लगाए गए नए रोगियों की संख्या 1983-84 में लगभग 4,82,000 से कम होकर 2006-07 में 1,39,252 हो गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान (फरवरी, 08 तक) देश में 1,24,885 कुष्ठ के नए रोगियों का पता लगाया गया, जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा स्थानीय और जन प्रचार माध्यमों के जरिए गहन सूचना शिक्षा संप्रेषण कार्यकलाप चलाए जा रहे है।

विभिन्न संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम आदि जैसे अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भी प्रदानगी पद्धति को सुदृढ़ बनाकर इन रोगों के फैलने को नियंत्रित किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

2007-08 के दौरान (फरवरी, 08 तक) पता लगाए राज्यवार नए रोगी

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पता लगाए गए नए रोगियों की संख्या		
		पीबी	एमबी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5468	3924	9392

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	34	41
3.	असम	282	873	1155
4.	बिहार	10625	6203	16828
5.	छत्तीसगढ़	3555	3504	7059
6.	गोवा	55	90	145
7.	गुजरात	3337	2987	6324
8.	हरियाणा	109	229	338
9.	हिमाचल प्रदेश	56	168	224
10.	झारखण्ड	3251	3112	6363
11.	जम्मू-कश्मीर	61	192	253
12.	कर्नाटक	1780	2439	4219
13.	केरल	301	421	722
14.	मध्य प्रदेश	2091	3178	5269
15.	महाराष्ट्र	5776	5591	11367
16.	मणिपुर	15	34	49
17.	मेघालय	3	3	6
18.	मिजोरम	9	14	23
19.	नागालैण्ड	6	32	38
20.	उड़ीसा	2628	2579	5207
21.	पंजाब	271	594	865
22.	राजस्थान	175	891	1066
23.	सिक्किम	7	15	22
24.	तमिलनाडु	3144	1977	5121
25.	त्रिपुरा	23	54	77
26.	उत्तर प्रदेश	16882	11600	28482

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	394	310	704
28.	पश्चिम बंगाल	5361	6582	11943
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	8	14
30.	चण्डीगढ़	52	121	173
31.	दादरा और नगर हवेली	110	37	147
32.	दमन व दीव	1	1	2
33.	दिल्ली	501	700	1201
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	37	9	46
	कुल	66379	58506	124885

*पता लगाए गए सभी रोगियों का एस.डी.टी. के साथ उपचार शुरू किया जाता है।

स्थानांतरण पर सी.वी.सी. के निदेश

5149. चौ. मुनव्वर हसन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों या उपक्रमों में तीन वर्षों से अधिक समय से 'संवेदनशील पदों' पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में कोई निदेश/अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. सहित विभिन्न सरकारी विभाग ऐसे निदेशों/अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विभागों/उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 15-04-1999 और 02-11-2001 के अपने परिपत्र संख्या 98/सतर्क/60 के द्वारा संवेदनशील पदों पर कार्यरत कार्मिकों के रोटेशन के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों के अनुसार, संगठनों को संवेदनशील पदों की पहचान करनी होती है और इन पदों पर वर्तमान जारी प्रक्रिया के अनुसार प्रति दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में चक्रानुक्रम से (रोटेशनल) स्थानांतरण करने होते हैं ताकि इनमें उत्पन्न होने वाले निहित स्वार्थों से बचा जा सके।

(ग) और (घ) आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी संगठनों, जिनमें एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. शामिल हैं, द्वारा इन अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोग को अपने वार्षिक प्रस्तुतीकरण में इस संबंध में नियमित रूप से इस आशय की रिपोर्ट देते हैं। वर्ष, 2007-08 के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता अधिकारियों से प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लि. ने मुम्बई में इस संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली है। भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) भी सर्किलों/यूनिटों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर रोटेशनल स्थानांतरण करता है।

रोटेशनल स्थानांतरण संबंधी अनुदेशों का अनुपालन न होने के संबंध में यदि कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आयोग ऐसी शिकायतों को जांच और रिपोर्ट हेतु संबंधित

संगठन को भेज देता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को रोटेशनल स्थानांतरण के संबंध में 62 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से चार शिकायतें जांच और रिपोर्ट के लिए भेज दी गई हैं, रोटेशनल स्थानांतरण की 30 शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित संगठनों को भेज दी गई हैं और 28 शिकायतें, जिनमें कोई वास्तविकता नहीं थी, आयोग द्वारा फाइल कर ली गई हैं।

[अनुवाद]

सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के बारे में राष्ट्रीय डाटा बैंक

5150. **श्री पी. करुणाकरन:** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्पसंख्यकों की सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बारे में कोई डाटाबेस है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के बारे में कोई राष्ट्रीय डाटा बैंक गठित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे डाटा बैंक को बनाने पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी नहीं। तथापि, मंत्रालय की वेबसाईट (mospi.gov.in) में एक वेब पेज (mospi.gov.in/national_data_bank/Index.htm) सृजित किया गया है और सामाजिक-धार्मिक वर्गों (एस.आर.सी.एस.) से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों के लिए लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। एस.आर.सी. संबंधित आंकड़े आर.जी.आई. द्वारा आयोजित जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों से देश में अल्पसंख्यकों के संबंध में भी कुछ सूचना मिलती है।

(ख) पहले से उपलब्ध और राष्ट्रीय डाटा बैंक वेब पेज के साथ लिंक की गई रिपोर्टों का विवरण नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

रा.प्र.सर्वे. का 48वीं दौर	भूमि तथा पशुधन होल्डिंग और ऋण तथा निवेश (जनवरी 1992 - दिसंबर, 1992)
रा.प्र.सर्वे. का 50वां दौर	उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार और बेरोजगारी (जुलाई, 1993 - जून, 1994)
रा.प्र.सर्वे. का 55वां दौर	उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार और बेरोजगारी और भारत में औपचारिक क्षेत्र में गैर-कृषि उद्यम (जुलाई, 1999 - जून, 2000)
रा.प्र.सर्वे. का 59वां दौर	कृषकों का उपभोक्ता व्यय, रोजगार-बेरोजगारी, स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (जनवरी-दिसंबर, 2003)
रा.प्र.सर्वे. का 61वां दौर	उपभोक्ता व्यय, रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (जुलाई, 2004-जून, 2005)

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से उपलब्ध मौजूदा सर्वेक्षण रिपोर्टों से राष्ट्रीय डाटा बैंक वेब पेज का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के अंतर्गत सामाजिक-धार्मिक वर्गों (एस.आर.सी.) के बारे में आंकड़ा संबंधी जरूरतों का पता लगाने और एस.आर.सी. के बारे में एकीकृत डाटाबेस का विकास करने के लिए आंकड़ा संबंधी घटकों का प्रस्ताव करने हेतु सचिव (सां. तथा कार्य.कार्या.) की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया है। राष्ट्रीय डाटा बैंक वेब पेज के माध्यम से अन्य मंत्रालयों के डाटाबेस का प्रयोग करने के लिए उनसे भी संपर्क किया जा रहा है।

(घ) अब तक, राष्ट्रीय डाटा बैंक वेब पेज के सृजन और लिंकों के प्रावधान के लिए मौजूदा संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और इसके लिए अलग-से निधियों का आवंटन नहीं किया गया है।

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों के लिए बीमा कवर

5151. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों में कार्यरत प्रवासी भारतीयों की जान पर्याप्त रूप से बीमित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि): (क) से (ग) सभी उत्प्रवासियों जिनके पास उत्प्रवास जांच अपेक्षित पृष्ठांकित पासपोर्ट हैं और वे रोजगार के लिए किसी उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों को जा रहे हैं और उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय से उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे भारत में कार्यरत किसी बीमा कम्पनी से प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत बीमा पॉलिसी लें। प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत उत्प्रवासियों को बीमा कवर देने के लिए 10 बीमा कम्पनियों को अनुमति दी गई है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना को पहले 25-12-2003 से लागू किया गया था और 1-2-2006 से उसमें संशोधन किया गया है। योजना में आरंभ में विदेशों में रोजगार के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के कारण रोजगार की हानि की दशा में न्यूनतम दो लाख रुपये के कवर का प्रावधान था। इसे 2006 में बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया था। प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत विद्यमान अन्य लाभों के अलावा बीमित राशि को और बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है और प्रीमियम की दरों को कम किया गया है। अन्य लाभों में चिकित्सा सुविधाएं, मातृत्व लाभ, परिवार के सदस्यों का अस्पताल खर्च, रोजगार से संबंधित कानूनी खर्च और एक तरफ के हवाई भाड़े का भुगतान शामिल हैं।

स्टैंडर्ड एक्सल लोड

5152. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सड़क के डिजाइन बनाने में कौन से स्टैंडर्ड एक्सल लोड का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या और अधिक भार ढोने हेतु स्टैंडर्ड एक्सल लोड में वृद्धि करने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारत में सड़कों की डिजाइन के लिए निम्नलिखित मानक धुरी भारों पर विचार किया जाता है:-

एकल धुरी भार	8160 कि.ग्रा.
टेंडम धुरी भार	14968 कि.ग्रा.

(ग) और (घ) अनुमेय धुरी भार की समीक्षा किए जाने के संबंध में उद्योग संगठनों/औद्योगिक इकाईयों, परिवहन प्रचालकों/परिवहन संगठनों जैसे विभिन्न मंचों, राज्य सरकारों और कुछ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, सड़क अवसंरचना और सुरक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मानक धुरी भार में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशें

5153. श्री अबु अवीश मंडल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परिषद ने कानूनी और संवैधानिक स्थिति सहित सरकार के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने "बायोमास के जरिए गांवों में ऊर्जा सुरक्षा के सृजन" और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सिफारिशें फरवरी, 2006 में तथा शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के संबंध में सिफारिशें मार्च, 2006 में भारत सरकार को भेजी थीं।

2. सरकार को भेजी गई पूर्व सिफारिशों के संदर्भ में, जून, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम और सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी अधिनियम प्रभावी हुए।

3. सहकारी संस्थाओं को स्वायत्तता देने हेतु संविधान संशोधन और असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक के मसौदे के बारे में सिफारिशें सरकार को भेजी गईं। और बातों के साथ-साथ, आदिवासी नीति और ग्राम न्यायालय विधेयक के संबंध में भी सुझाव भेजे गए।

फ्यूजन टेक्नोलॉजी से ऊर्जा

5154. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फ्यूजन टेक्नोलॉजी से ऊर्जा उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) संलयन से ऊर्जा के उत्पादन की प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए विश्वभर में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और इस प्रौद्योगिकी को अभी प्रमाणित किया जाना है। भारत का अपना एक संलयन अनुसंधान कार्यक्रम है और हाल ही में, वह चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया, जापान, रूस तथा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक भागीदार के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय परीक्षणात्मक रिएक्टर (आई.टी.ई.आर.)' परियोजना में शामिल हुआ है जोकि कैडारैक, फ्रांस में स्थापित की जा रही है।

(ग) चूंकि यह प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास की अवस्था में है और अभी प्रमाणित की जानी है, अत: उसका वाणिज्यक रूप से उपयोग करने के लिए समय सीमा के बारे में अभी से नहीं बताया जा सकता।

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल निर्माण हेतु वित्तपोषण

5155. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिबांग विद्युत परियोजना के निष्पादन को सुकर बनाने हेतु असम में धोला और सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल के निर्माण हेतु वित्तपोषण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है तथा ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान इस परियोजना के लिए कितना आबंटन किए जाने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए दो विकल्पों को दर्शाते हुए लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) का अनुमोदन मांगा गया है। पहले विकल्प में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल के निर्माण सहित बाहरी सड़कें और पुल शामिल हैं और दूसरे विकल्प में इसे छोड़ दिया गया है। विद्युत मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि पी.आई.बी. ने सड़कों/और पुलों की लागत को छोड़कर, प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सरकारी अस्पतालों द्वारा खरीद में विलम्ब

5156. श्री आनंदराव विठोवा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में उपकरणों/सामान की खरीद में हुए विलम्ब का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, उपकरणों/सामग्री के प्रापण में हुए विलंब के कोई ऐसे मामले सूचित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

देश में माओवादी गतिविधियां

5157. श्री रामदास आठवले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को नेपाल सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो नेपाल सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में माओवादी गतिविधियां बढ़ने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और वीजा मुक्त व्यवस्था है। दोनों राष्ट्रिकों पर सीमा के आर-पार आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तैनात किया गया है। नेपाल की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों में नेपाली माओवादी गतिविधियों की पुष्टि करने वाली कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एस.एस.बी. को 1751 किमी. लंबी भारत-नेपाल सीमा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसमें उत्तराखण्ड, उत्तर-प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। एस.एस.बी. ने भारत नेपाल सीमा पर 387 सीमा निगरानी चौकियां (बी.ओ.पी.) स्थापित की हैं। बी.ओ.पी. कार्मिक इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित रूप से गश्त और नाका/घात लगाते हैं। एस.एस.बी. का आसूचना तंत्र भी है और प्राप्त सूचनाओं को विकसित किया जाता है और इस क्षेत्र में तैनात सह-एजेंसियों तथा संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ बांटा जाता है।

भारत और नेपाल के पास पारस्परिक सुरक्षा के मुद्दों के समाधान हेतु विभिन्न द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।

जनजातीय लोगों को वनभूमि का आवंटन

5158. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. के. धनराजू:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जनजातीय लोगों को वनभूमि आवंटित करने संबंधी राज्य-वार कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा राज्यों से ऐसे प्रस्ताव किन-किन तिथियों को प्राप्त हुए;

(ग) सरकार द्वार इस पर क्या कार्रवाई की गयी है तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) कितने जनजातीय लोगों को अब तक वनभूमि आवंटित की गयी है और उन्हें किस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी नहीं। संघ सरकार को विशेषकर जनजातीय लोगों को वन भूमि के आबंटन से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006, 31 दिसम्बर, 2007 को प्रवृत हुआ। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों के कब्जे में वन भूमि पर वन अधिकारों को मान्यता देने और इसके निहितार्थ उत्तरदायित्व राज्य/संघ शासित सरकारों के पास है।

(घ) राज्य/संघ शासित प्रदेश अभी भी इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से अभी तक, जनजातीय और अन्य परम्परागत वनवासियों के अधिकार निहितार्थ संबंधी कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

मलेशियाई कंपनियों के सहयोग से एक्सप्रेस-वे का निर्माण

5159. श्री एल. राजगोपाल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मलेशियाई कंपनियों की सहायता से तिरुवनंतपुरम, चेन्नै, बंगलोर, हैदराबाद और पुणे को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस परियोजना को किस अवधि तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत बंगलौर को चेन्नै से जोड़ने वाले एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। इस समय कोई मलेशियाई कंपनी शामिल नहीं है। उक्त एक्सप्रेस मार्ग का संरेखण निर्धारित करने के लिए परामर्शी सेवाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर निर्मित की जाने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 5571.00 करोड़ रु. है।

(घ) इस परियोजना को दिसंबर, 2015 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 29 (ई) पर मेहसारा पुल

5160. योगी आदित्यनाथ: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग 29 (ई) पर मेहसारा पुल के पुनर्निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) नए पुल का निर्माण कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 (ई) पर मेहसारा पुल के पुनर्निर्माण हेतु 939.40 लाख रु. का एक प्राक्कलन प्राप्त हुआ है और इस मंत्रालय में इस पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है तथा ये कार्य धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि नए पुल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा।

[अनुवाद]

योग में अनुसंधान और विकास

5161. प्रो. एम. रामदास:
श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने देश में योग में अनुसंधान और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर सरकारी संगठन इस प्रयोजनार्थ सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों को इस निधि का दुरुपयोग करते हुए पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विषयक बहिर्वर्ती अनुसंधान (ई.एम.आर.) संबंधी स्कीम की समीक्षा करके इसे संशोधित किया गया है। स्कीम संबंधी संशोधित दिशा निदेश को वेबसाईट indianmedicine.nic.in पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) गैर सरकारी संगठन स्कीम के अंतर्गत सरकारी से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2007-08 हेतु राज्यवार अनुदानप्राही संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) एक गैर सरकारी संगठन अर्थात रिसर्च सेंटर फॉर इंडियाज हेरिटेज, गुड़गांव, हरियाणा द्वारा अनुसंधान कार्य संबंधी प्रगति को संतोषजनक नहीं पाया गया था। इसलिए, इस संगठन को अनुदान समाप्त कर दिया गया।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान आयुष विभाग की बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान और विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों को दी गई सहायता अनुदान

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	संस्थान का नाम	कुल परियोजना लागत (रुपये)	किस्तों में जारी निधियां (रुपये)
	कर्नाटक			
1.	विशेष योग श्वसन प्रक्रियाओं के पश्चात स्पष्ट परिवर्तन	तंत्रिका शरीरक्रिया विज्ञान विभाग, योग जीवन विज्ञान प्रभाग, स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाऊंडेशन, बंगलौर, कर्नाटक	5,91,000/-	(i) 3,20,500/-
2.	निवारक कार्डियोलॉजी और डायबेटोलॉजी में योग आधारित जीवन शैली मध्यस्थताओं की प्रभावकारिता	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बंगलौर, कर्नाटक	20,00,000/-	(i) 9,70,000/- (i) 8,30,000/-
	महाराष्ट्र			
3.	योगोपनिषद संबंधी विवेचनात्मक संस्करण (योगकुंडल्य उपनिषद, योगकुडामन्य उपनिषद, (त्रिशिखा-ब्राह्मणोपनिषद)	लोनावला योग संस्थान, लोनावला, जिला पुणे, महाराष्ट्र	9,14,200/-	(i) 4,13,300/-
4.	भारतीय किशोर छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य बहाल करने और आत्महत्या संबंधी प्रवृति के निवारण और नियंत्रण हेतु योग	वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, कैवल्यधाम, लोनावला, पुणे, महाराष्ट्र	22,56,000/-	(i) 9,68,000/-
5.	योग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की माताओं में तनाव प्रबंधन	इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ योग, यौग भवन, श्री योगेंद्र मार्ग, प्रभात कॉलोनी, सांताक्रुज (ईस्ट), मुंबई	20,00,000/-	(i) 4,41,800/-

कुष्ठरोग के उन्मूलन हेतु रणनीति

5162. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अपनायी गयी रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा मरीजों में कुष्ठ रोग के लक्षणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य (अर्थात् इसकी व्याप्तता दर का प्रति 10,000 की आबादी पर 1 रोगी से कम होना) राष्ट्रीय स्तर पर दिसम्बर, 2005 में पहले ही प्राप्त हो गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में कुष्ठ के रोगीभार को और घटाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यनीति नीचे दी गई है:-

(i) सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए सभी को गुणवतायुक्त कुष्ठ सेवाएं प्रदान करना।

(ii) सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों की क्षमता का निर्माण।

(iii) रोगी का समय से निदान करना और बहु औषध थिरेपी के जरिए त्वरित उपचार करना।

(iv) स्थानीय और जनसंचार माध्यमों नीतियों का इस्तेमाल करते हुए गहनीकृत सूचना, शिक्षा एवं संचार।

(v) कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों की अशक्तता का निवारण तथा उनका चिकित्सीय पुनर्वास।

(vi) कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण, अनुवीक्षण और मूल्यांकन।

(ख) कुष्ठ की पुनरावृत्ति/आवृति विरल होती है। सरकार कुष्ठ रोगियों में इसके संलक्षणों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:-

(i) उपचार की संपूर्णता सुनिश्चित करना।

(ii) कुष्ठ संबंधी किन्हीं प्रतिक्रियाओं के रोगियों का अनुवर्तन और उनका प्रबंधन।

(iii) बहु औषध उपचार के दौरान कुष्ठ रोगियों को इसकी प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न संभावित संलक्षणों की बाबत परामर्श देना।

(iv) गुणवतायुक्त परिचर्या के वास्ते सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ का नियमित प्रशिक्षण।

पत्तनों द्वारा हैंडल किए गए ट्रैफिक की मात्रा

5163. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पत्तनों द्वारा हैंडल किए जाने वाले ट्रैफिक की मात्रा कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में प्रत्येक पत्तन द्वारा हैंडल किए जाने वाले ट्रैफिक की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पत्तनों पर उपलब्ध अप्रचलित प्रौद्योगिकी के उपयोग से पत्तनों की उत्पादकता बाधित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ट्रैफिक में कितनी वृद्धि की संभावना है; और

(च) पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं। सभी महापत्तनों द्वारा संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ती चली आ रही है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 तक महापत्तनों द्वारा संभाले गए यातायात की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

संभाला गया यातायात मिलियन टन में

पत्तन का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
कोलकाता	53.14	55.05	57.28
पारादीप	33.10	38.51	42.43
विशाखापट्टणम	55.80	56.38	64.59
चेन्नई	47.24	53.41	57.15
जवाहरलाल नेहरू	37.83	44.81	55.75
मुंबई	44.19	52.36	57.03
तूतीकोरिन	17.13	18.00	21.48
कोचीन	13.88	15.25	15.31
नव मंगलूर	34.45	32.04	36.01
मुरगांव	31.68	34.24	35.12
कांडला	45.90	52.98	64.89
इन्नौर पत्तन लिमिटेड	9.16	10.71	11.56
जोड़	423.56	463.74	519.10

(ग) और (घ) जी, नहीं। महापत्तन, पत्तन प्रयोक्ताओं की अपेक्षाओं के आधार पर पत्तन अवसंरचनाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रहे हैं और किसी भी पुरानी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ङ) यह अनुमान है कि महापत्तन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 708.09 एम.टी. यातायात की संभलाई करेंगे।

(च) पत्तनों का आधुनिकीकरण एक लागातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें पत्तन क्षेत्र की सभी प्रकार की गतिविधियों का प्रत्येक पत्तन की अपेक्षा के आधार पर हाथ में लिया जाता है। पोत परिवहन विभाग ने पत्तन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है जिसे वर्ष 2011-12 तक कार्यान्वित किया जाना है। इन परियोजनाओं में पत्तन क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की सभी गतिविधियां आती हैं जिनमें घाट का विकास, जलमार्ग को गहरा बनाया जाना, उपस्करों और पत्तन जलयान की खरीद, रेल/सड़क संपर्क और अन्य सहायक कार्य शामिल हैं। आज तक पत्तन क्षेत्र की 3846 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 29 परियोजनाओं को राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा कर लिया गया है।

यात्री परिवहन में होवरक्राफ्ट्स का उपयोग

5164. डा. के. धनराजू: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में यात्री परिवहन के लिए होवरक्राफ्ट्स का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में देश में इस प्रयोजनार्थ कितने होवरक्राफ्ट्स का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) होवरक्राफ्ट्स यातायात को लोकप्रिय बनाने तथा

यात्री परिवहन के लिए इनकी संख्या में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परित्यक्त कोयला खानों में कोयला भंडार

5165. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ कोयला खानों को परित्यक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे परित्यक्त कोयला खानों में कितनी मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार के पास इन परित्यक्त खानों से कोयला भंडारों के दोहन की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार कोयला भंडारों के दोहन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ग) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के संबंध में सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की इन सहायक कंपनियों में 55 खानों/यूनिटों को या तो तकनीकी-आर्थिक अथवा सुरक्षा कारणों से परित्यक्त कर दिया गया है। खनन योग्य भंडारों के समाप्त हो जाने, सुरक्षा अथवा तकनीकी-आर्थिक आधार, कोयले के निम्न ग्रेड, भारी जल रिसाव तथा खान के डूब जाने के कारण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) में 9 अन्य खानों/यूनिटों को परित्यक्त कर दिया गया है।

सी.आई.एल. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समुचित भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के अभाव में तथा परित्यक्त खान योजनाओं की अनुपलब्धता में ऐसी परित्यक्त कोयला खानों में कोयला भंडारों का पता लगाना बहुत कठिन है। तथापि, उन परित्यक्त खानों/यूनिटों में सहायक कंपनीवार सांकेतिक शेष भंडार नीचे दिए गए हैं-

(मिलियन टन में)

कंपनी का नाम	खानों की संख्या	शेष भंडार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	17	280.24
भारत कोकिंग कोल लि.	22	668.18
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	16	482.70
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	4	82.18
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	5	17.21
योग		1530.51

मै. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में, 44 खानें बंद कर दी गई हैं और बंद करते समय इन खानों में 650 मिलियन टन कोयला विद्यमान होने का अनुमान लगाया गया है। अधिकांश भंडारों को ओपनकास्ट परियोजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया है अथवा परिवर्तित किया जा रहा है।

(घ) से (छ) खानों को खोलना और बंद करना एक ऐसा कार्यकलाप है जिसे सावधानीपूर्वक तथा सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। कोयला खनन उद्योग में यह एक सतत प्रक्रिया है।

कोयला खनन स्थल विशिष्ट है तथा प्रारंभिक, शीर्ष तथा अंतिम के रूप में परियोजना जीवनचक्र के विभिन्न चरणों से गुजरती है। निम्नलिखित कारणों से खानें बंद होती हैं-

(i) भंडारों का समाप्त होना;

(ii) प्रतिकूल भूखनन स्थिति; तथा

(iii) अलाभकर प्रचालन।

कभी-कभी बंद भूमिगत खानों, जिनमें अवरोधों, विभाजक पतली सीमों आदि के रूप में कोयले की समुचित मात्रा उपलब्ध है, को पुनः खोलना तथा ओपनकास्ट पद्धतियों के साथ खनन करना संभव है।

परित्यक्त खानों में कोयला भंडारों का दोहन करने के लिए, सी.आई.एल. अब ऐसे भंडारों के आर्थिक अन्वेषण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करने के संबंध में विचार कर रही है। अब तक ऐसे कोयला भंडारों का अन्वेषण करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ सी.आई.एल./एस.सी.सी.एल. के किसी सहयोग को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गरीबी के मानदण्ड

5166. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी की परिभाषा 1993 की लकड़ावाला समिति द्वारा यथा प्रस्तावित परिभाषा के आधार पर निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान गरीबी की माप के लिए एक नया मानदण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां। सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी परिभाषा 1993 में गरीबों के अनुपात एवं संख्या अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर आधारित है। विशेषज्ञ समूह का गठन प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में किया गया था।

(ख) जी नहीं। योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी मापने हेतु गरीबी अनुपात एवं गरीबों की संख्या संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में दिए गए मानदंडों का प्रयोग किया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

[हिन्दी]

आर्थिक एवं औद्योगिक नीति की समीक्षा

5167. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ताकि उन लोगों को राहत प्रदान की जा सके जिनका प्रति व्यक्ति दैनिक व्यय 2 अमरीकी डालर से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सरकार गरीबी कम करने के दृष्टिकोण बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन.आर.ई.जी.पी.), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.), अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार जनता के पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए भी बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ये कार्यक्रम हैं - एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.), मध्याह्न भोजन योजना, आदि। स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना के लिए क्रमशः भारत निर्माण, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किए गए हैं। ये कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

देश के आसमान में ब्लैक कार्बन बादल

5168. श्री रेवती रमन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि देश के ऊपर ब्लैक कार्बन बादल खतरे की घंटी हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण पर इसके प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वायुमंडलीय ब्राउन बादल (ए.बी.सी.) का तात्पर्य वातावरण में प्रदूषकों की अत्यधिक मात्रा से है जिसमें मानवजनित सल्फेट, नाइट्रेट, आर्गेनिक्स, काला कार्बन, धूल और फ्लाई ऐश के कण तथा प्राकृतिक एयरोशोल्स जैसे कि समुद्री नमक और खनिज धूल कण का मिश्रण शामिल होता है। मानसून वर्षा और कृषि पर प्रदूषण भार से सही प्रभाव और विश्व समुदाय द्वारा ऐसे प्रभावों को समझने के लिए वायुमंडलीय ब्राउन बादल पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) भारत जलवायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए अनेक प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक सतत विकास के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएन्सी की स्थापना करना और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना और एनर्जी एफिशिएन्सी लेबलिंग लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, पावर सैक्टर सुधार और सक्रिय नवीनकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, परिवहन के लिए स्वच्छतर और अपेक्षाकृत कम कार्बन युक्त ईंधन का उपयोग, ईंधन का उपयोग, ईंधन के रूप में स्वच्छत्तर ऊर्जा का उपयोग, नवीनकरण और वनों का संरक्षण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा, गैस फ्लेयरिंग को कम करना मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोत्साहन करना और सभी सेक्टरों के लिए पर्यावरणीय गुणता प्रबंधन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत स्ट्रांग अडैप्टेशन कन्टेंट सहित विकास उपायों में प्रतिवर्ष जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च करता है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने तथा उन उपायों की पहचान करने के लिए, जोकि मानवजनित जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, पर मई 2007 में "जलवायु परिवर्तन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति" का गठन भी किया है।

परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को क्षतिपूर्ति

5169. श्री प्रकाश बी. जाधव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नागपुर के गोंडेगांव परियोजना वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के लिए भूमि के अधिग्रहण के पश्चात परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति तथा रोजगार प्रदान करने के लिए कोई शिकायतें/अपील प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना से प्रभावित ऐसे लोगों के लंबित दावों के निपटान के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. सहित कोयला कंपनियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इन लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोयला कंपनियों को कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। भूवंचितों को भूमि के मुआवजे को बढ़ाकर भुगतान करने, सभी भूवंचितों को रोजगार देने तथा गोंडेगांव ग्राम के पुनर्वास का अनुरोध करते हुए माननीय संसद सदस्यों, श्री प्रकाश बी. जाधव और श्री हंसराज जी. अहीर से कुछ पत्र वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को प्राप्त हुए हैं।

(ग) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भी अधिगृहीत 494.64 हेक्टेयर भूमि के संबंध में मुआवजे के भुगतान और पात्र भूवंचितों को रोजगार प्रदान करने से संबंधित सभी दावों को निपटा दिया गया है। तथापि, घत्रोहाना और जूनी काम्पटी गांवों में, डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा सीधी खरीद के माध्यम से शेष 119.87 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण में शामिल 103 भूवंचितों में से 29 भूवंचितों ने अंतिम भूमि मुआवजा पहले ही स्वीकार कर लिया है तथा सेल डीड निष्पादित किए गए हैं, 65 भूवंचितों को 35,000 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से अग्रिम मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा अंतिम निपटान प्रगति पर है और शेष 9 भूवंचितों को राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई भूमि की दर के आधार पर भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमत

कराने का प्रस्ताव किया जा रहा है। भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के तहत 65 खातेदारों में से 60 भूवंचितों को रोजगार प्रदान किया गया है, 4 भूवंचितों के रोजगार के दावे प्रक्रियाधीन हैं तथा एक भूवंचित को रोजगार के एवज में निर्वाह भत्ता दिया गया है। गोंडेगांव ग्राम के पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक स्थल की पहचान की गई है तथा भूमि की खरीद अंतिम चरण में है।

(घ) और (ङ) चूंकि भूवंचितों के दावों को कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार निपटाया जाना है इसलिए सरकार द्वारा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को अलग से कोई निदेश जारी नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली स्वास्थ्य योजनाएं

5170. श्री बाबू हरी चौरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विदेशी सहायता से कोई स्वास्थ्य परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चरण-II) को महाराष्ट्र राज्य सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के भाग के रूप में विदेशी सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सकल प्रजनन दर, नवजात मृत्युदर और मातृ मृत्युदर को नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करके कम करना है। कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त की जा रही है। तथापि, कुछ राज्य विशिष्ट कार्यक्रम भी विभिन्न राज्यों में बाहरी सहायता से चलाए जा रहे है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चरण-II) के तहत निधियों का राज्य-वार एवं वर्षवार आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सहायता प्राप्त अन्य विदेशी परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	राशि	निधीयन एजेंसी
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	£ 60 मिलियन	डी.एफ.आई.डी.
उड़ीसा	उड़ीसा स्वास्थ्य क्षेत्र योजना (2006-2010)	400.00 करोड़ रुपए (पोषण के लिए सहायता हेतु 100 करोड़ रुपए सहित)	डी.एफ.आई.डी.
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य कार्यक्रम	£ 40 मिलियन	डी.एफ.आई.डी.
पश्चिम बंगाल	(1) स्वास्थ्य क्षेत्र विकास पहल कार्यक्रम	100 मिलियन जीबी पाउंड	डी.एफ.आई.डी.
	(2) बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना	203.25 करोड़ रुपये	के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक)
	प्रकट हो रहे अतिसार रोगों के नियंत्रण और निवारण के लिए	11.2 करोड़ रुपए (चरण-I)	जापानी सहायता

राज्य	परियोजना का नाम	राशि	निधीयन एजेंसी
	एन.आई.सी.ई.डी. कोलकाता-जे.आई.सी.ए. सहायता प्राप्त परियोजना	90 करोड़ रुपए (चरण-II)	
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य पद्धति जिसमें उत्तराखण्ड विकास परियोजना शामिल है (3338-करोड़ रुपए)	110.00 अमेरिकी डालर	विश्व बैंक
राजस्थान	राजस्थान स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना (3867 करोड़ रुपए)	89.00 अमेरिकी डालर	विश्व बैंक
तमिलनाडु	तमिलनाडु स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना (4018 करोड़ रुपए)	110.83 अमेरिकी डालर	विश्व बैंक
कर्नाटक	कर्नाटक स्वास्थ्य पद्धति विकास और सुधार परियोजना (4229 करोड़ रुपए)	141.83 अमेरिकी डालर	विश्व बैंक
	कर्नाटक-के.एफ.डब्ल्यू. सहायता प्राप्त माध्यमिक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	13.804 यूरो (चरण-I) 14.3 यूरो (चरण-II)	जर्मन सहायता
उड़ीसा	सरदार बल्लभभाई पटेल बाल चिकित्सा संस्थान कटक का सुधार	83 मिलियन जापानी येन	जापानी सहायता
राष्ट्रीय कार्यक्रम	परिवार नियोजन सेवाओं में नवाचार (आई.एफ.पी.एस. परियोजनाएं)	225 मिलियन अमेरिकी डालर (भारत सरकार को कुल लागत की वचनबद्धता है)	यूएसऐड

विवरण-II

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक आर.सी.एच. नम्य पूल के अन्तर्गत आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
क.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**			
1.	बिहार	123.72	160.91	49.75

1	2	3	4	5
2.	छत्तीसगढ़	32.94	40.62	35.76
3.	हिमाचल प्रदेश	9.21	9.34	10.18
4.	जम्मू-कश्मीर	13.79	15.05	12.22
5.	झारखण्ड	42.17	52.53	44.33
6.	मध्य प्रदेश	95.31	117.11	264.25
7.	उड़ीसा	58.68	71.36	106.25
8.	राजस्थान	86.48	109.57	157.07
9.	उत्तर प्रदेश	251.37	322.43	155.80
10.	उत्तराखंड	14.10	16.31	14.10
	उपयोग	**727.79**	**915.23**	**849.71**
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**			
11.	अरुणाचल प्रदेश	5.68	4.48	11.17
12.	असम	107.46	113.26	159.09
13.	मणिपुर	13.58	10.06	13.64
14.	मेघालय	10.01	10.02	12.97
15.	मिजोरम	14.62	3.90	6.86
16.	नागालैण्ड	8.70	8.39	11.28
17.	सिक्किम	2.89	2.24	3.11
18.	त्रिपुरा	12.86	13.24	17.93
	उपयोग	**175.79**	**165.77**	**236.05**
ग.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**			
19.	आन्ध्र प्रदेश	93.24	113.25	141.34
20.	गोवा	1.70	1.91	1.43
21.	गुजरात	60.05	75.73	61.10
22.	हरियाणा	25.31	31.36	29.82
23.	कर्नाटक	64.27	78.87	64.25

1	2	3	4	5
24.	केरल	39.03	47.59	57.17
25.	महाराष्ट्र	115.09	144.53	62.92
26.	पंजाब	29.43	36.30	29.38
27.	तमिलनाडु	74.58	92.61	78.46
28.	पस्चिम बंगाल	95.13	119.60	117.88
	उपयोग	**597.83**	**741.75**	**643.75**
घ.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**			
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.71	0.61	0.47
30.	चण्डीगढ़	1.00	1.26	0.93
31.	दादरा और नगर हवेली	0.56	0.58	0.34
32.	दमन	0.58	0.56	0.25
33.	दिल्ली	15.98	20.63	14.08
34.	लक्षद्वीप	0.56	0.53	0.16
35.	पांडिचेरी	1.36	1.30	1.26
	उपयोग	**26.47**	**25.47**	**17.49**
	महायोग	1522.16	1848.22	1747.00

[अनुवाद]

पंपा नदी कार्य योजना

5171. श्री सुव्रत बोस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में पंपा नदी की सफाई एवं सुरक्षा के लिए पंपा कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्य योजना की स्थिति क्या है; और

(घ) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने पंपा कार्य योजना को मई 2003 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्र और केरल राज्य सरकार के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी के आधार पर 18.45 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया था। स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है। परियोजना में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा क्रमश: 12.92 करोड़ रु. और 5.53 करोड़ रु. है। केन्द्रीय हिस्से की निधि में से 1.75 करोड़ रु. की राशि केरल सरकार को जारी की जा चुकी है। पंपा कार्य योजना के अंतर्गत कार्यों के बारह घटक अनुमोदित किए गए थे, जो प्रगति के विभिन्न चरणों में है। अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 1.46 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं। केरल सरकार के अनुसार परियोजना को दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

पंपा और सबरीमाला में नदी प्रदूषण उपशमन स्कीम

लागत का सामान्य सार

क्र.सं.	मदें	राशि (लाख रु. में)
1.	सबरीमाला में प्रतिदिन 3 मिलियन लीटर क्षमता के मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना	240.00
2.	तकनीकी रिपोर्ट के लिए पंबा में 1.5 एम.एल.डी. मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना	120.00
3.	सबरीमाला और पंबा में सीवेज संग्रहण टैंक, पम्पिंग सिस्टम और सीवर लाइनें	194.30
4.	पंबा में 300 शौचालयों और सबरीमाला में 400 शौचालयों और 100 स्नानघरों का निर्माण	230.00
5.	सबरीमाला और पंबा में ठोस अपशिष्ट एकत्रण और निपटान व्यवस्थाएं	250.00
6.	सबरीमाला और पंबा में मौजूदा ड्रेन्स का पृथक्करण और नए ड्रेन्स का निर्माण	126.95
7.	सबरीमाला और पंबा में मोबाइल शौचालयों का निर्माण	140.00
8.	पंबा में काका थाडू और उराकुझी तीर्थम में सीवेज के लिए अवरोधन बैरियर	25.00
9.	प्रदूषकों के प्रवाहन के लिए पंबा नदी में एक पंबा नदी और काकी नदी के संगम तक धारा प्रतिकूल एक भण्डारण वीयर का निर्माण और संबद्ध कार्यों, प्रदूषक स्रोत की चार दिवारी और वीयर के निकट जनरेटर के लिए भण्डारण वीयर	86.25
10.	पंबा के स्नानघाट में प्रवेश करने वाले निजुनाजार नदी के प्रदूषकों को रोकने के लिए अरादुकाडू के स्नान घाट में वीयर डाउनस्ट्रीम का निर्माण	18.00
11.	मौजूदा स्नानघाट के सामने पंबा नदी के बायी और नए स्नानघाट और सम्बद्ध कार्य	35.00
12.	जनजागरुकता	20.00
	उप-जोड़ (1 से 12)	**1485.50**
	15 प्रतिशत बढ़ोतरी जोड़ने पर	222.82
	कुल	**1708.32**
	8 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज जोड़ने पर	136.66
	कुल योग	1844.98

अर्थात् 18.45 करोड़ रु.

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बाइपास

5172. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को बाइपासों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केंद्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 222 पर भोकर बाइपास के निर्माण के लिए 938.24 लाख रु. का एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जांचों की दरों में वृद्धि

5173. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विभिन्न जांचों की दरों तथा आई.सी.यू. के लिए शुल्कों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने आई.सी.यू. आदि की विभिन्न जांचों के प्रभारों में वृद्धि नहीं की है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जहां तक आई.सी.यू. प्रभारों का संबंध है उन्हें 1995 से संशोधित नहीं किया गया है। आई.सी.यू. प्रभार केवल निजी वार्ड में भुगतान करने वाले रोगियों पर लगाए जाते है।

(ग) और (घ) इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

परित्यक्त खानों में आग लगने की घटनाएं

5174. श्री उदय सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परित्यक्त खानों के अवैध मुहानों पर कोयले में हाल में लगी आग आसनसोल से नीमचा कोलफील्ड्स तक फैल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कोयले में लगी आग को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) अवैध खनन के कारण दिनांक 4-1-2008 को प. बंगाल में रानीगंज-आसनसोल कोयला बेल्ट के सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत जे.के. नगर आग परियोजना (नीमचा ग्राम के निकट) में आग लग गई थी तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) तथा राज्य प्राधिकारियों द्वारा आग समुचित रूप से बुझा दी गई। नीमचा ग्राम के दक्षिणी ओर एक गड्ढे से धुंआ निकलता हुआ दिखाई पड़ा और गड्ढे को मिट्टी से तत्काल ठसाठस भर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 26-3-2008 को जब अवैध खनन के दौरान भूमिगत गैलरी खोली गई, तो धुंआ/आग को फिर से देखा गया। कोयला किनारा के हाई वाल साइड से बदमाशों द्वारा अवैध भूमिगत गैलरी बना ली गई थी जिसे पूर्व में मट्टी से भर दिया गया था। प्रभावित क्षेत्रों को मिट्टी से तुरंत भर दिया गया और हवा के प्रवेश को रोकने के लिए सुदृढ़ किया गया। इस समय इन क्षेत्रों से कोई आग/धुंए की कोई सूचना नहीं है।

नीघा सीम (आर.-VIII) 20-22 मीटर की गहराई पर नीमचा ग्राम के निकट और इसके चारों ओर उत्पन्न शीर्षस्थ

सीम है जिसे तत्कालीन मालिकों द्वारा भूमिगत खनन के माध्यम से अवैज्ञानिक रूप से खनित किया गया था और राष्ट्रीयकरण से पूर्व भरपूर थी। उथली गहराई के कारण कोयले के अवैध खनन के लिए बदमाशों द्वारा अवैध पिट खोले गए जिसके फलस्वरूप स्वत: उष्मन/आग लगने की घटना हुई जिसका सत्तर के दशक के अंत में पता चला।

(ग) और (घ) 1983 में आरंभ की गई जे.के. नगर आग परियोजना के माध्यम से ई.सी.एल. द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से इस आग से निपटने का प्रयास आरंभ किया गया। नीमचा ग्राम के आसपास गड्ढों और इन्कलाइन मुहानों को मिट्टी से भरा गया तथा डोजर और अन्य हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी से ठसाठस भरकर मजबूत किया गया। वर्ष 1991 में, ई.सी.एल. ने आग से पृथक करने के लिए नीमचा ग्राम के दक्षिणी ओर से खाई खोदने की योजना अनुमोदित की। खाई खोदने का कार्य प्रगति पर है। आगे की कार्रवाई करने के लिए नीमचा ग्राम की ओर आग के विस्तार का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एम.एफ.आर.), धनबाद को भी शामिल किया गया है।

गैस उत्सर्जन के लिए अनुसंधान केन्द्र

5175. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों की तुलना में देश में गैस उत्सर्जन की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार गैस उत्सर्जन के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) विश्व की 16% जनसंख्या के साथ भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विश्व का लगभग 4% है। भारत का उत्सर्जन मान संयुक्त राज्य अमेरिका का 23%, चीन के 30% और यूरोपीय यूनियन-15 का लगभग 37% है।

(ख) और (ग) जलवायु परिवर्तन के विज्ञान पहलुओं के अध्ययन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटोरोलॉजी (आई.आई.टी.एम.), पुणे, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान है, के भाग के रूप में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

पोलियो ड्राप्स की प्रभावशीलता

5176. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री विजय कृष्ण:
श्री गणेश सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कुल कितने बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाई गई; और

(ख) पोलियो ड्राप्स पिलाए जाने के बावजूद भी पोलियो से बच्चों के ग्रसित होने के कितने मामले सामने आए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ऐसे बच्चों, जिन्हें देश में वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान पोलियो ड्राप्स दी गई, की राज्य-वार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 2008 के दौरान 25-4-2008 की स्थिति के अनुसार सूचित किए गए पोलियो के 203 रोगियों में से 201 रोगियों को या तो पोलियो प्रतिरक्षण दौर के दौरान अथवा नेमी रोग प्रतिरक्षण में पोलियो वेक्सिन दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल 2005	कुल 2006	कुल 2007
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66,948	67,171	67,863
2.	आन्ध्र प्रदेश	19,710,212	19,835,021	54,448,325
3.	अरुणाचल प्रदेश	347,841	340,043	329,286

क्र.सं.	राज्य	कुल 2005	कुल 2006	कुल 2007
4.	असम	9,096,815	13,688,485	14,703,725
5.	बिहार	162,173,570	159,471,756	216,633,930
6.	उत्तर प्रदेश	320,071,069	277,758,813	354,967,174
7.	चंडीगढ़	240,622	513,628	528,912
8.	छत्तीसगढ़	6,830,973	6,856,409	10,505,089
9.	दादरा और नगर हवेली	72,285	73,786	116,692
10.	दमन और दीव	40,956	54,555	46,233
11.	दिल्ली	20,901,027	15,536,669	25,184,120
12.	गोवा	257,538	256,709	266,995
13.	गुजरात	18,069,054	27,437,085	35,733,025
14.	हरियाणा	13,751,206	18,720,517	23,079,424
15.	हिमाचल प्रदेश	1,456,800	2,214,877	1,432,906
16.	जम्मू-कश्मीर	3,646,032	3,585,048	4,277,861
17.	झारखंड	24,550,627	21,233,624	19,985,975
18.	कर्नाटक	14,522,398	17,476,592	18,934,852
19.	केरल	5,823,554	5,822,159	5,656,821
20.	लक्षद्वीप	12,447	10,972	11,800
21.	मध्य प्रदेश	23,957,304	43,146,379	33,614,381
22.	महाराष्ट्र	43,406,127	44,944,230	52,767,381
23.	मणिपुर	692,313	674,483	675,272
24.	मेघालय	856,103	853,841	851,437
25.	मिजोरम	228,987	233,552	235,831
26.	नागालैंड	515,998	493,006	535,280
27.	उड़ीसा	9,119,947	9,088,357	15,570,137
28.	पांडिचेरी	194,566	193,163	221,205

क्र.सं.	राज्य	कुल 2005	कुल 2006	कुल 2007
29.	पंजाब	8,615,152	15,350,149	16,422,050
30.	राजस्थान	27,454,517	36,596,157	38,418,603
31.	सिक्किम्	139,734	133,892	131,478
32.	तमिलनाडु	14,556,895	14,397,747	14,260,162
33.	त्रिपुरा	831,869	1,663,567	835,518
34.	उत्तराखंड	8,942,699	7,627,866	9,704,063
35.	पश्चिम बंगाल	52,165,889	45,238,806	24,092,229
	महा योग	813,320,074	811,589,114	993,246,035

[अनुवाद]

एमपी-लैड धनराशि का जारी किया जाना

5177. श्री भाईलाल: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार एमपी लैड धनराशि जारी करने हेतु राज्य/जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर निर्भर करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जारी की गई धनराशि खर्च नहीं करने के लिए जिला प्राधिकरण के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) सां.स्था.क्षे.वि. योजना निधि जिला प्राधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जारी की जाती है।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि. योजना) दिशा-निर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जाती है। सां.स्था.क्षे.वि. योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पहली किस्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाती है बशर्ते कि संबंधित सांसद को पिछले वर्ष की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी हो। सां.स्था.क्षे.वि. योजना निधि की दूसरी किस्त मासिक प्रगति रिपोर्ट में निम्नलिखित को दर्शाने पर जारी की जाती है:-

(i) सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखने के बाद जिला प्राधिकारी के खातों में अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रु. से कम होने पर;

(ii) अव्ययित शेष 1 करोड़ रु. से कम होने पर; और

(iii) जिला प्राधिकारी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र तथा पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष में संबंधित सांसद को जारी निधि का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नर्मदा नदी के लिए प्रदूषण नियंत्रण योजना

5178. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के

अंतर्गत नर्मदा नदी हेतु मध्य प्रदेश के मांडला, जबलपुर, होसंगाबाद आदि जिलों में कोई प्रदूषण नियंत्रण योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना के लिए धनराशि जारी कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (छ) मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर और मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 138.25 लाख रुपये की राशि से जबलपुर के लिए नदी तट विकास, शवदाहगृह, अल्प लागत शौचालय, वनीकरण और जनभागीदारी नामक पांच स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी के आधार पर होशंगाबाद के लिए 1299.00 लाख रुपये की लागत पर अवरोधत एवं दिशापरिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्र, कैचमेंट क्षेत्र शोधन, जनभागीदारी, नदी तट विकास, अल्प लागत शौचालय आदि नामक प्रदूषण निवारण कार्य मंजूर किए गए है। राज्य सरकार से मन्डला शहर का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर और होशंगाबाद के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 129.73 लाख रुपये और 195.00 लाख रुपये की केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-92 का विकास तथा रखरखाव

5179. **डा. राम लखन सिंह**: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-92 के विकास तथा रखरखाव के लिए शुरू किए गए कार्य का परियोजना-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य के कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब तक परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी तथा खर्च की गई है;

(घ) क्या इस राष्ट्रीय मार्ग पर कार्य धीमी गति से चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) कार्यान्वयन एजेंसियों सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 92 के विकास और अनुरक्षण के लिए किए गए कार्यों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग/परियोजना-वार। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए 1022.65 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें से 991.67 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) दो कार्यों की प्रगति ठेकेदार की गलती के कारण धीमी है। कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को नोटिस दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 92 के विकास और अनुरक्षण के लिए किए गए कार्यों के ब्यौरे

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	लंबाई किमी.	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	ठेके के अनुसार कार्य प्रारंभ होने की तिथि	ठेके के अनुसार कार्य पूरा होने की तिथि/लक्ष्य तिथि	स्थिति	कार्यान्वयन एजेंसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2005-06	रा.रा.-92 के किमी. 0.0 से 9.0 में सड़क गुणता सुधार	9.00	2.87	04-05-2005	03-02-2006	पूर्ण	उत्तर प्रदेश राज्य लो.नि.वि.
2.	2006-07	रा.रा.-92 के किमी. 9, 12 से 14 और 19/500 से 27/660 में आवधिक नवीकरण कार्य	12.16	1.39	12-11-2006	25-04-2007	पूर्ण	मध्य प्रदेश राज्य लो.नि.वि.
3.	2006-07	रा.रा.-92 के किमी. 67/2, 73/4, 75/4, 77/4, 80/4, 76/4 में 6 आर-पार जल निकासी (सीडी) का निर्माण कार्य	आर-पार जल निकासी (सीडी) कार्य	1.47	20-11-2006	19-08-2007/ 29-06-2008	प्रगति पर	
4.	2006-07	रा.रा.-92 के किमी. 61/10, 62/8 और 65/6 में सीडी के पुनिर्निर्माण सहित 57-58 किमी. में दो लेन बनाना	10.40	4.90	21-03-2007	20-06-2008	प्रगति पर	
5.	2006-07	रा.रा.-92 के किमी. 79 से 88 में चौड़ीकरण	10.00	4.91	21-03-2007	11-08-2008	प्रगति पर	

6.	2007-08	रा.रा.-92 के किमी. 10 से 19/550 और 27/600 से 32 में आवधिक नवीकरण कार्य	11.95	1.15	30-11-2007	15-03-2008	पूर्ण	
7.	2007-08	रा.रा.-92 के किमी. 1 से 8 में आवधिक नवीकरण कार्य	7.70	0.93	30-11-2007	15-03-2008	पूर्ण	
8.	2007-08	रा.रा.-92 के किमी. 0.00 से 11.400 तक मध्यम लेन कैरिजवे को दो लेन का बनाना और किमी. 11.400 से 17.670 और 24.0 से 25.0 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	18.67	10.34	22-12-2007	21-12-2008	प्रगति पर	उत्तर प्रदेश राज्य लो.नि.वि.
9.	2007-08	रा.रा.-92 के किमी. 49.000 से 55.100 में विद्यमान मध्यम लेन कैरिजवे को दो लेन का बनाना और सुदृढ़ीकरण	6.10	5.80	22-02-2008	21-11-2008	प्रगति पर	

[अनुवाद]

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय भंडार खोला जाना

5180. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय भंडार खोले जाने की मांग लंबे समय से लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र में केन्द्रीय भंडार खोलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार अथवा केन्द्रीय भंडार के विचारार्थ लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिब्बत के संबंध में भारत-चीन समझौता

5181. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिब्बत के मुद्दे पर भारत ने चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन मुद्दों पर समझौता हुआ है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) 29 अप्रैल, 1954 को भारत और जनवादी गणराज्य चीन ने "भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार एवं सम्पर्क पर जनवादी गणराज्य चीन तथा भारत गणराज्य के बीच करार" पर हस्ताक्षर किए। इस करार का उद्देश्य भारत एवं चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार तथा सांस्कृतिक सम्पर्क को बढ़ावा देना और चीन एवं भारत के लोगों हेतु यात्रा तथा तीर्थाटन की सुविधा प्रदान करना था। यह करार 1962 में समाप्त हो गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन में बाधाएं

5182. **श्री बालासाहेब विखे पाटील:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्य सरकारों के समक्ष समस्याएं आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने जनसंख्या के विशेषकर निर्धन तथा असुरक्षित वर्गों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की शुरुआत की है। एन.आर.एच.एम. ने सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग सृजित की है। राज्यों ने ओ.पी.डी. और अंतरंग रोगी सेवाओं के उपयोग तथा औषधों, नैदानिक सेवाओं और रेफरल प्रबंधों समेत गंभीर इनपुट्स की उपलब्धता में सुधार होने की सूचना दी है। सरकार ने क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत कार्य ढांचे के जरिए एन.आर.एच.एम. को प्रचालित किया है जिसे सभी स्टेकहोल्डरों तथा विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करने के उपरांत अंतिम रूप दिया गया था। राज्यों की सतत और पूर्व सक्रिय हस्तग्राहता एन.आर.एच.एम. की भावना में अंतर्निहित है और सभी राज्य मिशन के कार्यान्वयन के प्रति उत्साहपूर्ण अनुक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत परिकल्पित संरचनात्मक सुधार राज्यों की समग्र क्षमता पर निर्भर करते हैं। महत्वपूर्ण मानव संसाधनों की कमी, दूर-दराज के और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाओं सहित सहायक सेवाओं की सीमित उपलब्धता जैसी मूल कठिनाइयों पर एन.आर.एच.एम. एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय हेतु प्रस्ताव

5183. **श्री सुबोधेश्वर प्रसाद सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड राज्य सरकार से राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) झारखंड सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बोकारो इस्पात एजूकेशनल ट्रस्ट, बोकारो, झारखंड की ओर से बोकारो में नए मेडिकल कालेज की स्थापना करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें झारखंड सरकार की सिफारिश शामिल थी। उसे मूल्यांकन तथा संस्तुतियों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को अग्रेषित किया गया है। मेडिकल कालेज की स्थापना विनियम, 1999 में दी गई समय अनुसूची के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी किए जाने की अंतिम तारीख हर वर्ष 15 जुलाई है।

[अनुवाद]

सी.आई.एल. के पुनर्गठन हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

5184. श्री अनन्त नायक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के पुनर्गठन के लिए स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) सरकार ने कोयला क्षेत्र में सुधारों का स्वरूप सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसने सितम्बर, 2007 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) रिपोर्ट में उल्लिखित विस्तृत सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

समिति ने नए कोयला भंडारों को स्थापित करने के लिए अन्वेषण के प्रयासों को बढ़ाने; मध्यावधि और दीर्घावधि अनुमानित मांग के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि करने; विद्युत जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए ईंधन आपूर्ति और परिवहन करार को अनिवार्य बनाने; सख्त मानीटरिंग तंत्र के साथ अनुमानित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर पर्यावरणीय, वानिकी और खनन अनुमोदनों की प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने; तेल क्षेत्र की नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अनुरूप कोयला के लिए अन्वेषण-एवं-खनन पट्टा लागू करने, उत्सर्जन के मुद्दे का समाधान करने के लिए उत्पादन और खपत के चरण में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने; उच्चतर निवेश स्तरों से जुड़े निर्णय लेने के लिए उन्हें सुसाध्य बनाने हेतु पी.एस.यू. कोयला कंपनी बोर्डों की प्रत्यायोजित शक्तियों को बढ़ाने; गो तथा "नो गो" क्षेत्रों की पहचान करने के लिए वनभूमि के पुनः श्रेणीकरण सहित गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का पुनरीक्षण करने, खान को उचित तरीके से बंद करने तथा खनित क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने; कोयला क्षेत्र के लिए विनियामक तंत्र गठित करने; सी.आई.एल. का पुनर्गठन करने; कोयला क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन की समीक्षा करने; प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर फोकस करते हुए कामगार और मशीनरी की उत्पादकता में सुधार लाने, भूमिगत खनन को बढ़ावा देने; कोयले के जी.सी.वी. आधारित मूल्य निर्धारण और ग्रेडिंग को अपनाने; कोयले की धुलाई को बढ़ावा देने; रेलवे टैरिफ को यौक्तिकृत करने; अनुसंधान और विकास पर अधिक बल देने; यू.सी.जी., सी.बी.एम., सी.एम.एम., सी.टी.एल. आदि जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु बजटीय आवंटन

5185. श्री मणि चारेनामै: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय हेतु कितना बजटीय प्रावधान किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु राज्य-वार और योजना-वार कितनी निधियां आवंटित की गयी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण और परिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.) के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य-वार कितने क्षेत्र में पौधारोपण किया गया; और

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु कितने गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए किया गया बजटीय प्रावधान वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए क्रमशः 1388.19 करोड़ रुपये, 1520.14 करोड़ रुपये और 1539.00 करोड़ रुपये है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया राज्यवार और स्कीमवार निधि आवंटन विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में पौधरोपण के लिए लिया गया क्षेत्र विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए चुने गए गैर-सरकारी संगठनों की वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में संख्या क्रमशः 75, 41 और 40 गैर-सरकारी संगठन है।

विवरण-I

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का विकास	अरुणाचल प्रदेश	144.84	78.60	125.00
		असम	193.20	161.79	82.00
		मणिपुर	101.03	96.96	105.00
		मेघालय	59.30	36.20	64.00
		मिजोरम	221.28	136.06	169.00
		नागालैण्ड	1.50	16.38	19.00
		सिक्किम	118.84	140.37	150.00
		त्रिपुरा	0.00	31.60	36.00
2.	बायोस्फिर रिजर्व	असम	39.84	13.80	25.00
		अरुणाचल प्रदेश	16.09	37.77	35.00
		मेघालय	34.53	0.00	30.00
		सिक्किम	49.72	58.43	59.00
3.	मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स और वैटलैण्ड्स का प्रबंधन एवं संरक्षण	असम	0.00	82.08	50.00

1	2	3	4	5	6
		मणिपुर	0.00	0.00	30.00
		त्रिपुरा	0.00	0.00	
		मिजोरम	0.00	17.92	53.00
4.	हाथी परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	71.50	61.00	45.00
		असम	40.00	75.00	125.00
		मेघालय	30.00	61.55	50.00
		मिजोरम	0.00	0.00	
		नागालैण्ड	48.00	52.45	30.00
		त्रिपुरा	0.00	0.00	
5.	बाघ परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	172.41	237.00	110.00
		असम	86.48	87.43	96.00
		मिजोरम	65.15	115.16	83.00
		त्रिपुरा	50.00	0.00	
6.	इन्टीग्रेटिड फोरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	अरुणाचल प्रदेश	274.66	191.68	308.00
		असम	400.00	190.26	496.00
		मणिपुर	128.80	395.18	143.00
		मेघालय	80.00	150.00	86.00
		मिजोरम	300.00	229.71	414.00
		नागालैण्ड	54.00	337.72	365.00
		सिक्किम	0.00	141.70	121.00
		त्रिपुरा	16.00	162.91	99.00
7.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	अरुणाचल प्रदेश	289.00	293.00	500.00
		असम	550.00	1360.00	1000.00
		मणिपुर	630.00	778.00	1200.00
		मेघालय	518.00	544.00	500.00

1	2	3	4	5	6
		मिजोरम	1006.00	1309.00	1500.00
		नागालैण्ड	537.00	722.00	1000.00
		सिक्किम	643.00	741.00	1000.00
		त्रिपुरा	427.00	437.00	500.00
8.	ग्रेगैरीयस फ्लावरिंग मौली बम्बू	अरुणाचल प्रदेश	10.00	65.00	50.00
		असम	325.00	0.00	600.00
		मणिपुर	241.00	303.40	300.00
		मेघालय	171.00	0.00	350.00
		मिजोरम	300.00	1033.20	650.00
		नागालैण्ड	210.00	421.90	100.00
		त्रिपुरा	525.00	606.50	630.00

विवरण-II

(हैक्टेयर क्षेत्र में)

क्र.सं.	राज्य	05-06	06-07*	07-08
1.	अरुणाचल प्रदेश	1940	0.00	5705
2.	असम	2940	0.00	15660
3.	मणिपुर	500	0.00	12295
4.	नागालैंड	0.00	0.00	10640
5.	सिक्किम	0.00	0.00	6045
6.	त्रिपुरा	0.00	0.00	8350
7.	मिजोरम	0.00	0.00	16150
8.	मेघालय	0.00	0.00	8075

*वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत परियोजना के अग्रिम कार्य वर्ष 2007-08 के आंकड़ों में शामिल हैं।

लोअर पेनगंगा को पर्यावरणीय स्वीकृति

5186. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से यवतमाल में लोअर पेनगंगा परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) द्वारा सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में लोअर पेनगंगा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की जांच की गई थी और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर इस परियोजना को मई, 2007 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कौशल विकास बोर्ड हेतु प्रस्ताव

5187. श्री एस.के. खादवेनथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय कौशल विकास बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं; और

(ग) उक्त बोर्ड की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सरकार दक्षता विकास कारपोरेशन की स्थापना करने की कार्रवाई कर रही है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008 में निम्नानुसार उल्लेख किया है:

"101 आज, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार और कार्यान्वयन कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। मेरा इन क्षेत्रक-विशिष्ट कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। तथापि, मिशन मोड में विश्वस्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना एक बाध्यकारी आवश्यकता है जो विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करने की चुनौती का समाधान करेगी। मिशन की संरचना और नेतृत्व, दोनों, इस प्रकार के होने चाहिए कि कार्यक्रम को पूरे देश को कवर करने के लिए शीघ्रता से उन्नत किया जा सके। अत: मैं एक अलाभकारी निगम की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और मिशन को उस निगम को सौंपता हूं। मेरा इरादा सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, एवं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये पूंजी के रूप में इकट्ठे करने का है। मैं प्रस्तावित अलाभकारी निगम को सरकारी इक्विटी के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से शुरू करूंगा।"

श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क को खोला जाना

5188. श्री नवीन जिन्दल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क को व्यापार के लिए खोले जाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 24 मार्च, 2008 के "द एशियन ऐज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अप्रैल, 2005 में हुई भारत की यात्रा के दौरान श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग पर व्यापार एवं ट्रक सेवा सहित नियंत्रण रेखा के आर-पार तालमेल और सहयोग को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय करने पर सहमत हुए थे।

(ग) लोगों का लोगों के साथ संपर्कों को बढ़ावा देने के अलावा इस कदम से उत्पादों को बाजार तक ले जाने में सुधार होगा।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान

5189. श्री नरहरि महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान के अंतर्गत वर्ष 2008-09 हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरण के क्षेत्र में कितना सुधार आने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरणीय जागरुकता के उद्देश्यों से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान नामक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया जाता है। इस अभियान में गैर-सरकारी संगठनों, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयी, अनुसंधान संस्थानों, महिलाओं और युवा संगठनों, सैनिक यूनिटों, सरकारी विभागों आदि के जनजागरुकता पैदा करने के कार्यों के आयोजना और आगे कार्रवाई करने के लिए नाममात्र वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) राज्यवार कोई निश्चित राशि आवंटित नहीं की गई है। पूरे देश के लिए अनुमानित राशि लगभग 6.00 करोड़ रुपये है।

(ग) इन कार्यों के परिणामस्वरूप आम जनता के बीच जागरुकता स्तर बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

रतनजोत का रोपण

5190. श्री राकेश सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार का नर्सरी एवं रतनजोत के रोपण संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2006-07 में नर्सरी और बागानों में रतनजोत पौद उगाने के लिए 67.81 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा था। बायोडीजल राष्ट्रीय मिशन के प्रदर्शन चरण के अनुमोदन के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, जो इस समय मंत्रियों के ग्रुप के पास विचारार्थ है। तथापि, भारत सरकार ने नर्सरियों में रतनजोत उगाने के प्रयोजनार्थ वर्ष 2006-07 में मध्य प्रदेश सरकार को 9 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

[अनुवाद]

अस्पतालों को आपस में जोड़ने की योजना

5191. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों को आपस में जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अस्पतालों को कब तक आपस में जोड़ दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दूर चिकित्सा पहलों के भाग के रूप में कुछ राज्य सेवा प्रदानगी, अविच्छिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा, टेलि डायग्नोस्टिक्स आदि के लिए सूचना आधारित नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं।

तथापि, सरकार की देश में मुख्य सरकारी अस्पतालों को अन्तःसंबद्ध करने की कोई योजना नहीं है।

हज यात्रियों की चिकित्सा सुविधाओं हेतु धनराशि

5192. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हज यात्रियों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सहायता हेतु आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) हज यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मद/वर्ष	हज 2006-I (1426-एच)	हज 2006-II (1427-एच)	हज 2007 (1428-एच)
भारत से दवाओं और आपूर्तियों की लागत (रु.)	112,80,780	115,67,449	123,47,485
सऊदी अरब में क्रय की गई दवा और आपूर्तियों की लागत (समतुल्य रु. में)	3,48,837	3,61,446	3,26,087
सऊदी अरब में खरीद किए गए नए एंबुलेंसों की लागत (समतुल्य रु. में)	66,62,651	–	61,30,435
कुल (रु.)	182,92,268	119,28,895	188,04,007

(ख) भारत सरकार हज यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध करती है और प्रत्येक वर्ष उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। वह भारतीय हज समिति के माध्यम से सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था करती है और उनके लिए आवास एवं अन्य संभारतंत्रीय सहायता की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाती है। हज व्यवस्थाओं के प्रभावकारी प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए, हज अवधि के दौरान भारत के प्रधान कोंसलावास, जद्दा द्वारा बड़ी संख्या में आवधिक स्थानीय कर्मियों, पर्यवेक्षकों, डाटा-एंट्री आपरेटरों, चालकों और संदेशवाहकों की नियुक्ति की जाती है। हज 2007 के लिए अल्पावधिक प्रतिनियुक्ति पर भारत से 115 डॉक्टरों (स्नातकोत्तर डिग्री वाले 63 विशेषज्ञों सहित) और 141 नर्स और अन्य परा-चिकित्सकीय कर्मियों, 3 समन्वयकों, 46 सहायक हज अधिकारियों, 165 हज सहायकों और 186 खादिमुल हुज्जाज का एक दल सऊदी अरब भेजा गया था। भारत का प्रधान कोंसलावास, जद्दा द्वारा मक्का और मदीना में स्थापित सामुदायिक केन्द्रों में हज यात्रियों को व्यापक चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। पिछले वर्ष के 60 शय्याओं वाले प्रवेश की सुविधा को उन्नत करके मक्का में 75 शय्या और मदीना में 15 शय्या वाले प्रवेश की सुविधा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, हज यात्रियों के लिए मक्का में 12 और मदीना में 6 शाखा कार्यालय-सह-औषधालय स्थापित किए गए। जद्दा हवाई अड्डे पर हज यात्रियों को चौबीसों घंटे चिकित्सकीय देखभाल प्रदान करने के लिए तीन चिकित्सा दल तैनात किए गए थे। इन औषधालयों और अस्पतालों में दी गई दवाओं की आपूर्ति भारत से की गई तथा उनकी स्थानीय खरीद की गई। पिछले वर्ष हाजियों की सेवा में 17 एंबुलेंसों को लगाया गया था। इनमें से 7 एंबुलेंसों की संस्वीकृति वर्ष 2006 की गई थी और वर्ष 2007 में 8 अतिरिक्त एंबुलेंस प्रदान किए गए थे जिससे हजयात्रियों की चिकित्सा सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई। 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी हज यात्रियों के मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रणाली का अनुपालन किया जाता है ताकि संबंधित हज यात्री द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके। सरकार हज यात्रियों के लिए पोलियो, मेनिन्जाइटिस और इन्फ्लूएंजा के टीकाकरण के लिए भारत में भी व्यवस्था करती है। भारतीय हज समिति हज यात्रियों को उनके सीटों की पुष्टि, यात्रा दस्तावेज, परिवहन, आवास, विदेशी मुद्रा जारी करने, उड़ान स्थल और प्रस्थान की तिथि इत्यादि से संबंधित सूचना प्रदान करती है। सरकार ने निजी टूर संचालकों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए ऐसे कई निर्णय लिए हैं ताकि वे हज यात्रियों के लिए समुचित सेवा और सुविधाएं प्रदान करें।

वेदांत एल्युमिनियम संयंत्र हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति

5193. श्री तथागत सत्पथी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने उड़ीसा में लंजीगढ़ स्थित एल्युमिनियम संयंत्र के विस्तार हेतु वेदांत को वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वन सलाहकार समिति द्वारा अक्तूबर, 2006 में उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले में उड़ीसा खनन निगम के पक्ष में लांजीगढ़ बाक्साइट खानों में, बाक्साइट खनन के लिए 660.749 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर उपयोग हेतु प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिशों को अनुमोदित किया जा सका क्योंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है।

मंत्रालय में एलुमिना रिफाइनरी के विस्तार [1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम.टी.पी.ए.) से 6.0 एम.टी.पी.ए.] के लिए पोस्ट ओफिस लांजीगढ़, जिला कालाहांडी, उड़ीसा में मेसर्स वेदांत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और जन सुनवाई/परामर्श का आयोजन करने के लिए उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 के अनुसार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) मसौदा तैयार करने के लिए मार्च, 2008 में विचारार्थ विषय प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रस्तावकों से जन सुनवाई/ अंतिम ई.आई.ए./ई.एम.पी. परामर्श के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों को शामिल करने और पर्यावरणीय मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए इसे मंत्रालय को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

सरिस्का के बाघों हेतु कार्यबल का गठन

5194. श्री हितेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के सरिस्का वन में बाघ संकट का अध्ययन करने हेतु सरकार द्वारा गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरिस्का से बाघों के स्थानीय रूप से विलुप्त होने के परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 17-3-2005 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर देश में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक बाघ कार्यबल गठित किया गया था। उक्त कार्य बल ने दिनांक 5-8-2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाघ कार्यबल की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) अभिशासन के संस्थानों को पुनःशक्ति प्रदान करना।

(ii) बाघ संरक्षण के प्रति शुरू किए गए कार्यों का सशक्तिकरण, अवैध शिकार को रोकना, वन्यजीव अपराधियों को दोष सिद्ध करना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क को समाप्त करना।

(iii) इन क्षेत्रों में मानव दबाव को कम करके बाघों के लिए अखंड स्थानों का विस्तार।

(iv) जो लोग बाघ पर्यावासों में रह रहे हैं उनके लिए सह-अस्तित्व की रणनीतियां बनाकर संबद्ध सुधारना।

(v) वन, जल और लोगों की घास भूमि अर्थव्यवस्था में निवेश करके बाघों के सुरक्षात्मक एन्क्लेव्स के सीमान्त क्षेत्रों में वन पर्यावासों का पुनरूद्धार करना।

(ग) बाघ कार्य बल की सिफारिशें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

बाघ कार्य बल की सिपारिशों पर की गई कार्रवाई:-

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए सशक्त प्रावधान मुहैया कराने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का संशोधन किया गया है।

2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिनांक 4-09-2006 को किया गया है।

3. एक बहुविध बाघ और अन्य संकट्टापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन दिनांक 6-6-2007 को किया गया है।

4. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।

5. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधियन सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों का पुनर्वास/पुनस्थापन, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में आजीविका को सही करना और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवक्रमण करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

6. बाघ कार्य बल द्वारा समर्पित संशोधित, वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय बाघ आकलन पूरा किया गया है।

7. विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बाघ रिजर्वों के लिए किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन का इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सिज (आई.यू.सी.एन.) द्वारा समीक्षा की गई है। रिपोर्ट और समीक्षा को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

8. ऐसे क्षेत्रों से पुनस्थापन के लिए प्राथमिकता वाले गांवों के निकट पहचान किए गए/अधिसूचित बाघ रिजर्वों में कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास को बाघों के लिए बाधा रहित बनाना।

9. राज्यों को रिक्तियों को भरने हेतु एडवाजरीज जारी की गई है।

10. (क) उग्रवाद जनित व्यवधानों से प्रभावित बाघ रिजर्वों के लिए रिजर्व विशिष्ट कार्यनीति, और

(ख) बाघ रिजर्वों से संबंधित मानीटरिंग प्रक्रिया का परिष्करण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जनता में इसके प्रसार के लिए गठित समितियों से रिपोर्टें प्राप्त की गई।

इसरो द्वारा ग्राम संसाधन केन्द्रों की स्थापना

5195. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश में ग्राम संसाधन केन्द्रों (वी.आर.सी.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अब तक देश में 385 ग्राम संसाधन केंद्रों की स्थापना की है। इनका राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश-34; असम-12; बिहार-19; दिल्ली-2; गुजरात-15; झारखंड-26; कर्नाटक-46; केरल-21; मध्य प्रदेश-23; महाराष्ट्र-19; मेघालय-1; नागालैंड-7; उड़ीसा-44; राजस्थान-20; तमिलनाडु एवं पुडुचेरी-37; उत्तराखंड-17; उत्तर प्रदेश-28; पश्चिम बंगाल-10 और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह-41।

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों में कृषि, पशुधन, मछली पालन, भूमि और जल संसाधन प्रबंध पर परामर्शिता; कौशल विकास; व्यावसायिक प्रशिक्षण; स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवाएं और अनुपूरक शिक्षा शामिल हैं, जिससे अंततः जीवन स्तर में सुधार होगा।

अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों में उन्नत प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

5196. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम के रूप में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उद्देश्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) विकसित देशों की तुलना में अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों में उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की स्थिति क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आई.आर.एस. और इन्सैट उपग्रह प्रणालियों के उपयोग की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- देश में सभी स्तरों पर शिक्षा का प्रसार करने हेतु उपग्रह-आधारित दूर-शिक्षा कार्यक्रम।
- सुदूर/ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपग्रह-आधारित दूर-चिकित्सा।
- ग्रामीण समुदाय को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्राम संसाधन केंद्रों की स्थापना।
- प्रसारण, व्यापार संचार, आंकड़ा संचार, सुदूर क्षेत्र संचार, आपातकालीन संचार और मोबाइल संचार के लिए उपग्रह-आधारित सेवाएं।
- उन्नत मौसम संबंधी सेवाओं के लिए उपग्रह-आधारित मौसमविज्ञानीय आंकड़े।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंध अनुप्रयोग - परती भूमि का मानचित्रण, पेय जल के स्रोत का पता लगाना, कृषि की उपज का पूर्वानुमान, मत्स्य की संभाव्यता वाले क्षेत्रों के बारे में परामर्शिता, वन का प्रबंधन, देश के जैव समृद्ध क्षेत्रों की जैव-विविधता की विशेषता का निर्धारण, हिम गलन अपवाह का आकलन, भूमि और जल संसाधन का विकास।

(ग) भारतीय प्रमोचक राकेट और उपग्रह संबंधी प्रौद्योगिकियां अत्याधुनिक हैं तथा ये विकसित देशों की प्रौद्योगिकियों के बराबर हैं।

विदेशों में मिशनों तथा वाणिज्य दूतावासों का खोला जाना

5197. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न देशों में नए भारतीय मिशन तथा वाणिज्य दूतावासों को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन देशों में इन मिशनों को खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन मिशनों तथा वाणिज्य दूतावासों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) सरकार ने बमाको (माली), नियामेय (नाइजर), गुआटेमाला सिटी (गुआटेमाला) और रिक्जाविक (आइसलैंड) में भारतीय राजदूतावास खोलने का निर्णय लिया है।

(ग) ये राजदूतावास 2008-09 के दौरान कार्य करना आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

स्कूलों और कॉलेजों की खेल अवसंरचना हेतु अनुदान

5198. श्री रशीद मसूद: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों तथा कॉलेजों को खेल के मैदानों के विकास तथा खेल सामग्री की खरीद के लिए अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदान किए गए अनुदान का स्कूल-वार, कॉलेज-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान

अनुदान प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ङ) "खेल उपस्कर की खरीद तथा खेल मैदान के विकास हेतु ग्रामीण स्कूलों को अनुदान" तथा "विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में खेलों का संवर्धन" सहित केन्द्र प्रायोजित खेल अवसंरचना योजनाएं 1-4-2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गयी थीं। योजना आयोग द्वारा दी गयी छूट के अनुसार 31-3-2007 तक केवल प्रतिबद्ध दायित्वों पर विचार किया जा रहा था। पूर्व खेल अवसंरचना योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए 2007-2008 के दौरान कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। 2006-2007 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों तथा कॉलेजों/विश्वविद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) को प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2006-07 के लिए खेल उपस्कर की खरीद तथा खेल मैदान के विकास हेतु ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत जारी की गयी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2006-2007	
		जारी की गयी धनराशि (लाख रु. में)	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.30	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0
3.	असम	0.00	0
4.	बिहार	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0
6.	दिल्ली	0.00	0
7.	गोवा	0.00	0
8.	गुजरात	0.00	0
9.	हरियाणा	0.75	2
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0
12.	झारखण्ड	0.00	0
13.	कर्नाटक	0.30	1
14.	केरल	1.06	3
15.	मध्य प्रदेश	0.92	3
16.	महाराष्ट्र	3.02	9
17.	मणिपुर	0.00	0
18.	मेघालय	0.00	0
19.	मिजोरम	0.00	0
20.	नागालैण्ड	0.00	0
21.	उड़ीसा	3.75	12
22.	पंजाब	0.00	0
23.	राजस्थान	0.00	0
24.	सिक्किम	0.00	0
25.	तमिलनाडु	0.00	0
26.	त्रिपुरा	0.00	0
27.	उत्तर प्रदेश	2.42	8
28.	उत्तराखंड	0.00	0
29.	पश्चिम बंगाल	2.76	8
30.	संराज्ञे-अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0
31.	चण्डीगढ़	0.00	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0

1	2	3	4
33.	लक्षद्वीप	0.00	0
34.	दमन व दीव	0.00	0
35.	पाण्डिचेरी	0.00	0
	कुल	15.28	47

2006-07 के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत जारी की गयी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2006-2007	
		जारी की गयी धनराशि (लाख रु. में)	विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0
3.	असम	0.00	0
4.	बिहार	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0.20	1
6.	गोवा	0.00	0
7.	गुजरात	0.00	0
8.	हरियाणा	3.775	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0
11.	झारखण्ड	0.00	0
12.	कर्नाटक	47.20	5
13.	केरल	0.00	0
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	22.53	8
16.	मणिपुर	0.00	0
17.	मिजोरम	0.00	0
18.	मेघालय	0.00	0
19.	नागालैण्ड	0.00	0
20.	उड़ीसा	0.80	3
21.	पंजाब	19.64	3
22.	राजस्थान	0.30	1
23.	तमिलनाडु	61.25	5
24.	त्रिपुरा	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	10.60	4
26.	उत्तराखंड	0.60	2
27.	पश्चिम बंगाल	0.60	2
28.	दिल्ली @	43.20	1
29.	संराक्षे-चंडीगढ़	0.00	0
	कुल	210.695	36

[अनुवाद]

पोस्को को पर्यावरणीय स्वीकृति

5199. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में इस्पात खनन हेतु कोरियाई इस्पात कंपनी पोस्को को भूमि पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस स्थान और क्षेत्र को इसके दायरे में लिया जाएगा;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत भूमि का कोई भाग वन क्षेत्र में पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो पर्यावरणीय स्वीकृति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्थानीय लोगों पर वन कटाव के प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) आज की तारीख तक दक्षिण कोरिया कारपोरेशन की मैसर्स पास्को, से इस्पात बनाने के लिए कच्चे लोहे के खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) मैसर्स पास्को इंडिया, उड़ीसा प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स पास्को इंडिया) द्वारा पारदीप के पास कुजंग, जगत सिंह पुर, उड़ीसा में 400 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए 4.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम.टी.पी.ए.) एकीकृत आयरन एवं इस्पात प्लांट स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 की शर्तों पर जुलाई, 2007 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत मई, 2007 में भी एक मंजूरी दी गई है। मैसर्स पास्को इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना के लिए कुल 4,004 एकड़ भूमि अर्जित की गई है, जिसमें से 3,097 एकड़ वन भूमि है। कंपनी ने इस वन भूमि के अंतरण के लिए आवेदन किया है।

(ङ) और (च) वन सलाहकार समिति द्वारा अगस्त, 2007 में उसी तारीख को प्रस्ताव पर वन मंजूरी के लिए विचार किया गया था और मामला उसी तारीख से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है। परियोजना के लिए सामाजिक प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना सहित प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक

5200. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की देशवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी कार्य स्थिति की निगरानी हेतु कोई तंत्र विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अंतर्गत इस मंत्रालय के प्रसासनिक नियंत्रण के अधीन उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय, उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी के 17 देशों में उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी में रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवासी भारतीय कामगारों को उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करते हैं। गत् तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति दिए गए ऐसे उत्प्रवास के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। विदेशों में कार्य कर रहे लगभग 90 प्रतिशत खाड़ी देशों में है। खाड़ी देशों में कामगारों की कुल संख्या का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय मिशनों और इस मंत्रालय में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विदेशों में, खास तौर पर खाड़ी देशों और मलेशिया आदि में भारतीय उत्प्रवासियों के सम्मुख आने वाली मुख्य समस्याएं मौटे तौर पर निम्नलिखित से संबंधित होती है:

- वेतन का भुगतान न करना/कम करना/देर से करना
- आश्वासित काम पर न लगाना
- काम करने की प्रतिकूल परिस्थितियां
- उचित चिकित्सा सुविधाओं का न दिया जाना
- रहन-सहन की खराब परिस्थितियां आदि।

भारतीय कामगारों के काम करने की परिस्थितियों की

निगरानी करने और उनके संरक्षण और कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(1) पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें गंभीर मामलों में उनका पंजीकरण प्रमाण-पत्र/लाइसेंस निलम्बित और रद्द किया जाता है।

(2) अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के मामले में शिकायतों को संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों/उत्प्रवास संरक्षी को उत्प्रवास अधिनियम 1983 की धारा 10 तथा समुचित कानून के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने और कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।

(3) विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में, ऐसे विदेशी नियोक्ता को पूर्व अनुमोदन श्रेणी (काली सूची) में रखा जाता है और परिणामस्वरूप उन्हें भारत से कामगारों की भर्ती की अनुमति नहीं होती है।

(4) विभिन्न कारणों से भारतीय कामगार के रहने को अवैध घोषित किए जाने के मामले में, भारतीय मिशन उनके वहां रहने को विनियमित कराने अथवा उनकी सुरक्षित भारत वापसी के लिए मामले को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं।

(5) यदि निर्वासन अपेक्षित है तो यह मंत्रालय उनकी सुरक्षित भारत वापसी को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मिशनों, राज्य सरकार के प्राधिकारियों, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करता है।

(6) मेजबान देशों द्वारा भारतीय कामगारों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ और अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नवम्बर, 2007 में कतर के साथ 1985 में हुए करार को अद्यतन बनाने के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसे समझौता ज्ञापन बहरीन, ओमान और यमन के साथ किए जा रहे हैं। ये समझौता ज्ञापन और करार श्रम और रोजगार में सहयोग के लिए एक व्यापक संरचना प्रदान करते हैं और साथ ही प्रवासी भारतीय कामगारों के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए एक प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र के रूप में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त कार्यकारी समूहों की भी व्यवस्था करते हैं।

(7) उत्प्रवास प्रक्रियाओं के बारे में कामगारों को शिक्षित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया दोनों में व्यापक प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2005 से 2007 तक के लिए भारत से विभिन्न देशों में श्रमिकों के वार्षिक पलायन का ब्यौरा

क्रमांक	देश	2005	2006	2007
1.	संयुक्त अरब अमीरात	194412	254774	312695
2.	सऊदी अरब	99897	134059	195437
3.	मलेशिया	71041	36500	30916
4.	कतर	50222	76324	88483
5.	ओमान	40931	67992	95462

क्रमांक	देश	2005	2006	2007
6.	कुवैत	39124	47449	48467
7.	बहरीन	30060	37688	29966
8.	मालदीव	3423	4671	इ.सी.एन.आर.
9.	मॉरिशस	1965	1795	इ.सी.एन.आर.
10.	जोर्डन	1851	1485	1254
11.	लिबिया	–	–	3223
	अन्य	15945	14175	3550
	योग	548853	676912	809453

विवरण-II

खाड़ी देशों में कामगार

बहरीन	2,60,400
कतर	2,00,000
ओमान	3,84,961
कुवैत	5,49,080
संयुक्त अरब अमीरात	1,40,000
सऊदी अरब	14,25,252
कुल	42,19,693

[हिन्दी]

राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

5201. श्री महावीर भगोरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं;

(ख) क्या योजना आयोग ने इन योजनाओं की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इस समीक्षा का क्या परिणाम निकला; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार कितनी धनराशि जारी की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (घ) राजस्थान में वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान कार्यान्वित की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों की सूची और उल्लिखित तीन वर्षों के दौरान उनके कार्यान्वयन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त की गई निधियों की स्कीम-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक स्कीम के कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के भाग के रूप में ऐसी स्कीमों हेतु मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया तंत्र तैयार किया गया है। राज्य के वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की योजना आयोग द्वारा समीक्षा भी की जाती है। राज्य की वार्षिक योजना 2008-09 को अन्तिम रूप देने के लिए राजस्थान के संबंध में इस प्रकार का विचार विमर्श हाल ही में, जनवरी, 2008 में किया गया था।

विवरण

वार्षिक योजना 2004-05, राजस्थान

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष/उपशीर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (राज्य सरकार द्वारा सूचित)
1	2	3
I.	**कृषि एवं संबद्ध सेवाएं**	
i.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	231.25
ii.	आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.	2000.00
iii.	राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	45.00
iv.	कार्य योजना	1697.95
2.	**बागवानी विकास**	
i.	कार्य योजना	573.77
ii.	मानव संसाधन विकास	1.99
3.	**मृदा संरक्षण**	
क.	**वाटर शैड (पनढाल) विकास के माध्यम से**	
i.	वर्षा जल सिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय-वाटर शैड विकास कार्यक्रम	4949.94
ii.	राजस्थान राज्य भूमि एवं जल उपयोग बोर्ड	7.28
ख.	**वन विभाग के माध्यम से**	
i.	नदी घाटी परियोजना-चंबल, दंतीवाड़ा और कड़ाना	830.50
ii.	नदी घाटी परियोजना - साहिबी/बनस	855.00
4.	**पशुपालन**	
i.	ए.एस.सी.ए.डी.	204.42
ii.	पशुधन उत्पादन आकलन हेतु प्रतिदर्श सर्वेक्षण	57.04

1	2	3
iii.	पशु चिकित्सा परिषद	32.50
iv.	भसी कीट संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	20.00
v.	पशुधन गणना	240.00
vi.	अस्थिपंजन उपयोग का विकास	258.75
5.	**मछली पालन**	
i.	अंतर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी विकास	17.35
ii.	स्वच्छ जल एक्वाकल्चर विकास	6.75
iii.	राष्ट्रीय मछुआरों के कल्याण संबंधी स्कीम	10.00
6.	**बानिकी**	
i.	बाघ परियोजना-रंथमबोर	241.06
ii.	बाघ परियोजना-सरिस्का	98.64
iii.	घाना पक्षी अभ्यारण्य का विकास	67.46
iv.	डेजर्ट नेशनल पार्क	38.78
v.	अन्य अभ्यारण्य का रख-रखाव	200.55
vi.	सांभर झील परियोजना	84.66
vii.	समेकित वन संरक्षण स्कीम	37.50
7.	**को-आपरेशन**	
i.	स्पिनफेड (एन.सी.डी.सी.) लोन	1055.97
ii.	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए स्कीम	309.79
iii.	कार्य योजना	78.00
II.	**ग्रामीण विकास**	
1.	**स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना**	
i.	एस.जी.एस.वाई.	2941.56
ii.	एस.जी.एस.वाई.-ग्रामीण हाट सहित विशेष परियोजना	628.89
iii.	आई.जी.पी.आर.एस.आर.डी.आई. (एस.आई.आर.डी.)	37.06
2.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	11004.17

1	2	3
3.	एस.जी.आर.वाई.	14564.97
4.	समेकित अनुपयोगी भूमि विकास परियोजना	2121.18
5.	सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	1573.77
6.	सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम	6650.00
7.	काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम	3532.69
8.	**भूमि सुधार**	
क.	**कृषि गणना**	31.00
ख.	**राजस्व बोर्ड**	
i.	फसल आकलन-फल एवं सब्जी का सर्वेक्षण	15.25
9.	इंदिरा आवास योजना	4876.07
10.	डी.आर.डी.ए.-प्रशासन	1412.21
11.	डब्ल्यू.सी.डी.-आई.डब्ल्यू.ई.पी.	25.00
III.	**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**	
1.	कृषि गणना-कम महत्व वाली सिंचाई सांख्यिकी को तर्कसंगत करना	8.08
2.	सी.ए.डी. (संपूर्ण)	4152.00
V.	**उद्योग एवं खनिज**	
1.	**उद्योग विभाग**	
i.	लघु उद्योगों की गणना-डाटा संग्रहण/निरीक्षण/आकलन	35.00
ii.	हाउसिंग एवं वर्कशेड	51.71
iii.	एच.एल. कपड़ों की बिक्री का कमीशन	38.12
iv.	प्रवर्तन (स्थापना)	23.41
v.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	89.82
vi.	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	43.37
vii.	एच.एल. बुनकरों हेतु नवीन बीमा	2.61
2.	**आर.आई.आई.सी.ओ.**	
i.	विकास केन्द्र का विकास	800.00

1	2	3
ii.	ई.पी.आई.पी. नीमराना	458.60
VII.	**परिवहन-पी.डब्ल्यू.डी.**	
i.	पी.एम.जी.एस.वाई.	64855.17
VIII.	**वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान**	
i.	राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	40.60
ii.	केप परियोजना	11.31
IX.	**आर्थिक सेवाएं**	
क.	**आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग**	
i.	फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन केन्द्र आकलन हेतु समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना	31.46
ii.	फसल सांख्यिकी का सुधार	18.11
iii.	आर्थिक गणना	190.37
ख.	**पर्यटन**	
i.	पर्यटक स्थलों का विकास	1184.35
ii.	सूचना प्रौद्योगिकी	12.50
X.	**सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं**	
क.	**शिक्षा**	
1.	प्राथमिक शिक्षा	
i.	अक्षम बच्चों हेतु समेकित शिक्षा	27.58
ii.	छाबड़ा परियोजना (पी.आई.ई.डी.)	15.02
iii.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.)	1505.01
2.	माध्यमिक शिक्षा	
i.	अंग्रेजी युक्त शिक्षा	6.00
ii.	शिक्षा में एडवांस स्टडी/शिक्षकों के लिए शिक्षण केन्द्र की स्थापना	106.91
iii.	अक्षम बालकों हेतु संयुक्त शिक्षा (आई.ई.डी.सी.)	24.95
3.	भाषा एवं पुस्तकालय विभाग	5.00

1	2	3
4.	महाविद्यालयीन शिक्षा - रा.से.यो.	200.00
5.	खेल कूद विभाग	20.73
ख.	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**	
1.	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं**	
i.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	835.23
ii.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	25.00
iii.	राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम	222.29
iv.	राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (वस्तुओं के रूप में)	64.93
v.	मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष	101.00
vi.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपचार इकाइयां	116.80
2.	**जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण**	
	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	17898.76
3.	**आयुर्वेद कार्यक्रम**	
i.	शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी का सशक्तिकरण	55.00
ii.	ड्रग्स परीक्षण प्रयोगशाला	20.00
iii.	ड्रग्स/दवाईयों की खरीद	5.57
iv.	आवश्यक ड्रग्स/दवाईयों की सुदूर क्षेत्रों हेतु खरीद	382.00
v.	प्राइवेट महाविद्यालयों को अनुदान	12.93
ग.	**जल आपूर्ति एवं निकास**	
i.	सामान्य ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	20402.58
ii.	रेगिस्तान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	8847.90
iii.	ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. (शहरी)	886.51
iv.	अन्य-ग्रामीण	4530.83
v.	अनुसंधान एवं निरीक्षण सेल	24.22

1	2	3
घ.	**शहरी विकास**	
1.	**नगरीय योजना**	
i.	छोटे एवं मझोले नगरों का समेकित विकास	697.62
ii.	निरीक्षण एवं योजना सेल (एन.सी.आर.)	10.65
2.	**स्थानीय निकाय**	
i.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	256.29
ङ.	**श्रम एवं श्रमिक कल्याण**	
1.	**रोजगार**	
i.	शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों हेतु विशेष रोजगार सेल	9.07
ii.	रोजगार विभाग में शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों हेतु विशेष सेल	46.57
2.	**अनुबंधित श्रमिक**	1.00
च.	**पिछड़े वर्गों का कल्याण**	
1.	**अनुसूचित जाति कल्याण-शिक्षा**	
i.	मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	1220.91
ii.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां उन छात्रों को जिनके अभिभावक असवच्छ व्यवसायों में कार्यरत हों	63.88
iii.	नागरिक अधिकार अधिनियम का संरक्षण	200.00
2.	**अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-शिक्षा**	
i.	मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	1792.57
3.	विशेष अवयव योजना हेतु एस.सी.ए.	2366.68
छ.	**सामाजिक कार्यक्रम** - तरुण न्यायिक अधिनियम	11.95
ज.	**पोषण**-आई.सी.डी.एस.	11863.17
झ.	**सामान्य सेवाएं**	
i.	पुलिस आधुनिकीकरण	700.00
ii.	जेल-कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण	1954.50
iii.	न्यायिक सूचना प्रौद्योगिकी	40.45
iv.	नागरिक सुरक्षा	135.42

वार्षिक योजना 2005-06, राजस्थान

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष/उपशीर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (राज्य सरकार द्वारा सूचित)
1	2	3
I.	**कृषि एवं संबद्ध सेवाएं**	
1.	**कृषि विभाग**	
i.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	392.87
ii.	आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.	2840.00
iii.	ए.टी.एम.ए.	231.00
iv.	कार्य योजना	2592.53
v.	अन्य छोटी योजनाएं	4.68
3.	**मृदा संरक्षण**	
i.	एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.	3515.42
4.	**पशुपालन**	
i.	ए.एस.सी.ए.डी.	267.04
ii.	पशुधन उत्पादन आकलन हेतु प्रतिदर्श सर्वेक्षण	64.11
iii.	पशु चिकित्सा परिषद	17.50
iv.	भूसी कीट संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	30.00
v.	पशुधन गणना	6.00
5.	**मछली पालन**	
i.	अंतर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी विकास	17.92
ii.	स्वच्छ जल एक्वाकल्चर विकास	3.75
iii.	राष्ट्रीय मछुआरों कल्याण स्कीम	27.20

1	2	3
iv.	मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार	1.80
6.	**वानिकी**	
i.	बाघ परियोजना-रंथमबोर	142.05
ii.	बाघ परियोजना-सरिस्का	127.00
iii.	घाना पक्षी अभ्यारण्य का विकास	15.50
iv.	डेजर्ट नेशनल पार्क का विकास	16.50
v.	अन्य अभ्यारण्य का रख-रखाव	172.81
vi.	सांभर झील परियोजना	4.00
vii.	समेकित वन संरक्षण स्कीम	100.00
ख.	मृदा संरक्षण क्षेत्रक	1862.25
7.	**राजस्थान सहकारी डेयरी संघ**	406.99
8.	**को-आपरेशन**	
i.	स्पिनफेड (एन.सी.डी.सी.) लोन	614.46
ii.	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए स्कीम	666.23
II.	**ग्रामीण विकास**	
1.	**स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना**	
i.	एस.जी.एस.वाई.	4131.73
ii.	आई.जी.पी.आर.एस.	35.11
2.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	13190.19
3.	एस.जी.आर.वाई.	17945.03
4.	समेकित अनुपयोगी भूमि विकास परियोजना	2401.66
5.	सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	1712.38
6.	सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम	7100.00
7.	काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम	7866.58
8.	भूमि सुधार	20.75
9.	कृषि गणना	

1	2	3
i.	राजस्व बोर्ड	600.00
ii.	भूमि अभिलेख - कम्प्यूटरीकरण	1332.20
iii.	फसल अनुमान - फलों एवं सब्जियों का सर्वेक्षण	11.50
10.	पी.यू.आर.ए.	130.00
11.	इंदिरा आवास योजना	6589.94
12.	एन.ई.आर.ई.जी.एस.	3982.11
13.	मध्याह्न भोजन	11776.18
14.	डी.आर.डी.ए.-प्रशासन	1340.93
15.	पंचायती राज विभाग	132.00
16.	डब्ल्यू.सी.डी. - आई.डब्ल्यू.ई.पी.	180.00
III.	**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**	
1.	कृषि गणना-कम महत्व वाली सिंचाई सांख्यिकी को तर्कसंगत करना	10.90
2.	सी.ए.डी. (संपूर्ण)	2000.64
IV.	**उद्योग एवं खनिज**	
i.	लघु उद्योगों की गणना-डाटा संग्रहण/निरीक्षण/आकलन	8.90
ii.	संकुल विकास	5.00
iii.	कर्मशाला व आवास	26.63
iv.	एच.एल. वस्त्र बिक्री आयोग	71.53
v.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	109.97
vi.	एच.एल. बुनकरों हेतु नवीन बीमा	2.81
vii.	डी.सी. के माध्यम से योजना (हथकरघा/हस्तशिल्प)	7.50
viii.	शिफ्ट फंड स्कीम	1.50
V.	**परिवहन**	
i.	अंतर राज्यीय सड़क	728.00
ii.	पी.एम.जी.एस.वाई.	42514.00
iii.	कृषि विपणन बोर्ड	

1	2	3
VI.	**वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान**	
i.	वैज्ञानिक सेवा एवं अनुसंधान	12.92
ii.	एस.डी.ई.डी. परियोजना	2.42
VII.	**आर्थिक सेवाएं**	
क.	**आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग**	
i.	फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन केन्द्र आकलन हेतु समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना	36.00
ii.	फसल सांख्यिकी का सुधार	13.50
iii.	आर्थिक गणना	277.15
ख.	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**	
i.	उपभोक्ता जिला मंच और राज्य आयोग का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	45.00
ग.	**पर्यटन**	
i.	पर्यटक स्थलों का विकास	2282.07
ii.	सूचना प्रौद्योगिकी	21.98
VIII.	**सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं**	
क.	**शिक्षा**	
1.	**प्रारंभिक शिक्षा**	
i.	विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	12.80
ii.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - डी.ई.आई.टी.	2412.69
iii.	एस.आई.ई.आर.टी. का सुदृढ़ीकरण	22.00
2.	**माध्यमिक शिक्षा**	
i.	अंग्रेजी एकीकृत शिक्षा एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर	6.00
ii.	एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चे (आई.ई.डी.सी.)	49.55
iii.	संस्कृत पढ़ने वाले उच्चतर और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति पुरस्कार	84.80
iv.	अंग्रेजी के लिए जिला केन्द्र	2.50
v.	एस.सी./एस.टी. की योग्यता का उन्नयन	24.43

1	2	3
vi.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	500.00
vii.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	11.85
3.	**अभिलेखागार**	7.50
4.	**पुरातत्व एवं संग्रहालय**	
i.	क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालय सुदृढ़ीकरण की योजना	18.75
5.	**महाविद्यालय शिक्षा** - ए.एस.एस./राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	269.00
ख.	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**	
1.	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं**	
i.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	654.12
ii.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	17.00
iii.	राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (वस्तुओं के रूप में)	42.18
iv.	मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष	100.00
v.	औषधी परीक्षण प्रयोगशाला	4.00
2.	**जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण**	14442.84
3.	**आयुर्वेद विभाग**	
i.	शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी का सशक्तिकरण	325.00
ii.	आवश्यक ड्रग्स/दवाईयों की सुदूर क्षेत्रों हेतु खरीद	171.25
iii.	पुर्नविमूखीकरण कार्यक्रम	4.66
iv.	आई.एस.एम. एण्ड एच. स्कंध	910.00
v.	राज्य गुणवत्ता नियंत्रण में सशक्तीकरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	10.43
ग.	**जल आपूर्ति एवं निकास**	
i.	सामान्य ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	35891.34
ii.	रेगिस्तान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	12594.00
iii.	ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. (शहरी)	31.77
iv.	अनुसंधान एवं निरीक्षण सेल	26.21

1	2	3
v.	ग्रामीण जलापूर्ति, सूखा के कारण	650.00
vi.	अन्य	373.11
ङ.	**शहरी विकास**	
1.	**नगरीय योजना**	
i.	छोटे एवं मझोले नगरों का समेकित विकास	392.78
2.	**स्थानीय निकाय**	
i.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	495.38
छ.	**पिछड़े वर्गों का कल्याण**	
1.	**अनुसूचित जातियों का कल्याण**	
i.	मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्तियां	1508.34
ii.	मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों हेतु पुस्तक कोश	17.50
iii.	उन विद्यार्थियों के लिए जिनके माता पिता अस्वच्छ पेशों से जुड़े हुए हैं को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	31.94
iv.	नागरिक अधिकार अधिनियम का संरक्षण	70.00
v.	कालेज स्तर के भवनों का निर्माण	96.75
2.	**जनजातियों का कल्याण - शिक्षा**	
i.	मौट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1261.97
ii.	नागरिक अधिकार अधिनियम का संरक्षण	17.00
3.	**अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**	
i.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	235.24
4.	विशेष घटक योजना के लिए एस.सी.ए.	3328.75
ज.	**सामाजिक कल्याण** - किशोर - न्याय अधिनियम	47.02
ण.	**पोषाहार** - आई.सी.डी.एस.	14150.82
IX.	**सामान्य सेवाएं**	
i.	पुलिस का आधुनिकीकरण (प्रकार सहित)	2565.97
ii.	नागरिक सुरक्षा	105.00

वार्षिक योजना 2006-07, राजस्थान

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विकास शीर्ष/उपशीर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (राज्य सरकार द्वारा सूचित)
1	2	3
I.	**कृषि एवं संबद्ध सेवाएं**	
1.	**कृषि विभाग**	
i.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	548.11
ii.	आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.	2934.50
iii.	कार्य योजना	3155.68
iv.	अन्य छोटी योजनाएं	170.76
2.	**बागवानी**	
i.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	3837.93
ii.	लघु सिंचाई कार्यक्रम	3881.36
3.	**मृदा संरक्षण**	
i.	एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.	3275.80
4.	**पशुपालन**	
i.	ए.एस.सी.ए.डी.	257.00
ii.	पशुधन उत्पादन आकलन हेतु प्रतिदर्श सर्वेक्षण	56.25
iii.	पशु चिकित्सा परिषद	25.00
iv.	आर.पी. सर्वे पेस्ट परियोजनाएं	15.00
v.	चारा एवं आहार प्रदर्शन	33.00
5.	**मछली पालन**	
i.	अंतर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी विकास	44.05

1	2	3
ii.	स्वच्छ जल एक्वाकल्चर विकास	9.07
iii.	राष्ट्रीय मछुआरों का कल्याण स्कीम	31.36
iv.	मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार	6.95
6.	**वानिकी**	
क.	**वानिकी विभाग द्वारा**	
i.	बाघ परियोजना-रंथमबोर	126.54
ii.	बाघ परियोजना -सरिस्का	50.06
iii.	घाना पक्षी अभ्यारण्य का विकास	44.73
iv.	डेजर्ट नेशनल पार्क का विकास	21.53
v.	अन्य अभ्यारण्य का रख-रखाव	141.40
vi.	सांभर झील परियोजना	61.45
vii.	समेकित वन संरक्षण स्कीम	100.07
ख.	मृदा संरक्षण क्षेत्रक	2405.99
7.	**राजस्थान सहकारी डेयरी संघ**	70.50
8.	**कार्पोरेशन**	
i.	स्पिनफेड (एन.सी.डी.सी.) लोन	189.90
ii.	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए स्कीम	2377.70
iii.	गुदामों के निर्माण हेतु ऋण	1733.74
9.	राजस्थान राज्य भूमि विकास लिमिटेड	1090.69
II.	**ग्रामीण विकास**	
1.	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना	3784.99
2.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	15720.91
3.	एस.जी.आर.वाई.	15960.83
4.	समेकित अनुपयोगी भूमि विकास परियोजना	4276.31
5.	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	2582.22

1	2	3
6.	सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम	6131.19
7.	भूमि सुधार	
8.	कृषि गणना	34.00
ख.	राजस्व बोर्ड	
i.	भूमि अभिलेख - कम्प्यूटरीकरण	414.00
ii.	फसल अनुमान - फल और सब्जी सर्वेक्षण	11.00
8.	इंदिरा आवास योजना	6617.51
9.	एन.ई.आर.ई.जी.एस.	76161.00
10.	मध्याह्न भोजन	19087.03
11.	डी.आर.डी.ए.-प्रशासन	1467.05
12.	पंचायती राज विभाग	300.00
13.	डब्ल्यू.सी.डी. - आई.डब्ल्यू.ई.पी.	200.00
III.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	
1.	कृषि गणना - कम महत्व वाली सिंचाई सांख्यिकी को तर्कसंगत करना	19.42
2.	सी.ए.डी. (संपूर्ण)	1143.79
IV.	उद्योग एवं खनिज	
i.	लघु उद्योगों की गणना - डाटा संग्रहण/निरीक्षण/आकलन	40.07
ii.	एच.एल. वस्त्र बिक्री आयोग	125.55
iii.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	135.28
iv.	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	40.45
v.	एच.एल. बुनकरों के लिए नई बीमा	0.92
vi.	तौल और माप	30.00
vii.	औद्योगिक क्षेत्र पुसकेड़ा को एन.एच.-8 और चौपांकी को एस.एच.-25 को जोड़ने वाली लिंक रोड का सुधार	750.00
V.	परिवहन	
i.	अंतर राज्यीय सड़क	667.00

1	2	3
ii.	पी.एम.जी.एस.वाई.	104592.00
VI.	**वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान**	
i.	राज्य परिषद	32.77
ii.	वैज्ञानिक सेवा एवं अनुसंधान	18.59
VII.	**आर्थिक सेवाएं**	
क.	**आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग**	
i.	फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन केन्द्र आकलन हेतु समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना	40.50
ii.	फसल सांख्यिकी का सुधार	14.00
iii.	आर्थिक गणना	40.95
ख.	**पर्यटन**	
i.	पर्यटक स्थलों का विकास	712.06
ii.	पर्यटक सूचना और प्रचार	23.00
VIII.	**सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं**	
क.	**शिक्षा**	
1.	**प्राथमिक शिक्षा**	
i.	विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	39.69
ii.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - डी.ई.आई.टी.	1847.50
2.	**माध्यमिक शिक्षा**	
i.	अंग्रेजी एकीकृत शिक्षा एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर	5.00
ii.	अध्यापक शिक्षा हेतु शिक्षा/केन्द्र में उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना	272.26
iii.	अंग्रेजी के लिए जिला केन्द्र	9.58
iv.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	37.05
4.	**महाविद्यालय शिक्षा**	
i.	ए.एस.एस.	264.00
7.	**खेल-कूद विभाग**	
i.	झालावाड़ स्टेडियम	31.79

1	2	3
ii.	युवा होस्टल	3.20
iii.	कुचामन सिटी (नागौड़)	14.00
iv.	उवगार्ड स्कूल	0.05
ख.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	
i.	मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोश	100.00
2.	जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण	
क.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	
1.	ए.एन.एम. का प्रशिक्षण केन्द्र	778.74
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	64.13
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	597.17
4.	ग्रामीण उप केन्द्र	9394.85
5.	बिस्तरों का जीवाणुनाशन	1.48
6.	निदेश एवं प्रशासनिक	1665.99
7.	प्रकार	1582.67
3.	आयुर्वेद विभाग	
i.	आवश्यक ड्रग्स/दवाईयों की सुदूर क्षेत्रों हेतु खरीद	864.75
ii.	निजी कालेजों को सहायता अनुदान	12.00
iii.	पुर्नविमूखीकरण कार्यक्रम	6.66
iv.	राज्य गुणवत्ता नियंत्रण में सशक्तीकरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2.84
ग.	जल आपूर्ति एवं निकास	
i.	सामान्य ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	37140.16
ii.	रेगिस्तान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	10794.94
iii.	ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. (शहरी)	788.96
iv.	ग्रामीण जलापूर्ति, सूखा के कारण	500.00

1	2	3
v.	अन्य	4049.62
ङ.	**शहरी विकास**	
1.	**नगरीय योजना**	
i.	छोटे एवं मझोले नगरों का समेकित विकास	336.79
ii.	अयोजना और निगरानी सेल (एन.सी.आर.)	11.01
2.	**स्थानीय निकाय**	
i.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	852.93
च.	**श्रम एवं कल्याण**	
1.	फैक्टरियां एवं ब्वालयर	10.33
2.	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (आई.टी.आई.)	96.72
छ.	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**	
	पिछड़े वर्गों का कल्याण	
ज.	**अनुसूचित जातियों का कल्याण**	
i.	मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्तियां	3804.48
ii.	सफाई करने वाले के बच्चों को छात्रवृत्तियां	103.31
iii.	सिविल अधिकार अधिनियम की सुरक्षा	7.87
iv.	लड़कों के लिए होस्टल बिल्डिंग का निर्माण	167.40
2.	**अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा**	
i.	मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्तियां	2976.22
ii.	लड़कों के लिए होस्टल बिल्डिंग का निर्माण	62.75
iii.	लड़कियों के लिए होस्टल बिल्डिंग का निर्माण	17.50
iv.	सिविल अधिकार अधिनियम की सुरक्षा	13.13
v.	कालेज स्तर पर हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण	96.75
3.	**अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**	
i.	मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्तियां	351.80

1	2	3
4.	विशेष घटक योजना के लिए एस.सी.ए.	4048.51
5.	समाज कल्याण	
i.	जुवेनाईल - जस्टिस एक्ट	15.36
ii.	जनजाति क्षेत्र विकास	
i.	टी.आर.आई. स्कीम को चलाना	27.26
ii.	पी.टी.जी. का विकास	12.50
iii.	पोषाहार - आई.सी.डी.एस.	23527.25
IX.	सामान्य सेवाएं	
i.	जेल आधुनिकीकरण	763.83
ii.	पुलिस का आधुनिकीकरण (प्रकार सहित)	2857.17
iii.	नागरिक सुरक्षा	70.43

[अनुवाद]

पक्षी अभयारण्य तथा झीलों में पानी की कमी

5202. श्री के.एस. राव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर राजस्थान में पक्षी अभयारण्यों, झीलों तथा उद्यानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अभयारण्यों, झीलों तथा उद्यानों को पर्याप्त पानी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अधिकांशत: सभी पक्षी अभ्यारण्य, झीलें और उद्यान, पानी के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। वृष्टिपात में उत्तार-चढ़ाव के कारण जल उपलब्धता समय-समय पर बदलती रहती है। तथापि, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर किसी राज्य/संघ शासित सरकार ने पक्षी अभयारण्यों में पानी की कमी की सूचना नहीं दी है।

(ग) भारत सरकार, जल आपूर्ति में वृद्धि करने सहित सुरक्षित क्षेत्रों और झीलों के संरक्षण और विकास को लक्षित विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों- राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत राज्य/संघ शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर की नमभूमि प्रकृति को बनाए रखने के लिए, वर्ष भर लगभग 550 मिलियन घन फीट जल की आवश्यकता होती है। जैसा कि राजस्थान की राज्य सरकार ने सूचित किया है, उद्यान की नमभूमि प्रकृति को, चिकसाना नहर और अजान बांध से लगभग 200 मिलियन घन फीट जल और प्रस्तावित गोवर्धन ड्रेन परियोजना से लगभग 350 मिलियन घन फीट जल को उपयोग में लाकर रख रखाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धौलपुर-भरतपुर चम्बल पेय जल परियोजना से उद्यान को शुरुआती चार वर्षों में लगभग 310 मिलियन घन फीट जल प्रति वर्ष और चार वर्षों के बाद 62.5 मिलियन घन फीट के लगभग जल उपलब्ध कराया जायेगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सेवा योजना

5203. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाएं राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एन.एस.एस.) योजना कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ख) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एन.एस.एस. योजना के अंतर्गत छात्रों द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा एन.एस.एस. योजना के अंतर्गत कार्य कराने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धनराशि जारी करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं और देश में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने में इस योजना की उपलब्धि क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) एन.एस.एस. कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रों द्वारा शुरू किए गए कार्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सम्पर्क मार्गों का मरम्मत/निर्माण, स्वास्थ्य और सफाई, एच.आई.वी./एड्स के संबंध में जागरूकता अभियान, किशोरों से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन, समग्र विकास के लिए गांवों/गंदी बस्तियों को अपनाना, प्रतिरक्षण, चिकित्सा जांच शिविर, साक्षरता कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं।

(ग) योजना का दिशा-निर्देश एन.एस.एस. मैनुअल में प्रकाशित हो चुका है जो देश में एन.एस.एस. के सभी यूनिटों में उपलब्ध है।

(घ) राष्ट्रीय सेवा योजना इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास और स्कूलों और कालेजों में छात्र-युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और एन.एस.एस. का संचालन विश्वविद्यालय/कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर होता है।

(ङ) निधि जारी करने के लिए मानदंड उसी वर्ष के लिए स्वयंसेवकों की आबंटित संख्या और पूर्व लेखों के समायोजन पर आधारित होता है। वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि 48.67 करोड़ रु. है।

विवरण

राज्य	एन.एस.एस. वाले विश्वविद्यालय	एन.एस.एस. वाले कालेज	एन.एस.एस. वाले बोर्डस/परिषद्/ तकनीकी शिक्षा निदेशालय	एन.एस.एस. वाले स्कूल	एन.एस.एस. वाले संस्थानों की संख्या
1	2	3	4	5	6
गुजरात	17	419	2	757	8
दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	0	2	1	3	1
दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	8	1
कर्नाटक	9	754	4	1325	211

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	7	599	1	641	12
छत्तीसगढ़	3	262	1	695	2
उड़ीसा	10	1253	1	16	37
पंजाब	6	361	1	498	53
हिमाचल प्रदेश	3	136	1	232	6
जम्मू-कश्मीर	3	65	1	22	3
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	2	29	–	38	3
तमिलनाडु	34	1018	4	1780	248
पांडिचेरी	1	29	1	78	5
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	2	0	0	0
दिल्ली	7	57	1	170	10
हरियाणा	8	410	1	440	10
हिमाचल प्रदेश	1	11	1	34	4
असम	5	469	1	–	12
मणिपुर	0	60	2	36	2
मेघालय	1	32	1	4	0
मिजोरम	0	23	0	35	3
नागालैंड	1	34	7	6	1
त्रिपुरा	1	23	1	211	3
आंध्र प्रदेश	15	2987	269	0	269
राजस्थान	12	458	2	771	25
पश्चिम बंगाल	13	310	1	153	2
सिक्किम	–	1	1	54	2
उत्तर प्रदेश	17	950	14	365	57

1	2	3	4	5	6
उत्तराखंड	6	108	2	244	17
बिहार	9	307	00	स्कूल स्तर पर शुरू नहीं किया गया	0
झारखंड	3	75	0	स्कूल स्तर पर शुरू नहीं किया गया	1
महाराष्ट्र	20	1780	3	237	110
गोवा	1	27	1	72	0
केरल	8	393	3	584	51
लक्षद्वीप	0	0	1	2	0
कुल	223	13444	63	9511	1169

पर्यावरणीय कानूनों की समीक्षा

5204. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों और पत्तनों के आधुनिकीकरण के मद्देनजर पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता वापस लेने सहित मौजूदा पर्यावरणीय कानूनों में बदलाव करने का है, जैसाकि दिनांक 07 मार्च, 2008 के "दि मिंट" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यावरण संबंधी कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा क्या कारण बताए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विकासात्मक परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियां, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत प्रदान की जाती हैं जिसे पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में विभिन्न गतिविधियां सूचीबद्ध हैं जिनमें मद संख्या 7(क) पर विमानपत्तन और मद संख्या 7(ङ) पर पत्तन और बंदरगाह शामिल हैं और अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। आज तक विमानपत्तनों के आधुनीकीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के संदर्भ में कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) में दिये गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.आर.एस. अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

5205. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान आज तक भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और उनकी सहायक सेवाओं के कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उनकी सेवाओं के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इन सेवाओं में भ्रष्टाचार बदस्तुर जारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पिछले कलैंडर वर्ष के दौरान और मार्च, 2008 तक प्रथम स्तर की सलाह हेतु भारतीय प्रसासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय राजस्व सेवा तथा उनकी सहायक सेवाओं के 250 मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग ने 77 मामलों में भारी शास्ति की कार्यवाही, 26 मामलों में लघु शास्ति की कार्यवाही करने तथा 33 मामलों में अभियोजन चलाने की सलाह दी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न तंत्रों जैसे नियमित अंतरालों पर विभिन्न संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ मीटिंग करके तथा मासिक रिपोर्टों के माध्यम से लगातार सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता प्रबंधन से संबंधित स्थिति की समीक्षा करता है। जब भी प्रणाली संबंधी कोई कमी, आयोग के ध्यान में आती हैं जिस कमी की वजह से लोक सेवकों द्वारा धोखेबाजी अथवा भ्रष्ट गतिविधियों की संभावना होती है तो ऐसी खामियों को दूर करने और प्रभावी सतर्कता प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। व्यक्तिगत मामलों में जांच-पड़ताल के परिणाम पर निर्भर करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधि और/अथवा सुसंगत अनुशासनिक नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उद्यानों/अभयारण्यों/संरक्षित वनों का रख-रखाव

5208. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य/ संरक्षित वन खराब अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को विभिन्न राज्यों से अभयारण्यों/राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों आदि के विकास और रख-रखाव के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) देश में 658 संरक्षित क्षेत्र हैं। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों का है। समूची स्थिति को निर्धारित करने के लिए देश में सभी सुरक्षित क्षेत्रों के व्यवस्थित और वृहत्त मूल्यांकन की कोई सूचना नहीं है। तथापि, अत्यधिक जैवीय हस्ताक्षेपों के कारण, भारत में बड़ी संख्या में संरक्षित क्षेत्र दबाव में है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार, वार्षिक प्रचालन योजना के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत, वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य/ संघ शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर, निधियों की उपलब्धता और अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त पर कार्रवाई की जाती है। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, III, IV में दिया गया है। इसी प्रकार गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली को जारी की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध IV पर है। चालू वित्त वर्ष, अर्थात् 2008-09 के दौरान, 'बाघ परियोजना' स्कीम के अंतर्गत केवल सिमलीपाल बाघ रिजर्व, उड़ीसा और पेंच बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विवरण-I

केन्द्र प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63.55	57.75	82.86
आंध्र प्रदेश	104.245	143.238	168.06
अरुणाचल प्रदेश	144.845	78.602	125.05
असम	193.205	161.79	81.78
बिहार	–	10.50	4.00
चंडीगढ़	–	–	0.00
छत्तीसगढ़	359.817	377.863	379.20
दादरा और नगर हवेली	20.00	14.50	11.78
गोवा	14.40	5.00	31.59
गुजरात	275.93	328.675	332.08
हरियाणा	24.20	60.45	70.03
हिमाचल प्रदेश	283.8380	261.56	233.32
जम्मू-कश्मीर	113.50	173.68	221.54
झारखण्ड	124.90	98.54	98.13
कर्नाटक	474.9931	490.582	630.64
केरल	284.5412	362.115	493.574
मध्य प्रदेश	613.553	759.46	800.92
महाराष्ट्र	241.68	223.855	331.33
मणिपुर	10103	96.986	105.89
मेघालय	59.30	38.20	64.88
मिजोरम	221.28	136.066	169.46

1	2	3	4
नागालैंड	1.50	16.38	19.11
उड़ीसा	325.649	340.855	357.08
पंजाब	–	3.00	0.00
राजस्थान	192.62	207.665	347.24
सिक्किम	118.84	140.376	159.22
तमिलनाडु	197.20	205.24	274.64
त्रिपुरा	–	31.60	36.00
उत्तर प्रदेश	345.63	290.38	332.36
उत्तराखंड	85.65	100.12	76.67
पश्चिम बंगाल	313.9437	357.225	356.22
दिल्ली	19.50	–	0.00
दमन और द्वीव			4.721
कुल	5319.34	5572.252	6399.36

विवरण-II

केन्द्र प्रायोजित स्कीम "बाघ परियोजना" के अंतर्गत जारी निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

बाघ रिजर्व रेंज राज्यों के नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	68.7926	46.675	73.92
अरुणाचल प्रदेश	172.418	237.3725	10.25
असम	86.4896	87.431	95.61
बिहार	6.4918	69.9554	98.32
छत्तीसगढ़	24.3343	110.00	35.23

1	2	3	4
कर्नाटक	453.2246	286.277	1159.71
केरल	116.1708	109.00	153.24
झारखण्ड	164.1784	1155.967	45.16
मध्य प्रदेश	777.2676	197.942	2975.94
महाराष्ट्र	334.19	238.56	295.72
मिजोरम	65.156	115.16	82.90
उड़ीसा	107.0024	183.8717	43.28
राजस्थान	281.2458	176.541	410.68
तमिलनाडु	136.9528	108.535	45.40
त्रिपुरा	0.50	–	0.00
उत्तराखंड	159.9212	192.78	202.005
उत्तर प्रदेश	162.8782	183.265	134.89
पश्चिम बंगाल	228.2935	190.5283	308.67
कुल	3345.507	3289.860	6270.94

विवरण-III

केन्द्र प्रायोजित स्कीम "हाथी परियोजना" के अंतर्गत जारी निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	60.00	64.774	60.00
अरुणाचल प्रदेश	71.50	53.00	54.50
असम	40.00	83.00	144.00
झारखण्ड	75.00	74.446	132.17
कर्नाटक	168.00	167.82	212.65

1	2	3	4
केरल	170.00	169.40	147.70
महाराष्ट्र			56.86
मेघालय	30.00	61.55	68.39
नागालैंड	48.00	52.45	26.50
उड़ीसा	114.00	153.94	148.50
तमिलनाडु	112.00	153.41	124.98
उत्तराखंड	82.00	153.12	126.46
पश्चिम बंगाल	181.00	160.89	185.73
त्रिपुरा	0.00	–	12.00
मिजोरम	0.00	–	1.33
उत्तर प्रदेश	0.00	6.20	55.33
छत्तीसगढ़			83.77
कुल	1151.50	1354.00	1640.963

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली को जारी निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

2005-06	2006-07	2007-08
105.7	77.00	188.00

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के लाभ में गिरावट

5207. श्रीमती नीता पटैरिया:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एन.पी.सी.आई.एल.) के लाभ की स्थिति में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा वर्षवार कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ग) इस स्थिति को रोकने और एन.पी.सी.आई.एल. के लाभ में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) 4120 मेगावाट-ई की कुल स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता के अंतर्गत, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व वाली 4020 मेगावाट-ई क्षमता और परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 मेगावाट-ई (राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1) क्षमता शामिल

है, 4120 मेगावाट-ई क्षमता में से, 3800 मेगावाट-ई क्षमता के लिए ईंधन के रूप में स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम को उपयोग में लाया जाता है। इस समय स्वदेशी यूरेनियम की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेलता है। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षमता का परिचालन ईंधन की आपूर्ति के अनुरूप रखते हुए अपेक्षाकृत कम विद्युत स्तर पर किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लाभों में कमी आई है। पिछले तीन वर्षों में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लाभ (करोपरांत) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	करोपरांत लाभ (करोड़ रुपए)
2005-06	1713
2006-07	1571
2007-08	964*

*अनंतिम अनुमानों पर आधारित, इसकी अभी लेखा परीक्षा की जानी है और अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) सरकार द्वारा, नई खानें खोलकर और संसाधन सुविधाओं का विस्तार करके ईंधन की आपूर्ति में वृद्धि हेतु प्रयास किए गए हैं ताकि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अपेक्षाकृत अधिक क्षमता का उपयोग किया जा सके। झारखंड में तुरूमडीह नामक स्थान पर एक नई अयस्क-संसाधन मिल स्थापित करने का काम पूरा कर लिया गया है और आशा है कि वर्ष 2008-09 में उत्पादन होने लगेगा। आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ली नामक स्थान पर एक नई यूरेनियम खान पर भी काम शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय चिकित्सा ग्रंथालय का कार्यकरण

5208. डा. के.एस. मनोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय चिकित्सा ग्रंथालय (एन.एम.एल.) के खराब कार्य निष्पादन के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां, इस विभाग को प्रिंट मीडिया तथा डाक्टरों के जरिए कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो मुख्यत: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय में बुनियादी सुविधाओं और अवसंरचना के अभाव से संबंधित हैं। इन शिकायतों की उपयुक्त स्तर पर जांच की गई है और उचित/उपचारी कार्रवाई, जो आवश्यक समझी गई, की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 29 (ई) का सुदृढ़ीकरण

5209. योगी आदित्यनाथ: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर और सोनौली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सं. 29 (ई) को सुदृढ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और ये कार्य धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 (ई) के सुदृढ़ीकरण कार्य के प्रारंभ होने के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है। तथापि, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

भारत का दोषपूर्ण नक्शा

5210. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.एन.ए.आई.डी.एस. की वेबसाइट ने भारत का दोषपूर्ण नक्शा प्रदर्शित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को संबंधित संगठन के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) यू.एन.ए.आई.डी.एस. (एच.आई.वी./एड्स पर ज्वाइंट संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम) की वेबसाइट पर भारत देश के पृष्ठ में भारत का एक नक्शा प्रदर्शित किया गया जिसमें देश की उत्तरी और दक्षिणी भाग को नहीं दिखाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय से संबंधित भारतीय स्थायी मिशन, जेनेवा ने यू.एन.ए.आई.डी.एस. के सचिवालय के साथ इस मामले को उठाया। इस मुद्दे को संशोधित कर दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रयुक्त इस मानक घोषणा के साथ कि नक्शे में दिखाई गई सीमाओं, नाम और निर्देश में संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी स्वीकृति अथवा अनुमोदन अंतर्निहित नहीं है, भारत के समूचे नक्शे को अब यू.एन.ए.आई.डी.एस. की वेबसाइट के भारत देश के पृष्ठ में लगा दिया गया है।

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना

5211. श्री अबु अयीश मंडल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया;

(ख) वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है और इसके लिए आवश्यक मापदंड क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1981 से पहले के बसे ग्रामों को वनग्राम श्रेणी के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) अभी तक वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत देश के 4 राज्यों में 511 वन गांवों को राजस्व गांवों में बदला गया है संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति पर अनुसूचित जाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2006 निर्देशित है जिसमें साथ ही साथ "सभी वन गांवों, पुराने पर्यावास, जिन गांवों का सर्वे नहीं किया गया है, और वनों में पुराने गांव बेशक उनका रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित हो अथवा राजस्व गांवों में नहीं के निपटान और प्रत्यावर्तन का अधिकार" का प्रावधान है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला का नाम	अब तक परिवर्तित किए गए गांवों की संख्या	अनुमोदित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	पंच महल	112	4238.43
2.	मध्य प्रदेश	बरवानी	67	3692.433
		छिन्दवाड़ा	48	4630.725
		देवास	13	1001.381
		दिन्दोरी	86	11088.611
		गुना	1	88.539
		खरगांव	67	8893.747

1	2	3	4	5
		रायसेन	11	167.536
		राजगढ	1	44.499
		सागर	4	163.424
		सिद्धि	12	235.446
		विदिशा	5	106.866
3.	महाराष्ट्र	नन्दुरबार	73	4073.95
4.	उत्तराखंड	देहरादून	11	2561.22
		कुल	511	40986.807

लक्जरी क्रूज सेवाएं

5212. डा. के. धनराजू:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री मार्ग के यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्रूज-शिपिंग पर एक नीति बनाई और स्वीकृत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यूरोप और अन्य विकसित पश्चिमी देशों की तर्ज पर देश में लक्जरी क्रूज सेवाएं शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष. 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान भारत में आने वाले परिभ्रमण पर्यटकों की संख्या क्रमश: 27,760, 1,52,827 और 2,40,307 थी।

(ग) से (च) विदेशी परिभ्रमण पर्यटकों के सही समुदाय को आकर्षित करने के लिए भारत को एक बड़ा परिभ्रमण पर्यटन का गंतव्य स्थल बनाने और परिभ्रमण पोत परिवहन को लोकप्रिय बनाने, अपेक्षित आधारभूत ढांचे के सृजन को सुकर बनाने और एक प्रेरक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से परिभ्रमण पोत परिवहन नीति तैयार कराने हेतु माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में संघीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री को सह-अध्यक्ष बनाते हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त विषय-निर्वाचन ग्रुप गठित किया गया था। परिभ्रमण पोत परिवहन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण

5213. श्री सुभाष महरिया:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने और सभी क्षेत्रीय परिवहन

कार्यालयों को जोड़ने के लिए एक डाटा बैंक तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विनियामक तंत्र क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे कदमों से सरकार को देश में वाहन चोरी रोकने में सफलता मिलती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वाहनों पर उपकरण लगाए जाने की अनिवार्यता सहित वाहन की चोरी को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्मार्ट कार्ड मोड में जारी करने के लिए नियम पहले ही बना दिए हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण इस उद्देश्य के लिए एक पूर्व अपेक्षा है। अनेक राज्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। तथापि, राज्यों की सहायता के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति ने देश में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए प्रस्ताव और लगभग 148.00 करोड़ रु. की कुल लागत से ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के डाटाबेस के सृजन के लिए हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण भी शामिल है। यह परियोजना राष्ट्रीय आसूचना केंद्र द्वारा लागू की जाएगी और सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति इस पर निगरानी रखेगी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) और राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.) तहकीकात करने के लिए इस डाटाबेस का प्रयोग कर सकते हैं।

(ङ) मोटर वाहनों में चोरी रोकने में सहायक कोई विशिष्ट उपकरण लगाया जाना सरकार द्वारा अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। साथ ही मोटर यान अधिनियम, 1988 मोटर वाहनों में सुरक्षा गजट लगाने के लिए किसी को रोकता नहीं है।

[अनुवाद]

सी.ए.एम.पी.ए. के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

5214. डा. एम. जगन्नाथ: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) के अंतर्गत सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सी.ए.एम.पी.ए. के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) तदर्थ क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) के मई 2006 में गठन से लेकर विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है क्योंकि तदर्थ सी.ए.एम.पी.ए. को ऐसा करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राधिकृत नहीं किया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु धनराशि जारी करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	धन जारी करने के लिए किया गया अनुरोध
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,696,868.00
2.	आंध्र प्रदेश	1,944,487,000.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,152,195,788.00

1	2	3
4.	असम	14,857,119.00
5.	चण्डीगढ़	6,043,874.00
6.	छत्तीसगढ़	118,843,987.00
7.	दादर व नगर हवेली	शून्य
8.	दिल्ली	शून्य
9.	गोवा	6,929,907.00
10.	हिमाचल प्रदेश	86,456,218.00
11.	कर्नाटक	124,702,000.00
12.	मध्य प्रदेश	605,761,769.00
13.	महाराष्ट्र	262,486,153.80
14.	मणिपुर	8,715,000.00
15.	मेघालय	4,582,957.00
16.	नागालैंड	शून्य
17.	पाण्डिचेरी	शून्य
18.	पंजाब	486,801,424.00
19.	राजस्थान	1,333,687,330.00
20.	सिक्किम	55,262,314.00
21.	तमिलनाडु	22,134,196.00
22.	उत्तर प्रदेश	185,125,000.00
23.	उत्तराखंड	254,464,506.00
24.	पश्चिम बंगाल	229,452,642.00

महाराष्ट्र में गैर-कानूनी खनन कार्य

5215. श्री प्रकाश बी. जाधव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी रूप से रेत निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है;

(घ) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उल्लंघन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) देश के वन क्षेत्रों से महाराष्ट्र राज्य सहित बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत खनन के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है। हालांकि चोरी की छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं जिनसे संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार निपटा जाता है।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन विशेषत: रेत खनन के संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोलोन/कोलोरेक्टल कैंसर

5216. श्री उदय सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलोरेक्टल/कोलोन कैंसर के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है जैसाकि दिनांक 24 मार्च, 2008 के 'स्टेट्समेन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे मामलों को कम करने तथा इस संबंध में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कोलोरेक्टल कैंसर भारत में आम नहीं है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम के अनुसार

प्रमुख कैंसर स्थलों में नहीं है। यह पुरुषों और महिलाओं में होने वाला तीसरा सामान्यतम कैंसर है जिससे पूरे विश्व में हर वर्ष कैंसर से होने वाली 6,55,000 मौतों में से 13 प्रतिशत मौतें होती हैं।

(ग) और (घ) कोलोरेक्टल कैंसर विभिन्न कारकों के कारण होता है। उपचार तभी प्रभावी है यदि बीमारी का आरंभिक अवस्थाओं में पता चल जाए। कैंसर का उपचार सर्जरी/रेडियोथिरेपी/कीमोथिरेपी एवं सहायक परिचर्या द्वारा किया जाता है। ये सुविधायें एम्स सहित प्रमुख शीर्ष संस्थाओं के अलावा जिला अस्पताल/मेडिकल कालेजों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, रेडियोथिरेपी सुविधायें भारत में 237 केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

एन.एच.डी.पी.-III ए और बी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

5217. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) चरण-III ए और बी की स्थिति क्या है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन खंडों की पहचान की गई है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने एन.एच.डी.पी.-III ए और बी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ से नीमच खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III (क और ख) की स्थिति विवरण-I में दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित खंडों की सूची विवरण-II में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के जयपुर-रींगस-सीकर खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़ से मध्य प्रदेश सीमा खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के ब्यावर-पाली-सिरोही खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ब्यावर-उदयपुर खंड को 4 लेन का बनाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के जयपुर-रींगस-सीकर खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़ खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के ब्यावर-पाली-सिरोही खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 4 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर झालावाड़ से मध्य प्रदेश सीमा खंड को 4 लेन का बनाए जाने के लिए अर्हक नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ब्यावर-उदयपुर खंड का उन्नयन कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के किसी चरण में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, इस खंड को 4/6 लेन का बनाने के लिए साध्यता सह प्राथमिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

चित्तौड़गढ़ से नीमच खंड में राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से नीमच तक का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के चित्तौड़गढ़-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा खंड की कुल लंबाई 38 किमी. है जिसमें से चित्तौड़गढ़ से 10 किमी. के खंड में 4 लेन बनाने के कार्य को वार्षिक योजना 2008-09 में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III

(दिनांक 24-4-2008 के अनुसार स्थिति)

1.	**अनुमोदित लंबाई**		
	चरण-IIIक	–	6658.5 किमी.
	चरण-IIIख	–	5450.5 किमी.
	चरण-III (संपूर्ण)	–	12,109 किमी.

2. **सौंपने हेतु अनुमोदन**

चरण-III (लंबाई	–	12,109 किमी.
चरण-III (लागत)	–	80,626 करोड़ रु.

3. **सौंपने की स्थिति**

सौंपी गई कुल परियोजनाओं की संख्या	–	33
सौंपी गई परियोजनाओं की कुल लंबाई	–	2075 किमी.
सौंपी गई परियोजनाओं की कुल लागत	–	12,488 करोड़ रु.
सौंपने हेतु शेष लंबाई	–	10034 किमी.

4. **कार्यान्वयन की स्थिति**

पूर्ण हो चुकी लंबाई	–	411 किमी.
कार्यान्वयनाधीन लंबाई	–	1664 किमी.

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित खंडों की सूची

क्र. सं.	रा.रा. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में शामिल खंड	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश	
1.	18	कुड्डापाह-मदुकुर-कुरनूल	192.5
2.	202	हैदराबाद-यादगिरि	30
3.	205	तिरूपति-तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा-तिरूत्थानी	44
4.	9	हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	240.5
		जोड़	**507**
		अरुणाचल प्रदेश	
1.	52ए	ईटानगर-अरुणाचल प्रदेश/असम सीमा	22
		जोड़	**22**

1	2	3	4
		असम	
1.	36	दोबोका-असम/नागालैंड सीमा	118
2.	44	असम/मेघालय सीमा से असम/त्रिपुरा सीमा	116
3.	52	बेहाटा चैराली-बंदरदेवा	314
4	52ए	बंदरदेवा-असम/उरुणाचल प्रदेश सीमा	9
5.	54	सिल्चर-असम/मिजोरम सीमा	50
		जोड़	**613**
		बिहार	
1.	19 व 77	पटना-मुजफ्फरपुर	60
2.	19 व 85	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर	153
3.	28ए	मोतीहारी-रक्सौल	67
4.	30	पटना-बख्तियारपुर	53
5.	31	बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया-पूर्णिया	255
6.	57ए	फारबिसगंज-जोगवानी	89
7.	77	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	89
8.	80	मोकामा-मुंगेर	70
9.	84	पटना-बक्सर	130
10.	83	पटना-गया-डोभी	125
		जोड़	**1015**
		छत्तीसगढ़	
1.	200	रायपुर-सिमगा	28
2.	43	कुरनूड-धमतरी	23
3.	6	औरांग-रायपुर	45
4.	6	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	94
		जोड़	**190**

1	2	3	4
		दिल्ली	
1.	1 व 24	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा तक	8
2.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा तक	20
		जोड़	**28**
		गोवा	
1.	17	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा	139
2.	4ए	पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	69
		जोड़	**208**
		गुजरात	
1.	6	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन	84
2.	6	सूरत-हजीरा पत्तन	29
3.	8डी	जैतपुर-सोमनाथ	127
4.	59	गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा-अहमदाबाद	210
5.	8ए विस्तार	कांडला-मुंदरा पत्तन	73
		जोड़	**523**
		हरियाणा	
1.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा-हिसार	140
2.	22	अंबाला-कलाका (हरियाणा खंड)	27
3.	71	रोहतक-बावल	97
4.	71ए	पानीपत-रोहतक	73
5.	65	अंबाला-कैथल	78
6.	71	रोहतक-जिंद	45
7.	73	पंचकुला-बरवाला-साहा-यमुना नगर से उत्तर प्रदेश सीमा	108
		जोड़	**568**
		हिमाचल प्रदेश	
1.	22	हिमाचल प्रदेश/हरियाणा सीमा (कालका) - शिमला	110
		जोड़	**110**

1	2	3	4
		झारखंड	
1.	33	हजारीबाग-रांची	75
2.	33	बरही-हजारीबाग	40
3.	33	रांची-जमशेदपुर	150
		जोड़	**265**
		कर्नाटक	
1.	17	कुंडापुर-सुरथाकल	71
2.	17	मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	18
3.	4	नीलमंगला-बंगलौर-होसकोट-कोलार-मुदबागल	105
4.	48	नीलमंगला-हासन	154
5.	4ए	बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा	84
6.	7	बंगलौर-होसूर	25
7.	13	बीजापुर-होसपेट	194
8.	4	मुलबागल-कर्नादक/आन्ध्र प्रदेश सीमा	11
		जोड़	**662**
		केरल	
1.	17	कर्नाटक/केरल सीमा-कोझीकोड-इड्डापल्ली	451
2.	47	तिरूवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा	29
3.	47	चेरथालई-तिरूवनंतपुरम	180
		जोड़	**660**
		मध्य प्रदेश	
1.	3	गुना बाइपास	14
2.	3	इंदौर-खालघाट	83
3.	3	खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	88
4.	59	इंदौर-झाबुआ-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा	169
5.	69	औबेदुल्लागंज-भीमबेटका	13

1	2	3	4
6.	75	झांसी-खजुराहो	100
7.	86 (विस्ता.)	भोपाल-सांची	40
8.	12	भोपाल-राजमार्ग क्रासिंग-जबलपुर	297
		जोड़	**804**
		मणिपुर	
1.	39	नगालैंड/मणिपुर सीमा-इंफाल	112
		जोड़	**112**
		मेघालय	
1.	44	शिलांग (शिलांग बाइपास को छोड़कर)-असम/मेघालय सीमा	136
		जोड़	**136**
		मिजोरम	
1.	54	असम/मिजोरम सीमा-आइजोल	140
		जोड़	**140**
		नागालैंड	
1.	36 व 39	असम/नगालैंड सीमा-दीमापुर	
2.	39	कोहिमा-नगालैंड/मणिपुर सीमा	28
		जोड़	**28**
		महाराष्ट्र	
1.	17	पनवेल-इंदापुर	84
2.	3	गोंडे-वाडपे (थाणे)	100
3.	3	धुले-पींपलगांव	118
4.	3	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	60
5.	3	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले	97
6.	4	कलामबोली-मुंबरा (6 लेन)	20
7.	50	पुणे-खेद	30

1	2	3	4
8.	6	नागपुर-वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	60
9.	6	वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	72
10.	6	नागपुर-तेलीगांव	90
11.	6	तेलीगांव-अमरावती	58
12.	9	पुणे-शोलापुर	170
13.	13	शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	30
		जोड़	**989**
		उड़ीसा	
1.	200	चंडीखोल-दुबरी-तलचर	137
2.	203	भुवनेश्वर-पुरी	59
3.	215	पानीकोएली-क्योंझर-राक्सी	249
4.	200	राक्सी-राजमुंडा	20
5.	6	सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा	88
		जोड़	**553**
		पांडिचेरी	
1.	66	पांडिचेरी से तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा	4
		जोड़	**4**
		पंजाब	
1.	1	जालंधर-अमृतसर-वाघा सीमा	84
2.	15	अमृतसर-पठानकोट	101
3.	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	73
4.	22	अंबाला-जिरकपुर (पंजाब खंड)	30
5.	22	जिरकपुर-कालका (पंजाब खंड)	1
6.	95	लुधियाना-तलवंडी	84

1	2	3	4
		राजस्थान	
1.	11	उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा-भरतपुर	21
2.	11	भरतपुर-मुहआ	57
3.	11	महुआ-जयपुर	108
4.	11	जयपुर-रींगस-सीकर	95
5.	12	जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़	328
6.	14	बेवाड़-पाली-पिंडवाड़ा	246
7.	8	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	82
		जोड़	**937**
		तमिलनाडु	
1.	205	तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश सीमा-तिरुथानी-चेन्नै	94
2.	220	थेनी-कुमली	57
3.	45	डिंडीगुल-त्रिची	80
4.	45बी	मदुरै-अरुपकोटई-तूतीकोरिन	144
5.	45 विस्ता.	डिंडीगुल-पेरीगुलाम-थेनी	73
6.	47	केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी	56
7.	49	मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडी	186
8.	66	तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा-टिंडीवनम	36
9.	66	कृष्णागिरी-तिरूवेन्नामलाई-टिंडीवनम	170
10.	67	नागपट्नम-तंजौर-त्रिची	130
11.	67	त्रिची-करूर (त्रिची बाइपास सहित)	50
12.	67 विस्ता.	कोयम्बतूर-मेट्टूपलायम	45
13.	68	सेलम-उलूनडूरपेट	134
14.	210	त्रिची-पुदुकोट्टई-रामनाथपुरम	200
		जोड़	**1455**

1	2	3	4
		त्रिपुरा	
1.			
		जोड़	**0**
		उत्तर प्रदेश	
1.	11	आगरा-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा	42
2.	24	सीतापुर-लखनऊ	76
3.	24	मुरादाबाद-सीतापुर	246
4.	58	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा से मेरठ	47
5.	58	मेरठ से मुजफ्फरनगर	79
6.	58	मेरठ से उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा	21
7.	91	गाजियाबाद-अलीगढ़	106
		जोड़	**617**
		उत्तरांचल	
1.	58 व 72	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा-देहरादून	125
2.	87	रामपुर-काठगोदाम	88
		जोड़	**213**
		पश्चिम बंगाल	
1.	35	बारासत-बनगांव	60
2.	34	कोलकाता-डलकोला	438
		जोड़	**498**
		कुल जोड़	12230

सामाजिक वानिकी प्रबंधन योजनाएं

5218. श्री चन्द्र भान सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजनाओं के अनुमोदन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक समिति गठित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त समिति कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश सरकार से लोक वानिकी स्कीमों के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से

अधिक वन क्षेत्र वाली प्रबंधन स्कीमों को अनुमोदन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक समिति गठित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह पाया गया कि ऐसी प्रबंधन योजना के अनुमोदन हेतु समिति गठित करने का प्रस्ताव, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नहीं था और तदनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के तटीय क्षेत्र पर वना रोपण

5219. श्री मनोरंजन भक्त: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र ने केन्द्र सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के तटीय क्षेत्रों के समीप कच्छ वनस्पति तथा अन्य संबद्ध पौधों के संरक्षण एवं प्रबंधन द्वारा तटीय वनारोपण हेतु कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तटीय क्षेत्रों के किनारे कच्छ वनस्पतियों और अन्य संबंधित पौधों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु तटीय वनीकरण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं दिया गया है।

तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अंडमान के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वर्ष 2003-04 के दौरान 12.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान संघशासित क्षेत्र निकोबार को तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पुन: 7.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी जिसे उपरोक्त अवधि के दौरान खर्च नहीं किया गया था, इस धनराशि को वर्ष 2005-06 के दौरान पुर्नवैधीकृत किया गया था।

पर्यावरण एवं वन विभाग संघशासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि तटीय वनीकरण के लिए यूनियन टेरिटरी प्लान एंड सुनामी रीहैबिलिटेशन प्लान (टी.आर.पी.) के अंतर्गत विभागीय स्कीमों द्वारा कच्छ वनस्पतियों और संबंधित अन्य पौधों की सुरक्षा और संरक्षण का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राचीन जल निकायों तथा नदियों में आइकोर्निया

5220. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्राचीन जल निकायों तथा नदियों में आइकोर्निया जैसे पानी में पाये जाने वाले पौधों के हमलों के कारण पानी तथा पानी के प्राणियों को भारी क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आइकोर्निया के हमले से देश के जल निकायों तथा नदियों को बचाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) आईकोर्निया एक हानिकर खरपतवार है जो देश के जल निकायों में पैदा हो रहा है और उसमें स्थान बना रहा है जिससे कृषि के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और नौ परिवहन में बाधा पड़ रही है। सरकार ने इस संबंध में देश भर के जल निकायों और नदियों के संबंध में इस तरह का कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) देश की पहचान की गई झीलों और नमभूमियों के संरक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) और राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत खरपतवार निकालना एक मुख्य

कार्य है। जलीय खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट वैज्ञानिक तरीका विकसित नहीं किया गया है। खरपतवार को निकालने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न तरीकों में मैनुअल, मैकेनिकल और जैविक तरीके शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पोषक तत्वों निहित अपशिष्ट जल का बहिस्राव रोककर खरपतवार को पैदा होने से रोका जाता है।

[अनुवाद]

बच्चों में ब्लडकैंसर के मामले

5221. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार भारत में वार्षिक आधार पर बच्चों में ब्लड कैंसर के 40,000 से अधिक मामलों के बारे में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बच्चों पर इसके हानिकारक परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस खतरे पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2007 के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तहत कार्य कर रही जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर 14 वर्ष से कम आयु वाले 13,600 बच्चों में रक्त कैंसर होने का अनुमान है।

(ख) एक्यूट लिम्फैटिक ल्यूकेमिया एक साधारण रक्त कैंसर है और बहुत ही आक्रामक है। तथापि, कोई भी ब्लड कैंसर जानलेवा साबित होगा यदि उसका समय पर उपचार नहीं किया गया। बच्चों में संक्रमण के खतरे से रोग बढ़ता है।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को पहले स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से रोकथाम करने, दूसरे कैंसर की शीघ्र पहचान और निदान करने और कैंसर उपचार केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से रोकथाम के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, देश के विभिन्न भागों में 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में कैंसर प्रशिक्षण सुविधाओं सहित व्यापक कैंसर पहचान और प्रबन्धन सुविधाएं दी जा रही हैं। दूरदर्शन पर "कल्याणी" कार्यक्रम के प्रसारण सहित इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है।

चिकित्सा पार्कों की स्थापना

5222. श्री अनन्त नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित चिकित्सा पार्कों के उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ ग्यारहवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) चेन्नई के समीप चेंगलपट्टू में एक अत्याधुनिक वैक्सीन निर्माण सुविधा केन्द्र और एक "चिकित्सा पार्क" स्थापित करने का उद्देश्य हैं। इस "चिकित्सा पार्क" में अनुसंधान एवं विकास हेतु सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा निदानों, उपकरणों, डिस्पोजेबल एवं यंत्रों के लिए निर्माण उद्योग सम्मिलित हो सकता है।

(ख) यह परियोजना अभी निर्माणाधीन है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने के पश्चात वित्तपोषण कार्यविधियां विनिश्चित की जाएंगी।

पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ा जाना

5223. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जेलों में बंद 100 से अधिक पाकिस्तानियों को छोड़ने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख तक पाकिस्तानी जेलों में कितने भारतीय कैदी बंद हैं; और

(घ) उन्हें मुक्त किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) इस समय भारत की जेलों में 119 पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं जिनमें से 14 मछुआरे हैं जिन्हें उनकी राष्ट्रीयता की स्थिति की पुष्टि हो जाने के बाद वापस भेजा जा सकता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में 205 भारतीय कैदी और 436 मछुआरे हैं।

(घ) पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीयों को रिहा करने से संबंधित मसलों को निरंतर शीर्षस्थ स्तरों सहित विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया जाता है। विदेश मंत्री की 13-14 जनवरी, 2007 को हुई पाकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों देशों में बंद कैदियों की शीघ्र रिहाई और मानवीय बर्ताव सुनिश्चित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के न्यायाधीशों की एक न्यायिक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति की पहली बैठक 26-27 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में हुई। समिति ने यह सिफारिश की कि एक-दूसरे के जेलों में बंद राष्ट्रिकों का पूर्ण विवरण और उनकी मौजूदा स्थिति की एक समेकित सूची का आदान-प्रदान 31 मार्च, 2008 को किया जाए और जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है और जिनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन कर लिया गया है, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। दोनों सरकारों द्वारा 31 मार्च को कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया गया है। सरकार, पाकिस्तान की सरकार से यह आशा करती है कि वह सभी बंद मछुआरों और कैदियों को रिहा करने और उन्हें कोंसली संपर्क प्रदान करने की न्यायिक समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए कायिक निधि

5224. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेलों के विकास तथा संवर्धन हेतु एक कायिक निधि बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न खेल फेडरेशनों के पास उपलब्ध अतिरिक्त तथा प्रयोग में नहीं लाई गई धनराशि का भी इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) सरकार 1998 से ही राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) के नाम पर कार्पस निधि रख रही है।

(ख) वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा 2.00 करोड़ रु. के प्रारंभिक अंशदान से निधि आरंभ की गई थी। इसके अलावा, इस निधि में विभिन्न संसाधनों जैसे निजी/निगमित क्षेत्रों और गैर आवासीय भारतीयों से अंशदान स्वीकार किया जाता है। सरकार इस प्रकार प्राप्त अंशदानों के समतुल्य राशि का योगदान करती है। इस समय, कार्पस निधि में लगभग 20 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) यह निधि, विभिन्न खेल परिसंघों के पास उपलब्ध अधिशेष और अप्रयुक्त राशि से अलग है।

भौतिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद का विस्तार

5225. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अहमदाबाद में भौतिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इसमें कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) विस्तार कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में क्षतिग्रस्त वनों की दशा सुधारने के लिए प्रस्ताव

5226. श्री राकेश सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य से राज्य में क्षतिग्रस्त वनों की दशा में सुधार लाने के लिए कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मंजूरी दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन विभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के द्विस्तरीय विकेन्द्रीकृत कार्यतंत्र के माध्यम से अवक्रमित वनों और समीपवर्ती भूमियों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। 31-3-2008 तक मध्य प्रदेश से 54 एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें मंत्रालय द्वारा स्कीम के अंतर्गत 142.82 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर अनुमोदित किया गया था।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

5227. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु तथा कर्नाटक में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठन को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग का कोई मामला सामने आया है; और

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत सरकार विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता से विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों की पूर्ति करती हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इन कार्यक्रम प्रभागों ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग करने के किसी भी मामले की कोई सूचना नहीं दी है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

1. संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

तमिलनाडु राज्य में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल गैर-सरकारी संगठनों की संख्या 232 और कर्नाटक राज्य में 551 हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत किया गया है और केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से कोई नकद अनुदान नहीं दिया जाता है। गैर-सरकारी संगठनों को निधियां संबंधित जिला क्षय रोग समिति द्वारा दी जाती है। कई गैर-सरकारी संगठन बिना किसी वित्तीय सहायता के भी भाग लेते हैं।

शहरी और डाट्स केन्द्रों की स्थापना के लिए आर.एन.टी.सी.पी. परियोजना से सहायता प्राप्त एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि के तहत गैर-सरकारी संगठनों को निधियां केन्द्र से प्रत्यक्ष रूप से जारी की जाती हैं और उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

जी.एफ.ए.टी.एम. निधि में से जारी राशि	2006-07 (लाख रुपए में)	2007-08 (लाख रुपए में)
समुदाय स्वास्थ्य चेन्नई के लिए शिक्षा और सहायता के लिए संसाधन दल	30.02	शून्य

2. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केन्द्र से गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से निधियां नहीं दी जाती हैं क्योंकि गैर-सरकारी संगठनों को निधियां जारी करने की योजना को वर्ष 2005-06 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को दी गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है-

तमिलनाडु

1. अधि पराशक्ति चैरिटेबल मेडिकल एजूकेशन एण्ड कल्चरल ट्रस्ट, तमिलनाडु-25.00 लाख रुपए।
2. टी.ई.एल.सी. जोसफ आई हास्पिटल, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु: 5.00 लाख रुपए।
3. सी.एस.आई. हास्पिटल कांचिपुरम् तमिलनाडु:- 5.00 लाख रुपए।

कर्नाटक

1. जयप्रिया मेडिकल आई फाउण्डेशन, हुबली, कर्नाटक-25.00 लाख रुपए।
2. रोटरी आई बैंक, शिमोगा, कर्नाटक-10 लाख रुपए।
3. वासरवाई आई डोनेशन सेंटर, हसन-1.00 लाख रुपए।
4. कालेजल आई डोनेशन सेन्ट्र, चामराज नगर-1.00 लाख रुपए।

3. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

भारत सरकार वर्ष 2006-07 से राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गैर-सरकारी संगठनों को कोई निधियां नहीं प्रदान करती हैं। तथापि, राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करती है।

कर्नाटक में गैर-सरकारी संगठन शान्ता, जीवा, जयोति, बैगलौर को वर्ष 2006-07 में 4.04 लाख रुपए और वर्ष 2007-08 में 3.77 लाख रुपए का अनुदान जारी किया गया था। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु में किसी भी गैर-सरकारी संगठन को अनुदान जारी नहीं किया गया था।

4. आयुवेद योगा-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) विभाग

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कर्नाटक में गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों को जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संगठन	वर्ष 2006-07 के दौरान जारी सहायता अनुदान	वर्ष 2007-08 के दौरान जारी सहायता अनुदान
1	2	3	4
1.	भोरूका चेरिटीज, 48, लेवेली रोड, बंगलौर-1	1,74,029.00	–
2.	सोसाइटी फार सर्विस टू वालंटरी एजेंसीज ऑफ कर्नाटक, नं. 338-ए, द्वितीय तल, सहकारी भवन, III खण्ड, राजाजी नगर, बंगलौर	3,48,058.00	–
3.	सगरनाडू एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, लक्ष्मीनगर, साहपुर, जिला गुलबर्गा	1,74,029.00	–
4.	टेरेसा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, आर.एस. डुड्डा-573118, हसन तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	1,33,760.00	–

1	2	3	4
5.	साईं राम महिला समाज, पांचवां क्रास पेंशन मोहाल, हसन, कर्नाटक	1,33,760.00	–
6.	श्री पारथीस्वरी महिला समाज चौथ क्रास, पेंशन मोहाल, हसन, कर्नाटक	2,67,520.00	–
7.	मर्सी एजूकेशन एण्ड रूरल इटीग्रेटेड ट्रस्ट लिंगापुरा, बागेवालू, पो. अरिस्केरे, तालुक हसन, कर्नाटक	2,67,520.00	–
8.	पृथवी महिला बीवी डोडेसा ग्रामीण अभिवृद्धि समष्टि 11वां क्रास, गायत्री एक्सटेंशन, नागासमुद्रा रोड, चन्नराया पतन तालुक, जिला हसन	1,45,024.00	–
9.	भाग्यश्री विद्या समस्टी, मालूर पटना, कुडलूर पो., चन्ना पटना तालुक, बंगलूर ग्रामीण जिला	1,45,024.00	–
10.	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी मोडालगी पो.- 591312, गोकाक तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	2,67,520.00	–
11.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, इलकल	2,00,000.00	–
12.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, इलकल	2,28,000.00	–
13.	ए.वी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हास्पिटल, विद्यानगर बागलकोट रोड	12,00,000.00	–
14.	ए.वी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हास्पिटल, विद्यानगर बागलकोट रोड	25,34,000.00	–
15.	के.वी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, सुलीला	12,00,000.00	–
16.	लुकमैन यूनानी मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, नवाब, बीजापुर	12,00,000.00	–
17.	राम कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बंगलौर	12,00,000.00	–
18.	एस.एस. एजूकेशन फाउण्डेशन, श्री सत्य साईं कालेज ऑफ होमियो मेडिकल साईंस, धारवाड़	12,00,000.00	–
19.	श्री बाहुबली विद्यापीठ जेवी मंडल, ग्रामीण आयुर्वेदिक मेडिकल एंड हास्पिटल, टर्डल	12,00,000.00	–
20.	श्री जगतगुरूगावी सिद्धेश्वरा आयुर्वेद मेडिकल कालेज एंड हास्टिपटल, कोप्पल	12,00,000.00	–
21.	एस वीपी रूरल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, बादामी	12,00,000.00	–

1	2	3	4
22.	श्री धर्मस्थल मंजूरनाथेश्वरा कालेज आफ आयुर्वेद, हसन	1,00,000.00	–
23.	श्री जेजी क्वापरेटिव हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लि. जनरल हास्पिटल, टी.बी. सेनेटोरियम, आयुर्वेदिक हास्पिटल, न्यूट्रोपैथी सेन्टर, डा. गंगाधर नगर, घाट प्रभा	44,00,000.00	–
24.	नेचुरल रेबीडीज प्रा. लि., आर एंड डी सेंटर, नं. 5बी बीरसंडा इनटेस्टिनल एरिया, 19 के.एम. स्टोन, होसुर रोड, बंगलौर	13,00,000.00	–
25.	श्री मैत्री हास्पिटल, सक्तिनगर, धारवाड़ जिला रनबाई श्री मैत्री एसोसिएशन, दावणगेरे जिला	–	22,00,000.00
26.	स्वामी विवेकानन्द रिसर्च फाउण्डेशन, बंगलौर	3,20,500.00	8,30,000.00
27.	पी.ई.एस. कालेज आफ फार्मेसी, बंगलौर	–	1,00,000.00
28.	कपोट गिरी नंदी गिरी मढ सेवा फाउण्डेशन, नन्दी गिरी मढ, सिद्ध रामेश्वर नगर, कडग, कर्नाटक	–	5,00,000.00
29.	फाउण्डेशन फार रिवाइटलाइजेशन लोकल हेल्थ ट्रेडिस्नर्स, 74/2, जराक बंडे कवल, अतुर पो. वया यलहंका, बंगलौर	–	10,00,000.00
30.	फाउण्डेशन फार रिवाइटलाइजेशन लोकल हेल्थ ट्रेडिस्नर्स, 74/2, जराक बंडे कवल, अतुर पो. वया यलहंका, बंगलौर	–	8,00,000.00

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान तमिलनाडु में गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों को जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संगठन	वर्ष 2006-07 के दौरान जारी सहायता अनुदान	वर्ष 2007-08 के दौरान जारी सहायता अनुदान
1	2	3	4
1.	मेरेयेनी चेरिटी ट्रस्ट, 39/8 स्टर्लिंग अपार्टमेंट, अकबराबाद सेकन्ड स्ट्रीट, कोडमबक्कलम, चेन्नई	1,60,512.00	–
2.	सोसल-एजूकेशन ट्रस्ट, 254/4, अनानी टेरेसा नगर, थिमावरम, चेंगलपट्टू	1,60,512.00	–
3.	रूरल एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, कोटरूपट्टी, इदयामेल्लूर, शिवगंगई जिला	3,48,058.00	–

1	2	3	4
4.	दीपम एजूकेशनल सोसाइटी, नं. 3/655-बी, कुप्पम रोड, कावेरी नगर, कोटीवक्कम, चेन्नई	3,48,058.00	
5.	शारदा कृष्णा होमियोपैथी मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, कन्याकुमारी	12,00,000.00	
6.	जे.एस.एस. कालेज आफ फार्मेसी, उटकामुंड, नीलगिरी	1,00,000.00	–
7.	एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, नं. 48, मेलास्ट्रीट कल्लनकाडू, पिथूर, तिरूचिरापल्ली	4,00,000.00	–
8.	इंटरनेशनल एसोसिएशन फार ह्यूमन वैल्यूज, इइइसी, नं. 624,6वां ए मेन, 17वां क्रास, इंदिरा नगर, सेकेन्ड स्टेज, बंगलौर, कर्नाटक	5,00,000.00	–
9.	विवेकानन्द केन्द्र, नरदीप, विवेकानन्द पुरम, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	5,00,000.00	–
10.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (डीम्स यूनिवर्सिटी) नं. 1, रामचन्द्र नगर, पोरूर, चेन्नई	–	11,48,000.00
11.	ए.वी.एस. वोटानिकल कंजर्वेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, कारीपट्टी, सेलम, तमिलनाडु	–	5,00,000.00
12.	सस्टेनेबुल एग्रीकल्चर एंड इनवायरमेंट वालेंटरी एक्शन, 45, टी.पी.एम. नगर, विराटी पाथू, मदुरै	–	5,00,000.00
13.	ए वीरिया वंदयान मेमोरियल श्री पुष्पम कालेज आटोनामस, पुन्डी, तंजावूर	–	1,00,000.00
14.	द वालंटरी हेल्थ एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, चेन्नई	–	1,00,000.00

पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाएं

5228. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) देश में पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों, द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें वित्तीय संस्थानों और बैंकों से पर्याप्त क्रेडिट प्रवाह के साथ-साथ राजकोषीय रियायतें, उन्नत औद्योगिक अवसंरचना और उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल निवेश वातावरण मुहैया कराना शामिल हैं। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विशेष श्रेणी के राज्यों को आर्थिक

प्रोत्साहनों का पैकेज मुहैया करा रही है क्योंकि ये राज्य खराब अवसंरचना और बाजारों तक अपर्याप्त पहुंच सहित भौगोलिक रूप से अलग-थलग, पर्वतीय और दूरवर्ती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार क्रेडिट से जुड़े दो पूंजी सब्सिडी कार्यक्रम अर्थात् ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) कार्यान्वित करती आ रही है। अब इन स्कीमों को मिलाकर एक स्कीम अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बना दिया गया है।

देश में विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों के समाधान के मुख्य उद्देश्य सहित वर्ष 2006-07 में एक नया कार्यक्रम अर्थात् पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि शुरू की गई थी। कार्यक्रम के दो घटक हैं अर्थात् जिला घटक, जो 250 जिलों को कवर करता है और बिहार और उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजनाएं। बी.आर.जी.एफ. का जिला घटक पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) की भागीदारी सहित गम्भीर अंतरों को पाटने के लिए पहचान किए गए जिलों में मौजूदा विकासात्मक अन्तः प्रवाहों के अनुपूरण और अभिसरण के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराएगा। बिहार के लिए विशेष योजना विद्युत, सड़क सम्पर्कता, सिंचाई, वानिकी और जलसंभर विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के लिए तैयार की गई है। के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना का उद्देश्य के.बी.के. क्षेत्र में विकास अंतरों का समाधान करना है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) की विकास केन्द्र स्कीम औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योगों के विकास के संवर्धन के लिए 1991 में शुरू की गई थी। हालांकि, कुल 52 विकास केन्द्र स्थापित किए गए थे, केन्द्रों के भीतर यूनिट स्थापित करने के संबंध में उद्यमियों ने कम रूचि दिखाई थी जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रों के भीतर बड़े क्षेत्र खाली पड़े रहे। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के पश्चात् यह स्कीम बंद कर दी गई थी।

क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की स्थापना का अनुभव इस ओर संकेत करता है कि वे तभी सफल हो सकते हैं यदि वे मांग आधारित हों और पहल उन उद्यमियों की तरफ से हो जो कुछ शुरुआती पूंजी निवेश के इच्छुक हों और अन्ततः स्वतः संधारणीय आधार पर परियोजना को चलाएं।

विदेशों में भारतीय महिलाओं का शोषण

5229. श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री निखिल कुमार:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं जहां विदेशों में संगठित गिरोहों द्वारा गरीब भारतीय महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया गया जैसा कि 3 अप्रैल, 2008 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) दिनांक 3 अप्रैल, 2008 के हिन्दुस्तान टाइम्स में निम्नलिखित तीन मामलों की रिपोर्ट छपी है:

(1) लुधियाना की एक महिला जिसे सिंगापुर और उक्रेन में बंदी बनाया गया था।

(2) मोगा (पंजाब) की एक महिला जो अवैध उत्प्रवासी के रूप में छः वर्ष सिंगापुर बिताने के बाद भारत लौट आई और जिसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और जबरन घरेलू कामकाज में लगाया गया था।

(3) केरल की एक महिला जिसे गत् माह मस्कट में बचाया गया था।

पहले मामले में सिंगापुर में भारतीय उच्च आयोग ने सूचित किया है कि उनके पास इस मामले में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि मिशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। तथापि कीव (उक्रेन) में भारतीय मिशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दो महिलाएं, जिनमें से एक का समाचार पत्र में उल्लेख है, कुछ भारतीय/विदेशी एजेंटों की

सहायता से रूस से जमीनी सीमा की मार्फत अवैध उत्प्रवासी के रूप में उक्रेन की सीमा में घुसी थीं जिन्हें पश्चिम यूरोप में नौकरी का आश्वासन दिया गया था। उनके मामले को स्थानीय घरेलू कार्य मंत्रालय द्वारा हमारे मिशन के ध्यान में लाया गया था। हमारे वाणिज्य दूताधिकारी ने उन्हें ऐसे प्रयास के परिणामों के बारे में अवगत कराया और उन्हें वापस भारत लौटने के लिए मनाया। दोनों को 16-12-2008 को भारत भेजा जाना था। 28 जनवरी, 2008 को मिशन को पता चला कि जबकि एक महिला वापस भारत चली गई है, दूसरी महिला स्थानीय प्राधिकारियों के कब्जे से फरार हो गई जिसके कारण वह ही जान सकती है। 6 मार्च, 2008 को मिशन को पता चला कि उसे अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास संगठन के कार्यालय लाया गया था जोकि असहाय विदेशी नागरिकों को उनके मूल देश में भेजने का गहन कार्य करती है। भारतीय मिशन के वाणिज्यिक दूत अधिकारी ने उसके साथ व्यक्तिगत बातचीत की और उसे तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और साथ ही यह निर्णय लिया कि उसे यात्रा के डुप्लीकेट दस्तावेज जारी किए जाएं ताकि वह यथाशीघ्र भारत में अपने माता-पिता के पास लौट आए। वाणिज्यिक दूत अधिकारी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उसने उक्रेन में अपने निवास के दौरान भारतीय मूल के कुछ लोगों द्वारा कुछ गलत काम किए जाने की मौखिक शिकायत की लेकिन वह इसमें शामिल दोषियों के नाम नहीं बता सकी। उसने हिरासत में से अपने लापता होने के बारे में भी कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया। अंत में मिशन ने सुनिश्चित किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास संगठन और स्थानीय प्राधिकरणों की सहायता से कीव से दिल्ली के लिए रवाना हो गई।

दूसरे मामले में सिंगापुर में हमारे मिशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह महिला 2002-03 के दौरान सिंगापुर में घरेलू कामगार के रूप में कार्य करती थी। एक वर्ष काम करने के बाद उसे अपने नियोक्ता से कुछ परेशानी हुई थी और तब से वह 5-6 वर्षों से सिंगापुर में रह रही थी। 26 फरवरी, 2008 को उसने मिशन से उसे विवाह करने के लिए शीघ्र भारत भेजने का अनुरोध करते हुए संपर्क किया। उसने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना की कोई शिकायत नहीं की थी। मिशन ने सिंगापुर के जनशक्ति मंत्रालय से उसकी शीघ्र वापसी का प्रबंध करने का अनुरोध किया।

तीसरे मामले में, मस्कट में हमारे मिशन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार केरल से एक महिला एक अनधिकृत वीजा एजेंट की मार्फत जाली विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किये गये परिवार में शामिल होने के वीजा (ओमान में कार्य कर रहे कामगारों की पत्नियों को परिवार में शामिल होने के लिए दिया जाने वाला वीजा) पर मस्कट में पहुंची थी। मस्कट पहुंचने पर उसको दो भारतीयों (गोपी और विजयन) ने उतारा और उसे एक मकान में ले गये जहां उसे बंदी बनाकर यातनाएं दी गई। उसके पति ऐसे प्राप्त शिकायत पर हमारे मिशन ने स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के समन्वय और तालमेल से परिसरों में छापा मारा जिसके दौरान एक इण्डोनेशियाई महिला के साथ तीन भारतीय पुरुष (सन्मुखन, राधाकृष्ण और वेणुगोपाल) को गिरफ्तार किया गया। कुछ दोषी (गोपी और विजयन सहित) अभी भी लापता बताये गये हैं। गिरफ्तार किये गये लोगों के विरुद्ध स्थानीय अभियोजन प्राधिकारियों द्वारा संबंधित सक्षम क्षेत्राधिकार के स्थानीय फौजदारी न्यायालय में एक फौजदारी मामला दायर किया जा रहा है। सरगनाओं को पकड़ने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी भी छान-बीन की जा रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कामगारों के अवैध उत्प्रवास और दुर्व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(1) पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें गंभीर मामलों में उनका पंजीकरण प्रमाण-पत्र/लाइसेंस निलम्बित और रद्द किया जाता है।

(2) अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के मामले में शिकायतों को संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों/उत्प्रवास संरक्षी को उत्प्रवास अधिनियम 1983 की धारा 10 तथा समुचित कानून के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने और कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है।

(3) विदेशी नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत के मामले में विदेशी नियोक्ता को पूर्व अनुमोदन श्रेणी (काली सूची) में रखा जाता है और परिणामस्वरूप उसे भारत से भर्ती करने की अनुमति नहीं होती है।

विदेशों में भारतीय कामगारों जिनमें महिला उत्प्रवासी

शामिल हैं, के हितों के संरक्षण और कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

- उत्प्रवास जांच अपेक्षित पासपोर्ट धारक, 30 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले देश में रोजगार नहीं कर सकती।

- भारतीय मिशन द्वारा यथा सत्यापित रोजगार संविदा सीधे ही कामगार और नियोक्ता के बीच होनी चाहिए न कि भर्ती एजेंट के बीच।

- विदेशी नियोक्ता द्वारा किसी भारतीय उत्प्रवासी कामगार जिसमें महिलाएं भी हैं, की सीधी भर्ती के मामले में विदेशी नियोक्ता को संबंधित भारतीय मिशन में 2500 अमरीकी डालर की बैंक गारंटी जमा करानी होती है। उपर्युक्त मानदंड को पूरा न करने की स्थिति में उत्प्रवास स्वीकृति केवल संबंधित भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित रोजगार संविदा/श्रमसंविदा की मूल प्रति की उपलब्धता के आधार पर ही दी जाती है।

- मेजबान देशों द्वारा भारतीय कामगारों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ और अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नवम्बर, 2007 में कतर के साथ 1985 में हुए करार को अद्यतन बनाने के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसे समझौता ज्ञापन बहरीन, ओमान और यमन के साथ किए जा रहे हैं। ये समझौता ज्ञापन और करार श्रम और रोजगार में सहयोग के लिए एक व्यापक संरचना प्रदान करते हैं और साथ ही प्रवासी भारतीय कामगारों के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए एक प्रभावशाली शिकायत निवारण तंत्र के रूप में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त कार्यकारी समूहों की भी व्यवस्था करते हैं।

- भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में व्यापक संशोधन पहले ही किया जा रहा है।

- कामगारों को उत्प्रवास प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए यह मंत्रालय इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दोनों में व्यापक प्रचार अभियान चला रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के मुख्य घटक

5230. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री विजय कृष्ण:
श्री जुएल ओराम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) के मुख्य घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के लोगों, विशेषकर गरीब व्यक्तियों को और अधिक प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देने के लिए एन.आर.एच.एम./एन.यू.एच.एम. के विभिन्न घटकों और उनके अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूत बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु चालू वित्त वर्ष 2008-09 तक कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकार ने 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की शुरुआत विशेषकर गरीब एवं संवेदनशील वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी एवं विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए की है। एन.आर.एच.एम. आर.सी.एच.-II, वेक्टर जनित रोगों, दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन अल्पता, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और समेकित रोग निगरानी सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मौजूदा कार्यक्रमों को एक छत्र प्रदान करता है। मिशन स्वास्थ्य के प्रति व्यापक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाता है और स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण और सुरक्षित पेयजल सहित स्वास्थ्य के समानान्तर निर्धारकों से संबंधित क्रियाकलापों में तालमेल स्थापित करता है।

भारत सरकार, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों पर विशेष ध्यान संकेन्द्रित करते हुए शहरी गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की भी परिकल्पना करती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को नया कर दिया है। राज्यों ने औषधियों, नैदानिक सेवाओं और रेफरल व्यवस्थाओं सहित ओ.पी.डी. और अंतरंग रोगी सेवाओं की उपयोगिता और जटिल अन्तर्निविष्टियों की उपलब्धता में सुधार होने की सूचना दी है। सरकार ने कार्यान्वयन के लिए सभी स्टेक होल्डरों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के बाद विस्तृत ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को क्रियाशील बनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भावना में राज्यों के सतत और सक्रिय सहयोग अन्तर्निहित हैं तथा सभी राज्य मिशन के क्रियान्वयन के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12050 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। इसमें आर.सी.एच.-II के लिए 2535 करोड़ रु., मिशन के फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत 2285 करोड़ रुपए तथा पांच रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के लिए 1087 करोड़ रुपए शामिल हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए निधियां

5231. श्री अजीत जोगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए कितनी निधियां आबंटित की गईं तथा उनमें से वास्तव में कितनी निधियां खर्च की गईं; और

(ख) उपरोक्त निधि की सहायता से प्रत्येक राज्य में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों का आबंटन और वास्तव में उस पर व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	विकास		अनुरक्षण	
	आबंटन*	व्यय	आबंटन	व्यय
2005-06	13704.35	10850.02	868.10	838.32
2006-07	15357.24	13323.38	814.34	784.29
2007-08	11994.06	11810.28	1001.68	**814.15
2008.09	15861.26	–	818.38	–

*इस आबंटन में आंतरिक और बजट संसाधन शामिल हैं।

**अनंतिम लंबित समायोजन।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में फरवरी, 2008 तक, के दौरान निर्मित/विकसित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2005-06, 2006-07 और 2007-08 में फरवरी, 2008 तक) के दौरान बनाए गए/विकसित किए गए राजमार्गों की लंबाई

क्र.सं.	राज्य का नाम	लंबाई (किमी.)
1.	आंध्र प्रदेश	458.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00
3.	असम	248.65
4.	बिहार	385.00
5.	छत्तीसगढ़	380.61
6.	गोवा	59.05
7.	गुजरात	544.20
8.	हरियाणा	388.95
9.	हिमाचल प्रदेश	340.48
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00
11.	झारखंड	428.00
12.	कर्नाटक	552.00
13.	केरल	208.45
14.	मध्य प्रदेश	835.66
15.	महाराष्ट्र	708.90
16.	मणिपुर	134.39
17.	मेघालय	87.00
18.	मिजोरम	26.00
19.	नागालैंड	58.00
20.	उड़ीसा	591.41
21.	पुडुचेरी	15.00
22.	पंजाब	507.64
23.	राजस्थान	919.15
24.	तमिलनाडु	560.53
25.	उत्तर प्रदेश	863.00
26.	उत्तराखंड	235.60
27.	पश्चिम बंगाल	231.13
	सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.)	1370.98
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.)	4064.73

दृष्टिहीनता के मामले

5232. श्री महावीर भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल पूर्णत: दृष्टिहीन और आंशिक दृष्टिहीन व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पहचाने गए मोतियाबिन्द के मामलों और उनमें से आपरेशन किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित सर्वेक्षण 2001-02 के अनुसार देश में लगभग 12 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्ति थे। देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक राज्यवार विवरण-I के रूप में संलग्न है। आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों (2005-06, 2006-07 और 2007-08) के दौरान पहचान किए गए मोतियाबिन्द के रोगियों और किए गए आपरेशनों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 में भारत में अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3919

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	1075331
3.	अरुणाचल प्रदेश	24877
4.	असम	812471
5.	बिहार	646455
6.	चण्डीगढ़	9099
7.	छत्तीसगढ़	334815
8.	दादरा एवं नगर हवेली	2359
9.	दमन और दीव	1691
10.	दिल्ली	155748
11.	गोवा	20429
12.	गुजरात	541388
13.	हरियाणा	398468
14.	हिमाचल प्रदेश	42541
15.	जम्मू-कश्मीर	162126
16.	झारखण्ड	379423
17.	कर्नाटक	938664
18.	केरल	178296
19.	लक्षद्वीप	667
20.	मध्य प्रदेश	700467
21.	महाराष्ट्र	919146
22.	मणिपुर	32963
23.	मेघालय	17065
24.	मिजोरम	6950
25.	नागालैंड	20881
26.	उड़ीसा	513897
27.	पांडिचेरी	7596
28.	पंजाब	245322
29.	राजस्थान	875333
30.	सिक्किम	3513
31.	तमिलनाडु	484465
32.	त्रिपुरा	24572
33.	उत्तर प्रदेश	1560897
34.	उत्तराखंड	47486
35.	पश्चिम बंगाल	954632
	कुल	12143952

विवरण-II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आपरेश किए गए राज्यवार मोतियाबिन्द रोगी

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
	बड़े राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	513508	510705	493580

1	2	3	4	5
2.	बिहार	131860	135289	72540
3.	छत्तीसगढ़	84407	85701	71845
4.	गोवा	5079	2383	5360
5.	गुजरात	559647	610958	644389
6.	हरियाणा	107799	94574	80940
7.	हिमाचल प्रदेश	20367	21541	17587
8.	जम्मू-कश्मीर	8912	15386	10851
9.	झारखंड	46815	61603	70659
10.	कर्नाटक	286427	298879	254546
11.	केरल	82514	97955	40534
12.	मध्य प्रदेश	274619	284428	283896
13.	महाराष्ट्र	657727	683714	614667
14.	उड़ीसा	101565	111049	94952
15.	पंजाब	176697	178198	110588
16.	राजस्थान	271215	265950	267206
17.	तमिलनाडु	494188	501832	352229
18.	उत्तर प्रदेश	624298	637079	475645
19.	उत्तराखंड	42551	42564	41474
20.	पश्चिम बंगाल	268987	223728	110574
	कुल	**4759182**	**4863496**	**4114062**
	पूर्वोत्तर राज्य			
1.	अरुणाचल प्रदेश	993	1043	1003
2.	असम	28268	48346	37969
3.	मणिपुर	1014	1156	242
4.	मेघालय	1372	1023	907

1	2	3	4	5
5.	मिजोरम	1211	2715	940
6.	नागालैण्ड	741	583	750
7.	सिक्किम	351	571	530
8.	त्रिपुरा	4359	6708	6732
	कुल	**38309**	**62145**	**49073**
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	653	1056	568
2.	चण्डीगढ़	3173	6897	5690
3.	दादरा और नगर हवेली	336	132	729
4.	दमन व दीव	364	386	316
5.	दिल्ली	84153	84914	59193
6.	लक्षद्वीप	0	89	0
7.	पाण्डिचेरी	10275	11800	12655
	कुल	**98954**	**105274**	**29151**
	ई.एस.आई.ए.एफ.सी.आर.	9174	209492	0
	योग	4905619	5240407	4242286

नोट: (*) = अनंतिम आंकड़े। कुछ राज्यों से फरवरी, 2008 और मार्च, 2008 की रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

[अनुवाद]

ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान अनुमानित विकास दर

5233. श्री तथागत सत्पथी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी लक्षित अनुमानित आर्थिक विकास दर प्राप्त करने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए अर्थव्यवस्था का विकास लक्ष्य 9% प्रतिवर्ष रखा गया है और इसका लक्ष्य इसकी अवधि के अन्त तक लगभग 10% विकास के साथ अर्थव्यवस्था की धारणीय विकास के पथ पर ले जाने का है।

(ख) केन्द्रीय बजट 2008-09 में, 2008-09 (बी.ई.) में योजना व्यय 2007-08 (आर.ई.) के व्यय की तुलना में 17.3% बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2008-09 में आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि भारत निर्माण के लिए की गई

है जिसमें ग्रामीण अवसंरचना में अन्तरों को दूर करना, तथा सिंचाई, सड़क कनेक्टिविटी, आवास व्यवस्था, जलापूर्ति, विद्युतीकरण तथा टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराना शामिल है। ग्रामीण विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्नयन के लिए वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में भी आबंटनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 8% सार्वजनिक निवेश के साथ-साथ 36.7% की निवेश दर का प्रस्ताव किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों में अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। कृषि आउटपुट को तेज करने के लिए ग्यारहवीं योजना में विभिन्न कार्यनीति उपायों का समावेश किया गया है इसमें सिंचित क्षेत्रक की विकास दर को दोगुना करना, जल प्रबंधन में सुधार करना, सिंचाई क्षमता सृजन में वृद्धि करना, वर्षा जल का संरक्षण करना, भूमिगत जल का पुनः भरण करना, जल संभर विकास, मृदा गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना, खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर्याप्त उपायों के साथ-साथ उच्च मूल्य आउटपुट्स में विविधीकरण करना, पशुपालन तथा मछली पालन का संवर्धन करना, ऋण की सुलभता, तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करके मार्किट लिंकेजों में सुधार करना शामिल है। कृषि के नए कार्यक्रमों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल है, ताकि अनाज तथा दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय कृषि योजना तथा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा सके। उद्योग क्षेत्रक के लिए ग्यारहवीं योजना में अवसंरचना में सुधार करने, दक्षता विकास करने, लघु उद्योग यूनिटों को ऋण प्रवाह अधिक करने इत्यादि पर बल दिया गया है। भौतिक अवसंरचना में निवेश को योजना के आधार वर्ष (2006-07) की लगभग 5% जी.डी.पी. को बढ़ाकर योजना अवधि के अन्त तक 9% जी.डी.पी. तक करने की परिकल्पना की गई है।

जननी सुरक्षा योजना

5234. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा प्रत्यायित समाज सेवा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) के लिए पैकेज में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में हिंदी को बढ़ावा

5235. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिनिधिमंडल विदेश गए और इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता मिली; और

(ख) इस प्रकार के दौरों पर सरकार द्वारा कुल कितना खर्च किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से मंत्रालय विभिन्न देशों में क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करता है। इन सम्मेलनों में संबंधित क्षेत्र के देशों से हिंदी विद्वान, शिक्षक, छात्र भाग लेते हैं और भारत से सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के भाग के रूप में हिंदी विशेषज्ञों को भेजा जाता है। विदेशी विद्वानों और हिंदी छात्रों ने इन सम्मेलनों का स्वागत किया है क्योंकि इनसे हिंदी शिक्षण में उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करने और हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी का आदान-प्रदान करने में मदद मिली है। इन सम्मेलनों से विदेशी हिंदी विद्वानों को हिंदी के क्षेत्र की अद्यतन प्रौद्योगिकी से परिचित कराने में भी सहायता मिली है। इस प्रकार मंत्रालय की यह पहल अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से आयोजित हिंदी सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने वाले भारत के प्रतिनिधिमण्डलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	हिंदी सम्मेलन/कार्यक्रम (देश और तारीख के साथ)	सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या
	2005-06	
1.	क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन सिडनी (आस्ट्रेलिया) 4-5 फरवरी, 2006	2
2.	क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन आबू धाबी (यू.ए.ई.) 22-24 फरवरी, 2006	1
	2006-07	
3.	क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन टोकियो (जापान) 28-30 जुलाई, 2006	6
4.	क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन मास्को (रूस) 27-29 मार्च, 2007	5
	2007-08	
5.	8वें विश्व सम्मेलन के लिए मीडिया लांच, न्यूयार्क 21-23 अप्रैल, 2007	2
6.	8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, न्यूयार्क 13-15 जुलाई, 2007	97
7.	क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन बुडापेस्ट (हंगरी) 24-26 अक्तूबर, 2007	8
8.	क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन सियोल (कोरिया गणराज्य) 9-11 नवम्बर, 2007	3
9.	विश्व हिंदी सचिवालय मॉरीशस द्वारा आयोजित हिंदी संबंधी संगोष्ठी एवं वार्ता 23-30 मार्च, 2008	1

(ख) सुचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आंकड़ा केन्द्र की स्थापना

5236. डा. के. धनराजू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारंभिक आंकड़ों को प्रयोक्ता सुलभ फार्मेट में बदलने के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आंकड़ा केन्द्र की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र द्वारा कब तक कार्य प्रारंभ करने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विविध वैज्ञानिक उपग्रह मिशनों से प्राप्त आंकड़ों के संसाधन, अभिलेखन और प्रकीर्णन हेतु भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आंकड़ा केंद्र (आई.एस.एस.डी.सी.) को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। अन्वेषणों के लिए विविध वैज्ञानिकों द्वारा इस आंकड़ा केंद्र का उपयोग किया जाएगा।

(ग) बेंगलूर के समीप इस केंद्र की स्थापना की जा रही है और 2008 की अंतिम तिमाही तक इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

राज्यों के विकास पर हुआ खर्च

5237. श्री सुभाष महरिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में राज्यों के विकास पर हो रहे खर्च में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सामाजिक क्षेत्र में कितना लक्ष्य प्राप्त हो पाया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) राज्य-वार वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक योजना व्यय और वर्ष 2007-08 हेतु प्रत्याशित योजना व्यय के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राज्य-वार वर्ष 2006-07 और 2007-08 में अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक/प्रत्याशित योजना व्यय को दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2006-07 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2007-08 प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	18,206.99	29,982.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	892.14	1,277.52
3.	असम	2758.48	3,800.00
4.	बिहार	8,549.70	10,200.00
5.	छत्तीसगढ़	5,106.95	6,805.63
6.	गोवा	1069.96	1,853.50
7.	गुजरात	14384.46	16,000.00
8.	हरियाणा	3928.71	5,502.35
9.	हिमाचल प्रदेश	2017.23	2,100.00
10.	जम्मू-कश्मीर	3,406.19	5,000.00
11.	झारखंड	3883.02	6,431.61
12.	कर्नाटक	17227.95*	17,782.58 $
13.	केरल	4558.64	6,950.00
14.	मध्य प्रदेश	9531.82	12,426.45
15.	महाराष्ट्र	15681.38	16,148.03
16.	मणिपुर	1045.56	1,420.40

1	2	3	4
17.	मेघालय	759.81	1,128.51
18.	मिजोरम	702.44	851.15
19.	नागालैण्ड	693.29	939.79
20.	उड़ीसा	3,630.51	5,520.00
21.	पंजाब	5751.83	5,111.00
22.	राजस्थान	8969.31	13,002.51
23.	सिक्किम	450.17	656.42
24.	तमिलनाडु	12677.04	14,209.68
25.	त्रिपुरा	891.62	1,220.00
26.	उत्तर प्रदेश	20,096.90	25,001.66
27.	उत्तराखंड	3,250.09	4,378.63
28.	पश्चिम बंगाल	6,935.49	9,150.00

*संशोधित परिव्यय

$अनुमोदित परिव्यय

विवरण-II

(करोड़ रुपये)

राज्य	वार्षिक योजना 2006-07		वार्षिक योजना 2007-08	
	सामाजिक सेवाओं हेतु परिव्यय	सामाजिक सेवाओं हेतु व्यय	सामाजिक सेवाओं हेतु परिव्यय	सामाजिक सेवाओं हेतु व्यय
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	5,710.25	4,548.65	10,821.20	10,542.83
अरुणाचल प्रदेश	221.31	271.71	230.79	289.51
असम	963.13	409.17	797.92	703.86
बिहार	2510.59	2,635.98	2,457.36	2,457.36
छत्तीसगढ़	2,216.00	2,497.48	3,261.32	3,005.78

1	2	3	4	5
गोवा	530.18	433.22	616.12	838.11
गुजरात	4,530.34	4,971.97	6,676.05	6,676.05
हरियाणा	1573.82	1,573.82	2,602.78	2,596.41
हिमाचल प्रदेश	890.14	1,061.35	912.59	912.59
जम्मू-कश्मीर	964.14	951.23	1,152.77	1,196.62
झारखंड	1894.61	1,396.69	2,310.91	2,499.30
कर्नाटक	5236.66	5,478.37	6,585.57	6,585.37$
केरल	1644.91	930.27	1,984.14	1,984.14
मध्य प्रदेश	2681.96	2.803.52	3,941.71	3,896.58
महाराष्ट्र	5850.65	5,453.64	7,832.02	4,108.35
मणिपुर	432.66	356.72	292.88	503.40
मेघालय	276.59	221.79	284.18	285.66
मिजोरम	287.24	252.17	308.91	308.91
नागालैण्ड	252.15	248.73	227.51	286.90
उड़ीसा	920.32	982.62	1,541.95	1,653.73
पंजाब	609.80	1,065.76	1,587.48	1,587.48
राजस्थान	3160.98	2,721.66	2,957.81	2,975.72
सिक्किम	197.60	182.93	238.26	255.80
तमिलनाडु	5446.72	5,284.95	6,524.02	6,159.58
त्रिपुरा	374.10	360.87	444.10	442.10
उत्तर प्रदेश	7549.59	8,090.52	9,682.34	5,368.82
उत्तराखंड	1691.19	1,273.30	1,993.03	1,993.03
पश्चिम बंगाल	2930.38	2,543.14	4,383.87	4,383.8

* संशोधित परिव्यय

$ अनुमोदित परिव्यय

[अनुवाद]

चिकित्सकों द्वारा लापरवाही

5238. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लापरवाही के कारण मौत होने के आरोपों की जांच के लिए गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एम्स में लापरवाही के कारण होने वाली मौत के आरोप की जांच करने के लिए निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार दो जांच समितियों का गठन किया गया है:-

रोगी गोकुल प्रसाद शर्मा-75 वर्ष, पुरुष का दिनांक 17-8-2007 को सी.टी.वी.एस. ऑपरेशन थिएटर में सी.ए.बी.जी. प्रक्रिया हेतु आपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में एक सर्जिकल स्क्रू छाती में रह गया जिसे बाद में 20-8-2007 को एम्स में एक रि-एक्प्लोरेशन ऑपरेशन में हटा दिया गया। इस मामले की दो अलग-अलग जांच समितियों द्वारा जांच की गई है। तथापि, इस स्थिति में यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। अन्य समिति का गठन डा. भीम राव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटेरी कैंसर अस्पताल (डा. बी.आर.ए.आई.आर.सी.एच.) में एक रोगी की मौत में लापरवाही के संबंध में उसके संबंधियों के आरोप के आधार पर किया गया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

सरकारी अस्पतालों में मेनिनजाइटिस का टीका

5239. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मेनिनजाइटिस के टीके आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य सूची का एक विषय होने के कारण ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित प्रतिरक्षण के रूप में मेनिनजाइटिस वैक्सीनें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ क्षेत्र प्रशासन को आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, भारत सरकार हज के दौरान हजयात्रियों के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को विशिष्ट संख्या में मेननिजाइटिस वैक्सीनें आबंटित करती है।

भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन

5240. डा. के.एस. मनोज: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत में भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों और हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी हां।

(ख) भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 और 9 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में किया गया। इसके पूर्व विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुई थीं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विविध क्षेत्रों में भारत-अफ्रीका सहयोग के लिए एक नई रूपरेखा की पहचान करना था जिससे हमारी आपसी क्षमता संवर्धित हो।

(ग) इस शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा और भारत-अफ्रीका सहयोग की रूपरेखा पारित की गई। इन दोनों की प्रतियां क्रमश: विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

भारत-अफ्रीका

मंच शिखर सम्मेलन, 2008

नई दिल्ली, 8-9 अप्रैल, 2008

दिल्ली घोषणा

1. अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका संघ और इसकी संस्थाओं

का प्रतिनिधित्व करने वाले हम अफ्रीका के राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख तथा भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री ने भारत में अफ्रीका महाद्वीप और भारत के बीच दशकों पुरानी भागीदारी और ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत संपर्कों को पुनः परिभाषित और पुनर्जीवित करने के लिए आज नई दिल्ली में मुलाकात की।

2. हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विशेष रूप से पिछले ढाई दशकों के दौरान अफ्रीका और भारत में बृहत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष में अफ्रीका और भारत ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ मित्र रहे हैं। हम हिंद महासागर के आर-पार के पड़ोसी हैं। हम इस बात को नोट करते हैं कि विशेष रूप से रचनात्मक अधिनियम को पारित किये जाने तथा अफ्रीकी संघ और इसकी संस्थाओं यथा, पैन-अफ्रिकी संसद, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद, मानव और लोगों के अधिकारों से संबद्ध अफ्रीकी न्यायालय और इसके कार्यक्रम तथा अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी (नेपाड) और अफ्रीका समकक्ष व्यक्ति समीक्षा तंत्र (ए.पी.आर.एम.) एवं शांति और सुरक्षा परिषद की स्थापना किये जाने से अफ्रीका के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आये हैं और लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है। इस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था और भी परिपक्व एवं गतिशील हुई है तथा भारतीय लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ है। अतः हमने आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से क्रियाशील और स्वयं के साथ एवं विश्व के साथ शांति से रहने के उद्देश्य से एक-दूसरे की सहायता करने हेतु इन सकारात्मक उपलब्धियों का आगे लाभ उठाने और अपनी घनिष्ठ भागीदारी को सुदृढ़ बनाने हेतु मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है।

3. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफ्रीकी देश और भारत के बीच राजनैतिक, सुरक्षा संबंधी, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास सामाजिक सांस्कृतिक और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ, सहकारी और बहु-क्षेत्रीय भागीदारी रही है, आज हमने सहयोग की रूपरेखा पारित की है, जो आपसी हित के इन सभी और अन्य क्षेत्रों में हमारी भागीदारी को संवर्धित करेगी।

4. यह भागीदारी आपसी लाभ के लिए हमारे लोगों के बीच समानता और आपसी सम्मान की समझबूझ के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होगी।

यह निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगीः राज्य की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान तथा अफ्रीकी एकीकरण की प्रक्रिया को गहन बनाने के प्रति वचनबद्धता; हमारे राज्यों और लोगों के आपसी लाभ के लिए सामूहिक कार्रवाई और सहयोग; शांति सहिष्णुता और संस्कृति को बढ़ावा तथा धार्मिक संस्कृतिक भाषाई एवं जातीय विविधताओं का सम्मान तथा महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सभ्यताओं के बीच क्रियाकलाप ताकि हमारे लोगों के बीच विश्वास और समझबूझ को बढ़ावा दिया जा सके; अफ्रीका में वर्तमान उपक्षेत्रीय पहलकदमियों को संपूरित करते हुए और इससे लाभ उठाते हुए अंतर क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय एकीकरण के सकारात्मक घटनाक्रमों को बढ़ावा, विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों एवं विकास के स्तरों हेतु इस क्षेत्र के भीतर विविधता की पहचान करने तथा हमारे बहुवादी लोकतंत्र के विकास को और सुदृढ़ बनाना।

5. आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने समक्ष विद्यमान अनेक समस्याओं का समाधान करने में जुटा है, जिनमें शामिल है, जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण सहित पर्यावरण विकृति, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र एवं ब्रेटन वुड्स जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और इनका लोकतंत्रीकरण, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, लघु शस्त्रों एवं हल्के हथियारों, नाभिकीय एवं सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों के गैर-कानूनी प्रसार का मुकाबला, स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार के विरुद्ध लड़ाई, सामाजिक न्याय, भूख, गरीबी का उन्मूलन और बीमारियों का मुकाबला करने सहित सतत विकास के प्रयास। अफ्रीका और भारत यह सुनिश्चित करने की अपनी मंशा को दोहराते हैं कि इन सभी मामलों में विकासशील देशों के हितों को सबसे पहले रखा जाए तथा हमारे महाद्वीपों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित आवश्यकताओं की गारंटी दी जाए।

6. हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी वैश्विक चुनौती है, जो विकासशील देशों की कमजोरियों, अपर्याप्त साधनों तथा इसके प्रभावों से निपटने की सीमित क्षमता के आलोक में इन देशों के लिए विशेष रूप से गम्भीर हैं। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि विकास अनुकूलन का सर्वोत्तम स्वरूप है और विकासशील देशों के लिए त्वरित सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम इस बात को भी नोट

करते हैं कि प्रभावी अनुकूलन के लिए समर्थ बनने हेतु सतत विकास की आवश्यकता है। हम इस बात को महत्वपूर्ण मानते हैं कि अनुकूलन प्रयासों का वित्तपोषण अतिरिक्त संसाधनों से किया जाए न कि विकास के लिए निर्धारित निधियों से।

7. हम इस बात पर खुशी व्यक्त करते हैं कि विकासशील देशों ने क्योतो प्रोतोकोल के अंतर्गत निर्धारित की गई अवधि में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने की वचनबद्धता का अभाव दर्शाया है। हम ऐतिहासिक उत्सर्जनों को ध्यान में रखते हुए प्रशमन के लिए समान रूप से जिम्मेदारी का वहन करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इस संबंध में हम विकासशील और विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में समानता लाए जाने के भारत के प्रधान मंत्री के प्रस्ताव को महत्वपूर्ण मानते हैं।

8. हम अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से विशेष रूप से प्रौद्योगिकी अंतरण, वित्तपोषण एवं क्षमता निर्माण क्षेत्रों सहित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अन्य वचनबद्धताओं को वास्तविक एवं तात्कालिक आधार पर प्रभावी बनाने का आह्वान करते हैं। हम बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) व्यवस्था पर भी गहन विचार-विमर्श करने की आवश्यकता को स्वीकारते हैं ताकि विकासशील देशों को उपयुक्त एवं उच्च स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का रियायती अंतरण सुनिश्चित किया जा सके।

9. हम जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय, विशेष रूप से समान परन्तु भिन्न जिम्मेदारियां और अलग-अलग क्षमताओं के महत्वपूर्ण सिद्धांत के आधार पर जलवायु परिवर्तन की समस्या का व्यापक रूप से मुकाबला करने के लिए बाली कार्य योजना के अंतर्गत आने वाली वार्ताओं में प्रभावी भागीदारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

10. हम व्यापार वार्ता से संबद्ध विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के दोहा दौर की बातचीतों में भी अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। हम इस दौर के विकास आयाम के महत्व को दोहराते हैं और इस प्रक्रिया में विकासशील देशों के बीच संवर्धित क्रियाकलाप, एकजुटता और सहयोग का स्वागत करते हैं। हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि किसी भी स्वीकार्य करार में विकासशील देशों में आजीविका, खाद्य आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास से संबंधित चिन्ताओं को पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के नतीजे में विकसित देशों द्वारा व्यापार को विकृत बनाने वाली घरेलू सहायता और राज सहायता में महत्वपूर्ण और प्रभावी कमी लाने की बात को शामिल किया जाना चाहिए। गैर-कृषि बाजार पहुंच (एन.ए.एम.) सेवाओं और नियमों के संबंध में भी महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जाना है। हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु, न कि कृत्रिम समय सीमा पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। एक विकास दौर का वायदा पूर्ण रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

11. हम अल्प विकसित देशों (एल.डी.सी.) को सार्थक बाजार पहुंच उपलब्ध कराने की अपनी वचनबद्धता की भी पुष्टि करते हैं। हम विश्व व्यापार संगठन के देशों से अल्प विकसित देशों में उत्पादित सभी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त बाजार पहुंच व्यवस्था को क्रियान्वित करने और सरल एवं पारदर्शी उद्भव नियमों के जरिए उन्हें उपयुक्त बाजार पहुंच मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त उपाय करने का आह्वान करते हैं।

12. हम अल्प विकसित देशों को व्यापार संबंधी तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहायता उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देते हैं ताकि वर्तमान वैश्विक व्यापार ढांचे में उनके पिछड़ेपन के प्रभाव को कम करने में उनकी सहायता की जा सके और उनके लिए बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण प्रक्रिया के इष्टतम लाभ सुनिश्चित किये जा सकें। हम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पारदर्शी और पूर्वानुमेय नियमों के जरिए अल्प विकसित देशों को प्रभावी बाजार पहुंच सुनिश्चित कराने के लक्ष्य में उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

13. हम अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता पर सहमत हैं ताकि ये बदलती वैश्विक परिस्थितियों को परिलक्षित कर सकें। इस संदर्भ में हम कोटा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में मतदान अधिकारों सहित विकासशील देशों की प्रभावी आवाज देने और भागीदारी की आवश्यकता पर बल देते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दायित्व की वैधता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

14. हम बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र संगठन के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत बनाने की भी वचनबद्धता व्यक्त करते हैं।

15. हम साझे हित के मुद्दों का समाधान करने के

उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र, जी-77 और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर अफ्रीका-भारत सहयोग को और संवर्धित करने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्काल और व्यापक सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह आज के विश्व की चुनौतियों का और भी प्रभावी तरीके से मुकाबला करने में समर्थ हो सके। हम इस विचार के प्रति भी सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र को और भी पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से कार्य करना चाहिए और यह कि इसके सभी अंगों की संरचना में निश्चित रूप से समसामयिक यथार्थ परिलक्षित होने चाहिए। निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

16. भारत विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपना सही स्थान प्राप्त करने के अफ्रीकी देशों के विचारों और उनकी आकांक्षाओं को भलीभांति समझता है, जैसा कि इजुलविनी सर्वसम्मति में सन्निहित है। अफ्रीका भी विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पर्ण अधिकारों के साथ एक स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षा को जानता है। हम संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया में दोनों पक्षों को सक्रिय और सकारात्मक रूप से शामिल किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र और इसकी प्रणाली, विशेष रूप से महासभा की भूमिका के संवर्धन और सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार संबंधी सुधारों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच और सहयोग करने पर सहमति व्यक्त करते हैं।

17. हमारा मानना है कि नाभिकीय हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य शस्त्रों के वैश्विक, भेदभाव रहित और सत्यापनीय उन्मूलन के जरिए ही सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। हम निःशस्त्रीकरण को समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 10वें विशेष सत्र में पारित अंतिम दस्तावेज के जरिए प्राप्त सर्वसम्मति के प्रति अपनी वचनबद्धता को नवीकृत करते हैं जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि निःशस्त्रीकरण में सबसे पहली प्राथमिकता नाभिकीय निःशस्त्रीकरण को दी जाएगी। हम ऐसे विशेष उपायों पर सार्थक बातचीत करने का आह्वान करते हैं जिससे नाभिकीय हथियारों में कमी आए और अंततः इनका उन्मूलन हो जिससे कि यह विश्व सामूहिक विनाश के सभी हथियारों से मुक्त हो सके, जो परिकल्पना वर्ष 1988 की राजीव गांधी कार्य योजना और 1995 के अफ्रीका नाभिकीय शस्त्र मुक्त क्षेत्र संधि (पेलिनदाबसंधि) और अन्य प्रासंगिक अफ्रीकी एवं भारतीय क्षेत्रीय पहलकदमियों में की गई थी।

18. हम आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से भर्त्सना करते हैं। विश्व में कहीं भी होने वाली आतंकवादी घटनाएं सम्पूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा हैं। हम वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध सभी अभिसमयों और इससे जुड़े प्रोतोकोलों और आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए मिलकर प्रयास करने पर सहमत होते हैं।

19. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि शुरु से ही अफ्रीका और भारत के बीच होने वाला सहयोग दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक सार्थक उदाहरण रहा है। हमने अफ्रीका और भारत में विकसित नई क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण-दक्षिण भागीदारी को और विस्तारित करने के नये तौर-तरीकों का पता लगाने का प्रयास किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सहयोग की एक रूपरेखा पारित की है, जो भारत-अफ्रीका भागीदारी के संवर्धित और गतिशील विकास के लिए मार्ग उपलब्ध कराएगा। अफ्रीकी नेताओं ने भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा इस शिखर सम्मेलन में घोषित उन पहलकदमियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है जिससे सहयोग की इस रूपरेखा को क्रियान्वित करने के लिए सूचना सामग्री उपलब्ध हो पाएंगी। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि अफ्रीका और भारत न सिर्फ अपने द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करेंगे, बल्कि भारत-अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय के साथ भी अपनी भागीदारी को उत्तरोत्तर बढ़ावा देंगे।

20. हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संदर्भों में हमारे बीच विद्यमान उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान के अतिरिक्त भारत और अफ्रीका के बीच प्रति तीन वर्ष में एक बैठक हो। तदनुरूप हम इस बात पर सहमत होते हैं कि अगले अफ्रीका-भारत मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2011 में अफ्रीका में किया जाए।

21. द्विपक्षीय, आर.ई.सी. और अन्य स्तरों पर भारत के जारी और भावी कार्यक्रमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हम सहयोग की अपनी रूपरेखा को क्रियान्वित करने के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर महाद्वीपीय स्तर पर एक संयुक्त कार्रवाई योजना और एक उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र विकसित करने पर सहमत होते हैं।

22. इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले हम राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिमंडल प्रमुख, इस अवसर पर भारत की सरकार और जनता, विशेषरूप से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और हमारा जोरदार स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस शिखर सम्मेलन ने अफ्रीका और भारत के बीच विद्यमान युगों पुराने संबंधों को और भी सुदृढ़ किया है। यह एक ऐसा संबंध है, जो आपसी लाभ के लिए और पारस्परिक विश्वास, समानता तथा एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है।

23. इस अवसर पर भारत के प्रधान मंत्री, भारत की सरकार और लोगों की ओर से अफ्रीका-भारत मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण स्वीकार करने और भारत-अफ्रीका भागीदारी को संवर्धित करने हेतु सार्थक एवं उपयोगी सुझाव देने के लिए अफ्रीका से आए भागीदार राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और प्रतिनिधि मंडल प्रमुखों को धन्यवाद देते हैं।

9 अप्रैल 2008 को नई दिल्ली में जारी।

विवरण-II

भारत-अफ्रीका सहयोग की रूपरेखा

अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकी संघ और इसकी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अफ्रीका के राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख ने भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के साथ अफ्रीका-भारत संबंधों के समृद्धशाली इतिहास को स्मरण करते हुए और दोनों पक्षों के बीच मौजूदा घनिष्ठ, व्यापक और बहु-आयामी संबंधों पर संतोष व्यक्त करते हुए तथा इस सहयोग को एक नया विस्तार देने की आवश्यकता महसूस करते हुए अफ्रीका और भारत के बीच सहयोग की इस रूपरेखा को अंगीकार करने का निर्णय लिया है।

दोनों पक्ष इसमें नीचे वर्णित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

1. आर्थिक सहयोग

चूंकि अफ्रीका और भारत के लिए परस्पर लाभकारी आर्थिक विकास की अपनी खोज में एक अनुकूल और समर्थकारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल महत्वपूर्ण है, दोनों पक्ष अपने-अपने बीच व्यापार एवं उद्योग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.), लघु एवं मध्य-आकार के उद्यमों (एस.एम.ई.) के विकास और अफ्रीका की क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए पुनः प्रयास कर ऐसे माहौल को पल्लवित और पुष्पित करने की आवश्यकता को एतदद्वारा स्वीकार करते हैं। इस संबंध में, दोनों पक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं:

i. कृषि

अफ्रीका और भारत इस बात पर सहमत हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए कृषि का विकास एक कारगर उपाय है और इससे लोगों की आजीविका की स्थिति में सुधार होता है और विश्व बाजार में अपने निर्यातों को बढ़ाने और अफ्रीका की खाद्यान्न सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में अफ्रीका और भारत सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हैं। वे भूमि और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रभावकारी समर्थन के साथ कृषि और पशुधन संसाधनों के सतत विकास पर बल देते हैं। सहयोग निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा:

- कृषि क्षेत्र से संबंधित नीतिगत विश्लेषण एवं योजना बनाने में क्षमता निर्माण और अनुभव का आदान-प्रदान करना;
- जल संसाधन प्रबंधन एवं सिंचाई प्रणालियों, कृषि-अवसंरचना विकास, अनुप्रयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी के अंतरण और कौशल अंतरण में सहयोग;
- कृषि-जनित रोगों का मुकाबला करने में सहयोग;
- विस्तार कार्यकलापों और कृषि ऋण नीतियों सहित अपेक्षित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानदंडों का अनुसरण करने के लिए लघु भूमि धारण करने वाले अफ्रीकी खाद्यान्न उत्पादकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण;

- समुचित भंडारण और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर अनुभव और सूचना का आदान-प्रदान करना और खाद्य एवं कृषि उत्पादों से संबंधित वैविध्यकरण और मूल्य संवर्धन हेतु अफ्रीकी और भारतीय विकसित प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना;

- अफ्रीका और भारत के पण्य बोर्डों के बीच कृषि-यंत्रीकरण, फसल-कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, जैव-कृषि, नीतिगत एवं नियामक रूपरेखाओं में और सीमा-पार पण्य विनिमय बोर्ड स्थापित करने में एक-दूसरे के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से सुविज्ञता और सूचना को बांटना;

- अफ्रीकी मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के लिए बाजार के अवसर में वृद्धि करना;

- अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और अंतरण सहित पशुधन प्रबंधन, प्रजनन प्रौद्योगिकी, मांस प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग विकास, मत्स्यपालन एवं जल कृषि में सहयोग;

- कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता और पोषण के उद्देश्य से कृषि एवं औद्योगिक विकास के बीच संपर्क स्थापित करना; और

- कृषि प्रशिक्षण केंद्रों और संबंधित अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा।

ii. व्यापार, उद्योग एवं निवेश

अफ्रीका और भारत दोतरफा व्यापार, वृहत्तर बाजार संपर्क और निवेश को सुविधाजनक बनाने का विस्तार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय लेते हैं:

- डब्ल्यू.टी.ओ. के अंतर्गत व्यापार वार्ता, विवाद समाधान और विभिन्न करारों के कार्यान्वयन के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण;

- दोनों पक्षों के पास उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के लिए विश्व बाजार विकसित करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के उद्यमों के संपर्कों को सुदृढ़ करना;

- अफ्रीकी उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार संपर्क प्रदान करने का प्रयास करने सहित अफ्रीकी देशों और भारत के निर्यात रूचि के उत्पादों के लिए समुन्नत बाजार संपर्क के माध्यम से व्यापार उदारीकरण के लाभ को अधिकतम करना;

- मूल्य संवर्धन/प्रसंस्करण के माध्यम सहित दोनों पक्षों के बीच संवर्धित व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना;

- व्यावसायिक शिष्टमंडलों का संगठन बनाना एवं व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में उसकी भागीदारी;

- संसाधनों और अवसरों को परस्पर प्रगति के प्रति लक्षित उद्यमशीलता विकास और सुविधाकरण के संसाधनों एवं अवसरों के मापन हेतु संयुक्त रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करना;

- दोनों पक्षों के पास उद्यमशीलता से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए, व्यापारिक कान्क्लेवों के माध्यम जैसे व्यापार-से-व्यापार संपर्कों और दोनों पक्षों के वाणिज्यिक मिशनों के जरिए व्यापार सुविधा को उन्नत बनाने के लिए परियोजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन करना; और

- निगमित सुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना।

iii. लघु एवं मध्य-आकार के उद्यम (एस.एम.ई.)

अफ्रीका और भारत इस बात को स्वीकार करते हैं कि अफ्रीकी देशों के औद्योगिकीकरण की दिशा में सतत और सफल औद्योगिक नीति, सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रमों का सर्वप्रथम विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के जरिए क्षमता निर्माण;

- एस.एम.ई. के लिए नीति-निर्माण और संस्थागत ढांचा विकास के संबंध में क्षमता निर्माण;

- अफ्रीका और भारत के व्यावसायिक उद्यमों के बीच संयुक्त उद्यम को बढ़ावा;

- पारंपरिक और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के लिए अफ्रीका और भारत में प्रशिक्षण; और

- टर्नकी आधार पर चलाई जाने वाली परियोजनाओं सहित एस.एम.ई. उत्पादों का संवर्धन।

iv. वित्त

वित्तीय क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने का निर्णय लिया गया है:

- सूक्ष्म वित्त क्षेत्र सहित समग्र वित्तीय क्षेत्र में नीतिगत और नियामक रूपरेखाओं पर क्षमता निर्माण के संबंध में अनुभवों का आदान-प्रदान;
- घरेलू बचत को बढ़ावा देने में अनुभवों का आदान-प्रदान;
- स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्वचालित व्यापार प्रणाली के विकास में क्षमता निर्माण और पैन-अफ्रीकी स्टॉक एक्सचेंजों जैसे सीमा पार स्टॉक एक्सचेंजों का विकास; और
- सहयोग के क्षेत्रों में परिकल्पित विभिन्न परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।

v. क्षेत्रीय एकीकरण

विकास प्रयासों में क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए अफ्रीका और भारत ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

- अफ्रीका संघ और क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों द्वारा आपसी सहमति से चलाए जा रहे एकीकरण कार्यक्रमों, विशेष रूप से जो अंतर-क्षेत्रीय और महाद्वीपीय महत्व के हैं, के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान
- अवसंरचना विकास सहित क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय परियोजनाओं को प्रोत्साहन और सहायता; और
- अफ्रीकी संघ को वित्तीय संस्थाओं की संस्थापना को सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता का प्रावधान।

2. राजनैतिक सहयोग

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शांति, सुरक्षा और विकास अपरिहार्य हैं, क्योंकि शांति के बिना स्थायी विकास संभव नहीं है और शासन के ढांचों तथा सभ्य समाज के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारत निम्नलिखित उपायों के जरिए स्थायी विकास, समृद्धि और शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अफ्रीका को समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है:

i. शांति एवं सुरक्षा

- पश्च युद्ध पुनर्निर्माण और विकास (पी.सी.आर.डी.) के लिए अफ्रीकी संघ की नीतिगत रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए शांति रक्षा एवं पश्च युद्ध पुनर्निर्माण प्रयासों में अफ्रीकी संघ और भारत के अनुभवों का आदान-प्रदान;
- शांति रक्षा कार्रवाइयों में महिलाओं की भूमिका से संबंधित पाठों को सीखने और अनुभवों के आदान-प्रदान में सहयोग;
- शांति रक्षा कार्रवाइयों के असैन्य घटक को बढ़ावा देने की दिशा में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के विकास और क्रियान्वयन में सहयोग;
- हवाला और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण;
- महिला पुलिस इकाइयां बनाने में सहयोग;
- शांति रक्षा कार्रवाइयों के भाग के रूप में प्रभावी पुलिस व्यवस्था एवं पुलिस समर्थन के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास और क्रियान्वयन में सहयोग;
- आतंकवाद से संबद्ध अफ्रीकी अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा अन्य संस्थानों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में क्षमता संवर्धन हेतु;
- अनुभव एवं जानकारी बांटना, मादक औषधियों, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में सहयोग; और
- आपदा प्रबंधन और मानवीय हस्तक्षेप के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण।

ii. सभ्य समाज और सुशासन

- प्रशासनिक सुधारों के जरिए स्थानीय सरकारों के

शासन के विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण से संबंधित विचारों का आदान-प्रदान और स्थानीय एवं केंद्र सरकार में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना;

- विभिन्न प्रसांगिक मुद्दों पर अफ्रीका और भारत के असैनिक संस्थापनाओं और प्रशिक्षण संस्थाओं में सहयोग आरंभ करने, इसे गहन बनाने तथा कायम रखने के लिए एक मंच की स्थापना;

- दक्षिण-दक्षिण की स्थितियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक, राजनैतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक संयुक्त मंच का निर्माण करना, जिससे अफ्रीका और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर लाभ उठा सकें;

- लोक सेवा सुधारों और मानवाधिकार व्यवस्थाओं के क्षेत्र में आपसी क्षमता संवर्धित करने के उद्देश्य से अनुभवों की साझेदारी एवं आदान-प्रदान;

- स्थानीय स्तर पर लोकतंत्रीकरण को गहन बनाने के लिए कार्यनीति संबंधी अनुभवों की साझेदारी, लोकतांत्रिक संदर्भ में नृजातीय विविधता और धन के वितरण का प्रबंधन तथा लोक सेवाओं को व्यवसायिक रूप प्रदान करना;

- व्यापक एवं दुर्गम भू-भागों में चुनावों के आयोजन पर अनुभवों की साझेदारी तथा सुविज्ञता का आदान-प्रदान;

- डायसपोरा से संसाधनों को काम में लाने में अनुभवों की साझेदारी;

- मानव एवं जन अधिकार संबंधी अफ्रीकी न्यायालय को सुदृढ़ बनाने में सहायता;

- बार एसोशिएसनों के माध्यम से कानूनी विशेषज्ञ, वकीलों का आपसी संपर्क;

- कानूनी शोध क्रियाविधि तथा उभरते अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मसलों में सहयोग, जैसे कि तंत्र, प्रक्रियाएं और नियामक रूपरेखाएं जो आउटसोर्सिंग को समर्थन देती हैं।

3. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास

i. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी संस्थानों के बीच मजबूत नेटवर्क विकसित करना;

- प्रौद्योगिकी अंतरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास में अनुभवों की साझेदारी;

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु क्षमता निर्माण में अनुभवों की साझेदारी;

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में पुरस्कारों की मान्यता और गुणवत्ता मानकों के निर्धारण में सहयोग; और

- स्वदेशी ज्ञान सहित बौद्धिक संपदा के प्रबंधन में सहयोग।

ii सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)

यह मानते हुए कि सूचना प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के एक मुख्य साधन के रूप में उभर रही है तथा सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के असंख्य क्षेत्रों की अवसंरचना एवं विकास का मूलभूत हिस्सा बन गयी है, अफ्रीका और भारत निम्नलिखित कदम उठाने पर सहमत हैं:-

- बारत द्वारा वित्तपोषित पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना की गतिशीलता तथा तीव्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग। यह परियोजना अंकीय विभाजन को दूर करने में, समस्त अफ्रीकी देशों का संपर्क सुनिश्चित कराने में तथा अफ्रीकी देशों के जन समुदाय को अत्यंत आवश्यक दूर-चिकित्सा एवं दूर-शिक्षा प्रदान करने में एक प्रमुख कदम होगा;

- नेपाड की रूपरेखा के तहत विकसित किए गए अंकीय संहति तंत्र के कार्यान्वयन में सहयोग;

- आई.सी.टी. हेतु ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ आदि जैसी मॉडल कानूनी एवं नीतिगत रूपरेखा युक्तियों में क्षमता-निर्माण में सहयोग;

- आई.सी.टी. नियामक निकायों के बीच सहयोग एवं सूचना की साझेदारी;

- सूचना और संचार प्रौद्यौगिकी यंत्रों और अनुप्रयोगों का विकास जिसका उद्देश्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक प्रशासन कराधान प्रबंधन, सार्वजनिक

वित्त व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं के कामकाज में सुधार लाना है;

- प्रौद्योगिकी, संगठन, सूचना, शिक्षा और कौशल विकास जैसे गैर-भौतिक ज्ञान आधारित मानव संसाधनों के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना;

- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना में सहयोग प्रदान करना ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास की गति बढ़े और ग्रामीण कनेक्टिविटी की व्यवस्था के साथ ही डिजिटल भेद को रोका जा सके।

4. सामाजिक विकास और क्षमता निर्माण में सहयोग:

i. शिक्षा:

अफ्रीका और भारत यह स्वीकार करते हैं कि अफ्रीका के सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन विकास सबसे अहम है और सर्वव्यापी जनशिक्षा इस प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। गुणवत्ता और लिंगगत समानता पर विशेष ध्यान देते हुए सर्वव्यापी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अफ्रीका और भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:-

- शिक्षा पर वित्तीय और सांख्यिकीय सूचना के प्रभावी उपयोग के माध्यम से शिक्षा नीति की योजना बनाने और उसके प्रशासन हेतु अनुभवों को बांटना और क्षमता निर्माण करना;

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) कार्यक्रमों से अफ्रीका को दिए जाने वाले वजीफे को बढ़ाना जिसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े पाठ्यक्रमों को केन्द्र बनाया जाएगा।

- "मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" के अनुभवों और उत्कृष्ट प्रयोगों की साझेदारी;

- शिक्षण कार्य एवं सीखने की सामग्री के विकास और निर्माण में सहयोग जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षण हेतु उपकरण और खासतौर पर विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तकें भी शामिल हैं।

- मुक्त और सुदूरवर्ती शिक्षा/शिक्षण कार्यक्रमों के अभिकल्प और क्रियान्वयन में सहयोग और साथ ही वांछित कर्मियों जैसे शिक्षक और आई.सी.टी. तकनीशियनों की क्षमता का निर्माण करना;

- अफ्रीका और भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बीच संबंध स्थापित करके छात्रों और कर्मचारियों के आदान-प्रदान हेतु कार्यक्रम तैयार करना;

- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण कार्यशालाओं को सुसज्जित करने में सहयोग;

- आई.सी.टी. के माध्यम से युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने में सहयोग।

ii. स्वास्थ्य

अफ्रीका और भारत यह मानते हैं कि स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली का दर्जा बढ़ाकर उसे कारगर बनाना और अफ्रीका एवं भारत के लोगों की स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में पहुंच बढ़ाना एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए वे स्वास्थ्य संवर्धन एवं स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु राजी हैं जिसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा:-

- मान्यता प्राप्त बौद्धिक संपदा व्यवस्था के बीच पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली के संबंध में अनुभवों, सूचना और सुविज्ञता की साझेदारी;

- स्वास्थ्य व्यवसायियों और चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

- स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकास एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम संबंधी अनुभव एवं जानकारी बांटना;

- स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों जैसे अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों आदि के बीच संबंध स्थापित करना;

- पर्याप्त चिकित्सा सेवाओं की सर्वव्यापी पहुंच को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के संबंध में सहयोग पर ध्यान देना जिसके अंतर्गत दूरचिकित्सा अवसंरचना और प्रौद्योगिकी का विकास भी शामिल है ताकि

रोगियों को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें जैसे चिकित्सा निदान और अन्य सेवाएं जिन्हें वे सामान्य तौर पर दूरी और/अथवा विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त न हो पाने के कारण प्राप्त नहीं कर पाते;

- सस्ती और गुणवत्तायुक्त दवाओं खासतौर पर जरूरी दवाओं की घरेलू निर्माण क्षमता को मजबूत बनाना और उन्हें उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों और सहयोगी प्रयासों का आदान-प्रदान भी शामिल हैं;

- एच.आई.वी./एड्स, तपेदिक, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सहयोग बढ़ाना;

- अनुपयोगी दवाओं के विस्तार को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहयोग;

- ओरल रिहाइड्रेशन चिकित्सा के स्थानीय उत्पादन।

iii. जल और स्वच्छता

अफ्रीका और भारत दोनों में कई समुदायों को पर्याप्त और स्वच्छ पीने योग्य पानी नहीं मिल पाता इसके अतिरिक्त बुनियादी स्वच्छता की व्यवस्था नहीं रहती जिससे गंदगी और पर्यावरणीय स्वच्छता से जुड़ी बीमारियां फैलती हैं। एम.डी.जी. और स्थायी विकास पर जोहांसबर्ग घोषणा और कार्ययोजना को प्राप्त करने के लिए चालू प्रयासों को खासतौर पर 2008 के दौरान जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष है दोगुना किया जाना है। इस संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभवों को बांटने और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा सकता है:-

- खासतौर पर शहरी और उपशहरी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास;

- शहरी विकास खासतौर पर झुग्गी-झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में फैली गंदगी को समाप्त करना और उन्हें बढ़ने से रोकना;

- अपशिष्ट प्रबंधन; और

- जल गुणवत्ता नियंत्रण और जल शोधन हेतु समुचित ढांचा तैयार करके उसे क्रियान्वित करना।

iv. संस्कृति और खेल-कूद

विभिन्न राष्ट्रों और नृजातियों के बीच पारस्परिक समझ और मैत्री को संवर्धित करने की आवश्यकता को मानते हुए और मानवजाति की समान संपन्नता और प्रगति हासिल करते हुए तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदानों और सहयोग के महत्व को बल देते हुए, अफ्रीका और भारत दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन का संकल्प लेते हैं। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

- दोनों पक्षों के बीच पारम्परिक मैत्री को संपुष्ट करने के लिए जनता का जनता से संपर्क और उनके बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना;

- स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बीच छात्रों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर और समर्थन देकर युवाओं के बीच संपर्क संपुष्ट करना;

- अफ्रीका और भारत में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रोफेसरों की यात्रा को प्रोत्साहित करना और अफ्रीकी/भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना/उसे बनाए रखने प्रोत्साहन देना;

- मंच कलाकार मण्डलियों और कला प्रदर्शनियों के द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना;

- फिल्म उद्योग क्षेत्र में घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना और फिल्मोत्सवों के आयोजन और अफ्रीका और भारत के फिल्म उद्योग के लिए संपर्क और सहयोग में वृद्धि करना; तथा

- खेल के क्षेत्र में सहयोग करना।

v. गरीबी उन्मूलन

अफ्रीका और भारत की जनता का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है और अनेक गरीब कामगारों को सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। विशेषकर युवाओं के लिए बेरोजगारी और अल्पनियोजन से, आंतरिक और बाह्य उत्प्रवासन हो रहा है, जो अनियोजित तीव्र शहरीकरण को जन्म दे रहा है। ये अफ्रीका और भारत दोनों के लिए गंभीर मुद्दे हैं और दोनों इन समस्याओं के निवारण हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं:

- सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) के क्रियान्वयन के स्वरूप में सहयोग सुदृढ़ करना;

- गरीबी उन्मूलन नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग;
- रोजगार के सृजन और व्यापार प्रबंधन में अनुभव बांटना;
- सामाजिक सुरक्षा तंत्रों का विकास; और
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऋण यूनियनों के विकास में सर्वोत्तम पद्धतियों को बांटना।

5. पर्यटन

एक महत्वपूर्ण उद्योग के तौर पर जो आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं और राष्ट्रों के बीच मैत्री और सामाजिक-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देते हैं, अफ्रीका और भारत एतदद्वारा पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने और अपनी जनता के बीच पारस्परिक समझ, भरोसे और सहयोग के संवर्धन हेतु अपने-अपने क्षेत्रों में जनता का जनता से आदान-प्रदान बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:

- पर्यटन विकास संबंधित नीतियों की सुसंगतता और पहलों को सुविधाजनक बनाने के लिए अफ्रीका और भारत में संबद्ध प्राधिकारियों के बीच घनिष्ठ संपर्क का संवर्धन;
- पर्यटन के उन सभी खतरों पर रोक लगाने के लिए समुचित उपायों को अपनाना जिनका पर्यटन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता हो;
- दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र विशेषकर ट्रेवल एजेंसियों, होटलों, एअरलाइनों और पर्यटन संबंधी अन्य संस्थापनाओं, तथा मीडिया के साथ भागीदारी सुदृढ़ करना; और
- दोनों पक्षों की भौगोलिक विविधता के उपयोग हेतु पर्यावरण हितैषी पर्यटन सहित सामान्य पर्यटन को बढ़ावा देना और संयुक्त पर्यटन पैकेज प्रदान करना।

6. अवसंरचना, ऊर्जा और पर्यावरण

यह मानते हुए कि ऊर्जा और अवसंरचना विकासशील देशों के आर्थिक विकास का आधार है और यह स्वीकार करते हुए कि अवसंरचना विकास और पर्यावरण संपोषणीयता एन.ई.पी.ए.डी. के कुछ प्राथमिकता क्षेत्र हैं; अफ्रीका और भारत ऊर्जा, अवसंरचना और पर्यावरण संपोषणीयता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में रखने को सहमत हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं:

- अवसंरचना विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारियों का विकास;
- परिवहन और दूरसंचार नेटवर्कों के विकास में सहयोग;
- प्राकृतिक संसाधनों और मूल्य संवर्धन के अन्वेषण और अवशोषण के क्षेत्र में सहयोग;
- नवीकरणीय और क्षय होने वाले ऊर्जा स्रोतों पर निवेश और उनके विकास हेतु अनुकूल परिवेश का सृजन;
- जलवायु परिवर्तन और मरूस्थलीकरण के प्रभाव पर सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुकूलन में सहयोग और क्षमता निर्माण;
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और संपोषणीय भूमि प्रबंधन पर हाल ही की विकास गतिविधियों पर अनुभवों का आदान-प्रदान;
- विशेषकर भूमि से घिरे देशों के लिए ब्राडबैंड-एक्सेस नेटवर्क हेतु अफ्रीका के आस-पास और उसके भीतर फाइबर आप्टिकल केबल निर्माण में सहयोग का विकास; और
- स्वच्छ विकास तंत्र (सी.डी.एम.) हेतु तकनीकी सहयोग।

7. मीडिया और संचार

अफ्रीका और भारत इस बात पर सहमत हैं कि मीडिया और संचार के क्षेत्र में घनिष्ठ संपर्क और सहयोग से इनके संबंध और प्रगाढ़ होंगे, दक्षिण-दक्षिण संचार संस्कृति का संवर्धन होगा, उनकी साझी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का उपयोग और व्यवस्थित हो सकेगा और अफ्रीका और भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सुधार होगा। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग प्रयासों पर बल देने का निर्णय लिया है:-

- मीडिया में सूचना प्रवाह पर समान दक्षिण-दक्षिण कार्यनीतियों के प्रवर्तन हेतु सहयोग;
- समाचार एजेंसियों के बीच संपर्कों को बढ़ाना; और

– मानव संसाधन विकास, कारपोरेट संचार और मीडिया घटनाक्रमों संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण का संवर्धन करना।

द्विपक्षीय, आर.ई.सी. और अन्य स्तरों पर भारत के जारी और भावी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हम महाद्वीपीय स्तर पर एक वर्ष के अवधि के भीतर संयुक्त रूप से एक कार्रवाई योजना विकसित करने और सहयोग हेतु हमारी रूपरेखा के क्रियान्वयन हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र विकसित करने के लिए सहमत हैं।

अप्रैल, 2008 के 09 दिन दिल्ली में संपन्न।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर

5241. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मातृ एवं शिशु की अधिक मृत्यु दर से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए युवा चिकित्सकों की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार युवा चिकित्सकों को इस संबंध में उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं, 145272 उपकेन्द्रों, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु मृत्यु कम करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एनेस्थेसिया, स्त्रीरोग विज्ञान आदि के क्षेत्र में डाक्टरों/विशेषज्ञों की संविदात्मक नियुक्ति सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों की निधियां जारी की जाती हैं। तथापि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अपेक्षा है कि वे अपनी वार्षिक एन.आर.एच.एम. कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में अपनी आवश्यकता को शामिल करें।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित एक कार्यबल ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की अनुशंसा की है:

– जिला स्तर पर भर्ती का विकेन्द्रीकरण;

– डाक्टरों का सीधे साक्षात्कार एवं संविदात्मक नियुक्ति;

– ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के लिए वेतन को एक-तिहाई बढ़ाना;

– मेडिकल कॉलेजों में एनेस्थेसिया के लिए नामांकन क्षमता में वृद्धि;

– इस समय प्रणाली में कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारियों के लिए एनेस्थेसिया में एक वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करना जो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है।

– रोगी-दर-रोगी आधार पर प्राइवेट प्रैक्टिशनरों की सेवा भुगतान के आधार पर लेना। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं/पहलें की हैं;

– स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन, और प्रोन्नती, विदेश में नौकरी या विदेश में प्रशिक्षण के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में कठिन क्षेत्र में अनिवार्य रूप से तैनाती;

– स्थानों के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद डाक्टरों की अनिवार्य रूप से बारी-बारी से तैनाती;

– प्रैक्टिश बंदी भत्ता नहीं लेने और सेवा नियमों के अनुसार सौंपे गए कार्य पर समझौता किए बिना प्रैक्टिश करने का विकल्प; भत्ता आदि के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना;

– एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत डाक्टरों/विशेषज्ञों की संविदात्मक नियुक्ति।

सड़कों की खराब संपर्क स्थिति

5242. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सड़क संपर्क अत्यंत खराब स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में सड़क संपर्क की स्थिति में सुधार करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को सड़क संपर्क में सुधार के लिए केंद्र द्वारा सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) यह मंत्रालय देश में मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण धनराशि की उपलब्धता, यातायात की मात्रा और पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के अंदर ही किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न राज्यीय सड़कों के सड़क संपर्क के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। इस मंत्रालय ने राज्यीय सड़कों के सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध नहीं किया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यीय सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 1565.32 करोड़ रु. और अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 173.93 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 में उड़ीसा में डुबुरी-ब्राह्मणीपाल-हरिचंदनपुर-नारनपुर राज्यीय सड़क और जम्मू और कश्मीर में मुगल सड़क के सुधार के लिए 41 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

5243. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ए.एस.एच.ए.) की नियुक्ति नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारत सरकार ने 18 अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में आशा योजना आरम्भ की है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां आशा की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

5244. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय की स्थापना से लेकर आज तक इस मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को आबंटित निधियों तथा मंत्रालय द्वारा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय के कार्यकलापों को वृहत आधार प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि):

विवरण

(क) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्थापना सितम्बर, 2004 में की गई थी जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय के तत्कालीन उत्प्रवास प्रभाग और विदेश मंत्रालय के अनिवासी भारतीय प्रभाग को शामिल किया गया था जो मंत्रालय में अब डायस्पोरा प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है। मंत्रालय के गठन के पीछे उद्देश्य भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित प्रवासी भारतीयों के साथ तालमेल के लिए एक स्थान बनाना और उनकी ओर विशेष ध्यान देना था। मंत्रालय के गठन से लेकर अब तक इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

(1) प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना

दोहरी नागरिकता के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय की मांग को पूरा करते हुए जनवरी, 2006 में प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना शुरू की गई थी। सभी देशों (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर) में भारतीय मूल के लोगों, जो भारत के नागरिक थे अथवा 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे, योजना में कवर होते हैं। पंजीकृत प्रवासी नागरिक बहु-आयामी प्रवेश, बहु-आयामी दीर्घावधि वीजा के पात्र हैं और उन्हें कुछेक वित्तीय, आर्थिक, शैक्षिक लाभ दिए जाते हैं।

प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारतीय बच्चों को अन्तर्देशीय स्तर पर गोद लेने, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीवन वनों में प्रवेश शुल्क और भारत में घरेलू हवाई भाड़े जैसे क्षेत्रों में गैर-निवासी भारतीयों के बराबर अधिकार हैं। प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना में राजनैतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं।

(2) प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र

मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में एक गैर-लाभार्जक ट्रस्ट के रूप में प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र की स्थापना की है। यह केन्द्र प्रवासी भारतीय समुदाय के हितों को पूरा करने के लिए एक स्थान पर सेवा द्वार के रूप में कार्य करता है। केन्द्र के उद्देश्यों में शामिल हैं:

भारत में प्रवासी भारतीय निवेश का संवर्धन और व्यवसाय साझेदारी को सही और समय पर जानकारी देकर कारगर बनाना, डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क की स्थापना और उसका रख-रखाव, संरचना और सामाजिक क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों को परियोजना निवेश अवसरों में भारत के राज्यों की सहायता करना, परामर्शी प्रश्नों, भारत में रहने, निवेश और वित्तीय विषयों आदि जैसे मामलों पर भारतीय मूल के लोगों और अप्रवासी भारतीयों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

(3) प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के विश्वविद्यालय की स्थापना

प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लाभ के लिए प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। विश्वविद्यालय का स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत "डीम्ड विश्वविद्यालय" का होगा। इसमें 50 प्रतिशत सीटें अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए और शेष 50 प्रतिशत सीटें भारतीय विद्यार्थियों के लिए होंगी। सरकार द्वारा देश में किसी उपयुक्त स्थान पर अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के विश्वविद्यालय की स्थापना की नीति संरचना को अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें इसे शैक्षिक विषयों और पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के चयन में अपेक्षित लोचशीलता होगी।

(4) प्रवासी भारतीय केन्द्र

भारतीय डायस्पोरा के सम्मान और उपलब्धियों के स्मारक के रूप में राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रवासी भारतीय केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र ने एक सम्मेलन कक्ष, एक स्थायी प्रदर्शनी कक्ष, व्याख्यान कक्ष और एक सुसज्जित पुस्तकालय आदि होंगे। यह केन्द्र देश की विकास प्रक्रिया के लिए भारतीय डायस्पोरा में से दक्ष व्यक्तियों को चुनने की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा और भारत और इसके डायस्पोरा की उपलब्धियों का सम्मान भी करेगा।

(5) प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद

मंत्रालय एक प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना कर रहा है जो बाजार अनुसंधान करने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में रोजगार के अवसरों का पता लगाने, दावा धारकों में बाजार सूचना का प्रसार करने, कौशल अंतरों का पता लगाने के लिए कौशल रूपरेखा तैयार करने और ऐसे अंतरों को पाटने के लिए उचित हस्तक्षेप करने, बाजार प्रवृति के अनुरूप नीतियां तैयार करने के लिए एक 'चिन्तन सागर' के रूप में कार्य करेगी ताकि सम्भावित उत्प्रवासी वैश्वीकरण के लाभों का फायदा उठा सकें। परिषद का गठन एक सरकारी संकल्प द्वारा किया जा रहा है। यह प्रस्ताव है कि परिषद को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करवाया जाए।

(6) द्विपक्षीय श्रम सहयोग

शोषण और मतभेद के विरुद्ध उत्प्रवासियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए भारत ने 1980 के दशक में जोर्डन और कतर के साथ श्रम करार किये गए थे। तथापि अनेक वर्षों से इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई थी। 2004 में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सृजन के बाद हमारे उत्प्रवासियों के संरक्षण और कल्याण के लिए द्विपक्षीय करार हेतु प्रमुख श्रम आयातक देशों के साथ समझौता ज्ञापन करने के ठोस प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय ने 5 खाड़ी देशों (कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब

और ओमान) तथा मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन करने की योजना बनाई है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ 13 दिसम्बर, 2006 को और कुवैत के साथ अप्रैल, 2007 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप दे दिया गया है। ओमान के साथ वार्ताएं चल रही हैं। बहरीन, सऊदी अरब और यमन के साथ भी समझौता ज्ञापन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपसी चिन्ताओं को हल करने के लिए भारत और कतर के बीच श्रम करार में एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल 20 नवम्बर, 2007 को नई दिल्ली में किया गया था। मंत्रालय का भारतीय कामगारों विशेष रूप से कौशल श्रेणी के कामगारों के लिए विदेशी रोजगार मंडी का विस्तार करने के लिए द्विपक्षीय साझेदारियां करने के लिए केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप तथा एशिया के प्रमुख आयातक देशों के साथ समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव है।

(7) द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा सहयोग

विकसित देशों में उत्प्रवासी कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कवच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा सहयोग किए हैं। नवम्बर, 2006 में मंत्रालय ने बेल्जियम के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार किया है। नवम्बर, 2007 के दौरान प्रशासनिक प्रबंधों को अन्तिम रूप देने के लिए भारत में आए बेल्जियम प्रतिनिधि मंडलों के साथ वार्ताएं हुई थीं। दोनों देश एक सामान्य प्रारूप पर सहमत हुए और उस पर अल्पाक्षर हुए। करारों पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके पश्चात आपसी पुष्टि के अनुसार सामाजिक सुरक्षा करार लागू हो जाएगा।

यूरोपीय संघ के अन्य देशों के साथ ऐसे ही करार करने के लिए भारत बेल्जियम मॉडल को अपनाया जाएगा। जर्मनी और नीदरलैंड के साथ वार्ताएं चल रही हैं। चैक गणराज्य, फ्रांस, स्वीडन, बुल्गारिया, स्वीटजरलैंड, नौर्वे और साइरस के साथ भी कार्यवाही आरंभ हो चुकी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामाजिक सुरक्षा विषयों पर द्विपक्षीय वार्ताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(8) उत्प्रवास प्रणाली का उदारीकरण

मंत्रालय ने उत्प्रवास प्रणाली के उदारीकरण के लिए कई कदम उठाये हैं। हाल ही में 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं वाले' देशों की संख्या को 53 से बढ़ाकर 174 किया गया है। अब केवल 18 देशों के लिए उत्प्रवास जांच की आवश्यकता है मंत्रालय ने 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं' वाले पासपोर्ट के लिए पात्रता मानदंड में छूट दी है। अब कोई भी व्यक्ति जो दसवीं कक्षा अथवा अधिक उत्तीर्ण है, वह बिना किसी उत्प्रवास जांच के प्रवासी रोजगार के लिए जा सकता है।

'उत्प्रवास जांच अपेक्षित निलंबन' को समाप्त करना

मंत्रालय ने उस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है जिसमें किसी 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' पासपोर्ट धारक, जो यात्रा वीजा पर विदेश जाना चाहता है, और उसे उत्प्रवास संरक्षी से 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' का निलंबन प्राप्त करना होता है। इस प्रक्रिया से कोई लाभकारी उद्देश्य पूरा हुए बिना असुविधा, परेशानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। इस सुधार से प्रति वर्ष लगभग 5-6 लाख उत्प्रवास जांच अपेक्षित पासपोर्ट धारकों को लाभ होगा।

उत्प्रवास प्रणाली का पुनर्गठन

वीजा सेवाओं के बाह्य स्रोत के आधार पर उत्प्रवास स्वीकृति देने के संबंध में उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों में जनता का बाह्य हस्तक्षेप लेने के बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसका आशय संभावित उत्प्रवासियों को प्रयोक्ता मैत्री आधार पर उत्प्रवास सेवाएं प्रदान करना है।

भर्ती प्रणाली का पुनर्गठन

उत्प्रवास कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने और अवैध भर्ती को रोकने के लिए भर्ती एजेंटों की प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस पहल के अंतर्गत भर्ती एजेंटों के पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड को कठोर बनाया जाएगा, निष्पादन मानकों को निर्धारित किया जाएगा और निगरानी को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए उत्प्रवास नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

उत्प्रवास प्रणाली में ई-प्रशासन

उत्प्रवास में व्यापक रूप में ई-प्रसासन को लागू करने के उद्देश्य से उत्प्रवास प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। योजना में उत्प्रवास महासंरक्षी और इसके आठ उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण शामिल है और भर्ती एजेन्टों, नियोक्ताओं, उत्प्रवास काउन्टरों, विदेशों में भारतीय मिशनों, बीमा कम्पनियों और राज्य सरकारों आदि के साथ चरणबद्ध रूप में संपर्क स्थापित होगा। इससे

प्रयोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी, उत्प्रवास प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी, कानूनी उत्प्रवास कारगर होगा और अवैध उत्प्रवास रुकेगा तथा उत्प्रवासी कामगारों के बेहतर संरक्षण और कल्याण हो सकेगा। नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, हैदराबाद की तकनीकी सहायता से उत्प्रवास एक व्यापक ई-प्रशासन भी लागू किया जा रहा है।

(9) एशिया यूरोपीय संघ परियोजना

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और उत्प्रवास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के बीच "एशिया और यूरोपीय संघ के बीच प्रबंधित और कानूनी उत्प्रवास संबंधी क्षेत्रीय वार्ता और कार्यक्रम" परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 31 जुलाई, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना को यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित किया गया है और इसमें एशिया के 10 देश (बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और कुछ गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान) और 5 यूरोपीय देश (जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन और ब्रिटेन) शामिल हैं। परियोजना से रणनीतिगत महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों में प्रवासी रोजगार बाजार को विकसित करने और मजदूरी श्रृंखला में भारतीय कामगारों का उन्नयन करने के लिए उत्प्रवास प्रबंध में क्षमता सृजन करने के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

(10) प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र

मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय कामगारों और जो रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, को सहायता देने के लिए एक हेल्पलाइन के रूप में प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र की स्थापना की है। प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- उत्प्रवास संबंधी मामलों पर सूचना का प्रसार
- उत्प्रवासी कामगारों से प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण, उन पर कार्यवाही और उनकी निगरानी
- शिकायत निवारण और दावा धारकों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही।

प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र में एक निःशुल्क हेल्पलाइन 1800 11 3090 होगी जिस पर भारत में कहीं से भी सम्पर्क किया जा सकता है। इस समय यह हेल्पलाइन सात भाषाओं अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ और तेलुगू में सप्ताह में सातों दिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यरत है। मंत्रालय प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र के कार्यक्षेत्र और इसकी पहुंच का विस्तार करना चाहता है ताकि इसे विश्व स्तर पर लाया जा सके और चुने हुए राज्यों की राजधानियों में क्षेत्रीय प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र खोले जा सकें।

(11) उत्प्रवासी कामगारों के कौशल उन्नयन और पलायन पूर्व अभिमुखीकरण की योजना

मंत्रालय ने निर्माण इंजीनियरी, विनिर्माण, परिचर्या, सूचना प्रौद्योगिकी और घरेलू सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संभावित उत्प्रवासी कामगारों के कौशल उन्नयन और पलायन पूर्व अभिमुखीकरण की एक योजना शुरू की है। यह योजना राज्य सरकारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के साथ-साथ शीर्ष उद्योग एसोसिएशनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की भागीदारी में कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य उत्प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना और उन्हें प्रवासी रोजगार के प्रयोजन के लिए विदेशों के कानूनों, भाषा और संस्कृति के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना है।

(12) मीडिया की मार्फत जागरूकता सह प्रचार अभियान

मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन विषयों पर इलैक्ट्रानिक मीडिया की मार्फत जागरूकता-सह-प्रचार अभियान शुरू किया है:

- उत्प्रवासी कामगारों के समक्ष आने वाली समस्याएं और कानूनी उत्प्रवास प्रक्रिया
- अप्रवासी विवादों से संबंधित समस्या और
- विदेशों में भारतीय घरेलू नौकरानियों से संबंधित समस्याएं।

जागरूकता अभियान का उद्देश्य संभावित उत्प्रवासियों में वैध उत्प्रवास प्रक्रिया की जानकारी, नकली भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाले अवैध तरीकों से सावधानी, घरेलू नौकरानियों के सामने विदेशों में आने वाली समस्याओं और अप्रवासी भारतीय विवाहों से उभरने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता सृजित करना है। यह अभियान उन लोगों को सूचना प्रदान करता है जो ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

(13) डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना

भारत में उच्च शिक्षा को प्रवासी भारतीयों के हमारे युवा और उभरते विद्यार्थियों की पहुंच में लाने तथा भारत को शिक्षा के एक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। 31-3-2008 तक 141 छात्रवृत्तियां दी गई हैं और ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए विद्यार्थी भारत और इसकी शैक्षिक संस्थाओं के ब्रांड एम्बैस्डर बन जाएंगे।

(14) भारत जानो कार्यक्रम

मंत्रालय प्रतिवर्ष भारत जानो कार्यक्रम का आयोजन करता है जोकि 18 से 26 वर्ष की आयु वर्ग में प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ी के लिए एक तीन से चार सप्ताह की अवधि का व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय मूल के विद्यार्थियों और युवा व्यावसायिकों के लिए अपने विचारों, अपेक्षाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए और उन्हें भारत के साथ जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अभी तक ऐसे 8 भारत जानो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 235 युवाओं ने भाग लिया है।

(15) प्रवासी भारतीय दिवस

मंत्रालय प्रवासी भारतीय समुदाय के ज्ञान और विशेषज्ञता को प्राप्त करने तथा इसे देश की विकास प्रक्रिया में समाहित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करता है। प्रवासी भारतीय दिवस मंत्रालय का शीर्ष कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी माह में सबसे बड़े प्रवासी, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी, 1915 को भारत में पदार्पण कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगवानी करने की याद में मनाया जाता है। अभी तक 6 प्रवासी भारतीय दिवसों का आयोजन किया गया है और इनसे प्रवासी भारतीय समुदाय को यह संदेश देने में मदद मिली है कि भारत सरकार उनकी प्रगति, उपलब्धियों और उनके उज्जवल भविष्य में गहरी रूचि रखती है और साथ ही विकास गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। मंत्रालय प्रमुख प्रवासी भारतीयों को उनकी उपलब्धियों और विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा और हितों को संजो कर रखने में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है।

(16) प्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों से उभरने वाली समस्याओं के समाधान के उपाय

(क) प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

मंत्रालय ने विदेशी में भारतीय मिशनों की मार्फत ऐसी महिलाओं को कानूनी और परामर्शी सेवाएं देने की एक योजना शुरू की है जो जरूरतमन्द हैं और विदेशों में न्यायालयों में विस्थापन/तलाक का सामना कर रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, जर्मनी और खाड़ी के देशों में भारतीय मिशनों को निधियां प्रदान की गई हैं जिसे अप्रवासी भारतीय विवाहों से पीड़ित भारतीय महिलाओं को कानूनी और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशनों में सूचीबद्ध भारतीय महिला एसोसिएशनों, गैर सरकारी संगठनों आदि को रिलीज की जाएगी।

(ख) सूचना इश्तहार

मंत्रालय ने महिलाओं को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों की जानकारी देने और प्रवासी भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से पूर्व सावधानियां बरतने के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी, मलयालम और तेलगु में सूचना इश्तहार निकाले हैं। इन इश्तहारों को ग्राम पंचायतों, आंगनवाडियों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों/डिस्पेंसरियों, गैर सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों आदि की मार्फत वितरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा विस्थापित महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता देने की योजना के बारे में भी अंग्रेजी, हिन्दी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना इश्तहार प्रकाशित किये हैं।

(ग) प्रवासी भारतीय विवाह संबंधी मार्गदर्शन पुस्तिका

संभावित दुल्हनों और उनके परिवारों के लाभ के लिए मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय विवाहों संबंधी एक मार्गदर्शन पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में अप्रवासी भारतीय दुल्हों द्वारा विस्थापित महिलाओं को उपलब्ध सुरक्षा उपायों, उपलब्ध कानूनी उपचारों, उन प्राधिकरणों की सूची जिनसे

शिकायतों के निवारणों के लिए सम्पर्क किया जा सकता है और उन गैर सरकारी संगठनों की सूची जो सहायता प्रदान कर सकते हैं, के बारे में जानकारी दी गई है। मार्गदर्शन पुस्तिका संबंधित समूहों में सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वितरण हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और उन देशों को भेजी जा रही है जहां भारतीय डायस्पोरा की बहुतायत है। अब मंत्रालय इस मार्गदर्शन पुस्तिका को हिन्दी, पंजाबी और तेलगु में प्रकाशित कर रहा है।

(घ) मंत्रालय की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का वित्त पोषण इसके बजट प्राक्कलनों से किया जाता है। गत् तीन वर्षों के दौरान बजट प्राक्कलनों, संशोधित प्राक्कलनों में आबंटन और खर्च नीचे दर्शाया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	किया गया खर्च
2005-2006	35	19	17.4
2006-2007	38	26	22.0
2007-2008	50	40	37 (अनन्तिम प्राक्कलन)

(ग) और (घ) उपर्युक्त पैरा (क) में दर्शायी गई प्रमुख उपलब्धियों के अलावा मंत्रालय अपने शासनादेश को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी गतिविधियों के आधार को व्यापक बनाना चाहता है। कुछ प्रस्तावित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:-

(1) प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए कल्याण कोष

मंत्रालय प्रवासी भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण के लिए एक कल्याण कोष स्थापित करना चाहता है। यह प्रवासी कामगारों को कोष मौके पर, मौके से हटकर और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा जिनमें भारतीय मिशनों की मार्फत मेजबान देशों में कठिनाई की स्थिति में उत्प्रवासियों की मानवीय सहायता शामिल है। यह कोष एक गैर-लाभार्जक पहल होगी और इसका प्रबंध एक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

(2) प्रधान मंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद

प्रवासी भारतीय दिवस, 2008 के अवसर पर प्रधान मंत्री ने 'प्रधान मंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद' की स्थापना की घोषणा की थी। प्रस्तावित परिषद एक नीतिगत उच्च स्तरीय 'चिन्तन सागर' के रूप में कार्य करेगी जिसमें विविध वर्गों और अपने-अपने क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के रूप में माने जाने वाले भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे। प्रस्तावित परिषद में 25 सदस्य होंगे जिनमें से 18 सदस्य तक प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। यह परिषद प्रधानमंत्री को सर्वोत्तम भारतीय चिन्तकों, चाहे वे कहीं भी बसे हुए हों, के अनुभव, ज्ञान और संपदा लेने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। यह मंच भारत के इसके प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को भी बनाए रखेगी और विविध भारतीय डायस्पोरा के साथ बेहतर तालमेल बनाएगी।

(3) भारतीय विकास प्रतिष्ठान

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रवासी भारतीयों के भारत में मानवीय विकास प्रयासों के सहयोग को दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त गैर-लाभ अर्जक ट्रस्ट के रूप में भारत विकास प्रतिष्ठान की स्थापना करेगा। यह प्रतिष्ठान प्रवासी भारतीयों को अपने तत्कालीन गृह, गांवों, जिलों अथवा राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग करने में सहायता करेगा। यह सामाजिक विकास में सक्रिय रूप से लगी हुई प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और लोकोपकारी संगठनों के साथ भी तालमेल बनाएगा, इस प्रकार प्रवासी भारतीयों और उनके लक्षित लाभार्थियों के बीच एक सुदृढ़ सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सेतु बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में युवकों की भागीदारी

5245. श्री अजीत जोगी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक आधार पर युवकों को राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने हेतु कोई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित कितनी निधियों का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवी योजना (एन.एस.वी.एस.) के कार्यकरण और उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन.एस.वी.एस. को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना और राष्ट्रीय सद्भावना योजना के तहत स्वयंसेवक नामांकित किये जाते हैं तथा उन्हें सामाजिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा करने का अवसर दिया जाता है। भारत स्काऊट्स और गाइड्स को वित्तीय सहायता दी जाती है। युवाओं में नेतृत्व के गुणों तथा उनके व्यक्तित्व का विकास और राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा वृद्धि की ओर उनकी ऊर्जा को लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की 100% सहायता अनुदान वाली चार योजनाओं को मिलाकर 'युवा किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' नामक योजना तैयार की गई है जो चालू वित्त वर्ष से प्रभावी है।

(ख) वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 76.88 करोड़ रु. आबंटित किये गये हैं। एन.एस.वी.एस. के अंतर्गत 15.50 करोड़ रु. तथा आर.एस.वाई. के अंतर्गत 9.50 करोड़ रु. तथा स्काउट्स एवं गाइडिंग के अंतर्गत 3 करोड़ रु. आबंटित किये गए हैं।

(ग) और (घ) आई.आई.एम., अहमदाबाद, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना की मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने शुरुआती रूझान में पाया कि युवाओं/युवा क्लबों तक पहुंचने में स्वयंसेवक काफी सहायक होते हैं और राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान के लिए राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों में काफी उत्साह होता है।

(ङ) एन.एस.वी.एस. को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा युवाओं संबंधी कार्यक्रमों पर जिला परामर्शदात्री समिति में स्वयंसेवकों को शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग

5246. श्री असादुद्दीन ओवैसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान लिम्फेटिक फाइलेरियासिस प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 2004 में देशव्यापी लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन का अभियान चलाया है। लिम्फेटिक फाइलेरिया एक चिरकारी रोग है और लिम्फीडेमा (इलिफेंटियासिस) और इसमें हाइड्रोसील जैसे प्रकटीकरण हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2004 से स्थानिकमारी वाले राज्यों/संघ क्षेत्रों के सहयोग से तीव्र लिम्फेनजाइटिस (उच्च ज्वर, शरीर के प्रभावित भाग में सूजन और दर्द)) और तीव्र लिम्फेडेनाइटिस (लिम्फ ग्रन्थियों की सूजन, दर्द व ज्वर) के आघातों के निवारण

और हाइड्रोसील के लिए शल्य चिकित्सीय आपरेशन हेतु रोगियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डी.ई.सी. (डिइथिल कार्बेमेजाइन सिट्रेट) की एकल खुराक सहित वार्षिक मास ड्रग देने से पहले लिम्फीडेमा और हाईड्रोसील के रोगियों को सूचीबद्ध करने के लिए घर-घर जाकर सूचना एकत्रित करने से संबंधित सर्वेक्षण चलाया। हर वर्ष फाइलेरिया के स्थानिकमारी वाले राज्यों से यथासूचित लिम्फीडेमा और हाइड्रोसील के रोगियों की सूची को अद्यतन बनाया जा रहा है क्योंकि समुदाय, यदि वे लिम्फीडेमा अथवा हाइड्रोसील से प्रभावित होते हैं, तो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं और उनको बार-बार मनाने की आवश्यकता होती है।

राज्यों द्वारा सूचित किए गए लिम्फीडेमा और हाईड्रोसील के रोगियों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सहायता 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर तमिलनाडु और केरल में लिम्फेटिक फाइलेरिया के जोखिम पर रह रही जनसंख्या को डी.ई.सी. गोलियों के साथ-साथ अल्बेंडेजोल गोलियां देने हेतु उनकी सीमित मात्रा के आपूर्ति के संबंध में थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2006-07 के दौरान अल्बेंडेजोल (प्रत्येक में 400 मि.ग्रा. की मात्रा) की लगभग 61 मिलियन गोलियों की आपूर्ति की है जिनका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन-2007 के दौरान प्रयोग किया गया।

(ङ) भारत सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के संरचण को रोकने के लिए 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर लिम्फेटिक फाइलेरिया के जोखिम में रह रही जनसंख्या को डिइथिलकार्बेमेजाइन सिट्रेट (जी.ई.सी.) की एकल खुराक सहित वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान चलाया है। वर्ष 2004 में लगभग 73 प्रतिशत कवरेज की तुलना में वर्ष 2007 में लगभग 81 प्रतिशत की कवरेज प्राप्त की गई।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्यों कौ प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण, औषध संवितरण इत्यादि जैसे विभिन्न प्रारंभिक कार्यकलाप चलाने के लिए नकद और फाइलेरिया-रोधी औषधों के रूप में सहायता प्रदान की है।

लिम्फीडेमा और हाइड्रोसील के प्रदर्शनों से युक्त लिम्फोटिक फाइलेरिया से प्रभावित चिरकारी रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए ऐसे रोगियों की लाइन-लिस्टिंग शुरू की गई थी और द्वितीयक जीवाणु संबंधी और फफूंद संबंधी संक्रमणों से बचाव के लिए पैरों की स्वच्छता बनाए रखने हेतु धोने संबंधी सरल गृह-आधारित स्वच्छ विधियों को प्रदर्शित किया गया।

विवरण

लिम्फीडेमा व हाइड्रोसील रोगियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2004			2005			2006			2007		
		लिम्फी-डेमा	हाईड्रो-सील	कुल	लिम्फी-डेमा	हाईड्रो-सील	कुल	लिम्फी-डेमा	हाईड्रो-सील	कुल	लिम्फी-डेमा	हाईड्रो-सील	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	2250	191	2441	43766	908	44674	43766	908	44674	43766	908	44674
2.	असम	28	17	45	341	144	485	341	144	485	341	144	485
3.	बिहार	16216	119088	255304	196989	145211	342200	196989	145211	342200	196989	145211	342200
4.	छत्तीसगढ़	674	150	824	6532	2861	9393	6532	2861	9393	6532	2861	9393
5.	गोवा	51	1	52	212	1	213	212	1	213	212	1	213
6.	गुजरात	895	204	1099	895	204	1099	895	204	1099	895	319	1214
7.	झारखंड	7128	2562	9690	43951	12639	56590	43951	10351	54302	43951	10351	54302
8.	कर्नाटक	7674	1114	8788	15306	2770	18076	15306	2770	18076	15306	2770	18076
9.	केरल	8399	507	8906	10840	1232	12072	10840	1232	12072	10840	1632	12472
10.	मध्य प्रदेश	4855	3646	8501	5929	4258	10187	5929	4258	10187	5986	4329	10315
11.	महाराष्ट्र	35896	24421	60317	48177	37699	85876	48177	37975	86152	48310	37975	86285
12.	उड़ीसा	36247	31324	117571	51840	32850	84690	51840	32850	84690	51840	32850	84690
13.	तमिलनाडु	25864	8794	34658	25313	16181	41494	25313	16181	41494	25313	16689	42002
14.	उत्तर प्रदेश	1949	1173	3122	86465	41463	127928	86465	41463	127928	86465	42508	128973

15. पश्चिम बंगाल	41479	33418	74897	46943	36052	82995	46943	36052	82995	46943	37502	84445
16. पांडिचेरी	1257	139	1396	1296	117	1413	1296	117	1413	1296	117	1413
17. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	76	49	125	81	37	118	81	37	118	81	37	118
18. दमन और दीव	68	6	74	63	27	90	63	24	87	63	24	87
19. दादरा और नगर हवेली	70	3	73	78	30	108	78	30	108	78	30	108
20. लक्षद्वीप	158	0	158	172	21	193	172	21	193	172	21	193
कुल	361234	226807	588041	585189	334705	919894	585189	332690	917879	585379	336279	921658

'हेपेटाईटिस-बी' रोग

5247. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हेपेटाईटिस-बी के उपचार हेतु पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हेपेटाईटिस-बी से पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) हेपेटाईटिस-बी रोग हेपेटाईटिस-बी वायरस के संक्रमण से होता है। हेपेटाईटिस-बी वायरस से गंभीर रोग हो सकता है जिसके लक्षण हैं चमड़ी और आंखोंका पीला पड़ना, गाढ़ा मूत्र, अत्यधिक थकान, मिचली, उल्टी और उदर दर्द। तथापि, हेपेटाईटिस-बी के मामले यकृत के सूक्ष्म रोग या यकृत कैंसर में बदल जाते हैं जो पूर्णतया घातक है।

यद्यपि हेपेटाईटिस-बी सहित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए देश में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या सुपुर्दगी प्रणाली अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, रोग का टीकाकरण सहित सुधारात्मक उपायों के माध्यम से प्रभावी रूप से निदान किया जाता है। सरकार ने केवल एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए हेपेटाईटिस-बी के निःशुल्क रोग प्रतिरक्षण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। हेपेटाईटिस-बी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है और यह वर्ष 2003-04 से निरन्तर जारी है। हेपेटाईटिस-बी के लिए देश में वहनीय मूल्य पर टीका उपलब्ध है।

इसके अलावा, हेपेटाईटिस-बी के संक्रमण से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के कर्मचारियों को अत्यधिक जोखिम पर हेपेटाईटिस-बी के प्रति रोगप्रतिरक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही कदम उठाने के लिए सलाह दी गई है।

(ii) चूंकि हेपेटाईटिस-बी असुरक्षित यौन क्रिया और असुरक्षित रक्त संचरण से फैलता है, इसके लिए रक्त में अनिवार्य रक्त परीक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सुरक्षित यौन क्रिया को भी बढ़ावा दिया जाता है।

(iii) नान-स्टेराईल सिरिंज और सुई के उपयोग के खतरे के बारे में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। प्रत्येक इन्जेक्शन के लिए अलग नान-स्टेराईल सिरिंज और सुई के उपयोग के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

समुद्री कछुओं का विलुप्त होना

5248. डा. के.एस. मनोज: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समुद्री कछुए विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कछुओं के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार समुद्री कछुओं की पांच प्रजातियां, अर्थात् ऑलिव रिडले टर्टल (लैपिडोचैलिस ओलिवसीआई), ग्रीन सी टर्टल (चेलोनिआ माएडस), लैदरबैक टर्टल (डर्मोचैलिस कोरिसीआई), हॉक्सबिल टर्टल (रेटमोचैलिस इम्ब्रीकाटा) और लॉगरहेड टर्टल (कैरिटा कैरिटा), भारतीय सीमांतर्गत जल क्षेत्र में पाए जाते हैं और चार प्रजातियां (लॉगर हेड टर्टल को छोड़कर) भारतीय तट क्षेत्र पर बसेरा करते हैं, यद्यपि ये सभी पांचों प्रजातियां संकटापन्न है, हमारे देश में इन पांचों प्रजातियों में से किसी एक के विलुप्त होने के कगार पर होने की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। तथापि, विभिन्न गतिविधियां, जैसे यंत्रिकृत नौकाओं द्वारा अंधाधुंध ट्रांलिग, अनियोजित तटीय विकास के कारण उच्च तीव्रता की विघ्नाताएं, सियारों, कुत्तों और मांसाहारियों द्वारा अंडों का भक्षण और मानवीय हस्तक्षेप आदि इन प्रजातियों के दीर्घावधि संरक्षण के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं।

(ग) सरकार द्वारा इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(i) समुद्री कछुओं जैसे ग्रीन सी टर्टल्स, ओलिव रिडले टर्टल्स, हॉक्सविल टर्टल, लेदरी टर्टल, लॉगर हेड टर्टल आदि को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में शामिल करके उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) समुद्री कछुओं के मुख्य नेस्टिंग स्थलों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है।

(iii) समुद्री कछुओं सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, अर्थात् 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है।

(iv) मछुआरों को यह सलाह दी गई है कि वे ट्रॉलिंग के दौरान टर्टल एक्सस्लुडिंग डिवाइस (टी.ई.डी.) का इस्तेमाल करें और नेस्टिंग सीजन के दौरान ट्रॉलिंग करने से बचें। उड़ीसा सरकार ने सभी ट्रॉलिंग नौकाओं के लिए टी.ई.डी. का उपयोग अनिवार्य किया है।

(v) राज्य सरकारों को सुरक्षित क्षेत्रों के अंदर और आस-पास फील्ड फारमेशनस सुदृढ़ बनाने और गहन रूप से गश्त लगाने के लिए निवेदन किया गया है। तटीय क्षेत्रों में गशती कार्य राज्य सरकार द्वारा भारतीय तट रक्षकों के सहयोग से किया जाता है।

(vi) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम को संशोधित करके और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। अधिनियम में, वन्यजीव अपराध करने में उपयोग में लाए गए किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(vii) वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गठित किया गया है।

(viii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है।

(ix) तटीय क्षेत्रों में आम जनता के लिए समुद्री कछुओं के संरक्षण हेतु जागरुकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

भारतीय पोत परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति

5249. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पोत परिवहन निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अर्जित लाभ/हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान निगम का लाभ घटता रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नीगम के 'बाटमलाइन' में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा अर्जित लाभ निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपए में
2004-05	1419.91
2005-06	1042.20
2006-07	1014.58

(ख) और (ग) पिछले दस वर्षों से भारतीय नौवहन निगम का लाभ नीचे दिया गया है:-

वर्ष	करोड़ रुपए में
1997-98	246.20
1998-99	201.30

वर्ष	करोड़ रुपए में
1999-2000	161.60
2000-01	382.60
2001-02	241.60
2002-03	274.80
2003-04	627.00
2004-05	1419.91
2005-06	1042.20
2006-07	1014.58

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, 1997-98 से 2002-2003 तक भारतीय नौवहन निगम के लाभ में वर्ष, 1999-2000 के दौरान 161.60 करोड़ रुपए से वर्ष, 2000-2001 में 382.60 करोड़ रुपए तक की विविधता रही। वर्ष, 2003-2004 में लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई और 627 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2004-05 में लाभ बढ़कर 1419.91 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें आस्थगित कर के प्रतिलेखन के बारे में 295.48 करोड़ रुपए की असाधारण आय शामिल है, इसलिए इस धनराशि का समायोजन करने के बाद, समायोजित लाभ, 1124.43 करोड़ रुपए होगा। इसके बाद, वर्ष, 2006-2007 के दौरान भारतीय नौवहन निगम के लाभ में थोड़ी कमी आने से यह लाभ 1014.58 करोड़ रुपए हुआ। पोत परिवहन उद्योग, एक चक्रीय उद्योग है और भाड़ा दरें कार्गो की मांग तथा आपूर्ति के साथ-साथ टनभार द्वारा प्रभावित होती हैं। इसके कारण भारतीय नौवहन निगम का लाभ भी घटता-बढ़ता रहता है।

(घ) पोत परिवहन उद्योग, एक चक्रीय उद्योग है और इसके अलावा बाजार के विभिन्न खण्डों में भाड़ा दरें जैसे बल्क कैरियर्स, टैंकरों और लाइनरों के मामले में एक-दूसरे के समान नहीं होती हैं। भारतीय नौवहन निगम एक विविधता से युक्त कंपनी है, पोत-परिवहन के सभी खण्डों में इसकी मौजूदगी है और इसलिए यह बाजार के प्रतिकूल चलन के प्रति संरक्षित है। भारतीय नौवहन निगम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि इसके जलयान बाजार की स्थितियों का लाभ उठाने के लिए स्थल और समय चार्टर के एक इष्टतम मिश्रण पर लगाए जाएं। लाइनर व्यापार के मामले में, भारतीय नौवहन निगम नुकसान उठाने वाली भारत-अमेरिका सेवा से बाहर निकल गया है, जिससे इसके खर्च में कमी आई है। भारतीय नौवहन निगम यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है कि जलयानों का उचित रूप से रख-रखाव किया जाए ताकि खराबी में लगने वाले समय और जलयानों की लागत को कम किया जा सके। इसके अलावा, भारतीय नोवहन निगम एक समेकित जानकारी प्रणाली का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में है, जिससे कंपनी की कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी।

पंचायती राज मंत्रालय की उपलब्धियां

5250. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय के कार्यकरण में और सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने नवम्बर, 2006 में राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर 'पंचायतों की स्थिति प्रतिवेदन-2006' शीर्षक से एक संकलन प्रकाशित किया। इस प्रतिवेदन को 23 नवम्बर, 2006 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था तथा लोक सभा में इस पर दिसम्बर, 2006 में बहस हुई थी।

वर्ष 2007-08 के दौरान, यह महसूस किया गया कि इस संबंध में एक प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया जाए। तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (आई.आर.एम.ए.) से भारत में पंचायतों की स्थिति पर स्वतंत्र मूल्यांकन करने का आग्रह किया गया। "पंचायतों की स्थिति 2007-08: एक स्वतंत्र मूल्यांकन" (एस.ओ.पी.आर. 2007-08) का संकलन भारत के विशाल प्रजातांत्रिक प्रयोग में एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना है। यह दस्तावेज, जब भारत के सामाजिक-आर्थिक बदलाव, देश को नई आशाजनक दिशाओं में ले जा रहे हैं, उस समय ग्रामीण भारत में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के

स्थानीय शासन तक रिस कर पहुंचने के तथ्य को उभार कर सामने लाने के प्रति पंचायती राज मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

देश में प्रजातांत्रिक व सहभागितापूर्ण शासन प्रणाली के विजन को ध्यान में रख कर तथा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को स्थापित करने के लिए भारत के संविधान को 1992 में संशोधित किया गया था। यह आशा की गई थी कि जमीन से जुड़े लोकतंत्र की संस्थाओं के तौर पर पंचायतें, सामाजिक न्याय के साथ त्वरित विकास के लक्ष्य को हासिल करेंगी। इन ऐतिहासिक संशोधनों के बाद से देश ने तृणमूल स्तर के प्रजातांत्रिक संस्थाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। अब 2,33,606 ग्राम पंचायतें हैं, 6,094 मध्यवर्ती पंचायतें हैं तथा 543 जिला पंचायतें हैं। गांव के स्तर पर 26,78,000 मध्यवर्ती स्तर पर 1,58,000 तथा जिला स्तर पर 15,600 के करीब निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों में 37% से थोड़ी कम महिलाएं हैं तथा 30% से थोड़े ज्यादा समाज के सामाजिक-ऐतिहासिक रूप से सुविधावंचित वर्गों के लोग हैं। पंचायतों को सशक्त संस्थाओं के तौर पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए तथा शासन की प्रक्रिया में आम आदमी को शामिल करने के लिए, जिससे कि न्याय संगत तरीके से आर्थिक विकास के परिणाम हासिल किए जा सकें, 1992 से केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पंचायतों की स्थिति पर प्रतिवेदन, 2007-08 पंचायतों की उपलब्धियों के मूल्यांकन तथा भविष्य में उन्हें मजबूत बनाए जाने के लिए मार्ग ढूंढने का प्रयास है।

पंचायतों की स्थिति पर प्रतिवेदन, 2007-08 तीन खंडों में समाहित है। खंड-I स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर पंचायतों की प्रगति के समीक्षात्मक आकलन तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी भूमिका को प्रस्तु करता है। यह खंड देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के उन स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए विषयपरक लेखों पर आधारित है जिन्होंने महत्वपूर्ण विशेष विषयों पर पंचायतों के मूल्यांकन का प्रयास किया है। यह, विभिन्न किस्म के स्रोतों की खोजों को संश्लिष्ट करने के अलावा, उस तंत्र को भी अभिचिन्हित करता है जिसके माध्यम से पंचायतें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अभिकल्पित समावेशिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दे सकती हैं। पंचायतों की स्थिति पर प्रतिवेदन का खंड-II पंचायतों की स्थिति के संबंध में 25 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। यह दो व्यापक विषयों 'प्रभावी हस्तांतरण' तथा 'पंचायतों के कार्य' का विवरणात्मक तथ्य प्रस्तुत करता है। इस खंड में पंचायतों को शक्तियों व प्रकार्यों के तीव्र हस्तांतरण के मानचित्रण के लिए अभिचिन्हित 18 आयामी आधारों का इस्तेमाल किया गया है। खंड-III, देश में पंचायत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति से संबंधित विभिन्न परिपत्रों व दस्तावेजों का सार-संग्रह है।

(ग) संविधान के (73वें संशोधन), 1992 की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय ने 22-24 अप्रैल, 2008 को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जिला परिषदों व पंचायत समितियों के अध्यक्षों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई उनमें पंचायती राज की पंद्रहवीं वर्षगांठ का चार्टर, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को कोषों, कार्यों व कर्मियों के अंतरण, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) की कम्प्यूटर सहसंलग्नता आदि शामिल थे। इस सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री जी को 'पंचायती राज पर पंद्रहवीं वर्षगांठ का चार्टर' प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पंचायती राज के संबंध में 15वीं वर्षगांठ चार्टर

'समावेशी शासन के माध्यम से समावेशी विकास'
अप्रैल, 2008

1.1 गांधी जी का विश्वास था कि भारत के प्रत्येक गांव में स्वशासन की संस्थाओं में प्रजातांत्रिक आजादी की नींव रखी जानी चाहिए। उन्होंने यह प्रेरणा परम्परागत पंचायतों, 'ग्राम गणतंत्रों' से प्राप्त की, जिसे उन्होंने पंचायती राज कहा। उनका अभिमत स्वतंत्र भारत में चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से अपने ही निवासियों के विकास और कल्याण में लोगों की वास्तविक भागीदारी में समकालीन प्रजातंत्र पर आधारित था। हमारे संविधान के जनक डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की थी, किन्तु उन्होंने हमारे समाज के दबे कुचले घटकों को पंचायती राज की प्रणाली में आरक्षण प्रदान किए जाने की जरूरत पर लगातार बल दिया। राजीव गांधी ने इसे सुनिश्चित किया और सभी उक्त श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षण की बात जोड़ दी। उनका उद्घोषित

लक्ष्य पंचायतों के माध्यम से 'लोगों के लिए शक्ति' प्रदान करना था, और इस प्रकार भारत को न केवल विश्व का एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाना, बल्कि विश्व का सबसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रजातंत्र बनाना भी था।

1.2 आज, 26 लाख से अधिक व्यक्ति पंचायतों के तीन स्तरों के लिए चुने जाते हैं। इनमें से 10 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 5.2 लाख अनुसूचित जातियों से और 3.3 लाख अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। इस प्रकार पंचायती राज के पिछले पन्द्रह वर्ष सीमान्त समूहों, जिन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है, को सशक्त बनाने में सफल रहे हैं, उनमें से अनेक ने अधिशासन की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है और समुदाय के साथ अपने घनिष्ठ सम्पर्कों के माध्यम से संधारणीय सामाजिक परिवर्तन कायम किए हैं।

1.3 प्रधानमंत्रीजी ने अपना पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर मुख्यमंत्रियों के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि पंचायती राज ग्रामीण भारत को 700 मिलियन अवसरों में बदलने का एक माध्यम है और चुनौती स्थानीय शासन की इस पद्धति को संस्थागत बनाने की है, जिससे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और भागीदारीपूर्ण प्रजातंत्र बन सके।

1.4 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1993 से प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसके अन्तर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां दोनों ही, जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर चुनी हुई पंचायतों को सौंपी गई हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, जिसमें समावेशी विकास को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य विनिर्धारित किया गया है, पंचायती राज संस्थानों को 'पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना और इनका उपयोग, समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने का एक प्रमुख साधन बनाना है।' योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि 'हमारी विकास प्रक्रिया के समावेशन के लिए यह नितान्त महत्वपूर्ण है कि हमारी पंचायती राज संस्थाओं में बड़ी संख्या में चुने हुए इन प्रतिनिधियों को अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की योजना तैयार करने, उनके कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में पूरी तरह से शामिल किया जाए।' इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में एक विस्तृत मार्गदर्शी नक्शे के बारे में योजना दस्तावेज के 'शासन' नामक दसवें अध्याय में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है, जिसमें पी.आर.आई. के विकेन्द्रीकरण और सुदृढ़ीकरण को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। एक मजबूत और प्रभावी स्थानीय स्व-शासन के एक नए युग की शुरुआत की जा चुकी है।

1.5 तथापि, पंचायतों के माध्यम से लोगों को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने में बहुत-सी बाधाएं मौजूद हैं। यद्यपि, राज्यों ने पंचायती राज विधान का अधिनियमन किया है, तथापि, पंचायतों को स्व-शासन के संस्थानों के तौर पर शक्तियों और जिम्मेदारियों का वास्तविक रूप से सौंपा जाना अभी शेष है। इस संबंध में प्रगति असमान रही है। बहुत से राज्यों में पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का प्रभावी साधन नहीं बन पाई हैं, क्योंकि कार्यों, निधियों और कार्यकर्ताओं का सौंपा जाना मुख्यतः कागज पर ही रहा है।

2. हम भारत के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के माध्यम से सेवा करके, विश्वास करते हैं कि हम एक नए युग की दहलीज पर हैं, जबकि पंचायतें गुंजायमान स्थानीय स्व-शासन के दायित्व को संभालेगी, जैसा कि संविधान में अन्तर्निहित है। पंचायतों के लाखों चुने हुए प्रतिनिधियों की बड़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने अपने मार्गदर्शक के रूप में इस चार्टर का मसौदा तैयार किया है और अपनाया है और राष्ट्रपिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमें राज्य व केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शन व सहायता की जरूरत है।

3. पंचायतों का कार्यात्मक सशक्तिकरण

3.1 अभी तक पंचायतों को जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर स्थानीय सरकारों के रूप में लगभग 15 वर्ष के कामकाज का अनुभव प्राप्त हो गया है। हम, संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 मामलों के संबंध में जिम्मेदारी संभालने और शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो गए हैं। इसलिए सूचीबद्ध सभी 29 मामले पूर्णतया निधियों व कर्मियों के साथ सभी राज्यों में पंचायतों को निश्चित रूप से सौंपे जाएं।

3.2 सभी राज्यों ने पंचायती राज कानूनों का अधिनियमन किया है, जिनके अन्तर्गत संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ मामले पंचायतों को सौंपे गए हैं। तथापि, सौंपे गए कार्य विशेष से संबंधित कार्यकलापों को पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सौंपे जाने के लिए एक विस्तृत कार्यकलाप मानचित्रण तैयार करके औपचारिक कानूनी प्रावधानों को सच्ची भावना से कार्यान्वित किया जाए। कार्यकलाप मानचित्रण से हमें कार्यक्रमों के मात्र 'प्रोन्नयन' की शक्तियां प्राप्त नहीं

होनी चाहिए, बल्कि स्थानीय आयोजना तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त हों। पंचायतों को कार्यकलाप सौंपने में स्पष्टता और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए, आदर्शतः, राज्यों द्वारा कार्यकलापों को विधायी उपायों के माध्यम से सौंपा जाए।

3.3 विभिन्न समानान्तर सोसायटियों, एजेंसियों, समितियों और मिशनों को जिनकी स्थापना केन्द्रीय और राज्य स्तरीय संबंधित मंत्रालयों द्वारा विशिष्ट स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है, जो पंचायत क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, जैसे कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डी.आर.डी.ए.), सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), सोसायटियां आदि को या तो समाप्त अथवा उनका विलयन कर दिया जाए अथवा पंचायती राज संस्थानों के समुचित स्तरों के साथ एक उपयुक्त संस्थागत संबंध के तहत लाया जाए, जिससे कि पंचायतों का उनके अधीन कार्य कर रहे तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मियों व उनकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर पूर्ण नियंत्रण हो सके। निश्चित तौर पर इस प्रकार की एजेंसियों का नेतृत्व उपयुक्त स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा हो।

3.4 इस उद्देश्य से कि पंचायतें स्व-शासन के संस्थानों के रूप में कार्य करें, उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार करना होगा। पंचायतों को राजस्व, विनियमन और विकास कार्य सौंपे जाएं। न्यायिक शक्तियां व पुलिस के अंतरण पर भी विचार किया जाए।

3.5 सभी स्तरों पर पंचायतों और जिला आयोजना समितियों (डी.पी.सी.) के बीच आर्गनिक संयोजन कायम करने के उद्देश्य से ग्राम और मध्यवर्ती स्तरों के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी, जिला पंचायतों के सदस्यों को प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व के अलावा, डी.पी.सी. में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

3.6 केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए तथा पुनर्संरचना की जाए ताकि पंचायती राज संस्थानों द्वारा योजना तैयार करना और उनका कार्यान्वयन सुकर हो सके। विद्यमान प्रत्यायित विधान, कोड, नियम और कार्यकारी आदेश, जिन्हें पुरानी पारम्परिक और केन्द्रीयकृत प्रशासनिक पद्धति के लिए तैयार किया गया था, अब इस नई शासन पत्थति के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

3.7 वैश्वीकरण और उदारीकरण से सरकार के सभी स्तरों के लिए चुनौतियां तथा अवसर दोनों पैदा हुए हैं। पंचायतें भी अब उसमें निष्क्रिय नहीं रह सकतीं। हमें ऐसे कार्यक्रम डिजाइन और तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय शासन से भी आगे की ओर देखना चाहिए, जिनसे स्थानीय जरूरतें पूरी हों और देश के लोगों की समृद्धि को बढ़ावा मिले। हम अपने आप में स्व-सहायता की भावना पैदा करेंगे तथा स्थानीय रूप से प्रेरित उन पहलों को अपनाएंगे जिनके लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों से धन की अनिवार्य रूप से जरूरत नहीं होगी।

4. पंचायतों का वित्तीय सशक्तिकरण

4.1 केन्द्रीय और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि पंचायतों के निधियों के प्रवाह में नियमितता और स्पष्टता हो। इस उद्देश्य हेतु यह अनिवार्य है कि पंचायती राज पद्धति की प्रत्येक प्रणाली के लिए वित्त के प्रवाह की पद्धति कठोरतः कार्यों के संबंध में कार्यकलाप मानचित्रण की प्रणाली के अनुरूप हो। कार्यों और वित्त के बीच तालमेल होने से ही पंचायतों को शक्तियों की प्रभावी सुपुर्दगी सुनिश्चित हो सकेगी। इस उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों के बजटों में एक पंचायत क्षेत्रक खिड़की कायम की जानी चाहिए, जिससे कि पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के वित्तपोषण हेतु पंचायतों की प्रत्येक प्रणाली के लिए निधियों का प्रवाह सुनिश्चित हो सके। इन स्कीमों का एकल पंचायत क्षेत्रक खिड़की के अन्तर्गत समेकन किया जा सकता है, एक ऐसी प्रथा जिसका अनेक राज्यों तथा छठी अनुसूची में शामिल कतिपय जनजातीय क्षेत्रों द्वारा पालन किया गया है।

4.2 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी.एस.एस.) व अन्य केन्द्रीय सरकार की वित्त पोषण धाराओं, जैसे कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के संबंध में कार्यों और वित्त के संबंध में ऐसे ही कार्यकलाप मानचित्रण की जरूरत है, जिससे कि पंचायतें स्थानीय आयोजना और कार्यान्वयन में समर्थ हो सकें। आयोजना और कार्यान्वयन में सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों की केन्द्रीयता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के कार्यात्मक कार्यक्षेत्र से संबंधित मार्गनिर्देशों में संशोधन किया जाए, जैसा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मामले में किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एन.आर.ई.जी.एस.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन स्कीम (एम.डी.एम.), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.),

समग्र स्वच्छता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), के मार्गनिर्देशों को संशोधित करने को प्राथमिकता प्रदान की जाए। अग्रणी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सभी मार्गनिर्देशों के सार संग्रह को स्थानीय भाषाओं में नियमित रूप से प्रकाशित और वितरित किया जाए, जिससे कि पंचायतों के पास अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे।

4.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक (डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोर्डिनेटर) तथा कार्यक्रम अधिकारी (प्रोग्राम ऑफिसर) क्रमशः जिला व मध्यवर्ती पंचायतों के समग्र नियंत्रण व पर्यवेक्षण के तहत निश्चित तौर पर कार्य करें। इसे इस बात को अधिदेशित करते हुए हासिल किया जा सकता है कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा मध्यवर्ती पंचायत के कार्यपालक अधिकारी को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाए।

4.4 केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोगों द्वारा ब्लाक अनुदान अंतरणों के माध्यम से अबद्ध निधियों के अंतरण में, स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं और आधारभूत विकास के अनुरक्षण और देखभाल के लिए पंचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए। केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के द्वारा पंचायतों को अंतरित निधियों को पूरक बनाया जाए और उन्हें राज्यों द्वारा पंचायतों को किए जाने वाले धन के अंतरण में नहीं मिलाया जाए।

4.5 पंचायतों द्वारा तैयार किये गए नूतन प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय सरकार में उसी प्रकार से एक पृथक वित्तपोषण खिड़की होनी चाहिए, जैसा कि एन.जी.ओ. के लिए उपलब्ध है।

4.6 केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को अंतरित की जाने वाली निधियां कुछेक आवश्यक मध्यवर्ती उपायों के साथ, उन तक सीधे ही पहुंचनी चाहिए। निधियों के प्रवाह के संबंध में एकसमान मार्गनिर्देश हों, जो पंचायतों तक निधियों के पहुंचने की निश्चित समय के साथ सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों व सभी स्कीमों पर एक समान रूप से लागू हों। प्रत्येक पंचायत द्वारा अपनी उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही उन्हें तुरन्त निधियां मुहैया कराई जाएं। राजकोषों के कम्प्यूटरीकरण और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधियां अंतरित करने के संबंध में वर्तमान प्रयासों को सभी निधि अंतरण एजेंसियों द्वारा शीघ्र से शीघ्र अपनाया जाए।

4.7 संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों को निधियों के अंतरण में विशेष समस्याएं हैं, क्योंकि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें निधियां भेजने के लिए केन्द्रीय बजट में कोई पृथक निधियन खिड़की नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के अनुसार सीधे ही धन भेजने के लिए केन्द्रीय बजट में व्यवस्था की जा सकती है।

4.8 प्रस्तावित केन्द्रीय स्कीम और कार्यक्रम मॉनीटरन पद्धति से, धन जारी करने और प्रत्येक पंचायत द्वारा प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नजर रखना संभव हो सकता है। इसे एक वित्तीय सूचना प्रणाली के रूप में भी काम करना चाहिए, जिससे कि सभी पंचायतों को यह पता चल सके कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कब निधियां जारी की गईं। राज्यों को जारी की गई निधियों के संबंध में सभी अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां पंचायतों के सभी स्तरों पर भेजी जाए, ताकि योजना तैयार करने का काम सुकर हो सके।

4.9 पंचायतें आजकल उन्हें कराधान और उपभोक्ता प्रभार संग्रह के संबंध में सौंपी गई शक्तियों का कम उपयोग करती हैं। हम, अपने कर आधार का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण करने के लिए व्यवस्थित और समय पर आकलन करके अपना राजस्व जुटाने के लिए ईमानदारीपूर्वक और एक अभियान विधि दृष्टिकोण के जरिए कर संग्रह को लागू करने का प्रयास करेंगे।

4.10 पंचायतों द्वारा अपने खुद के राजस्व में से व्यय करने और निवेशों के संबंध में राज्यों द्वारा कोई शर्तें आरोपित नहीं की जाएं।

4.11 गरीबों के लिए व्यापक आवासन, एस.एच.जी. और उनके संघों के लिए सहायता तथा लाभप्रद अवस्थापना संबंधी परिसम्पत्तियों के निर्माण जैसी विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए पंचायतों को बैंक ऋण की सुविधा होनी चाहिए। भारत सरकार को इस संबंध में एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

5. कार्यों की सुपुर्दगी, प्रशिक्षण, पंचायत स्तर कार्यालय अवस्थापना और तकनीकी सहायता की व्यवस्था के माध्यम से पंचायतों की क्षमताओं में सुधार करना

5.1 पंचायतों के लिए स्टाफ की व्यवस्था:

सौंपे गए मामलों से संबंधित एकसमान विभागों के स्टाफ को ऐसे पंचायत स्टाफ के संबंध में एक पृथक संवर्ग प्रबंधन पद्धति के माध्यम से पंचायतों के नियंत्रण के तहत सौंपा जाए। स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आजीविकाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं को तत्काल ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित किया जाए। सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए धीरे-धीरे स्टाफ की भर्ती पंचायतों द्वारा की जाए। पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर पर अपने प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए सर्वोत्तम प्रतिभाओं तक पहुंच हो। इसे खुली चयन प्रक्रिया अथवा राज्य सरकारों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। जिला पंचायत और परिषद के अध्यक्ष के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करते हुए संबंधित पंचायतों के ई.ओ. को अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जिससे कि वह एकसमान विभागों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल कायम कर सके। पंचायतों के सभी स्तरों के अध्यक्षों को प्रबंध और नियंत्रण की स्पष्ट शक्तियां स्पष्ट रूप से वित्तीय अधिकारों को निर्धारित करते हुए प्रदान की जाएं। पंचायतों के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों की सभी गोपनीय रिपोर्टें उपयुक्त स्तर पर पंचायत अध्यक्षों द्वारा लिखी जाएं।

5.2 जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक की व्यवस्था

सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी उठाते हैं तथा अपने पंचायती मामलों का प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा प्रदान करने से संबंधित अग्रणी स्कीमों के कार्यान्वयन पर अधिकाधिक बल को देखते हुए चुने हुए पंचायत वार्ड सदस्य और सरपंच पूर्णकालिक रूप से कार्य करते हैं और अपने प्रयासों के लिए केवल साधारण मानदेय और बैठने की फीस प्राप्त करते हैं। सभी तीनों स्तरों पर चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं और पंचायतों व स्थायी समितियों की बैठकों में भाग लेने के अलावा वे क्षेत्र का निरीक्षण, वार्ड के दौरे करते हैं तथा एकसमान विभागीय कार्यालयों की बैठकों में भाग लेते हैं। सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों को सौंपी जा रही अधिकाधिक जिम्मेदारियों को देखते हुए, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता प्रदान करने तथा सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक की व्यवस्था उसी तरीके से की जाए जैसा कि सांसदों व विधायकों के लिए किया जाता है। इस मामले पर केन्द्रीय और राज्य सरकारें ध्यान दें।

5.3 पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

5.3.1 पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को एक ऐसी पद्धति के माध्यम से लगातार और उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे उनकी प्रशिक्षण जरूरतें पूरी हो सकें। प्रशिक्षण में पर्याप्त नमनीयता भी होनी चाहिए, जिससे कि पंचायतों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी हो सकें। प्रशिक्षण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा हेल्प लाइनों, काल सेंटरों, विचार-विमर्श प्रसारणों व दूरवर्ती अध्ययन की अन्य विधियों के जरिए सहज रूप में सुलभ होनी चाहिए तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर स्थानीय भाषा में तैयार किये जाएं। इस उद्देश्य हेतु हमारी मांग है कि केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित गैरोला समिति रिपोर्ट को स्वीकार और कार्यान्वित किया जाए, जिसने अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पंचायत स्तर की सेटेलाइट व इन्टरनेट संयोजकता सुनिश्चित करने के लिए 7700 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। इससे न केवल सभी पंचायत सदस्यों व पदाधिकारियों का दूरवर्ती प्रशिक्षण सुकर होगा बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता भी सुनिश्चित होगी।

5.3.2 प्रशिक्षण और संचार को एकल एक बार के उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक सतत व चालू रहने वाली प्रक्रिया हो, जिससे आत्म सम्मान और विश्वास की भावना में वृद्धि होगी। प्रशिक्षण के अन्तर्गत चुनाव से 'पहले' और 'पश्चात्' की अवधियां सम्मिलित होनी चाहिए। प्रारम्भिक प्रशिक्षण और संचार की सुविधा सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए एक वर्ष की अवधि के अन्दर उपलब्ध होनी चाहिए।

5.3.3 पंचायत प्रशिक्षण से पंचायतों के बीच जानकारी दौरों और जिले व राज्य के बीच अन्योन्यक्रिया के माध्यम से अपनेपन की भावना पैदा करने को बढ़ावा मिले। समकक्षी से समकक्षी व्यक्ति का शिक्षण, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय गठबंधन के जरिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दोनों प्रकार के तथा अग्रणी पंचायतों के दौरों को बढ़ावा और सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि नूतनताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार हो सके।

5.3.4 भिन्न-भिन्न समूहों के लिए, जैसे कि महिला पंचायत प्रतिनिधियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्यों और युवा प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण के एक कैलेण्डर के मुताबिक आयोजित किए जाएं। कार्यकर्ताओं के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों को मिला-जुला प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए।

5.3.5 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 द्वारा कवर हुए क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक परम्पराओं और विशेष जरूरतों पर ध्यान दिया जा सके।

5.3.6 अर्ध-साक्षर और निरक्षर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे छः मास से एक वर्ष के अन्दर कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर सकें।

5.3.7 पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण पाठ्यचर्या तैयार करने के काम में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों को आगे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संसाधन व्यक्ति बनने के वास्ते अनुभवी पंचायत सदस्यों व पूर्व सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5.3.8 ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक ऑडिट के वास्ते प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान आयोजित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। ग्राम व वार्ड सभा बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके अधिकाधिक सदस्य बैठकों में भाग लें।

5.3.9 छठी अनुसूची क्षेत्रों में तथा पंचायती राज के प्रावधानों द्वारा कवर न हुए क्षेत्रों में भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

5.3.10 स्थानीय शासन में शिक्षा को स्कूली पाठ्यविवरण में शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चों के बीच स्थानीय स्व-शासन में भाग लेने की भावना पैदा हो सके।

5.3.11 प्रशिक्षण एक दो-तरफा प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे कि फीडबैक से प्रशिक्षण की सामग्री और प्रक्रिया में सुधार करने में मदद मिल सके तथा पंचायत व सरकारी कामकाज में व्यवस्थित परिवर्तन भी आ सके। प्रशिक्षण के परिणामों का आकलन करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र प्रशिक्षण प्रभाव आकलन अध्ययन किए जाएं तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उभरती जरूरतों के संबंध में जानकारी दी जाए।

4.3.12 पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए ग्राम विकास राज्य संस्थानों व अन्य संस्थानों को बेहतर अवसंरचनाओं, अधिक स्त्रोत व्यक्तियों व सुविधाओं, यथा दूर शिक्षण एवं अनुसंधान स्कंधों के द्वारा निश्चित तौर पर सुदृढ़ किया जाए।

5.4 पंचायतों के लिए भौतिक अवस्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था

5.4.1 सभी पंचायतों के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, बैठक और प्रतीक्षा कक्षों, शौचालयों, मनोरंजन की सुविधाओं, आई.टी., टेलीफोन और सड़क संयोजकता के रूप में पर्याप्त भौतिक अवस्थापना की व्यवस्था की जाए।

5.4.2 प्रभावी निष्पादन के लिए पंचायतों को अपने काम-काज में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर निर्भर करना चाहिए। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत ई-पंचायतों संबंधी मिशन मोड परियोजना को अगले तीन वर्ष के अन्दर समयबद्ध तरीके से पूर्णतः वित्तपोषित रूप में कार्यान्वित किया जाए।

5.5 आरक्षण चक्र को 3 कार्यावधियों तक बढ़ाना

जिन सदस्यों के लिए पंचायतों में स्थान आरक्षित हैं, उन श्रेणियों के बीच क्षमता और नेतृत्व का निर्माण करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से राज्यों को आरक्षण चक्र को 5-5 वर्ष की तीन कार्यावधियों तक बढ़ाने पर अनुकूल रूप से विचार करना चाहिए। पंचायतों के अध्यक्षों का न्यूनतम कार्यकाल पांच वर्ष हो।

5.6 दो बच्चों का मानदंड समाप्त करना

कोई प्रतिबंध लागू न हो, जैसे कि दो बच्चों का मानदण्ड, जिससे प्रतिभावान और सक्षम व्यक्तियों को पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ने में रुकावट पैदा होती है। इस मानदण्ड को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं की स्थिति की अवहेलना होती है और इसका जनसंख्या नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

5.7 यह एक मजबूत स्थानीय प्रजातंत्र के अनुरूप नहीं है कि अधिकारियों को पंचायतों को बर्खास्त करने की शक्तियां प्रदान की जाएं, और वे पंचायतों के प्रशासकों के रूप में

शक्तियां संभालें। राज्य पंचायती राज कानूनों से ऐसे प्रावधानों को समाप्त किया जाए।

6. विकेन्द्रीकृत आयोजना और कार्यान्वयन

6.1 संविधान के अनुच्छेद 243 जी में यह परिकल्पना की गई है कि पंचायतों को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। विकेन्द्रीकृत आयोजना पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। 11वीं योजना में इस बात को स्वीकारा गया है कि आधारीय स्तर से पंचायतों तक योजना तैयार करना स्थानीय निर्णय निर्माण और सेवा प्रदान करने के एक केन्द्र के रूप में पंचायतों को आगे लाने की दिशा में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में अनेक केन्द्रीय और राज्य स्कीमों के माध्यम से तथा निर्धनता उपशमन, अवस्थापना विकास और सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए वित्तपोषण पद्धतियों के जरिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आई.सी.डी.एस., सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई विकास और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन सभी स्कीमों को एक समन्वित ढंग से तैयार किया जाना चाहिए और कार्यान्वित किए जाने वाले स्तर पर उन्हें पंचायतों की विस्तृत योजना में शामिल किया जाना चाहिए। पंचायतों के अपने संसाधनों को भी उनकी योजनाओं में दर्शाया जाए।

6.2 संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के प्रावधानों के अनुरूप राज्यों द्वारा जिला आयोजना समितियों का गठन

संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य जिलें में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए विकास योजना का एक मसौदा तैयार करने के वास्ते जिला स्तर पर एक जिला आयोजना समिति का गठन करेगा। पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान के क्रमशः बाग IX और IX क के प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल 24 राज्यों में से 18 राज्यों ने अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार जिला आयोजना समितियों का गठन कर दिया है। शेष राज्यों द्वारा इस संवैधानिक अधिदेश का तुरन्त पालन किया जाए।

6.3 जैसी कि संविधान में व्यवस्था है पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर - ग्राम, मध्यवर्ती और जिला - को अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में भावी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाएं तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक जिले में नगरपालिकाओं में भी ऐसी ही पद्धति अपनाई जाए। डी.पी.सी. को पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को 'समेकित' करना चाहिए, जैसी कि संविधान में व्यवस्था है, बजाय इसके कि वे अपनी मर्जी और इच्छानुसार जिला योजना तैयार करें। पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को सरकार के उच्च स्तरों पर सम्मान प्रदान किया जाए और उनमें बदलाव नहीं किया जाए।

6.4 सांसद और विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए उच्च आवंटनों और कार्यान्वयन से भागीदारीपूर्ण आयोजना की भावना को ठेस पहुंचती है। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पंचायत स्तर पर तैयार किये गए कार्यक्रमों के अभिसरण के साथ किया जाए।

6.5 आयोजना प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण योजनाओं की अवहेलना होती है और उच्च स्तरों पर जानबूझकर हस्तक्षेप किया जाता है। पंचायतों द्वारा आयोजना प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाया जाए।

6.6 पंचायतें ग्राम सभाओं को न केवल कार्यों की सूची तैयार करने के लिए बल्कि कार्यान्वयन में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए भी आयोजित करनी हैं, क्योंकि पंचायत स्तर पर निधियां सीमित होती हैं। संबंधित विभागों को सांसद और विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र अनुदानों जैसी स्कीमों के लिए अपनी प्राथमिकता सूची तैयार नहीं करनी चाहिए और पंचायतों की जानकारी के बिना कार्य आयोजित नहीं करना चाहिए। इनके द्वारा ग्राम सभाओं द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूचियों का अनुपालन किया जाए।

6.7 संविधान के भाग IX और IX क के प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल न हुए क्षेत्रों में आधारस्तरीय आयोजना संबंधी रामचन्द्रन समिति की सिफारिशों के अनुरूप, इन क्षेत्रों में जिला आयोजना के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

6.8 जिला योजनाएं तैयार करने के लिए डी.पी.सी. के लिए तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना

डी.पी.सी. को जिला योजनाओं के समेकन के उनके कार्यों में सहायता प्रदान करने के वास्ते तकनीकी सहायता और आई.टी. समर्थन प्रदान किए जाएं।

6.9 प्रत्येक राज्य में एक राज्य विकास परिषद हो, जिसमें सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष सम्मिलित हों, जो पंचायतों द्वारा कार्यक्रमों और नीतियों की योजना तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करे। राज्य विकास परिषद में मध्यवर्ती व ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को भी प्रतिनिधित्व मिले।

7. संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में पंचायती राज:

7.1 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 (पी.ई.एस.ए.) एक केन्द्रीय विधान है, जो कतिपय अपवादों और संशोधनों के अध्यधीन पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू करता है। 9 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं। पी.ई.एस.ए. में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जो लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित और संरक्षित रखने में तथा विवाद निपटान की प्रथागत विधि लागू करने में सक्षम होगी। पी.ई.एस.ए. में यह व्यवस्था है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायतों में कुल स्थानों में से कम से कम 50 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। पंचायतों में सभी अध्यक्षों के स्थान भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। चूंकि पी.ई.एस.ए. पंचायतों के संवैधानिक प्रावधानों का पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करता है, इसलिए इसे निश्चित तौर पर संविधान का अविभाज्य भाग समझा जाए।

7.2 ग्राम सभाओं को गौण खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस प्रदान करने और जल निकायों के प्रबंधन की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विस्थापित व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार के भू-अधिग्रहण अथवा पुनः स्थापन और पुनर्वास से पहले ग्राम सभाओं और पंचायतों से सलाह की जाए। ग्राम सभाओं और पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर नशाबंदी लागू करने अथवा किसी नशीले पदार्थ की बिक्री और खपत पर नियंत्रण अथवा निष्कर्षण करने की शक्ति विशिष्ट रूप से प्रदान की गई है। पी.ई.एस.ए. यह उपबंधित करता है कि गौण खनिजों के संबंध में भावी लाइसेंस अथवा खनन पट्टा मंजूर करने से पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों की सिफारिश अनिवार्य है। भावी लाइसेंस या खनन पट्टा मंजूर करने से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाने के लिए प्रावधानों में संशोधन किए जाएं।

7.3 पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को कार्यपालक शक्तियां प्रदान की गई हैं, और वे ग्राम समाओं के अध्यक्ष के रूप में अपने पारम्परिक अध्यक्षों को चुन सकते हैं। पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के बीच एक सामजंस्यपूर्ण संबंध कायम करने की जरूरत है।

7.4 यद्यपि, सभी राज्यों ने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन करके अपेक्षित अनुपालन विधानों का अधिनियमन कर लिया है तथापि, कुछ खामियां अभी भी विद्यमान हैं। अधिकांश राज्यों द्वारा नागरिक कानूनों में संशोधन किया जाना है, जैसे कि साहूकारी, वन, उत्पाद शुल्क इत्यादि से संबंधित कानून, ताकि उन्हें पी.ई.एस.ए. के अनुरूप बनाया जा सके। परिणामस्वरूप पी.ई.एस.ए. का अनुपालन लगभग सभी राज्यों में अधूरा और निष्क्रिय है। लघु वन उत्पाद का स्वामित्व, लघु जल निकायों की आयोजना और प्रबंधन, जनजातीय भूमियों की वंचना को रोकने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिन्हें पी.ई.एस.ए. के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के पारम्परिक अधिकारों के रूप में उचित रूप से स्वीकारा गया है, अभी भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू नहीं किए गए हैं। भारतीय भू-अधिग्रहण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय पंजीकरण अधिनियम जैसे केन्द्रीय विधानों का पी.ई.एस.ए. के प्रावधानों के साथ तालमेल कायम किये जाने की भी जरूरत है। पी.ई.एस.ए. के उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित कानूनों और नीतियों के प्रावधानों में तालमेल कायम करने के लिए राज्य तथा संगत केन्द्रीय मंत्रालय ठोस उपाय करें।

7.5 ग्राम सभाओं और पंचायतों को सांविधिक रूप से सौंपी गई शक्तियों का निधियों और कार्यकर्ताओं के समनुरूप अंतरण द्वारा तालमेल नहीं बिठाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पाता। सामाजिक क्षेत्रक में कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करना चाहिए, जैसा कि पी.ई.एस.ए. के अन्तर्गत परिकल्पित है।

7.6 पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा को संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के प्रावधानों में एकीकृत किया जाना चाहिए। सभी सामुदायिक संसाधन आधारित स्कीमों में पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में आयोजना और कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं को सम्मिलित किया जाए।

7.7 इसके अधिनियमन के 11 से भी अधिक वर्षों के पश्चात भी पी.ई.एस.ए. के प्रावधानों की बहुत कम अथवा कोई जानकारी नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को जागरूकता अभियानों के माध्यम से पी.ई.एस.ए. के प्रावधानों के संबंध में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पी.ई.एस.ए. के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों को भी उपयुक्त रूप से संवेदनशील बनाया जाए।

7.8 अंदरूनी क्षेत्रों में भौतिक अवस्थापना मजबूत बनाई जाए, जिससे कि जनजातियों के जीवन और सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान किया जा सके। नालियों, पुलों, चेक बांधों, स्कूलों की अहाता दिवारों आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

7.9 वर्तमान में लघु वन उत्पाद का स्वामित्व जनजातियों में निहित नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि उन्हें अपने लघु वन उत्पाद के लिए सर्वाधिक लाभप्रद कीमत प्राप्त हो।

8. संविधान के भाग IX और IX क के प्रावधानों के अन्तर्गत कवर न हुए क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण

8.1 संविधान की छठी अनुसूची के सम्पूर्ण दर्शन का उद्देश्य, उनके लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्थानीय स्वशासन संस्थान संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाकर जनजातीय क्षेत्रों और हितों को संरक्षण प्रदान करना है। इन संस्थानों को जनजातीय संस्कृति और प्रथाओं को संरक्षण प्रदान करने तथा उनके लिए विकास कार्य आयोजित करने का दोहरा काम सौंपा गया है। संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों को सच्ची भावना से लागू किया जाए।

8.2 पंचायती राज और छठी अनुसूची दोनों के क्षेत्राधिकार के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में स्थानीय स्वायत्त परिषदों के लिए नियमित चुनावों की भी व्यवस्था की जाए, ताकि संबंधित जनजातीय लोग स्थानीय प्रजातंत्र और विकेन्द्रीकृत तथा समावेशी विकास के संबंध में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें।

8.3 एक स्वायत्त जिले की तुलना में दूसरे जिले को सौंपे गए कार्यों में पर्याप्त मात्रा में भिन्नता है। किसी जिला परिषद को प्रदान की जानी वाली शक्तियों की न्यूनतम सीमा कम से कम उतनी हो, जो संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रतिपादित है, जिसे इस मामले में भी एक संकेतात्मक सूची के रूप में समझा जा सके।

8.4 छठी अनुसूची के क्षेत्रों में जिला आयोजना को समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने के उद्देश्य से स्वायत्त परिषदों को पारम्परिक व्यवस्थाओं के साथ ताल-मेल कायम करके कार्य करना चाहिए। इसी कारण से इन निकायों को सौंपी गई विनियामक, विधायी और न्यायिक शक्तियों के अलावा स्पष्ट विकासात्मक कार्य सौंपे जाएं।

9. आधार स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को सक्रिय बनाना

9.1 संविधान के ग्राम सभा की परिभाषा एक ऐसे निकाय के रूप में की गई है, जिसमें पंचायत के अन्दर सम्मिलित गांव से संबंधित मतदाता सम्मिलित हों। स्थानीय प्रजातंत्र में भाग लेने के लोगों के अधिकार की व्याख्या व्यापक रूप से की जाए। इसलिए 'ग्राम सभा' शब्द को इसके वृहद् रूप में समझा जाना चाहिए और न कि मतदाताओं की एक आवसरिक बैठक के रूप में प्रतिबंधात्मक दृष्टि से, क्योंकि जन भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ग्राम सभा के सदस्यों से, सर्वेक्षणों और वार्ड तथा निकटवर्ती स्तर की बैठकों के जरिए उनके द्वार पर भी, परामर्श किया जाए।

9.2 उन राज्यों को छोड़कर जहां ग्राम पंचायतों के आकार बहुत छोटे हैं कुछ राज्यों में वार्ड अथवा बस्ती स्तर पर और जी.पी. स्तर पर ग्राम सभा की दो स्तरीय बैठक आयोजित करने के लिए कानूनी संरचना और प्रथा को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाए।

9.3 उत्तम पंचायत स्तरीय प्रथाओं को, जैसे कि केरल के कुटुम्बश्री कार्यक्रम को, जिससे ग्राम सभा के गरीब और सीमान्त सदस्यों के बीच ग्राम पंचायतों के साथ सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिला है, सभी राज्यों में प्रोत्साहित किया जाए।

9.4 ग्राम/वार्ड सभा को ऐसे उपायों के जरिए सार्थक ढंग से सशक्तिकरण को व्यापक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए, जैसे कि ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं और कार्यक्रम (बजट सहित) अनुमोदित करना, पंचायतों की योजनाओं, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना और लाभार्थियों का विनिर्धारण करना।

9.5 सामाजिक ऑडिट, औपचारिक ऑडिट का एक महत्वपूर्ण पूरक है, तथा पंचायती राज के मजबूत और स्वस्थ विकास के लिए सामाजिक और औपचारिक ऑडिट के बीच एक सांकेतिक संबंध कायम किया जाना जरूरी है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के लिए तथा संबंधित विभागीय कार्यालयों के संबंध में भी सामाजिक ऑडिट किया जाए।

9.6 एक प्रभावी और विभिन्न राज्यों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर सामाजिक ऑडिट के वास्ते, राज्य विधानमंडलों/सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए सामाजिक ऑडिट नीतियां तैयार करने पर विचार किया जा सकता है, जिससे कि एक रूपरेखा की व्यवस्था हो सके, जिसके अन्दर सामाजिक ऑडिट किया जाए।

10. ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र

10.1 पंचायतों को उन अवसरों की जानकारी दिए जाने की जरूरत है, जो उनके लिए अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के संबंध में योजना तैयार करने के लिए विद्यमान हैं, और जिनसे ग्रामीण कृषि इतर उद्यमों को बढ़ावा मिल सकता है, जिनमें पब्लिक-प्राईवेट-पंचायत पार्टनरशिप के माध्यम से स्थानीय दक्षताओं और/अथवा संसाधनों का उपयोग हो सकता है तथा ग्रामीण रोजगार का सृजन/प्रोत्साहन हो सकता है।

10.2 केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों और संगठनों की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्थापित शिल्पकार आधारित संकुलों, जैसे कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नाबार्ड और शिल्पकला विकास आयुक्त को विद्यमान स्कीमों के साथ एक समर्थनकारी अभिसरण में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने के वास्ते पंचायतों की एक स्पष्ट भूमिका तय करनी चाहिए। पंचायतें, बाह्य सुविधा, क्षमता निर्माण, ऋण की सुलभता आदि के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित कर सकती हैं, और इस प्रकार केन्द्रीय/राज्य स्कीमों के लिए एक प्रवेशद्वार के रूप में और बैंकों व अन्य संस्थानों के माध्यम से भी कार्य कर सकती हैं।

11. पंचायत के कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन:

11.1 पंचायतों को और अधिक कार्यों, कर्मियों तथा कोषों के अंतरण के लिए, पंचायत स्तर पर स्वशासन की पद्धति की पुनर्संरचना को प्रोत्साहित और सुकर बनाने के वास्ते, पंचायतों को अपनी नवसंवर्धित जिम्मेदारियों का संकेन्द्रित रूप से व उत्पदक ढंग से प्रयोग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायतें सार्वजनिक जवाबदेही के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति करें, राज्यों द्वारा सहायता प्रदान करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

11.2 पंचायतों को अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य प्राप्त करने में और अपनी भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां निष्पादित करने में कार्यकुशलता की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में अपने वार्षिक सुधार के लिए पुरस्कृत किया जाए।

12. पंचायत प्रतिनिधियों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क सृजित करना:

12.1 एक-दूसरे से शक्ति प्राप्त करने, अनुभव बांटने, और सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ उठाने और एक सामूहिक आवाज का लाभ उठाने के उद्देश्य से हमारा संकल्प चुने हुए प्रतिनिधियों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क सृजित करने का है। राष्ट्रीय नेटवर्क का विशिष्ट उद्देश्य पंचायतों के लिए निम्नलिखित के संबंध में समर्थ बनाना है; (क) सर्वोत्तम प्रथाओं में हिस्सेदारी, (ख) अन्य पंचायतों से प्राप्त अनुभव और समर्थन के साथ स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, (ग) पंचायतों के कुसमंजन के विरुद्ध निवारक उपाय करना, और उनकी जानकारी रखना, (घ) सभी स्तरों पर पंचायतों को पेश आने वाली समस्याओं से उच्च स्तर पर सरकारों, नीति निर्माताओं और आयोगों को अवगत कराना, (ङ) पंचायतों के बीच नीतियों कार्यक्रमों व अन्य पंचायत सम्बद्ध जानकारी का प्रसार करना, (च) प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रीय दौरे और अध्ययन यात्राएं आयोजित करना, (छ) वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा समीक्षा और सभी स्तरों पर सदस्य पंचायतों का बेंचमार्क निष्पादन आयोजित करना, और (ज) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ही संस्थाओं के साथ नेटवर्क कायम करना।

12.2 जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतों का प्रत्येक चुना हुआ प्रतिनिधि, चुने हुए सदस्यों की एसोसिएशन का एक प्राथमिक सदस्य होगा, जिसका निम्न प्रकार से एक संघ कायम किया जाएगा, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर तक सभी राज्यों और पंचायतों के सभी स्तरों के सदस्य एक स्थान पर इकट्ठे हो सकें।

12.3 आधार स्तर से लेकर ऊपर तक संघ का गठन निम्न प्रकार होगा:-

(क) प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर एक मध्यवर्ती

स्तरीय एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन की आम सभा में तीन सदस्य सम्मिलित होंगे, जिनका चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। मध्यवर्ती स्तरीय एसोसिएशन में भी मध्यवर्ती पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक ग्राम सभा से मध्यवर्ती स्तरीय एसोसिएशन के लिए एक सदस्य का चयन किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन की आम सभा में 3 सदस्य सम्मिलित होंगे, जिनका चयन प्रत्येक मध्यवर्ती स्तरीय एसोसिएशन से किया जाएगा। जिला स्तरीय एसोसिएशन में जिला पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला स्तरीय एसोसिएशन में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

12.4 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य स्तरीय संघ होगा, जिसकी आम सभा में 3 सदस्य सम्मिलित होंगे, जिनका चयन प्रत्येक जिला स्तरीय एसोसिएशन से किया जाएगा। जिले से चुने गए 3 सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य पंचायत के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करेगा।

12.5 चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों का एक राष्ट्र स्तरीय संघ होगा, जिसकी आम सभा में 3 सदस्य सम्मिलित होंगे, जिनका चुनाव प्रत्येक राज्य स्तरीय एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य से चुने गए 3 सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य पंचायत के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्यों से प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो सकती है, जो राज्य की ग्रामीण आबादी पर निर्भर करेगा।

12.6 संघों और एसोसिएशनों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व होगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी।

12.7 प्रत्येक एसोसिएशन और संघ के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जो निकाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलाप आयोजित करेगी। प्रत्येक एसोसिएशन और संघ के लिए एक स्थायी कार्यालय और अपेक्षित सहायक पद्धति कायम की जाएगी। एसोसिएशनों और संघों की जिला स्तर पर त्रैमासिक अंतराल पर, राज्य स्तर पर अर्द्धवार्षिक और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक रूप से नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।

12.8 प्रत्येक एसोसिएशन और संघ का अपना कोष होगा। जिसमें पंचायतों, राज्य और केन्द्रीय सरकार, जनता, एन.जी.ओ., बैंकों और निधियन स्रोतों से अंशदान प्राप्त होगा।

12.9 संघ और एसोसिएशन अपने नेटवर्किंग कार्यकलापों को इंटरनेट, वीडियो कांफ्रेंसिंग और दूरदर्शन पर नियमित प्रसारणों तथा पंचायत कार्यक्रमों के संबंध में समुदाय रेडियो के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगी और उन्हें बनाए रखेंगी।

12.10 एसोसिएशनों और संघों का पंजीकरण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाएगा। एसोसिएशनों और संघों के मॉडल संस्था ज्ञापन पत्र और उप नियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की एक प्रारूपण समिति गठित की जाएगी।

73वें संशोधन की 15वीं वर्षगांठ के इस ऐतिहासिक अवसर पर, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक मंजूरी, पात्रता और दर्जा प्राप्त हुआ, हम अपने 80 करोड़ ग्रामीण भाइयों और बहनों के चुने हुए प्रतिनिधि अपने-आपको आधार स्तरीय प्रजातंत्र के माध्यम से आधारभूत विकास के कारक के प्रति पुनः समर्पित करते हैं और समावेशी शासन के माध्यम से समावेशी विकास हेतु सभी के लिए सद्भावना, सामाजिक न्याय और साम्यता के साथ अथक रूप से कार्य करने के लिए संकल्प करते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देना

5251. श्री अजीत जोगी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों/क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में आयोजित खेल/क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ग्रामीण युवकों को अवसर प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत व विदेशों में हुए उन खेलों के क्या नाम

हैं, जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण युवकों ने भाग लिया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) को अनुमोदित किया है जिसका उद्देश्य 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, चरणबद्ध तरीके से, देश की सभी पंचायतों में बुनियादी स्तर पर आधारभूत खेल अवसंरचना का निर्माण करना तथा ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तरों पर खेल प्रतियोगिताएं जिनमें पारम्परिक/घरेलू खेल भी शामिल है, आयोजित करना है। इस योजना में पारम्परिक/घरेलू खेलों के संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष विदेश भेजा जाता है तथा ऐसे खिलाड़ियों में से काफी संख्या में खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं।

(ङ) अधिकांश खेल विधाओं विशेषकर मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो तथा बालीवाल जैसे खेलों की राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं।

[अनुवाद]

अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम

5252. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विनियमों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी अंशधारियों से परामर्श कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी निपटान करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहले ही नियमावली बना रखी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 यथासंशोधित 2003
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 2000
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1988 यथा संशोधित 2000 और 2003
- बैटरीज (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 2001
- प्लास्टिक उत्पादन, विक्रय एवं प्रयोग नियमावली, 1999 यथासंशोधित 2003

(ग) से (च) नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2000 की समीक्षा करने और संशोधनों का सुझाव देने के लिए ग्रुप आफ एक्सपर्ट्स की बैठकें आयोजित की गई हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली 2000 में संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श लिया जाएगा।

(छ) और (ज) जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूवल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, नगरीय ठोस अपशिष्ट स्कीम के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए मुख्य निकाय है। कुछ शहरी स्थानीय निकायों और अन्य संगठनों ने अपने क्षेत्रों में सरकारी निजी भागीदारी को शामिल करते हुए अपशिष्ट संग्रहण, प्रोसेसिंग और अपशिष्ट निस्तारण सुविधाएं स्थापित की है। सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत देश में खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए कई शोधन, संग्रहण और निस्तारण सुविधाएं (टी.एस.डी.एफ.) स्थापित की गई हैं।

उच्च चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा

5253. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उच्च चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का प्रबंध एवं उसे नियमित करने संबंधी एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता की जांच एवं इस पर सिफारिशें करने; राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमों एवं डिग्रियों सहित देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमों एवं डिग्रियों के मानदण्ड बनाए रखने और ऐसे निकाय की स्थापना हेतु कार्यप्रणाली की सिफारिश करने और इसकी संभावना की समीक्षा करने के उद्देश्य से, सरकार ने प्रोफेसर रंजीत राय चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

स्पंज आयरन इकाइयों के लिए कोयला सम्पर्क

5254. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय स्पंज आयरन इकाइयों ने कोयला सम्पर्क के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोयला सम्पर्क अस्वीकृत कर दिए जाने के कारण इन इकाइयों को विनियमित मूल्य पर कोयला प्राप्त करने के लाभ से वंचित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ङ) स्पंज आयरन यूनिटों को दीर्घावधिक कोयले का आबंटन करना एक सतत प्रक्रिया है, जिस पर अक्तूबर, 2005 में कोयला मंत्रालय में गठित स्पंज आयरन यूनिटों के लिए अन्तर-मंत्रालयी स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) द्वारा निर्णय लिया जाता है। मौजूदा नीति के आधार पर, अक्तूबर, 2005 से आज की तारीख तक दीर्घावधि कोयला लिंकेज/आश्वासन पत्र (एल.ओ.ए.) प्रदान करने के लिए समिति द्वारा 371 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। कोल इंडिया लि./सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. अधिसूचित मूल्य पर मान्य लिंक्ड उपभोक्ताओं को कोयला आबंटित कर रही है। आश्वासन पत्र (एल.ओ.ए.) धारकों को अधिसूचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) किए जाने से पहले लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित आवेदनों के राज्यवार ब्यौरे तथा समिति द्वारा जो आवेदन सभी अनुमोदित किए जाने हैं, उनके ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्र.सं.	राज्य का नाम जिसमें संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है	अक्तूबर, 05 से मार्च 08 के दौरान स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) द्वारा अनुमोदित आवेदनों की सं.	विचारार्थ लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	61	21

1	2	3	4
2.	उत्तर प्रदेश	6	1
3.	तमिलनाडु	3	4
4.	उड़ीसा	122	47
5.	मध्य प्रदेश	4	1
6.	महाराष्ट्र	11	7
7.	कर्नाटक	9	24
8.	झारखंड	36	35
9.	गुजरात	2	2
10.	छत्तीसगढ़	97	29
11.	गोवा	1	0
12.	बिहार	1	1
13.	आंध्र प्रदेश	18	14
	योग	371	186

कोयला वितरण नीति के प्रावधानों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय की सिफारिशों, संयंत्र की तैयारी, कोयले की उपलब्धता आदि के आधार पर स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) द्वारा अपनी अगली बैठक में लंबित आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट

5255. डा. वल्लभभाई कथीरिया:

श्री मिलिन्द देवरा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रीनपीस इंडिया ने हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) पर्यावरण की स्थिति बिगड़ने के संबंध में ग्रीनपीस इंडिया द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें किन-किन मुद्दों का उल्लेख किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) ग्रीन पीस इंडिया द्वारा ग्लोबल वार्मिंग पर हाल ही में प्रकाशित की गई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन साउथ एशिया द्वारा सामना किए जाने वाली सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को समुद्र तल में वृद्धि और जल आपूर्ति में कमी तथा मानसून परिवर्तन से जुड़े सूखे सहित जलवायु परिवर्तन प्रभावों से विस्थापित हुए प्रवासियों की बड़ी संख्या का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अधिकांश जनसंख्या मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े तटवर्ती शहरों से

अन्य बड़े बसे हुए शहरों जैसे कि दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जा सकती है। यह भी बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबलाइजेशन में दुहरे क्सपोजर के कारण यह संभावना है कि ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर सकती है।

(घ) और (ङ) सभी स्रोतों से संगत सूचना प्राप्त करके सरकार नीतियां और कार्यक्रम बना रही है। भारत जलवायु प्रदूषण को कम करने और कार्बन उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए अनेक प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक सतत विकास के मार्ग का अनुकरण कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएन्सी की स्थापना करना और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना और एनर्जी एफिशिएन्सी लेबलिंग लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, पावर सैक्टर सुधार और सक्रिय नवीनकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, परिवहन के लिए स्वच्छतर और अपेक्षाकृत कम कार्बन युक्त, ईंधन का उपयोग, ईंधन के रूप में स्वच्छत्तर ऊर्जा का उपयोग, वनीकरण और वनों का संरक्षण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा, गैस फ्लेयरिंग को कम करना मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोत्साहित करना और सभी सेक्टरों के लिए पर्यावरणीय गुणता प्रबंधन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत स्ट्रांग अडैप्टेशन कन्टेंट सहित विकास उपायों में प्रतिवर्ष जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च करता है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने तथा उन उपायों की पहचान करने के लिए, जोकि मानवजनित जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, पर मई 2007 में "जलवायु परिवर्तन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति" का गठन भी किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक समन्वित जबाव तैयार करने के लिए तथा जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने के लिए 6 जून, 2007 को जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद का गठन किया था। परिषद ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्रवाई तैयार करने का निर्णय किया है।

मर्कैंटाइल मरीन डिपार्टमेंट का आधुनिकीकरण

5256. श्री रमेश दूबे: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सामुद्रिक क्षेत्र की सहायता करने के लिए मर्कैंटाइल मरीन डिपार्टमेंट का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने, समुद्रीय क्षेत्र की सहायता की दृष्टि से समुद्री वाणिज्य विभाग की कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसे सुप्रवाही बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ई-गवर्नैंस की योजना के अंतर्गत, सभी समुद्री वाणिज्य विभागों और मुख्यालय को एक सामान्य डेटाबेस से ऑनलाईन जोड़े जाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। अंततः स्थापित कर दिए जाने पर ई-गवर्नैंस प्रणाली, कार्य में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाएगी जिसका समुद्री वाणिज्य विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को सुप्रवाही बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। नौवहन महानिदेशालय ने यात्री जलयानों को छोड़कर, सभी जलयानों के सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण के कार्य, जो अब तक समुद्री वाणिज्य विभाग के सर्वेक्षकों द्वारा किए जा रहे थे, इंडियन रिजस्टर ऑफ शिपिंग को सौंप दिए हैं। मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाईटियों का एक लेखापरीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सेवा से संबंधित आवश्यक मानकों और आचार नीतियों का पालन करते हैं। कांडला और कोच्चि में दो नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, नव मंगलूर, पारादीप और हल्दिया में समुद्री वाणिज्य विभागों के जिला स्तर के कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

बच्चों के लिए कोचलियर प्रत्यारोपण सुविधाएं

5257. श्री किन्जरपु येरननायडु:

डा. एम. जगन्नाथ:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वे कौन-कौन से अस्पताल हैं जहां बधिर बच्चों के लिए कोचलियर प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) ऐसे प्रत्यारोपण के पूर्व कौन-कौन से विभिन्न परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता होती है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितने कोचलियर प्रत्यारोपण किए गए;

(घ) क्या 10 वर्ष से ऊपर के प्री-लिंगुअली बधिर बच्चों पर कोई प्रत्यारोपण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं; और

(च) ऐसे प्रत्यारोपण करवाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) सरकार ने देश में उन अस्पतालों जहां बधिर बच्चों के लिए कोचलियर प्रत्यारोपण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, के नामों की सूची नहीं बनाई है।

(ख) कोचलियर प्रत्यारोपण की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाने आवश्यक होते हैं:

अनिवार्य श्रव्यविज्ञानीय परीक्षण:

- अनुकूलित श्रव्यतामिति
- आडिटरी इवोक्ड पोटेन्शल्स, अधिमानत: टोन बर्स्ट आडियो मेटरी ब्रेन सिस्टम इवोक्ड पोटेन्शल्स व आडियोमेटरी स्टेडी स्टेट पोटेन्सल्स
- नकल प्रवृत्ति का मूल्यांकन
- कर्णाध्वनिक उत्सर्जन मूल्यांकन
- श्रवण यंत्र परीक्षण

वांछनीय श्रवणविज्ञानीय परीक्षण:

- वाक् श्रव्यतामिति
- विद्युतीय उत्पन्न मस्तिष्क कांड अन्तर्निहित सामर्थ्य शक्तियां जब इंगित किया जाए।

अनिवार्य गैर-श्रवणविज्ञानीय परीक्षण

- आंतरिक आडिटरी मीट्स सहित कान की संरचनाओं का सी.टी.स्केन और एम.आर.आई.
- किसी शल्य-चिकित्सा के लिए अपेक्षित अन्य नेमी परीक्षण

(ग) से (ङ) सरकार इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखती है/सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) सरकार ने बच्चों पर कोचलियर प्रत्यारोपण करने के लिए अपनाये जाने वाले सुरक्षा संबंधी मानदंडों के बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, इस शल्य चिकित्सा को करने वाले सभी चिकित्सक यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों पर कोचलियर प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा करने हेतु अन्य शल्य चिकित्साएं करने के लिए किए गए पर्याप्त सुरक्षा संबंधी उपाय अपनाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आई.आई.टी., कानपुर द्वारा विकसित कम वजन वाले उपग्रह

5258. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आई.टी. कानपुर ने कोई छोटा कम वजन वाला उपग्रह विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) एक लघु उपग्रह (100 कि.ग्रा. से कम वजन वाले) का विकास करने हेतु भारतीय. अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) - आई.आई.टी., कानपुर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के अंतर्गत इसरो के वैज्ञानिकों के साथ विमर्श करके आई.आई.टी. के संकाय द्वारा एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अध्ययन प्रारंभ किया गया है।

(ग) इस प्रक्रिया के दौरान विकसित प्रौद्योगिकियां भविष्य में लघु उपग्रह कार्यक्रम में सहायता प्रदान करेंगी।

[अनुवाद]

बोतलबंद पेयजल

5259. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीधे तौर पर सूर्य की रोशनी में रखी या ऊष्म स्थितियों में भंडारित बोतल बंद पेयजल उपभोग हेतु बेकार हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी बोतलों पर अंग्रेजी में अनुदेश लिखे जाते हैं, जिन्हें ज्यादातर दुकानदार नहीं समझ पाते;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने सूचित किया है कि जल अर्थात परिभाषित अनुसार बोतल बंद जल, जो मानव द्वारा उपयोग किया जाता है, सूर्य की प्रत्यक्ष रोशनी या तापमान की स्थितियों, जिनमें इसे स्टोर किया जाता है, के कारण प्रभावित होता है। वातावरण के प्रभावन की अवधि, तापमान सीमाएं, प्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री का प्रकार, पैक करने के पूर्व जल की प्रारंभिक गुणवत्ता आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो उत्पाद को खराब करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं।

(ग) से (ङ) खाद्य अपमिश्रण नियमावली, 1995 के नियम 33 में निर्धारित किया गया है कि लेबल पर घोषणा के विवरण अंग्रेजी या हिन्दी में होंगे। तथापि, इस नियम में, नियम के तहत अपेक्षित भाषाओं के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग करने की मनाही नहीं है।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा

5260. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा करने के लिए दिनांक 14-6-2007 को श्री ए.एल. अग्रवाल, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) आई.आई.टी., दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम एसोसिएशन (ए.एस.आर.टी.यू.) के उपाध्यक्ष, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के संयुक्त सचिव (परिवहन), केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान के निदेशक, ए.एस.आर.टी.यू. के निदेशक (तकनीकी), बंगलौर महानगर परिवहन निगम, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, दिल्ली परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा करने के लिए ही इस समिति का गठन किया गया था। समिति से 6 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) इस समिति की अपनी सिफारिशें अभी प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाया जाना

5261. श्री सुभाष महरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधों को लगाए जाने की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त

समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं एवं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर औषधीय पादप लगाने संबंधी कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था। कोर ग्रुप ने निर्णय लिया था कि औषधीय पादपों के लिए कार्य योजना बनाने की बजाय यह ज्यादा बेहतर होगा कि राजमार्गों के दोनों ओर औषधीय पादप लगाने संबंधी प्रजातिगत दिशा-निर्देश दिए जाएं। कोर ग्रुप ने यह भी सिफारिश की थी कि राजमार्गों के दोनों ओर औषधीय पादपों को लगाना और उनका व्यापारिक दोहन करना निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं होगा:-

क. पादपों की सिंचाई होतु भारी मात्रा में जल की आवश्यकता सहित इन पादपों को लगाने के लिए गहन देखरेख और निगरानी की आवश्यकता होगी।

ख. व्यापारिक दोहन और गहन कार्य विधि के साथ सुरक्षा जोखिमों का सामना करना होगा।

ग. पादपों के समरूप न होने के कारण सड़क कॉरीडोर का सौंदर्य और दृश्य गुणवत्ता प्रभावित होगी।

घ. अक्सर सड़कों की खुदाई, अनवरत हस्तक्षेप और पानी के बारंबार इस्तेमाल के कारण मिट्टी में अस्थिरता पैदा होने के साथ-साथ सड़कों के किनारों को बार-बार बांधना होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले से ही एक वृक्ष रोपण रणनीति बनाई है जिसमें वृक्षों को लगाने संबंधी दिशा-निदेश समाहित होने के साथ-साथ नीम, जामुन, अर्जुन, महुआ, लसोड़ा आदि जैसी विशेष पादप प्रजातियों को लगाने की सिफारिशें भी हैं। ये वृक्ष देश के विभिन्न कृषि जलवायुगत क्षेत्रों के आधार पर औषधीय गुणों से सुसंपन्न होते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(1) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एस.सी.आई.) और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 8707/2008]

(2) (एक) भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8708/2008]

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या जी-27038/1/98-टी.ए.एम.पी. जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या जी-27038/1/98-टी.ए.एम.पी. को निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 8709/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, श्री मणि शंकर अय्यर की ओर से मैं नॉर्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.ई.एच.एच.डी.सी.) और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 8710/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, श्री ई. अहमद की ओर से मैं विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विनियम, 2007 जो 31 मार्च 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ(दो)/12(13)/2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 8711/2008]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8712/2008]

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8713/2008]

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 8714/2008]

(6) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8715/2008]

(8) (एक) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[डा. अंबुमणि रामदास]

(दो) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8716/2008]

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एन.टी. 8717/2008]

(12) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8718/2008]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं:

(1) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8719/2008]

(2) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8720/2008]

(3) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8721/2008]

(4) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8722/2008]

(5) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8723/2008]

(6) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय

सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 8724/2008]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): अध्यक्ष महोदय, मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या सैंतीस सातवां सत्र 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8725/2008]

2. विवरण संख्या छत्तीस आठवां सत्र 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8726/2008]

ग्यारहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या छत्तीस तीसरा सत्र 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8727/2008]

4. विवरण संख्या तैंतीस चौथा सत्र 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8728/2008]

5. विवरण संख्या सैंतीस पांचवां सत्र 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8729/2008]

6. विवरण संख्या सत्ताईस छठा सत्र 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8730/2008]

बारहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या अड़तीस चौथा सत्र 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8731/2008]

तेरहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या तैंतालीस तीसरा सत्र 2000

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8732/2008]

9. विवरण संख्या तीस आठवां सत्र 2001

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8733/2008]

10. विवरण संख्या उनतीस नौवां सत्र 2002

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8734/2008]

11. विवरण संख्या पच्चीस दसवां सत्र 2002

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8735/2008]

12. विवरण संख्या बाईस बारहवां सत्र 2003

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8736/2008]

13. विवरण संख्या उन्नीस तेरहवां सत्र 2003

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8737/2008]

14. विवरण संख्या अठारह चौहदवां सत्र 2003

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8738/2008]

[श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील]

चौदहवीं लोक सभा

15. विवरण संख्या सोलह दूसरा सत्र 2004

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8739/2008]

16. विवरण संख्या चौदह तीसरा सत्र 2004

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8740/2008]

17. विवरण संख्या चौदह चौथा सत्र 2005

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8741/2008]

18. विवरण संख्या ग्यारह पांचवां सत्र 2005

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8742/2008]

19. विवरण संख्या दस छठा सत्र 2005

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8743/2008]

20. विवरण संख्या नौ सातवां सत्र 2006

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8744/2008]

21. विवरण संख्या सात आठवां सत्र 2006

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8745/2008]

22. विवरण संख्या छह नौवां सत्र 2006

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8746/2008]

23. विवरण संख्या पांच दसवां सत्र 2007

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8747/2008]

24. विवरण संख्या तीन ग्यारहवां सत्र 2007

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एन.टी. 8748/2008]

25. विवरण संख्या दो बारहवां सत्र 2007

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8749/2008]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) एनीमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।

(दो) एनीमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8750/2008]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 8751/2008]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 8752/2008]

अपराह्न 12.01 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01¼ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अक्तूबर-नवम्बर, 2007 के दौरान गुवाहाटी, कोहिमा, अगरतला और कोलकाता की उनकी यात्रा के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवृत सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01¾ बजे

विशेषाधिकार समिति

11वां और 12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोरचन्द एस. देव (पार्वतीपुरम): मैं विशेषाधिकार समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'संसदीय विशेषाधिकार - संहिताकरण तथा संबंधित विषय' के बारे में विशेषाधिकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन; और

(2) 'सभा की कार्यवाही, संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों अथवा महासचिव, लोक सभा की अभिरक्षा वाले दस्तावेजों को न्यायालयों में प्रस्तुत करने के संबंध में तथा अन्वेषण के प्रयोजनों से न्यायालयों और अन्वेषण अभिकरणों से प्राप्त अनुरोध' के बारे में विशेषाधिकार समिति का बारहवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समिति के कार्य में आपके नेतृत्व को बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छे प्रतिवेदन रखे जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सदस्य उन्हें पढ़ेंगे।

अपराह्न 12.02 बजे

लोक सभा के सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): मैं 'अवचार के विविध पक्ष तथा सदस्यों से अपेक्षित आचरण/व्यवहार के मानकों की मूल विशेषताएं' विषय पर लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

209वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-2009 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 209वां प्रतिवेदन (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति

27वें से 29वें प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की "अनुदानों की मांगों (2008-2009)" के बारे में समिति का 27वां प्रतिवेदन;

(2) आयुष विभाग की "अनुदानों की मांगों (2008-2009)" के बारे में समिति का 28वां प्रतिवेदन; और

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की "अनुदानों की मांगों (2008-2009)" के बारे में समिति का 29वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति"

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के दिशानिर्देशन, लोक सभा में नियम प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 389 के अनुसरण में, मैं उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगों 2007-08 (मांग सं. 57) पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की 193वीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2007-08 के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों की जांच की और राज्य सभा में अपनी 193वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो साथ ही साथ लोक सभा में भी 27 अप्रैल, 2007 को रखी गई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जांच की गई है और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी 25 सितंबर, 2007 में स्थायी समिति को प्रस्तुत की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से कार्यान्वित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है।

"सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8753/2008।

मैं 193वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी, जो समिति को प्रस्तुत की गई थी, की प्रति के साथ संसद के दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दे रहा हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

(दो) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के दिशानिर्देशन, लोक सभा के नियम प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 389 के अनुसरण में, मैं उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगों 2006-07 (मांग सं. 56) पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की 174वीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2006-07 के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों की जांच की और राज्य सभा में अपनी 174वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो साथ ही साथ लोक सभा में भी 22 मई 2006 को रखी गई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जांच की गई है और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी 25 अक्तूबर 2006 में स्थायी समिति को प्रस्तुत की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से कार्यान्वित करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है।

मैं 174वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी, जो समिति को प्रस्तुत की गई थी, की प्रति के साथ संसद के दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दे रहा हूं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8754/2008।

अपराह्न 12.03¼ बजे

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं:

1. मुझे इस सदन को यह जानकारी देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2007-08 में 330 जिलों में लगभग 3.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 141.62 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। प्रत्येक परिवार को वर्ष के दौरान अब तक औसतन 42 दिनों का रोजगार मिला है। जल संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा उसी के अनुसार जल संरक्षण से संबंधित 49% कार्य शुरू किए गए हैं।

2. कुल 141.62 करोड़ श्रम दिवसों में से अनुसूचित जातियों का हिस्सा 38.70 करोड़ श्रम दिवस (27.3%) तथा अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 41.36 करोड़ श्रम दिवस (29.2%) है जो कुल मिलाकर 80.06 करोड़ श्रम दिवस है और यह लगभग 56.53% है। महिला लाभार्थियों का हिस्सा 60.39 करोड़ श्रम दिवस है जो 42.6-% है।

3. 2007-08 के दौरान केन्द्र सरकार ने 12000 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया था जिसमें से 12610.39 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे। अथशेष सहित मार्च, 2008 तक राज्यों के पास कुल 19028.58 करोड़ रु. थे। मार्च, 2008 तक कुल 15678.86 करोड़ रु. खर्च होने की सूचना दी गई है।

4. कुल 17.76 लाख कार्य शुरू किए गए जिसमें से 8.05 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं।

4.1 जल संरक्षण तथा जल एकत्रीकरण के 470748 कार्य शुरू किए गए जिसमें से नए तालाबों/जोहड़ों को खोदने, सोख्ता टैंकों तथा छोटे चेक डैमों के माध्यम से 1301.62 लाख क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता पैदा की गई।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8755/2008।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

4.2 बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण के अंतर्गत 49324 कार्य शुरू किए गए जिससे जल जमाव वाले क्षेत्रों में बाधों के निर्माण और मरम्मत के जरिए 7.50 लाख कि.मी. लंबाई के नाले का निर्माण हुआ।

4.3 0.46 लाख कि.मी. लंबाई के नहरों के निर्माण/नवीकरण के लिए कुल 89359 लघु सिंचाई कार्य शुरू किए गए।

4.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूमि सुधार और आई.ए.वाई. लाभार्थियों के स्वामित्व वाली जमीन में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुल 261299 कार्य शुरू किए गए जिससे 0.65 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

4.5 पारंपरिक जल निकायों के नवीकरण के अंतर्गत 132479 कार्य शुरू किए गए जिससे टैंकों/तालाबों और पारंपरिक कुंओं से गाद निकालकर 1063.38 लाख घन मीटर जल भण्डारण क्षमता सृजित की गई।

4.6 भूमि विकास के अंतर्गत 286793 कार्य शुरू किए गए जिससे 10.85 लाख हैक्टेयर जमीन का समतलीकरण किया गया और मेड़ बनाई गई।

4.7 सूखा रोधन के अंतर्गत 125349 कार्य शुरू किए गए जिससे 6.14 लाख हैक्टेयर जमीन को वनीकरण और वृक्षारोपण के योग्य बनाया गया।

4.8 ग्रामीण सड़क संपर्क के अंतर्गत 4.00 लाख कि.मी. लम्बी सड़क बनाने के लिए 303564 कार्य शुरू किए गए थे।

4.9 अन्य विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत 57126 कार्य शुरू किए गए हैं।

5. मेरा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जागरूक है कि पात्र इच्छुक परिवारों को उनका हक मिले तथा संसाधनों का समुचित उपयोग भी हो। तदनुसार हमने कड़ी सतर्कता, समुचित निगरानी, जनभागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

5.1 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से किया जाएगा। मैंने माननीय वित्त मंत्री से सभी बैंकों को यह सलाह देने का अनुरोध किया है कि वे प्राथमिकता आधार पर एन.आर.ई.जी.ए. लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने के लिए अपनी ओर से कदम उठाएं। मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बैंक/डाकघर खाते शीघ्र खोले जाएं तथा भुगतान इन खातों के माध्यम से किया जाए। अब तक 14506012 खाते खोले गए हैं। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी एन.आर.ई.जी.ए. श्रमिकों के खाते 31 मार्च, 2008 तक खोल दिए जाएं।

5.2 सामाजिक लेखा परीक्षा एन.आर.ई.जी.ए. में पारदर्शिता लाने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान है। अब तक अलग-अलग राज्यों में 77000 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी राज्यों को सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने को कहा गया है।

5.3 मस्टररोलों के सत्यापन का काम एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है। मस्टररोलों का नियमित सत्यापन करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है। अब तक 46 लाख से अधिक मस्टररोलों का सत्यापन किया गया है।

5.4 एक प्रणाली बनाई गई है जिसके तहत 2% एन.आर.ई.जी.ए. कार्यों का राज्य स्तरीय कर्मचारियों द्वारा 10% कार्यों का जिला स्तरीय कर्मचारियों द्वारा और शत-प्रतिशत कार्यों का ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2007-2008 के दौरान, 8.48 लाख कार्यों का निरीक्षण किया गया।

5.5 27-9-2006, 30-3-2007, 20-9-2007 तथा 6-2-2008 को केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद की चार बैठकें और 16-8-2007 तथा 5-2-2008 को कार्यकारी समिति की दो बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, 5 राज्यों - झारखंड (मई, 07), तमिलनाडु (जुलाई, 07), उड़ीसा (नवंबर, 07), उत्तर प्रदेश (जनवरी, 08) और महाराष्ट्र (फरवरी, 08) में एन.आर.ई.जी.ए. की राज्य विशिष्ट समीक्षा भी की गई है। केन्द्रीय परिषद के सदस्य भी इन समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेते हैं।

5.6 वेब आधारित एक व्यापक प्रबंधन आसूचना प्रणाली विकसित की गई है। हकदारी, निधि प्रवाह, कार्यों का ब्यौरा और मासिक प्रगति रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। मासिक प्रगति रिपोर्टों की

प्रतियां सभी माननीय संसद सदस्यों को उनके ई-मेल खाते में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

5.7 गहन आई.ई.सी. अभियान और कार्य विशिष्ट सतर्कता एवं निगरानी समितियों के गठन के माध्यम से भी जागरूकता सृजन और जनभागीदारी के लिए एक व्यापक कार्य शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत उन्हें बाद में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक पंचायती राज संस्था के 9 लाख से अधिक कर्मचारियों, 1.77 लाख सरकारी कर्मचारियों और सतर्कता एवं निगरानी समिति के 2.46 लाख से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

मेरे मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आई.आई.टी. तथा आई.आई.एम. के निदेशकों तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से भी एन.आर.ई.जी.ए. की निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया है। मैं सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

5.8 समाधानों और उत्कृष्ट कार्यों का परस्पर आदान-प्रदान करने के लिए ई-नॉलेज नेटवर्क शुरू किया गया है।

5.9 समुदाय आधारित संगठनों को जागरूकता सृजन, निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा के कार्यों में लगाया गया है। एन.आर.ई.जी.ए. के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए "रोजगार जागरूकता पुरस्कार" नामक पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

6. नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अपनी ओर से किए जाने वाले पूर्व उपाय के रूप में मंत्रालय ने सी.ए.जी. से आरंभिक चरण में एन.आर.ई.जी.ए. की निष्पादन लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया था जिसके आधार पर सी.ए.जी. ने 68 जिलों के 128 से अधिक ब्लॉकों और 513 ग्राम पंचायतों में निष्पादन लेखा परीक्षा की है। निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणामों पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और चरण-III में एन.आर.ई.जी.ए. का विस्तार करते समय सुधारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं।

7. मुझे विश्वास है कि जिला सतर्कता और निगरानी समितियों के अध्यक्ष/सह अध्यक्ष के रूप में सभी माननीय संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरी सक्षमता और देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एन.आर.ई.जी.ए. का कार्यान्वयन कर पाएगा।

अपराह्न 12.03½ बजे

(चार) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं:

भारत निर्माण ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए यू.पी.ए. सरकार की एक समयबद्ध योजना है जिसे 1,74,000/- करोड़ रु. के कुल अनुमानित निवेश के साथ, चार वर्षों में अर्थात 2005-06 से 2008-09 तक कार्यान्वित किया जाना है। भारत निर्माण के 6 घटक हैं जिनमें से तीन घटक अर्थात ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण जल आपूर्ति को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 85,000/- करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं इस सदन को भारत निर्माण के इन तीन घटकों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

ग्रामीण सड़कें

2005-09 के दौरान 1,46,185 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा 1,94,130 कि.मी. मौजूदा सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था। अब तक, 20,000 बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और 16,000 बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। लगभग 23,000 बसावटों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की जानी हैं। अब तक, 55684 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण किया गया है तथा 78418 कि.मी. मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन/नवीकरण किया गया है।

अब तक, (फरवरी, 2008 तक) 29681.82 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है। मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत निर्माण शुरू किए जाने के बाद 2000-2005 की

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8756/2008।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अवधि के दौरान 1,937 करोड़ रु. के औसत वार्षिक खर्च की तुलना में, ग्रामीण सड़कों पर औसत वार्षिक खर्च बढ़कर 6800 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान, 11,000 करोड़ रु. आबंटित किये गए हैं तथा 2008-09 के लिए बजटीय परिव्यय 14,530 करोड़ रु. है।

एक वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (वेब पता www.omms.nic.in तथा www.pmgsyonline.nic.in) बनाई गयी है ताकि पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कार्यों की समय पर निगरानी की जा सके।

सभी मुख्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना बोर्ड लगाए जाने हैं जिसमें खड़ंजे की प्रत्येक परत के लिए उपयोग की गई सामग्री की लागत तथा मात्रा का उल्लेख किया जाता है।

सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत चल रहे एवं पूरे कर लिए गए कार्यों की माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों/पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संयुक्त जांच की जाए।

निर्माण में उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। ऐसी प्रणालियां बनाई गई हैं ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न आए।

त्रि-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी पूर्ण रूप से कार्यशील है। राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं ने अब तक 45,000 सड़क कार्यों की जांच की है।

ग्रामीण आवास

भारत निर्माण के अंतर्गत, चार वर्षों के भीतर 60 लाख मकान बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल 51,77 लाख मकानों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है जिसमें से 49 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। 2008-09 में 21 लाख मकान बनाए जाएंगे।

बजटीय आबंटन जोकि 2004-05 में 2900 करोड़ रुपए था, इसे 2008-09 में बढ़ाकर 5400 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से स्थायी आधार पर आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची तैयार करने संबंधी पद्धति लागू की गई है। अब तक 14 राज्यों ने स्थायी आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची तैयार करके पंचायतों में उचित स्थान पर प्रदर्शित कर दी है। ये सूचियां मुद्रित पुस्तिकाओं के रूप में और जिलों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अन्य राज्यों में इन आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूचियों को तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि 1 अप्रैल, 2008 या इसके बाद स्वीकृत आई.ए.वाई. आवासों की इकाई लागत को मैदानी इलाकों में 25000/- रु. से बढ़ाकर 35000/- रु. और पहाड़ी इलाकों में 27500/- रु. से बढ़ाकर 38500/- रु. कर दिया गया है। इसी प्रकार, विद्यमान कच्चे आवास के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता को 12500/- रु. से बढ़ाकर 15000/- रु. प्रति इकाई कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक को आई.ए.वाई. आवासों को भिन्न ब्याज दर (डी.आर.आई.) के अंतर्गत शामिल करने और 4% की ब्याज दर पर प्रति इकाई 20000/- रु. का ऋण देने की सलाह दी है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

भारत निर्माण के अंतर्गत 55067 कवर न की गई बसावटों, 3.31 लाख निचली श्रेणी में आ गई बसावटों और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याएं दूर की जानी थीं, जिसकी तुलना में वर्ष 2005 से अब तक 31,633 कवर न की गई बसावटों, 2,13,901 निचली श्रेणी में आ गई बसावटों और 93,896 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याएं हल की गई हैं। इस अवधि के दौरान, 1,61,731 विद्यालयों में भी सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

भारत निर्माण के अन्तर्गत, ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए वित्तीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 व्यक्तियों को उन्हें उपलब्ध करायी गई सरल परीक्षण किट के माध्यम से अपने पेयजल स्रोतों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जल गुणवत्ता की समस्या को हल करने के प्रयोजन से सरकार ने जल प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए संकेन्द्रित वित्तपोषण की पद्धति शुरू की है।

निगरानी पद्धति को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त, हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 21.92% ग्रामीण बसावटों में स्वच्छता सुविधाएं थीं जो कि अब बढ़कर 53% हो गई हैं। सरकार ने वर्ष 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई है। वर्ष 2005-08 दौरान 3.99 लाख विद्यालय शौचालय बनाने के अलावा अलग-अलग परिवारों के लिए 3 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। वर्ष 2005 से निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है। वर्ष 2005 में लगभग 40 पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया था जिनकी संख्या वर्ष 2006 में बढ़कर 770 और वर्ष 2007 में 4959 हो गई। इस वर्ष 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जो यह दर्शाता है कि यह अभियान वांछित तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस क्षेत्र में देश की इन उपलब्धियों की सराहना की है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए सतत प्रोत्साहन, समर्थन एवं उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में भारत निर्माण के उपर्युक्त तीन घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उम्मीद करता हूं कि सदस्य उन्हें पढ़ेंगे।

अपराह्न 12.03¼ बजे

(पांच) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-2008) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले, 5वें, 14वें, 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8757/2008।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति ने, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004-2005) संबंधी अपनी प्रथम रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की थीं। दिनांक 10-09-2007 को इस माननीय सदन को यह सूचित किया जा चुका है कि उपर्युक्त 25 सिफारिशों में से 20 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। महोदय, शेष 05 सिफारिशों के संबंध में, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर 02 विवरण रखता हूं जो इन सिफारिशों की दिनांक 31-12-2007 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण संख्या-I इनमें से दो सिफारिशों की स्थिति को दर्शाता है जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण संख्या-II, शेष 03 सिफारिशों की स्थिति दर्शाता है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। मेरे मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2005-2006) संबंधी अपनी 5वीं रिपोर्ट में 32 सिफारिशें की थीं। दिनांक 10-09-2007 को इस माननीय सदन को यह भी सूचित किया जा चुका है कि इनमें से 31 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। शेष एक सिफारिश कार्यान्वित कर दी गई है और महोदय आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर विवरण संख्या-III रखता हूं। इसी के साथ 5वीं रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशें पूरी कर ली गई हैं अथवा इन पर आगे कोई कार्रवाई की जानी शेष नहीं है।

अपराह्न 12.04 बजे

(छह) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8758/2008।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों संबंधी मांगों (2007-08) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति रिपोर्ट सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

(सात) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित विशेष आर्थिक जोन के कार्यकरण के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी 'विभागीय संसदीय स्थायी समिति' के विशेष आर्थिक क्षेत्र के कार्यकरण से संबंधित तिरासीवां प्रतिवेदन जिसमें 46 सिफारिशें की गयी थी, सभा पटल पर रखता हूं। प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई 'टिप्पण' 18 अक्तूबर, 2007 को राज्य सभा को भेजा गया। वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की मुख्य टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित थी:

- विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को जनप्रिय और निर्मातोन्मुखी औद्योगिक विकास प्राप्त करने वाला बनाना।
- लोगों की चिंताओं के उचित समाधान के बाद ही और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित करना।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग।
- अनुमोदन बोर्ड में कृषि मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को शामिल करना।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र की उपरि सीमा को तय करना तथा प्रसंसाधन क्षेत्र को 50 प्रतिशत तक नियत करना।
- आई.टी. क्षेत्र के लिए कर छूट अवधि को अगले 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाना।
- भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 और पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में संशोधन।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधी अभिशासन मामले।
- सामाजिक अवसंरचना जैसे आवास और कर्मचारियों, मजदूरों के लाभ के लिए नया नगर क्षेत्र बसाने की आवश्यकता तथा अन्य धारकों से संबंधित मुद्दे।
- आस-पास के क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों के प्रसार को रोकने के लिए कामगारों को आवासीय सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता।
- नीति संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय छूटों से संबंधित मुद्दे।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र में सीमा शुल्क स्टाफ बढ़ाना तथा नए अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए पदों का सृजन।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र में श्रम कानून से छूट न देना।

46 सिफारिशों/टिप्पणियों में से 27 पूर्णत:/अंशत: स्वीकार कर ली गयी हैं। इन 13 सिफारिशों को, जिन पर राज्य सरकारों/अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी है, कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दिया गया है और उन पर विधिवत अनुवर्ती कार्यवाही हो रही है। 16 सिफारिशें स्वीकृत नहीं की गई हैं लेकिन जिन सिफारिशों पर राज्य सरकारों/अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, को उपयुक्त कार्रवाई के लिए उनके पास भेज दिया गया है। तीन सिफारिशों/टिप्पणियों पर समुचित ध्यान दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के कार्यकरण संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के तिरासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी 'की गई कार्रवाई नोट' की अद्यतन प्रति संलग्न है।

अपराह्न 12.07 बजे

(आठ) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8759/2008।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8760/2008।

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा संसदीय समाचार - भाग-II के तहत जारी माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 क के अनुसरण में कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 23वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 23वीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 27-4-2007 को प्रस्तुत की गयी थी। समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई विवरण कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को दिनांक 8-8-2007 को भेज दिया गया था।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 22 सिफारिशें की गयी हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्यतः निधियों के उपयोग, परियोजनाओं को तैयार करना और इनका कार्यान्वयन, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्य-निष्पादन, कोयला उत्पादन, कोयला ब्लाकों के आबंटन, कोयला गैसीकरण और सुरक्षा उपाय जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है जिसे सभा के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के समस्त विवरण को पढ़कर सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार 5 मई, 2008 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी:-

1. उस दिन की कार्यसूची में सम्मिलित सरकारी कार्य की शेष किसी मद पर विचार करना।
2. राष्ट्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-धामरा खंड, पूर्वी तट-नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, माताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चरबतिया-धामरा खंड) विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित करना।
3. केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार तथा पारित करना।
4. असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007, राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारित करना।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं:

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, उड़ीसा सहित अनेक राज्यों के विद्युत पूल की कटौती को समाप्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में 278 मेगावाट की कटौती से विद्युतीकरण रूक गया है, विकास को नहीं रोका जाए एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को 35 किलो चावल दिया जा रहा है, उसमें 15 किलो प्रति व्यक्ति की कटौती नहीं की जाए।
2. आम आदमी के लिए रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत जैसे फल्ली 80 रुपए किलो, चावल 15-30 रुपए किलो, दाल 40-45 रुपए, मिट्टी का तेल 16-20 रुपए लीटर, पेट्रोल एवं डीजल के दाम 40 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं तथा बिचौलियों द्वारा हो रही कालाबाजारी रोकी जाए। कीमतों को स्थिर रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय: इसमें इतनी लम्बी बात कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शार्ट में कहना चाहिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले: अध्य महोदय, महंगाई काफी बढ़ गई है इसलिए बताना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको पहले भी बुलाया था, लेकिन आप नहीं थे। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं।

[अनुवाद]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:-

(i) कि भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा 1996 में स्थापित निर्माण उद्योग विकास परिषद के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं, इसलिए इसे एक मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाए ताकि इसकी समस्याएं हल हो सकें।

(ii) पंजाब के नवाशहर दोआबा जिले में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, अत: इस जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:-

(1) गर्मी में अप्रत्याशित और लगातार भारी बारिश के कारण, केरल में कृषि को अत्यधिक नुकसान हुआ है। इस नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्र से एक दल ने दौरा किया। लेकिन आवश्यक सहायता अभी तक नहीं मिली है। यह सहायता यथाशीघ्र मंजूर की जाए।

(2) समुचित आवधिक मरम्मत और अनुरक्षण के अभाव में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग यथा 47, राष्ट्रीय राजमार्ग 213; राष्ट्रीय राजमार्ग 17 अत्यंत खराब अवस्था में हैं। आगामी मानसून शुरू होने से पूर्व इनकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है। अत: इसके लिए पर्याप्त राशि यथाशीघ्र मंजूर की जाए।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:-

(1) रेलवे को झालावाड़ जिले से गुजरने वाली रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता है। इस लाइन से आम आदमी को सहायता मिलेगी और कालीसिंध बिजली परियोजना के निर्माण में भी सहायता मिलेगी। रेल लाइन इस क्षेत्र की जीवन रेखा है जो रामगंजमंडी को झालावाड़ होते हुए भोपाल से जोड़ेगी।

(2) धौलपुर जंक्शन पर शताब्दी का ठहराव सुनिश्चित करना। क्योंकि इस रेलगाड़ी के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्रमश: तीन ठहराव हैं जबकि राजस्थान में कोई ठहराव नहीं है यद्यपि यह इस राज्य से गुजरती है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए:-

(1) (चायल) उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि के सड़क, स्कूल भवन, हैंडपंप, विद्युतीकरण (ट्रांसफार्मर) योजनाओं पर दो वर्षों से पड़े पैसों को तत्काल खर्च किया जाए।

(2) "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी" योजना का पैसा चायल (उत्तर प्रदेश) संसदीय क्षेत्र में खर्च न करके पैसों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, उसे तत्काल रोका जाए। लोगों को जॉब कार्ड के अनुसार नियमत: रोजगार दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह मैटर आपके संसदीय क्षेत्र का है?

श्री शैलेन्द्र कुमार: जी हां।

[अनुवाद]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

(1) **समान रैंक समान पेन्शन:** भूतपूर्व सैनिकों की विषय सेवा परिस्थितियों को देखते हुए, जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष मातृभूमि की सेवा में लगा दिए, पर पुनर्विचार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाए।

(2) उत्तरी राज्यों यथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की भौगोलिक और विषम जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीविजन सुविधाओं के उन्नयन की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए-

(1) एम.पी. लैड की राशि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंशिक रूप से तत्काल राहत (जैसे रहने के लिए प्लास्टिक शेड बनाने तथा भोजन केन्द्र चलाने आदि) में खर्च करने की अनुमति दी जाए।

(2) एम.पी. लैड की राशि से लाचार विकलांग बच्चों के लिए उपकरण बनाने तथा अत्यंत गरीब लोगों के ईलाज कराने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए-

(1) नागर विमानन क्षेत्र में तीव्र विकास के कारण देश में पायलटों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए और अधिक पायलट प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा तिरुवनंतपुर में 'राजीव गांधी विमानन प्रौद्योगिकी केन्द्र' को एक अंतर्राष्ट्रीय पायलट प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता।

2. सड़कों पर भीड़ कम करने तीव्र व आसान यात्री और भारी माल के परिवहन तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के रूप में जलमार्गों में सुधार की आवश्यकता और इसलिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में 53.50 कि.मी. कोची समुद्री पत्तन-हवाई अड्डा जलमार्ग पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष जी, कृपया अगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय सम्मिलित करें:-

(1) मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार की योजनाओं से समुचित लाभ से वंचित नहीं किया जाए। खाद्यान्न आपूर्ति, आवास योजनाएं, बिजली उत्पादन के संयंत्र, विद्युत आपूर्ति में कमी, ताप विद्युतगृहों के कोयला लिंकेज में कमी, ग्रामीण विद्युतीकरण, नयी रेल लाइनों का निर्माण एवं रेल सुविधा विस्तार, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिये पूरा आबंटन, स्पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट शेयरिंग स्कीम, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर सहित, सिंधी समाज को नागरिकता के अधिकार जिलादंडाधिकारी को प्रायोजित करना और हज के लिये सीधी हवाई सेवाएं हैं।

(2) केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को विकास के लिये योजनाओं को पूरी सहायता करे और आपातकाल योजनाओं को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव - उपस्थित नहीं।

वे शायद एकमात्र माननीय सदस्य हैं जो अध्यक्ष को अपनी अनुपस्थिति के बारे में सूचित करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: समित्रा जी, मेरे अनुरोध से सहमत होने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे हिंदुस्तान में, प्रजातांत्रिक तरीके के साथ-साथ फैडरल सिस्टम काम कर रहा है। आज की तारीख में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग पार्टियों की सरकारें भी हैं, लेकिन केन्द्र की सरकार, दूसरी सरकारों के साथ भेद-भाव करे, यह ठीक नहीं है। केन्द्र और राज्यों के संबंधों को लेकर भी बहुत प्रकार की चर्चाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में आज पी.डी.एस. सिस्टम से अनाज दिया जा रहा है। हमारे यहां 60 लाख से ऊपर बी.पी.एल. परिवार हैं, लेकिन कोटा 41 लाख परिवारों के हिसाब से दिया जा रहा है और वह भी कम दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी यह मान रही है कि वहां के 39 जिलों में सूखा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने करीब 1884 करोड़ रुपये का जो सूखा राहत पैकेज मांगा है, उसके लिए अभी कह रहे हैं कि उसे कैबिनेट कमेटी को भेजेंगे, बाद में निर्णय लेंगे। इससे मध्य प्रदेश को उसमें राहत नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं अमरकंटक और बिरसिंहपुर उनको क्रियाशील करने का काम यहां से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, वे हर चीज के लिए केन्द्र सरकार को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मिस्त्री, मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

आप लोग बैठिये।

[अनुवाद]

जब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं तो आप क्यों कह रहे हैं।

[हिन्दी]

मिस्त्री जी यह सही नहीं है। अगर आप मौका चाहते हैं तो हम देंगे।

*(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, ये क्या सरकार की तरफ से कुछ बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इस प्रकार से बोलना इनको शोभा नहीं देता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मिस्त्री, यदि आप बोलने का अवसर चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा लेकिन कृपया उनकी बातें सुनें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप कोई अवसर चाहते हैं, तो मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन आप उन्हें बोलने दीजिए। आप एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बोल रही हैं। मैं उनको अनुमति दे रहा हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इसे पसंद नहीं करता; मुझे इस पर आपत्ति है लेकिन कृपया सहयोग करें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, दोनों परियोजनाओं को क्रियाशील करने का काम, केन्द्र की ईकाई बी.एच.ई.एल. को वर्ष 2007 तक करना था, जिसे अभी तक नहीं किया गया। वहां उत्पादन कम होता जा रहा है, कोयला भी नहीं मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि सारणी में जो हमारा विद्युत उत्पादन केन्द्र है, वहां चार दिन का कोयला बचा हुआ है। गरीब को राशन और बाकी सभी समस्याओं को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे दिन के उपवास पर, भोपाल में बैठे हैं। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ही नहीं, हर मंत्री उपवास पर हैं और पूरे प्रदेश में, जिले-जिले में 24 घंटे का उपवास चल रहा है, लेकिन केन्द्र से राहत नहीं मिल रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगी कि केन्द्र सरकार इन बातों पर तुरंत ध्यान दे और किसी दूसरे की सरकार है, इसलिए इस प्रकार का भेद-भाव नहीं करे। प्रदेशों में सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, सभी के वोटर्स रहते हैं। इसलिए तुरंत इन बातों पर ध्यान दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, मैं आपको अनुमति दूंगा; मैं आपका नाम पुकारूंगा। यह उचित नहीं है। मैं आपको अवसर प्रदान करूंगा।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, श्रीमती नीता पटैरिया, श्री थावरचन्द गहलोत, डा. राम लखन सिंह, श्री छत्तर सिंह

दरबार, श्री चन्द्रभान सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.ए.के. स्वाई, श्री राकेश सिंह, श्री गणेश सिंह, श्री अशोक अर्गल, डा. सत्यनारायण जटिया और डा. रामकृष्ण कुसमरिया सभी अपने को इस विषय से दृढ़ता से सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुमित्रा जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, आप बहुत रिस्पेक्टिड मेम्बर हैं, बहुत योग्य हैं। कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको आज क्या हो गया है? आप बहुत कोपरेटिव मेम्बर हैं। आप कोट उतारिए, शायद इस कारण ज्यादा गर्मी हो गई है।

सुमित्रा जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही है।

[अनुवाद]

उन्होंने सहयोग किया है। उन्होंने मेरा अनुरोध मान लिया है। मैं भी मानता हूं कि बहुत से सदस्य इस विषय में गंभीरता से सोच रहे हैं। मैं उन सभी नामों को पढ़कर सुनाया है और एक भी नाम को हटाया नहीं गया है। यदि कोई इसे आगे जारी रखना चाहता है तो वही बात होगी। उन्होंने बड़ी सक्षमता से इस बात को रखा है।

[हिन्दी]

क्या एक ही बात को बार-बार बोलकर जोर डाल सकते हैं?

[अनुवाद]

क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य अपने को इस विषय से सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे अपने नाम की स्लिप भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार के तरफ से कोई उत्तर देना चाहता है।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाएं देने का वायदा करके सत्ता में आई थी।

[अनुवाद]

मैंने उनसे यह पूछना चाहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कितनी बिजली पैदा की है? वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या को काफी बढ़ा रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह उनकी असफलता है। यह उनके कुशासन का परिणाम है। आपने मध्य प्रदेश के लोगों को कठिनाई में डाल दिया है। आप इसके लिए जवाबदेह हैं। आप इसके लिए इसलिए उत्तरदायी हैं क्योंकि आप चुनावों का सामना नहीं कर सकते। अपनी असफलता को छिपाने के लिए आप केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आप केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कुछ नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और कुछ नहीं। अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

.:.*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं एक बात कह सकता हूं। माननीय सदस्या, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस मुद्दे को उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करना है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: केवल मेरा वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

श्रीमती सुमित्रा महाजन और अन्य माननीय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर गौर किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपकी सूचना देखने दीजिए। अब श्री रामजी लाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, चीन से नेपाल के रास्ते हमारे देश में बहुत से सामान की तस्करी होती रही है। पिछले दिनों बिजली से संबंधित काफी सामान हमारे देश में तस्करी के मार्फत आया है।

महोदय, हिंदुस्तान के अखबारों में सुर्खियों के साथ छपा है कि बड़े पैमाने पर चीन से नेपाल के रास्ते प्रतिबंधित चीनी सेब और लहसुन की तस्करी हो रही है। सीमा पर तस्करी रोकने के लिए कस्टम, एस.एस.बी. और पुलिस के चैकपोस्ट्स होने के बावजूद यह माल धड़ल्ले से गोरखपुर की मंडियों में आ रहा है। इस माल की धरपकड़ की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों के पास है, वे भी स्वीकार करती हैं कि बड़े पैमाने पर सेब और लहसुन चीन से नेपाल के रास्ते तस्करी के माध्यम से भारत में आ रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। प्रतिबंधित सेब और लहसुन बड़नी, सोनोली, ठूठीबाड़ी, जवरल और नौगढ़ के रास्ते भारत आ रहा है। इनकी सबसे बड़ी बिक्री की मंडी गोरखपुर की महेवा मंडी है। यहां से बस्ती और गोरखपुर मंडल के सातों जिलों में सेब और लहसुन जाता है। आज स्थिति यह है कि तीन महीने पहले हमारे यहां लहसुन पांच हजार रुपए क्विंटल बिक रहा था। जब किसान का उत्पादन बाजार में आ गया तो उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी की जो बैल्ट है, जहां लहसुन का उत्पादन होता है, वहां आज लहसुन 850-900 रुपए क्विंटल बिक रहा है। यह किसानों को मारने का अजीब तरीका है। जो अधिकारी ड्यूटी में लगे हैं कि वे ऐसे तत्वों को रोकेंगे, मेरा आरोप है कि सारे अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं और इस तस्करी में शामिल हैं। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि सेब और लहसुन की जो तस्करी हो रही है, उसके ऊपर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भी लहसुन के बाग-बगीचे हैं। उसे सरकार देखे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी की जो बैल्ट है, वहां लहसुन का उत्पादन होता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है? क्या स्पीकर की जरूरत है या नहीं? आप स्वयं तय करते हैं कि क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे और कभी भी बोलेंगे? ऐसे में स्पीकर को छोड़ दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, पुरातत्व विशेषज्ञों ने उड़ीसा में शिशुपालगढ़ नामक प्राचीन नगर में एक दिलचस्प खोज की है जो 25,00 वर्ष से भी पुराना है। उनका मानना है कि यह ग्रीस के एथेन्स से भी पुराना और बड़ा है। भुवनेश्वर के छोर पर बसा शिशुपालगढ़ एक समय में 25,000 से अधिक आबादी वाला फलता-फूलता महानगर था। यह इसको ग्रीस के विख्यात नगर एथेन्स से भी बड़ा बनाता है। यद्यपि शिशुपालगढ़ की खोज 1948 में हुई थी लेकिन यहां पर खुदाई का काम मात्र तीन वर्ष पूर्व शुरू किया गया। कैरमीयोनिया के प्रधान पुरातत्व विशेषज्ञ डा. मोनिक एल. स्मिथ का कहना है कि "ये शहर बहुत पहले से, लगभग ईसापूर्व तीसरी या चौथी शताब्दी में मौजूद थे और इनकी घनी आबादी

थीं तथा सही अर्थों में थे शहरी थे।" पुरातत्व विशेषज्ञों के एक दल का यह मानना है कि यह ग्रीस के एथेन्स शहर से भी पुराना तथा बड़ा था। पुणे के डेक्कन कॉलेज, कैलिफोर्निया, विश्वविद्यालय और भारतीय पुरातत्व के पुरातत्व विशेषज्ञों का एक समूह खुदाई का काम कर रहा है। जितनी खुदाई हुई है वह पूरे क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा है और इस क्षेत्र को एक अलग संदर्श दिया गया है। इस स्थल की खुदाई के लिए खोजकर्ता मुख्यत: विदेशी वित्तपोषण पर निर्भर है क्योंकि भारत सरकार इसमें मदद करने के लिए अभी तक आगे नहीं आई है।

सामान्यत: हमारे देश 'भारत' और विशेषरूप से प्राचीन कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा है, के पास सम्पन्न संस्कृति तथा विरासत है और हमें इस पर गर्व है। लेकिन यह दु:ख की बात है कि जब विदेशी राष्ट्र हमारे यहां पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल में दिलचस्पी ले रहे है और धन खर्च कर रहे है, हम इन खोजों पर धन खर्च करने में कंजूसी बरत रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आवश्यक कदम उठाने और आगे खोज के लिए धन खर्च करने का अनुरोध करता हूं। इस कार्य के लिए उसे तत्काल कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, किसी भी पिछड़े प्रदेश को विकसित प्रदेश में परिवर्तित करने के लिए जो इनफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें बिजली का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिहार जैसा बड़ा प्रदेश जो पिछड़ा था और अब विकसित प्रदेश के रूप में आ रहा है, वहां बिजली की भयंकर समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में पिछले 8-9 वर्षों से बिजली का उत्पादन शून्य है। बरौनी और कांटी दो थर्मल पावर स्टेशन थे लेकिन दोनों बंद हैं। हमें पूरे प्रदेश की बिजली के लिए केन्द्रीय परिक्षेत्र पर निर्भर करना पड़ता है। केन्द्रीय परिक्षेत्र से बिहार को 1330 मेगावाट का आवंटन है लेकिन उसके बदले केन्द्रीय परिक्षेत्र से औसत साढ़े आठ सौ मेगावाट बिजली मिल रही है।

इस परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर दिल्ली आए और यहां ऊर्जा मंत्री से मिले और उनसे मांग की गई कि हमें केंद्रीय परिक्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिए बिजली के आबंटन को बढ़ाया जाए। यदि इसे नहीं बढ़ाना है तो हमें कम से कम जितना आबंटित है, उतना मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए।

हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक तरफ हमें कम बिजली मिल रही है और दूसरी तरफ कांटी थर्मल पावर को बिहार सरकार ने मॉडर्नाइजेशन के लिए एन.टी.पी.सी. को दिया है कि आप इसका मॉडर्नाइजेशन कीजिए लेकिन ढाई साल हो गए हैं इससे भी उत्पादन नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं और आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप सरकार को निदेश दें। बिहार बड़ा प्रदेश है, वहां बिजली की समस्या है, इससे निजात पाने के लिए कम से कम जितना आबंटन केंद्रीय परिक्षेत्र से है, उतनी बिजली सुनिश्चित की जाए ताकि वह मिल सके। हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): विद्युत का सवाल किसी एक दल का नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बिहार के सभी सदस्य अपने को इससे सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, बिजली मंत्री यहां नहीं हैं। आप निदेश दीजिए कि केंद्र सरकार इस मामले में कम से कम स्थिति से तो अवगत करा दे कि बिहार के मामले में केंद्र सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर उचित ध्यान देगी क्योंकि एक विशेष राज्य के सभी सदस्य इस मुद्दे पर सहमत हैं। इसका कारण यह है कि इस विषय का दल विरोध से कोई संबंध नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने बोल दिया।

[अनुवाद]

मेरे पास एक सूची है और जहां तक हो सकेगा मैं अधिकतम सदस्यों को मौका देने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया 'सर' मत कहिए।

[हिन्दी]

सर, सर कहने से बहुत दिक्कत होती है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, योजना आयोग की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की हालत काफी खराब है, डाक्टरों की कमी है। पूरे देश में लगभग छः लाख डाक्टरों की कमी है और प्रति एक लाख लोगों पर केवल साठ डाक्टर ही उपलब्ध हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थिति अच्छी नहीं है। यह देखा गया है कि पी.एम.टी. की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और ज्यादातर इंजीनियरिंग की ओर रुझान हो रहा है। अभी जावेद चौधरी, जो पूर्व स्वास्थ्य सचिव थे, 2005 में जावेद चौधरी कमीशन बैठा था जिसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा के सभी अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी। इस सेवा में चार कैडर हैं, जिसमें तीन सब कैडरों की आयु बढ़ाई गई *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

सभा में जिरह चल रही है। वे एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, जी.डी.एम.ओ., सब कैडर जो बड़ा कैडर है, उसकी तुरंत उम्र बढ़ाने की जरूरत है।...* जिन्हें पांच वर्ष से प्रमोशन नहीं मिला है, इनको एक बार प्रमोशन अवश्य देना चाहिए। जावेद चौधरी कमेटी की सिफारिश को तुरंत लागू किया जाए अन्यथा...*(व्यवधान)*

महोदय, अन्यथा योग्य सरकारी डाक्टर नौकरी छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं व्यक्तिगत मामले उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, यह इन्डीविजुअल केस नहीं है, छः लाख डाक्टरों की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे मेरे पास लाइए। मैं इसे देखना चाहता हूं। मैं व्यक्ति मामले सभा में उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): महोदय, हम तीन वर्ष से बुंदेलखंड की समस्याओं से संबंधित मांग करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में तीन बार प्रधानमंत्री जी से बुंदेलखंड के विशेष पैकेज के लिए मांग कर चुके हैं। पिछले चार-पांच साल से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप रिपोर्ट मांग रहे हैं, यह बोलिए।

श्री राजनरायन बुधौलिया: इस संबंध में अंतर्मंत्रालय केंद्रीय अध्ययन दल ने बुंदेलखंड का दौरा किया था। सरकार के पास अध्ययन दल की रिपोर्ट थी, जो आ चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड के लिए तुरंत विशेष आर्थिक पैकेज की मांग को पूरा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रपाल सिंह यादव एसोसिएट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या है।...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): महोदय, मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी दे दिया है। आपका नाम रिकॉर्ड हो गया है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: हम दो साल से पीने के पानी के लिए लगातार लिखकर दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने रोज बुंदेलखंड के मुद्दे का अलाऊ किया है और आज भी अलाऊ किया।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल एक मिनट। कृपया अध्यक्षपीठ को धमकी मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: लोग पीने का पानी न होने के कारण परेशान हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सब जानते हैं, इसलिए समय दिया है।

श्री रेवती रमन सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: हम लोग यहां किस लिए चुनकर आए हैं जब हम पीने का पानी नहीं दिला सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने सबको मौका दिया है। आपका नाम एसोसिएट कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस सत्र में इस विषय की हर दिन अनुमति देता रहा हूं। और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: हम लोग यहां किसलिए चुनकर आये हैं। हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने सबको मौका दिया है, आपको एसोसिएट कर दिया है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: अध्यक्ष जी, वहां पीने का पानी नहीं है।...*(व्यवधान)* कम से कम हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि आप जोर से बोलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका विषय अच्छा है। मैंने हर रोज इसकी अनुमति दी है क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है। आज भी मैंने इसकी अनुमति दी है और एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभा में इसी तरह व्यवधान डालते रहेंगे तो मुझे आपसे बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

[हिन्दी]

आपका मुद्दा इम्पॉर्टेन्ट है, यह हमने कहा है, इसलिए हमने अलाऊ भी किया है। इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे।

*(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सत्य तो यही है कि जब मैंने सदस्यों से उनके नोटिसों का उत्तर देने का अनुरोध किया है तो मैं उन मामलों को महत्वपूर्ण मामले मानता हूं।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको मौका दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, अब एक ही बात को क्या बार-बार बोलेंगे।

(व्यवधान)...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप मेरी अनुमति के बिना बड़े आक्रमक तरीके से बोल रहे हैं। मुझे यह पसंद नहीं है। आपके चिल्लाने से आप अपने लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सर, इन्हें थोड़ी देर के लिए अलाऊ कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इनका व्यवहार देखिए। आप मुझे यह सलाह दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इनका व्यवहार देखिए। क्या चिल्लाने से कुछ होता है?

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी विवाद में नहीं पड़ने जा रहा हूं।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): महोदय, हम लोग डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, आप हमारे संरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको हमने अपार्चुनिटी दी है, राजनारायण जी सेम मैटर पर बोल चुके हैं।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल आज ही नहीं, यदि आप इसी तरह करते रहे तो मैं आपको कभी भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): सर, इस सिलसिले में आप कुछ डायरेक्शंस दे दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है, पहली दफा आये हैं तो इस तरह से बोल रहे हैं। आपको थोड़ा सीखना चाहिए। यह कोई अखाड़ा नहीं है। आप लोग बैठ जाइये।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): सर, 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिलवा दीजिए...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मामला प्रतिदिन उठाया जा रहा है और सरकार ने भी इसका उत्तर दे दिया है। फिर भी मैं यह कहता हूं कि भावनाएं उफान पर हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। और क्या बोलें।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सर, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय: मि. शैलेन्द्र कुमार, हर प्रश्न का जवाब देने का कोई कानून भी नहीं है।

[अनुवाद]

प्रत्येक व्यक्ति बहुत होशियार बनने का प्रयास कर रहा है। मैं इससे अप्रसन्न हूं। श्री चन्द्रपाल सिंह, सभा में व्यवहार करने का यह तरीका नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना है। अब मैंने कार्यवाही करनी आरंभ कर दी है। आप उनमें से एक होंगे।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। क्या आप यह जानते हैं कि यहां एक नियम पुस्तिका है? क्या आपने कभी रूल बुक पढ़ी है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गलती से जुबान से बोल गये हैं, उन्होंने चेयर को कुछ शब्द कह दिये हैं, इन्हें प्रोसीडिंग्स से निकाला जाए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। कुछ जानते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं कुछ।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): मान्यवर, 13वीं लोक सभा में एन.डी.ए. की सरकार थी। उन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाया था और पब्लिक सैक्टर की तमाम फैक्ट्रियों को उन्होंने बंद करने का काम किया। यह सरकार भी उसी नक्शे-कदम पर चल रही है। नैनी, इलाहाबाद में हिन्दुस्तान केबल फैक्ट्री है जो बंगाल और हैदराबाद में भी है। यह सरकार उन फैक्ट्रियों को चलाने के बजाय उन पर ध्यान नहीं दे रही है। कई महीने हो गए, कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं, न उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, न कोई सुविधा दे रही है। कई बार लोक सभा में कहा गया, सोनिया गांधी जी से कहा गया, लालू यादव जी भी यहां बैठे हैं। वहां पर राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया था। वह कंपनी ऑप्टिकल फाइबर बनाती है जिसकी डिमांड बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. और एयरटैल में भी है। इसका मर्जर बी.एस.एन.एल. में कर दिया जाए। इसमें मात्र ढाई सौ कर्मचारी हैं। मान्यवर, आपसे आग्रह है कि सरकार को निर्देश दें कि इस मामले को देखकर तुरंत फैक्ट्री को चलवाएं और तनख्वाह बंटवाने का काम करें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां पानी का घोर संकट है। ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में पानी का स्तर भी बहुत नीचे चला गया है और गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है जिसकी वजह से पीने का पानी अनुपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की व्यवस्था करें ताकि वहां आम लोग जो हर रोज सड़क पर आ रहे हैं, हर रोज एजिटेशन कर रहे हैं, वह न हो। इस समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मंत्री जी ठोस उपाय करें और ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में अविलंब पानी की व्यवस्था करने का काम करें।...*(व्यवधान)* ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हैं। कम से कम वहां माननीय सांसदों के माध्यम से हैंडपंप की व्यवस्था तो करा दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यही समस्या है। मैं आपके दल के नेता से यह अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि उनके मुख्य सचेतक क्या कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आपको चीफ व्हिप बनाया है। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अरपा मैसाझाल परियोजना दस वर्षों से लंबित है। पुनः उसका प्राक्कलन तैयार होकर आ गया है जिसमें एक लाख किसानों को उसका लाभ मिलेगा जिनकी कई लाख एकड़ जमीन है। यह छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह नई सरकार बनी है, चार सालों से है। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अरपा भैसाझाल परियोजना जो यहां विचाराधीन है, उसे स्वीकृति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्यों के बहुत से मामलों को यहां जबरदस्ती उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर): महोदय, देश की सुरक्षा पर एक खतरा है। अपने मत विस्तार जामनगर जिला और डिफैन्स के बारे में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। जामनगर एयरपोर्ट, एयरफोर्स की तालीम देने का सैंटर है। यह पाकिस्तान से नजदीक है, इसलिए छूट देने से खतरा होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जो कह रहे हैं हमें उसे सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: भारत सरकार की तत्कालीन उप-सचिव डा. परविंदर कौर ने रक्षा अधिनियम 1903 की धारा 7 और 3 का इस्तेमाल करते हुए, 22 मई, 2001 को भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों तथा अवस्थापनाओं की बाह्य की चोटी से 900 मीटर की सीमा तक भूमि पर किसी भी प्रकार के भवन या ढांचा और पेड़ खड़ा करने के लिए मना किया था, लेकिन जामनगर जिला मजिस्ट्रेट ने 2008 में भारतीय वायुसेना और अपस्थापनाओं के कुछ इलाकों में 100 मीटर और 300 मीटर के बाहर बांधकाम की छूट दे दी है। यह राहत किस आधार पर दी गई है और इसे इतने साल के बाद प्रकाशनार्थ जारी करने का क्या कारण है?

मेरी आपसे गुजारिश है कि मूल रूप से प्रकाशनार्थ आदेश पर अमल करने के लिए गुजरात सरकार के अधिकारियों को आदेश दिया जाए वरना देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने जो पहले कहा था वही सिद्ध हो रहा है - यह वास्तव में 'प्रताडना काल' है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): नहीं महोदय, यह 'प्रताड़ना काल' नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, हम लोग अपनी बात यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, लेकिन थोड़ा रेगुलेट होना चाहिए।

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय नागर विमानन मंत्री जी मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि मोहन कमेटी गठित हुई थी और 1-1-97 से पी.एस.यूस के जो कर्मी हैं, उनके लिए वेतन एवं सुविधाएं देने की बात हुई थी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में पी.एस.यू. चार आती हैं - फूड अथोरिटी ऑफ इंडिया, पवन हंस, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड। इन सब को 1-1-97 से ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं। यह दुख की बात है कि जो इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी सेवानिवृत हो गए हैं, उन्हें अभी तक ये सुविधाएं मिलनी प्रारम्भ नहीं हुई हैं, जब कि वे आपको निरंतर आग्रह कर चुके हैं और कह भी चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस विसंगति को दूर करें और जो कर्मचारी सेवानिवृत हो गए हैं, सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के रह गए हैं, वे कई बार अपने ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर आप निर्णय लें और उपयुक्त फैसला अतिशीघ्र करवाएं। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह कहा है और मैं पुन: दोहराता हूं - तो मुझे परेशान करेंगे उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। और आप मुझे पिछली बार से ही परेशान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से मेडीकल आफिसर को मात्र आठ हजार रुपए प्रतिमाह फिक्स तनख्वाह दी जाती है, इस तरह की खबर आज राजस्थान के कुछ अखबारों में मैंने पढ़ी। आज सुबह ही माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र से प्राइवेट क्षेत्र की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। अगर डाक्टर को आठ हजार रुपए तनख्वाह और फार्मसिस्ट को 12 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है तो ऐसी स्थिति में कोई आदमी काम करना नहीं चाहेगा। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डाक्टर्स हैं, उनका सैलेरी स्ट्रक्चर, खास तौर से गांव में काम करने वाले डाक्टर्स को अच्छी तनख्वाह उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दें। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ज्यादा तनख्वाह लो, काम मत करो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा - उपस्थित नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी - उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी तक 20 माननीय सदस्य बोल चुके हैं, फिर भी कोई खुश नहीं होगा, जब कि ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में हम लोगों ने तय किया था, केवल पांच मामले लिए जाएंगे।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि इस बार देश में अन्न की कमी होगी, यह बात सब के मन में चल रही थी, लेकिन पानी, बिजली, खाद, बीज, लेबर आदि कमियों के होने के बावजूद भी पंजाब के किसान ने मेहनत करके केन्द्र के पूल में बहुत सारा अनाज दिया है, लेकिन उसे उसका जो मूल्य मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका ड्रग एडीक्शन का नोटिस है। आपने बहुत अच्छा और इम्पोरटेंट इश्यु रेज किया है-

[अनुवाद]

'देश के युवाओं में नशे की लत को रोकने की आवश्यकता'। आप इस पर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा, युवाओं में आज नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मेरे पास एक समाचार-पत्र भी है, इसमें लिखा है कि कुछ कंट्री के लोग बाहर से आकर, उसमें नाइजीरिया का नाम भी है, महिलाएं और पुरुष हमारे बच्चों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। उसमें ज्यादातर लोग बी.पी.ओ. में काम करने वाले हैं और वे ओवर वर्क करते हैं। उनका ज्यादा ड्रग एडीक्शन की तरफ ध्यान है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अगर आज हमारे युवा लोग नशा करके अपनी जवानी को इसी तरह खराब करते रहे तो आने वाले समय में हम एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यह एक बहुत बुरी आदत है, इसे जिस ढंग से सरकार को लेना चाहिए, उस ढंग से नहीं ले रही है। इसके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जिस ढंग से काम होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हो रहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बुराई से, देश के लिए चेलेंज समझकर, लड़ना पड़ेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार सहित देश के कई राज्य बाढ़ की विभीषिका से कुप्रभावित रहते हैं। पिछले वर्षों में, वर्ष 2004 एवं वर्ष 2007 की बाढ़ों में उत्तर बिहार के लगभग 17 जिले तहस-नहस हो गए थे। वर्ष 2007 में तो कई जगह नदियां तटबन्धों को तोड़कर बस्तियों को बहा ले गईं। तटबन्ध आज भी टूटे पड़े हैं। तटबन्धों में बाढ़ के समय जो दरारें पड़ गई थीं, वे आज भी विराजमान हैं। कल की बाढ़ से बाल-बाल बचे बस्ती वाले, आज बहुत डरी हुई अवस्था में हैं। इस वर्ष की बारिश को आने में केवल डेढ़ महीना बचा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, जिसके आधार पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर, बिहार के विभिन्न क्षतिग्रस्त तटबन्धों की मरम्मत और मजबूतीकरण की दिशा में कदम उठाए जा सकें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रधान जी, मैं आपको बता दूं कि इस पक्ष की ओर से 14 माननीय सदस्यों को बुलाया जा चुका है। इस पक्ष की ओर से दो अन्य माननीय सदस्यों को भी बुलाया गया था परन्तु वे उपस्थित नहीं थे। इसलिए 'इस पक्ष' मत कहिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक को कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

क्या अन्य सभी के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं और आपका मुद्दा महत्वपूर्ण है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहस करने का प्रयास न करें।

[अध्यक्ष महोदय]

श्री पी. करुणाकरन - उपस्थित नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत सतरहवें सदस्य हैं जिन्हें बुलाया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, विगत वर्ष राजस्थान के अधिकांश भागों में बहुत कम वर्षा हुई। पिछले कई वर्षों से राज्य में सूखा पड़ने, अकाल की स्थिति पैदा होने और वर्षा कम होने से नदियां, तालाब और कुएं आदि सब सूख गए हैं। जलस्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण सारे हैडपम्प भी बन्द पड़े हैं। यद्यपि राज्य सरकार, अपने सीमित साधनों से, पानी की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, फिर भी अधिकांश क्षेत्रों में भयंकर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यह संकट और भी विकराल हो जाएगा। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस पेयजल संकट हेतु राजस्थान सरकार को अविलम्ब विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): जूट पैकेजिंग के बारे में 2008-09 के जूट वर्ष के लिए कुछ ही दिनों में जूट पैकेजिंग के बारे में एक प्रमुख निर्णय लिया जाने वाला है। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्ष 1987 से जब बाध्यकारी जूट पैकेजिंग से संबंधित अधिनियम कार्यान्वित किया गया था तब से इस अधिनियम के प्रावधानों में छूट दिए जाने के कारण जूट उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सीमेंट और उर्वरकों के संबंध में इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह प्रबन्ध किया गया है कि खाद्यान्नों और चीनी के संबंध में शत-प्रतिशत जूट पैकेजिंग लागू है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं 2.5 लाख जूट श्रमिक और 440 लाख जूट उत्पादक पूर्णतया इस पैकेजिंग के आदेश पर निर्भर करते हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह खाद्यान्नों और चीनी के संबंध में जूट मैनेजिंग के शत प्रतिशत आरक्षण के वर्तमान प्रावधानों को जारी बनाए रखे जो कि सामान्य तौर पर जूट उद्योग के हित में है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सांताश्री चटर्जी इससे संबद्ध हो रही हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं भी स्वयं को इससे संबद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

अब मैं योगी जी का आशिर्वाद चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैं योगी आदित्यनाथ जी की ब्लैसिंग से खत्म करना चाहता हूं। आप रीऑर्गेनाइजेशन विषय पर बोलिए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में तमाम प्रकार की सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली है। तमाम क्षेत्रों में असंतोष है। बहुत सारे क्षेत्रों में लोग सूखे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूख से भी मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-छोटे राज्य बनाने की मांग प्रारम्भ हुई है। उसी क्रम में केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मामला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एक अलग प्रदेश बने, इस दृष्टि से बुन्देलखंड को एक नया प्रदेश बनाने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रूप में चार विभाजन उत्तर प्रदेश के करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी वक्तव्य देती हैं और माननीय प्रधानमंत्री जब वाराणसी गये थे तो उन्होंने भी इस प्रकार का वक्तव्य दिया था।

आन्ध्र प्रदेश के अन्दर भी तेलंगाना की मांग आ रही है। महाराष्ट्र के अन्दर विदर्भ को अलग प्रदेश बनाने की मांग काफी समय से होती रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल जन-समस्याओं से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए, आम जनता और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर जब प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड आदि छोटे राज्यों को बनाने के समर्थक हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की राजनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड राज्य बनाने में आपत्ति क्या है? इसके लिए अविलम्ब राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हो और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल इन राज्यों में अगर पुनर्गठन की आवश्यकता वहां के आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक हित के लिए है तो इन प्रदेशों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मद संख्या 25 पर आता हूं। श्री मधुसूदन मिस्त्री।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने वह देख लिया है। शेष कार्य को दिवस के अंत में लिया जाएगा।

अब, मद संख्या 25 पर आते हैं, श्री मधुसूदन मिस्त्री।

अपराह्न 12.56 बजे

*लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा को मानसून सत्र, 2008 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा को मानसून सत्र, 2008 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगला कार्य मद संख्या 26 है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006 के संबंध में है। लेकिन मुझे माननीय नागर विमानन मंत्री जी से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि मद संख्या 27 को पहले ले लिया जाए। मेरे विचार से इस पर आम राय है। हम मध्याह्न भोजन के लिए होने वाले अवकाश के पश्चात इसे पहली मद के रूप में लेंगे। लेकिन क्योंकि मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश होने में अभी समय है, तो माननीय मंत्री जी अभी बोल सकते हैं।

अपराह्न 12.57 बजे

विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विमानवहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत एक दशक में, नागर विमानन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है। हम वस्तुतः अपने आकार और प्रभावशाली वृद्धि दर के कारण नए मानदण्ड स्थापित करने वाला बन गया है। विश्व के नेताओं के समक्ष भारत को खड़ा करने के लिए, मैं यह विधान बनाए जाने का प्रस्ताव करता हूं जिससे उच्च प्रतिपूर्ति मिलेगी और वर्तमान में भारतीय यात्रियों को उनके साथ वर्तमान में हो रहे भेदभाव से मुक्ति मिलेगी।

मैं इस अधिनियम में संशोधन का यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था है जो यात्रियों की मृत्यु होने या उन्हें क्षति पहुंचने, उनका सामान क्षतिग्रस्त होने या कार्गो की क्षति होने या अंतर्राष्ट्रीय यात्री अथवा कार्गो उड़ानों में होने वाले विलंब के कारण यात्री, सामान अथवा कार्गो की हुई हानि के लिए विमान सेवाओं की जिम्मेदारी निर्धारित करने के कार्य को शासित करती है। यह व्यवस्था बहुत से अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में स्थापित की गई है। तथापि, भारत ने अभी तक ऐसे केवल उपकरणों को स्वीकार किया है वे हैं वारसा कन्वेंशन 1929 और हेग प्रोटोकॉल, 1955 के द्वारा वारसा कन्वेंशन में किया गया संशोधन और इसे एयर एक्ट, 1972 के माध्यम से विमानवरन के लिए लागू किया गया है।

इन परिवर्तनों के आधार पर हमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने निर्देशित किया है। इसे मान्ट्रियाल कन्वेंशन, 1999 में पारित किया गया था। इसे वायु मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन के लिए कुछ नियमों को एकरूपता प्रदान करने हेतु अंगीकार किया गया था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण के साथ-साथ वरसा कन्वेंशन को सम्मिलित करते हुए विभिन्न उपरकरणों को एक साथ सम्मिलित करना था। इस मान्ट्रियाल कन्वेंशन को 86 देशों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिनमें से 25 देशों के भारत के साथ सीधे विमान सम्पर्क

[श्री प्रफुल पटेल]

हैं। मैं इन देशों के नाम भी बता सकता हूं परंतु मैं केवल संख्या बता रहा हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

संक्षेप में, उस कन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की मृत्यु होने अथवा चोट लगने तथा यात्रियों के सामान और कार्गो के क्षतिग्रस्त होने या विलंब से पहुंचने की स्थिति में उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में वृद्धि की जाए। वर्तमान में जो मुआवजा दिया जाता है वह बहुत कम है क्योंकि वह 1955 के स्तर पर आधारित है। इसे भी ठीक करने का उद्देश्य है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि भारतीय विमानवहन और भारतीय यात्रियों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन द्वारा दिए जा रहे मुआवजे के समकक्ष लाया जाए, जो कि मृत्यु या क्षति होने अथवा सामान या कार्गो की क्षति होने की स्थिति में कहीं अधिक है। यद्यपि, हमने इंटरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन चार्टर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं तथापि किसी भारतीय यात्री के लिए चाहे वह विदेश यात्रा पर ही क्यों न हो, किसी विदेशी यात्री की तुलना में, मृत्यु होने अथवा चोट लगने या किसी भी अन्य मामले में क्षतिपूर्ति की राशि कहीं कम है। इसलिए, यह मूलतः भारतीय यात्रियों को या भारतीय विमानवहन को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के समकक्ष लाने का मामला है।

अतः यह विधेयक मूलतः वायु अधिनियम, 1972 में कुछ संशोधन करके उसे मान्ट्रियाल कन्वेंशन 1999 के अनुरूप बनाने से संबंधित है।

मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक पर सभा में चर्चा की जाए और प्रतिष्ठित सभा इसे विचार करने के लिए स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव है:

"कि विमानन अधिनियम 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मंत्री महोदय, हम मध्याह्न भोजन के अवकाश के बाद आपके पूर्ववर्ती, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन से आरंभ करेंगे।

सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 - *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब श्री सैयद शाहनवाज हुसैन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कैरिज बाई एयर अमेंडमैंट बिल, 2007 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा करते हुए हम लोग अच्छे काम को भी सराहते हैं। इस सरकार के चंद अच्छे मंत्रियों में यह गिने जाते हैं। लेकिन मंत्री जी जितने अच्छे हैं, उतने अच्छे एयरपोर्ट्स नहीं चल रहे हैं। हमारी इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। चूंकि हमने इनसे अपेक्षा ज्यादा लगा ली है, इसीलिए इनके बहुत किये गये काम पर भी हम इनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। यहां पर आप कैरिज बाय एयर अमेंडमैंट बिल लाये हैं। उसमें आपने सामान की चिंता की है। अगर किसी का सामान खो जाये, तो उसके लिए मंत्री जी काफी चिन्तित हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति का देहांत हो जाये, तो इंश्योरेंस के लिए भी आप बहुत चिन्तित हैं। आपकी सरकार इसके लिए बड़ी चिन्ता कर रही है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसे आप अब लेकर आये हैं, लेकिन देर आयद दुरस्त आयद और बहुत जल्दी में आये हैं। वैसे भी इस सरकार के पास कोई काम नहीं है। कल तक पता नहीं था कि यह बिल आने वाला है। एकदम इस तरह का बिल आता है और सरकार को खुद भी पता नहीं है कि वह...*(व्यवधान)*

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): आप भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। आपने क्या किया है?...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हमने जो किया है, वह ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। आज हमने यह दरख्वास्त जरूर की थी कि इस बिल का नम्बर दूसरे से पहला कर दिया जाये, लेकिन यह कहना वाजिब नहीं होगा कि यह बिल पहले नहीं था। पिछले हफ्ते बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसे मान लिया था।...*(व्यवधान)* हमारा जो सैशन का बिजनेस होता है, उसकी पहली एडवांस लिस्ट में यह बिल दिया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह लिस्ट इनको सर्कुलेट हो गयी है।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल कल ही तय हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): आपके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष जी, मिस्त्री जी सत्ता पक्ष के सचेतक हैं और मेरा इनका व्यक्तिगत संबंध है।...*(व्यवधान)* हमारी दोस्ती इनके साथ है।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि सदन के हित में इनको मंत्री बना दिया जाये, ताकि हाउस आराम से चले।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आप इसकी चिन्ता मत करिये। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना पुराना भाषण देख रहा था, बिना मिस्त्री जी के टोके हुए मेरा भाषण पूरा नहीं होता। यह मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। ...*(व्यवधान)*

मैंने अभी कहा कि मंत्री जी चिन्ता कर रहे हैं कि जब लोगों का सामान खो जायेगा, तब आप उनको उसका हर्जाना देंगे। किसी व्यक्ति का देहांत हो जाये, तो उसकी चिन्ता करेंगे। जो इंटरनैशनल लॉज है, उसके हिसाब से भारत के लोगों को भी हर्जाना मिलना चाहिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि समय भी बहुत कीमती चीज है। समय सामान से कम कीमती नहीं है। लेकिन मंत्री जी को ध्यान होगा कि आज आप सामान खोने और शरीर के नुकसान की चिन्ता तो कर रहे हैं, लेकिन जो समय का नुकसान है, उसकी आप चिन्ता नहीं कर रहे। आज जहाज दिल्ली और मुम्बई में घंटों ऊपर घूमते हैं। दिल्ली से लखनऊ की जितनी दूरी है, उससे ज्यादा दूरी से जहाज चक्कर काटता रहता है। मंत्री जी, आप दिल्ली की सैर बहुत बढ़िया करा रहे हैं। आपने बहुत सी एयरलाइंस को परमीशन दी है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी तादाद में लोग जहाज में यात्रा कर रहे हैं। वर्ष 2004 में जब हम लोगों की सरकार थी, तब विमानों की उड़ान 55 हजार थी। आज विमानों की उड़ान एक लाख से अधिक हो गयी है। वर्ष 2004-05 में 45 लाख लोग यात्रा करते थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 96 लाख हो गयी है। यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ी है, लेकिन यह इसलिए नहीं है कि सरकार कोई मदद कर रही है या सरकार कोई छूट दे रही है। इसका कारण यह है कि जी.डी.पी. बढ़ी है, सस्ती एयरलाइन्स आई हैं, इसलिए लोग टिकट लेते हैं और जहाज से चलते हैं। आप नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। आज अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की चर्चा करें तो एक करोड़ 30 लाख यात्रियों को ध्यान में रखकर आप एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यह जल्दी बने और इस सरकार के मंत्री श्री प्रफुल पटेल जी ने उसका शिलान्यास किया है, वह ही इसका उद्घाटन करें। हमने बैंगलोर और हैदराबाद एयरपोर्ट्स के निर्माण की शुरुआत की थी और मुझे खुशी है कि मेरे मित्र प्रफुल पटेल जी ने हैदराबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उस वक्त यह हमारे साथ बहुत सहयोग करते थे और इनका सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहा, इसलिए जब उनके हाथों से इसका उद्घाटन हो रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अभी आपका बयान आया है कि आप बैंगलोर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन मई के किसी सप्ताह में करने वाले हैं। इस समय वहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव के बाद जब वहां नई सरकार बन जाएगी तो आप वहां जाने वाले हैं और बैंगलोर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बैंगलोर और हैदराबाद एयरपोर्ट आपने बना तो दिए, लेकिन पहले जो एग्रीमेंट हमने किया था, वह उस वक्त के यात्रियों की जरूरत के हिसाब से उसे बनाया जाना था। लेकिन आज यात्रियों की संख्या उससे दस गुनी अधिक हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि आप नया एयरपोर्ट बनाइए और वहां जितने यात्रियों के लिए आवश्यकता हो, उतनी क्षमता वाला एयरपोर्ट बनाइए। आप बैंगलोर और

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

हैदराबाद में नए एयरपोर्ट बनाने के साथ ही वहां के पुराने एयरपोर्ट्स को बंद करने की बात कर रहे हैं। यह खबर आ रही है कि वहां जो करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसे आप बंद करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मंत्री जी का नाम नए एयरपोर्ट बनाने वाले मंत्रियों की सूची में तो लिखा जाए, लेकिन आपका नाम एयरपोर्ट्स को बंद करने वाले मंत्रियों की सूची में न आए। इसलिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपकी चिंता हो रही है।

इन दिनों एयर टरबाइन फ्युल का कंज्मप्शन बहुत हो रहा है। इसकी वजह यह है कि बड़ी तादाद में जहाज ऊपर घूम रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई उपाय करें, एयरपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी आप बनाएं। दिल्ली में पहले सोचा गया था कि 150 किलोमीटर में बनाएंगे या 75 किलोमीटर में बनाएंगे। आज एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन जरूरत बहुत बड़ी तादाद में है, जैसे अमृतसर में जो एयरपोर्ट बना, उसकी शुरुआत हमने की थी। आज उस एयरपोर्ट में भी एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। वहां भी दिक्कतें आने लगी हैं। आपको बहुत ज्यादा शाबासी भी मिली है, तो जब यहां सभी सांसदगण कहते हैं कि उनके क्षेत्र में एयरपोर्ट कब बने, उस पर विचार करना चाहिए। मैं भी सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूं और जब प्रफुल जी कोई मुद्दा लेकर आते थे, तो हम उस पर सहानुभूति से विचार करते थे। बिहार में पटना का एयरपोर्ट है, वहां घोबीघाट में हमने लैण्ड एक्वीजिशन किया और उसको ठीक किया। पिछली बार जब मैं जहाज से पटना जा रहा था तो पर्यटन मंत्री, कांति सिंह जी मेरे बगल की सीट पर बैठी थीं। उस जहाज का बड़ा महत्व था क्योंकि दो-दो सम्मानित मंत्री उसमें बैठे थे, लेकिन लैंडिंग के समय लोगों में घबराहट थी। मुझे तो मालूम था कि लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अन्य लोगों में घबराहट थी क्योंकि वहां का रन-वे छोटा है। बिहार में 9 करोड़ जनता रहती है, उसके लिए आपने एक एयरपोर्ट सिर्फ पटना में दिया है जिसका रन-वे भी छोटा है। गया में हमने जो एयरपोर्ट बनाया था, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम एक बार आप वहां अपने चरण रख दीजिए, एक नारियल फोड़ दीजिए, उस एयरपोर्ट को शुरू करवा दीजिए। वहां पर एयर ट्रैफिक शुरू करवा दीजिए क्योंकि यह एयरपोर्ट बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़ा हुआ है। टूरिज्म मिनिस्टर को ध्यान होगा कि बिहार केवल टूरिज्म के जरिए तरक्की कर सकता है और गया एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो रहा है। हमारे मंत्री जी की बिहार के लोगों से बहुत दोस्ती है। हम इनका स्वागत बिहार में करने को तैयार हैं, लेकिन यह वहां आ नहीं रहे हैं। हमारी मंत्री जी से विनती है कि आप वहां आएं और उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करें।

आपने राम कृपाल यादव जी के एक प्रश्न के जवाब में भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने का आश्वासन दिया था। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने वहां इस सम्बन्ध में तीन बार टीम भी भेजी है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप भागलपुर में एयरपोर्ट जरूर बनाएं, वह मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। आपने गोंदिया में, अपने क्षेत्र में तो एयरपोर्ट बना दिया और वहां नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध करा दी है। पूरा देश जानता है कि आप और मैं दोनों मित्र हैं इसलिए आप थोड़ी चिंता भागलपुर की भी करें और वहां पर एयरपोर्ट बनाकर गोंदिया तक एयर सर्विस भी शुरू कराएं।

यह जो बिल यहां पेश किया गया है, मैं उसकी आड़ में यह बात कह रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि इसका सीधा बिल से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मुझे बोलने के लिए एक प्लेटफार्म मिला है, इसलिए यह कह रहा हूं। मैं भी सिविल एवीएशन मिनिस्टर रह चुका हूं। आप हमारे अनुभव का भी पूरा लाभ ले सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। आप अपने अधिकारियों से बात करें और हमें जो चीजें पता हैं, वे हम आपको बताकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इधर की बैंच वाले सदस्य भी आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं। आप निष्पक्ष होकर काम करें, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा।

मेरी आपसे पुनः गुजारिश है कि मैंने बिहार में जिन दो एयरपोर्ट के बारे में कहा है, उस पर आप ध्यान दें। आज देश में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से काफी ईंधन की बर्बादी होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक साल में हमने 1460 करोड़ रुपए का ईंधन बर्बाद कर दिया। वह इसिलए हुआ कि हवाई जहाजों को ट्रैफिक कंजेशन की वजह से लैंडिंग की समय पर अनुमति नहीं मिलती और वे आसमान में ही चक्कर काटते रहते हैं। इस वजह से एक साल में 1460 करोड़ रुपए का ईंधन बर्बाद हो गया। इतने पैसे में तो कई एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं।

आप दिल्ली में एयरपोर्ट बना रहे हैं, वह 1 करोड़ 30 लाख लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जबकि दो करोड़ के करीब यात्रियों की संख्या तो अभी हो गई है। मुझे एक एयरलाइन से कहीं जाने का अवसर मिला था। मैं जब एयरपोर्ट गया तो वहां देखा कि इतनी भीड़ है, जितनी रेलवे स्टेशन पर भी नहीं होती। मेरे साथ कई सांसद भी थे, जिनमें राज्य सभा के एन.के. सिंह जी भी थे और केन्द्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर उरांव जी भी थे। उनके लिए भी बैठने को वहां जगह नहीं थी। हम लोग बातें करते हुए समय काटते रहे और करीब एक घंटा वहीं खड़े रहे। जब बस आई तो देखा कि कोई इंतजाम नहीं है। यह सब इसलिए होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। आपने क्या किया और हमने क्या किया, यह एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। आप दीर्घकालीन कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन आपको शार्ट टर्म प्लानिंग भी करनी चाहिए। आपने कहा है कि यहां का एयरपोर्ट 2010 तक, कामनवैल्थ गेम्स तक बन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जितना रश आज है, उतना ही तब भी होगा। इसलिए इस पर आपको गौर करना चाहिए।

सिविल एवीएशन मिनिस्टर साहब ने कैरिज बाई एयर संशोधन विधेयक जो सदन में पेश किया है, यह सामान के लिए है। आप सामान की चिंता कर रहे हैं और इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको समय का भी ध्यान रखना चाहिए। समय के लिए तो कोई बिल नहीं आ सकता। समय बलवान होता है, समय सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए इस पर भी गौर करना चाहिए। मैं आपका मनोबल बढ़ाते हुए पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस बिल पर और भी सदस्य बोलेंगे और वे भी अपने विचार रखेंगे। इसलिए मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा।

दिल्ली में मैट्रो रेल चल रही है और उसका विस्तार भी किया जा रहा है। यह भी पता चला है कि एक एक्सप्रेस मैट्रो ट्रेन लालू जी के स्टेशन से लेकर प्रफुल जी के एयरपोर्ट तक जाएगी। लेकिन एयर की सुविधा नहीं बढ़ रही है। आज आबादी बहुत बढ़ गयी है। दिल्ली जितनी आबादी तो ग्रेटर-नोएडा में रहने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है कि ग्रेटर-नोएडा में एयरपोर्ट बने - क्या इस पर आप विचार कर रहे हैं? जिस तरह से अमरीका में एक शहर में दो एयरपोर्ट बन सकते हैं, उसी तरह क्या हमारे मित्र माननीय अशोक प्रधान जी के क्षेत्र, ग्रेटर-नोएडा में भी एयरपोर्ट बनाने की आप कोई योजना रखते हैं? मैं आपसे इसकी अपेक्षा करता हूं और आपको इस बिल को लाने पर बहुत बधाई देता हूं। बिल को आप देर से लाए हैं, लेकिन दुरुस्त लाए हैं। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत बिजनैस है, हमें भी पता है कि आपके पास कितना बिजनैस है? बिजनैस है, तो सरकार खूब काम करे। आज आप जल्दी में इसकी चर्चा करा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक के पास होने के बाद लोगों को इसका फायदा होगा।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्रेटर नोएडा के एयरपोर्ट के लिए जो जी.ओ.एम. बनाई थी, उसका क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बाद इसमें आ गयी है।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक विमानवहन अधिनियम, 1972 में आगे संशोधन करने हेतु देने 12-10-1929 को वारसा अभिसमय पर विमान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से संबंधित कतिपय निधियों को एकीकृत करने हेतु हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद 1955 में हेग नयाचार के अनुरूप इसे संशोधित किया गया था। संशोधित अभिसमय के आधार पर, विमानवहन अधिनियम, 1972 को पारित किया गया था और इसे 19-12-1972 को वर्ष 1972 के अधिनियम 69 के रूप में लागू किया गया था। यह अधिनियम सेक्शन 17 से 30 में अध्याय तीन के अंतर्गत वाहन के दायित्व का उल्लेख करता है यह पीड़ितों और आवागमन के दौरान गायब हुई वस्तुओं के फलस्वरूप हुई हानि के लिए मुआवजे का उपबंध करता है।

मौजूदा विधेयक 28-5-1999 को हस्ताक्षरित मांट्रियल अभिसमय पर आधारित है। वास्तव में मांट्रियल अभिसमय का अर्थ 28 मई, 1999 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन हेतु कतिपय नियमों के एकीकरण के लिए अभिसमय से है। यह विधेयक विमानवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के बारे में है जो विमान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन हेतु नियमों को शासित करता है। मौजूदा विधेयक का प्रस्ताव मांट्रियल अभिसमय की पुष्टि करके इस संबंध में

[श्री एस.के. खारवेनथन]

भारत की विधिक व्यवस्था को अद्यतन करना है। 78 देश पहले ही इस अभिसमय का समर्थन कर चुके हैं और इसे अधिनियमित कर चुके हैं।

यदि हम विश्व में नागर विमानन उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो यह 21-11-1783 को शुरू हुआ जब सॉनहगोलफायर ब्रदर्स द्वारा गर्म हवा के रूट बलून (गुब्बारा) का डिजायन तैयार किया गया। यह इस उद्योग का जन्म दिन था और अब यह 224 वर्ष पुराना हो चुका है। बलून द्वारा उड़ान पूरी 19वीं शताब्दी में जारी रही और इससे बहुत लम्बी-लंबी दूरी तक उड़ान की गई और यह अभी भी जारी है। कई एयरशिप का निर्माण 1800 के दौरान किया गया।

पहले विमान का निर्माण विमानन क्षेत्र के प्रणेता ब्राजील वासी अयबलों सैंतोस डूफेंल द्वारा किया गया। वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स ने प्रथम सफल हवाई उड़ान भरी। कुछ वर्षों के बाद विमान का प्रयोग लोगों के यातायात के लिए शुरू किया गया। प्रथम सफल यात्री विमान का निर्माण अगस्त, 1929 में जर्मन कंपनी जेपलीन द्वारा किया गया।

भारत में यह एक ऐतिहासिक दिन था जब टाटा की विमान सेवा का उद्घाटन 15-10-1932 को करांची से एक ऐतिहासिक उड़ान के माध्यम से किया गया। पहले इसे करांची से बाम्बे के लिए शुरू किया गया और तत्पश्चात् इसे मद्रास तक बढ़ाया गया। एयर इंटरनेशनल की स्थापना मार्च, 1948 में की गई। 1950 के दौरान सिविल विमानों की संख्या बढ़ी और बोइंग 707 का प्रयोग पूरे विश्व में किया गया।

अब हमारे देश में प्रतिस्पर्धा विमान कंपनियों और रेलवे के बीच है। कुछ वर्षों के अंदर ही, भाड़े में कमी के कारण, घरेलू यातायात में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अंतराराष्ट्रीय यातायात 18 प्रतिशत बढ़ा है। निजी विमान कंपनियां घरेलू यातायात का 68.9 प्रतिशत व्यापार कर रही हैं। घरेलु विमान पत्तनों पर यात्री यातायात 59.54 मिलियन है।

कुछ विमानपत्तनों, जैसे कोयंबटूर पर निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियों का पूर्णरूपेण दबदबा हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कोयंबटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है और तिरुपुर में लगभग 5000 होजरी की इकाइयां हैं। भारत सरकार को निर्यात के द्वारा प्रतिवर्ष 11,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोयम्बटूर जाने वाली सभी 'इंडियन' उड़ानों की सेवा बंद की जा रही है। अब केवल निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियां ही कोयम्बटूर में पलायन कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय उड़ानों की सेवा कोयम्बटूर में शुरू करे क्योंकि यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों से संबंधित है।

विमान चालकों के लाइसेंसों की संख्या बढ़कर तीन गुना हो गई है। अप्रैल, 2005 में यह संख्या 300 थी और अप्रैल, 2006 में यह संख्या बढ़कर 1,045 हो गई और अब यह इससे भी ज्यादा हैं। इस संबंध में दो तरह के पाठ्यक्रम हैं। इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि (बी.ई.) लेने के बाद हजारों युवा छात्र विमानचालक (पायलट) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के बाद वे विमानचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिका में स्केंडिनेवियन अकादमी उन छात्रों को दाखिला देती है जिन्होंने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यहां हमारे पास अनेक अकादमी हैं और वे छात्रों को दाखिला दे रही है लेकिन बदले में भारी धनराशि वसूल रही हैं। इसलिए इसे मंत्रालय को गंभीरता से लेना होगा।

भारत में यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2010 में नए शहरी मध्यमवर्गीय विमान यात्रियों की संख्या 100 मिलियन होगी।

महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के बारे में कतिपय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से संबंधित नियमों के बारे में है। इसे शिकागो अभिसमय नाम दिया गया और इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई। इस अभिसमय में यह उल्लेख किया गया है कि सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को विमान परिवहन की सुरक्षा, कार्यक्षमता और उनकी नियमितता हेतु "एयर स्पेटन" (वायु मार्ग) के प्रयोग को मानक बनाने और आपसी तालमेल स्थापित करने हेतु सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए।

मौजूदा विधेयक में यात्रियों की मृत्यु या घायल होने पर द्वि-स्तरीय मुआवजे की व्यवस्था की गई है। यदि दुर्घटना विमानवाहक की गलती से होती है तब उसका दायित्व असीमित होता है अन्यथा इसे 1 लाख रुपए तक सीमित रखा गया है। अध्याय तीन के अंतर्गत क्षति के लिए विमानवाहक की देयताओं और मुआवजे की सीध की सीमा की चर्चा खंड

17 से 30 के अंतर्गत की गई है। ये स्वागतयोग्य प्रावधान है। खंड 26(6) के अंतर्गत मुआवजा देने की समय-सीमा छह महीने निर्धारित की गई है।

मांट्रियल अभिसमय पीड़ितों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को इस बात की अनुमति प्रदान करता है कि वे चाहें तो याचिका अपने निवास स्थान पर दायर कर सकते हैं अथवा जहां दुर्घटना हुई हो, वहां दायर कर सकते हैं।

मौजूदा विधेयक घायल पीड़ितों अथवा मृतक परिवार को अपनी अविलंब और तात्कालिक अवश्यकताओं के लिए विमान कंपनियों से अग्रिम भुगतान प्राप्त का मार्ग प्रशस्त करना है। शिकायत दायर करने के लिए खंड 31(2) में समय सीमा का उल्लेख किया गया है। धारा 31(2) के अनुसार, क्षति के मामले में अपना सामान प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर कोई व्यक्ति क्षति का पता चलने पर अथवा विमानन कंपनी के पास शिकायत कर सकता है और कार्गो के मामले में यह अवधि 14 दिनों की है। अधिकतम अवधि 21 दिनों की है। इसलिए यह समय सीमा सही है।

इसके अतिरिक्त मौजूदा विधेयक खोए अथवा क्षतिग्रस्त सामान हेतु मुआवजे की व्यवस्था में परिवर्तन करता है। वारसा अभिसमय के अंतर्गत, यह वजन पर आधारित प्रणाली थी। मांट्रियल अभिसमय में इस पर निर्धारित कर 63,000 लाख के बराबर अधिकतम 1000 की "स्पेशल ड्राइंग राइट" तक कर दिया गया। इस समय यह केवल 5 लाख है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव विधेयक 'द्वारा' किया गया एक दूसरा स्वागत योग्य उपाय है।

घरेलू उड़ानों हेतु 1972 के अधिनियम में अधिसूचित मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कम है। इसे भी यथोचित रूप से बढ़ाया जाना है।

चूंकि मांट्रियल अभिसमय के अंतर्गत ऐसी कोई भी यात्रा शामिल है जहां प्रस्थान और आगमन स्थल हस्ताक्षरकर्ता देश में स्थित है अतः अभिसमय का अभिसमर्थन अनिवार्य है। इसके आधार पर इसमें उपर्युक्त संशोधन किया गया है।

अभिसमय के आधार पर, विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया और स्थायी समिति द्वारा दिए गए अनेक सुझावों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया।

अंत में मैं माननीय मंत्रीजी, श्री प्रफुल पटेल को नागर विमानन उद्योग के विकास तथा विमानपत्तनों, विशेषकर मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तनों के रूप में उन्नयन करने हेतु बधाई देता हूं और प्रशंसा करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लुधियाना के सानूवाल के बारे में क्या कर रहे हैं? आप उसे कब शुरू करेंगे, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं समझती हूं कि विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर बोलने के लिए बुलाया जाना मेरे लिए बड़े हर्ष और सम्मान की बात है।

निस्संदेह, यह एक स्वागत योग्य विधान है और मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का ख्याल रखने के लिए केंद्र में संप्रग सरकार की सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता के आलोक में इस विधान को सही समय पर संसद में लाया जाना भी स्वागत योग्य कदम है।

सर्वप्रथम, इस अवसर पर मैं अपने अति आदरणीय नेता और द्रमुक पार्टी के प्रमुख कलैंजर एम. करूणानिधि के प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करती हूं। वह अपने प्रिय पुत्र, युवा और उत्साही स्थानीय निकाय प्रशासन मंत्री एम.के. स्टालिन के साथ तमिलनाडु को 'स्वर्णिम प्रदेश' बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मदुरै, विमानपत्तन का विस्तार करने हेतु समारोह के लिए तमिलनाडु के दक्षिणी भाग अर्थात मदुरै में हमारे माननीय नागर विमान मंत्री का स्वागत किया। यह तमिलनाडु के दक्षिणी भाग हेतु अति स्वागत योग्य कदम है।

निस्संदेह देश में पहले हम हरित क्रांति लाए थे। हम डेयरी के माध्यम से अपने राष्ट्र में दुग्ध क्रांति भी लाए थे। और केंद्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय टी.आर. बालू द्वारा सड़क के क्षेत्र में क्रांति लाई गई है। अब, हमारे माननीय नागर विमान मंत्री सुंदर एयरलाइनों द्वारा अपने देश के सभी क्षेत्रों को जोड़कर विमान सेवा क्रांति लाए हैं। हमें इसके लिए अपने माननीय नागर विमानन मंत्री को बधाई देनी चाहिए।

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

मेरा अगला मुद्दा यही है। विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिखतों की अधिकता को समाप्त करते हुए देयता व्यवस्था के प्रयोग में एकरूपता लाना सबसे स्वागत योग्य पहलू है। मैं अपने माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि मृत्यु अथवा घायल होने की स्थिति में लोगों के लिए मुआवजे की राशि में वृद्धि की जाए। यात्री के अधिवास के स्थान को सम्मिलित किया जाना अति स्वागत योग्य कदम है। हमें मृतकों और घायल व्यक्तियों के मामले में अग्रिम भुगतान करने के लिए भी अपने मंत्री का स्वगात करना चाहिए। ई-टिकट जैसे इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों का प्रयोग इस संशोधन विधेयक की सबसे अधिक स्वागत योग्य बात है।

मैं सभी प्रकार से, अपने द्रमुक दल की ओर से अपने माननीय नागर विमानन मंत्री की भारत के सभी भागों को जोड़ने हेतु उनके द्वारा किया जा रहे सारे प्रयासों के लिए बधाई देती हूं।

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करते समय माननीय मंत्री का ध्यान कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इसका कारण यह है कि - यह हमारा अनुभव है - जब सरकार अंतर्राष्ट्रीय मांट्रियल समझौते पर गौर करने और अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है तो हम कतिपय समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

हम दमदम विमानपत्तन से विभिन्न देशों को सब्जियों के कार्गो भेज रहे हैं। जहां तक हमें मालूम है तो प्रफुल पटेल जी आपको कोलकाता के बारे में जानते हैं; आपका पालन-पोषण कोलकाता में हुआ। समस्या यह है। हम अपनी वस्तुएं विशेषकर जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं दमदम विमानपत्तन से भेज रहे हैं; हम प्रतिदिन कार्गो भेज रहे हैं। यदि इसे अमीरात की उड़ान से भेजा जाता है तो यह बेहतर है क्योंकि उनकी उड़ान से वो काफी है; वे प्रतिदिन दुबई-लंदन की उड़ान भरते हैं। पहले उनकी उड़ान पांच दिन होती थी, अब उन्होंने इसे बढ़ाकर सात दिन कर दिया है।

अतः उन्हें कार्गो मिल रहे हैं। परंतु जब हम इन्हें भारतीय एयरलाइनों से भेजते हैं तो अचानक इंडिया एयरलाइन्स घोषणा करती है कि कुछ खास यांत्रिक खराबी अथवा अन्य कारण से उड़ान रद्द कर दी गई है। समस्या यह है कि जो निर्यातक अपनी खेप भेज रहे हैं वे खेप के साथ विमानपत्तन पर पहुंच रहे हैं। वे विमानपत्तन में प्रवेश कर चुके हैं। बाहर आते समय उन्हें बहुत सी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। अब, उस वस्तु विशेष को आयातित वस्तु समझा जाता है। अतः, यदि निर्यातक इसे स्थानीय बाजार में बेचने का इच्छुक है तो वह इसका निपटाव नहीं कर सकता है। अतः, उसे इन बातों के कारण घाटा हो रहा है। वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर पा रहा है। वह अपने उत्पाद को स्थानीय बाजार में बेचने की स्थिति में नहीं है और अपनी उस खेप को लाने के लिए मात्र 7000 रु. से 8000 प्रति खेप का भुगतान कर रहा है जिसको वितरित किया जाना था परंतु एयरलाइन्स प्राधिकरण की त्रुटि के कारण वह वितरित नहीं कर सका। अतः, उन्हें 7000 से 8000 रुपये का भुगतान करना होगा। हमें यह राशि वसूल किए जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

अब मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बता रहा हूं। जून, 2007 में हम चार सांसदों ने अपने परिवार के साथ न्यूयार्क की यात्रा की। हम ब्रिटिश एयरवेज के विमान से लंदन जा रहे थे। लंदन पहुंचने के बाद हमारी न्यूयार्क के लिए आगे की उड़ान थी। हमारा सारा सामान गायब हो गया। इस एक वर्ष के समय में हमें अभी तक क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। हमने अपना दावा दर्ज कराया है परंतु हमें यह नहीं पता कि इस पर विचार क्यों नहीं किया गया है। अतः, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी उड़ान के लिए, चाहे वह भारतीय हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो, कार्गो के लदान के समय विमानपत्तन प्राधिकरण का संबंधित एयरवेज में एयर कैब के माध्यम से कार्गो का लदान करने का ध्यान रखना चाहिए ताकि यात्री को अपने गंतव्य पर पहुंचते ही अपना सामान मिल जाए। अतः, इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पर विचार करते समय मैं कहना चाहता हूं कि दमदम विमानपत्तन से एम्सटर्डम के लिए एक सीधी उड़ान थी। आप जानते हैं कि एम्सटर्डम फूलों का सबसे बड़ा खरीदार है। वह पूरे विश्व से फूल आयात कर रहा है। फिर वह निर्यात भी कर रहा है। हम सीधी उड़ान की सुविधा प्राप्त करके फूलों की आपूर्ति किया करते थे। परंतु के.एल.एम. की उड़ान बंद कर दी गई है। हमने सोचा कि इसे पुनः शुरू किया जाएगा। परंतु मुझे माननीय

मंत्री के निर्णय के बारे में नहीं पता है। यात्री भी वहां हैं। हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस उड़ान को पुनः शुरू किया जाए।

अब, हमारे माननीय मंत्री को पता होगा कि ए.पी.ई.डी.ए. ने दमदम विमानपत्तन पर शीतगृह बनाने की पहल की है ताकि निर्यातक जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को रखने के लिए शीतगृह का प्रयोग कर सकें और कार्गो को विभिन्न गंतव्यों पर भेज सकें। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को वाणिज्य मंत्री तथा ए.पी.ई.डी.ए. के सामने उठाए ताकि परियोजना को पूरा किया जाए और हम शीतगृह की इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

अंत में, मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर विचार कर रहे हैं तो ऐसे में समय एक घटक है। जैसा कि इनिशिएटर ने सही बताया, राष्ट्रीय उड़ान हो या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो, हर उड़ान में इंडियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया की सारी उड़ानों का निर्धारित समय पर न चलना आम बात हो गई है। सर्वप्रथम, हमें यह सूचना नहीं दी जा रही है कि विलंब उड़ान में विलंब होगा या नहीं। कभी कभी, वे हमें बताते हैं कि उड़ान में विलंब होगा। कई बार हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हमें यह पता लगता है कि इंडियन एयरलाइन्स का विमान विलंब से उड़ेगा। इसी के साथ-साथ निजी एयरलाइनों के विमान अपने निर्धारित समय पर उड़ते हैं। हवाई अड्डे में बैठे-बैठे हमने यह नोट किया है कि अधिकांश यात्री अपनी आई.सी. की उड़ानों की टिकटें रद्द कराकर निजी एयरलाइनों की टिकटें ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संभवतः आपके प्रशासन में कोई है जो निजी एयरलाइनों को बढ़ावा देने में रूचि रखता है।

इस प्रकार, वे जान-बूझ कर ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा यह नियमित रूप से कैसे हो सकता है? यदि एक या दो दिन ऐसा होता है तो यह स्वीकार्य है, परंतु यह नियमित रूप से हो रहा है। यहां तक कि आज भी 5 बजे दिल्ली से कोलकाता के लिए एक उड़ान थी। सुबह ही उन्होंने घोषणा की कि यह 5.45 बजे उड़ेगी। क्यों? यह नियमित प्रक्रिया बन गई है। अतः, मैं सरकार से विशेषकर हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस मामले पर ध्यान दें। मुझे यह विश्वास है कि इस विधेयक से हमें हमारे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस विधेयक में दिया गया है कि हवाई यात्रा के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है, लोगों की मृत्यु होती है या सामान लापता या क्षतिग्रस्त होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उसका मुआवजा दिया जायेगा, यह इस विधेयक का मूल अंश है। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। खासकर यह विधेयक यात्रियों, उनके सामान और यात्रियों के हितों की रक्षा करने वाला है। इस विधेयक में हवाई यात्रियों के मुआवजे की राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है और दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु पर गोल्ड फ्रैंक्स द्वारा मुआवजा देने का मानक बनाया गया है, जिसमें बीस हजार अमेरिकी डालर तक धनराशि सुनिश्चित की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय वहन में विलम्ब के कारण यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, उसकी तरफ विशेष गौर करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विशेष मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, मुझे याद है कि इसी सदन में शून्यकाल में एक मामला उठा था कि जो यात्री हज के लिए जाते हैं, वहां से जब वे कोई सामान लाते हैं या खास तौर पर हज से पवित्र जल जमजम लाते हैं, उसमें यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुकूल वे उस पवित्र जल को नहीं ला पाते हैं। इसके अलावा उनके बहुत से सामान को वहीं पर रखवा लिया जाता है, जिसके कारण उनका नुकसान भी होता है, उसका मुआवजा भी उन्हें नहीं मिलता और सामान मिलने में भी उन्हें काफी देरी होती है। हम समझते हैं कि मंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मैं मंत्री जी से अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से कुछ अन्य समस्याएं आपके सम्मुख रखूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से एयर इंडिया की दिल्ली से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली की फ्लाइट शुरू हुई है। लेकिन आज एयरपोर्ट्स की क्या स्थिति है। चूंकि हम दुर्घटना और मौत के मुआवजे से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए हमें इस

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे एयरपोर्ट्स की क्या स्थिति है। अभी एयर इंडिया की जो नई फ्लाइट चली है, कानपुर में एक नीलगाय के टकराने से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यद्यपि उसके यात्री सकुशल रहे और कोई बड़ी अप्रिय दुर्घटना नहीं होने पाई। लेकिन आज सोचने की जरूरत है कि हमारे एयरपोर्ट्स की क्या स्थिति है। वहां की चारदीवारी में कहीं न कहीं से कुछ लीकेज होगी, तभी हवाई पट्टी तक जंगली जानवर आया और वहां एक बड़ी दुर्घटना होने से टली है। इसलिए हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है कि जहां भी प्राइवेट या सरकारी फ्लाइट्स चल रही हैं, कम से कम उन एयरपोर्ट्स को दुरुस्त करने की जरूरत है, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा। एयरपोर्ट्स की स्थिति के बारे में मैंने आपसे विस्तार से कहा। हमारे इलाहाबाद में एयरफोर्स का एयरबेस है। वहां पर बड़ी दिक्कत होती है। कभी-कभी फ्लाइट की नाइट लैंडिंग नहीं होने दी जाती। उस समस्या के कारण फ्लाइट कैंसल हो जाती है। हमने और माननीय सदस्य कुंवर रेवती रमन सिंह जी ने भी मांग की है कि इरादतगंज इलाहाबाद में बहुत पुराना एक छोटा एयरपोर्ट है, आपको जमीन भी मिल जाएगी, यदि वहां एक नया एयरपोर्ट स्थापित हो जाए तो मेरे ख्याल से तमाम यात्रियों को भी सुविधा होगी और तमाम दिक्कतों से निजात मिल सकेगी। एयरपोर्ट बमरौली के बगल में उमरी गांव में है। चूंकि यह आपके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, डिफैन्स मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन उस पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में रहता है। कभी उनके रास्ते बंद कर दिये जाते हैं, कभी उनकी जमीनें अधिग्रहीत की जाती हैं। ये तमाम दिक्कतें हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहकर इस बिल पर बल देते हुए आशा करता हूं कि जो चंद सुझाव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं, आप उन पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करेंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा रखे गए विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार-विमर्श करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करना है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन से संबंधित मान्ट्रियल कन्वेंशन के अनुरूप कुछ नियमों का एकीकरण किया जा सके।

नागर विमानन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और अधिकाधिक यात्री विमान से यात्रा कर रहे हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि भारतीय इस प्रकार विमानों से यात्रा कर रहे हैं जैसे उन्होंने इससे पहले विमान यात्रा न की हो। यह बताया गया है कि वर्ष 2006 के 3,26,00,000 लोगों के आंकड़े की तुलना में वर्ष 2007 में 32.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 4,32,89,000 लोगों ने उड़ान भरी है। जेट को छोड़कर सभी एयरलाइनों ने लगभग 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि नागर विमानन क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और अधिकाधिक यात्री विमानों से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन संभवतः इनमें से कुछ उतने जागरुक या सक्षम नहीं हैं कि वे मान्ट्रियल कन्वेंशन और इस विधान के प्रावधानों को समझ सकें। यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप भारत और विदेशों में विमानयात्रियों की मृत्यु होने अथवा हताहत होने की स्थिति में त्वरित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक सामान या विमान कार्गो को पहुंची किसी भी प्रकार की क्षति के लिए भी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के अनुसार मुआवजा दिए जाने का प्रावधान करेगा। इससे लंबी मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था में वारसा प्रणाली विमान कंपनियों को, उनके यात्रियों की मृत्यु होने अथवा हताहत होने या उनके सामान अथवा कार्गो के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में, जिम्मेदार ठहराए जाने की व्यवस्था को शामिल करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन कंपनियों को यात्रियों अथवा उनके सामान या कार्गो के पहुंचने में विलंब होने से हुई हानि की स्थिति में, जिम्मेदार ठहराया जाना भी सम्मिलित है। अभी तक भारत ने वारसा प्रणाली के इन आठ अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में से केवल दो को ही स्वीकार किया है और वे इस विमानवहन अधिनियम के भाग हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) ने 1994 में एक पहल की थी जिसके अनुसार मुआवजा देने के लिए सामाजिक-आर्थिक अध्ययन कराया गया था जिसके आधार पर 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को स्वीकार किया गया था। चूंकि भारत और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को अंगीकार करने वाले देशों के बीच बड़ी संख्या में विमान सेवाएं संचालित की जा रही हैं, अतः भारत द्वारा इसे तत्काल अंगीकार किया जाना आवश्यक है। लेकिन, क्या यह सत्य है कि इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें

संयुक्त राज्य अमरीका या युनाइटेड किंगडम से अपनी यात्रा आरंभ करने वाले यात्री भारत से अपनी यात्रा आरंभ करने वाले यात्रियों से अधिक मुआवजा पाने के हकदार होंगे?

क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि इस संशोधन विधेयक के पारित होने के पश्चात् भारतीय यात्रियों के हित विदेशों से भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के हितों के समकक्ष होंगे।

वारसा प्रणाली में यात्रियों या उन[illegible] कानूनी उत्तराधिकारियों का दावे दाखिल करने के लिए चार कानूनी क्षेत्राधिकारों के विकल्प दिए गए थे। ये हैं: जिस स्थान से टिकट जारी किए गए हैं; विमान कंपनी ने कार्य-व्यापार का मुख्य क्षेत्र; यात्री का गंतव्य स्थल; और विमान कंपनी का अधिवास क्षेत्र। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में, जिसमें वारसा प्रणाली व क्षतिपूर्ति को शामिल करने वाले नियमों सहित सभी नियमों को सम्मिलित किया गया है, एक पांचवां विकल्प और जोड़ा गया है और वह है यात्री का निवास स्थान बशर्ते कि संबंधित विमान कंपनी की वहां पर उपस्थिति हो। मेरे विचार से प्रारम्भ में घरेलु विमान कंपनियों ने इस पर आपत्ति की थी। हम मंत्री जी से इस का उत्तर चाहेंगे। इस प्रकार, इससे एक भारतीय यात्री चाहे उसने विदेश से टिकट खरीद कर विदेश में ही यात्रा की हो भारत में अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते की संबंधित विमान कम्पनी की भारत में उपस्थिति हो।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को 78 देशों ने स्वीकार कर लिया है जिनमें से 21 - मुझे नहीं पता कि इस बीच कुछ और देश भी इसमें शामिल हुए हों - देशों के भारत के साथ सीधे विमान सेवा सम्पर्क हैं, जिनमें संयुक्त राज्य, युनाइटेड किंगडम, मध्य पूर्व, कनाड़ा और जापान जैसे अधिक यात्री संख्या वाले मार्ग भी सम्मिलित हैं। विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 का उद्देश्य विमानवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन भी करना है जो अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन के नियमों को शामिल करता है। इस विधेयक में मृत्यु होने अथवा हताहत होने की स्थिति में यात्रियों को मुआवजा देने की द्वि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। यदि दुर्घटना विमान कंपनी की गलती के कारण हुई है तो उसी की अंतिम जिम्मेदारी बनती है। अन्यथा, विमान कंपनी की जिम्मेदारी 100 हजार विशेष आहरण अधिकार (स्पेराल ड्रॉइंग राइट्स) तक ही सीमित है जिनका वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपये से कुछ अधिक है जो कि पिछली कन्वेंशन की तुलना में तीन गुना है।

इस विधेयक में गुम या क्षतिग्रस्त हुए सामान के लिए क्षतिपूर्ति की प्रणाली में परिवर्तन करके ठीक ही किया गया है। वारसा कन्वेंशन के अंतर्गत, यह वजन पर आधारित व्यवस्था थी। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में इसे अधिकतम 1000 एस.डी.आर., लगभग 63,000 रुपये कर दिया गया है। आई.सी.ए.ओ. के अनुसार संयुक्त राज्य, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान और चीन सहित 79 देशों ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को स्वीकार और कार्यान्वित किया है। कुछ देशों ने कुछ विशेष संशोधनों के साथ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, कनाडा ने सैन्य विमानवहन को इसमें सम्मिलित नहीं किया; और संयुक्त राज्य ने उसकी सरकार द्वारा गैर-वाणिज्यिक उपयोग में लाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन को इससे अलग रखा है। तथापि, अधिकांश देश इस कन्वेंशन को विश्व के लिए आवश्यक मानते हैं।

हमें यह बताया गया है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इस अधिनियम से यह घरेलू यात्रियों पर भी लागू हो जाएगी। विमानवहन अधिनियम, 1972 के खण्ड 8 में एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके अनुसार ऐसे प्रावधान उन यात्रियों पर भी लागू होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री नहीं हैं। इस विधेयक के खण्ड 9 में एक ऐसा ही प्रावधान, एक समानान्तर प्रावधान जोड़ा गया है। चूंकि यह विधेयक घरेलू विमान सेवाओं पर लागू होगा तो इससे उनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मेरी यह आशंका है कि इस विधेयक के पारित किए जाने को घरेलू भाड़ा बढ़ाए जाने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में लागू किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू क्षेत्र में भाड़े पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानना चाहता हूं।

क्या इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी का दायित्व संचालक वहन करेंगे या इसे यात्रियों पर डाल दिया जाएगा? यह मैंने केवल इस विधेयक के बारे में कहा है। नागर विमानन से जुड़े कई अन्य मामले भी हैं जिनसे कई माननीय सदस्यों का वास्ता पड़ा है। हम इस विधेयक पर चर्चा करते समय चिंतित हैं। मैंने स्वयं को इस विधेयक के प्रावधानों तक ही सीमित रखा है। हमें और अधिक हवाई अड्डे चाहिएं। हमें बेहतर सुविधाएं चाहिए। विमानपत्तन प्राधिकरण, जो विमानपत्तनों की देख-रेख करता है, से जुड़े मामले यहां पहले भी उठाए गए हैं। जब हम आज देश में मौजूद परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं तो मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। इसलिए, मेरा यह कहना है, चूंकि मैं उड़ीसा जैसे

[श्री भर्तृहरि महताब]

राज्य से आता हूं, जहां भुवनेश्वर हवाई अड्डा स्थित है जोकि विकसित किए जाने के दूसरे चरण में सम्मिलित है और जहां भारी भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न कंपनियों के कई विमान वहां सेवा प्रदान कर रहे हैं। परन्तु मंत्री जी ने कुछ माह पूर्व एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह घोषणा की थी कि झारसुगुडा का भी विकास किया जाएगा। मैं इस विधेयक पर बोलते हुए यह आग्रह करूंगा कि उड़ीसा के दक्षिण भाग में स्थित कोरापुट जिले में जयपुर का भी विकास किए जाने की आवश्यकता है। इन तीन विमानपत्तनों का उन्नयन और विकास किए जाने की आवश्यकता है ताकि उड़ीसा के सुदूर क्षेत्रों, जहां पर्याप्त संख्या में विमान यात्रियों के उपलब्ध होने की संभावना है, को भी विकास का लाभ मिल सके।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): मैं विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं। वास्तव में, इस पर बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि विमानवहन अधिनियम, 1972 से वस्तुतः हेग प्रोटोकोल का अनुसमर्थन होता है। इसके पूर्व 1929 का वार्सा कन्वेंशन था। अब हम एक कदम आगे हैं। 1999 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे शामिल कर लिया गया है। मेरा यही प्रश्न है। 1999 से अब तक इन आठ वर्षों में, स्थिति क्या है? अनुसमर्थन करने वाले 78 देशों में से अधिकतर देशों को मुआवजा मिल रहा था परन्तु भारतीयों को नहीं मिल रहा था। भगवान की कृपा है कि कम से कम भारत में कोई दुर्घटना नहीं हुई। परन्तु अन्य देशों में अवश्य ही दुर्घटनाएं हुईं जिनमें भारतीयों को नुकसान हुआ। ऐसे में स्थिति क्या थी? उन भारतीयों को, भारत द्वारा अनुसमर्थन न किए जाने के बावजूद कितना मुआवजा दिया गया? हमने अत्यंत बहुमूल्य आठ वर्ष गंवा दिए हैं? मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि स्थिति क्या थी तथा भारतीयों को कितना मुआवजा दिया गया?

दूसरा प्रश्न घरेलू विमान कंपनियों से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस पर लागू होता है। मैं विधेयक के अध्याय I, खंड 45 - व्याप्ति को उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है कि इन नियमों के प्रयोजन हेतु अन्य देश के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय (विमान) वहन नहीं माना जाएगा। अंतर क्या है? यदि मृत्यु उड़ान के दौरान हो चाहे विमान के बाहर हो या भीतर तो क्या मुआवजा कम होगा? यह मुआवजा कितना है?

अपराह्न 3.00 बजे

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला मुआवजा क्या घरेलू एयरलाइंस पर लागू होता है? मैं जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी इस बारे में क्या करेंगे।

अन्य प्रश्न भी सामने आए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, बिजनेसः श्रेणी और सामान्य श्रेणी के यात्रियों में क्या कोई भिन्नता है? क्या मुआवजा अलग-अलग है या सभी के लिए समान मुआवजा की व्यवस्था है? यह एक तर्कसंगत प्रश्न है। उन्हें इसका भी उत्तर देना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि ऐसे भी देश हैं जिन्होंने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यदि किसी ऐसे देश में दुर्घटना होती है जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का अनिवार्य अंग हो और जिसने उसका अनुसमर्थन किया हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? यदि किसी ऐसे देश में दुर्घटना होती है जिसने अनुसमर्थन न किया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या इसका कोई समाधान है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहता हूं।

अंततः, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि नागर विमानन मंत्री न कि सैन्य विमानन - के रूप में अपने चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है हालांकि अवसंरचना का विकास चरणबद्ध रूप से निरंतर हो रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम ओपन स्काई संबंधी प्रणाली और नीति अपनाने जा रहे हैं और सब सुचारू रूप से निर्धारित हो जाएगा। परंतु इसमें समय लगता है और हम इस बात को समझते हैं। इसीलिए, यद्यपि अवसंरचना के विकास का कार्य चल रहा है, इसमें समय लगेगा।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया के साथ समामेलन कर दिया है। विशेषकर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर अनेक आशंकाएं हैं और उन्हें यह नहीं मालूम कि उनके साथ आगे क्या होगा। उनको किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। माननीय मंत्री द्वारा इन आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। क्या उन्होंने समामेलन की समीक्षा की है? क्या इससे वास्तव में दोनों एयरलाइंस को लाभ हुआ है? इसका उत्तर अवश्य ही दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं

आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की अनुमति प्रदान की है। विमानवहन संशोधन विधेयक, 2007 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस बिल के माध्यम से उन्होंने एक उचित कदम उठाया है। हवाई यात्रा के दौरान घायल होने या मौत होने, सामान लापता होने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक 2007 में पेश किया गया था, जो 1999 की मांट्रियल संधि को प्रभावी बनायेगा। यह संधि उपरोक्त मुद्दों सहित यात्रियों के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों से भी सम्बन्धित है। सरकार ने हाल ही में देश और विदेश के अन्य प्रमुख देशों के समान लाने के लिए संधि को लागू करने का फैसला लिया था। इसी संधि के प्रमुख प्रावधानों में मौत या घायल होने की स्थिति में मुआवजे को गोल्ड फ्रेंक्स के स्थान पर जो संधि के बाद 20 हजार अमेरिकी डॉलर देने की बात हुई थी, संधि में मृत्यु या घायल होने की स्थिति में अग्रिम भुगतान करने का प्रावधान है। निश्चित तौर पर यह विधेयक स्वागत योग्य है। जिस तरह से आज बड़े पैमाने पर अपने देश और अपने देश के बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमानों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर उसी स्तर पर मैं समझता हूं कि दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ रही है।

महोदय, खास तौर पर हम देख रहे हैं कि अपने देश में विगत पांच से दस सालों में रोड कंजशन तो था ही, अब एयर कंजेशन भी हो गया है। पता नहीं माननीय मंत्री जी उस कंजेशन को दूर करने के लिए कौन से उपाय ढूंढ रहे हैं।

महोदय, आप पंजाब से आते होंगे, दिल्ली में दो घंटे तक ऊपर हवा में चक्कर लगाना पड़ता है, जितना समय दिल्ली आने और जाने में लगता है, उससे अधिक लैंडिंग में लग जाता है। क्या इस स्थिति पर आप विचार नहीं करेंगे? जिस तरह से आप एयर कंजेशन बढ़ा रहे हैं और उसके लिए उपाय नहीं सोच रहे हैं, तो क्या दुर्घटना नहीं होगी? दुर्घटना बढ़ने की पूरी तौर पर संभावना बढ़ रही है। आप यात्रियों को सुविधा मुहैय्या करा रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने स्तर पर विमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन दुर्घटना की नौबत क्यों आए? दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी जब हम दिल्ली से पटना अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो वहां का जो एयरपोर्ट है, वहां जब लैंडिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि प्लेन को पटक दिया गया है। वहां एयरपोर्ट छोटा है, उसे बढ़ाने के लिए आप कौन से उपाय कर रहे हैं? कुछ वर्ष पूर्व वहां दुर्घटना हो गयी थी, जिसमें बीस से पच्चीस से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी। मैं ऐग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं। यह स्थिति आज भी बनी हुयी है। पटना शहर में मान लिया कि जगह नहीं है, आपने कई बार इस बारे में चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी से भी आपने बात की है, लेकिन आखिर कब तक यात्रियों को खतरे में डालने का आप काम करेंगे? आप क्यों नहीं कोई ठोस उपाय निकाल रहे हैं? आप वहां क्यों नहीं कोई व्यवस्था कर रहे हैं? आप या तो वहां हवाई जहाज की यात्रा को बाधित कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जिसमें कभी भी आदमी मौत के घाट चला जाता है। वहां के पायलट व्यक्तिगत रूप से मुझसे अनुरोध करते रहते हैं कि रामकृपाल जी कुछ करवाइए। पायलट्स ने कई बार बात की है। प्राइवेट एयर लाइन्स और इंडियन एयर लाइंस के पायलट व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात करते हैं। आज भी वहां असुरक्षा है। इसी तरह से देश के अन्य इलाकों में असुरक्षा है और कंजेशन हो रहा है। दिल्ली में आप अल्टरनेटिव व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? मान लिया कि एयरपोर्ट पर ज्यादा लोड हो गया है, तो आप दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, ताकि आसानी से आदमी जमीन पर उतर जाए। आदमी हवाई यात्रा इमरजेंसी में करता है। कोई आदमी बीमार है, परेशानी में है, लेकिन वह समय पर उतर ही नहीं पा रहा है। जहां तक मेरा अनुभव है, इनका कोई ऐसा विमान नहीं है, जो लेट न उड़ता हो। हो सकता है, खास तौर पर इनका ध्यान बिहार की तरफ कम रहता हो। वहां जितने जाने वाले प्लेन्स हैं, वे सब खटर-खटर और ढकर-ढकर वाले हैं। आप किसी में भी स्मूथली बैठकर नहीं जा सकते हैं। यह वहां की स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आप बिहार और झारखंड की ओर ध्यान दें। हालांकि आपने झारखंड में नया एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया है, पटना में भी कुछ ब्यूटीफिकेशन वगैरह हुआ है, मगर सुरक्षित लैंडिंग हो, इसकी आप व्यवस्था करें।

आप मुंबई में चले जाइए। जितने बड़े-बड़े शहर हैं, वहां लैंडिंग में आपको क्यू में लगना पड़ेगा। आप एक घंटे की परेशानी से बच नहीं सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी दुर्घटना...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: थैंक यू।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, अभी ही तो शुरू किया है। अभी तो आदि की बात कर रहा हूं, जब अंत करूंगा, तब थैंक यू होगा। अभी तो दो-तीन मिनट ही हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप छः मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, आपका आदेश सर्वोपरि है। अगर आप बैठने का आदेश देंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कांक्ल्यूड करिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: अभी तो पटना से स्टार्ट ही हुआ है। अभी हरियाणा जाना है, राजस्थान जाना है, मुंबई जाना है, प्रफुल पटेल जी के यहां जाना है।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप पैदल चलकर जा रहे हैं, जहाज की तेजी से जाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: बेहतर होगा यदि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ही बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: पटना में कुछ नहीं किया, अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं किया, आप क्या बोलेंगे? आप तो कुछ किए ही नहीं। आप तो बेकार मंत्री बनकर रह गए। आप कुछ करते, तो आपका नाम लेते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने नया तेज प्लेन शुरू कराया है। हाल ही में पटना से जो यात्री हज करने के लिए गए, वे लोग आ गए लेकिन उनका सामान नहीं आया। वहां रोज मुर्दाबाद, जिन्दाबाद के एजीटेशन हो रहे हैं। हमें उसे फेस करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में हज यात्रियों को इस बार जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने इस बात की छानबीन क्यों नहीं की कि क्या वजह हुई कि हज यात्रियों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब से उन्होंने जाना प्रारंभ किया, तब से आखिर तक एक भी हज यात्री का सामान नहीं आया, यहां तक कि पवित्र जमजम या तवर्रुख, जिसे हम प्रसाद कहते हैं, वह भी नहीं आ पाया। लोगों का सामान यहां गया, वहां गया। आप अपनी रैपुटेशन खुद खराब कर रहे हैं। वे लोग प्राइवेट एयर बस से जाने की सोच रहे हैं, शायद हज कमेटी के लोगों ने तय भी किया है। आप क्यों अपना नुकसान उठा रहे हैं। आप इस बारे में कुछ व्यवस्था करवाइए, स्मूथ रन करवाइए, लोगों का विश्वास है, आज के फास्ट युग में लोगों की आवश्यकताएं भी हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री कह रहे थे कि फास्ट होइए। फास्ट कैसे होंगे, आप चलने देंगे तब होंगे। अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं, अपना विश्वास खो रहे हैं। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आप में काम करने की क्षमता भी है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छा और व्यवस्थित ढंग से काम कीजिए, लोगों का विश्वास जीतिए और बिजनेस बढ़ाइए। दुर्घटना की नौबत नहीं आए, उसके लिए पूरे तौर पर उपाय कीजिए। पटना की तरफ आपका ध्यान जरूर जाए, पटना के लिए आलटरनेटिव व्यवस्था जरूर कीजिए ताकि हम सुरक्षित उड़ सकें, आ और जा सकें। ठंड के दिनों में यह फ्लाइट लेट, वह फ्लाइट लेट, प्लेन कब जाएगा, कब आएगा, पता ही नहीं चलता। इतना आधुनीकीकरण हो रहा है, लेकिन आप कुछ विशेष व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं ताकि बरसात, आंधी-तूफान और कोहासा में भी प्लेन चल सके। मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों की ओर आप निश्चित तौर पर गौर कर रहे होंगे और जब जवाब देंगे तो इसकी आलटरनेटिव व्यवस्था करेंगे। यात्रियों को सुचारू रूप से कैसे लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लागों की यात्रा स्मूथ हो सकेगी और आपका अधिक से अधिक व्यापार बढ़ पाएगा, इसकी तरफ आप जरूर ध्यान देंगे।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद ताहिर (सुल्तानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सदन में विमानवहन विधेयक, 2007 जो प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मैं अपनी पार्टी बी.एस.पी. की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में यात्रियों की दुर्घटना एवं मृत्यु और उनके सामानों की क्षति एवं सामानों के लापता होने पर मुआवजा देने की बात कही गई है, हम अपनी पार्टी की ओर से इसका स्वागत करते हैं। मंत्री जी की सोच बेहतर है। मंत्री जी ने जो इस विधेयक को पेश किया है, वह जनहित में बहुत बेहतर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे लोक सभा क्षेत्र सुल्तानपुर में जो ब्रिटिश टाइम का खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, उसका नवीनीकरण करवाने का काम करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत एयरपोर्ट है। प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, फैजाबाद इसका मरकज है। बनारस से लखनऊ की दूरी का सैंटर है। अगर आप इसे बना देंगे तो इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर के लोग बड़े पामाने पर फॉरेन में रहते हैं और मुम्बई और कोलकाता में लोग रोजी-रोटी के लिए गए हुए हैं। उन्हें आने-जाने में सहूलियत हो जाएगी। यदि आपकी विशेष नजरें इनायत हो जाएं तो बहुत एहसान होगा। आपके रहते हुए यह काम हो जाएगा, भविष्य में हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप हमारे सुल्तानपुर की ओर विशेष नजरें इनायत करेंगे।

इस बार हज यात्रियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, उनके साथ बड़े पामाने पर चीटिंग हुई, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, गल्फ कंट्रीज में भी उनके साथ बहुत मिसबिहेव हुआ, यहां एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनके साथ मिसबिहेव किया गया। इसलिए आगे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। आप अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के इंसान हैं। हमें आपसे और केन्द्र सरकार से बड़ी उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। खासतौर से जो मुस्लिम समाज के लोग बाहर जाते हैं, वे बड़ी उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, न्याय करेगी। इस विधेयक का समर्थन करते हुए हम आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहते हैं। हमारी पार्टी आप पर विश्वास करती है। हमने आपको सहयोग किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यहां एयरपोर्ट का नवीनीकरण करने और प्लेन चलाने का काम करेंगे। हम इस यकीन और विश्वास के साथ इस बिल का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिविल एवीएशन मंत्री श्री प्रफुल पटेल द्वारा पेश किये गये इस कैरिज बाय एयर अमेंडमैंट बिल, 2007 का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी कई सम्मानित सदस्यों ने यहां समस्याएं रखीं जैसे हज यात्रियों के साथ हुआ। हम कई बार टेलीविजन में देखते हैं कि कई पैसेंजर्स बार-बार इस बात की कम्पलेंट करते हैं कि उनका सामान चोरी हो गया या सफर में उन्हें असुविधाएं हुईं। मैं माननीय मंत्री का अपनी ओर से, इस सदन की ओर से, भारतवर्ष से या बाहर से आने वाले यात्रियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसा आपने इसमें लिखा है कि

[अनुवाद]

"यात्रियों की क्षति या मृत्यु के लिए यात्री सामान और स्थौरा के विनाश या नुकसान या हानि या नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय वहन में विलंब के कारण हुई हानियों के लिए विमान वाहकों के दायित्व को शासित करने वाला विधिक शासन अनेक अंतर्राष्ट्रीय लिखतों में उपवर्णित है।"

[हिन्दी]

यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो पैसेंजर्स सफर करते हैं, उनको सुविधा देने के लिए यह एक प्रयत्न हुआ है। इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। दूसरा,

[अनुवाद]

"चूंकि दायित्व की सीमाओं को अपर्याप्त समझा गया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने इसमें पहल की और प्रतिकर के स्तरों और विद्यमान दायित्व संबंधी उपबंधों के आधुनिकीकरण के पुनरीक्षण की दृष्टि से एक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किया है।"

[हिन्दी]

इसके अलावा इसके लिए अमाउंट रखा है।

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

[अनुवाद]

"मृत्यु या क्षति के लिए प्रतिकर की रकम में, गोल्ड फ्रैंक्स के स्थान पर जो कन्वेंशन के पश्चात् 20,000 अमरीकी डालर हुई थी, 1,00,000 विशेष आहरण अधिकारों (एस.डी.आर.) की वृद्धि की गई है।"

[हिन्दी]

एक और महत्वपूर्ण बात है कि सफर के दौरान, अगर बोर्डिंग के बाद मृत्यु होती है, तो उसे भी कम्पेनसेशन मिलेगा। अभी माननीय संसद सदस्य श्री वी.पी. सिंह जी कह रहे थे कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उनमें भी इस व्यवस्था को और बढ़ाया जाये, तो जो हमारे डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको भी इससे लाभ मिल सकेगा, क्यंकि उनकों भी इन असुविधाओं का सामना अक्सर करना पड़ता है। मैं ज्यादा समय ने लेते हुए कहना चाहूंगा कि अभी पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे। आपके जमाने में जब एन.डी.ए. की सरकार थी, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने का मौका मिला। उस समय मैंने वहां देखा कि जगह-जगह पर बकेट्स रखी हुई हैं, पूछने पर मुझे बताया गया कि उन जगहों पर छत टपकती है। उस समय ऐसी स्थित वहां थी। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: आपकी सरकार द्वारा ही वह बनवाया गया था।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: लेकिन उसकी व्यवस्था तो आप ही देख रहे थे।

मगर आज चार साल के अंतराल में एयरपोर्ट्स की व्यवस्था में सुधार आया है, चाहे यह सुरक्षा की बात हो, विकास की बात हो या फिर लुक की। मुझे कई बार विदेश जाने का अवसर मिला है, पहले विदेशों के एयरपोर्ट्स और हमारे एयरपोर्ट्स में बहुत बड़ा अंतर दिखता था, लेकिन आज दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, मुंबई आदि स्थानों पर इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड के एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि उनके वक्त में 55 हजार फ्लाइट्स थीं, उनकी संख्या आज एक लाख से ज्यादा हो गयी है, इससे हमारे यात्री लाभान्वित हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही, आज हर वर्ग के यात्री हवाई जहाज से यात्रा करने की बात सोच सकते हैं। एक जमाना था जब केवल बड़े लोग हवाई जहाज से चलते थे। आज किराए में कमी आई है, कंप्टीशन बढ़ गया है और सर्विसेज बढ़ गयी है, बहुत सी एयरवेज हैं जिससे लोग कम पैसे देकर यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, आगरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं कि वहां पर पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। इसी तरह मथुरा, जहां से मैं आता हूं, भगवान राधा-कृष्ण की जन्मस्थली है। वहां प्रति वर्ष पांच करोड़ से सात करोड़ यात्री आते हैं। इसे 33 किलोमीटर दूर घना बर्ड सैंक्चुरी है, वहां प्रति वर्ष बहुत से पर्यटक आते हैं। इस पक्षी विहार में साइबेरिया तक से पक्षी आते हैं।

[अनुवाद]

यह देश के श्रेष्ठ पक्षी अभयारण्यों में से है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): परंतु वहां विमानों से पक्षियों के टकरा जाने का खतरा है।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: आगरा, मथुरा और घना बर्ड सैंक्चुरी को देखते हुए, वहां बड़ी संख्या में पर्यटकों और विदेशियों के आवागमन को देखते हुए वहां एयरपोर्ट की जरूरत है। फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखाने हैं और वहां से पूरे विश्व में कांच का सामान जाता है। वहां पर आगरा एयरपोर्ट सिटी से घिरा हुआ है और यह एयरपोर्ट एयरफोर्स का है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आगरा और मथुरा के बीच में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया से वहां पर यात्री आते हैं। इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर एक एयरपोर्ट बनाया जाए। इस बारे में माननीय मंत्री जी का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को मंत्री जी ने यह लिखा है कि अगर उनको वहां पर पांच किलोमीटर लंबी और 3.5 किलोमीटर चौड़ा भूखण्ड उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराये तो वहां पर एयरपोर्ट खोलने के लिए तैयार हैं। इस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप पुनः माननीय मंत्री जी को इसके लिए लिखें।

इन्हीं शब्दों के साथ, ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा हो रही है। यह एक अच्छा विधेयक है और मैं अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से इसका समर्थन करता हूं। एक साल तक यह विधेयक पेंडिंग था। आज मंत्री जी ने इसे पेश किया है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

विमानवहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले जो यह विधेयक है, 1999 में मांट्रियल में विमान दुर्घटना होने पर मुआवजा देने और सामान की क्षति पूर्ति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि विमान यात्रा के समय कोई दुर्घटना होने पर किसी की मृत्यु हो जाए या सामान की क्षति हो जाए तो उसके लिए मुआवजा देने के बारे में स्वीकृति प्रदान करना है। यह एक अच्छी बात है और हम इसका समर्थन करते हैं। इस बिल के पारित होने के बाद यात्रियों और उनके सामान की क्षति होने पर मुआवजा दिया जाएगा। इसे हम एक व्यावहारिक और सराहनीय कदम मानते हैं। हवाई यात्रा के समय यात्रियों की मृत्यु और सामान क्षति होने पर मुआवजा देने का जो प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, उसमें मूल्य वृद्धि के आधार पर बढ़ोत्तरी की भी बात कही गई है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं कुछ बातें घरेलू एयरपोर्ट्स के बारे में कहना चाहूंगा। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय के बाद हमने सोचा था कि सर्विस अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। इंडियन से हम सांसद लोग यात्रा करते रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब इसकी सेवा पहले जैसी नहीं रही। हम लोग इस बिल के माध्यम से सामान क्षति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस में सामान की क्षति की घटनाएं होती रहती हैं। जब इनका विमान एयरपोर्ट पर उतरता है तो यात्रियों को अपने बैगेज के लिए आधा-आधा घंटा तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए। मंत्री जी महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने एवीशिएन के क्षेत्र में डायनैमिक स्टैप उठाए हैं, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने चीप फेयर जैसी कई सुविधाओं को भी शुरू किया है, जिससे हवाई यात्रा काफी सरल हो गई है और सस्ती भी हो गई है।

अभी जैसा कि राम कृपाल जी भी कह रहे थे कि दिल्ली और मुम्बई के एयरपोर्ट पर जहाजों को दो-दो घंटे तक आकाश में घूमना पड़ता है, क्योंकि जगह नहीं मिलती, उस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई मंत्री प्लेन में होता है, तब तो इस बात का खयाल रखा जाता है, अन्यथा ट्रैफिक कंजेशन के कारण यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। इस पर आप कंट्रोल करने का काम करें।

आपने दिल्ली और मुम्बई के एयरपोर्ट्स का निजीकरण किया है। वहां पर आज भी लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता। लोकल लोगों को ये प्राइवेट वाले बाहर कर देते हैं और बाहरी लोगों को इम्प्लायमेंट देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जी.वी.के. कम्पनी की मोनोपली चल रही है। वह लोकल लोगों को मराठी लोगों को निकाल रही है और बाहरी लोगों को ले रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चाहे जी.एम.आर. हो या जी.बी.के. हो या डी.जी.सी.ए. हो, सरकार का जरूर कंट्रोल होना चाहिए। मुम्बई में प्राइवेट कम्पनी द्वारा वहां स्लम को उजाड़ने और जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है, जो उचित नहीं है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने मुम्बई में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस कार्यक्रम में माननीय बाला साहेब ठाकरे जी और कई मंत्री भी मौजूद थे। उस बुत को भी वहां से हटाने का प्रयास इस कम्पनी द्वारा किया गया था। जब इस बात को लेकर वहां की विधान सभा में हंगामा हुआ, तब जी.बी.के. वाले डर गए। मुम्बई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है और दूसरा नाम जी.बी.के. का बन रहा है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। वह नाम बड़ा होना चाहिए। इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने हज यात्रा और यात्रियों के बारे में कहा है। यह अच्छी बात है कि कोई धार्मिक यात्रा पर जाता है और लोग उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं। लेकिन मैं एक बात हिन्दू भाइयों के लिए कहना चाहता हूं। आज वाराणसी के लिए प्लेन कब लैंड करता है, साढ़े दस या ग्यारह बजे के बाद लैंड होता है और चार बजे के पहले सारे उड़ते हैं। हर हिंदू को एक बार तो वाराणसी जरूर जाना चाहिए। काशी-विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने

[श्री चंद्रकांत खैरे]

चाहिए, बनारस के दर्शन करने चाहिए लेकिन वहां से चार बजे के बाद कोई प्लेन उड़ता नहीं है और दस या ग्यारह बजे के पहले लैंड नहीं करता है। जैसे हज-यात्रियों को सुविधा दी है वैसे ही आपके कार्यकाल मे कम से कम इसके लिए भी सुविधा दीजिए। इससे आपकी धार्मिकता भी बढ़ेगी और हिंदुओं को न्याय मिलेगा।

मैंने जो चिखलठाणा एयरपोर्ट का विषय उठाया था, उसे अपग्रेड करने के लिए आपने मदद की उसके लिए धन्यवाद। उसके नामकरण के बारे में, जीरो-आवर में मैं बोलने वाला था। मैंने जो चिखलठाणा एयरपोर्ट का नाम "राजे सम्भाजी भोंसले" रखने की विनती की थी, वह मैं जीरो-आवर में, आपके सामने बोलने वाला था लेकिन जीरो-आवर में मेरा नाम आया नहीं। अभी शाम को मैं यह विषय लेने वाला हूं। मैं आपसे विनती करूंगा कि इस पर भी आप विचार करें। काशी के दर्शन के लिए, जैसे हज वालों को सुविधा देते हैं वैसी ही सुविधा देने की विनती मैं आपसे करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विमानवहन (संशोधन) विधेयक की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमने मोन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

महोदय, यह अच्छी बात है कि हम यात्रियों के घायल होने, उनकी मृत्यु, उनका सामान नष्ट, क्षतिग्रस्त या खो जाने आदि की अवस्था में विमान कंपनियों के दायित्व के निर्धारण संबंधी इस विधिक व्यवस्था को अद्यतन करने जा रहे हैं। परन्तु, महोदय, चर्चा आरंभ करते हुए यह मुद्दा उठाया गया कि इस 'कन्वेंशन' को 1999 में स्वीकार किया गया था और 1999 के बाद हमने संशोधनों को समाविष्ट करने हेतु अपने विधान में उपयुक्त संशोधन क्यो नहीं किया है? अब, हम 2008 में यह संशोधन ला रहे हैं। शायद, उस समय भा.ज.पा. सत्ता में थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, सं.प्र.ग. सरकार सत्ता में है और वह अपने कार्यकाल के अंत में ऐसा कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हमें व्यापक हानि हुई है क्योंकि हम एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जिसके द्वारा यात्रियों को पहले की तुलना में अब अधिक लाभ होगा ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.33 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

इस विलंब के लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, इससे शायद देश और यात्रियों को अधिक हानि होती। अब, हर हालत में, यह संशोधन अच्छा है और हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

महोदय, इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को दिल्ली से कोचीन और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी उड़ान आरंभ करने के लिए बधाई देता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: वे आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। परन्तु मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे यह ध्यान दें कि इस उड़ान में खान-पान तथा अन्य सभी सेवाएं बेहतर हों। शायद देश में यह सबसे लंबी दूरी की घरेलू उड़ान है। मेरे विचार से इससे लंबी दूरी की कोई और उड़ान नहीं है। इसलिए, इस संबंध में पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

दूसरी बात केरल सरकार तथा कोचिन एयरपोर्ट कम्पनी की ओर से आपके समक्ष लम्बित अनुरोध के बारे में है। यह मामला कोचिन एयरपोर्ट कम्पनी के अधीन एक नया एयरलाइन्स शुरू करने के बारे में है, जो खाड़ी के देशों और कोचिन या केरल में स्थित हवाई अड्डों से चलेगी। आप इसका कारण जानते हैं क्योंकि उस मार्ग से आने-जाने वाले अधिकांश यात्री केरल से होते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हवाई किराया के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। व्यस्त समय में हवाई कम्पनियों द्वारा किराये में बेतहाशा वृद्धि कर दी जाती है।...*(व्यवधान)* कई अनुरोध है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं अभी क्यों समाप्त करूं?

सभापति महोदय: कृपया पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं समाप्त कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि अब आपके दोस्तों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा इसलिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ दो या तीन मिनट का समय लूंगा।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि

वे मेरे अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करें। हो सकता है कि इसके लिए आपको वर्तमान नियमों में थोड़ी छूट देनी पड़े। लेकिन इस प्रकार आप केरल के लिए एक बड़ा काम कर देंगे।

आपने दो हवाई अड्डे खोले हैं - पहला हैदराबाद में तथा दूसरा बंगलौर में। संपर्क सड़कें बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि मौजूदा पुराने हवाई अड्डों का किन्हीं स्थितियों के कारण उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। मुझे मालूम नहीं कि वह आपको स्वीकार्य होगा कि नहीं। हमारे पास विमानों को चलाने के लिए पर्याप्त विमान चालक नहीं हैं। हम विदेशी विमान चालक मंगा रहे हैं। हम इन दोनों हवाई अड्डों पर विमान चालकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण संस्थान क्यों नहीं खोल रहे हैं? देश के लिए यह बहुत बड़ा काम होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं यहीं रूक रहा हूं। मेरे ऊपर अध्यक्षपीठ की ओर से तथा इस पक्ष की ओर से भी बहुत दबाव है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि मेरे साथी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* यह कितना व्यवहार्य है, यह मंत्री जी को तय करना है। हवाई यातायात के मामले में हमें कुछ कन्वेशन्स का पालन करना होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको अध्यक्ष पीठ को आदेश नहीं देना चाहिए। आप अपना काम करें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, हवाई यातायात के मामले में हमारे सामने कुछ कन्वेन्शन्स हैं। पहली वर्ष 1929 की वर्सा कन्वेशन है। वे इससे सहमत थे। दूसरा, 1955 में इसके बाद हेग प्रोटोकॉल आया। इसके बावजूद भी हमारा अलग से कोई कानून नहीं है। जहां तक हवाई यातायात का संबंध है हम सबसे पहले 1972 में एक कानून लाये थे। यही कानून अभी भी लागू है। अब उन्होंने 1972 के मूल अधिनियम में एक संशोधन कर दिया है।

यदि मैं सही हूं, इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य मांट्रियल कन्वेशन को विधिक दर्जा देना है, जो 28 मई, 1999 को हुई थी इसलिए, यह सब उन निर्णयों को विधिक दर्जा या विधिक आधार देने का प्रयास है। हम मांट्रियल कन्वेशन से भी सहमत हैं। उस कन्वेशन के अनुसार यह विधेयक लाया गया है।

सर्वप्रथम, हम इस समय निजीकरण के युग में जी रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार तथा कैबिनेट ने भी निजी विमानों को निजी हवाई अड्डों से उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अब कई निजी हवाई अड्डे इस क्षेत्र में आएंगे। यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। यह राज्य अधिनियम है। यदि आप इस विधेयक के खंडों को पढ़ेंगे, तो आप पायेंगे कि मुख्य प्रवृत्ति विमान कम्पनियों को इससे मुक्त करने की है।

यह स्वाभाविक ही है कि यदि आर विमान प्रचालन में निजी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो वे निश्चित रूप से किसी भी प्रतिबद्धता से बचना चाहेंगे। उस संदर्भ में इस विधेयक पर नजर डालते हुए ऐसा लगता है कि विमान कंपनियों को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। मैंने इसकी सभी धाराओं का अध्ययन किया है। लेकिन उन सभी पर बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यदि आप विधेयक की धारा 4(ii) को पढ़ें तो पायेंगे कि मांट्रियल कन्वेशन के सभी हस्ताक्षरकर्ता इस कन्वेशन के लागू किए जाने की तिथि के दिन से ही अनुबंध के भाग (तीन) में सम्मिलित किए गए हैं। निजी एजेंसियां आगे नहीं आ रही हैं। यह अधिनियम उन पर भी लागू नहीं होता। निजी एजेंसियों और निजी प्रचालकों को जवाबदेह बनाने के लिए हमें कुछ कानून बनाने होंगे या कोई अधिनियम लाना होगा। हमें यह ज्ञात नहीं है कि हम इस अधिनियम में संशोधन कर पायेंगे या नहीं। लेकिन सामान्य रूप से यह संभव नहीं है। लेकिन कुछ बाते हैं; जिन पर आपको विचार करना चाहिए। मान लीजिए कि हम अपने विमान में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा समाप्त होती है। मैं धारा 18, उपखंड (2) पढ़ रहा हूं, जिसमें कहा गया है, तथापि प्रवेश, निकास या सामान के पारगमन के संबंध में किसी सरकारी प्राधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई के लिए विमान कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।" जब हम विमान में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो सुरक्षाकर्मी भी अपना काम कर रहे होते हैं। यदि वे गलती करते हैं तो हमें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। कौन जिम्मेदार है? भारत में 'सरकारी

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

प्राधिकारी' का अर्थ सुरक्षाकर्मी से है। हम इन सभी सामानों को सुरक्षा कर्मियों के जिम्मे छोड़ रहे हैं। यदि वे गलती करते हैं तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। आपका चार मिनट का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। आपके पास केवल एक मिनट बाकी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं उन भारतीय नागरिकों के जीवन की बात कर रहा हूं जो विमान में यात्रा करते हैं। इसलिए, यही प्रक्रिया है। यदि किसी सुरक्षाकर्मी की लापरवाही से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपको मुआवजे के रूप में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यदि कोई युद्ध या सशस्त्र झड़प की कार्यवाही होती है, मान लीजिए हम कोलम्बो में उतरते हैं, जहां एल.टी.टी. सक्रिय है और यदि हम विमान में अपनी जान भी गंवा देते हैं, तो हमें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इस अधिनियम में ऐसा ही प्रावधान है। दूसरी धारा में कहा यह गया है, "किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट की स्थिति में विमान कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिए उसी स्थिति में जिम्मेदार होगी यदि दुर्घटना, जिसके चलते मृत्यु हुई हो या चोट आई हो, विमान यात्रा के दौरान हुई हो या प्रचालन के दौरान चढ़ते या उतरते समय हुई हो।" कोई अन्य क्षतिपूर्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी विकसित देशों ने इस में ऐसा प्रावधान किया होता क्योंकि वे चाहते है कि धनी या पैसे वाले लोग प्रचालन के क्षेत्र में आयें। इसलिए, यह निजी लोगों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सकता है। हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं।

यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो गरीब भारतीय नागरिकों को एक पाई नहीं मिलेगी। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

महोदय, ऐसी अनेक बातें हैं जिनका मैं यहां उल्लेख कर सकता हूं। मुझे नहीं मालूम कि इन व्यक्तियों को भी उत्तरदायी बनाया जाना सुनिश्चित करने के कुछ प्रबंध कराना मंत्री महोदय के लिए संभव है या नहीं। मैं मंत्री महोदय में दोष नहीं निकाल रहा हूं। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। वह इस अधिनियम में इस प्रकार से संशोधन कर रहे हैं जिससे कि मांट्रियल कन्वेंशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। परंतु हमें किसी दुर्घटना की स्थिति में विमान यात्रियों अथवा उनके दावेदारों द्वारा क्षतिपूर्ति लेने के पहलू पर विचार करना होगा। यदि प्रचालन में किसी और की गलती के कारण कुछ होता है, तो यात्रियों को एक पाई नहीं मिलेगी। यात्री विमान में प्रवेश करते समय लापरवाही अथवा चूक का कोई कार्य नहीं करते हैं। यदि कोई भूल या लापरवाही होती है, तो यह राज्य प्राधिकरण द्वारा की जाएगी परंतु यह कहीं नहीं बताया गया है कि राज्य प्राधिकरण क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। क्या राज्य प्राधिकरण उत्तरदायित्व लेगा? मान लीजिए सुरक्षाकर्मी द्वारा कोई भूल या शरारत की जाती है और मैं उस उड़ान से यात्रा कर रहा हूं तो मेरे आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या केंद्र सरकार इस मामले में मुआवजे का भुगतान करेगी?

खंड 33(1) के अनुसार:

> "नुकसान के लिए कोई कार्रवाई नुकसान के दावेदार के विकल्प पर राज्य पक्षकारों में से किसी एक के राज्यक्षेत्र में वाहक के अधिवास या उसके कारबार के प्रधान स्थान पर या वहां जहां उसका कारबार का स्थान है जिसके माध्यम से संविदा की गई है के न्यायालय के समक्ष या गंतव्य स्थान पर न्यायालय के समक्ष की जाएगी।"

कभी-कभी दुर्घटना किसी अन्य देश में हो सकती है और गरीब आदमी को उस देश में जाकर मुआवजा प्राप्त करने हेतु वहां न्यायालय में मुकदमा दायर करना पड़ सकता है। परंतु उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि एयरलाइन्स उत्तरदायी है। केवल तभी न्यायालय के पास इस मुकदमे पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। पहले यह सिद्ध करना होगा कि दुर्घटना केवल एयरलाइन्स या उसके प्राधिकृत एजेंट या अनुबंधित पार्टी की लापरवाही से हुई है। अतः, दावेदार को यह सिद्ध करना होता है कि केवल एयरलाइन्स ही उत्तरदायी है। स्थिति यह है।

महोदय, मुझे नहीं मालूम कि दावेदार को क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजे की वास्तव में कितनी राशि मिलेगी। विधेयक के खंड 22(1) में बताया गया है कि व्यक्तियों की विमान यात्रा के मामले में नियम संख्या 19 में यथा वर्णित विलंब के कारण क्षति हुई है तो प्रत्येक यात्री हेतु एयरलाइन्स का उत्तरदायित्व 4150 स्पेशल ड्राइंग राइट्स तक सीमित है।

ऐसी अनेक अन्य बाते हैं जो विमान यात्रियों के हित में नहीं हैं। इस विधेयक के खंड 23 और 31 में इस प्रकार से संशोधन करना होगा जिससे कि दावेदार पर सिद्ध करने का भार न पड़े। यह नहीं होना चाहिए। मंत्री महोदय द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस

पर निर्णय लेना मंत्री महोदय के लिए कितना संभव है क्योंकि वह इस विधेयक में मांट्रियल कन्वेंशन के उपबंधों को मात्र सम्मिलित कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में यह बिल्कुल सही है। परंतु भारत में स्थिति भिन्न है। प्रमाण और उत्तरदायित्व के भार के उपबंधों को परिवर्तित करके भारतीय स्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

ये कुछ टिप्पणियां हैं जिन्हें मैं सरकार द्वारा विचार करने के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि और संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं, ताकि इस अधिनियम को अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर सदन में चर्चा चल रही है। इस बिल के खिलाफ कोई नहीं बोला है। हम भी इस बिल के विरोध में नहीं बोल रहे हैं। यह बिल अच्छा है। यात्रियों के बाहर जाने पर सामान का अगर नुकसान हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या घायल हो जाए तो उसे मुआवजा देने की बात इसमें कही गई है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मुआवजा देने पर चर्चा हो रही है, जबकि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। यहां बहुत छोटे दायरे में चर्चा हो रही है। किसी भी विषय पर चर्चा करते समय यदि उसकी मूलभूत चीजों पर चर्चा नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए इसकी आधारभूत संरचना को भी चर्चा में शामिल करना चाहिए था, चर्चा में इसकी सुख-सुविधा को शामिल करना चाहिए था और चर्चा में इसकी सुरक्षा को भी शामिल करना चाहिए था। लेकिन यह बहुत सीमित बिल है और चूंकि सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है, इसलिए हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि जो लोग हमारे देश से बाहर जाते हैं तो वहां जो आव्रजन काउंटर्स हैं, उनकी संख्या कुल 28 है और इन 28 काउंटरों में से 18 काउंटर्स गृह मंत्रालय के जिम्मे हैं। जब इन 18 काउंटर्स के माध्यम से यात्री निकलते हैं तो पांच सौ, छः सौ और सात सौ फीट तक लम्बी लाइनें लग जाती हैं। जब तक आप काउंटर्स नहीं बढ़ायेंगे तो यात्रियों की सिक्युरिटी के दृष्टिकोण से यह अच्छा नहीं है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि काउंटर्स की संख्या को आपको बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली हवाई अड्डा है। पहले जैसे अनुमान किया गया था, उसी के हिसाब से 1.30 करोड़ लोगों के आवागमन के हिसाब से यहां इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब अंदाजा लगाया जाता है कि 2.30 करोड़ लोगों का आवागमन यहां से होता है तो वैसी परिस्थिति में यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे काम कैसे चलेगा। यहां टर्मिनल की कमी है, यहां रनवेज की वहीं स्थिति है। आप और हम इसके भुक्तभोगी हैं। मंत्री जी, पहले जब हम लोग यात्रा करते थे तो इंडियन एयरलाइंस से टेलीफोन आ जाता था, यानी कि विमान में विलम्ब होता था तो सांसदों को सूचना दे दी जाती थी और हम लोग उसी समय के हिसाब से जाते थे। लेकिन अब कोई सूचना निजी कंपनी तो देती ही नहीं हैं, लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं, वे भी सूचना नहीं देती हैं। जब हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो घंटा, दो घंटे और कबी-कभी छः घंटे तक फ्लाइट लेती है और वे इसके लेट होने के बारे में एक बार में नहीं बताते हैं कि कितनी देरी से विमान चलेगा। वे बताते हैं कि 20 मिनट, आधा घंटा लेट है और इस तरह से कहते-कहते छः-छः घंटे बीते जाते हैं। इसके कारण न उधर से आना बनता है और न कहीं जाना बनता है और छः-छः घंटे इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जब तक आप यात्रियों की सुविधा पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। एयरपोर्ट पर सामान भूल जाने से ज्यादा कष्ट इसमें होता है।

महोदय, पटना से रात में एक जेट एयरवेज की फ्लाइट आती है। श्री राम कृपाल यादव उसी से यात्रा करते हैं। अक्सर लेट चलती है और जब यहां पहुंचती है तो दो गंटा लेट होती है और इस वजह से पूरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान रात में भ्रमण करते रहते हैं। रात के समय बाहर कुछ नहीं दीखता है, लेकिन लाइट्स जरूर दीखती हैं। जब किसी शहर की तरफ प्लेन बढ़ता है तो जगमगाहट दिखाई देती है। मंत्री जी, इससे आपके ईंधन का भारी नुकसान होता है। हमने एक पत्रिका में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जब कोई प्लेन एक मिनट चलता है तो उस पर 120 डालर खर्च होते हैं। यानी लगभग 4800 रुपये प्रति मिनट का नुकसान होता है और प्रतिदिन 160 किलोग्राम कार्बन डाईऑक्साइड भी उससे पैदा होती है। इस तरह से एक तरफ जहां आपके ईंधन का नुकसान होता है और ईंधन के लिए आप दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं और उसने पूरे साल के जो आंकड़े निकाले थे, उसके हिसाब से 1460 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

मैं समझता हूं कि इतने पैसे में आप कई एयरपोर्ट्स बना सकते हैं। इस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ जो कार्बन डाईऑक्साइड पैदा होती है, उससे पहले ही प्रदूषण के खिलाफ इस देश में हाय-तौबा मची हुई है। इसी कारण से बसें तक बंद कर दी गई हैं। लेकिन आपके जहाजों के द्वारा जो कार्बन डाईऑक्साइड पैदा होती है, मानव शरीर को उससे काफी नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर भी गौर करने की भी जरूरत है। इसके अलावा फ्लाइट्स में खान-पान की स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं बताता हूं कि आप किसी भी रूट पर चले जाइये, हिन्दी की पत्र, पत्रिका तक आपकी फ्लाइट्स में नहीं होती है। चाहे वह निजी कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो। एक तरफ साल में एक बार आप हिन्दी पखवाड़ा मनाते हैं हिन्दी के उत्थान और विकास के लिए, वहीं दूसरी तरफ आपके विमान में कहीं हिन्दी का अखबार या पत्रिका नहीं होते। इससे लगता है जैसे विभाग ने कसम खा रखी हो और वह हिन्दी से नफरत करता हो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक दिशा-निर्देश दें ताकि निजी और सरकारी कंपनियों के विमानों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हों।

एक जानकारी लेकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे चूंकि यह जानकारी लेने के लिए ही हम खड़े हुए हैं। यह मामला सिक्यूरिटी से जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी बड़े अच्छे आदमी हैं। वे हमें बताएं कि किस परिस्थिति में इंडिगो उड़ान भरता है। हमें जो जानकारी है, यदि वह सही हो तो आप बताएं कि किस परिस्थिति में उसे यहां उड़ान भरने की इजाजत दी गई। अगर गलत जानकारी हो तो हमें बता दें, हम अपनी गलत जानकारी के लिए खेद व्यक्त कर देंगे। चूंकि हमें जो मालूम हुआ है, इंडिगो का जॉइंट वैन्चर में दुबई की किसी कंपनी के साथ कारोबार चलता है। ग्राउंड हैंडलिंग के लिए उसने यहां आवेदन किया था। टैन्डर्स में चूंकि लोएस्ट उसी का था, इसलिए उसे मिल गया था। लेकिन उसको इसलिए टैन्डर नहीं दिया गया कि आई.बी. की रिपोर्ट थी कि इसके संबंध आतंकवादी संगठनों से हैं। उस रिपोर्ट में यह भी था कि पाकिस्तान में उससे मिला-जुला कोई संगठन है, पाकिस्तान सेना के कुछ अधिकारी उस कंपनी में काम भी करते हैं। यही आधार बनाकर उसकी ग्राउंड हैंडलिंग की अनुज्ञप्ति रद्द की गई। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसको ग्राउंड हैंडलिंग की इजाजत नहीं दी गई, उसको उड़ान भरने की इजाजत दी गई? क्या इससे सिक्यूरिटी पर खतरा नहीं है? अमेरिका की 9/11 की घटना तो भूलनी नहीं चाहिए। जहाज-बम पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ। इतनी बड़ी घटना हुई जिसका पूरी दुनिया में आज तक कोई जवाब नहीं मिला। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र संदेहास्पद हो और आपकी आई.बी. रिपोर्ट देती हो कि उसका संबंध आतंकवादी संगठन से है, उसका संबंध जितने भी पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उनसे है, पाकिस्तान की सेना से रिटायर्ड लोग जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उसके यहां काम करते हैं, इसके बाद भी अगर इजाजत दी गई है तो हम समझते हैं कि देश की सिक्यूरिटी के साथ यह भारी मजाक हुआ है। हम इस पर मंत्री जी के उत्तर का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही हम इस बिल का समर्थन करते हैं और चाहेंगे कि आप अपने उत्तर से हमें जरूर संतुष्ट करेंगे कि...* कौन है, इंडिगो कौन है और किस परिस्थिति में इसको देश में प्लेन उड़ाने की इजाजत दी गई जिसका आतंकवादी संगठनों से संबंध है। इसके साथ ही हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): सभापति महोदय, मैं विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का सभी हिस्सेदारों: एयरलाइन्स, ट्रैवल एजेंटों और कार्गो आपरेटरों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस विधेयक को तैयार करते हुए किसी हिस्सेदार से परामर्श नहीं किया। जब हम इस विधेयक का पुनरीक्षण करने वाली स्थायी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि जब वे स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए, तो सारे हिस्सेदारों ने कहा कि सरकार ने इस विधेयक को अंतिम रूप देते समय उनसे बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया।

खैर, जैसाकि यहां पहले भी कहा गया है, यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन हेतु नियमों की एकरूपता हेतु मांट्रियल कन्वेंशन को स्वीकार करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना चाहता है ताकि वह विश्व के अन्य सभी देशों की बराबरी पर आ सकें। हमने वर्ष 1929 में वार्सा कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था और उसके उपरांत वर्ष 1955 में हेग प्रोटोकोल नामक उस कन्वेंशन में संशोधन का अनुसमर्थन किया। अब हम वर्ष 1999 में पारित मांट्रियल कन्वेंशन के प्रमुख निर्णयों को लागू कर रहे हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

महोदय, हम इसके माध्यम से मुआवजे और मौजूदा उत्तरदायित्व उपबंधों के स्तरों में संशोधन करेंगे। यद्यपि थोड़ी देर होने के बाद भी, मुझे माननीय मंत्री को बधाई देनी चाहिए कि अब हम विमान यात्रियों को मृत्यु अथवा घायल होने पर बढ़ी हुई दर पर एक लाख रुपये स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एस.डी.आर.) और विवाद के न्याय क्षेत्र की भी पेशकश कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

शिकायतकर्ता अथवा यात्री के अधिवास के स्थान को भी सम्मिलित किया गया है। मुआवजे के अग्रिम भुगतान और स्फीतिक प्रवृत्तियों पर आधारित उत्तरदायित्व द्वारा समीक्षा का भी प्रावधान है। जहां तक यात्रियों का संबंध है तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है। परंतु कतिपय प्रश्न हैं कि यह कानून अन्य एयरलाइनों के साथ समझौते के अंतर्गत चल रही एयरलाइन्स को कैसे प्रभावित करेगा। एयरलाइनों के बीच सीट-शेयरिंग समझौते हैं। कानून के उपबंधों से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

महोदय, यात्रियों की मृत्यु अथवा घायल होने की स्थिति में दो-स्तरीय मुआवजे की व्यवस्था का प्रावधान है। यदि दुर्घटना एयरलाइन्स की गलती है तो वहां असीमित उत्तरदायित्व है। अन्यथा, एयरलाइन्स का उत्तरदायित्व एक लाख स्पेशल ड्राइंग राइट्स तक है। अब, एयरलाइन्स के उत्तरदायित्व का निर्णय कौन लेगा? विधेयक से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

मैं माननीय मंत्री से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि जब यह नियम अपनाया जाता है तो क्या एयरलाइनें बढ़ी हुई वित्तीय देयता को ग्राहकों पर डालेंगी जिससे एयरलाइनों के किराए में वृद्धि होगी। हम अनुरोध करेंगे कि इस विधेयक को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप निर्णय लेते समय घरेलू आपरेटरों को पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए।

महोदय, मैं सामान्यतः यह कहता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम है और इससे यात्रियों को अत्यंत लाभ होगा? और इस पर भी हिस्सेदारों द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है।

महोदय, सरकार हाल में नए विमानपत्तनों पर नीति नई नागर विमानन नीति लाई है और इसमें एक प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उस पर पुनर्विचार करें। नए विमानपत्तन की स्थापना हेतु प्रावधान है कि यह मौजूदा विमानपत्तन से 150 कि.मी. की दूरी में नहीं होना चाहिए। जहां तक इस प्रावधान का संबंध है तो देश में प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए कुछ रियायत है। हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हो सकते हैं जो मौजूदा विमानपत्तन से 150 कि.मी. की दूरी पर न हों परंतु जहां तक इस पर्यटन स्थल के विकास का संबंध है तो विमान सेवा से जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। केरल में इदुक्की जिला देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और हम वहां एक नया विमानपत्तन, मध्यम आकार का विमानपत्तन स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। निसंदेह, हम जानते हैं कि यह मौजूदा कोचीन विमानपत्तन से 150 कि.मी. की दूरी पर नहीं है परंतु इस तरह के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए रियायत देने की आवश्यकता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्रीजी को इस विधान को लाने पर बधाई देता हूं जो हमारे देश में निरंतर बढ़ते विमानयात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज विमानवहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए जो विधेयक पेश किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। इसमें आम जनता को छुने वाली बातें रखी गई है, जैसे कि सामान का नुकसान, वृद्धि एवं हानि है या किसी तरह का भी कोई नुकसान हो, उसके लिए उसे मुआवजा दिया जाए, यह बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, एन.डी.ए. के समय में माननीय अटल जी के नेतृत्व में बहुत सी योजनाएं जाहिर की गई थीं और उसमें एक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ही ऐसा था, जिसमें यह था कि सारे देश के एयरपोर्ट बड़े हों, उनमें सुविधाएं बढ़ें, उनका विकास हो, इंटरनेशनल वेज पर उसे बनाया जाए। उस कार्य को माननीय श्री प्रफुल भाई बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हर पार्टी के प्रतिनिधियों ने, माननीय सदस्यों ने इनकी प्रशंसा की है और हम भी कंसलटेटिव कमेटी के अंदर बहुत बार प्रसंसा कर चुके हैं कि यह सराहनीय काम हुआ है।

सभापति महोदय, लेकिन, फिर भी जिस गति से देश

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

का विकास हो रहा है, जिस गति से यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है, उस गति से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए और अधिक ध्यान रखने तथा कार्य करने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि देश में दिन प्रति दिन एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स बढ़ रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आज देश में 454 एयरपोर्ट हैं और उसमें डिफेंस के भी एयरपोर्ट आ जाते हैं। 399 एयरक्राफ्ट्स हैं और कुल 15 एयरलाइन देश में कार्यरत हैं, जिनमें कार्गो भी समाहित है। कार्गो की केवल एक ही है। इसलिए कार्गो को और महत्व देने की आवश्यकता है।

महोदय, कमेटी के अंदर एक संभावना पर बहुत बार चर्चा हुई है कि 2020 तक, एयरक्राफ्ट्स की संख्या लगभग 1000 तक हो जायेगी। अभी हमारे देश में 88 मिलियन डॉमैस्टिक पैसेंजर तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी पैसेंजरों की संख्या लगभग 30 मिलियन है। देश में धीरे-धीरे स्वदेशी और प्रवासी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कुल मिलाकर 180 मिलियन प्रवासी हमारे देश में आवागमन कर रहे हैं। यह संख्या वर्ष 2020 तक 280 मिलियन तक होने की संभावना है। जब देश में 280 मिलियन प्रवासी यात्री होंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा और उसके लिए किन-किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सब बातों पर आज विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, आज हमारे देश की आबादी मोर दैन वन बिलियन है। हमारी हवाई यात्रा थोड़ी बढ़ी है, लेकिन हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर भीड़ लगी रहती है। अन्य देशों की संख्या में यह बहुत कम है। अन्य देशों में जितने लोग हवाई यात्रा करते हैं, उनकी तुलना में हमारा स्थान बहुत नीचे है, फिर भी एयरपोर्ट पर जो रश हम देखते हैं, उसे आप समझ सकते हैं।

महोदय, प्लानिंग कमीशन के मुताबिक हमारी ग्रोथ 15 प्रतिशत है और यह बनी रहेगी। हमारे देश के दो मुख्य एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली और मुम्बई, जो ज्वाइंट वेंचर के अन्तर्गत हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन वहां जो भीड़ है, वहां जो सुविधाएं बढ़ानी हैं, उनके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं उन्हीं बातों को बार-बार कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। हमने देखा है कि अनेक बार हमारी फ्लाइट ऊपर ही घूमती रहती है और कभी-कभी तो 15-20 मिनट तक का टाइम लग जाता है और हम लेट हो जाते हैं। पायलट कहते हैं कि वी आर इन क्यू और बताते हैं कि एयरपोर्ट पर उतरने में हमारा 15 या 16 नंबर है; इसलिए हम इन्तजार कर रहे हैं।

महोदय, यह गलती आपकी नहीं है। भारत को आजाद हुए 60 साल हो गए हैं। अगर आजादी के बाद तुरन्त जब दिल्ली का एयरपोर्ट बना, तब यदि इसकी सही प्लानिंग की गई होती और आने वाले दिनों में बढ़ती यात्रियों की संख्या का ध्यान रखकर प्लानिंग की गई होती, तो यह दिक्कत नहीं आती। यह ठीक है कि आप दिन प्रति दिन एयरपोर्ट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, जिस तरह की डिजाइनिंग होनी चाहिए, वह नहीं बनी। इसी वजह से आज हमारी फ्लाइट इतनी दूर लैंड होती है कि वहां से सड़क तक आने में ही हमें 20 मिनट लग जाते हैं। अगर सही और पूर्व प्लानिंग होती और शासन करने वालों ने यदि इस बारे में पहले सोचा होता, तो ऐसा नहीं होता। इस देश की आबादी बढ़ रही है। अगर बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर देश के एयरपोर्ट बनाए गए होते, तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता, लेकिन इस बारे में जो ध्यान रखना चाहिए था, वह नहीं रखा गया।

महोदय, बैंगलोर और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स को आप ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। यह भी एन.डी.ए. के समय की बात है। एन.डी.ए. के समय में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का विचार बना, जिसे आप अब बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार अहमदाबाद एयरपोर्ट का भी आप रिबन काटकर आए हैं, यह भी अच्छी बात है, लेकिन उसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं जानता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब अहमदाबाद का महत्व भी बढ़ रहा है। वहां से ज्यादा यात्री, दिन प्रति दिन लंदन, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जहां गुजराती न हो। सबके साथ उनका कनैक्शन है, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक अहमदाबाद से लंदन और यूरोप को कोई डायरैक्ट फ्लाइट नहीं है। मैं इस बारे में अनेक बार कह चुका हूं कि वहां से लंदन, अमरीका और यूरोप के अन्य देशों हेतु डायरैक्ट प्लाइटें चलाई जाएं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। उन्हें लंदन या यूरोप के अन्य देशों में जाने के लिए पहले अहमदाबाद से मुम्बई आना पड़ता है और वहां से वे आगे की फ्लाइट

पकड़ते हैं। इसमें उनकी पूरी रात खराब हो जाती है, क्योंकि मुम्बई से सुबह 7 या 8 बजे फ्लाइट अमरीका या यूरोप जाती है। अगर डायरैक्ट फ्लाइट हो जाए, तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, कलकत्ता और चेन्नै एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी बना रही है। मेरे हिसाब से वहां लगभग 4 हजार करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं। यह भी ठीक है कि हम बाहर की एजेंसियों को भी काम दे रहे हैं, लेकिन हमें अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी को और काम देकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए और उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। आज 20 एयरपोर्ट्स पर माडर्न तरीके का डैवलपमेंट हो रहा है, उसमें मैंने आगे कहा कि गुजरात को भी जोड़ा जाये और गुजरात में जो एयरपोर्ट्स हैं, अभी आप पोरबन्दर जाकर आये हैं, वहां पोरबन्दर है, राजकोट है, सूरत है, भावनगर है, ऐसे जो हमारे बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज एयरपोर्ट्स पर सात हजार करोड़ रुपये का असैसमेंट हुआ है और सात हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने जो सुविधा कही, वह बनानी पड़ेगी।

बंगलौर और हैदराबाद एयरपोर्ट्स पर सिटी कनैक्टिविटी नहीं है। बंगलौर और हैदराबाद एयरपोर्ट्स इतनी दूर बने हैं, वहां सिटी कनैक्टिविटी नहीं है। उसमें स्टेट से जानकारी लेनी चाहिए और स्टेट को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। यह स्टेट का फर्ज है। अयर इतनी दूर एयरपोर्ट हो जायेगा तो जाने में लोग परेशान होंगे तो कैसे होगा। आज एयरपोर्ट्स को माडर्न करने के साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट पर भी दबाव डालना चाहिए कि वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा करें, सही रास्ता बनायें। दिल्ली एयरपोर्ट पर धीरे-धीरे बनने के कारण मैं कहता हूं कि वह ठीक तरह से नहीं हो पाया। जो माडर्न एयरपोर्ट बनते हैं, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा होनी चाहिए। अगर वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।

आज हम रेटिंग देखते हैं कि हायर स्तर की रेटिंग करें। वहां साढ़े तीन से चार तक की रेटिंग होनी चाहिए। उससे हमारी रेटिंग कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर रेटिंग का ध्यान रखा जायेगा तो आने वाले दिनों में और अच्छा लाभ होगा। आने वाले समय में एयर कार्गो के विषय में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ रहा है और घरेलू ट्रेड भी बढ़ रहा है, इसलिए कार्गो पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब अनेक लोग कार्गो में आएंगे, नये-नये बिजनेसमैन आएंगे और कार्गो का व्यवसाय बहुत बड़ा होगा।

कुछ प्राइवेट एयरलाइंस को आपने विदेश जाने की परमीशन दी है। अगर आप अधिक एयरलाइंस को विदेश जाने की परमीशन देंगे तो विदेश का किराया भी कम होगा। आज देश में लोग एयरलाइंस में क्यों आने लगे, क्योंकि एन.डी.ए. के समय में प्राइवेट एयरलाइंस चालू करने का निर्णय लिया गया। अब प्राइवेट एयरलाइंस इतनी ज्यादा आ गई हैं कि आज उनकी बीच में कम्पीटीशन है और कम्पीटीशन के कारण मेरे ख्याल से 2000-2200 रुपये तो गवर्नमेंट का टैक्स है और ऊपर का 200, 500 या 700 रुपया एयरलाइंस वालों को मिल रहा है। अगर अधिक फ्लाइट्स को विदेश जाने की परमीशन मिलेगी तो विदेश का टूर भी बहुत सस्ता और आसान हो जायेगा, क्योंकि कम्पीटीशन होगा।

दूसरे, एयरक्राफ्ट्स में हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि एयरक्राफ्ट को हवा में मैनेज करने के लिए दुनिया में जो उम्दा टैक्नोलोजी है, वह उम्दा टैक्नोलोजी हमें लानी पड़ेगी। जब हम उम्दा टैक्नोलोजी लाएंगे तो हम हवा में ऊपर भी फ्लाइट को कमांड कर सकते हैं और उसमें सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। यात्रियों का सामान इंटरनेशनल फ्लाइट में जब तक नहीं आता, तब तक उन्हें चिन्ता रहती है, वे खड़े रहते हैं कि मेरा सामान आयेगा कि नहीं आयेगा। कभी-कभी तो एयरपोर्ट्स पर हमारा सामान छूट जाता है, कभी-कभी फ्लाइट चेंज हो जाती है और 2-2, 3-3 दिन तक जिस बैग में कपड़े हैं, वही नहीं आता। वैसे में आने वाला इतना परेशान हो जाता है कि एयरपोर्ट से सीधे बाजार में जाता है और पहले पहनने का कपड़ा खरीदता है। इसके अन्दर श्योरिटी होनी चाहिए कि उसका सामान उसे मिलना चाहिए। आज इस बिल में उसके बारे में चिन्ता की गई है, यह बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में गया था, उसमें मैंने जो बैग उपयोग किया, वह दोबारा यूज करने लायक नहीं रहा, इतना भद्दा हो गया, खराब हो गया कि दोबारा नया बैग खरीदना पड़ता है। कभी-कभी तो उसके अन्दर से सामान की चोरी हो जाती है। कीमती सामान उसमें से चोरी हो जाता है।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

यह मैं नहीं कहता हूं, यह दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि एयरपोर्ट के अन्दर के सामान की चोरी होती है, डायरैक्ट वहां से चोरी होती है।

इसके साथ-साथ जो फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स होते हैं, जे क्लास वाले होते हैं, उनको भी आप एक ही लाइन में भेजते हो तो उनको बहुत दुख होता है। फर्स्ट क्लास, जे क्लास वाले जो लोग हैं, विदेश जाने वाले भी, उनकी अलग क्यू होनी चाहिए और जनरल वालों की अलग होनी चाहिए। अहमदाबाद में लम्बी कतार लगती है। वहां 11 बजे से लाइन लगती है और एक बजे अन्दर जाते हैं। हम लोग अगर कभी जाते हैं तो अपने आपको छिपाकर आगे पीछे जाना पड़ता है। लोग हमें बताते हैं कि देखो, तुम्हारा क्या चल रहा है। मेरी तो हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं अपने आपको छिपा भी नहीं सकता। आप कहें, उससे पहले मैंने बोल दिया।

विदेश के अन्दर हमारे लोग क्यों एयर इंडिया को पसन्द करते हैं। वे मानते हैं कि उसमें हमारा कोई भाई होगा। विदेश में भारतीय लोगों को सर्विस में रखना चाहिए, न कि अन्य लोगों को। अगर उसमें कोई भारतीय होगा तो अच्छी तरह से ध्यान रखेगा। विदेश में बगैर नोटिस जो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है, ऐसे में वहां एयरपोर्ट में जो भारतीय होते हैं, वे हिंदी समझ सकते हैं। हिंदी समझने के कारण आने वाले यात्री को आसानी रहती है। वे इंग्लिश बोलते हैं, वे हिंदी नहीं जानते है, हमारे गुजरात के लोग तो हिंदी भी नहीं जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते, जो बुजुर्ग लोग जाते हैं, वे वहां बहुत परेशान होते हैं। महोदय, अनायास जो रिजर्वेशन कैंसिल होता है, वह नहीं करना चाहिए। एयरपोर्ट में दूर-दूर से लोग आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि फ्लाइट कैंसिल। वे लोग कहां जाएंगे? किसी का वहां परिचित भी नहीं होता है।

सभापति महोदय: आप कांक्ल्यूड कीजिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अगर किराये में परिवर्तन होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। विदेशी यात्रियों को फ्लाइट के संदर्भ में कोई भी इन्फार्मेशन जल्दी नहीं मिलती है। मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपकी आज्ञा से जल्दी ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

अहमदाबाद के साथ सूरत, भावनगर, राजकोट, पोरबंदर इत्यादि एयरपोर्ट्स में फ्लाइट की संख्या बढ़ानी आवश्यक है। जो वहां ठेके पर काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कमेटी में उनके बारे में भी कहा था, वहां ठेके में हमारे भाई लोग हैं, जो मजदूर हैं, वे पन्द्रह-बीस सालों से ठेके पर काम कर रहे हैं। भले ही वे हमारे कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपना मानकर, जब इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो उन्हें परमानेंट करने का काम आप करिए। अहमदाबाद में मंत्री जी आप आए थे, तब मुझे बड़ी खुशी हुयी। जो एडवरटाइजमेंट दी गयी, उसमें एक राज्यसभा के सदस्य और दो लोकसभा के सदस्यों का नाम था, लेकिन अहमदाबाद में अन्य एमपीज लोग रहते हैं, उनका भी नाम हो, जहां भी आपका कार्यक्रम हो, वहां के स्थानीय एमपीज का नाम होना बहुत-बहुत जरूरी है।

अंत में तीन पंक्ति में बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अपने वक्तव्य में मैं हमेशा दो-तीन पंक्तियां बोलता हूं, शायद आपको भी पसंद आएं।

"हवाई अड्डा बनने जा रहा है बस अड्डा,
आगे पीछे लग रहा है एक दूसरे को धक्का।
यात्री बनकर रह जाता है हक्का-बक्का,
देखना है हवाई जहाज का न हो जाए जाम चक्का।
उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल पटेल,
लोग एयरपोर्ट आएंगे छोड़ के रेल,
संभालना है मुश्किल न हो जाए एयरपोर्ट का खेल,
ओ माननीय मंत्री श्री प्रफुल भाई पटेल।"

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): महोदय, मुझे विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के आरंभ में कहा है, यह विधेयक मॉन्ट्रियल कन्वेशन का अनुमोदन करने के लिए लाया गया है। जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा है, इसका मुख्य उद्देश्य मुआवजे के मामले में हमारे भारतीय यात्रियों को अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के समकक्ष लाना है। इस प्रकार, वर्तमान मुआवजे की राशि में सीधे तीन से चार गुना वृद्धि होने जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष

इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी यह मुद्रास्फीति के अनुसार स्वतः ही बढ़ती रहेगी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि अन्य लोगों ने उल्लेख किया है, इसमें मृत्यु होने या चोट लगने की स्थिति में अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है। इसमें यात्री को, कानूनी वाद की स्थिति जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उसका निवास स्थान आता है, उसे भी चुनने की अनुमति दी गई है। इसमें जिम्मेदारी निर्धारित करने की व्यवस्था में भी एकरूपता लाई गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बहुरुपता समाप्त हो गई है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इसी के साथ-साथ, मैं अन्य माननीय सदस्यों की भांति मंत्री महोदय को उनके द्वारा गत चार वर्षों में किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए बधाई देता हूं। गत चार वर्षों में नागर विमानन उद्योग में भारी प्रगति हुई है और मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय सरकारी विमान कम्पनी, इंडियन, को लेकर अधिक चिंतित रहे हैं तथा यह निजी उद्योग के सम गति बनाए हुए है। मुझे विश्वास है, कि इंडियन और एयर इंडिया के विलय का इच्छित परिणाम हासिल हुआ है और यह इस दिशा में बढ़ रहे हैं।

मैं आपको अपनी चिंताओं से अवगत करा दूं। यद्यपि, इस विलय और अन्य चीजों से ये सरकारी विमान कंपनियां निजी उद्योग के समकक्ष आ गई हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। दो कारणों से अभी भी सरकारी कंपनियों को बने रहना चाहिए। पहला, इन्हें निजी उद्योग की तुलना में भाड़ा कम रखना चाहिए और दूसरा इन्हें गुणवत्ता के वे मानक स्थापित करने चाहिए जिनका अन्य उद्योग पालन करें। इस संबंध में हमारी विमान कंपनियां बहुत अच्छी हैं, जो समय आदि का ध्यान रखती हैं परन्तु इन एयरलाइनों के कर्मियों की सेवाएं अपेक्षा से कहीं कम हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस तथ्य का संज्ञान लेने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि सरकारी एयरलाइनों के कर्मियों को यह पता होना चाहिए कि निजी एयरलाइनों की उच्च गुणवत्ता के समकक्ष सेवा प्रदान करने हेतु किस प्रकार एक कार्य-संस्कृति विकसित की जाए। आपको उन्हें उन्हीं स्थानों पर प्रशिक्षण दिलाना चाहिए जहां निजी एयरलाइनें अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करा रही हैं।

मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करने जा रहा हूं। मैं यह जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि यदि मंत्रालय चाहे तो भी वह 30 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को विमान में सेवा से हटाकर नीचे किन्हीं अन्य कार्यों में नहीं लगा सकता। लेकिन मुझे यह लगता है कि हमें इस पर समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उड़ानों में युवा महिलाओं को रखना चाहते हैं परन्तु हम यह चाहते हैं कि ऐसे युवक और युवतियां विमान में कार्यरत हों तो आवश्यकतानुसार तेजी से कार्य कर सकें।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। भारत और भारतीय युवा गतिशील हैं और इस उद्योग का विस्तार हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं - जैसा कि कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी अनुरोध किया है - कि इसका विस्तार छोटे शहरों तक भी किया जाए। ऐसे कई और शहर हैं जहां विमानपत्तन हैं परन्तु वे अनुपयुक्त पड़े हैं। सलेम का ही उदाहरण लेते हैं। वहां विमानपत्तन है और वह अपनी सेवाएं दे सकता है। लेकिन, दुर्भाग्यवश उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से इन विमानपत्तनों को उपयोग में लाए जाने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास अपना विमान निर्माण उद्योग है, जिसका इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। हम, कम-से-कम 15 सीटों वाले छोटे विमान तो बना ही सकते हैं। मेरे विचार से मंत्री जी को एच.ए.एल. के उत्पादों को उपयोग में लाते रहना चाहिए।

अंत में, केरल के संसद सदस्य हमेशा से यह कहते आ रहे हैं कि उनके यात्री अन्य यात्रियों की तुलना में अधिक भुगतान करते हैं। संसद में कई बार ऐसा सुना गया है। लेकिन केवल केरल के संसद सदस्य ही इस बात को उठा रहे थे। अब मैं भी इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए क्योंकि इस पर संसद में तीन या चार बार से अधिक चर्चा की जा चुकी है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं नागर विमानन मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूं और इसके लिए उन्हें बधाई भी देता हूं। वास्तव में विमानवहन अधिनियम, 1972 के अंदर कुछ कमियां रह गई थीं और मांट्रियल कन्वैंशन की शर्तों को सम्मिलित करना अत्यन्त आवश्यक था। पहले वाले अधिनियम

[प्रो. रासा सिंह रावत]

में केवल हेग प्रोटोकॉल और वारसा कन्वैंशन की बातें ही थीं। चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों से बंधा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक था कि उन सारी बातों को भी हम सम्मिलित करते। यात्रियों की क्षति के बारे में, मृत्यु के बारे में, सामान खो जाने के बारे में या और कोई दुर्घटना वगैरह हो जाने के बारे में उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसके बारे में जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे मित्रों ने जो कहा, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सेफ्टी, सिक्युरिटी और पंकचुएलिटी - इन तीन चीजों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। समझदार को इशारा काफी।

मैं अजमेर के बारे में कहना चाहता हूं। अजमेर अंतर्राष्ट्रीय आस्था का केन्द्र है और लाखों हिन्दु, मुसलमान आदि दरगाह ख्वाजा साहब जाते हैं। हमारे पूर्व विमानन मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने घोषणा की थी कि वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग तीन-तीन जगह गए थे, सर्वे कर लिया था, जगह देख ली गई थी, उसकी एक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जमीन नहीं दी। उसके बाद दूसरी सरकार आई। उसने प्रयास किया तो इधर से मामला ठंडा पड़ गया। आप भी कई बार अजमेर पधारे हैं, पुष्कर भी जाते हैं, वहां बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, सिंधी समुदाय के लोग सारे विश्व के अंदर फैले हुए हैं और हिन्दुस्तान के विभाजन के बाद अजमेर में लाखों की संख्या में आबाद हैं। वहां तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भी लोग आते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गण, विभिन्न पार्टियों के अध्यक्ष, बड़े-बड़े नेता सब अजमेर गए हैं और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि अजमेर में हवाई अड्डा बनना चाहिए। यदि वहां हवाई अड्डा होगा तो उन्हें भी सुविधा रहेगी क्योंकि जयपुर उतरकर अजमेर जाना बंगलादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए या प्रवासी लोगों के लिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विषय को अलग से नियम के तहत लाइए, आज केवल बिल पर बोलिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। आपके बिहार से बहुत लोग आते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बिल पर चर्चा हो रही है, इसलिए आप उसके बारे में बोलिए।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत: जितने भी आश्वासन दिए गए, उन आश्वासनों की पूर्ति कब होगी। अब यह कहा जा रहा है कि जयपुर से अजमेर 150 किलोमीटर से कम है, इसलिए नहीं हो सकता। आप अब उन शर्तों को भी थोड़ा ढीला कर रहे हैं और प्राइवेट एयरवेज को भी मौका दे रहे हैं। आप किशनगढ़ की बात कह रहे हैं। किशनगढ़ में छोटी हवाई पट्टी है। उसका विकास करके या फुल-फ्लैज्ड एयरपोर्ट बनाइए,...*(व्यवधान)* नासिक का थोड़ा दूर पड़ेगा और आने-जाने में दिक्कत पड़ेगी। इसलिए वह अजमेर के पास बने, तो मैं समझता हूं कि दरगाह आने वाले लाखों जायरीनों को, पुष्कर आने वाले लाखों यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। राजस्थान के बीचों-बीच होने से उसे अन्य स्थानों से भी जोड़ा जा सकता है। इससे दिल्ली का रश भी कम होगा। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में आप विशेष ध्यान देंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं पुनः मंत्री जी को बधाई देते हुए आश्वासन चाहूंगा कि आज अपने मुखारविंद से अवश्य कुछ कहें, सकारात्मक आशीर्वाद दें।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1999 में हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद 69 देश इसका अनुमोदन कर चुके हैं। यद्यपि हम एकदम नए जेट विमान खरीद रहे हैं और ध्वनि की गति से भी तेजी से उड़ान भर रहे हैं, फिर भी हमें यह कानून बनाकर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अनुमोदन करने में आठ वर्ष से थोड़ा अधिक समय लगा।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके लागू होने के बाद विमान यात्रा के दौरान मरने वाले लोगों के लिए अधिक मुआवजा मिलेगा। तथापि, मैं एक विडंबना को इंगित करना चाहता हूं तथा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें। किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय भी यह मुआवजा पाने के लिए बहुत खुशकिस्मत होना पड़ेगा। निश्चित रूप से मरने वाला खुशनसीब नहीं होता। संभवतः कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि यदि वे मर गए तो

उन्हें मोक्ष मिलेगा। यह मुआवजा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी विशेष तरीके से मरना होगा। केवल उन्हीं व्यक्तियों को यह मुआवजा मिलेगा जिनकी विमान में यात्रा करते समय या विमान में चढ़ते या उतरते हुए हुई दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या चोट लगी हो।

यदि हवाई पट्टी को छूने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे यह मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति उस समय जब उसने सीढ़ी पर पैर न रखा हो, या उसने वास्तव में विमान में प्रवेश न किया हो और टर्मिनल की इमारत में ही मृत्यु हो गई हो, तो उसे यह मुआवजा नहीं मिलेगा मैंने मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि गत तीन-चार वर्षों में कितने लोग एयरलाइनों की टर्मिनल इमारतों में मारे गए हैं। मंत्री जी ने मुझे यह लिखित उत्तर दिया था कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है क्योंकि विभाग इसका रिकार्ड नहीं रखता। इसलिए, मैं मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यात्री और एयरलाइन के बीच का समझौता तब आरंभ होता है जब यात्री यात्रा आरंभ कर देता है। जब वह एयर टर्मिनल में प्रवेश करता है तो यह भी उसकी यात्रा का हिस्सा ही होता है। अभी जो मुआवजा दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है उसकी सीमा एक यात्री द्वारा टिकट खरीदकर वास्तव में यात्रा आरम्भ कर देने के पश्चात शुरू होती है जिसका कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित किए जा रहे एयर टर्मिनलों के परिसर में प्रवेश करने के बाद दुर्भाग्यवश हुई मृत्यु तक आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि 100,000 रुपये है। 100,000 रुपये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। एक मनुष्य की जान गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका की उड़ान पर है तो वह हवाई यात्रा के टिकट के रूप में क्षतिपूर्ति की राशि के आधे का भुगतान करता है। इसलिए, मैं कहूंगा कि इसे बहुत बड़ी राशि नहीं समझा जाना चाहिए। तथापि, चूंकि हम इस समय हम एक संधि पर वास्तव में हस्ताक्षर करने जा रहे हैं और यह संधि पहले की गयी संधि को प्रतिस्थापित करेगी, जो एक स्वागत योग्य कदम है। तथापि, यह क्षतिपूर्ति मात्र 100,000 रुपये नहीं होनी चाहिए। जैसाकि मंत्री जी ने कहा है मुद्रास्फीति के साथ-साथ यह राशि भी बढ़ेगी। इस समय जिस दर से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, यात्रियों को बढ़ी हुई प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

हमें वास्तव में यह सुनिश्चित करना होगा कि जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है वह वृद्धि से जुड़ी हो। यह क्षतिपूर्ति उस राशि के अतिरिक्त होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति विशेष में अन्य बीमा पॉलिसी के तहत मिल रही है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे जहां तक घरेलू यात्रियों की बात है, क्षतिपूर्ति का यह प्रावधान केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कवर करता है। वास्तव में घरेलू यात्रियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पुणे के किसी यात्री को मुम्बई से कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़नी है और उसे विदेश जाना है। यदि मुम्बई से विदेश यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको इस नियम के तहत कवर किया जाता है लेकिन यदि पुणे से मुम्बई के बीच उड़ान के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह इसके तहत कवर नहीं किया जाता। हमें इस पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी घरेलू यात्रियों को भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री के समान समझा जाए। इसका कारण है कि जो एयरलाइन्स अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भर रही है वे घरेलू उड़ानें भी भर रही हैं। इसलिए, यह अपेक्षित है कि घरेलू यात्रियों को भी यह सुविधा दी जाए।

दूसरा मुद्दा अधिकार क्षेत्र का है। जो प्रावधान है उसके अनुसार यात्रियों के निवास क्षेत्र भी इसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। यह स्वागत योग्य बात है अन्यथा अगर कोई एयरलाइन न्यूयार्क में पंजीकृत है तो यात्री को न्यूयार्क में मुकदमा करना होगा चाहे यात्री ने वस्तुतः मुम्बई में टिकट क्यों न खरीदा हो। इसलिए यह स्वागत योग्य है लेकिन इसमें यह बात स्पष्ट की जानी है कि अधिकार क्षेत्र यात्री के पसंद के आधार पर होनी चाहिए न कि एयरलाइन्स के पसंद के अनुरूप हो। जब आप निवास स्थान की बात करते हैं तो कृपया यह सुनिश्चित करे कि नियम पर्याप्त तरीके से बने जिससे कि यात्रियों को धोखा न दिया जा सके और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे-मारे न फिरें। यह वास्तव में किया जाना चाहिए।

दावे के निपटान के संबंध में मैं समझता हूं कि हमें एक समय-सीमा तय करनी चाहिए क्षतिपूर्ति के संबंध में हम यही करने जा रहे हैं। होता यह है कि एयरलाइन्स क्षतिपूर्ति के लिए मान भी जाए तो इस तरह के दावे के निपटान में काफी समय लग जाता है। इसके निपटान के लिए व्यक्ति को कई चैनलों से गुजरना पड़ता है इसलिए यह प्रावधान करने की जरूरत है कि वास्तव में इसका निपटान कैसे हो।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

अन्य बात जो यात्रियों के दिमाग में हमेशा रहती है यह है। सामान्यतः सामान के लिए दिया जाने वाला हर्जाना सामान के प्रति किलो वजन के हिसाब से तय किया जाता है। अब कल्पना कीजिए कि केवल थैले के वजन को हर्जाने का मानक कैसे मान सकते हैं कि किसी यात्री को कितना नुकसान हुआ है? यदि कोई व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान कागजात थैले में ले जा रहा हो, और वह खो जाए तो हो सकता है इसका वजन बहुत कम हो लेकिन उसका नुकसान उस बहुत भारी सामान की तुलना में ज्यादा होगा जिसका मूल्य कुछ भी नहीं है। इसलिए, थैले में क्या है, हर्जाना इस बात पर निर्भर होना चाहिए। गणना के समय इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए कि कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस विधेयक के पृष्ठ सं. 7 पर अध्याय-तीन के खंड 3 पर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है: वहनकर्ता जांच किए गए सामानों की क्षति को स्वीकार करता है अथवा जांच किए गए सामान जब निर्धारित स्थान पर 21 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचता है तब उसकी क्षति को स्वीकार करता है। क्या मंत्रीजी सोचते हैं कि सामान पहुंचने के लिए 21 दिन का समय उचित है? इसके बाद यात्री हर्जाना पाने का हकदार होता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे एक उचित समय निर्धारित करे न कि इतना लम्बा समय तय करे।

यह कहते हुए मैं समाप्त करूंगा कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सामान्य तौर पर हवाई अड्डों के जीर्णोद्धार, नए हवाई अड्डों के बनाने, नए विमानों के खरीदने और भारी विरोध के बावजूद भी इनका पुनरुद्धार करने में हमारे मंत्री जी हमेशा बहुत सक्रियता दिखाते रहे हैं। इसलिए यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं मंत्री जी से न केवल विधेयक में जो, मांट्रियल प्रोटोकॉल की संपुष्टि करता है बेहतर सुधारों को लाने का अनुरोध करता हूं बल्कि प्रोटोकॉल में भी कुछ सुधार लाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि प्रोटोकॉल की संपुष्टि का मतलब यह नहीं है कि हम उसी बात को स्वीकार कर लें। हम इससे आगे भी जा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारतीय यात्री के साथ अच्छा व्यवहार हो न कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाए।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, इस विधेयक पर बहुत बोलने की गुंजाइश नहीं है। यह बहुत सीमित है। मैं यह नहीं जानना चाहता कि मांट्रियल कन्वेंशन की संपुष्टि करने में आठ साल क्यों लगे। राजग सरकार से चार के लिए और संप्रग सरकार को भी चार साल लग गए। इसलिए, मामला बराबर का है। मांट्रियल कन्वेंशन की मुख्य विशेषता यात्री की मृत्यु होने या चोट लगने या सामान खो जाने से संबंधित है। मेरी आशंका है कि इस विधेयक के अनुसमर्थन के बाद घरेलू हवाई उड़ानों में किराया बढ़ जाएगा। इसलिए, माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करें कि ऐसा न हो और एयरलाइन्स भारत के आम आदमी के लिए हों।

इस संबंध में मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। भारत में मालवाहक विमानों के संबंध में वास्तव में कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। भारत एक विशाल देश है और माल ढुलाई के लिए हमें वास्तव में एक समर्पित एयरलाइन्स की जरूरत है और सरकार को इस नीति को अवश्य आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले और सरकार भी शुरुआत करे। आज 21वीं शताब्दी में भी हमारे पास सही स्थानों पर सही समय पर सामान पहुंचाने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय इस बाधा को दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम तथा नीतियां ला सकती है।

विधेयक की चर्चा से अलग हटकर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आजकल अक्सर विमानों में तकनीकी खराबी की रिपोर्ट आती रहती है जिसके कारण विपथन, आपात लैंडिंग आदि होती रहती है। इतनी घटनाएं हो रही कि परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और सरकार की ओर से एक समुचित नीति होनी चाहिए जिसकी दुर्भाग्यवश कमी है। माननीय मंत्री जी बहुत ही ऊर्जावान हैं लेकिन हम उनके मंत्रालय से एक दृढ़ नीति और दिशानिर्देश की उम्मीद करते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग हज और अन्य राजसहायताओं के बारे में बात करते हैं। हमारे मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जो कि हिन्दुओं और बौद्ध दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थल हैं। मुझे नहीं पता कि इस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय की सहायता से चीन की सरकार के साथ कोई चर्चा की है, जिससे कि हमारे लोग हर साल वहां जा

सकें। संभवतः हिन्दु वहां केवल कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं और बौद्ध अधिक समर्पित हैं।

[हिन्दी]

वे तो पूरे लेट-लेट कर चलते हैं और परिक्रमा पूरी करते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज मौका मिला इसलिए मैं मंत्री जी से कह रहा हूं। आज भले ही इसका जवाब आप न दें, लेकिन इस विषय पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कीरेन रिजीजू: मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि मैं नार्थ-ईस्ट से आता हूं इसलिए यह कह रहा हूं। मैं अखिरी सुझाव देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक और बात कहूंगा। आपने पूर्वोत्तर के लिए एक समर्पित विमान गलियारे की बात की है। वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया है; नागर विमानन मंत्री जी खारसिंगसा में एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन को आरंभ करने हेतु वहां उपस्थित थे। इसमें इतना विलंब हुआ है कि मुझे यह महसूस होता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह प्राप्त नहीं होगा। मुझे एक गंभीर शंका है। हमें संसद सदस्य होने के नाते एक वर्ष में 32 विमान टिकट मिलते हैं और अब यह 34 हो गए हैं, लेकिन मैं वर्ष के पहले दो महीनों में ही उनका उपयोग कर लेता हूं। हमारे यहां रेल सेवा नहीं है।

[हिन्दी]

हम लोग तो एयर सर्विस का ही यूज करते हैं इसलिए हमारे ये 34 फ्री एयर जर्नी एक साल के पहले दो महीने में ही पूरे हो जाते हैं। बाकी के समय में हम अपनी पॉकेट से पैसा देकर आते-जाते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया विषय पर आइए।

श्री किरेन रिजीजू: हमें सत्र के लिए टिकट मिलते हैं। अतः, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समर्पित एयरलाइन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें कभी-कभी 2000 रुपये के टिकट की सुविधा का उपयोग करना पड़ता है। मंत्री जी तो बड़े अनुभवी हैं, कृपया इसे गंभीरता से लें।

सभापति महोदय: आप विषय से आगे जा रहे हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी तो कहना पड़ेगा। आपने नार्थ-ईस्ट सांसदों के साथ जो बैठक की थी, उसे आप गम्भीरता से लें और उस पर कार्यवाही करें। यह मेरी आपसे दरख्वास्त है।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि वे एक ऐसा समय यह विमानवहन विधेयक, 2007 लेकर आए हैं जब नागर विमानन क्षेत्र बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और अधिकाधिक यात्री विमान से यात्रा कर रहे हैं।

पहले बोलने वाले अधिकांश वक्ताओं ने इस विधेयक के गुण दोषों के बारे में बात की है। इस विधेयक से यात्रियों को कुछ लाभ मिलेंगे। इसका विस्तार कर इसमें यात्रियों के निवास स्थल को सम्मिलित किया गया है, मृत्यु होने अथवा शारीरिक चोट लगने पर अग्रिम भुगतान का प्रावधान है और मुद्रास्फीति के आधार पर देनदारी की सीमा की समीक्षा किए जाने का प्रावधान भी है जिससे कि इस केन्वेंशन को संशोधित करने की आवश्यकता न रहे। यात्रियों की मृत्यु होने अथवा चोट लगने की स्थिति में द्वि-स्तरीय मुआवजा प्रणाली का प्रस्ताव है। यहां मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मुआवजे की निर्धारक या निर्णायक एजेंसी कौन है। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि मुआवजा दिया जा रहा है? और यदि मुआवजा नहीं दिया जाता तो एयरलाइनों पर भुगतान करने हेतु कितना जुर्माना लगाया जाएगा?

महोदय, वर्तमान विधेयक में घरेलु उड़ानों को सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार घरेलु यात्रियों को भी इसमें शामिल करने हेतु ऐसा ही प्रावधान अधिसूचित करेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का

[डा. के.एस. मनोज]

ध्यान देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड हैंडलिंग कार्य में लगे श्रमिकों की जिंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केवल कोचीन विमानपत्तन में ही नहीं अपितु मुझे विश्वास है कि अन्य सभी विमानपत्तनों पर भी नैमित्तिक श्रमिक कार्यरत हैं जो यह कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो उन्होंने अपनी जमीन दी है या वे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। वे पिछले 10-12 वर्षों से वहां कार्यरत हैं परन्तु उन्हें नियमित नहीं किया गया है। उन्हें अभी भी न्यूनतम दैनिक मजदूरी मिल रही है। वे एयर इंडिया के कर्मचारी हैं। अब ग्राउन्ड हैंडलिंग कार्य निजी ठेकेदारों को दिया जा रहा है...*(व्यवधान)* निजी ठेकेदारों द्वारा उन दैनिक मजदूरों को कार्य पर नियुक्त किया जा रहा है जिनकी पूर्ववृत्त का पता ही नहीं है। इन श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। अतः मैं सरकार व माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करे, जो पिछले कई वर्षों से वहां कार्यरत हैं और उनके वेतन में वृद्धि करे।

जैसा कि प्रभुनाथ सिंह जी ने इंगित किया है, ये निजी ठेकेदार सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यदि मैं सही हूं, तो यह पता लगा है कि महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ग्राउन्ड हैंडलिंग कार्य के लिए निजी ठेकेदारों की सेवाएं लेने के प्रति सहमत नहीं थे। अतः मैं मंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। जो कर्मचारी वहां इतने वर्षों से कार्यरत हैं उन्हें नियमित किया जाए और बेहतर वेतन दिया जाए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, धन्यवाद वास्तव में, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। इस विधेयक का विरोध करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हेग प्रोटोकॉल और वारसा कन्वेंशन के पश्चात हमें 1972 में विमानवहन अधिनियम बनाने में लगभग 18 वर्ष लगे। अब इस विधेयक के माध्यम से मॉन्ट्रियल कन्वेशन के अनुच्छेद और इसके निर्णयों को विमानवहन विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा। अतः यह एक स्वागत योग्य उपाय है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पृष्ठ 6 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं: "विमान कंपनी की जिम्मेदारी और क्षति के लिए मुआवजे की सीमा" आज के परिप्रेक्ष्य में 1 लाख रुपये बहुत कम हैं। इसे एक समुचित सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि मानव जीवन - जिसकी हानि होने जा रही है, यदि उसकी हानि होती है - भगवान न करे कि ऐसा हो - अमूल्य है। तकनीकी खराबी, एक ऐसा बहाना है जो सभी एयरलाइनें खराब मौसम के कारण, उड़ान में विलंब के लिए आमतौर पर अपनाती चली आ रही हैं। जब किसी उड़ान में असाधारण विलंब होता है और आप उनसे उसके बारे में पूछते हैं तो ये कहते हैं कि तकनीकी खराबी है। हम यह नहीं जानते कि तकनीकी खराबी क्या चीज है। हम एयरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं हैं। लेकिन, यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में, आपको यह भी सम्मिलित करना चाहिए कि आज विमानों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा हथियारों के रूप में किया जा रहा है। 9/11 का उदाहरण ही लें। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण कोई विमान आपातकालीन परिस्थितियों में किसी आबादी वाले स्थान पर उतर जाता है तो ऐसे में हमेशा न केवल यात्रियों अपितु उस जमीन पर रहने वाले लोगों के भी जीवन की हानि होती है वहां विमान उतरता है। बहुत से नागरिक मारे जाते हैं। अतः, उनके लिए भी मुआवजे का पैकेज दिया जाना चाहिए। विमान गिरने के कारण लोगों को अपना जीवन खोना पड़ता है।

आज, मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि बहुत-सी निजी एयरलाइनें आ गयी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से सामान लादने, सुरक्षा जांच आदि से लेकर खाना पकाने तक सब कुछ हथिया लिया है। अतः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन निजी एयरलाइनों को जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, वह इनके लिए उनसे कितना शुल्क वसूल कर रहा है। विमानपत्तनों पर इंजीनियर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। विमानपत्तनों के अंदर दोषपूर्ण प्रबन्धन के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। हाल ही में एक महिला इंजीनियर को दिल्ली विमानपत्तन पर अपनी जान गंवानी पड़ी। अतः सभी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। उस महिला को मुआवजा किससे मिला? क्या विमानपत्तन प्राधिकरण से मुआवजा मिला अथवा निजी एयरलाइंस से जहां वह कार्य करती थीं। हमें इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहिए। वैसे यह एक अच्छा विधेयक है। श्री सुशील मोदी उप-मुख्य मंत्री के साथ क्या हुआ? उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि अपहरणकर्ताओं द्वारा इन विमानों का उपयोग किया जा रहा है। श्री कटियाल एक

यात्री को अपनी जान गंवानी पड़ी थी जब एक विमान का नेपाल से कंधार अपहरण कर लिया गया था। अपहरण सामान्य हो गया है और इन विमानों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विमान यात्रा अधिक सुरक्षित बनाने हेतु मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इन बिन्दुओं पर ध्यान दें।

सभापति महोदय: श्री देव कृपया अब समाप्त करें।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, पूर्व क्षेत्र की अपेक्षा की गई है। मैंने मंत्री को भी एक पत्र लिखा था। कालाहांडी के सुन्दरगढ़ और उत्केला में जयपुर से झारसुगुडा से राउलकेला तक एक वायुदूत सेवा कार्य करती थी, इन चार हवाई पट्टियां हेतु ए.टी.आर. सेवाओं की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी इन सेवाओं को आरंभ करेंगे? क्योंकि वहां भारी संख्या में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। अनेक बाक्साइट खानें वहां विकसित की जा रही हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप विधेयक से बाहर की बात कर रहे हैं।

नागर विमानन मंत्री के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों जिन्होंने इस विधेयक के पारित करने में इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया इनके प्रति अति आभार व्यक्त करता हूं। 23 माननीय सदस्यों सहित एक पूर्व नागर विमानन मंत्री जिन्होंने इस चर्चा को आरंभ किया, इस विधेयक पर विस्तृत रूप से भाषण दिया। अधिकतर सदस्यों ने न केवल इस विधेयक के बारे में बोला अपितु इस देश के समस्त विमानन क्षेत्र के बारे में भी बोला। यह बदलते समय की ओर संकेत करता है तथा विकास तथा देश की अर्थव्यवस्था हेतु इस क्षेत्र की प्रासंगिकता को भी दर्शाता है। देश को आपस में जोड़ने में वायु संपर्क का अपना ही महत्व है।

महोदय, इस विधेयक का मूल उद्देश्य जैसाकि सभी माननीय सदस्यों ने बताया मौन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 की हमें पुष्टि करनी है। इसके पूर्व में विमानवहन अधिनियम, 1972 था, जैसा कि आप सब जानते हैं कोई भी देश वायु सेवाओं से अलग-थलग नहीं रह सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय नयाचार से यह संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) विमानन क्षेत्र का शीर्ष निकाय है। यह विभिन्न नियम और विनियम बनाता है तथा देशों को उन नियम और शर्तों जिन पर वे सहमत होते हैं के आधार पर विधान पारित करना होता है जिसे सदस्य देशों द्वारा स्वीकार करना होता है। मौन्ट्रियल कन्वेंशन उन समझौतों में से एक है जिस के बारे में सभी सदस्य देश सहमत थे कि यात्रियों को मृत्यु, घायल तथा कारगो, सामान खोने आदि की स्थिति में दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में कतिपय बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। मुआवजा की राशि के बारे में जिस पर अनेक माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए थे के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। परन्तु चूंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय नयाचार है इसलिए सभी सदस्य देश को सहमत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत में यात्री अधिक मुआवजे की मांग करेगा और अमेरिका या फ्रांस में यात्री को कम मुआवजा मिलेगा। इस बारे में समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसीलिए दिया जाने वाला मुआवजा, जिसका उपबंध किया गया है मौन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार होना ही है।

कुछ सदस्यों ने घरेलू मुआवजे की बात की है। इस मुद्दे को श्री सुरेश प्रभु, श्री मेहताब तथा अन्य सदस्यों ने उठाया था। उनका कहना था कि यह मात्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर ही लागू होता है। यह सही नहीं है। मौन्ट्रियल कन्वेंशन का आधार अंतर्राष्ट्रीय नयाचार है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी शामिल है। परन्तु जहां तक घरेलू मुआवजे की बात है उल्लिखित इन सभी मापदंडों हेतु घरेलू यात्रा का सम-स्तर है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुआवजे के बराबर है जो इस समय संबंधित एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को दिया जा रहा है। ऐसा पृथक अधिसूचना द्वारा किया गया जिसके लिए विमानवहन अधिनियम में समर्थकारी प्रावधान पहले से ही हैं। अब जब भी यह विधेयक सभा द्वारा पारित हो जाएगा और अधिनियम बन जाएगा तब हम अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों के बीच समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए घरेलू यात्रियों को अधिक मुआवजा देने हेतु पृथक दिशा निर्देश जारी करने पर निश्चित ही विचार करेंगे। ऐसी कोई भी आशंका नहीं है कि घरेलू यात्रियों को दुर्घटना की स्थिति में कम मुआवजा दिया जाएगा।

महोदय समान श्रेणी (लेवल पलेयिंग फील्ड) के बारे में कुछ बातें कही गईं थीं। प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी और इकोनोमी श्रेणी के बीच थोड़ा अंतर है। मेरे विचार से हम सब सहमत हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है। सभी श्रेणी के यात्री समान होते हैं। दुर्घटना, घायल या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा विभिन्न शर्तों के अनुरूप नहीं होगा।

[श्री प्रफुल पटेल]

परन्तु इस बारे में हम सब को संवेदनशील होना चाहिए। श्री सुरेश प्रभु ने घरेलु यात्री को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में भी यह बात कही थी। जैसा कि मैंने कहा इस बारे में भारत सरकार द्वारा संभवतः पृथक अधिसूचना जारी की जाएगी।

महोदय, श्री महताब ने मौन्ट्रियल कन्वेंशन में जोड़े गए 'फिफ्थ जुरिस्डिक्शन' की बात कही थी। मेरे विचार से यह यात्री के लाभ की बात है क्योंकि यात्री अपना दावा अपने ही देश में दायर कर सकेंगे। यदि कोई अमरीका या यूरोप जा रहा है और एयरलाइन की वहां दुर्घटना हो जाती है तो यात्री को इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उसे मुआवजा मिलेगा या नहीं, या कि उस देश में दावा दायर करने पर ही उसे मुआवजा दिया जाएगा या प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुत परेशानी होगी। यदि कोई यात्री अमरीका की सप्ताह या 15 दिनों की यात्रा पर है तो यह संभव नहीं है कि वह वापस अमरीका जाकर वकील करे ताकि यूनाइटेड स्टेट्स केरियर द्वारा मुआवजा प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में विधान का महत्व ही निष्फल हो जाएगा। इसलिए, इस प्रावधान में मौन्ट्रियल कन्वेंशन में 'फिफ्थ जुरिस्डिक्शन' शामिल किया गया है जिसके तहत यात्री अपने देश में दी प्रतिपूर्ति हेतु दावा दायर कर सकता है। हमारे देश के यात्री को यहां दावा दायर करने में सुविधा होगी।

मेरे विचार से उठाए गए अन्य मुद्दे मुआवजा राशि को लेकर थे। इसका मैंने उत्तर दे दिया है। परन्तु विलंब और इससे जुड़े मामलों जिनका कुछ सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: घरेलू यात्रा शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका है।

श्री प्रफुल पटेल: मैं कहना चाहूंगा कि इसके कारण देश में शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मुआवजे के मुद्दे के कारण कम से कम हमारे देश में शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी आशंका कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई थी। मेरे विचार से कुल मिलाकर इन मुद्दों पर सुधार की सदैव गुंजाइश होती है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ चर्चा के दौरान इन्हें कमी भी उठाया जा सकता है। आई.सी.ए.ओ. में हमारा प्रतिनिधि है। माननीय सदस्यों द्वारा इस विधान में सुधार के रूप में दिए गए सुझावों को उनके द्वारा अवश्य ही उठाया जा सकता है।

मैं कुछ सदस्यों के मुआवजे से संबंधित इस प्रश्न से सहमत नहीं हूं जो उन यात्रियों के बारे में है जो घरेलू टर्मिनल पर हों या विमान के दायरे में नहीं है। मेरे विचार से एयरलाइन्स को उस बात के लिए क्षतिपूर्ति हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता जो उनके नियंत्रण में न हों। अधिकांश, एयरलाइन्स तभी जिम्मेदार हैं जब यात्री विमान में सवार हो या वह एयरलाइन्स के नियंत्रण क्षेत्र में हो। इसलिए ऐसे मुद्दे उचित नहीं हैं कि यात्री को मुआवजा दिया जाए या नहीं, चाहे वह हवाई अड्डे पर हो या टर्मिनल पर क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, अंततः इसे अंतर्राष्ट्रीय करार और मांट्रियल कन्वेशन द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए इसे सही रूप में पारित किया गया है क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे पर सभी सहमत थे।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक बात यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि यह एयरलाइन्स के नियंत्रण में होगा। मान लीजिए कि एयरलाइन तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण बाहर हो जाती है और वह ऐसी जगह उतरती है जहां आबादी है या कोई गांव है, जहां लोग रहते है और लोग मर भी सकते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?

श्री प्रफुल पटेल: जैसा कि मैंने कहा ऐसे कुछ और मुद्दे हैं, जिन्हें आपकी तरह अन्य माननीय सदस्यों ने भी उठाया है। हम इन्हें निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय निकाय के समक्ष विचारार्थ रख सकते हैं, लेकिन आज हम जिस बात का संपुष्टि करना चाहते हैं, वह है मांट्रियल कन्वेशन जिस पर सहमति हो चुकी है। आखिरकार हम अकेले कोई कानून नहीं बना सकते। इस पर सभी को सहमत होना होगा और जैसा कि मैंने बताया, इस मुद्दे से अलग जो भी मुद्दे हैं उन पर हम बाद में आई.सी.ए.ओ. के स्तर पर एक उपयुक्त निकाय के साथ विचार कर सकते हैं तथा इस संबंध में आगे विचार हो सकता है। मैं इसका पूरा सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सारे मुद्दे, चाहे वे इस विधान की सीमा से बाहर ही क्यों न हों, अंतर्राष्ट्रीय निकाय के समक्ष आगामी विचार-विमर्श के लिए रखे जायेंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित कुछ सवालों का

जल्दी में जवाब देना चाहूंगा जिन्हें सदस्यों ने उठाया है। मैं साफ तौर पर एक बात बताना चाहूंगा कि भारत में हवाई यात्रा उतना ही सुरक्षित है जितनी कि दुनिया में अन्यत्र कहीं भी। मैं अमरीका और पश्चिम यूरोप जैसे विकसित देशों की बात कर रहा हूं, जहां हवाई यातायात बहुत अधिक है। मैं आपके माध्यम से पूरी सभा को और पूरे सष्ट्र को यह आश्वासन देना चाहता हूं भारत ने हवाई यात्रा पूरी तरह सुरक्षा और संरक्षा के नियमों के तहत नियमित है। हम अंतर्राष्ट्रीय नयाचार का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन भारत सहित, सभी सदस्य-राष्ट्रों की लेखा-जोखा रखता है। सुरक्षा के अधिकांश मानकों में भारत को अच्छा स्थान मिला है।

वस्तुतः महानिदेशक, नागर विमान और अन्य लोगों की सराहना करना चाहूंगा, जो इन संस्थापनों में काम करते हैं, जिनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल, भी सम्मिलित है, जिनकी हमारे मित्र श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य सदस्यों ने काफी आलोचना की है और देश में इतना हवाई यातायात के बावजूद भी भारतीय आकाश निश्चित रूप से सुरक्षित है और किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अभी जो आप कह रहे हैं कि हमें एक-एक, दो-दो घंटे हवाई जहाज में घूमना पड़ता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर मंडराना पड़ता है, मैं बताना चाहता हूं कि यह भी प्रगति का एक प्रतीक है। अगर इस क्षेत्र को इतना बढ़ावा नहीं दिया होता, इस क्षेत्र में इतना विकास नहीं होता तो शायद यह परिस्थिति आपको नजर नहीं आती। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल: श्री लक्ष्मण सिंह जी, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आप ने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। मैंने पिछले कुछ दिनों में विश्व के सभी हवाई अड्डों का दौरा किया है। आप भी गए हैं। चाहे न्यूयार्क हो या लंदन का हवाई अड्डा, आपको उतरने के लिए या उड़ान भरने के लिए घंटों आकाश में इंतजार करना पड़ता है। इसलिए, हम लोग मात्र आलोचना ही न करें। हमारे देश के लिए यह नई घटना है।

[हिन्दी]

हमारे यहां पहले ऐसा नहीं था, तब कंजेशन नहीं था, जब हवाई यात्राएं ही कम थीं, सीमित थीं तो इस कंजेशन की बात ही नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने का काम इन पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने किया है। इसलिए यह कहना कि हम लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं या दुर्लक्ष कर रहे हैं, यह बात गलत होगी। हम लोग आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने मुम्बई, दिल्ली या दो-तीन शहरों तक इसे सीमित नहीं रखा है। आपके औरंगाबाद में भी अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के टर्मिनल का काम जारी है और इसलिए आपको इस बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। यदि मैं ऐसे ही बात करूंगा तो कई सदस्यों ने कई क्षेत्रों के मुद्दे उठाये हैं। श्री शैलेन्द्र कुमार यहां बोले, हमारे काशीराम भाई बोले, अनेक सदस्यों के क्षेत्रों में हवाई अड्डों के निर्माण, विस्तार या आधुनिकीकरण के काम जारी हैं। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि सारा कुछ हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: पटना में नहीं हुआ है, वहां के बारे में बताइये।

श्री प्रफुल पटेल: मैंने यह नहीं कहा, पटना में आपकी अपनी समस्या ही ज्यादा है। क्योंकि वहां पर हमें भूमि ही नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि पटना में हमें भूमि मिले। शाहनवाज जी, सामने बैठे हैं, वह भी वहीं के थे, रूडी जी भी वहीं के थे, शरद यादव जी भी वहीं के थे। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने पहले अपने घर का काम किया होता, अगर वह कर सकते थे, लेकिन वह नहीं कर सके, उसकी कोई वजह होगी। क्यों?...*(व्यवधान)* मैंने आपको कहा कि मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: रिप्लाई कम्पलीट हो जाए, उसके बाद आप बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: क्योंकि मंत्री जी ने मेरा नाम मैन्शन किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर रनवे बढ़ाने की जितनी जगह थी, उसे हमने एक्वायर किया,

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

उसके बाद कब्रिस्तान है, जिसे एक्वायर नहीं किया जा सकता। राम कृपाल जी का कहना यह नहीं था कि वहां कुछ नहीं हुआ, उनका कहना है कि क्या किसी नई जगह पर आपका एयरपोर्ट का कोई प्रपोजल है? गया में जो एयरपोर्ट बना, आप महाराष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, चूंकि आप महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के लोग आजकल बिहार से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने बिहार के लिए कोई चिंता की है या नहीं?

श्री प्रफुल पटेल: मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं चूंकि वहां बिहार में आपकी सरकार है, ऐसी हमारी जानकारी है।...*(व्यवधान)* उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी एक बैठक बुलाएं जिसमें सभी लोगों को बुलाएं। हम भी आएंगे, लालू जी भी आएंगे, राम कृपाल जी भी आएंगे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: जब से आप मंत्री बने हैं, बिहार नहीं आए हैं।

श्री प्रफुल पटेल: मैं कई बार गया हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: हम बिहार की तरफ से आपको दावत देते हैं कि गया एयरपोर्ट का उद्घाटन कीजिए। मुख्य मंत्री के साथ पैचअप करके लैन्ड आपको देने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है।

श्री प्रफुल पटेल: शाहनवाज जी, मैं आपकी भावना से सहमत हूं और आपकी भागलपुर की भावनाएं भी समझता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल: सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा हवाई अड्डों का निर्माण हो। हमने अभी कुछ हफ्तों पहले केन्द्र की कैबिनेट के माध्यम से एक नीति पारित की है जिसमें व्यवस्था है कि हवाई अड्डों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हों या निजी हवाई अड्डे हों या छोटे हवाई अड्डे हों, जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, उनका वापस समावेश हो। इन सबके निर्माण के लिए हमने एक योजना पारित की है। मैं चाहूंगा कि उसी योजना के तहत हमारे साथी शाहनवाज जी भी बिहार सरकार के माध्यम से अच्छी जॉइंट वैन्चर कंपनी के लिए निविदा मंगाएं या कोई पार्टनर आइडैन्टिफाइ करें। या तो बिहार सरकार के माध्यम से उसको बनवाने का काम करें, या उसमें आपकी कोई समस्या हो, तो हम भारत सरकार की ओर से आपके और राम कृपाल जी के सामूहिक प्रश्नों को हल करने के लिए भी मददगार होंगे। हम चाहेंगे कि आज नहीं, तो भविष्य में आप भागलपुर हवाई जहाज से बराबर जाया करें, दिल्ली से जाया करें, गोंदिया से आपको भागलपुर नहीं ले जाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

हमारे शाहनवाज जी ने एक और मुद्दा रखा कि बंगलौर और हैदराबाद के नए हवाई अड्डे निर्माण हो रहे हैं और पुराने बंद हो रहे हैं। मुझे उनको इतना ही याद कराना है कि जो निविदा मंगाई थी और जिसमें यह कॉलम था कि पुराने हवाई अड्डे बंद हों और नए जब बनेंगे तो पुराने बंद होंगे, यह कॉलम शायद आपके कार्यकाल में मंजूर हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया पीठ को संबोधित करें। यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

जवाब कंप्लीट होने दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैंने रिक्वैस्ट किया कि जब हमने निविदा मंगाई थी, तब इतना पैसेंजर लोड नहीं था। अब पैसेंजर लोड बढ़ गया है इसलिए आप उसको भी चालू करें।

श्री प्रफुल पटेल: हां, वह बात ठीक है। आप जानते हैं, आप भी भारत सरकार के मंत्री रहे हैं। इसलिए आपको मालूम है कि कुछ सरकार की जो मर्यादाएं होती हैं,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखें। हम चाहते हैं कि कोई न कोई रास्ता निकले। इसलिए हम जो नई पॉलिसी हवाई अड्डों के निर्माण की लाए हैं, उसमें मुख्य मुद्दा यही है कि ज्यादा से ज्यादा इनफ्रास्ट्रक्चर हो। बड़े शहरों में केवल एक हवाई अड्डे तक ही सीमित न रहे। आपने सही फरमाया कि हवाई यात्रा की संख्या अब इतनी बढ़ गई है, इतने लोग अब हवाई जहाज में बैठने लगे हैं कि निश्चित ही हमको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें खुशी है कि आपने जो रास्ता हमें दिखाया, उस पर हमने न केवल चलने का काम किया, बल्कि उस पर दौड़ने का प्रयास भी हमने किया है। इसके लिए आपको भी बधाई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बधाई के पात्र नहीं हैं, लेकिन बधाई के साथ-साथ हमने भी जो दौड़ने का काम किया है, उसके लिए आपने भी हमें बधाई दी है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, हज के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं, उनकी कद्र करता हूं। इस साल हमें हज के वक्त थोड़ी ज्यादा समस्याएं आईं, अनपेक्षित समस्याएं आईं। जमजम पानी का जहां तक सवाल है, विशेष कर जमजम वाटर के जो सप्लायर हुआ करते थे, उसमें कुछ तकलीफ हुई। हमें और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस को जो पानी सप्लाई करते थे, उस सप्लायर के साथ दिक्कत होने की वजह से, उसमें हमारा एयरलाइन का कोई निजी इश्यु नहीं था, सप्लायर का जो इश्यु था, उसमें समस्या आने की वजह से हम वह पानी वहां के यात्रियों को समय से नहीं दे पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद हमने विशेष विमान भेज कर जमजम वाटर को यहां लाकर, हज समितियों के माध्यम से हाजियों को वह पानी पहुंचाने का काम किया है। अगले साल यह समस्या न रहे, चूंकि पहले ऐसी समस्या कभी नहीं हुई थी, जो इस बार हुई। अगले साल हज के सीजन में सामान और जमजम वाटर का हम पहले से ध्यान रखेंगे। हमें इस साल जो भी जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पर हम पहले से ही ठीक से इंतजाम करके रखेंगे। पहले इस तरह की समस्या नहीं होती थी, पिछले साल इस तरह के अनपेक्षित प्रश्न निर्मित हुए। हमारे भाई शाहनवाज हुसैन जी को इस बात से खुश होना चाहिए कि सन् 2004 तक 72 हजार हाजी जाते थे और इस साल हमने एक लाख दस हजार हाजियों को, भारत सरकार की योजना के माध्यम से भेजने का काम किया है। जब संख्या बढ़ती है तो उसके साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। लेकिन इस अनुभव से अगले साल हम कोशिश करेंगे कि ये समस्याएं हज यात्रियों को न हों।

महोदय, यहां अनेक सदस्यों ने अलग-अलग एयरपोर्ट्स की बात की है - चाहे कोयम्बटूर, मदुरई, वाराणसी, आगरा, मथुरा या विजयवाड़ा आदि हो, इन सभी हवाई अड्डों के बारे में मैं अभी इतना ही कहूंगा कि आपकी भावनाओं के अनुरूप हमसे जो भी प्रयत्न संभव होंगे, हम निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए, देश के आर्थिक और पूरे सामूहिक विकास के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील: मंत्री महोदय, आपने उड़ानों को रद्द किए जाने के संबंध में क्या कार्रवाई की है? उसके कम्पनसेशन के लिए आपने कुछ नहीं बोला।

श्री प्रफुल पटेल: इसके लिए कुछ अन्य नियम हैं। यह एक अलग विधान है। उड़ानों को रद्द किए जाने या विलम्ब की स्थिति में यात्रियों की क्षतिपूर्ति के संबंध आई.ए.टी.ए. के दिशा निर्देश हैं। अन्य नियम भी हैं। वे आई.ए.टी.ए. नियमों से शासित होते हैं। यह एक अलग प्रोटोकॉल के तहत है क्योंकि उड़ानों के रद्द किए जाने या विलम्ब से इसका कोई संबंध नहीं है। यह क्षतिपूर्ति का मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

श्री सुधांशु सील: मैं उड़ानों को रद्द किए जाने के संबंध में पूछ रहा हूं।

श्री प्रफुल पटेल: निश्चित तौर पर इसे इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपने कतिपय उन मुद्दों के बारे में सही ही बताया है, जिन्हें इसके तहत शामिल नहीं किया गया है। हम अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के आगामी विचार-विमर्श के लिए इन मुद्दों को अवश्य रखेंगे।

इसलिए, मेरा कहना है कि हवाई यात्रियों को बेहतर सेवाएं और मुआवजा देने की दिशा में यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से और सभा से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करने में सहयोग करें।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विमानवहन अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़े गए।

खंड 1

संक्षिप्त नाम

और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, "2007" के स्थान पर "2008" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री प्रफुल पटेल)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'अठावनवें' के स्थान पर 'उनसठवें' प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री प्रफुल पटेल)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.16 बजे

राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम मद सं. 26 पर विचार करेंगे - श्री शंकरसिंह वाघेला।

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि जूट और जूट उत्पादों की खेती के विकास, विनिर्माण और विपणन के लिए एक राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जूट और जूट उत्पादों की खेती के विकास, विनिर्माण और विपणन के लिए एक राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 5.17 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। नैशनल जूट बोर्ड बिल, 2006 कुछ अमेंडमेंट्स के साथ यहां पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत

किया गया है। इस पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे लाखों जूट फॉर्मर्स और वर्कर्स हैं, उन्हें आज तक जितनी परेशानियां हुई हैं और हो रही हैं, उन्हें उनमें से निकालने और उनके जीवन को सुधारने के आशय से लाया गया, यह एक अच्छा बिल है। वैसे तो यह पूरा बिल एक मर्जर बिल है। जूट सैक्टर में अलग-अलग कहीं कौंसिल, कहीं बोर्ड और कहीं सोसायटी हैं, उन सभी को इस बिल के जरिए मर्ज कर के एक बोर्ड बना दिया गया है। जितनी भी ऐसी कौंसिल, बोर्ड या सोसायटियों की पॉवर थी, फंड था, मैनपॉवर था, उसे इस बोर्ड में समाविष्ट कर के एक नैशनल जूट बोर्ड बनाया गया है। जैसे जूट मैन्यूफैक्चर्स डैवलपमेंट कौंसिल (जे.एम.डी.सी.) या नैशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सीफिकेशन (एन.सी.जे.डी.) आदि सोसायटियों को इसमें एब्जॉर्ब कर के यह बोर्ड बनाया गया है। जैसा मैंने कहा, जूट सैक्टर में जो स्कोप है, उनके डैवलपमेंट के लिए, साथ-साथ जो किसान और वर्कर हैं, उनके कल्याण के लिए यह बिल लाया गया है। इसकी मूल भावना से सहमत होते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल में जो प्रावधान रखा है, उसमें भी अमेडमेंट के साथ यह बिल नहीं लाया गया होता, तो यह पूरा का पूरा बिल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का बिल है।

इस बोर्ड में न तो किसान की आवाज है, न वर्कर की आवाज है, न एक्सपोर्टर की आवाज है, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फोर्म का बिल बनाया था - नेशनल जूट बोर्ड, 2006। यह ठीक है कि इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कुछ सुधार होना बाकी है। आगे अवश्य होगा। जैसा मैंने कहा कि यह बिल ब्यूरोक्रेटिक फोर्म का बिल है, जिसमें आप उनके सैक्शन तीन और सैक्शन चार देखें तो उसमें जो बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड में करीब 20 मैम्बर हैं। उन 20 मैम्बर्स में आप देखें कि मानों कि जूट इंडस्ट्री से-चाहे आर्गेनाइज्ड सैक्टर हो, चाहे डीसैण्ट्रलाइज्ड सैक्टर हो, उसमें से दो-दो और एक्सपोर्टर्स में से दो, कुल मिलाकर 6 लोग इसमें हैं, बाकी 14 सिर्फ सरकारी आफिसर्स हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से अगर बोर्ड बनायें तो उसमें न किसानों का, न वर्कर्स का कोई कल्याण होने वाला है। आखिर हम बोर्ड बनाते हैं तो सैक्टर को डैवलप करने के लिए बनाते हैं। आज जूट एक ऐसा आइटम है, जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन फाइवर, एक ऐसा फाइबर है कि जिससे हम इस देश में आर्थिक आबादी भी बढ़ा सकते हैं और रोजगारी भी निर्माण कर सकते हैं और जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके हम बहुत बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं। इतनी क्षमता इस जूट सैक्टर में है। लेकिन जिस प्रकार से वह बढ़ना चाहिए, बढ़ा नहीं। जो सुधार होना चाहिए, वह सुधार हुआ नहीं और ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म के रूप में हमारे पास जो बिल लेकर आये हैं, माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। जो 20 मैम्बर्स का बोर्ड बनेगा तो उसमें मैजोरिटी जो होगी, वह जूट फार्मर्स की होनी चाहिए, जूट वर्कर्स की होनी चाहिए, जूट इंडस्ट्रीज की या जूट एक्सपोर्टर्स की। अगर इसका बहुमत नहीं होगा तो फिर वही सरकारी अधिकारी अलग-अलग एग्रीकल्चर में से आये या फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से आये, यही सब सैक्रेटरी, जोइंट सैक्रेटरी, डायरैक्टर, ये आज तक अपनी मनमानी चलाते रहें, उनकी मनमानी से आज तक जूट सैक्टर का डैवलपमेंट नहीं हो पाया। इसीलिए जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब हमने एक टैक्नोलोजी मिशन ऑन जूट का प्रपोजल बनाया था। जिस प्रकार से टैक्नोलोजी मिशन ऑन कॉट्न बनाया, जो आज सक्सेस हुआ। इसकी सक्सेस इतनी है कि पहले गुजरात में 40-44 लाख बेल्स क्राप होती थी और आज 100, 110 और 120 लाख बेल्स होती है। पहले जितनी क्राप थी, उससे 3-4 गुना क्राप आज वहां हो रही है। इसका अगर क्रेडिट जाता है तो टैक्नोलोजी मिशन ऑन कॉटन को है। इसी प्रकार से टैक्नोलोजी मिशन ऑन जूट पर हमने आगे एक प्रपोजल बनाकर, दरख्वास्त बनाकर आगे आये थे, लेकिन सरकार चली गई और बाद में इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। नुकसान में आज जूट के फार्मर्स हैं और जूट के वर्कर्स को भोगना पड़ता है।

मेरी बात यह है कि इस प्रकार का बोर्ड का जो डैमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया जाये तो इससे बहुत अधिक लाभ इस जूट सैक्टर का होगा। इसीलिए माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि जैसे इसका चेयरमैन होगा, जो टैक्सटाइल के सैक्रेटरी होंगे, वह उसका चेयरमैन हो जायेगा और जो वाइस चेयरमैन है, इसके लिए इसमें जो प्रावधान रखा है:

[अनुवाद]

"बोर्ड अपने सदस्यों में से उपाध्यक्ष को चुनेगा जो अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके ऐसे कार्यों को करेगा जो कि अध्यक्ष द्वारा उसके लिए निर्धारित अथवा उसे प्रत्यापित किए गए हों।"

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी, मेरा सुझाव यह है कि बाकी जो बोर्ड मेंबर्स बचे हैं, उनमें से ही वाइस चेयरमैन बनाने से

[श्री काशीराम राणा]

अच्छा तो यह होगा कि जिस प्रकार आपने सेक्रेटरी को चेयरमैन बना दिया, इसी प्रकार से इसमें यह सुधार होना चाहिए कि अगर फार्मर्स का डेलीगेट है या वर्कर्स का डेलीगेट है, उनमें से ही वाइस चेयरमैन होना चाहिए, न कि बाकी बचे जितने मेंबर्स हैं, उनमें से यह बने। मुझे भय है, मेरा एप्रिहैंसन है कि जो इस बोर्ड के मेंबर्स हैं, हो सकता है कि इनमें से ही वाइस चेयरमैन पद के लिए किसी अफसर की नियुक्ति हो जाए। माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें। इसमें सरकार का ही चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी चेयरमैन है, जो आफीसर हैं, अगर वाइस-चेयरमैन भी आफीसर हो गए, तो किसान या कामगार की कोई आवाज इस बोर्ड में नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार का सुधार इसमें होना चाहिए।

नंबर थ्री अमेंडमेंट में कहा गया कि तीन मेंबर आफ पार्लियामेंट रहेंगे,

[अनुवाद]

"दो को सभा के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुना जाएगा।"

[हिन्दी]

दो लोकसभा से होंगे और एक मेंबर राज्यसभा से होगा। यह ठीक है, लेकिन जो लाखों हमारे फार्मर्स हैं, उनमें से कितने डेलीगेट होंगे? यह बताया गया कि जो फार्मर्स हैं, उनमें से तीन मेंबर्स लिए जाएंगे। तीन मेंबर्स में से एक वेस्ट बंगाल का होगा। वेस्ट बंगाल में वैसे भी जूट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। दो मेंबर्स बाकी के स्टेट्स से, जहां जूट की क्राप हो रही है, जूट की एक्टिविटी हो रही है, वहां से दो मेंबर्स लिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये तीन ही क्यों? बीस मेंबर्स में से ज्यादातर मेबर्स सरकारी आफीसर हैं, जबकि लाखों किसान हैं और जूट की इक्टिविटी भी और राज्यों में फैलती जा रही है, नयी-नयी जूट मिलें आ रही हैं, जूट का क्राप लेने के लिए फार्मर्स भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेरा यह कहना है। पहले हम मानते थे कि वेस्ट बंगाल में ही जूट है, बिहार में जूट है, लेकिन आज उड़ीसा असम, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी जूट की एक्टिविटी और क्राप बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। वहां किसान इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जूट मिलें लग रही हैं। अभी मैं उड़ीसा गया था, वहां नयी-नयी जूट मिलें आ रही हैं। कलकत्ता के बदले वे वहां अपनी जूट मिल लगा रहे हैं। वैसे जूट मिल का भी एक इतिहास है, मैं ज्यादा समय नहीं होने के कारण इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे देश की जितनी भी जूट मिल्स हैं, उनमें से बहुत सारी वेस्ट बंगाल में रहीं, लेकिन जो क्राप का एरिया था, वह वेस्ट बंगाल में कम रहा, उसका ज्यादातर एरिया जो बांग्लादेश बना, उसमें चला गया। आज अच्छी से अच्छी क्राप वहां हो रही है। मैं बाद में इस बात पर आऊंगा।

मेरा कहना यह है कि बहुत सारे राज्यों में आज जूट की एक्टिविटी हो रही है। जूट के किसान, जो पहले दूसरी क्राप लेते थे, वे आज जूट की क्राप लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तीन मेंबर्स जूट के किसानों में से और तीन मेंबर्स जूट के वर्कर्स में से लेने की जो बात कही गयी है, उसमें उनकी संख्या बढ़ायी जाए।

सभापति महोदया: कांशीराम जी, हाफ ऐन ऑवर डिस्कशन अभी लेना है। आपको अभी कितना समय लगेगा? इसे फिर सोमवार को कांटीन्यु करें।

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): सभापति महोदया, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस समय बेशक आधे घंटे की चर्चा ले ली जाए लेकिन आधे घंटे के बाद फिर इसी बिल को शुरू कर दिया जाए।

श्री थावरचन्द गेहलोत: ऐसे नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): यह संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: क्यों संभव नहीं है? हम अक्सर बैठते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: बंसल जी, यदि हाउस एग्री करे तो बात अलग है, लेकिन कोई भी एग्री नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत: सभापति महोदया, चार दिन

का अवकाश है, हम सबने ट्रेन वगैरह में रिजर्वेशन करवा रखी है।...(*व्यवधान*)

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदया, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: बंसल जी रिक्वैस्ट कर रहे हैं। मैं पहले उनकी रिक्वैस्ट सुन लूं। हम बाद में बात करेंगे।

...(*व्यवधान*)

श्री पवन कुमार बंसल: हम अक्सर बैठते हैं।...(*व्यवधान*)

श्री काशीराम राणा: यह बिल थोड़े समय में पूरा होने वाला नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।...(*व्यवधान*)

श्री पवन कुमार बंसल: मैं कह रहा हूं कि हम इस बिल को चलाते रहें।...(*व्यवधान*) मैं जबरदस्ती और जल्दबाजी में नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आधे घंटे की चर्चा के बाद हम फिर इसी बिल को ले लें।...(*व्यवधान*)

श्री काशीराम राणा: यह बिल आज पूरा नहीं होगा, इसलिए इसे सोमवार को कीजिए।...(*व्यवधान*) वैसे भी हमारे पास गवर्नमैंट बिजनेस क्या है।...(*व्यवधान*)

श्री पवन कुमार बंसल: राणा जी बिजनेस है।...(*व्यवधान*) मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं। हाउस में ऐसे ही होता है।

[अनुवाद]

एक बार सरकार की तरफ से अनुरोध होने पर सामान्यत: इस पर सभा द्वारा विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

हम पिछले दिनों रात के नौ-नौ बजे तक बैठते रहे हैं। उस वक्त उधर से माननीय सदस्य कह रहे थे और हम मान रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि इस बिल को कुछ समय तक चलाते रहें। यह आउट ऑफ वे रिक्वैस्ट करने वाली बात नहीं है। दूसरे बिल में माननीय सदस्य चाहते थे कि हाउस रात के नौ बजे तक चले। माननीय सदस्य समय मांगते रहे और हम समय देते रहे।...(*व्यवधान*) रासा सिंह जी, आप क्या बात कर रहे हैं। आप कितनी चीजों के लिए कहते थे कि आठ बजे तक चलने दीजिए, उसके बाद आप जीरो आवर की बात कहते रहे।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: बंसल जी, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं। हम पहले आधे घंटे की चर्चा ले लेते हैं। छ: बजे हाउस का मूड देख लेते हैं। अगर हाउस छ: बजे एग्री हो जाता है तो काशीराम जी कंटीन्यू करेंगे।

श्री काशीराम राणा: सभापति महोदया, हम इसे सोमवार को कर सकते हैं।...(*व्यवधान*)

श्री पवन कुमार बंसल: शायद काशीराम जी जाना चाहते हैं, इसलिए पहले इन्हें अपनी बात कहने दीजिए, फिर उसे शुरू कर देंगे।...(*व्यवधान*) मेरी दरख्वास्त है कि इसे आज पूरा कर लें।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: काशीराम जी, मुझे लगता है कि आप अभी अपना भाषण समाप्त कर दीजिए। आप बोल रहे हैं। अभी आधे घंटे की चर्चा ले लेते हैं और छ: बजे हाउस का जैसा मूड होगा, वैसा करेंगे, नहीं तो 5 तारीख को लेंगे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

आप बाद में जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: छ: बजे कोरम भी नहीं होगा। ...(*व्यवधान*)

अपराह्न 5.34 बजे

आधे घंटे की चर्चा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे। श्री भर्तृहरि महताब।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद, सभापति महोदया। पहले ही पांच मिनट बीत चुके हैं; मेरे विचार से आधे घंटे की चर्चा को समाप्त करने के लिए हमें और पांच मिनट की आवश्यकता है।

मैं आभारी हूं कि अध्यक्ष महोदय ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दी है और यहां पर दोनों मंत्री उपस्थित

[श्री भर्तृहरि महताब]

हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को संप्रग सरकार का एकमात्र सफल अग्रणी कार्यक्रम कहा जाता है। मीडिया की रिपोर्ट हैं कि इस योजना में केवल 3 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, अर्थात इसके कारण भारी धनराशि की बर्बादी हुई है और इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग हुआ है तथा यह एक भ्रष्ट और अकुशलतापूर्ण प्रयोग है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। इस रिपोर्ट का ध्यान मुख्यतः इस योजना को विकेंद्रीकृत तरीके से चलाने में प्रशासनिक क्षमता के अभाव पर है और शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से क्षमता निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

यदि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को शासन के उसी मरणासन्न ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है जिसने स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ग्रामीण भारत को चरितार्थ किया है तो यह अपनी पूर्ण क्षमता को महसूस नहीं कर सकता।

प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक खंड में आवश्यक सहायक कर्मचारियों के साथ एक पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त करना था जो विशेष रूप से इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए समर्पित अधिकारी नियुक्त करना था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वेक्षण के अनुसार 19 राज्यों ने 70 प्रतिशत खंडों में इन अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया है। मौजूदा खंड विकास अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के साथ नियुक्त किया गया है। दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऐसी योजना नहीं है जो 'अतिरिक्त प्रभार' के आधार पर चल सके।

पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोजगार गारंटी सहायक (ई.जी.ए.) को नियुक्त किया जाना था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण की गई 513 में से 52 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में स्वीकृत रोजगार गारंटी सहायक नहीं थे। न तो जिला स्तर पर प्रत्यापित इंजीनियरों को नियुक्त किया गया है और न ही खंड स्तर पर किसी अन्य को नियुक्त किया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह भी पाया कि इसके द्वारा अध्ययन के अनुसार 20 राज्यों में पैनल नहीं थे। राज्य सरकारों को योजना, डिजाइन, निगरानी, मूल्यांकन, गुणवत्ता, परीक्षण, प्रशिक्षण एवं हैंडहोल्डिंग में सहायता करने हेतु राज्य और जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन सहायता समूह भी गठित करने थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पाया कि 23 राज्यों ने राज्य और जिला स्तरों पर ऐसे समूह गठित नहीं किए हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यों को पूरा करने और वेतन के भुगतान में विलंब होता है और मुझे आशा है कि मंत्री जी मुझसे सहमत होंगे।

महोदय, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र 'जवाबदेही' और 'पारदर्शिता' सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्य-निष्पादन इसके कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अकुशलता दर्शाता है। पहले वर्ष में मुश्किल से 3.2 प्रतिशत पंजीकृत परिवार 100 दिन का रोजगार पा सके। उन्हें सिर्फ 18 दिनों का रोजगार मिला। ग्रामीण परिवारों को लगभग 8000 रु. प्रति वर्ष के स्थान पर 1500 रु. प्रति वर्ष से कम की औसत आय हुई।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्यों के पास समुचित अभिलेख नहीं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की असफलता का मुख्य कारण कुप्रबंधन है। चूंकि व्यवस्था मांग पर आधारित है तो अच्छे कार्यान्वयन के लिए एकमात्र प्रोत्साहन स्थानीय राजनीतिक दबाव था और नौकरशाही में ईमानदारी का अभाव शुरू से अंत तक रहा।

मैं इस सभा का ध्यान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में उन 20 परियोजनाओं के लिए लगभग 38.50 लाख रुपये खर्च किए जो अस्तित्व में नहीं थीं। झारखंड में छह विधायकों की सिफारिश पर लगभग 5.14 करोड़ की लागत वाली 7 परियोजनाएं थी परंतु किसी को भी ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत और वार्षिक योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मेरे राज्य उड़ीसा में सात मृतकों को कार्य में संलग्न दिखाते हुए या 11,521 रुपये वितरित किए गए थे। 44852 रुपये की एक और राशि का श्रमिकों की पुत्रियों को भुगतान किया गया था जो विभिन्न क्षेत्रों में रह रही थी।

इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में पेशेवरों के अभाव में कठिनाइयां आ रही हैं। यह एक बात है।

अंततः, केंद्र सरकार नीति निर्धारित कर रही है तथा राज्य, खंड, और ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि सरकार क्या नीति बना रही है ताकि राज्य सरकारें पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त कर सकें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि प्रलेखीकरण और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अनाकर्षक बना दिया है। यदि हां, तो सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि यह मांग-आधारित योजना जिला मजिस्ट्रेट की पसंद या नापसंद, रूचि या अरूचि तक सीमित न रहे अधिक लोकप्रिय बने तथा इसमें और पंचायती राज संस्थाएं भागीदारी करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री महताब ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में जो सवाल उठाए हैं, उनके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह योजना देश के कुछ जिलों में लागू हुई थी, तो वह एक तरीके से ट्रायल हुआ था। तमाम दिक्कतों के बाद देखा गया कि सभी के जॉब कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और कहीं-कहीं पर जॉब कार्ड प्रधान अपने पास ही रख लेता है तथा मानक के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं। साथ ही, जैसा महताब जी ने कहा, समय के अनुसार भुगतान नहीं हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के कड़ा ब्लॉक में पांच करोड़ रुपए भेजे गए, जिसमें से ब्लॉक को केवल 2.5 करोड़ रुपए दिए गए जबकि 50 प्रतिशत पैसा ग्राम सभा को, 25 प्रतिशत पैसा ब्लॉक और 25 प्रतिशत जिले को जाना चाहिए। इस तरह इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। एक केंद्रीय दल भेजकर इसकी जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि वहां के स्थानीय अधिकारी इस पर लीपापोती में लगे हैं और वहां के मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए उस योजना का पूरा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने स्वयं कमिश्नर, इलाहाबाद को जब कहा तो उन्होंने इसकी जांच की, जिसमें अनियमितताएं पाई गयीं, लेकिन आज तक उस पर कुछ काम नहीं हो पाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप केंद्रीय दल भेजकर इसकी जांच कराएंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री सी.के. चन्द्रप्पन - उपस्थित नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

कृपया संक्षेप में आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदया, राजस्थान में पहले 12 जिलों में यह योजना लागू हुई थी और अब यह राजस्थान के सभी 32 जिलों में एक अप्रैल से लागू हो गयी है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार से इसके लिए मात्र 62 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इन 32 जिलों के लिए 263 करोड़ रुपए अभी और मिलने हैं। जो 62 करोड़ रुपए मिले हैं, उसमें से 30 करोड़ रुपए 20 जिलों में इस योजना को लागू करने के लिए प्रसासनिक खर्च के मद्दे दिए गए हैं। अब पूरा महीना हो गया, कैसे उन मजदूरों को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, जो यह इंतजार कर रहे थे कि एक सप्ताह में पैसा मिलेगा। डाकखानों और बैंकों में उनके खाते खुल गए हैं, लेकिन अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है, तो कैसे काम चलेगा। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में एन.आर.ई.जी.ए. योजना के तहत इस प्रकार का वित्तीय संकट उत्पन्न होने के लिए कौन जिम्मेदार है और मजदूरों के भुगतान के लिए जो राशि देय है, वह कब तक राजस्थान को प्रेषित कर दी जाएगी तथा भविष्य में यह योजना सुव्यवस्थित एवं नियमित तरीके से संचालित होती रहे, उसके लिए आपके द्वारा क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदया, जब देश में यह कार्यक्रम लागू नहीं हुआ था, उस समय वर्ष 2005-06 में एस.जी.आर.वाई. चल रही थी, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए बजटीय अनुदान एक वर्ष के लिए होता था। इस साल आपने उसे घटाकर 16,000 करोड़ रुपए किया है। क्या यह कम नहीं किया गया है? जैसा मेहताब जी ने भी कहा कि यह नीड बेस्ड प्रोग्राम है। लेकिन फील्ड में देखने में आता है कि कलेक्टर्स ने अपनी मनमर्जी से इसे क्राइटेरिया बेस्ड बना दिया है। क्या भारत सरकार उस पर कोई मानक लगाएगी और क्या कोई नया सर्कुलर निकालेंगे कि जहां लोग काम मांगने जाएं, वहीं काम दिया जाएगा? देश में इस योजना को शुरू हुए यह तीसरा साल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के तहत विशेषकर उड़ीसा में जिन्हें काम नहीं दिया गया, उसके बदले अभी तक कितने लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है?

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदया, अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान न्यूनतम मजदूरी का यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है। फिर भी मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं और यह समझता हूं कि मंत्री महोदय हमें इस संबंध में संतोषजनक जवाब देंगे।

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर हर राज्य में अलग-अलग है। क्या यह विभाग राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक करने का विचार कर रहा है ताकि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी में समानता लायी जा सके।

मेरा अन्य मुद्दा उत्पादकता संबंधी मानदंड या कार्य संबंधी अनुबंध के बारे में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला था और उन्हें मिट्टी के कार्य अनुबंध के संबंध में पत्र लिखा था। बहुत कड़े अनुबंध होने के कारण इनके कार्यान्वयन में श्रमिकों को कठिनाईयां आती हैं। तो क्या वे इसमें कोई ढिलाई करेंगे या इस मामले की जांच करेंगे ताकि श्रमिक अपना कार्य कर सके।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदया, मैं केवल एक लाईन कहना चाहता है।

सभापति महोदया: क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप केवल प्रश्न पूछें और उससे अधिक एक लाईन भी नहीं।

श्री विक्रम केशरी देव: ठीक है।

यद्यपि प्रत्येक जिले में निगरानी समिति का प्रमुख संसद सदस्य है और नियमानुसार जिले द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने के पश्चात् ही दूसरी किश्त प्राप्त होती है। परन्तु ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है जिसके माध्यम से 60 प्रतिशत व्यय किया जा सके। अब मंत्रालय 'ऑन लाइन' सुविधा चाहता है। कालाहांडी और नौपाड़ा जैसे कतिपय जिलों में दो या तीन माह पहले 'ऑन लाइन' सुविधा प्रदान की गयी है। हमें दूसरी किश्त अभी प्राप्त नहीं हुई है। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना को एन.आर.ई.जी.एस. में मिलाने के पश्चात अनाज का यह घटक आपके कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा या नहीं?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): सभापति महोदया, सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने पर हम उनका आभार मानते हैं। इसलिए मानता हूं कि उनकी रुचि इसमें है और जो मुस्तैदी हैं, उससे मैं विश्वास करता हूं कि रोजगार गारंटी कानून पर जो देश और दुनिया की नजर लगी हुई है, वह जरूर सफलता की ओर जा रही है।

महोदया, मेहताब जी ने सी.ए.जी. की रिपोर्ट की चर्चा की। माननीय सदस्यों को पता नहीं जानकारी है या नहीं कि सी.ए.जी. को हमने बार-बार आग्रह किया था कि आप जाकर जांच करें। नार्मल कोर्स में संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से वे दो-चार साल बाद जांच के लिए जाते हैं। फिर पोस्ट मार्टम करने से कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हमने बार-बार कहा कि जहां-जहां प्रथम चरण में यह योजना लागू हुई है, आप जाकर वहां जांच करें। अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के लीक होने की बात अखबारों में आई है, वह फाइनेलाइज नहीं हुई है।

हमारी इंटेंशन थी कि शुरुआती दौर में राज्यों में लोगों को जानकारी भी कम हो सकती है और नीयत भी खराब हो सकती है। इसलिए हमने सी.ए.जी. से गड़बड़ी की जांच करने के लिए कहा कि वह जांच करके उसे उजागर करे, ताकि हम राज्यों से भी कहें कि आप सजग रहें और जो गड़बड़ी हुई है या लोगों को जानकारी नहीं है, उसमें सुधार करें, इसलिए सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई तो हमने राज्यों से कहा कि वे भी जांच करके सुधार लाएं। बाकी अन्य जिलों से भी जो शिकायतें आईं, सी.ए.जी. ने उनकी भी जाकर जांच की है, जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो।

दूसरे, इन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम जितने पत्र आपको, सदन को लिखते हैं और हर सत्र में जानकारी देते हैं कि क्या प्रगति है, क्या स्थिति है, उसको लोग नहीं देखते, जिसका मुझे अफसोस है।

अभी तक 3 करोड़ 37 लाख परिवारों को रोजगार मिला है और 141 करोड़ मानव दिवसों का 303 जिलों में सृजन हुआ है। वेज एम्प्लाएमेंट प्रोग्राम हमने कोई नया लागू नहीं किया है, 30 वर्षों से अपने देश में, लोगों को, भुखमरी से बचाने के लिए, अकाल से मुकाबले के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, डिस्ट्रेस्ड लोगों का पलायन रोकने के लिए, हल्के और भारी कामों के लिए स्कीम, फूड फॉर वर्क, एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी., एम्प्लाएमेंट

एसोरेंस स्कीम, जवाहर रोजगार योजना आदि विभिन्न नामों से वेज एम्प्लाएमेंट प्रोग्राम लागू हुआ। इसकी खूबी यही है कि यह कानूनी अधिकार, साल में 100 दिनों के लिए दिया गया है और यह "राइट टू वर्क" की दिशा में सबसे मजबूत कदम है। हमने इसका हिसाब किया तो बी.पी.एल. परिवारों की संख्या से 26 प्रतिशत अधिक परिवारों को इसमें रोजगार मिला है। जो बी.पी.एल. में हैं वे तो काम पा ही रहे हैं लेकिन बी.पी.एल. से ऊपर 25 प्रतिशत अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। माननीय काशीराम राणा जी पुराने मंत्री थे, 60 करोड़ या 65 करोड़ मानव दिवस एस.जी.आर.वाई. में होता था। अनाज भी खर्च होता था और पैसे भी खर्च होते थे। लेकिन अभी केवल 330 जिलों में 141 करोड़ मानव दिवस सृजित हो गये, जब यह संपर्ण जिलों में लागू होगा तो यह 200-300 करोड़ मानव दिवस का हो जाएगा। इससे 500 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलेगा। जो ए.पी.एल. लोग भी गरीबी रेखा के पास हैं उनको भी फायदा होगा। इसलिए यह कहना कि गरीबों के साथ गैर-इंसाफ होगा या यह उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है और यह विफलता की ओर जा रहा है, गलत है।

इन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कहा। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, देश भर में, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जैसा इसमें किया गया है। हरेक पंचायत में एक अतिरिक्त रोजगार सेवक बहाल करो, उसका वेतन भारत सरकार से मिलेगा। पांच पंचायतों पर एक तकनीकी इंजीनियर बहाल करो, वेतन भारत सरकार से मिलेगा। एक प्रोग्राम अफसर बी.डी.ओ. के समकक्ष बहाल करो, वेतन भारत सरकार से मिलेगा। साथ ही एकाउंट्स और कम्प्यूटराइजेशन व ट्रेनिंग आदि के लिए अलग से खर्चा देते हैं। अब राज्य सरकारों में अपनी-अपनी क्षमता है। इनके राज्य में क्या हालत है वह अलग से बता देंगे। लेकिन जो राज्य सरकारें कुशल हैं, उन्होंने इसे तुरंत किया है। प्लानिंग, फाइनेंस आदि का जो मकड़जाल है, उसके चलते बहुत सी राज्य सरकारों ने नियुक्ति नहीं की। लेकिन लाखों कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त हुए हैं, कार्यरत हैं। इसलिए खास जगह पर, कोई राज्य सरकार बहुत रुचि न ले, ध्यान न दे या वहां का फाइनेंस और प्लानिंग ज्यादा बलशाली है या लोग प्लानिंग कमीशन से बहाली की बात करने लगते हैं तो जरूर नहीं हुआ होगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): 24 राज्य सरकारों ने।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नहीं, यह गलत है। संख्या मैं बता दूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: यह सी.ए.जी. रिपोर्ट में है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: 11 राज्य सरकारों ने किया है तो वे एफीशिएंट हैं। राज्य सरकारों को हम समर्थन और सहयोग करते हैं, एडवाइज देते हैं। हम साल में हर तीन महीने पर चार बैठकें करते हैं, बराबर वर्कशॉप कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं। चार-पांच पत्र हमने लिखे हैं। माननीय सदस्यों को भी हम पत्र लिखते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी हैडिड बाई लोकल एम.पी. द्वारा वहां तीन महीने में बैठक होती हर और अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी छानबीन हो, कार्रवाई हो। मैं यह दावा नहीं करता कि जब रोजगार गारंटी कानून आ गया तो देश भर में जितने अधिकारी, कर्मचारी और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे सभी सत्यवादी हरिश्चन्द्र हो गये या महात्मा गांधी जी के चेले हो गये, यह कोई नहीं मान सकता है। लेकिन इसी रोजगार गारंटी कानून का कमाल है कि इसमें जन-भागीदारी, जनता की जानकारी, उनकी समझदारी, कड़ी निगरानी और पारदर्शिता की व्यवस्था है। इसलिए इसमें जो गड़बड़ियां हैं, सभी सामने नजर आ रही हैं। यह मिलाजुला रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को कह दिया जाए कि एकदम चौपट राज्य है या यह जिला एकदम चौपट है। यह पंचायत पर डिपेंड है। जहां चुने हुए प्रतिनिधि ठीक तरह से काम कर रहे हैं, जहां जागरुकता है, जानकारी है, वहां एक नम्बर काम हो रहा है। कहीं कलैक्टर ठीक है, तो वहां भी अच्छा काम हो रहा है। जहां कलैक्टर ही हेराफेरी में शामिल हो गया है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? जहां कतिपय कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए माननीय सदस्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। हमने कई बार माननीय सदस्यों को लिखा है कि ऐसी पंचायत की जानकारी हमें दें, जो सही काम नहीं कर रह हैं। हम राज्य सरकारों को पकड़ते हैं कि माननीय सदस्यों की ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन पर आपने क्या कार्यवाहियां की हैं। कार्यवाही हुई भी है, लोग पकड़े भी गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। वहां एन.आर.ई.जी.एस. के पैसे से पैस्टीसाइड खरीद लिया। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, उसे तुरंत सस्पेंड करके, कलैक्टर की बदली करके कार्यवाही की। आमिशंस, कमीशंस, त्रुटियां, इर्रेग्युलेरीटीज पकड़ी जा रही हैं और कार्यवाहियां हो रही हैं, लेकिन उसके लिए जागरुकता, जनभागीदारी बहुत जरूरी है।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हमने आई.आई.एम्स., आई.आई.टीज, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, जितने ग्रामीण विकास की पढ़ाई करने वाले लोग हैं, यू.जी.सी. को, सभी को लिखा है कि आप भागीदार बनें, स्टडी करें। उसका इम्पेक्ट, असेसमेंट और जानकारी करें। सभी जगह से अच्छा रिस्पोंस आ रहा है। सभी वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स ने लिखा है कि हमें रुचि है और रोजगार गारंटी योजना के लिए कार्यवाही करेंगे, भागीदार बनेंगे। शुरुआती दौर में कठिनाई होती है, जानकारी की कमी होती है। हमने राज्य सरकार से कहा कि 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। प्रिंसिपल रोल पंचायती राज का है। उन्हें जानकारी है। सदस्य लोग कहते हैं कि लोग इसमें काम नहीं करने जा रहे हैं। जहां ज्यादा पैसा मिलता है, वहां लोग जाते हैं। इस योजना को इसलिए बनाया गया है कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन न हो। मान लीजिए कि किसी मजदूर को 60, 70, 80 रुपए मजदूरी मिल रही है और उसी मजदूर को दूसरी जगह 150 रुपए मजदूरी मिलेगी, तो क्या वह मजदूर दूसरी जगह नहीं जाएगा? साल में सौ दिन कानून के सहारे उन्हें काम मिले, इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है। हमारी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि कृपया इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और सरजमीन पर जा कर देखें कि इसका क्या लाभ है और जो कमियां हैं, उन्हें राज्य सरकार को भी बताएं, हमें भी बताएं। हम ही तो राज्य सरकार से पूछेंगे। हम डायरेक्ट राज्य सरकार से कमियों के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। फेड्रल स्ट्रक्चर है। फिर वहां से सदस्य खड़े होंगे कि हमारी पार्टी की राज्य में सरकार है, इसलिए हम उनके प्रति ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो राज्य सरकार से पूछते हैं कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है। कभी-कभी यहां से भी नेशनल लेवल मोनिटरिंग की व्यवस्था राणा जी कर गए हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी लेने के बाद राज्य सरकार को सुझाव देते हैं कि गड़बड़ी पाई गई है, आप कार्यवाही कीजिए। उन्हें बार-बार रिमाइंड कराते हैं। कभी-कभी डांटते भी हैं और फटकारते भी हैं। कभी-कभी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं।

माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए थे, उनका मैंने उत्तर दे दिया है। श्री शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि जॉब कार्ड के बारे में गड़बड़ी हुई है। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मोनिटरिंग कमेटी में आप लोग क्या कार्यवाही करते हैं, यह भी तो हमें पता लगना चाहिए। क्या कोई ऐसी शिकायत है, जिसमें भारत सरकार को कार्यवाही करनी है। आप एक मामला भी हमारे पास भेज दीजिए, जिस पर हमें कार्यवाही करनी है कि वहां गड़बड़ी पाई गई है, हम तुरंत राज्य सरकार को पकड़ते कि हमारे माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है, कैसे आपने कार्यवाही नहीं की है। हमारी प्रार्थना है कि माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग अनिवार्य है। उनके सहयोग के बिना यह काम सफल नहीं हो सकता है। हमारा देश में माननीय सदस्यों के अलावा कोई नहीं है। हमारे एक अफसर के नीचे 40 जिले पड़ते हैं। छह सौ जिलों के लिए पुलीस अफसर हैं। कैसे देश के छह लाख गांवों में दो लाख अफसर काम कर सकते हैं?

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदया: 6 बज रहे हैं। हम केवल माननीय मंत्री जी का रिप्लाई खत्म होने तक सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। बाकी बिल सोमवार को कंटिन्यू करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि अगर उनके पास कोई स्पैसिफिक सूचना है तो तुरन्त लिखित में सूचना दें, राज्य सरकारों को भी बताएं वरना हम उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम माननीय सदस्यों को वह सूचना भी देंगे जो जांच में बातें आएंगी।

प्रो. रासा सिंह रावत जी ने राशि का सवाल उठाया है। हमने एक मुश्त पैसे भेज दिए हैं लेकिन इनकी बात ठीक है। 1 अप्रैल को बजट पास हुआ इसलिए उसे एक अप्रैल से लागू करेंगे। वोट ऑन एकाउंट था। चार हजार करोड़ रुपया सभी राज्यों में बांट दिया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राज्यों की मांगें आ गई हैं, एक सप्ताह लग जाएगा क्योंकि हमने अभी वित्त विधेयक पास किया है। हमें वोट ऑन एकाउंट में वन सिक्स्थ ही मिला है। हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे। हम बजट में प्रॉविजन इतना कर रहे हैं जिससे दिक्कत नहीं होगी। जब यह शुरू में लागू हुआ था तो दिक्कत हुई थी। शुरू में जब लागू हुआ तो 11,600 करोड़ रुपए का बजट था और खर्चा 8600 करोड़ रुपए का हुआ। शुरू में ढ़ाई हजार करोड़ रुपए की सेविंग हो गई। 200 जिलों से बढ़ा कर 330 जिलों में लेकर गए तो पिछले साल नकद 12,800 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। माननीय सदस्य ने सवाल किया कि इस साल 16 हजार करोड़ रुपए का बजट कम क्यों है? इस सवाल को धर्मेन्द्र जी ने उठाया है। मेरे ख्याल में आपने

वित्त मंत्री जी का भाषण गम्भीरता से नहीं सुना है।...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि डिमांड है। हमने तत्काल 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें जितना खर्चा होगा, हम देंगे। हमें अब यही सावधानी बरतनी है। जैसे 12000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, हम मुस्तैद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जुलाई वाले सैशन में सप्लीमैंटरी बजट आ जाएगा। हमें सभी स्तरों पर आश्वासन मिला है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: इसे राजस्थान कब भेज देंगे?

सभापति महोदया: रासा सिंह जी बीच में न बोलें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपने पूछा कि राजस्थान की राशि कब भेजेंगे? वित्त विधेयक कल पास हुआ है। राष्ट्रपति जी के पास जाने के बाद 5-7 दिन लग जाएंगे। सात दिन के बाद आ जाएगा तो आठवें दिन भेज देंगे। हमने सभी जगह एक अप्रैल को भेजा है। एक अप्रैल को संसद में जो बजट प्रावधान मंजूर हुए, हमने उन्हें एक अप्रैल को ही रिलीज किया है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, वैसे ही कोई कमी नहीं होने देंगे।

धर्मेन्द्र जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। काम मिल जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश में बटवानी जिला और उत्तर प्रदेश में एक जिले में बेरोजगारी भत्ता मिला है। वहां एन.जी.ओ. सक्रिय होकर मुस्तैद हुए। कानून के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को देना है। वह ऐसा कोई चक्कर करते हैं कि उसे देते ही नहीं हैं। आप राज्य सरकार को कहिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: हम बिल्कुल कहेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: चूंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस सफलता का क्लॉज भी इसी में है। यदि केन्द्र सरकार ठान लेती कि बेरोजगारी भत्ता देंगे तो देश की पूरी आबादी बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अपना ना लिखवा देती और कुछ भी काम नहीं होता। इसलिए हम अवेयरनैस कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। काम मिल जाएगा तो राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नौबत नहीं आएगी। वह ठीक से लागू हो, उसके लिए वह क्लॉज है और जुर्माने के बतौर है। हम काम देंगे, अगर काम नहीं देंगे तो जुर्माना देंगे यानी बैठा कर बेरोजगारी भत्ता देंगे। वह इलैबलिंग प्रॉविजन है और कानून का कमाल है। जब अवेयरनेस हो जायेगी तो 15 दिन के अंदर काम मिल जाएगा लेकिन इसके लिए थोड़ी प्लानिंग और इंतजाम करना होता है। प्रत्येक जिले को दस लाख रुपए परस्पेक्टिव प्लॉन बनाने के लिए अलग से दिए हैं ताकि परस्पेक्टिव प्लॉन बने, सैल्फ प्रोजेक्ट बने जिससे काम हो, ये दो बिंदु उनके थे।

महोदय, प्रबोध पांडा जी ने मिनिमम वैजिस का सवाल उठाया है। जिस समय यह योजना लागू हुई थी, कानून पास हुआ था उस समय नागालैण्ड में 25 रुपए और केरल में 125 रुपए थी जबकि नॉर्थ-ईस्ट में 40 के आसपास थी। अन्य राज्यों में कहीं 45, 47, 54, 65, 70, 75, 80, 90 और 125 रुपए मजदूरी थी। देश में विभिन्न वेजिस थे, विभिन्न शेड्यूल ऑफ रेट थे, जिलावाइज शेड्यूल ऑफ रेट वेरी करते थे। उस समय इकनॉमिस्ट लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि देश में एक मजदूरी कर दीजिए तब हमने कहा - बताइए हम कितना करें, 60 या 80 कर दें तो जिन राज्यों में अधिक मजदूरी है वे राज्य सरकारें भी हमसे कहेंगी और जिन राज्यों में उससे कम है वे राज्य सरकारें भी हमसे कहेंगी। अब ऐसा काम करने का सुझाव दे रहे हैं जिससे देश भर सब राज्य सरकारों में एक कन्सेन्सेस हो जाए तो हमें इसे करने में कोई हर्ज नहीं है। मिनिमम वेजिस के कानून का जो प्रावधान माननीय सदन ने पास किया है वह है - राज्यों में प्रचलित लागू मिनिमम वेजिस एक्ट 1948 का सेक्शन 3, जो एग्रीकल्चर वेज है वही एन.आर.ई.जी.एस. का वेज रहेगा। चूंकि किसान को भी देखना है और कुछ राज्य सरकारें किसानों को नहीं देख रही हैं, क्रांतिकारी बन गई हैं जबकि भारत सरकार 100 परसेंट लेबर कम्पोनेंट दे रही है। यू.पी. में 63 से 80 और 80 से 100 हो रहा है, दो महीने में वृद्धि हो रही है, हाइपर इन्फलेशन हो रहा है। देश में मिनिमम वेजिस कानून में प्रावधान है लेकिन तब तक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मजदूरी डिक्लेयर न करे, लागू न करे। अभी तक हमने भारत सरकार की ओर से छोड़छाड़ नहीं की है। राज्यों में जो उनका मिनिमम वेजिस है, अभी तक उसे छोड़ दिया है। चूंकि इसे राज्य सरकार से लागू कराना है, मान लीजिए हम कहें कि आप कम दे रहे हैं ज्यादा दीजिए, वे कहेंगे - हम कहां से दें, हमारे किसानों का क्या होगा, हमारी स्टेट की योजना का क्या होगा क्योंकि और डेवलपमेंट की स्कीम भी चल रही हैं। जहां ज्यादा है उनको कैसे कहें कि कम कर दीजिए तो वे कहेंगे - यह हमारा मिनिमम वेज है, आप इसमें दखल देने वाले कौन हैं। जो मिनिमम वेजिस है उसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। वामपंथी लोग एक्सपर्ट हैं वे हमें बता दें जिससे देश में एक कन्सेन्सस

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हो जाए तो हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हमारी कोशिश है कि किसान की भी जान बचे और मजदूरों का भी शोषण न हो। सब राज्य सरकारों का मात्रा भेद अलग-अलग है, कहीं मिट्टी कड़ी है तो कहीं मिट्टी मुलायम है, कहीं पथरीली है, अलग-अलग शेड्यूल ऑफ रेट है इसलिए हमने कहा हम इसमें दखल नहीं देंगे इसलिए हमें मिनिमम वेजिस व्यावहारिक नहीं लगता है। बी.के. देव साहब विजिलेंस कमेटी के बारे में बोल रहे थे?

श्री विक्रम केशरी देव: उस समय जो रिपोर्ट दी गई, मोस्ट ऑफ दि डिस्ट्रिक्ट्स में ऑन लाइन नहीं हुआ है। जैसे कालाहांडी और नावपड़ा में नहीं हुआ है इससे जो सेकिन्ड इन्सटालमेंट उनको मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाई है। फूड कम्पोनेंट का मिश्रण हो गया है, फूड कम्पोनेंट नेशनल फूड फॉर वर्क एन.आर.ई.जी.ए. प्रोग्राम में मिल सका। लोगों को वेजिस के अर्गेस्ट चावल चाहिए, आप इसे लागू कर सकेंगे या नहीं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, फूड फॉर वर्क और एस.जी.आर.ओ. योजना का प्रावधान किया है जो योजना एन.आर.ई.जी.ए. में फिट बैठती है वह जारी रहेगी, उसे कम्पलीट कर दिया जाए लेकिन रोजगार गारंटी कानून के साथ इसे पूरा कर दिया जाए। लेकिन अनाज का प्रावधान नहीं है। इसे बाद में देख सकते हैं लेकिन बाद में देख सकते हैं। पैसे मिलने के बारे में कह रहे हैं।

श्री विक्रम केशरी देव: ऑन लाइन नहीं हुआ है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सारे जिलों को हम ऑन लाइन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ जगह बाकी हैं। लेकिन ऑन लाइन नहीं होने के कारण उन्हें रुपये पहुंचने में हम कठिनाई नहीं होने देंगे। यह हम आपको बता रहे हैं।

सभापति महोदया: ठीक कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: अब और नहीं, बहुत प्रश्न हो गये हैं। यदि एक ही वाक्य में बोलेंगे तो पूछिये।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक तीन महीने में होती है। उसमें क्या होता है कि जो उसके मैम्बर सैक्रेटरी होता है, वह लोक सभा के दृष्टिकोण से कलक्टर होना चाहिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया कि जो जिला परिषद का सी.ई.ओ. होता है, उस सी.ई.ओ. को उन्होंने मैम्बर सैक्रेटरी बना दिया। इसलिए कलक्टर उसमें नहीं आते हैं। मेरी आपसे विनती है कि पिछली बार भी इसने एक जनरल मीटिंग में कहा था तो आपने बोला कि आपने अधिकारियों को आदेश दिया है, लेकिन वह आदेश उन तक नहीं पहुंचा कि कलक्टर ही उसका मैम्बर सैक्रेटरी होना चाहिए। यदि कलक्टर मैम्बर सैक्रेटरी होगा तो सारे तरह के काम वह कर सकेगा, अन्यथा कलक्टर उसमें नहीं आते हैं। यद्यपि नियम भी यही है। इसलिए कलक्टर को हिंदुस्तान के सारे जिलों में मैम्बर सैक्रेटरी होना चाहिए और को-मैम्बर सैक्रेटरी सी.ई.ओ. होना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह ठीक बात है। राज्य सरकारों को हमारा निदेश है कि कलक्टर को ही मैम्बर सैक्रेटरी रखा जाए। हालांकि कोई-कोई राज्य सरकार उसमें अगर-मगर कर रही हैं। लेकिन कलक्टर जब सैक्रेटरी नहीं रहे तो उस कमेटी का एरिना घट जाता है और जिले भर में कमान्ड नहीं रहती है। इसलिए जो माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम राज्य सरकार को बार-बार प्रैस करेंगे, आग्रह करेंगे कि कलक्टर को ही अनिवार्य रूप से सैक्रेटरी बनाया जाए। यह ठीक बात है। हम उसके पत्र की भी आपको जानकारी देंगे।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: वहां श्री राहुल गांधी का दौरा करवा दीजिए, सब ठीक हो जायेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, राजनीति में लोग घूमने के लिए जाते हैं, वैसा नहीं है। हमारी प्रर्थाना है कि यह गरीब की योजना है और यह देश का कायाकल्प करने वाली योजना है। चूंकि परमानैन्ट असैट का सृजन होना है। बहुत से जानकार, विद्वान लोग बताते हैं कि आने वाले समय में पानी की कमी होगी, पानी के लिए विश्व युद्ध होगा और पानी के लिए हाहाकार मचेगा। इसलिए वाटर कंजर्वेशन, जल संचय का काम, वाटर शैड मैनेजमैन्ट, वाटर मैनेजमैन्ट, फ्लड प्रूफिंग, ड्रॉट प्रूफिंग, लैंड डैवलपमैन्ट दो लाख बासठ हजार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन में लैंड डैवलपमैन्ट हो रहा है। आदिवासी भाई बोल रहे हैं कि हमारी जमीन का समतलीकरण करा दो। आदिवासियों की जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ थीं, उसमें एक तिनका पैदा नहीं होता था। अब उसका समतलीकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले में मैं आदिवासी

भाई के खेत में गया। हमने पूछा कि अब यह समतल हो गई है, आप इसमें क्या खेती करोगे? आदिवासी ने कहा कि हम सब्जी की खेती करेंगे। आदिवासी बोल रहे हैं कि खेतों का समतलीकरण होना चाहिए और वे उसमें काम भी कर रहे हैं। इसलिए महोदया यह अपने उद्देश्यों को एकदम पूरा करने जा रहा है और जहां-तहां कमियां हैं, माननीय सदस्यों के सहयोग और राज्य सरकारों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, ज्ञानी, वैज्ञानिक आदि सभी लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि गरीब की योजना में सब लोग लगें, जिससे गरीबी हटाने में यह मजबूत कदम साबित हो और भुखमरी रोकने में, डिस्ट्रैस पलायन को रोकने में सबूत सामने आ रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर इलाके में मैं स्वयं गया। वहां एक नदी में छः जगह चैक डैम्स बने हैं, वहां ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है, वहां सिंचाई हो रही है। असम के कोकराझार जिले में जो भूटान से नदी आती है, वहां बांध बना है। पचास गांवों के लोगों ने कहा कि हर साल बाढ़ से तबाह होते थे, यह रोजगार गारंटी कानून का कमाल है कि हम बच गये। इसलिए यह विभिन्न किस्म के हजारों सक्सैज वाली स्टोरी है और सभी जगहों पर सफलताओं की कहानियां बन रही हैं। इसीलिए माननीय सदस्यों से हम अपेक्षा करते हैं कि इसका...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उन्हें प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय मंत्री महोदय ने इसका विस्तृत उत्तर दिया है। मैं एक मुद्दे पर बल देना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं।

अब देश के सभी जिले इसमें शामिल किये गए हैं। इनमें से बहुत से जिले और क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचाई की सुविधा है लेकिन कार्य करने के लिए मिट्टी उपलब्ध नहीं है।

इसी कारण से 2, 3, 5 और यहां तक कि दस किलोमीटर की दूरी से मिट्टी लायी जा रही है। यह स्थिति है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

जो कंपोनैन्ट आपने रखा कि अर्थ वर्क इतना परसेंट होगा और बाकी इतना होगा आपने 60:40 रखा। क्या इस बारे में क्षेत्र-वार विशिष्ट नीति बनायी जाएगी कि जहां यह प्रोग्राम बन रहा है, ग्राम सभा की तरफ से प्रोग्राम आ रहा है, उसी तरह की इलास्टिसिटी और फ्लैक्सिबिलिटी रखो कि यह कंपोनैन्ट अदल-बदल हो सके।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, यह बात ठीक है कि 60 प्रतिशत लेबर कंपोनैन्ट और 40 प्रतिशत मैटीरियल कंपोनैन्ट का रेशियो रखा गया है। लेकिन इसमें खूबी यह है कि एक जिले को यूनिट मानकर 60:40 रेशियो में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक स्कीम में 60:40 रेशियो मेनटेन करना है। ऐसे तो कोई काम ही नहीं होगा, जहां का तहां रुक जाएगा। इसलिए जिला को यूनिट माना गया है। इसलिए किसी स्कीम में 90 प्रतिशत भी मैटीरियल हो सकता है, 10 प्रतिशत ही लेबर कंपोनैन्ट हो सकता है। लेकिन वहीं पर ऐसी भी कोई योजना ली जा सकती है जिसमें 90 फीसदी लेबर कंपोनैन्ट और 10 फीसदी मैटीरियल कंपोनैन्ट हो सकता है।

सभापति महोदया: इसको जिले में 60:40 के रेशियो से करेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी हां। इसलिए वहां जो प्रोग्राम कोआर्डिनेटर है, उसको यह देखना है कि...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर बहस से अच्छी जानकारी होगी। बहुत से अधिकारी भी नहीं समझ पाते। इसलिए उन अधिकारियों का दिमाग साफ किया जाए, उनको बताया जाए कि एक इनडिविजुअल स्कीम में 60:40 रेशियो नहीं है। जिला यूनिट है। किसी योजना में 100 प्रतिशत भी मजदूरी हो सकती है और मैटीरियल कंपोनैन्ट नहीं होगा। किसी में मैटीरियल कंपोनैन्ट 90 प्रतिशत भी हो सकता है लेकिन सब मिला-जुलाकर जिला को यूनिट माना गया है।

सभापति महोदया: क्या आपके यहां से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी हां, हैं। महोदया, हम आपका आभार मानते हैं कि आपने हमें और माननीय सदस्यों को मौका दिया। ऐसा मशहूर कानून देश भर के लोग जानेंगे और समझेंगे तो यह योजना सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 6.17 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग संख्यांक (2) विधेयक, 2008 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 अप्रैल, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2008 को, जिससे लोक सभा द्वारा अपनी 29 अप्रैल, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

सभापति महोदया: अब सभा सोमवार 5 मई, 2008 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.18 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 5 मई, 2008/15 वैशाख, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री मधु गौड यास्खी श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	521
2.	श्री हरिसिंह चावडा डा. धीरेंद्र अग्रवाल	522
3.	श्री किन्जरपु येरननायडु	523
4.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री मित्रसेन यादव	524
5.	श्री नन्द कुमार साय श्री किसनभाई वी. पटेल	525
6.	श्री अजीत जोगी श्री एस.के. खारवेनथन	526
7.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	527
8.	श्री विजय कृष्ण	528
9.	श्रीमती नीता पटैरिया	529
10.	श्री पंकज चौधरी	530
11.	एडवोकेट सुरेश कुरूप श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	531
12.	डा. के.एस. मनोज	532
13.	श्री राकेश सिंह	533
14.	डा. टोकचोम मैन्या	534
15.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	535
16.	डा. एम. जगन्नाथ	536
17.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	537
18.	श्री निखिल कुमार	538
19.	श्री हितेन बर्मन	539
20.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	540

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन, रशीद, श्री जे.एम.	5137
2.	आदित्यनाथ, योगी	5160, 5209
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5156, 5162, 5223, 5224, 5241
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	5158
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	5142, 5220, 5258
6.	आठवले, श्री रामदास	5157
7.	'बाबा', स्री के.सी. सिंह	5124
8.	बर्मन, श्री हितेन	5194
9.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	5151
10.	भगोरा, श्री महावीर	5201, 5232
11.	भाईलाल, श्री	5177
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	5180, 5219, 5239
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5127
14.	बोस, श्री सुब्रत	5171
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	5176
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	5166

1	2	3
17.	चारेनामै, श्री मणि	5185
18.	चौरे, श्री बापू हरी	5170
19.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	5129
20.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	5166
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	5255
22.	धनराजू, डा. के.	5158, 5164, 5212, 5236
23.	दूबे, श्री रमेश	5256
24.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5163
25.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5145, 5204, 5229
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	5146, 5199, 5259
27.	हसन, चौ. मुनव्वर	5149
28.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	5169, 5215
29.	जगन्नाथ, डा. एम.	5214, 5257
30.	जयाप्रदा, श्रीमती	5229
31.	जेना, श्री मोहन	5128
32.	जिन्दल, श्री नवीन	5135, 5188
33.	जोगी, श्री अजीत	5206, 5231, 5245, 5251
34.	करूणाकरन, श्री पी.	5150
35.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	5255
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5254
37.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5187, 5227, 5243, 5249
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5136
39.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	5148, 5217
40.	कृष्ण, श्री विजय	5176, 5221, 5230
41.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5167
42.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5154, 5225
43.	महरिया, श्री सुभाष	5144, 5200, 5213, 5237, 5261
44.	महतो, श्री नरहरि	5126, 5189
45.	महताब, श्री भर्तृहरि	5181
46.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	5207
47.	मनोज, डा. के.एस.	5208, 5240, 5248
48.	मसूद, श्री रशीद	5243, 5198
49.	मेघवाल, श्री कैलाश	5130
50.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	5183
51.	मैन्या, डा. टोकचोम	5210
52.	मंडल, श्री अबु अयीश	5153, 5211
53.	रिहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5248
54.	नायक, श्री अनन्त	5184, 5222
55.	निखिल कुमार, श्री	5229
56.	ओराम, श्री जुएल	5230
57.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5192, 5234, 5246, 5252
58.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	5131, 5163, 5191, 5213
59.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	5137
60.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	5134
61.	पटैरिया, श्रीमती नीता	5207

1	2	3
62.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	5182
63.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	5172
64.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	5152
65.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	5165
66.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	5125
67.	राजगोपाल, श्री एल.	5159
68.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	5156
69.	रामदास, प्रो. एम.	5161
70.	राव, श्री के.एस.	5140, 5202
71.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5200, 5230, 5244, 5250
72.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	5186
73.	रावत, प्रो. रासा सिंह	5123
74.	रेड्डी,, श्री जी. करूणाकर	5141, 5196, 5200, 5228, 5247
75.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5134, 5205
76.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5132, 5195, 5238, 5260
77.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	5155
78.	सत्पथी, श्री तथागत	5139, 5193, 5233
79.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	5129
80.	शर्मा, श्री मदन लाल	5161
81.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5156, 5162, 5223, 5241
82.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5161
83.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	5207
84.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	5162
85.	सिंह, श्री चन्द्रभान	5178, 5218
86.	सिंह, श्री गणेश	5176
87.	सिंह, श्री राकेश	5190, 5226
88.	सिंह, डा. राम लखन	5179
89.	सिंह, श्री रेवती रमन	5168
90.	सिंह, श्री उदय	5174, 5216
91.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	5138
92.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5197, 5253
93.	सुमन, श्री रामजीलाल	5167
94.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	5133
95.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	5137
96.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5147, 5203, 5235
97.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5175, 5212
98.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5158, 5205
99.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	5145, 5163
100.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5156, 5223, 5224, 5242
101.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	5204, 5229
102.	यास्खी, श्री मधु गौड	5204, 5229
103.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5213, 5257

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री		
परमाणु ऊर्जा	:	533
कोयला	:	527, 538
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	521, 525, 529, 536, 537, 539
विदेश		
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	522, 523, 524, 526, 528, 530, 531, 532, 540
प्रवासी भारतीय कार्य		
पंचायती राज		
संसदीय कार्य		
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	535
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	534
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन		
युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	5153
परमाणु ऊर्जा		5154, 5207, 5254
कोयला	:	5137, 5165, 5169, 5174, 5184
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	5126, 5138, 5155
पर्यावरण और वन	:	5127, 5131, 5141, 5146, 5158, 5168, 5171, 5175, 5178, 5185, 5186, 5189, 5190. 5193, 5194, 5199, 5202, 5204, 5206, 5211, 5214, 5215, 5218, 5219, 5220, 5226, 5248, 5252, 5255

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाषः 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्ग
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।